

किशोरलाल भाई की जीवन-साधना

लेखक

स्व० नरहरि भाई परीख

अनुवादक

ब्रजनाथ महोदय

अखिल भारत सर्व-सेवा सघ-प्रकाशन

राजघाट, काशी

प्रकाशक

अ० वा० सहस्रमुखे

मंत्री अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ

वर्मा (बम्बई-राज्य)



पहली बार ३०००

फरवरी १९५९

मूल्य दो रुपये



मुद्रक

पं० पृथ्वीनाथ भार्गव,

भार्गव भूषण प्रस

गायघाट, वाघजशी

दो शब्द

संतों का कथन है कि संस्कारी, भक्तिप्रधान और चारिष्यशील कुल में ही सज्जनों का जन्म होता है। गीता में भी इसी आशय का वचन है, जिस पर से यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की उन्नति के लिए उसे घर के वातावरण तथा कुटुम्ब के बड़े-बूढ़ों से उत्तम संस्कार मिलने चाहिए। वे मिलते हैं, तभी मनुष्य आगे चलकर यथासमय अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से उचित बोध ग्रहण करता हुआ अपनी उन्नति साध सकता है। फिर उसके मुख से सबके लिए हितकर और कल्याणमयी वाणी प्रकट होने लगती है। उसने कार्य में साक्षिणता दिखाई देती है। उसकी सगति से दुःखी, पीड़ित और संतप्त लोग शान्त होते हैं। अज्ञानियों को ज्ञान और भयहीनों को धीरज मिलता है। श्री किशोरदास भाई के जीवन से संघ-वचन की प्रतीति होती है।

संस्कारी तथा चारिष्यशील कुटुम्ब में उनका जन्म हुआ था। वचन से ही उन्हें अपने कुटुम्ब से उत्तम संस्कार मिलने लगे थे। जब उत्साह उमग और कृत्य प्रकट करने की उनकी उम्र हुई, तब उन्होंने लोक-प्रवाह की भाँति घन कमाकर, सुखमम भीषण बिताने का रास्ता त्यागकर, एक महान् पुण्य का आश्रय लेकर जन-सेवा का मार्ग अपनाया। आगे चलकर उन्हें सेवा से भी पूरा संतोष नहीं हुआ और उनके मन में आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन के अन्तिम साध्य की प्राप्ति की आकांक्षा जाग्रत हुई। वह धड़ते-धड़ते पराकाष्ठा तक पहुँची और उन्होंने सर्वस्व का त्यागकर एकांतवास कर साधना की। उन्होंने उससे जो जीवन का सार-तत्व ढूँढा, उसे अनेक पुस्तकों तथा लेखों के रूप में जनता के सम्मुख रखा।

उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से या वचन में उत्तम संस्कार मिलने से ही मनुष्य का मात्री जीवन उत्तम नहीं हो जाता। मनुष्य को इस पूर्वी की

"शुद्ध बीजा पोटी । फले रसाल तोमटी ॥ १ ॥
 मखी ममृताभी बाणो । देह बेबाजे कारणो ॥ २ ॥
 मबीग निमंस चित्त ससं गगाजल ॥ ३ ॥
 सुका म्हणे माती । ताप बशने विघ्नाति" ॥ ४ ॥

शुद्ध बीज मे रसयुक्त उत्तम फल उत्पन्न होत है । उनसे मुक्त से अमृत की भांति बाभी प्रकट होती है । उगना गरीर भगवान् के स्थि ही होता है । उनसे सभी अंग निमग्न और शुद्ध होते है भीर चित्त गगाजल भी तरह विणुद्ध । ऐसे सज्जनों के दर्शन से तापत्रय दूर होकर शान्ति मिलती है ।

किशोरलाल भाई का जीवन एसा ही था । वे जन्म पापदर धम्य और कृताय बने ।

'अमर्य', किन्नर सर्कस

माटुङ्गा, बम्बई १९

१८ ३ ५९

-केदारनाथ

निवेदन

हमारे अनुरोध पर पू० नाथजी ने अत्यन्त कृपापूर्वक 'दो धन्द' लिख भेजे हैं । किशोरलाल भाई आपको अपना गुरु मानते थे और उनके जीवन पर आपका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, आपने उनके जीवन और साधना के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे सभी पाठकों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसी आशा है । क्लिप्त से आने को कारण हम पू० नाथजी के इन शब्दों को उपयुक्त स्थान पर नहीं दे सके, इनके लिए क्षमाप्रार्थी हैं ।

-प्रकाशक

प्रकाशकीय

स्व० किशोरलाल भाइ मशरूवाला सुप्रसिद्ध तत्त्वचिंतक, गांधीवादी ग्यास्याकार और श्रेय-साधक थे । स्व० नरहरि भाई परोख ने किशोरलाल भाइ के देहांत के पश्चात् उनका जीवन-चरित्र गुजराती में लिखा और वह नवजीवन ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ था । उसका हिन्दी अनुवाद अब प्रकाशित हो रहा है । हिन्दी-भाषी जनता को किशोरलाल भाइ के जीवन और साधनामय अनुभूतियों तथा चिन्तनप्रधान व्यक्तित्व के दर्शन से इतने समय तक वंचित रहना पड़ा, यह एक मजबूरी ही कही जायगी ।

उनके सम्बन्ध में अनेक लोगों के अनेक प्रकार के संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ भी हैं । हम चाहते थे कि वे सब भी इसी पुस्तक में जोड़ दिये जायें, लेकिन कसेवर बहुत बड़ जाने की समावना देखकर यह विचार स्थगित करना पड़ा । संस्मरण और श्रद्धांजलियों का सकलन अलग से यथासमय प्रकाशित किया जायगा ।

इस ग्रंथ में किशोरलाल भाई के पारिवारिक जीवन के साथ साथ उनकी विचारधारा और तदनुरूप साधना का परिचय विशेष रूप से व्यक्त हुआ है । हिन्दी पाठक इस ग्रंथ से जीवन सम्बन्धी नयी और मौलिक दृष्टि प्राप्त करेंगे ।

—प्रकाशक

सन्तों के अनुज

स्वर्गीय किशोरलाल भाई मृत्यु के उपरान्त लोगों के स्मारक बड़े करने या उनके जीवन-चरित्र आदि लिखने के विरुद्ध थे। मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने 'मरण-विधि' नामक एक लेख लिखा था। उसे बड़ी प्रसिद्धि मिली थी। परन्तु उनकी मृत्यु के बाद यह जीवन-चरित्र लिखने के विषय में अब चर्चा चलने लगी, तो एक श्रेयस्व बुद्धिगम ने इस तरह के कट्टर विचारवाले मित्रों को यह कहकर निश्चर कर दिया कि "जिन्होंने अपनी प्रखर विचार-शक्ति अविरोध कर्मयोग और निमल चारित्रिक गुणों से अपने देश, काल और समाज को प्रभावित किया उन विभूतियों के जीवन-चरित्र लिखना यदि अनुचित है, तो क्या भ्रमण, बुराचारी, सटोरिये, काल-बाजार करनेवाले अथवा सिनमा के सितारों के चरित्र लिखकर या लिखवाकर आप समाज को ऊपर उठाने की आशा कर सकते हैं?"

तब स्वर्गीय श्री किशोरलाल भाई के निकटतम मित्र और मास्त्रीबन छापी श्री मरहुरि भाई ने यह चरित्र लिखने का काम अपने भिन्ने लिया और श्री मास्त्री ने इस योजना को अपना आशीर्वाद देकर इसका अभिनन्दन किया। चरित्र-लेखन अब लगभग पूरा होने को आया तब मास्त्री ने मुझे लिखा—“यह कल्पना ही मुझे अटपटी मालूम हो रही है कि इस जीवन-चरित्र में आपके उद्गार न हों। जो सन्निध हमारी जीकों से ओझल हो चके हैं, उनके प्रति सम्भाव प्रकट करनेवाले वो क्षम हम लिखें, इससे अधिक हमारे हार्थों में और है ही क्या?”

×

×

×

×

किशोरलाल भाई को सबसे पहले मैंने सन् १९१८ के आसपास साबरमती-आश्रम में देखा था। तभी उनका शरीर बलियत और रोधी था। जीवन के अंत तक वह ऐसा ही रहा। प्रारम्भ में उन्हें और उनकी सांप्रदायिक रहन

सहन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। धर्म, अध्यात्म अथवा शास्त्रों की चर्चा में उनकी पृथक्करण की शैली और पुरानी परिभाषा को देखकर मैं परेशान हो जाता। मवीन जीवन-दृष्टि मिलने के बाद 'जीवन-शोधन' तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में उन्होंने अपने प्रसार विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। इनमें से कितने ही विचार तो मुझे अथवा मेरे जैसे अनेक लोगों को अस्वीकार्य लगते। परन्तु इनके मूल में जो निःस्पृहता, सत्पनिष्ठा और सामुदायिक ध्येय की चिन्ता थी, वह हर भावमी के हृदय को स्पर्श किये बिना नहीं रहती, फिर वह भ्रष्टासु हो या अथदासु।

किशोरलाल भाई ने नाथजी को प्रकट रूप से अपना गुद बताया है। परन्तु यह गुद-शिष्य-सम्बन्ध हमारे देश की परम्परा की छापवाला नहीं था। किशोरलाल भाई जब सत्य की अपनी खोज में अत्यन्त व्याकुल अवस्था में थे, तब नाथजी ने उनका साथ लेकर उन्हें एक निश्चित जीवन-दृष्टि प्रदान की थी। किशोरलाल भाई ने इस ऋण को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया है। इतना ही इसका अर्थ समझना चाहिए।

नाथजी ने किशोरलाल भाई का अथवा अन्य किसीका भी गुदपद कभी ग्रहण नहीं किया। वस्तुतः अधिकांश आधुनिक पुरुषों की भाँति गुद-सत्या की घुराइयों का तीव्र भाव उनमें भी है। उनसे परिचित सब लोग इस बात को जानते हैं। किशोरलाल भाई की भ्रष्टा-उपासना पुराने ढंग की थी। ज्ञान में अथवा अनज्ञान में नाथजी ने इसकी जड़ें पुरी तरह हिला लीं। इसके बाद जब तक उनकी व्याकुलता का समन नहीं हो गया, तब तक उनका साथ लेकर उनका मार्गदर्शन करना नाथजी के लिए अनिवाय हो गया। और सब पूछिये तो जब किशोरलाल भाई को ज्ञान्ति मिली, तब उन्हें ऐसा लगा मानो अपने सिर पर का एक बहुत बड़ा बोझ हट गया और छुट्टी मिली। ऐसा नाथजी ने अनेक बार अपने मित्रों के सामने कहा है।

म तो समझता हूँ कि गुद-शिष्य का नाता सबसे अच्छे अर्थ में एक सच्चा सम्मिश्र का नाता है। इस अरिष्ट-ग्रन्थ में नाथजी ने 'साधना' दीपक अध्याय लिखा है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने यह बात बिया है। यही नहीं, वस्तुतः उन्होंने किशोरलाल भाई के समान ही इतनाभाव से यह स्वीकार किया है कि

एक समिन्न के रूप में वे स्वयं भी किशोरलाल भाई के श्रेणी ह। गुद-साक्षा के इतिहास में यह वस्तु अतनी अनुपम है, उतनी ही नवीन भी है।

विवेकामन्त्र ने रामकृष्ण परमहंस के निर्वाण के बाद उन्हें प्रसिद्धि प्रदान की। परन्तु किशोरलाल भाई ने उन्हें जीवितावस्था में ही प्रसिद्ध कर दिया। दूसरे के नाम से पहचाने जाने में एक पुण्यार्ची व्यक्ति हमेशा संकोच और असुविधा का अनुभव करता है। नाथजी का परिचय प्रायः किशोरलाल भाई के गुद के रूप में दिया जाता है। अतः नाथजी वर्णों से यह संकोच और संकट उठते आये हैं। इस संकोच और संकट से ऐसे सत्पुरुषों को बचाकर उन्हें उनके अपने व्यक्तित्व के मूल्य पर हम पहचानना सीखें, यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए दृष्ट है।

× × × ×

जीवन-दर्शन, तत्त्वज्ञान, शिक्षण सामाजिक तथा राजनतिक उत्थान, रचनात्मक काय, आर्थिक नियोजन, राजकीय सिद्धान्तवाद और देश की अग्य समस्याओं पर किशोरलाल भाई ने अपने प्रगल्भ विचार स्वयं ही दर्शन ग्रन्थों और 'नवजीवन', 'योग इच्छिया', 'हरिजन' पत्रों और पिछले वर्षों में समस्त देश के अनेक सामयिक पत्रों में छपे अपने अंतर्दृष्ट लेखों में प्रस्तुत किये ह। इन सबमें उन्होंने गांधीजी की अनेक विचार-धाराओं और सिद्धान्तों को विस्तार दिया है। गांधीजी द्वारा प्रचारित आदर्श और कार्यक्रम जनता को विस्तार रूप से समझाने और उसके दिल पर अच्छी तरह अंकित कर देनेवाले प्रामाणिक भाष्यकार और स्मृतिकार के रूप में वे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। स्वयं गांधीजी ने एक से अधिक बार उनके इस अधिकार पर अपनी मुहुर लगायी है।

ध्यापक और गहन चिन्तक उनकी अपनी कमाई थी। स्वामी सहजानन्द, गांधीजी, नाथजी अथवा अग्य किसी गुणजन से प्राप्त पंजी पर उन्होंने व्यापार नहीं फैलाया है। जो पाया, उसे पचाया और फिर मुकदमों के श्रेण की पुरो तरह स्वीकार करके उसे अपनी वस्तु के रूप में, परन्तु भलाई-बुराई की विन्ने-बारी छुड़ उठाकर उसे समाज के सामने पैस किया। यह सब उन्होंने अतने निरन्तर के साथ किया है अतनी ही उसके भीतर यह भावना भी रही है कि जान में या अज्ञान में किसीके साथ अन्याय न हो जाय।

उनका समस्त चिन्तन और लेखन लोक-जीवन की शुद्धि, वृद्धि, सत्कार और मवरचना के लिए होता था और इसमें समस्त सत्कार के लिए प्रेरणा और सन्देश होता था । फुरसतमन्त्र बुद्धिमानों के 'काव्य-शास्त्र-बिन्दु' के लिए उन्होंने कभी नहीं लिखा । सुशिक्षित और धन-साधारण की संस्कारिता के भेद को उन्होंने 'भद्र संस्कृति' और 'संत संस्कृति' जैसे सुन्दर नाम देकर प्रकट किया है । ये नाम हमारे साहित्य में अमर हो पायेंगे ।

एक प्रसन्न शिक्षाशास्त्री और चतुर सभाहकार के रूप में गांधीजी की विविध संस्थाओं के साथ उनका आजीवन सम्बन्ध रहा है । किसी एकाग्र संस्था से केवल अपने निर्वाह के लिए वे छोटी-सी रकम लेते थे । प्रश्नों अथवा लेखों आदि का कोई पुरस्कार नहीं लेते थे । फिर भी यदि कोई भेज ही देता तो वे दूसरे किसीको दे देते ।

नतिक गुण और सयमी जीवन-व्यवहार द्वारा जनता के चरित्र-गठन का उन्हें बड़ा भाग्य था । इस कारण बहुत से आधुनिक लोग उन्हें अब्यावहारिक 'सन्तों' में शुमार करते । साहित्य, संगीत और कला के नाम पर बिनासी वृत्तियों का अनुशीलन उन्हें अच्छा नहीं लगता था । स्त्री-मुद्दों के बीच की स्वाभाविक मर्यादा को वे छुडरती कानून मानते थे । वे मानते थे कि सुहावने और आकर्षक स्त्रियों के नाम पर इस मर्यादा को तोड़ने का यत्न यदि किया जायगा, तो समाज के शरीर और मन के भारोप्य को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी । स्त्री-जाति के प्रति उनके मन में बहुत आदर था और वह सारा गोमतीबहन में प्रकट होता था ।

मध्ययुग के ईसाई साधु थॉमस कॅंपिस का एक ग्रन्थ है—'Imitation of Christ' ('ईसा का अनुकरण') । आज चार-पाँच सताब्दियों से ईसाई जगत् में इसका लगभग यादबल के समान ही आदर है । मेरा ख्याल है कि किशोरलाल भाई के विचार और चिन्तन कुछ ऐसा ही स्वाम प्राप्त करेंगे । उनका जीवन-दर्शन विवेक-प्रधान था । मैं इसे अक्सर 'कोल्ड रशनलिज्म' (बेबाम्यास-जड़ज्ञान) कहता । परन्तु उनका व्यवहार अमृत के समान मधुर था । काया एकदम जबर थी, फिर भी अतिथि-आगम्युक्त का सत्कार उठकर और सामने आकर करते । बड़े-बड़े नेताओं से लेकर अपने कार्यकर्ता

रोगों और व्याधियों ने आजीवन उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्रतिदिन वे कुच्छ इतना पढ़ता कि बेचनेवाले घबड़ा जाते। साँस लेने के लिए हर घड़ी फेफड़ों के साथ संप्राम करना पड़ता और उनके साथ झूमते-झूमते दारौरे उकड़ें हो जाता। मिनटों तक उन्हें इस तरह सिमटकर बैठे रहना पड़ता। आश्चर्य हलका होते ही वे फिर उठ बैठते और हाथ में सेखनो धाम लेते या कातने लग जाते। मृत तक यही बसा रही। रोगों और उपचारों को सहते-सहते उनके विषय में इतना ज्ञान हो गया कि अच्छ-अच्छे डॉक्टरों को चक्कर में डाल देते।

इन अपार वेह-कष्टों के परिहाररूप में या और किसी हेतु से भगवान ने उनके अन्तर अपरंपार विनोद भर दिया था। वे अपने को ही हँसी का सभ्य बनाकर दूसरों को खूब हँसाते। प्राणहारक बेबनाओं के बीच भी जो कोई सामने हो, उसके साथ अथवा गोमती बहन के साथ इनका मुक्त, निर्बल विनोद चकता ही रहता। मित्रों के साथबाले पत्र-व्यवहार में भी वह टपकता। उसे सिखाने बैठें, तो पत्रों के पत्रे भर जायें।

मृत्यु के कुछ ही दिन पहले की बात है। बारडोसी में तरहुरि भाई बीमार हो गये और अवेधिसाइटिस का ऑपरेशन अनिवार्य हो गया। उस समय किशोरलाल भाई का दारौरे अत्यंत क्षीण हो गया था। फिर भी ज्ञान तौर पर वे बम्बई आ करके रहे। समाचार लेने के लिए रोज अस्पताल जाते। ऑपरेशन के दिन जब तक ऑपरेशन पूरा हुआ और तरहुरि भाई पापस होश में आये, तब तक वे वहीं अस्पताल में बैठे रहे।

हर प्राण के छोटे-बड़े अंतर्गम्य कार्यकर्ताओं, सपाबकों, संस्थाबालों विदे शियों विषयज्ञान्ति-परिपक्वबालों गांधीजी द्वारा स्थापित विविध संघों वित्रयों की संस्थाओं गोसेबा, महारोगियों (कुच्छपीडितों) की सेवा, हरिजन-सेवा के कायकर्ताओं, जनस्वति-विरोधियों आदि सबके साथ उनकी समान आत्मीयता थी। गांधीजी के बाब इनके प्रति सबका समान भावर था। जिस दिन मृत्यु के समाचार मिले अन्त-अन्त तक कांग्रेस की गतिमाँ बेनेवाले भी इस तरह बहाड़ मार-मारकर रोने लगे जैसे प्रत्यक्ष उनका पिता मर गया हो। वेद के बोलों कोने से तथा बिदेसों से भी तारों और पत्रों का जो प्रवाह चमड़ा, उन सबमें इतना कुशल प्रकट हो रहा था, मानो उनका कोई निरुत्तम स्वजन जाता गया हो।

अपने अंतिवासियों के सामने गांधीजी कई बार कहते कि मेरे सामने भले ही तुम्हारा सेज कोई न बेश पाये, परन्तु मेरी मृत्यु के उपरान्त सत्तार तुम्हारा मृत्यु समझने लगेगा। गांधीजी की इस भविष्यवाणी को किशोरलाल भाई और विनोबा ने समझ आने सही करके बिना दिया।

× × × ×

इस ग्रन्थ के रूप में श्री नरहरि भाई ने जो चरित्र-निष्पण किया है, उसके विषय में कुछ भी निश्चय की घुष्टता में नहीं कहना। स्वयं अपग होते हुए भी उनके जैसे समत्वशील और निकटतम साथी ने अत्यंत प्रेमभाव से इतना परिश्रम उठाकर यह चरित्र लिखने का काम हाथ में लिया और झुंझ बौखनेवाले विषयों को पेश करने में भी जिन रचनाओं में 'क्लासिक' का दर्जा प्राप्त कर लिया है, उनमें यह एक और निर्मल और शान्त क्लासिक शामिल कर दिया। इससे अधिक अनुकूल और सुहावना और क्या हो सकता है? किशोरलाल भाई ने गांधीजी के बाद जिस योग्यता के साथ 'हरिजन'-पत्रों का संपादन किया, उसी योग्यता के साथ नरहरि भाई ने इस चरित्र-ग्रन्थ का निर्माण किया है।

यह प्रस्तावना पूरी करने से पहले किशोरलाल भाई के गुरुद्वन्द्व श्री रामजीलाल मोदी का उत्सुक किये वगैर में नहीं रह सकता, जिन्होंने किशोरलाल भाई के चिन्तन और लेखन के स्रोत और प्रेरणाकर्म माधजी के विचार-साहित्य का वर्षों तक संग्रह, संपादन और अनुवाद अनन्य निष्ठा के साथ किया है। किसी भी प्रकार के बदले की अपेक्षा न करते हुए, झुंझ भक्तिभाव से लगातार एक-से परिश्रम के साथ उन्होंने यह काम बरसों किया है। माधजी के तथा किशोरलाल भाई के असंख्य लेख, प्रवचन, पत्र-व्यवहारों के पीछे इनका अविभाज्य उद्योग छिपा हुआ है। इनके निरभिमान ने इन्हें कभी प्रकाश में नहीं माने दिया। परन्तु इनके भक्तिमय परिश्रम ने गुजराती भाषा के चिन्तन-साहित्य में जो अभिवृद्धि की है, उसके लिए गुजरात की जनता इनकी सवा इतना रहेगी।

दम्बाई,

९ अगस्त, १९५३

—स्वामी भानव

अनुक्रम

१	सत्य-शासन को बिरासत	१
२	कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ	१०
३	माता पिता	१३
४	प्रभु को समर्पण	१७
५	बचपन क संस्मरण	२१
६	बिधाय्यास	३३
७	बाल-मित्र	४०
८	रहस्थाधम	४३
९	बकालत	५०
१०	दम की बीमारी	५८
११	पितानी के कुछ संस्मरण	६९
१२	सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में	७८
१३	सत्याग्रह-आम्रम में शिक्षण	९९
१४	विद्यापीठ के महामात्र	११६
१५	शासना	१४२
१६	'आम्रमी' होने पर आपत्ति	१५०
१७	बाद-पीकितों की सेवा	१५४
१८	बड़े मार्ग	१६३
१९	सन् '१०' १२ का सत्याग्रह-संभाम	१७२
२०	गांधी-सेवा-संब के अन्वेष	१९८
२१	सन् १९४२ का युद्ध	२१३
२२	'हरिजन' ग्रन्थों का सम्पादन	२३२
२३	देहान्त	२४१
२४	साहित्य प्रवृत्ति	२६५
२५	जीवन-दर्शन	



अनुक्रम

१ सत्य-शाधन की बिरासत	१
२ कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ	१०
३ माता पिता	१३
४ प्रभु का समर्पण	१९
५ प्रचपन क संस्मरण	२१
६ बियाभ्यास	३३
७ बाल-मित्र	४०
८ गृहस्थाभ्रम	४३
९ यकाळ	५०
१० दमे की बीमारी	५
११ पितामी के कुछ संस्मरण	५८
१२ सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में	६९
१३ सत्याग्रह-आभ्रम में शिक्षण	७८
१४ बियापीठ क महामात्र	९९
१५ रापना	११६
१६ 'आभ्रमी' हाने पर आपत्ति	१४२
१७ बाढ़-पीड़िता की सेवा	१०
१८ बड़े भाई	१५४
१९ सन् '३० '३२ का सत्याग्रह-संभ्राम	१६३
२० गांधी-सेवा-संन क अभ्युद्य	१७२
२१ सन् १९४२ का युद्ध	१९८
२२ 'हरिजन'-पत्रों के सम्पादक	२१३
२३ देहान्त	२३२
२४ साहित्य प्रवृत्ति	२४१
२५ जीवन-दर्शन	२६५



स्वर्गीय श्री किशोरभास भाई

सत्य शोधन की विरासत

: १ :

किसोरपाल भाई के प्रपितामह लक्ष्मीचंद सूरत में रहते थे। वे मदारू (रेखमी और सूती मिला कपड़ा) बुनवाने और बेचने का व्यवसाय करते थे। जस पहले के पूर्वजों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। संभव है कि यह मदारू का धंधा उनके वंश में कोई पुस्ता से चला आ रहा हो। इसी पर से इनकी अल्ल 'मदारूवाला' पड़ गयी। उनके बितने ही भाईवध अपनी अल्ल मरचष्ट भी लिखते हैं। परन्तु यह अल्ल एकदम नयी लगती है।

लक्ष्मीचंद दादा परम्परा से तो वल्लभ-संप्रदाय के वैष्णव थे। परन्तु उन दिनों वल्लभ-संप्रदाय में बहुत गन्दगी फैली हुई थी। इसलिए उस पर इन्हें थका नहीं रही। किन्तु इससे धर्मसाध पर से उनकी थका नहीं हटी। इसके विपरीत धार्मिक जीवन में निरिष्वत थका हाने के कारण वे ऐसे किसी धर्म मार्ग की खोज में थे जो भित्त को शान्ति प्रदान कर सके। इसलिए वे जुदा-जुदा पथों के साधु-सन्ता और वैरागियों से मिलते रहते और अपनी खोज तथा उपासना जारी रखते। सत्य की खोज और उपासना की विरासत 'मंगरूवाला' बंध में पाँच पुस्तों से चली आ रही है।

इस सत-समागम के सिलसिले में लक्ष्मीचंद दादा स्वामी नारायण-संप्रदाय के साधुआ के संपर्क में भी आय। उनकी बातें सुनकर थी सहजानन्द स्वामी पर उनकी थका हो गयी।

सहजानन्द स्वामी (ई० स० १७८१ से ई० स० १८३०) महातपस्वी और वीतराग पुरुष थे। अयोध्या के पास एक गाँव में एक साधुपरित आहूण दम्पति के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इस समय यह गाँव छैया-स्वामी नारायण के नाम से परिचित है। संप्रदाय के अनुयायी इसे बहुत बड़ा तीर्थ मानते हैं। ठेठ बचपन से वे वैराग्यशील थे। उशीत बर्ष की आयु तक उन्हेनि केवल तपोमय जीवन बिताया और देव के अनेक तीर्थों में घूमे। इसके बाद जनता के हित के लिए बाह्य दृष्टि से त्याग के पक्ष को सौम्य करके भक्ति और

उपासना की पुष्टि तथा बहुत से सागा के समास (शोकसंग्रह) के विचार से प्रवृत्ति शुरू कर दी। सन् १८५६ का श्रावण वदी ६ का दिन स्वामी नारायण संप्रदाय के सत्सगियों में बड़ा मगल दिवस माना जाता है क्योंकि इसके बाद ५ तीस वर्ष सहजानंद स्वामी ने गुजरात-काठियावाड़ में ही बिताये और उद्यम संप्रदाय (स्वामी नारायण-संप्रदाय का पारिभाषिक नाम) का धर्मधुरा बहुत किया। स्वामी नारायण एकेश्वर की भक्ति का उपदेश करते और मद्य पान तथा मस्तिन देह-देबियों से न डरने की बात समझाते। उनके ये शब्द सीधे हृदय में उतर जाने लायक हैं।

जीव के प्रारब्ध कर्म का उल्लंघन करके तो छा भैरव भवानी आदि देवी-देवता जीव को सुख-दुख देन अपना भारने-जिजाने के लिए समर्थ नहीं हैं। हाँ परमेश्वर अथवा प्रारब्ध कर्म और मृत्यु को अत्यन्त कर सकता है और मृतकों को जिंदा सकता है अथवा जीवितों को मार सकता है। दूसरे कोई देवी-देवता ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए केवल एक परमेश्वर का आश्रय लेकर मन्त्र-स्मरण करते रहना चाहिए और अन्य किसी देवी-देवता का भय नहीं रखना चाहिए। हम सब तो भगवान के मन्त्र और शूरवीर हैं। इसलिए हरिभक्त के मन में तो किसी प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। अगर मन्त्र-मंत्र से तथा औपचारिकों से कोई मनुष्य जीवित रह सकता तो पृथ्वी पर ऐसा कोई तो होता। परन्तु ऐसा कोई वीरता नहीं।”

इनके अलावा उस समय धर्म के नाम पर अनेक अंध-विश्वास तथा सती और बालहत्या जैसी कुप्रथाएँ प्रचलित थी। दादियों के समय तथा होमी के दिना में गन्धे गीत तथा मर्यादाहीन दोस्त-समाजों आदि भी प्रचलित थे। इन सब का स्वामीजी ने सफलतापूर्वक विरोध किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पागली मुसलमान आदि अहिन्दू जातियों को भी उन्होंने अपने संप्रदाय में शामिल कर लिया। इसी प्रकार दूध गिनी जानबाली कौमा का भी संप्रदाय में लेकर उनकी धार्मिक उत्पत्ति की। स्वामी नारायण के दिव्या में कडिया (गज) शरजी बड़ई ग्राहा (मधुभा) मोपी डेड़ (महार) वगीरह काटीगर ग्राह बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका सुधार के करते। नीच गिनी जलेशामी जातिया को ऊपर उठाकर उनके अंदर ऊँचे संस्कार आकते। उन्होंने डेड़ मापी

बढ़ई, दरजी कुर्मी और मुसलमाना तक को गुठ ब्राह्मणों जैसा रहना सिखा दिया। मद्य मांस और मादक घस्तुओं का त्याग करना रोज नहाना पूजा क्रिये बिना कुछ नहीं खाना और दूध अथवा जल बगर छाने नहीं पीना—ये स्वामी नारायणीय सस्कार थे। सत्संगी छाग तो उन्हें पूण पुण्योत्तम ही मानते हैं। परन्तु दूसरे छाग भी उन्हें एक महान् सुधारक और विशेषतः पिछड़ी हुई तथा नीची कौमो के उद्धारक के रूप में मानते हैं। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि अपने जीवनकाल में उन्होंने गुजरात और काठियावाड़ में सुधार और धृष्टि की एक बहुत बड़ी लहर फैला दी।

दादा जैसे सत्य-शोधक सदाचार और धृष्टि का इतना जबरदस्त आग्रह रखनेवाले ऐसे सद्गुरु द्वारा आकर्षित हों, यह स्वामाधिक ही था। फलतः वे सकुटुम्ब सहजानद स्वामी के अनुयायी बन गये। वस्लभकुल के आचार्य यह सहन नहीं कर सके कि उनके संप्रदाय को छोड़कर इस तरह कोई बाहर चला आय। इसलिए उन्होंने रुक्मीचन्द को अनेक प्रकार से परेशान करना-कराना शुरू किया। इस कारण उन्हें अनेक संकट सहने पड़े और खतरों का सामना करना पड़ा। परन्तु स्वामी नारायण-संप्रदाय के अपने आग्रह को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए संप्रदाय में इस कुटुम्ब को 'सिंहकुटुम्ब' कहा जाता है। स्वामी निष्कलानद ने रुक्मीचन्द और उनके बड़े लड़के लल्लूभाई का उल्लेख अपनी 'मन्त्र-विचितामणि' में किया है।

रुक्मीचन्द दादा सूरत में सीयदपुरा में रहते थे। उनके मकान में सहजानद स्वामी का आगमन हुआ था। इस कारण इस मकान के साथ मन्त्रस्वाला कुटुम्ब का बड़ा ममत्व रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण जब इस मकान को बेचने का प्रसंग आया तब चन्द्रलाल बुस्लभवास नाम के एक सत्संगी कुटुम्ब ने इसे खरीद लिया। अपने बड़े भाई दासूभाई के साथ किशोरलाल भाई इस मकान पर एक बार गये थे। परन्तु वे कहते थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह घूम करके नहीं देखा था।

सहजानद स्वामी जब रुक्मीचन्द दादा के यहाँ गये तब उन्होंने अपनी पादर विछाकर उस पर धिसे हुए चन्दन में उनके चरणों की छाप लिवा ली थी। उस छाप से बत्तीस आड़ चरण-छापें बनायी गयीं। रुक्मीचन्दजी के चाग लड़का में

जब बँटवारा हुआ तब उसमें से आठ जोड़ी छायें किशोरलाल भाई के दादा रंगीलदास उर्फ भेलामाई के हिस्से में आयी थीं। इन रंगीलदास भाई के भी चार सबके थे। प्रत्येक के हिस्से में दो-दो जोड़ छायें आयीं। किशोरलाल भाई के घर ये दो जोड़ छायें आज भी मौजूद हैं।

उस समय के पुराने संप्रदायवाला को स्वामी नारायण-संप्रदाय की यह सुधारक वृत्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए जिन कुटुम्बों में स्वामी नागयण-संप्रदाय में प्रवेश किया था वल्लभ-संप्रदाय के आचार्यों की प्रेरणा से उन्हें जाति से बाहर करके समाज से भी उनका पूरा बहिष्कार कर दिया गया। ब्राह्मण बनिये मोची भाई सब जातियों में यह किया गया। महाजना के हाथों में उस समय इतनी सत्ता थी कि मुसलमान जुलाहे भी इन बहिष्कृत कुटुम्बों के साथ व्यवहार करने में डरते थे। उस समय गुजरात में राज्यसत्ता एकदम निर्बल अथवा नाममात्र की रह गयी थी। सर्वोपरि सत्ता मानो महाजनों के हाथों में ही थी। वे अपने गाँव के अधिकारियों को तग कर मारते व इसमें तो कोई शन्देह नहीं है। परन्तु दूसरी तरफ ये महाजन संपूर्णतया भ्रमाचार्यों के अधीन रहते। गाँवों में पंचायतों और सहरों में पेशेवर 'महाजन' हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चले आये प्रजासत्ताक पद्धति के अवशेष थे। राजाओं के हाथों में मुकम्मल सैनिक सत्ता होती थी। अन्य सारी बातों में वे गाँवों में पंचायतों की और सहरों में 'महाजनों' की बात मानते थे। परन्तु मुगलों और मराठों की सत्ता गिरने के बाद अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में अलग-अलग अराजकता जैसी स्थिति देश में फैली हुई थी। अराजकता के इस युग में इन ग्राम-पंचायतों और 'महाजनों' के सामने सबसे अधिक महत्त्व का प्रश्न आत्मरक्षा का था। इसलिए उन्होंने पुराने को पकड़े रखने की वृत्ति का आश्रय ले रखा था। अपने को आश्रय देनेवाले इन संप्रदायों के भ्रष्टाचार को य 'महाजन' में केवल बरगुजर करते थे बल्कि उनका समर्थन भी करते थे। गुजरात में अंग्रेजी राज्य के जड़ पकने के बाद जब नियमानुसार वहाँ अशांतियों की स्थापना हुई तब इन जाति और समाज द्वारा बहिष्कृत कुटुम्बों में अशांत की कारण थी। उन्होंने वस्त्रभङ्गुल के आचार्य और इन महाजना पर मुकम्मल बापर कर दिया जो उन्हें बर्ष तक चला। उसमें वस्त्रभङ्गुल के आचार्य का ध्यान लेने

की जहरस्त पैदा हुई। इस पर उनकी तरफ से दरखास्त की गयी कि आचार्यजी का बयान कमीशन पर लिया जाय। स्वामी नारायण पक्ष ने इसका विरोध किया और उसकी पुष्टि में कहा गया कि आचार्यश्री नाटयशालाओं में नाचों में और धारातों के जुलूसों तक में जाते हैं। धारांगनाएँ जिस जाजम पर नाचती हैं, उसी जाजम पर बैठकर उनके नाच भी ब देखते हैं। इस पर कोर्ट ने बल्लभकुल के आचार्य के नाम यह आज्ञा जारी की कि वे कोर्ट में आकर ही अपना बयान पेश करें। इस पर आचार्य को बड़ा आघात पहुँचा। वस्तुतः इस बहिष्कार के प्रकरण में आचार्य तो नाममात्र को ही शरीक थे। सारा कर्तृत्व उनके पुत्र का था। परन्तु कारावार तो पिता के नाम से चलता था। बृद्धावस्था में कोर्ट में जाने की नीबट आना उन्हें बहुत घुरी तरह असर। उन्होंने आज्ञा दी कि महाजना का एकत्र करके किसी तरह यह झगड़ा निपटा दिया जाय अन्यथा वे अपना प्राण दे देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहिष्कार के निश्चय रद्द कर दिये गये और महाजनों की बैठक सत्सगियों के यहाँ हुई। महाजनों के विरुद्ध दायर किये गये इस दीवानी मुकदमे में लक्ष्मीचदजी के पुत्रों ने और विशेष रूप से किशोरलाल भाई के पितामह रगीलदास उर्फ घेलाभाई ने प्रमुख भाग लिया था और सर्ज का अधिकांश बोझ भी उन्होंने उठाया था।

या यद्यपि उमर से समझौता हो गया फिर भी बल्लभकुल और स्वामी नारायणकुल के अनुयायियों के बीच कुछ-न-कुछ अनबन और झगड़े बहुत दिनों तक चलने ही रहे। विधिवत् बहिष्कार तो उठा लिया गया फिर भी स्वामी नारायण-संप्रदाय के अनुयायियों के साथ यथासंभव सम्बन्ध न रखने की वृत्ति तो कायम ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि किशोरलाल भाई के पिता तथा भाचा आदि को जाति में से जल्दी जल्दी कन्याएँ नहीं मिलीं। समय को देखते हुए उनके विवाह बड़ी उम्र में हो सके। सूरतवालों ने तो रुढ़कियाँ नहीं ही दीं। हम चार भाइयों में से तीन के विवाह बम्बई में और एक का बुरहानपुर में हुआ। बुरहानपुर अब धारात पहुँची तब ममधी की तरफ से कहा गया कि बच्ची तोड़ीगे तब कन्या मिलेगी। कन्या पक्षवालों का अनुमान था कि धारात को वापिस लाने के बख्से—वापिस आना बुरा दिखगा इस भय से—ये स्त्रियाँ हमारी धर्म मान लेंगे। परन्तु इन्होंने तो अपने आदमियों को हुजम दे लिया कि गाड़ी जोतकर

वापिस चले चले। यह देखकर समझी और उनके रिश्तेदार ठण्डे पठ गये। फिर उन्होंने यह चाहा कि सम्प्रदाय के दूनरी जातिवाले आदिमियों को आप दादी में निमन्त्रण न दें। किशोरलाल भाई के बुजुर्गों ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। अतः समझी को चुकना ही पड़ा।

स्वीकृत धर्म पर दृढ़ रहने की एक और कहानी है। अपनी संपूर्ण जाति में से केवल किशोरलाल भाई के कुटुम्ब में ही स्वामी नारायण-संघ स्वीकार किया था। इसलिए उन्हें घेटी-ब्यबहार अपनी जाति के वल्कल-संप्रदाय को माननेवाले कुटुम्बों के साथ ही करना पड़ता। कुटुम्ब में एक कन्या थी—जड़ाब बहन। इनका विवाह बुरहानपुरवाले उपर्युक्त कुटुम्ब में ही बाद में हुआ। जड़ाब बहन के समुदायवालों ने बहुत प्रयत्न किया कि वे स्वामी नारायण-संप्रदाय की अपनी कपटी सोझकर फेंक दें। परन्तु उन्होंने बहापुरी के साथ इस सारे प्रयत्न का विरोध किया। यही नहीं बल्कि यह आपहू भी किया कि कुटुम्ब की भाग से बौद्ध मन्दिरों में जिस प्रकार दान सेवा पूजा आदि पहुँचती है उसी प्रकार उनकी अपनी ओर से स्वामी नारायण के मंदिर में भी दान सेवा, पूजा आदि पहुँचनी चाहिए। इसके बाद मराठवाला कुटुम्ब की कन्याएँ जिस-जिस कुटुम्ब में गयीं उनमें से बहुत से कुटुम्बा में दोनों संप्रदायों के मंदिरों में दान, सेवा पूजा आदि भेजवाने का रिवाज शुरू हो गया।

रंगीरदास दादा को अपनी धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता के लिए आजीवन सबाइयाँ लड़नी पड़ीं। इस बातोंवरण में बड़े हुए किशोरलाल भाई के पिताजी तथा चाचाओं के दृश्य में स्वामी नारायण-संप्रदाय के प्रति प्रीति समस्त बढ़ गया था। संप्रदाय के सातिर सर्वस्व का बलिदान करने के लिए सारा कुटुम्ब सदा एकमत से तैयार रहता।

रंगीरदास दादा को अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े। बड़ा कुटुम्ब और धार्मिक स्थिति सामान्य। फिर एक बार तो मजान ही चल गया। अनेक वर्षों तक वे समाज से सहिष्णु रहें। बाद में मुकदमेबाजी में बहुत लर्च हो गया। इसके बाद पहले-पहल नमक-कर श्रमण पर, जब उससे विरोध में सूरत में उग्र हो गए, तो उनके पुत्र मछाराम भी गिरफ्तार हो गए थे। यह मुकदमा भी बहुत दिन तक चलता रहा जिसमें बकील-वैरिस्टों पर बहुत खर्च हो गया। इतने

पर भी ऐसा तो नहीं मालूम होता कि कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति एकदम दरिद्र रही होगी क्योंकि उस समय को देखते हुए उन्होंने अपने लड़का को अच्छी शिक्षा दी। लड़कियाँ को भी सर्वथा शिक्षित नहीं रहने दिया। फिर सूरत में स्वामी नारायण का मन्दिर बनवाने में इनका तथा इनके भाइयों का सासा हाथ रहा। किशोरलाल भाई के कुटुम्ब में प्रायः गर्व के साथ कहा जाता कि सूरत का मन्दिर तो हमारा है। सूरत के मन्दिर के संचालन में रगीलदास दादा प्रमुख भाग लेते रहे। तात्पर्य यह कि इनके पास धन कम रहा हो या अधिक, इनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी।

लक्ष्मीचंद दादा के पुत्रों में केवल रगीलदास दादा के कुटुम्ब में ही पुत्र सतार्ने भी। संप्रदाय सम्बन्धी झगड़ों में भी अधिकारा भार दादा के कुटुम्ब पर ही आया। दादा के पुत्रों में इतनी एकता थी कि इसके भाग इस कुटुम्ब को आदेश रूप मानते। दादा के पाँच पुत्र थे इसलिए संप्रदाय में इसका नाम पाण्डव कुल पड़ गया।

दादा भी मसक का ही धन्धा करते थे। किशोरलाल भाई के बड़े काका साकरलाल ने इस धन्धे को चालू रखा था। उनकी मृत्यु सन् १९३३ (ई० स० १८७७) में हुई। इसके छह महीने बाद रगीलदास दादा की मृत्यु हुई। उनके बाद इनके कुटुम्ब में से मसक का धन्धा उठ गया।

हमारे देश में आमतौर पर ऐसा पाया जाता है कि मनुष्य जिस संप्रदाय और जाति में जन्म लेता है, अक्सर उसी जाति और संप्रदाय में बह मरता भी है। स्वतंत्र रूप से विचार करनेवाले मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। इनमें भी अपने विचारों पर बड़ खूँकर उन्हें समाज के सामने निर्भयता के साथ पेश करनेवाले धीरे पुरुष तो और भी कम होते हैं। किशोरलाल भाई के बड़े दादा लक्ष्मीचंदजी ने वीरोचित धृति से वल्लभ-संप्रदाय के विरुद्ध बगावत की और अनेक प्रकार की मुसीबतों और कष्ट उठाकर स्वामी नारायण-संप्रदाय को अपनाया। वडे दादा का यह गुण किशोरलाल भाई में पराकाष्ठा का पहुँच गया था। अथवा जो कहिये कि उन्होंने उसका विकास करके उसे पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया था। जिस प्रकार बड़े दादा वल्लभ-संप्रदाय में अपने आपको मीमित नहीं रख सके उन्हीं प्रकार किशोरलाल भाई भी बड़े दादा से परम्परा में प्राप्त स्वामी नारायण

संप्रदाय में अपने आपको सीमित नहीं रख सके। उनकी विशेषता यह थी कि दूसरे किसी संप्रदाय में वे शामिल नहीं हुए। इसका एक कारण यह था कि उनकी धर्म-भावना बिनाप उत्कट और विवेकयुक्त थी। मनुष्य क्या-क्यों भाग बढ़ता जाता है और स्वतंत्र दर्शन करता जाता है, क्यों-क्यों किसी भी संप्रदाय की बाँध उसे अपने धर्म्यन में नहीं रख पाती। किशोरलाल भाई पर गांधीजी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। उन्हें किशोरलाल भाई एक सद्गुरु मानते और उन पर बड़ी श्रद्धा भी रखते थे। इसके अलावा उन पर इनका पिता के समान बल्कि उससे भी अधिक प्रेम था। फिर भी गांधीजी की सभी बातों को वे स्वीकार नहीं करते थे और अपने मतमेद स्पष्टता तथा दृढ़ता के साथ प्रकट भी कर दिया करते थे। गांधीजी को यह बात बहुत प्रिय थी। विचारस्वातंत्र्य को वे सदैव प्रोत्साहन देते थे। नीचे लिखी धर्म की व्याख्या उन्हें बहुत प्रिय थी

बिद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम् श्रद्धय रागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त निवीषत ॥ मनुस्मृति २ ।

इसमें भी 'हृदयेनाभ्यनुज्ञाता' इन शब्दों का वे विशेष महत्त्व का मानते थे। किशोरलाल भाई की सत्य की खोज के विषय में गांधीजी ने एक बार कहा था कि हमारी सत्य की खोज एक मार्ग में नहीं बल्कि समानांतर मार्गों में चल रही है। धर्म का विचार करने में किशोरलाल भाई को नायजी से एक नयी ही दृष्टि मिली थी। उन्हें वे अपना गुरु मानते और बड़ी श्रद्धा रखते थे। परन्तु उनके विषय में भी अपने स्वतंत्र विवेक को उन्होंने छोड़ा नहीं था। केदारनाथजी का हमेशा यही उपदेश रहता है कि अपनी साधना में मुख्य आधार आप अपने विवेक का ही बनावें। इसी प्रकार अब तक हुए समस्त धर्म-अवर्तका और आचार्यों के प्रति किशोरलाल भाई बहुत आदर रखते तथापि उनमें से किसीको उन्होंने कभी सर्वशक्तिमान अपना सर्वज्ञ नहीं माना। अपनी 'जड़मूल से जन्धि' नामक पुस्तक में उन्होंने घोषणा की है

मानो परमात्मा एक केवल

न मानो देव-शक्ति-प्रतिमा सकल

ग मानो कोई अवतार-गुरु-वैशम्पैर


सर्वं सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थकर
मानो ज्ञानी विवेकदर्शी केवल
न कोई सर्वज्ञ अस्तलनशील
भले ऊची रहबर

महा धर्मग्रन्थों में 'अपौरुषेय' और 'प्रामाण्य' के विषय में उनकी घोषणा यह है

किसी शास्त्र का बक्ता परमेश्वर
न कोई विवेक के क्षेत्र से परे

किशोरलाल भाई का वध-बृक्ष इस प्रकार है

रगीलदास उर्फ घेलामाई = नवसकोर



किशोरलाल भाई की तीन बहनें और एक भाई ठेठ बचपन में ही शान्त हो गये थे। सबसे बड़े भाई जमनादास और चौथे भाई जगमोहनदास क्रमशः १९ और १७ वर्ष की आयु में शान्त हो गये। हरिलक्ष्मी बहन की मृत्यु १४ वष की आयु में और रमणलक्ष्मी बहन विधवा होकर २० वष की आयु में शान्त हो गयीं।

कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ

. २ :

ठेठ झटमीचंद दादा के समय से इस कुटुम्ब में सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ के विषय में एक प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। रंगीलदास दादा न इस उत्साह को कायम रखा था। किशोरलाल भाई के पिताश्री काका सभा बड़े नाई भी सार्वजनिक चन्दे एकत्र करने में तथा सोन-सेवकों की मदद करने में प्रमुख भाग लिया करते थे। साथ ही वे अपना धंधा भी करते रहते। सार्वजनिक सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करना तो किशोरलाल भाई के भाग्य में ही था। इनके एक चाचा मंछाराम ने सार्वजनिक काम करत हुए बहुत बच्चे उठाये। यह बात सूरत शहर के इतिहास में सर्वविदित है। दादा रंगीलदास का अधिक प्रचलित नाम घेलाभाई था। इसलिए मंछाराम काका को लोग मंछाराम घेलाभाई के नाम से अधिक जानते थे। किशोरलाल भाई अपने कुटुम्ब के संस्मरणों में लिखते हैं "इनके साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय केवल चार बार ही हुआ। परन्तु उनके साहित्य और जीवन चरित्र के पढ़ने और उनकी कीर्ति से मुझे उनका परिचय है। मैंने इनके दूमेरे ग्रन्थ तो नहीं देखे परन्तु बच्चों के विनीशार्य लिखी दो पुस्तकें 'चतुरसिग' और 'मूसों' मैंने बिलचस्पी के साथ पढ़ी थीं।"

मंछाराम काका सूरत के 'दिधामित्र' पत्र के भावि संस्थापक थे और अपने जीवन के अंत तक इसका संपादन उन्होंने किया। 'दिधामित्र' पत्र की स्थापना से पहले उन्होंने 'सत्य' मासिक और 'गुजरात मित्र' पत्र चलाये। उस समय दो-एक बार इन पर सरकार की कुटुष्टि भी पड़ी थी। एक बार तो इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और दूसरी बार इन्हें अफसोस प्रकट करने पर छूटी मिली। ऐसा नहीं लगता कि उन पर बाकायदा कोई मुकदमा चला हो। अपने समय में वे सूरत के एक अगुआ और उल्हाही गृहस्थ माने जाते थे।

इनके समय में लमके पर पहले-पहल कर लगाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप सूरत में दूब उपद्रव हुए और अनेक पौजवादी मुकदमे चले। एक मुकदमा

मंछाराम काका और अन्य पाँच अगुओं पर दायर हुआ। ये मुकदमे एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिये गये। लगभग सात महीने तक छह अगुएँ हवालाती कैदी के रूप में जेल में बन्द रहे। इन छहों में मंछाराम काका सबसे अधिक हिम्मत वाले थे। इन छहों अगुओं के हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें हवालात से अवास्त में ले जाया जाता। रास्ते में इन्हें देखकर कितने ही धाने-जानेवालों की आँसों में आँसू आ जाते। तब मंछाराम काका उन्हें यह कहकर आश्वासन देते कि सोने और सोहे में क्या फर्क है? सोने की ज़रीरें तो हम खुद ही पहनते हैं। इनको भी सोना समझ लें तो काम बना।

प्रारम्भ में कचहरी के भीतर भी इनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी रहीं। बाद में अदालत ने आज्ञा दी कि कचहरी के भीतर हथकड़ियाँ हटा दी जायें। परन्तु पुलिस ने दो-एक दिन तक इस आज्ञा की परवा नहीं की। न्यायाधीशों के आने पर अवकाश आने से तुरन्त पहले पुलिस हथकड़ी निकालने के लिए आयी परन्तु मंछाराम काका ने उसे वह निकालने नहीं दी और न्यायाधीश के आने पर हाथ ऊँचे करके बोले—“वेस्तिये, यह है आपका हुकम।” न्यायाधीश पुलिस पर नाराज हुए। उसने वाद फिर ऐसा नहीं हुआ।

कहते हैं कि इन पर मुकदमा चलाने में तत्कालीन उत्तरविभाग के कमिश्नर सर फ्रडरिक सेली का हाथ था। कुछ समय बाद इसी कमिश्नर ने इन्हें ‘रब साहब’ की पदवी देने की सिफारिश की थी। उस प्रसंग में उनका अभिनन्दन करने के लिए निमन्त्रित समा में मंछाराम काका ने कहा कि ‘जब इन साहब ने मेरे हाथों में सोहे की ज़रीरें पहना दी थीं तब मैंने इनका आमार माना था थाब जब वे सोन की ज़रीरें इनायत फर्मा रहे हैं, तब भी मैं इनका उसी तरह आमार मानता हूँ।

इन पर बलाये गये मुकदमे के कारण क्रुटुम्ब को बहुत भारी आर्थिक हानि सहनी पड़ी। मंछाराम काका की तरफ से श्री गिल तथा सर फिरोजशाह मेहता ऐसे दो वरिष्ठ पेशवा करने के लिए बुलाये गये थे। कहते हैं कि इनमें से गिल तो प्रतिदिन एक हजार रुपये लेते थे। आज तो इतनी फीस बहुत भारी नहीं मानी जाती परन्तु उस समय के एक हजार रुपये आज के पन्द्रह या बीस हजार के बराबर होते थे। सर फिरोजशाह की फीस इतनी भारी नहीं रही होगी

क्योंकि उस समय वे नये-नये ही बीरिस्टर हुए थे और यह उनका सबसे पहला बड़ा मुकदमा था। यह मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा और उसमें सीकड़ों गवाहों के बयान हुए। इस सर्च की पूर्ति के लिए घर की स्त्रियों के खेबर उप बेचन या रेहन रखन पड़े थे। अंत में छहों अभिमुक्त निर्दोष साबित हुए और छोड़ दिये गये। मुकदमे के बिना मैं मछाराम बाका का अखबार किशोरलाल भाई के पिता और इच्छाराम सूरजराज वेसाई (इच्छू काका) — इन दोनों ने मिलकर चलाया। उस समय एक बार पुलिस ने प्रस की तलाशी ली थी। किशोरलाल भाई ने लिखा है कि पिताजी कहते थे कि एक सवेहास्पद कागज पुलिस के द्वारों में न पहुँच जाय इसलिए तलाशी के बीच नजर बचाकर इच्छू-काका ने उसे मुँह में रक्त छिमा और घबा गया। इच्छू काका का अपनी जेब में चने-मुरमुरे रखने की आदत थी। पुलिस ने इच्छू काका का कुछ घबारे हुए देखा और पूछा तो जेब में से चने-मुरमुरे निकालकर पुलिस को देत हुए कहा "श्रीजिये आप भी नाच फर्माइये।"

- मछाराम बाका जब तक जिये तब तक सूरत के स्वामी मारायण-मंदिर के संचालक रहे। जिस प्रकार इन्हें संप्रदाय के खातिर अपनी जाति से अनेक बार झड़ना पड़ा उसी प्रकार संप्रदाय के आचार्यों से साय भी इन्हें कई बार छड़ना पड़ा। आचार्यों की मनमानी से बर्फी बरदास्त नहीं करते थे। वे उसका कडा विरोध करते। आचार्य श्री बिहारीलालजी से उन्हें दो-एक बार कड़ी टक्कर ली और उन्हें न्याय के मार्ग पर चलने को मजबूर किया। सूरत के मंदिर का संचालन इन्होंने आचार्यों से सगभग स्वतंत्र कर लिया था।

◆ ◆ ◆

किंगोरसाल भाई के पिताश्री श्री इच्छाराम का जन्म ता १ जनवरी सन् १८५२ के दिन कठोद (सूरत जिले की वारडोली तहसील) में अपने ननिहास में हुआ। वे दादा की अंतिम सन्तान थे और बचपन में ही शरीर से दूसरे भाइयों की अपेक्षा कमजोर थे। उनका सारा बचपन सूरत में बीता। उनकी पढ़ाई मट्टिक तक हुई। उस समय उनकी उम्र कोई इक्कीस वर्ष की रही होगी। मिशन हाईस्कूल में वे पादरी से पढ़े इसलिए अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनके आजीवन मित्रों में श्री मगनलाल ठाकोरवास मोदी उनके भाई श्री छगनसाल मोदी तथा श्री इच्छाराम सूरजराम देसाई मुख्य थे। पढ़ाई पूरी होते ही आर्थिक स्थिति साधारण होने के कारण उन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली। लगभग सात वर्ष शिक्षक का काम किया। इसमें से अधिकांश समय मिशन हाईस्कूल में बीता। वे एक कुशल शिक्षक मान जाते थे।

इसके बाद अपने भाई मंछाराम के प्रेस तथा समाचार-पत्र के संचालन में मग्न करते रहे। प्रारम्भ में उन्हें लिखने का शौक भी था। मंछाराम काका के मुकदमे के दिनों में उन्होंने तथा इच्छाराम सूरजराम देसाई दोनों ने मिलकर समाचार-पत्र चलाया। इच्छाराम सूरजराम देसाई ने 'हिन्द अने ब्रिटानिया'— नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उसमें भी इनका बड़ा हाथ था। मालूम होता है कि बाद में उन्होंने लेखनप्रवृत्ति को एकदम छोड़ दिया। हाँ वाचन का शौक उन्हें अन्त तक रहा परन्तु वह भी धीरे-धीरे धार्मिक पुस्तकों और उनमें भी विशेषकर स्वामी नारायणीय साहित्य तक ही सीमित होता गया।

मिशन हाईस्कूल में उन पर ईसाई धर्मोपदेश का अच्छा असर हुआ। कई वर्ष तक उनके दिल में यह संघर्ष चलता रहा कि ईसाईयत सच्चा है या हिन्दूधर्म। ईसाई कहते कि ईनामसीह ही मनुष्य का तारनेवाला है। उसकी धरम गये बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मंदिरों में साधु लोग कहते कि बिन्दोने सहजानंद का अनुसरण नहीं किया वे भवसागर में गोते खा रहे हैं।

दूसरे सप्रदायवाले भी अपने-अपने इष्टदेव के बारे में ऐसा ही प्रचार करते। इनमें से सच्चा कौन है? इसका निराकरण कौन करे? फिर भी उन्होंने स्वामी नारायण-संप्रदाय के अनुसार पूजापाठ जारी रखा। परन्तु मन में संका पैठी हुई थी इस कारण उनके चित्त में शान्ति अथवा समाधान नहीं हो रहा था। वे कहते कि 'मैं श्रीजी महाराज अथवा अन्य किसी अवतारी पुरुष को ध्यान में रखकर पूजा-पाठ नहीं कर सकता था। बल्कि परमेश्वर का जो भी सच्चा स्वरूप हो उस अर्पण करता और उससे प्रार्थना करता कि मेरे उद्धार का जो सही मार्ग हो वह मुझे बतायें। मैंने यह भी निश्चय किया कि ईश्वर से यह मागवर्धन पाने के लिए सत्कार को छोड़कर उसके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूँ।' किशोरलाल भाई ने लिखा है कि "अपने इस अंतिम निश्चय पर व अक्षरणा दृढ़ नहीं रह सके थे। इस पर परमात्मा करते हुए मैंने भाई (पिताजी) को देखा था।"

इनके एक मित्र बड़े मजाकिया थे। वे इन्हें 'स्वामी-नारायणीयो' कहकर चिढ़ाते। परन्तु एक बार घम्सई में किसी स्वामी-नारायण के संतजन का उपदेश सुनकर इस मित्र के मन को बड़ी शान्ति मिली और वहीं उन्होंने स्वामी नारायण की कण्ठी ल ली। अपने मित्र में यह परिवर्तन देखकर पिताजी पर बड़ा असर पड़ा। इसके बाद उन्हें क्या-क्या प्रत्यय हुए, यह तो पता नहीं। परन्तु अनेक भिन्न-भिन्न प्रत्यया से इनके मन को निश्चय हो गया कि सहजानन्द स्वामी ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और आज तक न तो कोई ऐसा अवतार हुआ है और न हान वाला है, जो उनकी तुलना में रखा जा सके। उनका यह निश्चय अब तक दृढ़ रहा। दूसरों के मन पर भी यह वस्तु अंकित करने में मित्रपरियों का-सा उत्साह ब प्रकट करते। अपने जाधितों स्वजनों नौकर भाकरों धंधे के सिलसिले में उनके संपर्क में आनवाले मजदूर व्यापारियों आदि सबको यह निश्चय दिखाने का वे पुरे अतःचरण से प्रयत्न करते और उसमें एक प्रकार का आनन्द अनुभव करते कि सहजानन्द स्वामी पुरुषोत्तम थे। अनेक लोगों के कण्ठों में उन्होंने स्वामी नारायण की कण्ठी डाली। परन्तु इनमें से कोई हमेशा के लिए सत्संगी बने हों ऐसा नहीं लगता। ह्रीं सांप्रदायिक परिभाषा के अनुसार गुणबुद्धिवाक अवश्य अनेक बन गये थे। चारित्र्य के बिषय में उन्हें बड़ा आवर था। परन्तु चारित्र्य

के साथ-साथ स्वामी सहजानंद में श्रद्धा होना मोक्ष के लिए आवश्यक है ऐसा वे मानते थे। इन दोनों के योग को वे सोने में सुगन्ध के समान उत्कृष्ट मानते। यह स्वाभाविक ही था कि अपना यह धमप्रचार वे घर में भी करते। इसलिए उनका यह सतत प्रयत्न रहा कि सहजानंद स्वामी में उनके जैसी उत्कृष्ट श्रद्धा उनकी पत्नी की भी हो।

किशोरलाल भाई की माता अपने पीहूर में बल्लभ-संप्रदाय में पत्नी थी। अपने सस्कारों के अनुसार वे श्रीजी का इष्टदेव मानतीं। सहजानंद स्वामी तो एक आचार्य माने जा सकते हैं। भगवान् तो श्रीजी ही हैं। वे मानतीं कि सहजानंद स्वामी को श्रीजी की बराबरी में नहीं बैठाया जा सकता।

ऐसा लगता है कि स्वामी नारायण-संप्रदाय का स्वीकार कर लेने पर भी किशोरलाल भाई के दादा अथवा बड़े दादा ने श्रीजी अथवा झालजी महाराज की सेवा छोड़ी नहीं थी। इसलिए जब तक पिताजी सम्मिलित कुटुम्ब में रहे तब तक बल्लभ-संप्रदाय में पत्नी हुई माताजी के धार्मिक असंतोष का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ होगा। परन्तु जब पिताजी विभक्त हुए और स्वतंत्र घर बसाया गया तब सेवापूजा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। पिताजी अनन्याश्रयी थे। अपने इष्टदेव के अतिरिक्त अन्य किसी देव को न माननवाले होने के कारण श्रीजी की मूर्ति की पूजा करने में उन्हें श्रद्धा नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने घर में पूजा के लिए केवल सहजानंद स्वामी की मूर्ति ही रखी। उधर माताजी मानतीं कि श्रीजी की मूर्ति तो प्रत्यक्ष भगवान् की मूर्ति है और सहजानंद स्वामी की मूर्ति तो केवल एक आचार्य अथवा गुरु या साधु की मूर्ति है। भगवान् की मूर्ति के अलावा सहजानंद स्वामी की मूर्ति भी रहे, तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु श्रीजी की मूर्ति को हटाकर सहजानंद स्वामी की मूर्ति की पूजा करना तो उन्हें ऐसा लगता मानो भगवान् को छोड़कर मनुष्य की पूजा करने लग गये। इसलिए माताजी ने यह आग्रह किया कि पूजा में श्रीजी की मूर्ति तो हानी ही चाहिए। ऐसी एक मूर्ति भेंट-स्वरूप आयी थी उसे उन्होंने पूजा में रख भी दिया। पिताजी को भी ऐसा तो नहीं लगता था कि श्रीजी की मूर्ति की पूजा करना पाप है। इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। परन्तु बात इतने में समाप्त नहीं हो सकी। अब मतभेद इस बात पर बढ़ा हुआ कि मंदिर की चौकी

में प्रमुख स्थान पर किस्म मूर्ति को रखें। पिताजी यह मानते थे कि सच्चे देवता केवल 'सहजानंद स्वामी' ही हैं। बही पूर्ण पुण्योत्तम स्वयं परमात्मा हैं उन्हें छोड़ कोई दूसरा परमात्मा नहीं। ऐसी उनकी दृढ़ आस्था थी। इसलिए उनका आग्रह यह रहता कि सहजानंद स्वामी की मूर्ति को अग्र स्थान पर बटाकर उसकी पहले पूजा की जाय। दूसरी तरफ इसी प्रकार का आग्रह श्रीजी की मूर्ति के बारे में माताजी को था। दोनों के बीच इस विषय में बार-बार खर्बाएँ होतीं। परन्तु किसीके निश्चय को कोई बदल नहीं सका। व्यवहार में इसका परिणाम यह होता कि पिताजी पूजा करते सब पहले सहजानंद स्वामी की मूर्ति की पूजा करते और माताजी पूजा करतीं तब पहले श्रीजी की मूर्ति की पूजा करतीं।

इस तरह पिताजी और माताजी के बीच वर्षों तक धार्मिक मतभेद चलता रहा। परन्तु पिताजी की धृढा बहुत उत्कट थी। अंत में उनके उपदेशों का असर माताजी के हृदय पर हुआ और दोनों के बीच का मतभेद समाप्त हो गया। यहाँ तक कि सहजानंद स्वामी में माताजी की धृढा पिताजी के समान ही तीव्र हो गयी और बाद में तो नवदीक्षित के उत्साह के साथ वे और भी दृढ़ हो गयीं। फिर तो माताजी को सहजानंद स्वामी के दर्शन की इच्छा लग गयी। वे सहजानंद स्वामी की पूजा-पाठ में बहुत निमग्न रहने लग गयीं और उन्हें उनके भावों भी मिलने लगे। यह वस्तु माताजी की मृत्यु तक जारी रही। परन्तु इस घर्माघर्ष में कितने ही वर्ष बीत गये। किशोरलाल भाई लिखते हैं कि "यह समय पिताजी तथा माताजी के लिए बड़ा अघान्ति का समय रहा। इसका मनोरंजक वर्णन मैंने पिताजी से सुना है।

किशोरलाल भाई की साठ वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का बेहान्त हो गया। वे सन्धे समय तक बीमार रहीं। फिर भी रोज स्नान-स्नान छोड़ी जाती ही या। किशोरलाल भाई ने लिखा है

"पौष सुदी नवमी के दिन पिताजी की बरसगाँठ थी। माँ ने स्वयं भाजन बनाने का आग्रह किया। मंदिर के पास सिंगड़ी गलवायी। पुरणपोड़ी बनाकर टाकुरजी को भोग लगाया। भोग लगवाकर विस्तर पकड़ा मो फिट नहीं उठीं। वे डॉक्टर-बैधा की दवा तो लेती ही नहीं थीं। माँ के रहते गाधारण तथा हमारे पर में डॉक्टर-बैधों की दवाएँ जाती ही नहीं थीं। कुछ-कुछ

धरेलू इलाज बन्दो रहते। अधिकतर तो पानी में मिश्री डालकर ठानुरजी के सामने रख दी जाती और वह पानी बीमार को पिला दिया जाता। इस वधा पर हम बच्चों का बड़ा विश्वास था। इस कारण कई बार हमारा पेट भी दुखने लग जाता।

माताजी की मृत्यु का वर्णन किशोरलाल भाई ने इस प्रकार किया है

‘रात के ग्यारह बने (घा १२१८९८) माँ का देहान्त हुआ। रात में रोया-धोया नहीं गया। तीन बजे के लगभग मैं आगा तब देखा कि माँ को एक तरफ झिटा दिया गया है। पास में भी का दीपक जल रहा है। उनके पास पिताजी बैठे हैं। मुझे देखा तो पिताजी ने मुझे इंसारे से अपने पास बुलवा लिया और अपनी गोद में ले लिया। कहा कि ‘माँ अक्षर घाम को गयीं।’ तब मैंने पूछा कि ‘यहाँ पर यह कौन सोया है? तो बताया तिरि माँ सोयी है। मुँह बेसना है?’ ‘यहाँ सोयी है और अक्षर घाम को गयीं’ इन दो बातों का मेल मैं जल्दी नहीं बैठ सका। परन्तु थोड़ी देर में ऐसा लगा कि वे मर गयीं। मैंने सुना था कि मनुष्य मरता है तब भगवान के घर चला जाता है। फिर हम तो सहजानन्द स्वामी के उपासक थे। इसलिए मेरी तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी कि हमें तो मरते समय स्वयं भगवान लेने के लिए आते हैं और अपने घाम में ले जाते हैं। इसलिए माँ के मरने की बात सुनकर मुझे दुःख या शोक नहीं हुआ। सवेरे माँ को ले जानेवाले लोग एकत्र होने लगे। शव को ले जाते समय छोटे बच्चों को घर में नहीं रहने दिया जाय यह पहले से तय कर लिया गया था। इसलिए मुझे और मुझसे तीनेक वषर बड़े जगुभाई को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया गया था।

‘मुझे याद आ रहा है कि शाम को मैं घर पर था। भगन काका (भगनलाल ठाकुरदास मोदी) पिताजी से मिलने आये थे। उस समय पिताजी थककर उबास स्पेटे हुए थे। मेरे मन में शोक जैसा कुछ नहीं था ऐसा लगता है। परन्तु घर के भीतर फँसे हुए शोक की छाप मुझ पर भी पड़ी थी। पिताजी के प्रति मेरी मूक सहानुभूति थी। भगन काका के आने पर वे उठ बैठ। मित्र को देखकर उनके हृदय में दबा हुआ शोक बाहर प्रकट हो गया। मैंने देखा कि दोनों की आँसू भीग गयीं। पिताजी की आँसू में मैंने कभी आँसू नहीं देखे थे। इसलिए

मैं भी रो पड़ा। भगन काका मे और पिताजी ने मुझे अपनी गोद में लेकर मेरे माथे पर हाथ फिराया।

“इसके बाद हम बिना माँ के बच्चे हो गये—इस तरह के शब्द अनेक बार यमाभरी आवाज में हमारे सुनने में आये। वास्तव में मेरे अपने लिए तो पिताजी माँ और धाप दोनों थे। कुछ कमी रह गयी होगी ता उसकी पूर्ति ‘जी’ (नानी माँ), मौसी बही चाची जीवकोर भामी आदि ने पूरी कर दी। इन सबने कभी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने दी।

माँ का स्वभाव उग्र स्वाभिमानी महत्वाकांक्षी सत्ताप्रिय आप्रही प्रम तथा द्वेष दोनों में उग्र जो सत्य माफूम हो, उसे किसी की भी परबा किये बगैर पकड़े रहनेवाला धर्म में थड़ाष्ट, संसार के रूढ़ रिवाजों के अनुकूल न होनेवाला वास्तव्यपूर्ण और बड़ी उमंगवाला-सा मुझे लगा।

“पिताजी का स्वभाव माँ की अपेक्षा कम उग्र और हठीला सक्तोपी सत्ता के बारे में अत्यंत निस्सुही प्रेम तथा द्वेष दोनों के बारे में मर वेगवाला सत्यनिष्ठ ब्रम क बिषय में माँ के जितनी ही उत्खट थड़ाबाला आत्मपरीक्षण तथा बिल दाधम के लिए ब्याकुल और प्रयत्नशील धर्म को छोड़कर दूसरी बातों में उदासीन प्रेमभरा परन्तु मोह स सवषा रहित और कर्म से ऊबनेवाला या ऐसा भेरा मठ है। दोनों में कंठूसी तो नाममात्र को भी नहीं थी। उदारता अपनी शक्ति और हैसियत से अधिक थी ऐसा भी कह सकते हैं।

“माँ पुस्तकीय ज्ञान अधिक नहीं प्राप्त कर सकी थी। परन्तु इस कारण उनके आत्मविश्वास में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं बिलती थी। माँ के आप्रही स्वभाव के कारण पिताजी का कई बार झुटना पड़ता। उनका ब्यस्तित्व ऐसा नहीं था कि पति जिघर स आवें उघर चुपचाप बपी जायें। बपन मे ही उनका ब्यक्तित्व स्वर्तब था।

“हमारे महाँ एक ईस्वर की भक्ति का आप्रह और मनोती आदि सवाम पूजा के प्रति अवधि है, वह पिता और माँ के स्वभावविरोध के कारण ही है।

प्रभु को समर्पण

: ४ :

किशोरलाल भाई का जन्म काल्यादेवी (धम्बई) में किसी किराये के मकान में सन् १९४६ के दूसरे भाद्रपद वदी सप्तमी को रविवार सा ५-१०-१८९० के दिन हुआ। इनसे तीन वर्ष बड़े एक भाई थे जिन्हें घर में जगुभाई कहते थे। उनका नाम जुगल रखा गया। तब से माता-पिता ने सोच रखा था कि इससे बाद जो बच्चा हो उसका नाम किशोर रखा जाय जिससे दोनों भाइयों की जोड़ी को जुगलकिशोर कहा जा सके।

किशोर के जन्म के कुछ ही दिनों बाद पिताजी को अपने काम से अकोला जाना पड़ा। अकोला में दिवाली में रुई का मौसम शुरू हो जाता है। उन्हीं दिनों अलसी की खरीद भी शुरू होती है। एक दिन बालक किशोर के सुनाने का पारना अकोला के मकान के बैठक के पश्चिम तरफ की दीवार के पास रखा था। उसके पास ही पड़ोस के बड़े हिस्से में जाने का एक दरवाजा था। इस हिस्से में अलसी का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया था। बालक (किशोर) पालने में सा रहा था और जगु पास ही खेल रहा था। पिताजी तथा माताजी अपने-अपने काम में लगे हुए थे। इनसे यहाँ गोविन्द नाम का एक पहाड़ी नौकर था। उसे बुझार आ रहा था और वह पास के नौकरोंवाले मकान में सो रहा था। कहते हैं कि गोविन्द ने सुत्तार के नश में आवाज सुनी कि 'उठ सो क्या रहा है तेरे सेठ के बच्चे मर जायेंगे।' यह आवाज सुनते ही गोविन्द दौड़कर बैठक में गया और जगु तथा छोटे बच्चे को अपनी एक-एक बगल में उठाकर अपने कमरे में ले आया और छोटे बच्चे को अपने पास लिटाकर सुद भी लेट रहा। जगु को किसीने आम दे दिया था। उसे वह खा रहा था। आम के मौसम से जान पड़ता है कि यह घटना वैशाख-अठ में घटी होगी। अर्थात् उस समय किशोरलाल भाई आठ-नौ महीने के रहे होंगे। इसर जैसे ही गोविन्द दोनों बच्चा को अपनी गोद में लेकर उससे बाहर निकलन जैसे ही पालन के पासवाला दरवाजा दूट गया और पानी के रेंगे की भाँति मारी बैठक में

अलसी फैल गयी। पलमर में यह पालना अलसी के नीचे दब गया। यह आवाज सुनते ही पिताजी माताजी तथा दूसरे सब लोग दीड़कर बैठक में पहुँचे। परन्तु दोनों बच्चों को गोविन्द वहाँ से पहले ही ल गया था यह कोई नहीं जानता था। माताजी जानती थी कि बच्चा पालने में सोया हुआ है और पिताजी का अनुमान था कि जगु भी वही उसके पास खेलता होगा। इसलिए सबन यही समझा कि दोनों बच्चे अलसी में दब गये। अलसी को हटाया गया परन्तु बच्चे वहाँ नहीं मिले। इससे सबको आश्चर्य हुआ। कहने लगे कि उसी समय जगु वहाँ दूसरा आम माँगने के लिए जा पहुँचा। जगु के मुँह पर आमरस लगा हुआ देखकर सबका आश्चर्य हुआ। उससे उन्होंने पूछा कि छोटा मुसा कहाँ है? जगु ने अपनी तुतली बोली में बताया कि दोनों का गोविन्द उठाकर पहले ही ल गया था। तब सबके सब गोविन्द के पास पहुँचे और उससे पूछताछ करने लगे। उसने केवल ऊपर बत्तामी आवाज सुनी थी इसके अलावा यह कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सका। इस पर माताजी और पिताजी को भी निश्चय हो गया कि बच्चा की रक्षा में भगवान का ही हाम था। उस समय माता-पिता क हृदय में जो भाव उठ हंगे इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। दोमा इन बच्चों को ठाकुरजी के मंदिर में ल गये और उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने मन में समझ लिया कि हमारे बच्चे तो मर गये और अब ये जो बच्चे दबे हैं, ये भगवान के ही दिये हुए हैं। फिर वे दोनों बच्चों का उठा लाये। और भगवान के बच्चों के रूप में दोनों के नाम के साथ—पिता के नाम के स्थान पर सहजानंद स्वामी का नाम—'धनदयाम' लिखने का निश्चय कर लिया। इसी समय पिताजी ने एक मई फर्म झोलन का निश्चय किया। उसका नाम 'जुगल-किशोर धनदयाम लाल' रक्खा गया।

किशोरलाल माई लिखत हैं कि "मैं बारह वय का हुआ तब तक अलसी की लरीद के समय हमें अकासा आता पड़ता था। अलसी के डेर पर बूदना हम दागा भाइयों का प्यारा लस था। अलसी में हम दूतम लते फिर भी उगका मरा मृणालुबन्ध समाप्त नहीं हुआ। पुष्टि के रूप में अभी तक मुझ उम अपन सीने पर लगाना पड़ता है।

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के विषय में 'श्रुतिस्मृति' नाम से एक विवरण सन् १९३० में, जब नासिक-जल में मैं उनका साथ था सभी लिखा था। उसमें उन्होंने अपने वचन के संस्मरण लिखे हैं। य वार्ते कुछ लोग का शायद महत्त्वहीन मालूम पड़े परन्तु बालमनाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से वे बहुत उपयोगी हो सकती हैं। फिर पर के बड़-बूढ़ा के मुँह से जान में या अन जान में सहज जो उद्गार निकल जाते हैं अथवा एकाएक कोई आलोचना निकल जाती है, उनका बच्चों के मन पर कैसा असर पड़ता है वह भी इससे हम जान सकते हैं। बच्चा के प्रति व्यवहार करने में बड़ा को कितना सावधान रहना चाहिए, इसकी चेतावनी भी इन प्रसंगा से हमें मिलती है। निम्नांकित संस्मरण लगभग किशोरलाल भाई की भाषा में ही दिये जा रहे हैं।

(१) उस समय मैं पाँच वर्ष का रहा हूँगा। मेरे बाल बढ़ाये गये थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बालों में तेल डालकर बालों को घपघपाने तथा बाल सँवारने के लिए माँ से कहा करता था। मुण्डन-संस्कार की भी मुझे अच्छी तरह याद है। ठाकुरजी का चरणामृत मेरे माथे पर डाला गया था और फिर उस्तरे से बाल साफ किये गये थे। ऐसा नहीं लगता कि उसका अलावा और भी कोई विधि की गयी हो।

(२) एक बार 'गोवालिया म्मारस' के दिन मुझे गोपी या म्हाला बनाकर मेला देखने भेजा गया था। वह चित्र मेरी आँखों के सामने है। मुझ यह भी याद है कि किस तरह वचन में मुझे माँ रेसामी सहेंगा या कुर्ता पहनाकर उस पर रेसामी हमाल बाँधकर और सोने के जेवर पहनाकर बालों की माँग काढ़ती और हिंगुल की बिन्दी लगा आँखों में काजल लगाकर जाति की पक्षि में भोजन करने भेजती थी। परन्तु वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए न जाने के लिए कुछ हठ करता था फिर भी अंत में जाना तो पड़ता ही था।

(३) माँ रसोई बनाते-बनाते मुझसे गिनती गिनत के लिए कहती। बम्बई में महताजी के स्कूल में मेरा नाम लिखाया था पर वहाँ जाना मुझे अच्छा

पर मैं बहुत जोर से रोने लगा। पिताजी ने पूछा, परन्तु मैं अबकी धार भी नहीं बसा सका। तब फिर उस पारसी विद्यार्थी को बुलाया। उसने जो हुआ था सो सच बता दिया। इस पर पिताजी हड़मास्टर से बाहर मिले और शिक्षक पर भी खूब विगड़े। मैंने अब भिद पकड़ ली कि मुझे पढ़ाया हो तो घर पर ही पढ़ाव्ये, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूँगा। इसके बाद अकोला की शाळा में मैं नहीं गया। बम्बई में भी मुझे मराठी शाळा में ही भरती किया। वहाँ के शिक्षक भी कभी-कभी सजा देते। गालियाँ तो रहती ही। इस तरह शिक्षा हमें अपमानजनक लगती और गालियाँ तो सहन ही नहीं होती थीं। अंत में माँ की बीमारी बढ़ी और उमकी मृत्यु भी हा गयी। इस कारण शिक्षक और शाळा दोनों से छुट्टी मिल गयी।

(५) शिक्षक की भई गालियाँ मुझ सहन नहीं होती थी, फिर भी गालियाँ के संस्कार मेरे चित्त पर अमर करने लग गये थे।

माँ की मृत्यु के पहले से मुझे कुछ खराब रुढ़ना की सोहबत लग गयी थी यह बता देना जरूरी है। इनमें से दो को गन्दी गालियाँ दन की आवत थी। इसने परिणामस्वरूप यद्यपि मुझे अवान से गालियाँ देने की आवत तो नहीं लगी, फिर भी मन ही मन में तो गालियों की आबूति हो ही जाया करती। उनक क्रियारमक अर्थ में भी उस छोटी उम्र में मेरा प्रवेश होने लगा था। ये कुर्मस्वार मेरे बटे होने तब मुझे तकलीफ देत रहे। इन कुर्मस्वारों न मेर जीवन में से स्वास्थ्य का आनव हमेशा के लिए मिटा दिया।

(६) मेरे चाचाजी के एक लड़क को गन्दी गालियाँ बकन की आदत थी। जब मुझ यह मामूम हुआ तब मेरे मन पर इसका खबरदस्त आघात लगा। स्वामी नारायण के धम का पालन करनेवाला ऐसी गन्दी गालियाँ दे सकता है, यह मैं सपन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। घर आने पर मैंने उनके बड़े भाई से यह बात बही। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी गिनती भुगसल्लोरों में हो गयी। मेरी उम्र के इन भाइया ने मुझे अपने हँसने चलने और साथ में घूमन-वामने से अलग कर दिया। कम-अधिक परिमाण में यह बहिष्कार बाई दो बर्ष तक जारी रहा। मुझ खेळना हाता तो मैं फवल अपनी छोटी बहनों के साथ ही खेळ सकता था। गरीर से बमबार और इन सब बहनों में सबसे बड़ा। इसलिए उमरे माय धमना मुझे बुरा ता नहीं लगता था। परन्तु मैं बेबल लड़किया

के साथ खेलने लायक 'धायला' (बनाना) समझा जाने लगा और व भाई मुझे ऐसा कहकर चिढ़ाते भी। इस तरह अंत में मैं उनसे इस आशय के कुछ शब्द कह दिये कि तुम्हें जो धारना हो सां बोलते रहो परन्तु मुझे अपने साथ खेलने दो। इस तरह मैं शुभ गया। इस सोहसत के उल्टे परिणाम हम सबको भोगने पड़। हमारे माप हमारी ही जाति का एक और भी लड़का था। उसकी जवान तो बहुत ही सराय थी। उसके साथ खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता।

ऊपर लिखे बहिष्कार से मैं घबड़ा न गया होता तो मेरा बहुत लाभ होता। इस सोहसत का परिणाम मेरे चित्त पर बहुत ही घुरा हुआ। जो गन्दे शब्द ये भाई केवल एक आदत के रूप में बोलते, वे अपने पूरे अर्थ सहित मेरे दिल में टकराते रहते। और यद्यपि मैंने जवान से तो ऐसे शब्द निकालने की शायद ही कभी हिम्मत की हो परन्तु मन में तो अनेक बार इनका उच्चारण कर ही सता और इनके अर्थ में भी मेरा चित्त प्रवेश कर जाता। इसके अलावा भी इस कुत्संगति ने मुझे बड़ी तकलीफ दी।

(७) आत्माराम काका को हम 'आतुकाका' कहते। ४९ वय की उम्र में—मेरी माँ की मृत्यु से कुछ ही दिन पहल—उनका देहान्त हुआ। उनका मौलाना लड़का गोकुलभाई था। उसे और मुझे उनकी मृत्यु के समय सवेरे से ही किसी मित्र के यहाँ भेज दिया गया। दोपहर के बाद उस मित्र की पत्नी ने गोकुलभाई से कहा कि तेरे पिताजी मर गये अब तू भर जा। यह समाचार सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ और मैं हँसने लगा (उम्र ८ वर्ष) परन्तु गोकुलभाई की आँसो से आँसू बहने लगे। मैंने अभी तक किसी निकट सम्बन्धी की मौत नहीं देखी थी। मृत्यु के विषय में कवल सुना ही था। मेरे आनंद का कारण यह था कि मैंने सुना था कि आवमी जब मरता है, तब भगवान के पास चला जाता है। मेरी यह भी दृढ़ श्रद्धा थी कि सहजानंद स्वामी के उपासक को रेल के लिए स्वयं भगवान आते हैं और अपने घाम ले जाते हैं। इस कारण मुझे अपने मन में मृत्यु विवाह से भी अधिक शुभ लगती। मेरी यह श्रद्धा बहुत बड़ी उम्र तक कायम रही। आतुकाका के कुछ ही दिन बाद मेरी माँ की मृत्यु हुई और पाँच-छह वर्ष बाद जगुभाई की भी मृत्यु हो गयी। उस समय तथा

भाव में मेरे मन में इस बात का कोई असर नहीं रहा। हम कई बार मलाब में रहने के लिए जाते। उस समय मेरी उम्र म्यारह वर्ष की रही होती।

(१७) मोटा बापा कुछ समय जाति में पटल भी रहे। इस कारण उनके छोटे-बड़े कई शत्रु भी हो गये थे। मलाबखाला-परिवार बढ़ा था। फिर पुरानी बम्बईवालों का उन्हें अच्छा समर्जन हान के कारण मोटा बापा का पक्ष जाति में अच्छी तरह सफल होता रहता। परन्तु मुझे याद नहीं कि इससे लाभ उठाकर उन्होंने कभी अपना कदम पीछे हटाया हो अथवा किसीको तंग किया हा।

(१८) संवत् १९६० की बात है। बिगदरी में कहीं जीमने जाना था। फ़ागुन का महीना था। जगुभाई को और मुझे विरावरी में कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। बहुत आप्रह करने पर कभी कहीं जाते। परन्तु उस दिन बगैर अधिका आप्रह के जगुभाई जाने के लिए तैयार हो गये। उन दिनों सड़के नी जेपर पहनकर जीमने जाते। उस दिन जगुभाई जरा बदन-ठनकर 'जी' के घर से खाना हुए। 'जी' के घर के नीचे ही गांधी की पूजान के चमूठरे पर एक बेंच पर बैठ गये और दूसरे सड़कों की राह देखने लगे। पूजान के भादमी परिचित थे। एक ने पूछा— "भाहा जगुभाई, आज तो दू खाना खाने जा रहा है! अब तेरी घादी कब हो रही है।" जगुभाई ने कहा— "मैं अपनी घादी में ही ठा जा रहा हूँ।" उसने कहा— "अच्छा! किससे घादी हो रही है?" जगुभाई ने कहा— "बितागौरी के साथ।" इस पर वह आदमी निङ्ग गया। खाना खाकर लौटते ही जगुभाई हमारे घर पर पर सोने लगे गये। उस समय बम्बई में बड़े जोरों का फ्लेग फैला था। मैं मौसी के घर सोता था। संभव है कि हमारे घर में रोग की छूट आ गयी हो इसलिए जगुभाई का घर पर सोना गतरनाक साबित हुआ। कुछ समय से ब्यायाम आदि करते जगुभाई ने अपना शरीर अच्छा बना लिया था। बचपन में वे रोगी रहते थे। उन्हें पढ़न लिखने का भी कोई आस शोक नहीं था। परन्तु पिछले एक वर्ष में वे बिल्कुल बदल गये थे। बेड़ महीने में छह महीने की पढ़ाई करते मेट्रिक के परी में भरती हो गये थे।

सबेरे उठकर मैं घर पर गया और देखा तो जगुभाई बुतार में पड़े हैं। नामाभाई उनकी दुखूपा कर रहे थे। जानाभाई न और मैंने तिनय लिया कि

जगुमाई को मौसी के घर ले जाना चाहिए। वहाँ जाकर डॉक्टर को बुलाया। दवा दी गयी चूल्हियाँ भी हुईं। रात का फिर डॉक्टर को बुलाया। उसने एनिमा दिया। जितना पानी दिया गया था वह बाहर भी नहीं निकल सका। उस समय एनिमा एक नई चीज थी और लोग मानते थे कि यह एक राक्षसी उपाय है। जब बीमारी बहुत ही गभीर होती है सभी एनिमा दिया जाता है—ऐसा भी एक बहम लोगो में था। डॉक्टर ने कहा कि प्लेग की आशंका है और पिताजी को धार करने की सलाह दी। तार मिलते ही पिताजी अकोला से रवाना हो गये। मौसी ने जगुमाई की भूख सेवा-सुभूषा की। चार-पाँच दिन में डॉक्टरों और दवाओं पर कोई तीन सौ रुपये खर्च हो गये। परन्तु यह सब बेकार साबित हुआ। सवत् १९६० फरगुन खवी वसामी के दिन शुक्रवार को दोपहर के तीन बजे जगुमाई का प्राण-पक्षे रु उड़ गये। उस समय वे अपना सप्तहवाँ वर्ष पूरा करने को थे।

उनकी मृत्यु से दो-तीन मण्टे पहले मैं उन्हें देखकर आया था। तब वे होश में थे परन्तु बोल नहीं सकते थे। दाहिना हाथ भुजा के नीचे से सूझ गया था। अपनी पूजा की मूर्ति (मणियों के स्टैंड पर रखी सहजानन्द स्वामी की मूर्ति) पर उनकी नजर गड़ी हुई थी। उसके भरण छूना चाहत थे। परन्तु दाहिना हाथ उठाने की शक्ति नहीं थी। पिताजी ने कहा कि बायें हाथ से भरण-स्पर्श करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तब बायें हाथ से भरण स्पर्श करके प्रणाम किया। साधु-ब्रह्मचारियों को भी बुलाया गया था। बायें हाथ से ही उन्हें भी प्रणाम किया और धोतियाँ अपिल कीं। यह सब देखकर मुझे लगा कि यह मृत्यु पवित्र है इसके बाद मुझे 'जी' के घर भेज दिया गया। हाँ उन्हें स्मशान ले जाने से पहले नानाभाई ने आकर हमें उनकी मृत्यु के समाचार सुना दिये थे। अपनी समझ के अनुसार यह सुनकर मुझे सुणी हुई। मुझे लगा कि भाई भगवान के घर चले गये और मुसी हो गये। परन्तु दूमेरे दग्ध अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत रोये। जमना बहन ने मेरी प्रसन्नता पर मुझे फटकारा। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसे अपनी धडा समझायी। मेरी धडा को बुद्धि से तो वे मान्य कर सकीं परन्तु हृदय से नहीं। भाई जैसा भाई चला गया और उसकी मृत्यु पर भी मुझे दुःख नहीं हो रहा है—यह देखकर

उसे आश्चर्य हो रहा था। परन्तु मुझे तो—यह भाई ईश्वर के धाम में गया है—इसना ध्रुव और निश्चित सत्य छप रहा था मानो मैं उसे स्वर्ग ले जाकर वहाँ छोड़ आया था। स्नान करने के बाद शाम को हम बच्चों ने जिसम भजन और आरतियाँ हमें जवानी याद थीं सब गायीं।

दूसरे दिन पिताजी तथा बालूभाई के साथ मैं अकोला गया। जून महीने में मैं अकोला से दम्पई वापिस आया। रेल में भी अकेले आया पड़ा और दाला में पकमे के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा। मृत्यु के दर्शन से और वह विलाप सुनकर जो बेवना उस समय मही हुई थी वह अब दाला में अकेले जाने-आने में होने लगी। अब मुझे प्रत्यक्ष भाग हाने लगा कि मैं सचमुच अकेला रह गया। जगुभाई का नाम जुगल था और मेरा नाम किशोर। सब रिश्तेदार जुगल किशोर की जाड़ी कहकर पुकारते। अब यह जोड़ी टूट गयी—ऐसा भी बार-बार कहते। दाला जाते समय जाड़ी टूटने का भाग मुझे भी हुआ और जुगलभाई के बियोग पर पहली बार माँसो में माँसू आये।



हम देख चुके हैं कि किशोरलाल भाई की प्राथमिक शिक्षा अनेक भिन्न-भिन्न शालाओं में हुई। पिताजी को वर्ष में छह महीने अकोला में और छह महीने बम्बई में रहना पड़ता था। इसलिए किशोरलाल भाई को वर्ष में दो शालाएँ बम्बई में पढ़नी पड़ती थीं। फिर बम्बई में हमेशा उसी शाला में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता था। माताजी के देहान्त के बाद शालाओं में कुछ स्थिरता आ सकी। फिर भी अंग्रेजी की पाँचवी कक्षा के बाद ही शालान्तर किये बगैर उमकी पढ़ाई हो सकी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर उन्हें न्यू हाईस्कूल की पहली एलिमेंटरी में भरती करवाया गया। यहाँ पर उन्हें दो आजीवन मित्र मिले—मंगलदास विठ्ठलदास देसाई तथा उनके छोटे भाई गोरधनदास। तीनों एक ही कक्षा में थे। मंगलदास पढ़ने में बहुत तेज थे। कक्षा में उनका नंबर पहला-दूसरा रहता। गोरधनदास का भी चौथा-पाँचवा नम्बर रहता। किशोरलाल भाई ने लिखा है—“पढ़ने में ऊँचा नम्बर लेने की इच्छा मुझे सदा रहती, परन्तु मैं दस से ऊपर शायद ही कभी आ सका। मेरा नम्बर प्रायः दस और बीस के बीच रहता। इस कारण मंगलदास और गोरधनदास मेरे लिए उपास्य विद्यार्थी थे। परन्तु हमारे बीच गाढ़ी मित्रता होने का कारण तो दूसरा ही था।”—यह हम अगले प्रकरण में देखेंगे।

अंग्रेजी की तीसरी कक्षा पास करने तक जगुभाई और किशोरलाल भाई न्यू हाईस्कूल में पढ़े। न्यू हाईस्कूल की अपेक्षा गोकुलदास सेजपाल हाईस्कूल में फीस कुछ कम थी। उस समय यह कुटुम्ब बड़े आर्थिक संकट में था। इसलिए वहाँ ने इन दोनों भाइयों को गोकुलदास सेजपाल हाईस्कूल में भेजने का निश्चय किया। किशोरलाल भाई कहते हैं कि ‘न्यू हाईस्कूल छोड़ते समय मुझे अतिशय दुःख हुआ। इस स्कूल के प्रति मेरे मन में अतिशय आदर और भक्ति थी। इस दुःख का एक अन्य कारण प्रिय मित्रों का वियोग भी था।’ उस समय न्यू हाईस्कूल बम्बई के अच्छे-से-अच्छे हाईस्कूलों में गिना जाता था। उसके दो

प्रिन्सिपल मर्जमान और भरड़ा बहुत विख्यात शिक्षक थे। नीचे की कक्षाओं के वर्ग भी थे। गो० ते० हाईस्कूल में किशोरलाल भाई केवल दो ही महीने पढ़े। उस समय उन्हें मलेरिया बुखार आने लग गया था इसलिए बाधुभाई इन्हें अपने साथ आगरा ले गए। वहाँ उन्हें सेन्ट आन्स कॉलेजियेट स्कूल में भर्ती करवाया गया। वहाँ चौबी और पाँचवी कक्षा पास की। आगरा में हिन्दी के अतिरिक्त कुछ उर्दू भी पढ़ी। बम्बई लौटने पर एस्पेलेनेड हाईस्कूल की अंग्रेजी की पाँचवीं जूनियर कक्षा में भरती हुए। दो महीने बाद वहाँ के प्रिन्सिपल ने इनकी योग्यता देखकर इन्हें सीनियर वर्ग में ले लिया। इस तरह एक सत्र की बचत हो जाने से मैट्रिक के लिए पूरा एक वर्ष बच गया। नवम्बर १९०५ में वे मैट्रिक पास हुए। वर्ष बचाने के लोभ से मंगलदास गोरधनदास तथा अन्य कितने ही विद्यार्थी न्यू हाईस्कूल छोड़कर एस्पेलेनेड हाईस्कूल में आकर अंग्रेजी छोटी में भरती हो गए। तब से लेकर एल-एल० बी० तक किशोरलाल भाई और मंगलदास ने साथ-साथ ही अध्ययन किया। एस्पेलेनेड हाईस्कूल का ध्येय-मंत्र Perseverance (निरन्तर प्रयत्न) था। किशोरलाल भाई कहते हैं कि धाला व इस ध्येय-मंत्र को मैन दिल से अपना लिया था।

मैट्रिक कर लने के बाद वे विस्सम कॉलेज में भरती हुए। यह कॉलेज पसन्द करम का बेवकूफ एक कारण था—वह यह कि वहाँ छात्रवृत्ति मिलन की कुछ आशा थी। जाति के बोध से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने मर्जी व दी थी और २५) मासिक की छात्रवृत्ति उन्हें मिल भी गयी। परन्तु जाति की छात्रवृत्ति लेने में हमारी कुछ हेटी है—एसा कुटुम्ब में राबको लग रहा था। इसलिए दो महीने बाद जाति की छात्रवृत्ति समा उन्होंने बन्द कर दिया। उन्हें कॉलेज की छात्रवृत्ति मिल गयी। यदि वह न मिली होती तो कुटुम्ब की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते। तब तो घायद वही नीजरी दूँझनी पड़ती।

किशोरलाल भाई कहते थे कि कॉलेज में उन पर बाइबल के नये बचर तथा मिशनरी प्रोफेसरों के व्याख्याता का काफी असर पड़ा। संसृष्ट क अम्यापक मंडक्यकर के प्रति उनके मन में सबसे अधिक पूज्य भाव था। दूसरे अध्यापक का भी उन पर प्रेम था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई व बारे में किशोरलाल भाई लिखते हैं

घाला में मैं शायद ही कभी दसवें नम्बर से ऊपर गया हूँगा। परन्तु कॉलेज में मैं दूसरी या पहली श्रेणी में ही आता। इसका मुझे आश्चर्य होता। इंटर में मैं पहली श्रेणी में पास हुआ और अपने कॉलेज में मेरा नम्बर पहला था। इसी प्रकार एल-एल० बी० के दूसरे वर्ष में भी मैं पहली श्रेणी में ही पास हुआ। पहले वर्ष में एक विद्यार्थी के साथ मैंने पढ़ने में खूब होड़ की थी। उसने याद की किमी परीक्षा के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी—एसा लगता है। परन्तु याद की परीक्षा का परिणाम अधिक अच्छा रहा। इसका कारण यह मालूम होता है कि इंटर में मुझे पढ़ने की सही पद्धति सूझ गयी थी। लॉ-प्रीवियस में जिस विद्यार्थी के साथ मेरी और मंगलदास की होड़ लगती थी उसे अपने परिश्रम की तुलना में कभी फल नहीं मिला क्योंकि उसकी पद्धति ही गलत थी। उसकी आवत थी विषयों की बार-बार आवृत्ति करना, अर्थात् पाठ्य पुस्तकें बार-बार पढ़ना। प्रीवियस में हमने उसीका अनुकरण किया था। परन्तु इंटर के बाद हमन अभ्यास की पद्धति एकदम बदल दी। हमने इस तरह पढ़ना शुरू किया कि विषय की भाषा भले ही जवान पर न आय परन्तु विषय को बुद्धि अच्छी तरह समझ ले। सामान्यतः किसी चीज का मुद्दाप्र करने में मैं बड़ा कच्चा हूँ। मजदूरी को छोड़कर शायद ही किसी विषय की लगातार चार-छह पक्तियाँ मुझ याद होंगी। गद्य वा जरा भी याद नहीं रहता। इस कारण यह बात सही है कि भाषा पर मेरा बहुत प्रभुत्व नहीं है परन्तु विषय की तह में उतरकर उसका पृथक्करण करके उसे बुद्धि द्वारा अच्छी तरह समझ लेने की मुझ टेव है। इस कारण तुलना में कम श्रम उठाकर मैं पढ़ाई कर सकता था—ऐसा मेरा खयाल था। जब तक केवल परीक्षा ही ध्येय था, तब तक विषय का प्रतिपाद्य क्या है—यह इस तरह समझ लिया करता। बाद में खयाल आया कि अमुक विषय में लेखक का अभिप्राय क्या है—केवल इतना ही जान लेना काफी नहीं। यह तो पोथी-पाण्डित्य हुआ। असल में यह समझ लेना जरूरी है कि किस मनावदा के परिणामस्वरूप अबवा जीवन की किस बुनियाद को स्वीकार करने पर हम इन अभिप्राय पर पहुँचते हैं—यह भी सोच करके हर बात का समझ लेने की जरूरत है। इससे हम किसी अनिर्दिष्ट विषय पर भी लेखक के विचारों का पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जिस चीज को मूल समझकर पकड़ रखा है,

बहु सही है या गलत यह जान लेने के कारण हम फिर यह भी समझ सकते हैं कि उसके अमिषायों में विचार-बुद्धि अथवा विचार-दोष कहाँ तक है। हाँ यह तो निश्चित है कि जिसे स्वतंत्र रूप से विचार करने की आवस्यता है अथवा जिसे अपने लिए विचार की कोई निश्चित दृष्टि मिल गयी है वही यह कर सकता है।”

सन् १९४९ में किसीने किसोरलाल भाई से पूछा कि ‘जिन्दगीभर से यह दमे की बीमारी आपके पीछे छग गयी है, फिर भी आप काम कर सकते हैं और बुद्धि की तेजस्विता कायम रख सकते हैं इसका रहस्य क्या है? आप पित्त बीज का पालन करते हैं जिससे यह संभव हुआ है।’ इसका उन्होंने निम्न लिखित उत्तर दिया है। अध्ययन करने की अपनी जिस पद्धति का उन्होंने अग्र उत्सह किया है, उसके साथ इसकी तुलना देसन योग्य है

‘जिसे लोग मेरी बुद्धि की तेजस्विता या कुशाग्रता समझते हैं, वास्तव में वह तेजस्विता है ही नहीं। मेरे विषय में यह एक निरा भ्रम है। मैं बुद्धिवादी हूँ—इस तरह मेरी ध्याजस्तुति भी की जाती है। परन्तु बस्तुतः मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ। सीपी-सादी बातों में मेरी बुद्धि जरूर काम करती है। परन्तु राजनीति में कूटनीति में अंकी और शास्त्रीय घोषों की गुत्थियों में दासना और साहित्य के अर्थ खान में काव्यकला आदि की खूबियाँ की जाँच में—एसे-एसे अटपटे विषयों में मेरी बुद्धि बहुत कम अथवा धीरे-धीरे चल्ती है। मरु सामान है कि मेरे भीतर कोई असामान्यता नहीं है। यह मेरे किसी विचित्र आहार-बिहार के कारण भी नहीं है। मैं एक ऐसे कारीगर के समान हूँ जो केवल अपनी मजूर से सीधे-डेढ़े की पहचान नहीं कर सकता बल्कि हाथ में फूट-पट्टी लेकर ही यह देख सकता है। परन्तु हाँ वह फूट-पट्टी सही हो।

‘जिसे लोग मेरी बुद्धि की सुदमता अथवा कुशाग्रता समझते हैं, वास्तव में वह मेरी बुद्धि की सुदमता नहीं है, बल्कि मुझे सुदमाव की एक सही-मही फूट-पट्टी मिल गयी है उसके उपयोग के कारण है। जिसे आप मेरी बुद्धि की बिभोपता समझते हैं उसे अगर सुदमता से देखेंगे तो उसके अन्दर आरका संत में सहृदयता नीति के प्रति आवर और अनीति तथा यकीर्णता—संग-दिली—क प्रति असहिष्णुता ही मिलेगी।

‘बस्तुतः मैं ज्ञान का उपग्रहक हूँ। इसलिए उस यहाँ-वहाँ सर्वत्र द्रवता रखा

हैं, परन्तु मैं बुद्धिमान पंडित नहीं हूँ। भक्ति मुझमें स्वभाव से ही है। इसलिए मुझमें उसका वास्तविक स्वरूप अथवा कोई आस उपासना नहीं दिखाई देती। इस कारण मुझे लोग बुद्धिवादी समझ लेते हैं।

‘यह बात मैं झूठी नग्नता से नहीं कह रहा हूँ। अपनी वास्तविक योग्यता से कम बताना सत्य की उपासना में शोभा नहीं दे सकता। इसलिए अपने बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सही है—ऐसा ही समझें।’

किशोरलाल भाई के भतीजे भाई नीलकण्ठ ने उनके कितने ही संस्मरण मुझे लिख भेजे हैं। उनमें वे लिखते हैं

“पूज्य बाकाजी का सबसे पहला संस्मरण तब का है जब वे बम्बई में कादा वाड़ीवाले मकान में रहते थे। उस समय वे किशोर थे। विल्सन कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें सादी किन्तु व्यवस्थित पोशाक पहनने की शुरुआत से ही आवत थी। सफेद लम्बी पतलून, लम्बा पारसी कोट बंगलोर टोपी तथा बूट-मोजे। इन्होंने शरीर पर इस पोशाकवाली उनकी मूर्ति आज भी मेरी आँसों के सामने खड़ी हो जाती है। वे बकील हो गये और अकोला में बकासत करने लगे। धन्कि १९१७ में आश्रम में गये तब तक भी वे यही पोशाक पहनते थे। इसी तरह की व्यवस्थित पोशाक हम बच्चों—मुझे तथा मेरे भाई-बहनों—को भी पहननी चाहिए—ऐसा उनका आग्रह था। कोई भी बच्चा बगैर कुरता पहने अथवा बगैर रबड़की फ्रॉक पहन घूमे, इसे वे पसन्द नहीं करते।

भिन्न के सामने कुरसी पर बैठकर अथवा बरामदे में टहलते हुए जोर से वृद्ध उच्चारण करते हुए वे पढ़ते। वे हमेशा कहते कि जोर से पढ़ने से हमारा ध्यान उसीमें रहता है और पढ़ी हुई चीज याद भी रह जाती है। अपने कमरे में ब-ब-मी-कमी खड़े मानो भाषण करते अथवा धीरे-धीरे प्रबचन देते। मुझे याद है कि एक बार केवल अंग्रेजी बर्णमाला के ‘ए’ से लेकर ‘जेड’ तक के अक्षरों को भिन्न-भिन्न भावों के अनुसार उन्होंने इस तरह न्यूनाधिक भार देकर बोलना शुरू किया मानो कोई भाषण कर रहे हों। यह सुनकर पड़ोस के कई भिन्न समझें कि सचमुच कोई भाषण हो रहा है और उसे सुनने के लिए एकत्र हो गये। करीब पाँच-सात मिनट तक उनका यह भाषण जारी रहा। फिर पूछने लगे—‘क्या भाषण कैसा रहा? और वे स्वयं तथा दूसरे भी हँसने लग गये।

“कांदावाडी के मजान की दूसरी बात मुझे जो याद आ रही है, वह है वहाँ की चर्चा का वातावरण। हमारे कुटुम्ब में दो पक्ष थे। एक का झुकाव तिलक की ओर था तथा दूसरे का गोखले की ओर। मेरे पिताजी गोखले का पक्ष लेते, तो मेरे ताऊजी तिलक के विचारों को पसन्द करते थे। पू० किशोरसाह काका का झुकाव पहले से गोखले की ओर था। परन्तु बाद में स्थिति पलट गयी। फिर हमारे घर में तिलक या गोखले के प्रति विशेष आग्रह नहीं रहा। तीनों माई दोनों नेताओं का आधार की दृष्टि से देखने लग गये। इससे पहले भी उनके मन में किसी भी नेता के प्रति कड़वाहट तो नहीं ही थी। परन्तु पीछे तो उनके प्रति समभाव उत्पन्न हो गया। तीनों माइयों में पहले से ही राष्ट्रीय कार्यों में रस छिमा। परन्तु ज्यो-ज्या धापूजी क साथ सम्बन्ध बढ़ता गया त्यो-त्यो तीनों ने अपनी-अपनी शक्ति व अनुसार उनका काम किया। सारे घर का वातावरण उससे भर गया।

“इसैड की पासमेंट के विवरण भी समाचार-पत्रा में आते। उन पर भी हमारे घर में बातचीत तथा चर्चाएँ होतीं। पड़ोस के मित्र भी इन चर्चाओं में भाग लेते। सिबरल कञ्जरबटिय गैटस्टन शक्ति इत्यादि शब्द मैं समझता नहीं सकता था परन्तु इनके उच्चारणों को मैंने तभी से पकड़ लिया। चर्चाएँ गुजराती में और अंग्रेजी में भी चलतीं। हमारा कुटुम्ब स्वामी नारायण-संप्रदाय को मानता था। दूसरे कितने ही मित्र आयनमात्र को मानतबाले थे अथवा धर्म के विषय में उदासीन थे। पू० किशोरसाह काका को वे पुराने विचारबाले मानते या पठा नहीं क्या उनके मित्र उन्हें ‘भद्र भद्र’ कहते। बाद में उन्हें ‘केवल श्री’ कहकर पुकारने लगे।

‘स्वामी नारायण के मंदिर में ब्रह्म के लिए जाने का नियम हमारे घर में था। किशोरसाह काका बम्बई में शक्ति में पड़ने समय तथा उनके बाद भी बहुत दिनों तक इस नियम का पालन बराबर करते थे। मन् १९१०-११ में मैं और काकाजी पू० दादा के साथ बड़लान में कितने ही दिन तक भाव-भाव रहे। उन दिनों स्वामी नारायण के प्रसार से अनुगृहीत प्रत्येक स्वाम उहोंने मुझे साथ ले जाकर बताया और प्रत्येक स्वाम पर महाराज न क्या प्रसंगनीला की—यह भी सुनाया। पूरे भक्तिभाव से भाव उहोंने यह गारा बंधत दिया।”

अब हम प्रस्तुत विषय पर फिर आयेँ। ऐच्छिक विषय के रूप में पदार्थ-विज्ञान (फिजिक्स) तथा रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) लेकर किशोरलाल भाई ने नवम्बर १९०९ में बी० ए० किया। सन् १९१३ के जून-जुलाई में उन्होंने बकालस पास की। बी० ए० पास करने के बाद एल-एल० बी० पास करने में देर लगने का कारण यह था कि उनकी छोटी बहन गिरिजा उर्फ रमणलक्ष्मी विधवा हो गयी। इसका इनके शरीर पर बहुत असर हुआ। वे इसके कारण लगभग आठ महीने बीमार रहे। उन्हें मद ज्वर तथा खाँसी आती रही। डॉक्टरों को भय हो गया कि इसमें से कहीं क्षय न पैदा हो जाय। इसलिए एल-एल० बी० के दूसरे घप की परीक्षा देने का विचार परीक्षा के दो महीने पहले छोड़ देना पड़ा। कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। हवा बदलने के लिए बरगाँव अकोला आदि स्थानों पर गये परन्तु कोई फल नहीं निकला। अंत में बडताल गये। वहाँ एक वैद्य का इलाज किया। उसने सबा महीने तक दूध और गुग्गु का प्रयोग किया। इससे बुखार और खाँसी दोनों चले गये।

एल-एल० बी० की शर्तें पूरी कर रहे थे इसी बीच उन्होंने १९१० के मार्च महीने में मेहता और दलपतराम सॉलिसिटर्स की फर्म में आर्टिकल का काम ले लिया। इस फर्म के वे पहले ही आर्टिकल क्लर्क थे। इसलिए दोनों सॉलिसिटर्स उनकी ओर पूरा ध्यान देते और काम-काज सिखाने में श्रम परिश्रम करते। उन्हें मैनेजिंग क्लर्क का काम भी सौंप दिया गया। किशोरलाल भाई लिखते हैं

मेहता सेठ कड़े मिजाज के आवामी माने जाते थे। एक एफिडेविट लिखने में मैंने भूल कर दी। दो मुकदमों में लगभग एक-से नाम थे। गफ़लत से दूसरा ही नाम इस एफिडेविट में लिख दिया। एसी गफ़लत सॉलिसिटर्स के धन्धे में कमी नहीं चल सकती। इस विषय में उन्होंने मुझे इतना बड़ा उरसहना दिया कि तीन घण्टे तक मैं अपना रोना रोक नहीं सका था। उन्होंने मुझे यह काम सिखाने में जो परिश्रम किया वह आगे चलकर बकालस के धन्धे में मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ।

मार्च १९१३ में आर्टिकल क्लर्क की हैसियत से सॉलिसिटरी की उम्मीद-वारी उन्हें पूरी भी। फिर जून में एल-एल० बी० की परीक्षा दी और उसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

किशोरलाल भाई ने अपने बालमित्रों की चर्चा अपने परिवार की धृति स्मृति के साथ ही कर दी है। वह उन्हीके दम्वों में इस प्रकार है

"अकोला में हमारा एक बूढ़ा मजदूर था—आपा। उसका बड़ा लड़का दादा छगमग बालूभाई की उम्र का था और दूसरा लड़का हरि छगमग मेरी उम्र का था। मराठी शाळा में यह मेरे वर्ग में था। आपा के रहने के लिए हमने अपने कम्पाउण्ड के पिछले भाग में जगह कर दी थी इसलिए वह सज्जे हैं कि वह हमारे साथ ही रहता था। हरि मेरा बाल-मित्र था। हम दोनों के बीच गाढ़ा स्नेह था। बम्बई से अकोला पहुँचते ही सबसे पहले मैं गोशाळा में जाता और मये जन्मे हुए बच्चों को बेसता और उनसे ज्ञान-महजान करता। हरि प्रायः यहीं मिलता। यदि वहाँ वह न मिलता तो मेरा दूसरा काम उसे ढूँढ़कर मिलना था। आपा के मरने के बाद हरि की माँ उस लेकर दूसरी जगह रहने चली गयी थी। बाद में हरि अपने बड़े भाई दादा के साथ रहने के लिए आ गया। यद्यपि दादा अपने लिए अलग झोपड़ी बनाकर दूसरी जगह रहता था फिर भी जब कभी मैं अकोला जाता हरि मुझसे मिलने के लिए आये बिना न रहता। मैं अंग्रेजी पढ़ गया और सठ का लड़का था इसलिए बाद में हरि मेरे साथ अदब के साथ पेशाने लगा। परन्तु उसके प्रति मेरा प्रेम तो पहले जैसा ही था। ठेक-मीच के हात्कारों से मैं ऊपर नहीं उगा था और मंस्कार हीन गिने जानबाले लोगों से मैं अमायास नहीं मिल सकता था। फिर भी हरि और मेरे बीच ऐसा कोई परदा नहीं था। बड़े होने पर हरि न जपन बाण का—कुसी का पेशा दादा के साथ शुरू कर दिया था। उसका धीरे-धीरे बड़ा मजदूर और कुस्तीबाज था। बचालत करन के लिए अकोला जाने पर मैंन वहाँ होलिका सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में एक बार दमल किया गया था। सबसे अच्छे कुस्तीबाज को एक पगड़ी देने का निश्चय किया गया था। दमल समाप्त होने पर पहले नंबरवाले पहलवान का नाम पुकारा गया तो

क्या देखता हूँ कि हरि मेरे पैरों पर पड़ा है। मेरा बाल-मित्र पहला रहा, इस पर तो मुझे बहुत आनंद हुआ। परन्तु मेरा यह रुगोटिया दोस्त मेरे पैरों पर पड़ा है—यह देखकर मुझ अपने पर धबी लज्बा आयी। मेरे लिए यह असह्य हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद हरि का मुझसे सवा के लिए विवाह हो गया। अकोला में प्लेग फैल गया। इसलिए दादा तथा हरि—मजदूरों के लिए सोले गये—दूर के भिवर में रहने के लिए चले गये। वहाँ हरि को प्लेग की गिल्टी निकल आयी। उसकी बीमारी के समाचार मुझे मिले। मैं उसे देखने गया। उससे पहले ही उसने शरीर छोड़ दिया था। दूसरे दिन दादा मेरे पास आकर बहुत रोने लगा। इस पर से मुझे अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिल गया।”

दूसरे मित्र थे—मंगलदास और गोरभनदास। उनके बारे में बहुत कुछ तो विद्याभ्यासवाले प्रकरण में आ ही गया है। किशोरलाल भाई ने और भी लिखा है।

‘न्यू हार्सिकूल के पीछे की तरफ एक दरवाजा था। वह हमेशा बन्द रहता था। उमके सामने बैठने के लिए दा-तीन सीढ़ियाँ थीं। उन पर दो तीन रुइके बैठ सकते थे। एक दिन मंगलदास एक दूसरा विद्यार्थी और मैं दोपहर की छुट्टी में इन सीढ़ियों पर बैठा था। बच्चों को महत्त्वपूर्ण मारूम होनेवाली अपने सुख दुःख की बातें हम कर रहे थे। मंगलदास ने अपने जीवन की बातें शुरू कीं। उसका माता-पिता बचपन में ही मर चुके थे। बचपन में ही माता पिता का मर जाना मुझे अतिशय कष्ट और आघातजनक लगा। उसकी उस दिन की बात का मुझ पर इतना असर हुआ कि जिसकी कल्पना मंगलदास को भी नहीं हुई होगी। बुद्धिमान विद्यार्थी की हैसियत से इन दोनों भाइयों का मैं पहले से ही आदर कर रहा था। इस दुर्भाग्य के कारण ये दोनों भाई मेरी कदवा और प्रेम के अत्यधिक पात्र बन गये। मैंने मन में निश्चय कर लिया कि वे तो मेरे ही हैं। अपने भाइयों से भी अधिक मैं उन्हें मानने लगा। धीरे-धीरे इन भाइयों ने मेरे मन पर इतना अधिकार कर लिया कि सहजानंद स्वामी मेरे पिताजी तथा ये दो मित्र—इनमें से किसके प्रति मेरे मन में अधिक भक्ति है, यह मैं निर्णय नहीं कर सकता था।

“धीरे-धीरे दो-तीन घण्टे छोड़ दें तो बकासत पास करने तक मगलवास और मैं साथ ही रहा। मगलवास ने मुझे अपने सुल-दुल की बातों का भागीदार बनाया, इसलिए यह स्वभाविक है कि हम दो भाइयों में मगलवास मेरा अधिक निकट का मित्र हो गया। मेरे हृदय में भी इसके प्रति बराबरी का और रोषनशास के प्रति गुरुजन जैसा भाव है। मेरे सुल-दुल की बातों का यह पहला द्योता और भागीदार बनता। सन् १९०७-८ में हमारा कुटुम्ब अत्यधिक कष्ट में था। भार्यों वार से आर्थिक संकट उभट पड़े थे। उन दिनों मेरे लिए अपने बिल को हलका करने का स्थान केवल मगलवास ही था। अपने सारथी और उमंगमेरे स्वभाव से वह मुझे प्रसन्न रखते वा यत्न करता और मेरे हृदय में आशा और उत्साह भरता रहता। बचपन में यदि मुझ ऐसे कुछ मित्रों का काम न होता, तो बड़ा होने पर अनेक लागा के साथ वा हार्दिक मित्रता मैं कर सका हूँ वह कर सकता या नहीं इसमें मुझे शक है।

इन दोनों भाइयों के साथ किशोरलाल भार्गव की यह गाढ़ी मित्रता आजीवन रही। मगलवास आजकल बम्बई हार्डवेयर में बैरिस्टर है। कुछ समय के लिए हार्डवेयर के बज भी हो गये थे। गारुशनभार्गव सर हरकिशनवाम मत्स्याल के प्राथमिक सचालक हैं।

किशोरलाल भार्गव की मैत्रीभावना के विषय में भार्गव मीलकण्ठ ने लिखा है

— “मित्रता करना उसे घातू रखना और निमाना इसकी एक ऐसी तरकीब उनके हाथ लग गयी थी कि पहल कुटुम्ब के आदमी उसके बाद पड़ोम क और शाला के साथ अनंतर अक्रोसा का बकीलमडल और अत में सार्वजनिक कार्य के शिलसिले में अनेक व्यक्तियों के साथ उनका स्नेह हो गया। उन सबके साथ वे संपर्क रखते। प्रसंगोपात् उनसे मित्रता करते। मित्रता मित्रता नहीं हो पाता उनके समाचार वे पत्रों द्वारा मँगाले। यह सब ब इतने प्रेम और उत्साह के साथ करते कि उनके हृदयों के अस्वास्थ्य के लिए यह वस्तु कुछ अंत में भारण्य भी बन जाती। परन्तु उन्होंने कभी इसे नजर नहीं समझा। यही इनके जीवन की एक कला, मुनाग और सुगन्ध थी।”

किशोरलाल भाई की सगाई का निश्चय करने में उनकी मौसी ने बहुत बड़ा भाग लिया। उन्होंने किशोरलाल भाई के लिए गोमतीबहन को पसन्द किया। ऐसा लगता है कि किशोरलाल भाई विवाह नहीं करना चाहते थे। परन्तु इस विषय में उन्होंने कोई पक्का निश्चय कर लिया हो—ऐसा नहीं जान पड़ता। किशोरलाल भाई पन्द्रह वर्ष के हो गये थे। कलिका के पहले वर्ष में वे रहे हाने। उस समय एक दिन मौसी ने किशोरलाल भाई को अपने पास बिठा कर गोमतीबहन के गुणा का वर्णन शुरू किया। लड़की काली नहीं है। उम्र में छोटी है तेरी पढ़ाई में हर्ज नहीं करेगी—इस प्रकार माँ के-से लाड-प्यार और कोमलता से उन्होंने अपनी बात रक्सी और विवाह के धारे में इनकार न करने को समझाया। किशोरलाल भाई लिखते हैं—‘मैं मौसी के लाड में आ गया और अविवाहित रहने के अपने मनोरथ को छोड़कर मैंने अपनी सम्मति दे दी। परन्तु बालूभाई ने सम्बन्ध का निश्चय करने में आपत्ति की। उन्होंने कहा—‘पिताजी की स्वीकृति के बगैर मैं यह जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं उन्हें लिखूंगा और उनका जवाब आ जाने के बाद हम बातचीत करेंगे। मौसी ने तो गोमतीबहन की माँ से मिलकर तिरुक् का मुहूर्त भी निश्चित कर लिया था। परन्तु बालूभाई की इस आपत्ति के कारण निश्चित मुहूर्त पर तिरुक् नहीं हो सका। इससे बाद यह बात एक वर्ष भागे टल गयी। इस बीच गोमतीबहन की माताजी अपना मनोरथ पूरा होने से पहले ही गुजर गयीं। गोमतीबहन के पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे। अंत में सवत् १९६३ (ई० स० १९०७) के माघ महीने में किशोरलाल भाई की सगाई पक्की हुई। उसके बाद चैत्र सुदी ८ के दिन यह सम्बन्ध पक्का कराने में उत्साह रखनेवासी उनकी मौसी भी पान्त हो गयीं। उनके धारे में किशोरलाल भाई ने लिखा है—“हमारे लिए तो मौसी ने माँ का स्थान मिष्टापूर्वक संभाला था। हमारे और उनके बच्चों के बीच किसी प्रकार भी भेदभाव रखा गया हो ऐसा हमें कभी नहीं लगा।”

यह सगाई लगभग छह वर्ष तक रही। किशोरलाल भाई के मन में इस तरह का भ्रम हो गया था कि वे केवल दीस-बकरीस वर्ष ही जीवित रहनेवाले हैं। इसलिए गोमतीबहन के प्रति कहीं जरा-सा भी प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर उनका भावी जीवन एक-पत्तिनिष्ठ नहीं रह सकेगा—ऐसा उनका खयाल बन गया था। इसलिए वे गोमतीबहन की तरफ देखते भी नहीं थे। बातचीत करना तो दूर की बात थी।

किशोरलाल भाई शिसते हैं

“संवत् १९६९ के फागुन बदी ८ के दिन हमारा विवाह हुआ। साँसिसिटर की उम्मीदबारी से मैं १६ ३ १९१९ को मुक्त हुआ और मार्च की ३० तारीख को हमारा विवाह हुआ। एल-एल० पी० की परीक्षा देना बाकी था। वह जून में होनेवाली थी। मेरी इच्छा थी कि परादा के बाल साबी होती, तो अच्छा होता जिससे यह न कहा जा सकता कि अस्पष्ट-काल के बीच में ही गृहस्थ बन गया। परन्तु मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मिन आदा की भी कि परीक्षा पूरी होने तक तो गोमती नैहर में रह सकेंगी। परन्तु वह अपेक्षा भी गमस्त साबित हुई। विवाह के दूसरे या तीसरे ही दिन मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर दिया। विवाह के एक या दो सप्ताह के अन्दर ही मुझे इन्कम्प्यूएजा हो गया। यद्यपि इसका स्वल्प मबझा देने सायब नहीं था। परन्तु डॉ० दलास ने बड़ी कड़ी सूचनाएँ दी। उन्होंने कहा कि मैं उठकर बैठूँ भी नहीं बिस्तर ता छोड़ना ही नहीं चाहिए, और राप्टी क्वाजिस्टीन (अब तो मरे मीन थे यह लेप बहुत परिचित हो गया है। परन्तु उस समय ता इमबा नाम पहले-गहल ही सुना था) तो लगाये ही रहूँ। दन राब सूचनाआ के कारण पिठाजी गामनी तथा अन्य निष्ठ के सोगा का शपाल हो गया कि बीमारी गंभीर है और वे सब बड़े चिन्तित हो गये। परन्तु पत्नीब नौ-दस दिन में ही मैं अच्छा हो गया और अपनी पढ़ाई में सम गया।

“बादी के पहले मैं हमेशा विवाहित जीवन का नियेष करता। मैं कहता था कि यह आर्त्स स्थिति नहीं है। बालूमाई के एक मित्र मेरे इन विचारों को बदसन के लिए मेरे साथ खूब चर्चा करते। तब मैं कहता कि “मैं आप सबके जीवन को बैगता हूँ। उसमें मुझे कोई आरपक तत्व नहीं दीखता। मीने आर

तक कोई आदर्श दम्पति नहीं देखे। मेरे इन विचारों में बाद के अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस मनुष्य को समाज के काम के लिए सेवामय जीवन व्यतीत करना है उसे विवाह का मोह छोड़ देना चाहिए—एसा मैं मानता हूँ। मेरी यह सलाह बहुत से माता-पिताओं को अच्छी नहीं लगती। वे कहते हैं—“क्या शादी करने पर मनुष्य देश की सेवा नहीं कर सकता? गांधीजी और आप सब शादी करके भी देश की सेवा कर ही तो रहे हैं।” परन्तु मेरे मन को हमेशा लगता रहा है कि अगर इन सवन् विवाह न किया होता तो वे अधिक कीमती सेवा कर सकते। इससे उलटी दूसरी बानू का भी मुझे अच्छा अनुभव है। अविवाहित देश-सेवकों में मैंने एक दोष देखा है। अगीकृत कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना तथा उसमें लगे रहने की दृढ़ता मेरे देखने में बहुत कम आयी है। यह भी अनुभव आया है कि कच्चे समय तक चलनेवाले काम उनके भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। इसी प्रकार विविध स्वभाववाले मनुष्यों के साथ हिलमिल कर रहने की योग्यता भी इनमें कम पायी जाती है। कई बार इनमें केवल व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की ही आदत होती है। ये सारे दोष कितने ही अविवाहित सेवकों में अवश्य पाये जाते हैं। परन्तु मेरा यह सवाल अभी गया नहीं है कि गृहस्थ के गुणावाला मनुष्य अविवाहित रहे तो अधिक अच्छा काम कर सकता है।

‘गोमती को हमेशा यह इच्छा रही है कि वह अधिक विद्या प्राप्त कर ले। परन्तु उसकी यह इच्छा अपूर्ण ही रही। प्रारम्भ में पढ़ने-पढ़ाने के प्रयत्न अवश्य हुए। परन्तु जिस प्रकार मेरा व्यायाम करने का कार्यक्रम कभी धरावर नहीं चल सका उसी प्रकार उसका भी पढ़ने का कार्यक्रम कभी निविष्ट रूप से नहीं चल सका। इसके लिए उसने अपने प्रति लापरवाही दिखाने के आरोप हमेशा मुझ पर लगाये हैं। इसके विपक्ष मेरा उत्पन्न यह आशय रहा है कि प्रारम्भ में गलत सवाल के कारण उसे पढ़ाने के मेरे सारे उत्साह को उसीने ठाँड़ दिया। अब वह जो विषय सीखना चाहती है, उन्हें सीखने के लिए उसे जो धन करना पड़ेगा उस माना में उसे जो ज्ञान मिलेगा उससे उसके जीवन का कोई उत्कर्ष नहीं हो सकेगा। उन विषयों को वह न भी पढ़े तो उसके कारण उसका उत्कर्ष खोया नहीं—ऐसी मेरे मन की प्रतीति है फिर भी उसकी इच्छा से मैं

उसे पढ़ाता तो रहता ही हूँ। पर उसे यह सब सीखना जरूरी है—ऐसा भाग्य में उत्पन्न नहीं कर सकता।”

। किशोरलाल भाई के दान्त और धिक्की स्वभाव को देखकर लोग सोचते होंगे कि उनका गृहस्थाश्रम में कभी झगड़े आदि तो होते ही नहीं रहे होंगे। परन्तु यदि बात ऐसी होती तो उनकी गृहस्त्री बिल्कुल फीकी हा जाती। जिस प्रकार थोड़ा-सा गमक भोजन को स्वादिष्ट बना देता है उसी प्रकार कभी-कभी पति-मस्ती के बीच होनेवाले छोटे-छोटे झगड़े भी उनके गृहस्थ-जीवन को मीठा बना देते रहे हैं। कभी-कभी ऐसे झगड़े घर में तेज चटनी का काम भी कर जाते हैं। परन्तु उनके जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत कम और छोटे-छाटे आय। कुछ मिलाकर उनके गृहस्थ-जीवन का वातावरण प्रसन्नता का और सहयोगपूर्ण था। बापूजी ने जिस प्रकार स्त्रियों को भूखे-थीके से बाहर निकाला उसी प्रकार दूसरी तरफ उन्होंने पुरुषों को भी घर के काम-काज में स्त्रियाँ की मदद करना सिखाया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों ने बापू जी इस शिक्षा को अपने जीवन में कम उतारा होगा परन्तु किशोरलाल भाई तो उसे पूरी तरह अपने जीवन में ले आये। भाजन बनाने पानी भरने कपड़ा धोना, बर्तन साफ करने—आदि सभी छोटे-बड़े कामों में वे धरतल भाग लेते। वे स्वयं गोमतीयहन तथा उनके साथ में रहनेवाले उनके दो भतीज—भाई नीलकण्ठ और भाई गुरेन्द्र—अपनी-अपनी दक्षिण के अनुसार छाट-बड़ बर्तन लेकर हुए पर पानी भरने जाते। इसी प्रकार सब मिलाकर नदी पर कपड़ धान तथा बर्तन साफ करने भी जाते। यह दृश्य आश्रम में सभीका ध्यान अपनी ओर खींच लेता।

इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“पूज्य काका गावरमती नदी में स्नान करके कपड़ धोकर उन्हें कंधे पर झालार केबल धोती पहने हाथ में पानी से भरी बाल्टी लटकाये बिनारे पर चढ़ रहे हैं और पीरे हाँक रहे हैं, और उनके पीछ में तथा पू० गोमतीबाबी हैं यह दृश्य आश्रम चौबीस-पैंतीस वर्ष होने पर भी मेरी आँखों से अलग नहीं हो सकता। उस समय उनका शरीर ब्रह्म हाने पर भी दृढ़ रहा था मरता था। परन्तु बचपन से कोई काम नहीं किया था फिर भी काम करने का निश्चय था

इसलिए करने ही रहते। हमारे घर में एक पुराना रिवाज था—शौच जाने पर स्नान करना। इसलिए बर्मी-बर्मी तो गरमी के मौसम में भी हम भर दोपहरी में स्नान करने के लिए नदी पर जाते। इस बात पर आश्रम के छोटे-बड़े सभी हम पर हसते। धाद में पू० बाबा पू० नाथजी के सपर्क में आये और उन्होंने जब समझाया कि इस तरह स्नान करना धर्म का अंग नहीं है तब यह सब एकदम छोड़ दिया गया और धीरे-धीरे घर के अन्य लोगों ने भी इसे छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से हमारे घर में कोई अस्वच्छता आ गयी। मुझे तो लगता है—और पू० बाबा भी कई बार कहते—कि नहाने की झंझट के कारण हम कई बार शौच जाने में धारुस कर जाते। वह अब चला गया इसलिए इससे काम ही हुआ।'

सन् १९२५ के बाद वे साबरमती आश्रम में एक साथ अधिक दिना तक नहीं रहे। उसके बाद दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा। इस कारण काम-काज में उन्हें दूसरे की मदद लेनी पड़ी। इसलिए तब से ऊमर के जैसे धूम्य भी दीखने लगे थे।

उनके गृहस्थाश्रम का मुख्य अंग अतिथि-सत्कार और परस्पर की सेवा धुश्रूपा रहा है।

दोनों हमेशा बीमार रहते। फिर भी दोनों ने अपना हंसमुख और विनोदी स्वभाव कायम रखा। किशोरलास भाई तो अतिशय वेदनाओं में भी कई बार अपनी कीमत पर विनोद करने में नहीं झुकते थे। इनके घर मेहमानों को कभी परायापन नहीं लगता था। यह इस कुटुम्ब की अपनी पुरानी परम्परा रही है।

मिलने जानेवालों का वे हमेशा बड़े प्रेम से सत्कार करते। इस विषय में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

'कोई भी परिचित व्यक्ति मिलने आता तब यदि वह उम्र में बड़ा होता तो वे अवश्य उठकर सड़े हो जाते और उसे लिषाने के लिए आगे जाते। तबीयत अच्छी न होने पर भी जाते समय उसे पहुँचाने जाते। सांताकुम्ब में जब घर पर रहते तब खेर, मुरारजी भाई, वैकुण्ठ भाई, रामेश्वरदास विद्वा आते या उनके कोई पुराने मित्र अथवा परिवार में से ही कोई आता अथवा कोई छोटा बड़ा बिलकुल मनीन व्यक्ति आता तो वे यह सब विधि किये बिना न रहते।

इसमें आश्रम होता, उसके कारण उन्हें कई बार घाव में बड़ा कष्ट भी उठाना पड़ा है। स्वामी आनंद काका चाहें या महादेवभाई में से कोई मिलता तो बड़ा प्रेम से गले मिलते। बापूजी, नापजी या बड़े भाई आते, तो उनके पैर छूत। पुराने लोगों की भाषा में कहें, तो ये दुस्य वेबचुर्लम होते थे। छाटा में मुम अथवा चि० दांता को वे आक्षीर्वाद देते। कई बार छाती से भी लगा लेते। उस समय उनसे हमें आगरमाहट और निश्चिन्तता मिलती वह बभी भुलायी नहीं जा सकती।

“बम्बई में हमारे यहाँ एक पुराना नौकर या रामभाऊ और सुन्दरीबाई नाम की एक दाई थी। मुरब्बी गोरपनभाई के यहाँ रामा नाम का एक नौकर या और एक रसाइया भी था। इन सबसे वे बड़े प्रेम के साथ मिलते और उनसे कुदाक-समाचार पूछते। बचपन में घर के नौकर-आकरों को वे नीची दृष्टि से देखते थे—ऐसा कई बार ये लोग कहते। परन्तु बाद में उन्होंने इन सारी भूमों को धो डाला था और मानवमात्र के प्रति समान भाव रखने का पूरा प्रयत्न किया।”

कभी दूसरे के घर अतिथि के रूप में आते तो लोगों इस बात का बहुत ध्यान रखते कि आतिथेय को कम-स-बम बच्य है। यही नहीं बल्कि गामठीबहन का तो इस ओर विशेष ध्यान देने का स्वभाव रहा है कि आतिथय की सुविधाओं की ओर भरपूर ध्यान रखा जाता है या नहीं।

एक बार गामठीबहन ने बापू की देख-रेख में पंद्रह दिन का उपवास किया था। उस समय किशोरलाल भाई उनकी जो सेवा करते थे वह दुस्य अनुभूत था। स्वयं किशोरलाल भाई को एक बार बुखार आया तब बापू ने उनसे उपवास करवाया। उससे बुखार तो एब हस्त में भसा गया परन्तु बमजोरी घतनी जा गयी कि लगभग आठ महीने तक वे पहले की भाँति काम करन सामक न हा सक। उपवास के इस अनुभव के बाद बानों इस गतीज पर पहुँचे थे कि प्राकृतिक उपचार घनवानों के ही होते ही भीज हैं। गरम पानी के स्नान, धारधार मिट्टी के स्पे करना और बीमार का लम्ब समय तक आराम करना—यह सब साधारण स्थिति के मनुष्य की शक्ति क बाहर भी घातें हैं। इनकी बीमारी के लिए बापू कई बार प्राकृतिक उपचार करने को कहते। परन्तु जो घातें

भासानी से हो सकतीं, उनको छोड़कर वे कभी प्राकृतिक उपचार या आयुष्य नहीं लेते थे।

दोनों एक-दूसरे की सेवा करते। परन्तु अधिकतर मौकों पर गोमतीबहन ही किशोरलाल भाई की सेवा करतीं। सेवा करते-करते वे एक प्रशिक्षित नर्स के समान अपने काम में कुशल बन गयीं। बीमार कोई चीज मांगे, उससे पहले ही उसकी जरूरत को समझकर वह चीज हाजिर कर देना, समय पर भोजन अथवा दवा देना—यह सब करने का उन्हें खूब अभ्यास हो गया। कभी-कभी सारी रात जागरण करना पड़ता। यह सारा कष्ट उठाते हुए भी उनका चेहरा हमेशा हँसमुख ही रहता। इस सेवा के अलावा दूसरे कामों में भी वे किशोरलाल भाई की मदद करती रहतीं। किशोरलाल भाई जब बीमार रहते तब उनकी डाक पढ़कर सुनातीं वे जो उत्तर लिखाते, सा लिख देतीं। कागजों की मरफक कर देतीं कागजों को फाड़ल करतीं। मतलब यह कि एक मंत्री का पूरा काम करतीं। इसके अतिरिक्त किशोरलाल भाई के विकास करमेवाले विचारों को समझ करके उनका अनुसरण करमे का भी वे प्रयत्न करतीं। इस प्रकार वे सच्चे अर्थ में सहघर्मचारिणी थीं। किशोरलाल भाई ने अपनी पुस्तक 'गांधी-विचार-योहन' गोमती बहन को अर्पण करते हुए लिखा है— 'जिसकी चिन्ता मरी मृगुषा के बगैर इस पुस्तक का लिखना और उसे पूरा करना बहुत कठिन था उस प्रिय सहघर्मचारिणी को यह अर्पित है। यह विलकुल सही है। किशोरलाल भाई के एक घनिष्ट मित्र ने बात-बात में एक बार कहा था कि 'सचमुच यह जोड़ी सबेरे उठकर पीर छूने योग्य है।

◆◆◆

इसमें जो भ्रम होता, उसके कारण उन्हें कई बार बाद में बड़ा कष्ट भी उठना पड़ा है। स्वामी जानक, काका साहब या महादेवभाई में से कोई मित्रता तो बड़े भ्रम से गले मिलते। बापूजी, नाचजी या बड़े भाई आते, तो उनके पैर छूते। पुराने सोगों की भाषा में कहें तो ये दुपय देवदुर्लभ होते थे। छोटों में भुझे अथवा बि० शांता को ब जाड़ीवाँद देते। कई बार छाती से भी लगा देते। उस समय उनसे हमें जो गरमाहट और निश्चिन्तता मिलती वह कभी भुझायी नहीं जा सकती।”

“बम्बई में हमारे यहाँ एक पुणना नीकर या रामनाथ और सुन्दरीबाई नाम की एक दाई थी। मुरम्बी गोरधनभाई के यहाँ रामा नाम का एक नीकर था और एक रसोइया भी था। इन सबसे वे बड़े प्रेम के साथ मिलते और उनके कुशल-समाचार पूछते। बचपन में घर के नीकर-बाकरों को वे नीची बृष्टि से देखते थे—एसा कई धार ये सोग कहते। परन्तु बाद में उन्होंने इन सारी मूलों को छोड़कर और मानवमात्र के प्रति समान भाव रखने का पूरा प्रयत्न किया।

कभी दूसरे के घर अतिथि के रूप में जाते तो दोनों इस बात का बहुत ध्यान रखते कि अतिथि को कम-से-कम कष्ट हो। यही नहीं बल्कि गोमतीबहन का तो इस ओर विशेष ध्यान देने का स्वभाव रहा है कि अतिथि की सुविधाओं की ओर भरपूर ध्यान रखा जाता है या नहीं।

एक बार गोमतीबहन ने बापू की देख-रेख में पंद्रह दिन का उपवास किया था। उस समय किशोरलाल भाई उनकी ओ सेवा करते थे वह वृत्त्य बधुभुत था। स्वयं किशोरलाल भाई का एक बार बुखार आया तब बापू ने उनसे उपवास करवाया। उससे बुखार तो एक हफ्ते में खसा गया परन्तु कमजोरी इतनी आ गयी कि लगभग आठ महीने तक वे पहले की भाँति काम करने लायक न हो सके। उपवास के इस अनुभव के बाद दोनों इस तर्जिमे पर पहुँचे थे कि प्राकृतिक उपचार बमबानों के ही बूते की चीज हैं। गरम पानी के स्नान बारबार मिट्टी के लेप करना और बीमार का लम्बे समय तक आराम करना—यह सब साधारण स्थिति में मनुष्य की शक्ति के बाहर की बातें हैं। इसकी बीमारी के लिए बापू कई बार प्राकृतिक उपचार करने को कहते। परन्तु वा बातें

बासानी से हो सकती, उनको छोड़कर वे कभी प्राकृतिक उपचार का आश्रय नहीं लेते थे।

दोनों एक-दूसरे की सेवा करते। परन्तु अधिकतर मौकों पर गोमतीबहन ही किशोरलाल भाई की सेवा करतीं। सेवा करते-करते वे एक प्रशिक्षित नर्स के समान अपने काम में कुशल बम गयीं। बीमार कोई चीज माँगे उससे पहले ही उसकी जरूरत को समझकर वह चीज हाजिर कर देना समय पर भोजन अपवा दबा देना—यह सब करने का उन्हें खूब अभ्यास हो गया। कभी-कभी सारी रात जागरण करना पड़ता। यह सारा कष्ट उठाते हुए भी उनका चेहरा हमेशा हँसमुख ही रहता। इस सेवा के अलावा दूसरे कामों में भी वे किशोरलाल भाई की मदद करती रहतीं। किशोरलाल भाई जब बीमार रहते तब उनकी डाक पढ़कर सुनातीं, वे जो उत्तर लिखाते सां लिख देती। कागजों की नकल कर देतीं, कागजों को फाइल करतीं। मतलब यह कि एक मर्मी का पूरा काम करतीं। इसके अतिरिक्त किशोरलाल भाई के विकास करनेवाले विचारों को समझ करके उनका अनुसरण करने का भी वे प्रयत्न करतीं। इस प्रकार वे सच्चे अर्थ में सहघर्मचारिणी थीं। किशोरलाल भाई ने अपनी पुस्तक 'गांधी विचार-बोहन' गोमती बहन को अर्पण करते हुए लिखा है— 'जिसकी चिंता मरी धूम्रपा के बगैर इस पुस्तक का लिखना और उसे पूरा करना बहुत कठिन था उस प्रिय सहघर्मचारिणी को यह अर्पित है। यह बिलकुल सही है। किशोरलाल भाई के एक भनिष्ट मित्र ने बात-बात में एक बार कहा था कि 'सचमुच यह जोड़ी सबेरे उठकर पैर धूने योग्य है।

◆◆◆

एक-एक० वी० पास करने के बाद किशोरलाल भाई के सामने दा मार्ग था। एक ता पढ़ाई-जारी रखकर सॉलीसिटर की परीक्षा देना अथवा अकोला जाकर वकालत शुरू कर देना और वकालत करते-करते सॉलीसिटर की परीक्षा के लिए अध्ययन जारी रखना। अभी कुटुम्ब की आर्थिक कठिनाई दूर नहीं हुई थी। अकोला और बम्बई के दोनों घरों का बोझ बालूभाई पर था। किशोरलाल भाई सोच रहे थे कि यदि अकोला में वकालत अच्छी चल निकले तो बालूभाई का बोझ हलका हो सकता है। उन्हें यह भी आशा थी कि वकालत करते-करते अपने अध्ययन के लिए भी वे समय निकाल सकेंगे। करीब डेढ़ मप तक उन्होंने सॉलीसिटर की परीक्षा देना का विचार नहीं छोड़ा और परीक्षा की दृष्टि से अपनी पढ़ाई जारी रखी। परन्तु ज्यों-ज्या वकालत का काम बढ़ने लगा स्वयं-स्वयं परीक्षा की तैयारी जारी रखना उन्हें असंभव लगने लगा। इसलिए सॉलीसिटर बनने का विचार छोड़ दिया।

सन् १९१३ के अगस्त में अकोला जाकर उन्होंने वकालत शुरू कर दी। बम्बई हाईकोर्ट में उन्होंने तीन वर्ष सॉलीसिटर की जो उम्मीदवारी की उसके अनुभव का लाभ उन्हें जिलाकोर्ट में अच्छा हुआ। पहले दिन से ही कोई काम नहीं हुआ। पहला मुकदमा एक बड़ी रकम की अपील का था। उसमें वे प्रतिवादी की ओर से काम कर रहे थे। इनका मुकदमा मजबूत था। फिर भी उसमें ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर विरोधी पक्ष बलीलें पेश कर सकता था। मुकदमे की तफसीलें बहुत समझी थीं और उन्हें लेकर किशोरलाल भाई को डेढ़ दो घण्टे बोलना पड़ा। अपने पहले ही मुकदमे में वे इतनी देर तक बिना किसी दोष के अपनी बलीलें अच्छी तरह पेश कर सके—इसका जिलाजज तथा वकील-मण्डल पर अच्छा असर पड़ा। इससे फसस्वरूप तीन महीने बाद वा चुनाव हुआ उसमें वे वकील-मण्डल के मंत्री चुने गये। अकोला में पिताजी की अच्छी प्रतिष्ठा थी। फिर किशोरलाल भाई आइत आदि के घंघों से परिचित थे और हिसाब-किताब की गुरियों के अच्छे जानकार थे। इसलिए पिताजी की जान

पहचान के व्यापारियों और आड़तिया के केस उनके पास आने लग गये । इसके अलावा वे अपने मुक्किलों को भी सतोप दे सकते थे । इस कारण उनकी वकालत अच्छी चल निकली । इनके द्वारा तैयार किये गये दारों के मसविदा की प्रशंसा वकीलों और जजों के बीच भी होने लगी । किशोरलाल भाई लिखते हैं— 'बड़े वकील मुझ अपने साथ सुधी-सुधी रखते । वहाँ एक अग्रज बैरिस्टर—श्रीवालय था । उसके मातहत वकील की हैसियत से काम करने की व्यवस्था पहले से ही कर ली गयी थी । इसके अतिरिक्त वहाँ के एक बड़े प्रमुख वकील के साथ भी काम करना पड़ता था ।

वकालत के साथ-साथ अकोला की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में तथा कितने ही सेवा-कार्यों में भी वे काफी भाग लेते रहते थे । वकालत शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी द्वारा जारी किये गये सत्याग्रह की मदद के लिए कोष एकत्र करने के सम्बन्ध में माननीय श्रीगोखले ने अपील जारी की । यह कोष एकत्र करने में किशोरलाल भाई ने उत्साह पूर्वक भाग लिया । श्रीमती वेसेंट की होमरूल लीग में तथा जिला कांग्रेस के कार्यों में भी वे काफी भाग लेते रहते । अकोला में उन्होंने हालिका-सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू की थी । आज से पैंतीस सालोंसे वर्षे पहलू होली का त्यौहार कितने भद्रे ढंग से मनाया जाता था—इसका स्मरण पुराने लोगों को होगा ही । इस बारे में भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

'हम स्वामी नारायण-प्रदायवाले हैं । इसलिए हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति पर लकीर-गुलाब अथवा टेसू के फूलों के पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं डाल सकते थे । उत्सव के प्रसाद के रूप में भाजन में मिष्ठान्न बनता । परन्तु अपमन्थ बालने या गन्दे सेल सेलने जैसी कोई बात नहीं होती थी । किशोरलाल काका का यह आग्रह था कि सर्वत्र इसी तरह से होली मनायी जानी चाहिए । इसलिए उन्होंने तथा वहाँ के एक-दो मारवाडी सज्जनों ने होलिकोत्सव मनाने का निश्चय किया । अपमन्थ तथा गन्दे सेलों का त्याग करने की सूचनाएँ तथा ध्वजा पताकाएँ लेकर वे जूस निकालते और भदने सेलों का कोई वायकम बनाते । सारे समाज पर, मन्दूरों और कुलियों पर भी इसका अच्छा असर हुआ ।

किशोरलाल भाई की वाणी में कभी कटुता नहीं आती थी—इसका अनुभव तो अब बहुतों को हो गया है । ऐसा भी देखा गया है कि वे कई बार सच्ची परन्तु

कड़वी बात नहीं कह सकते थे। फिर भी उनमें इतनी आक्रियता थी कि वे कट्टर सत्य इस तरह कह जाते कि सुनकर आश्चर्य होता था ही सुननेवाले के मन पर यह असर हुए बिना न रहता कि उसके पीछे उनका हेतु सर्वथा सदा ही होता था। किसीको वे मले ही उसके मुंह पर कड़वी बात कह जाते फिर भी उनके मन में उसके प्रति कभी द्वेष नहीं रहता था। इसके विपरीत जब वह आदमी उनके सर्वभाव को पहचान जाता तब वह इनका मित्र बन जाता।

कितने ही मजिस्ट्रेटों और मुन्सिफों का उन्होंने कड़ा विरोध किया। परंतु उन्हींमें से कितने ही लोगों के साथ उनकी मित्रता भी हो गयी। एक मुन्सिफ (सब जज) के विषय में किशोरलाल भाई तथा दूसरे बहुत से वकीलों का यह ख्याल बन गया था कि वह महाराष्ट्रियों और बड़े वकीलों को अधिक सहूलियतें देता है और छोटे वकीलों की बात भी अच्छी तरह से नहीं सुनता—किशोरलाल भाई ने अपनी यह राय मुकदमों की बहस के दौरान में ही उस सब-जज को सुना दी। यह सुनते ही वह एकदम गरम हो गया। बहुत से वकीलों को लगा कि अब इस अवांछित में कब्र खदना भी किशोरलाल भाई के लिए कठिन हो आवेगा। परंतु वह सज्जन अतिशय प्रामाणिक और सच्चे विश्वासके थे। उन्होंने किशोरलाल भाई के निःस्पृह और सरय चरन की उचित कद्र की। किशोरलाल भाई लिखते हैं

‘इस अदालत में मेरे तो रोज मुकदमों होते और बड़े-बड़े मुकदमों होते। फिर भी इस घटना के बाद उनके और मेरे बीच कभी झगड़ा होने का कारण उत्पन्न नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि मैंने जब बकालत छोड़ी तब व और एक अन्य मजिस्ट्रेट मेरे यहाँ भोजन करने भी पधारे। उसके बाद उन्हें बम्बई माना पड़ा तब भी मेरे घर पर वे पधारे थे और अपनी बेटी का इलाज डॉ० जीबराज मेहता से करवाना चाहते थे सो वह काम मुझे सौंप गये थे।’

एक दूसरा किस्सा अकोला के श्यामकराज बापट वकील का है। उनके विषय में किशोरलाल भाई ने लिखा है

‘वे कट्टर विलक पक्ष के थे। मेरी होमिना-सम्मोहन वाली प्रवृत्ति के उत्पादक थी देवघर आदि गोखले के पक्ष के थे। इसलिए इनकी इस प्रवृत्ति से भी बापट का तीव्र विरोध था। इसको लेकर एक बार उन्होंने मुझसे बड़ा झगड़ा किया था। परंतु मैंने जान लिया था कि वे एक प्रामाणिक आदमी हैं।

इसके बाद तो वे मेरे प्रतिष्ठ मित्र बन गये। हम लोग म्युनिसिपैलिटी में गये। उसके दोषों को दूर करने के विषय में अनेक बार हमारा विचार-विनिमय होता। कौभी स्वभाव और क्षयरोग के कारण उनकी मृत्यु जवानी में ही हो गयी, नहीं तो वे अकोला के एक अच्छे नेता बन जाते।”

अकोला के डिप्टी कमिश्नर के साथ घटी एक घटना के बारे में किशोरलाल भाई लिखते हैं

“मेरे वकासत छोड़ने के कुछ ही समय पहले अकोला में ऐसे चिह्न दिखाई देने लगे कि यहाँ जोरा का प्लेग फैलागा। पिछले वर्ष प्लेग फैला था और उसने गजब हा दिया था। इस वर्ष डिप्टी कमिश्नर ने सोचा कि प्लेग की रोकथाम के लिए पहले से ही बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने नागरिका की एक सभा की। सरकार की आर से नागरिकों के सहयोग की माँग करनेवाली यह शामद पहली ही सभा थी। उपस्थिति अच्छी थी। परन्तु डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को डाँडस बँधाने वाला और मार्गदर्शक भाषण करने के बदले अपनी सत्ता और अधिकारों का बयान करनेवाला भाषण दिया और कहा कि सूचित सावधानी की हिदायत का लोग पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दंडित होना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे बहुत घुरा लगा और मैंने सबे हाकर डिप्टी कमिश्नर के भाषण में जो उद्धतपन था उस पर खेद प्रकट किया। मैंने कहा कि जिस समय समाज पर संकट आया हुआ है उस समय उसे हिम्मत दिखाने और मदद करने की जरूरत है। उसके बदले इस तरह का रख प्रकट करने से लोग का समभाव बिगड़ जायगा और उनका सहयोग सरकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। मैं बोल रहा था कि एक प्रमुख नागरिक ने मुझसे भाषण बन्द करने के लिए कहा। परन्तु मुझे कहना पड़ेगा कि डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बगैर खके अपनी दाठ पूरी तरह से बह लेने दी और मेरा जवाब देते हुए कहा— ‘वर्षों से हम लोग सत्ताधारी रहते आये हैं, इसलिए हमारी भाषा ही ऐसी हो गयी है। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह नहीं है।’ परन्तु बाद में श्रीवाल्स द्वारा मुझे कहलाया गया कि ‘अब आगे कभी इस तरह का बर्ताव करोगे, तो बकिबर्षों का मुकाबला करना होगा। याद रखना। परन्तु अकोला के लोग ने मेरी हिम्मत पर मेरा अभिनन्दन किया।

किस्तने ही मित्रों ने यह भी कहा कि वकालत छोड़ने का तुम जगमग निश्चय कर चुके हो इसी कारण ऐसा भाषण कर सके। घामद मह वात भी सही हा।

अब कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति सुधरने लग गयी थी। बालूभाई के भाग्य चक्र ने फिर जोर मारा। उन्हें आपानी कम्पनियों का काम मिलने लग गया था। इसी वर्ष उनका परिचय जमनालालजी के साथ हुआ। उन्होंने भी अपना काम बालूभाई को देने का आश्वासन दिया। बालूभाई ने ईस्वरदास की कम्पनी के नाम से दलाही और जुगलकिशोर धनश्यामलाल के नाम से मुकद्दम का काम—इस तरह दो-दो काम शुरू कर दिये। ये दोनों काम बालूभाई को इतने लाभ दायक प्रतीत हुए कि सन् १९१६ में किशोरलाल भाई से उन्होंने आप्रह किया कि वे वकालत छोड़कर उनकी मदद के लिए बम्बई चले आयें। पिताजी को यह पसन्द नहीं था फिर भी किशोरलाल भाई वकालत छोड़कर बम्बई चले गये।

किशोरलाल भाई ने कुछ तीन वर्ष वकालत की। जिस समय उन्होंने वकालत छोड़ी, उस समय वकील-मण्डलने उनके प्रति बड़ा प्रेम प्रकट किया। जहाँ ने भी उसमें भाग लिया। उनका पहले से ही यह स्वभाव था कि जो चीज उनके सामने आती उसे वे अच्छी तरह समझ लेते। इस विषय में भाई नीरकण्ठ लिखते हैं

“कलिय की पढ़ाई पूरी करके एल-एल० बी० का अध्ययन करते हुए, रॉलीसिटर्स के यहाँ आर्टिकलर क्लर्क के रूप में रहे, तब तथा वकालत के दिनों में भी प्रत्येक पुस्तक और अपन मुकदमों के खूब एकाग्र होकर पढ़ते और उस पर मनम भरते। इसी प्रकार अपनी किताबों कापजात और फाइलें बहुत व्यवस्थित रखते। उन्होंने लगभग तीन वर्ष तक वकालत की। इस समय इनके पास जो दो क्लर्क थे वे बहुत सुध रहते क्योंकि वे स्वयं बहुत व्यवस्थित रीति से काम करते और क्लर्कों से भी इसी प्रकार काम लेते। जो मुबनिकल आते, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वकील साहब कोई गैर आदमी हैं, बल्कि एसा लगता कि वे घर के ही अपने आदमी हैं। इस गुण का उन्होंने उत्तरोत्तर उत्पन्न ही किया है। उनके पास जो जाता वह उनका आदमी बन जाता। उनकी प्रेमभरी मंद मुसकुराहट घर के हर आदमी को मित्रों को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को और अंत में व्यक्तिगत को अपनी तरफ खींच लेती। उनसे जो मिलते अथवा सलाह लेने आते वे भी उनके आदमीय बन जाते।”

दमे की बीमारी

: १० :

किशोरलाल भाई के पिताजी सूरत छोड़कर बम्बई जाने के बाद नारण-दास राजाराम की फर्म में नौकरी करने लगे। यह फर्म एक अंग्रेजी फर्म की आबत करती और बरसी गेहूँ आदि वस्तुएँ भारत से करीबकर विदेशों को भेजने का काम करती। इसलिए जहाँ-जहाँ इन वस्तुओं का मौसम शुरू होता, वहाँ-वहाँ क्षरीयदारों को भेजना पड़ता। तदनुसार पिताजी को भय में लगभग आठ महीने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में जाना पड़ता। इसी दौर-शुप में एक बार उन्हें गुल्बर्गा में लम्बी और खरत बीमारी भोगनी पड़ी। इससे उन्हें बहुत दिनों तक बड़ी कमजोरी रही और फेफड़ा को भी कुछ हानि पहुँची। कुदुम्ब में ऐसी मान्यता है कि पिताजी की इस बीमारी के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनके फफड़े कमजोर ही रहे। इस प्रकार मानाभाई और किशोरलाल भाई की फफड़ों की कमजोरी उन्हें पिताजी से बिरासत में मिली थी।

किशोरलाल भाई बफारस छोड़कर बम्बई चले सो गए परन्तु वे बालूभाई की कोई आर्थिक मदद नहीं कर सके। उनके शरीर और स्वभाव दोनों के लिए कई बाजार का काम अनुकूल नहीं पड़ा। बम्बई जाने से पहले अकासा में ही उन्हें दमा और दम घुटन के दो दौर आ चुके थे। किशोरलाल भाई लिखते हैं

“धर के भीतर बड़ी गरमी महसूस हो रही थी इसलिए मैं रात के साढ़े आठ बजे के करीब बाहर खुले में बेंच पर पड़ा था। थोड़ी देर के लिए आँसू लग गयी थी कि एकाएक मेरी नीब खुर गयी। मैंने देखा कि मैं साँस नहीं ले सकता। दम घुट रहा था। दमे का मेरा यह पहला अनुभव था। मुझे कॉफी पिलायी गयी और छाती पर अजवाइन रखी गयी। इससे यह दौर आधे-पौन घण्टे के भीतर समाप्त हो गया। परन्तु कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही दौर आया। उसके बाद अकोला में दौर नहीं आया। परन्तु बम्बई जाने पर मामूली हुआ कि दमा अब हमेशा का साथी बन गया है। दमे के शुरू-शुरू के दौरों में बहुत अधिक दम घुटता था। कई बार तो मैं जोर-जोर से सने लग जाता और उससे कुछ

हलकापन भी मालूम होता। अंगरेजी में जिस *Anaphylaxis pangis* कहते हैं उस तरह का यह दमा था—ऐसा मुझे लगता है। इसका असर कुछ ही पद्ये रहता था। एंठम खली आम के बाद लगता था कि कुछ नहीं हुआ। परन्तु अम्बई में कई बाजार की घास के कारण तथा भारी वर्षा के कारण मुझे स्थायी रूप से सर्दी रहन लग गयी। इसमें से स्लेप्नायुक्त स्वासनसिका के सकुचन और अठखार (डायफ्राम) की अड़तावासे दमे ने धीरे-धीरे मेरे शरीर में अपना घर कर लिया।”

दमे के कुछ साधे उपचारों की बातें बहुत प्रचलित रहती हैं। कोई कहता कि अमुक मनुष्य की दवा का सेवन केवल एक बार किया और दमा चला गया। अब इस कुटम्ब में दमे के तीन मरीज हो गये थे। नानाभाई, उनका बड़ा लड़का सान्ति और किशोरसास भाई। उन्होंने किसीसे सुना कि बाँसी के पास मोरछा नाम का एक स्थान है। उसके पास के एक गाँव में एक राजपूत हर रविवार को दमे की दवा देता है। उसे केवल एक बार लेने से और एक महीने के पथ्य-वासन से दमा चला जाता है। किशोरसास भाई लिखते हैं

‘जकोला के स्थान मास्टर को दमे की सिकायत थी। उसने इस दवा का सेवन किया था और वह इसकी शारीफ करछा था। हम और जकोला के एक दूसरे बकीस सासध में आकर बहाँ गये। गोमती और एक मीकर हमारे साथ था। रास्ते में नानाभाई बम से बहुत परेशान हुए। उन्हें उठाकर फ्लेटफार्म बदलना पड़ा। मोरछा स्थान से एक बोसी में डालकर उन्हें उस गाँव में ले जाया पड़ा। वहाँ उसने कुछ जड़ें पीसकर उसका एक छोटा-सा गोला बनाया और उसे पानी में घोसकर उन्हें पिसा दिया। उस दिन के भोजन में गाय के घी में पकायी पूड़ियाँ भीजकर धी-गुड़ के साथ उनका चूर्ण लेना था। दूसरे दिन सबेरे के भोजन के लिए पहले दिन ही चावल पकाकर उसमें बस डालकर उस रातभर घाहर रस दिया गया था। दिसम्बर का महीना था। सबरे चार बजे के करीब पड़ोस के एक कुएँ पर जाकर स्नान करने के लिए हमें कहा गया। नानाभाई के अमर गुरन्त ही दवा का इतना असर हुआ कि वे घसने-फिरने लग गये। यही नहीं बल्कि सबरे बहाँ जाकर स्नान करने का साहस भी उनमें आ गया। नहा लेने के बाद उस पके हुए भात में से पानी निकालकर उसमें गाय का दही

मिलाकर सबको खाने के लिए दिया गया। छह-साढ़े छह घंटे तक यह सब निपट गया और हमें छुट्टी मिल गयी। मानाभाई स्टेशन तक अर्थात् लगभग चार मील पैदल चले आये। एक महीने तक गाय का घी, दूध ब्रह्मचर्य और दूसरे कुछ पथ्य पालन करने के लिए कहा गया था। दवा के लिए हम तीना से तीन तीना आने घर्मादाय के रूप में रखवाये गये। परन्तु सेकेण्ड क्लास का रेल-किरया और अन्य खर्च—इस तरह फुल मिलाकर कोई दो सौ रुपये हमारे खर्च हो गये। दवा का काम केवल क्षीतकाल भर रहा। उसके बाद हमारी स्थिति 'जस-की-तस' हो गयी। आगे के वर्णन में आश्रम के प्रति आकर्षण के बीज अनजान में किस तरह पड़ गये, इसका वर्णन है।

"सौसी से लौटने के बाद गोमती के साथ मैं वापस बम्बई चला गया। उसके कुछदिन बाद गोमती, मैं नीलू और निर्मला (बाबूभाई के पुत्र और पुत्री) गढ़वा जाने के लिए निकले। वापस लौटते हुए ब सारंगपुर, अहमदाबाद, खेड़ा (किशोरलाल भाई के चाचा के पुत्र श्रीवरजीवनदास वहाँ सिविल सर्जन थे) उमान, बड़ताल आदि स्थानों पर होते हुए लगभग सवा महीने में बम्बई लौटे। अहमदाबाद में उस समय कोचरव में सत्याग्रहाश्रम था वहाँ भी गये। दूसरे आश्रमों और मविरो में पाँच-दस रुपये भेंट रखते आये थे उसी प्रकार यहाँ भी पाँच रुपये भेंट के रूप में रख दिये।

'बम्बई लौटन के कुछ दिन बाद खेड़ा में मुरब्बी वरजीवन भाई बीमार हो गये। इसलिए फिर वहाँ गया। वहाँ मैं महीना-सवा महीना रहा। वहाँ मुझे समाचार मिला कि श्री चंद्रलाल काशीराम दवे आश्रम में रहन के लिए गये हैं। वे तो केवल दो-चार दिन के लिए ही वहाँ गये थे परन्तु मैं समझा कि वे आश्रम में शामिल हो गये हैं। वे मेरे मित्र थे। इसलिए मैंने आश्रम के उद्देश्य नियम, ध्येय आदि के विषय में उनसे जानकारी मँगायी। वह उन्होंने भेजी। मुझे एसा लगा करता था कि मैं बम्बई में नीरोग नहीं रहूँ सकूँगा। इसलिए एक तरह तो ऐसे विचार उठते कि अकोला जाकर मुझे फिर वकासत शुरू कर देनी चाहिए और दूसरी तरफ मन में राष्ट्र का काम करने की अभिलाषा भी जाग पयी थी।"

परन्तु इसके लिए तो एक स्वतंत्र प्रकरण लिखना होगा।

पिताजी के कुछ सस्मरण

: ११ :

किशोरलाल भाई के नानाजी ने अपनी लड़कियाँ महास्वासा कुटुम्ब में दीं, तो अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रत्येक लड़की को बम्बई में एक मकान करीबने के लिए कुछ दिया जाय। तदनुसार अपने मृत्यु-पत्र में इस काम के लिए प्रत्येक लड़की को उन्होंने पंद्रह हजार देने की व्यवस्था कर दी। सूरत की नौकरी से पिताजी को सन्तोष नहीं था। उन्हें स्वभाव से ही नौकरी प्रिय नहीं थी। इसलिए सूरत छोड़कर वे बम्बई जाकर बस गये यद्यपि वहाँ भी कुछ वर्ष तो उन्हें नौकरी करनी ही पड़ी। जाम पड़ता है कि पिताजी की भाँति अन्य सब चाचा भी बम्बई में जाकर बस गये। हाँ वे सब एक साथ गये हों—ऐसा नहीं लगता। एक के बाद एक गये और जैसे-जैसे वहाँ पहुँचे, अलग-अलग मकान लेकर रहने लगे। जब आत्माराम काका और पिताजी बम्बई गये तब नानाजी ने दोनों के लिए एक-एक मकान लेकर रख लिया था।

हम जानते हैं कि बम्बई में पिताजी ने मारणवास राजाराम की फर्म में नौकरी कर ली थी। इस नौकरी में उन्हें बहुत अधिक धूमना पड़ता था इसलिए उन्हें यह पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने सोचा कि कोई अनुकूल स्थान ढूँढ़कर वहाँ अपना कोई निजी धन्धा शुरू करना चाहिए। अपने दौरे के बीच इस काम के लिए उन्हें अकोला उपयुक्त जाम पड़ा और वहाँ जाकर वे बस गये। यह घटना किशोरलाल भाई के जन्म के एकाध वर्ष पहले या बाद की होनी चाहिए। वहाँ उन्होंने शुरु में मारणवास राजाराम की फर्म के आड़-ठिवा के तौर पर काम शुरू किया। परन्तु कुछ समय बाद आड़ठ छोड़ दी और जुगलनिघोर पनस्यामलाल के नाम से स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर लिया। किस्तान आरापास के माँवो से अपना मास अकोला की मण्डी में बेचने के लिए लाते। उसे वे बाजार में बिकवा देते और उसकी कीमत चुकवा देते। इसके मेहनतान के रूप में वे दहासी ले लेते। इन लोगों के साथ उन्हें पाड़ा-सा भेज-वेम का व्यवहार भी करना पड़ता।

किशोरलाल भाई ने अपने विवरण में लिखा है "लेन-वेन में अथवा आइस में पिताजी से जिन-जिन का सम्बन्ध हुआ पिताजी की प्रामाणिकता के कारण उनका इस कुटुम्ब के साथ आबद्धक उसी प्रकार का थरेलू सम्बन्ध बना हुआ है। पिताजी ने यह काम पंद्रह-सोल्ह वर्ष तक किया। परन्तु इस बीच एक बार भी उन्होंने अदालत में कदम नहीं रखा। इस कारण उनका बहुत-सा पसा डूब भी गया। परन्तु ऐसे भी बहुत-से उदाहरण हैं, जिनमें बर्जवारों ने मियाद के बाहर का कर्म भी ईमानदारी के साथ चुका दिया। मेरी बकाएत में इनमें से कितने ही आवमियों ने मेरी मदद की है। इसी कारण मेरी बकाएत जल्दी जमने लगी थी। धार्मिक और चारिष्यवान पुरुष के रूप में अकाला में पिताजी की प्रतिष्ठा प्रथम पन्ध्र के पुरुषों में थी। नानाभाई ने इस प्रतिष्ठा में सासी वृद्धि की। उनके असामियों में एक अपढ़ मुसलमान किसान था। पिताजी का उसके साथ निजी मित्र जैसा सम्बन्ध था जो अंत तक कायम रहा। वह मुसलमान था तथापि उसकी सज्जनता प्रामाणिकता निर्मलता आवि गुणों के कारण पिताजी के दिल में उसके बारे में कभी भेदभाव पैदा नहीं हुआ।

किशोरलाल भाई ने अपने संस्मरणों में लिखा रखा है

"अकोला में पिताजी ने प्रारम्भ से ही एक निर्मय व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। यूरोपियन फर्मों के गोरे मैनेजर कई बार केवल अपनी चमड़ी के रंग के कारण अधिक सल्लिख्यते प्राप्त करने में सफल हो जाते। परन्तु अन्य व्यापारियों के साथ उनका व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता। पिताजी के मन में थोड़ी चमड़ी के प्रति तिरस्कार तो नहीं था परन्तु उन लोगों से वे रस्तीमर भी दबते नहीं थे। उनके साथ भी व दूसरों के समान ही व्यवहार रखने का आग्रह रखते। दूसरे व्यापारी 'साहबों' से डरते और उनसे झुककर रहते। राखी भवसी के यूरोपियन मैनेजर ने पिताजी को बहुत तग और परेशान करने का यत्न किया। परन्तु पिताजी ने उसकी एक न बलने दी। अंत में उसे पिताजी के साथ समझौता करना पड़ा और वह उनका मित्र बन गया। पिताजी ने इसके साथ जा टककर ही उसके कारण लोग उन्हें 'अकोला का घोरे' कहने लगे थे।

"अंत तक उनका स्वभाव तेज रहा। वे असत्य को कभी बरदास्त नहीं कर

पिताजी के कुछ सस्मरण

: ११ :

किशोरलाल भाई के मामाजी ने अपनी सड़कियाँ मराठवाला कट्टूम में दीं तो अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रत्येक सड़की को बम्बई में एक मकान खरीदने के लिए कुछ दिया जाय। तानुसार अपने मृत्यु-व्रम में इस काम के लिए प्रत्येक सड़की को उन्होंने पंद्रह हजार देने की व्यवस्था कर दी। सूरत की नौकरी से पिताजी को सन्तोष नहीं था। उन्हें स्वभाव से ही नौकरी प्रिय नहीं थी। इसलिए सूरत छोड़कर वे बम्बई जाकर बस गये मद्यपि वहाँ भी कुछ वर्षों उन्हें नौकरी करनी ही पड़ी। जाम पबता है कि पिताजी की मौलि अन्य सब भाजा भी बम्बई में जाकर बस गये। हाँ वे सब एक साथ गये हों—ऐसा नहीं लगता। एक के बाद एक गये और जैसे-जैसे वहाँ पहुँचे अलग-अलग मकान सेकर रहने लगे। जम आत्माराम काका और पिताजी बम्बई गये तब मामाजी ने दोनों के लिए एक-एक मकान सेकर रख लिया था।

हम जानते हैं कि बम्बई में पिताजी ने नारणदास राजाराम की फर्म में नौकरी कर ली थी। इस नौकरी में उन्हें बहुत अधिक धूमना पड़ता था इसलिए उन्हें यह पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने सोचा कि कोई अनुकूल स्थान ढूँढ़कर वहाँ अपना कोई निजी बन्धा शुरू करना चाहिए। अपन दोरों के बीच इस काम के लिए उन्हें अचोसा उपयुक्त जान पड़ा और वहाँ जाकर वे बस गये। यह घटना किशोरलाल भाई के जन्म के एकादश वर्ष पहले या बाद की होनी चाहिए। वहाँ उन्होंने शुरू में नारणदास राजाराम की फर्म के आइ-टिया के तौर पर काम शुरू किया। परन्तु कुछ समय बाद आइत छोड़ दी और जुगलकिशोर घनस्यामलाल के नाम से स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर दिया। कित्नाम भासपास के गाँवों से अपना माल अचोसा की मण्डी में बेचने के लिए लाते। उभे वे बाजार में बिकवा देते और उसकी कीमत चुकवा देते। इसके मेहनतान के रूप में वे इलाकी ले लेते। इन लोगों के साथ उन्हें थोड़ा-सा लेन-देन का व्यवहार भी करना पड़ता।

किशोरलाल भाई ने अपन विवरण में लिखा है "स्विट्ज़ेन में अथवा आकृत में पिताजी से जिन-जिन का सम्बन्ध हुआ, पिताजी की प्रामाणिकता के कारण उनका इस कुटुम्ब के साथ आज तक उसी प्रकार का धरेलू सम्बन्ध बना हुआ है। पिताजी ने यह काम पंद्रह-सोलह वर्ष तक किया। परन्तु इस बीच एक बार भी उन्होंने अदालत में कदम नहीं रखा। इस कारण उनका बहुत-सा पसा डूब भी गया। परन्तु ऐसे भी बहुत-से उदाहरण हैं, जिनमें कर्जदारों ने मियाद के बाहर का कर्ज भी ईमानदारी के साथ चुका दिया। मेरी बचालत में इनमें से कितने ही आदमियों ने मेरी मदद की है। इसी कारण मेरी बचालत अस्ती जमान लगी थी। धार्मिक और धारिभ्यवान पुरुष के रूप में अकाला में पिताजी की प्रतिष्ठा प्रथम पक्ति के पुरुषों में थी। नानाभाई ने इस प्रतिष्ठा में खासी वृद्धि की। उनके असामियों में एक अपढ़ मुसलमान किसान था। पिताजी का उसके साथ निजी मित्र जैसा सम्बन्ध था, जो अंत तक कायम रहा। वह मुसलमान था तथापि उसकी सज्जनता, प्रामाणिकता निमलता आदि गुणों के कारण पिताजी के दिल में उसके बारे में कभी भेदभाव पैदा नहीं हुआ।

किशोरलाल भाई ने अपने सस्मरण में लिखा रखा है

"अकोला में पिताजी ने प्रारम्भ से ही एक निर्भय व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। यूरोपियन फर्मों के गोरे मनेजर कई बार केवल अपनी बमड़ी के रय के कारण अधिक सहायित्व प्राप्त करने में सफल हो जाते। परन्तु अन्य व्यापारियों के साथ उनका व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता। पिताजी के मन में गोरी बमड़ी के प्रति तिरस्कार तो नहीं था परन्तु उन लोगों से वे रक्षीभर भी बचते नहीं थे। उनके साथ भी वे दूसरों के समान ही व्यवहार रखने का आग्रह करते। दूसरे व्यापारी 'साहबों' से डरते और उनसे झुककर रहते। शाली भवसी के यूरोपियन मनेजर ने पिताजी को बहुत तंग और परेशान करने का यत्न किया। परन्तु पिताजी ने उसकी एक म चालने दी। अंत में उसे पिताजी के साथ समझौता करना पड़ा और वह उनका मित्र बन गया। पिताजी ने इसके साथ जो टक्कर ली उसके कारण लोग उन्हें 'अकोला का धर' कहने लगे थे।

"अत तक उनका स्वभाव तेज रहा। वे असत्य को कभी बरदास्त नहीं कर

स्वभाव और प्रेममये बर्तन की छाप इन युवकों पर पड़े बिना नहीं रहती। हर तरह हमारे यहाँ उत्तमी ही आजादी प्रेम और शांति का अनुभव करता जितनी अपने माता-पिता के पास उसे मिलती। यही नहीं बल्कि वह अपने घर पर रहने की अपेक्षा हमारे यहाँ रहना अधिक पसन्द करता। पिताजी के समय हमारे घर का वातावरण ऐसा रहता था। यह वातावरण विचार पूर्वक अर्थात् प्रयत्नपूर्वक रक्खा जाता हो ऐसी बात नहीं। पिताजी का तो यह स्वभाव ही था। बाहर के इतने आदमी हमारे घर में रहते और आजादी से घूमघाम सकते थे कि इसे देखते हुए घर के वातावरण में वा पवित्रता पामी जाती थी, उसे आश्चर्यजनक ही मानना चाहिए।

‘शिक्षापत्री की स्पष्ट आज्ञाओं और समाज की मर्यादाओं के पालन में पिता जी अत्यंत सावधान थे। किसी भी युवक को पर-स्त्री के साथ र्मा बहुत अपभवा रुझकी के साथ भी एकान्तवास नहीं करना चाहिए—इस आज्ञा का वे अक्षरवा-पासन करते और कराते थे। चौदह वर्ष की मेरी एक छोटी बहन जिस कमरे में थी, वहाँ एक पवित्रित पुस्तक खला गया तो वह स्वयं उठकर बाहर नहीं बसी गयी—इस मूल पर पिताजी ने उससे उपवास कराया था। विषवा स्त्री से कभी स्पर्श हो जाता तो वे एक बार का मोनन छोड़ देते थे।

‘माँ की मृत्यु के बाद पिताजी का जीवन विशेष उदासीन बनता गया ऐसा लगता है। तब से अनेक नैटुम्बिक आपत्तियाँ आरम्भ हो गयीं। जबान लड़के-लड़कियों की मृत्यु, यन्त्रे का बन्द होना सर्व ठका कर्म का बोझ—इन सबने पिताजी को चिंता और दुःख में डाल दिया। सन् १८९८ से लेकर १९१४ तक के लगभग सोलह बर्य पिताजी तथा बामूमार्ई के लिए अत्यंत सकट और सभर्षों के बप थे। पिताजी का उत्रेग प्राप्त था। इन विपत्तियों का ईस्वरुपीन और दैवाधीन समझकर धायद वे उदासीन से हो गये थे। विवाह और चिन्ता बामूमार्ई को भी थी परन्तु वे अत्यंत पुरपार्षी और प्रयत्नशील रहे। इसलिए अठ में नाव किनारे लग गयी।

‘सबम् १९०६ (ई० स० १९१६) की वार्षिक बरी सप्तमी को पिताजी ने शरीर छोड़ा। इसके आठ महीन पहले य प्रायः बिस्तर पर ही पड़े रहे। गल किन्ती प्रकार का नहीं था—एमा लगता था परन्तु शरीर का प्रत्यक अंग मानो

बीना हो गया और प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति क्षीण हो गयी। मृत्यु के पहले-वाले माघ या फागुन में मैं पिताजी को अकोला से बम्बई ले आया। मेरा खयाल है कि उस रोज टोपीवाला की विस्मिन्न में पिताजी को कुर्मी पर बैठाकर जो ऊपर की मञ्जिल में ले गये तो फिर वे जीवित अवस्था में नीचे नहीं उतरे।

अगस्त १९१६ में मैंने वकासत छोड़ी और गोमती तथा मैं बम्बई आये। बम्बई में पिताजी की दुःश्रुता का काम ही मुख्य हो गया। वे प्रायः मेरे हाथ से ही भोजन करते। परन्तु अपनी छोमवृत्ति के कारण उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने के काम को मैंने गँवा दिया। अकोला में मेरे दो मुकदमे बाकी रह गये थे। उनके लिए मुझे वहाँ बार-बार जाना पड़ता था। दिवाली के तुरन्त बाद मैं अकोला गया। उस समय पिताजी की स्थिति गंभीर तो थी ही परन्तु बीमारी ऐसी नहीं थी कि दो-तीन दिन के लिए बाहर न जा सकूँ। मैंने सोचा था कि मैं दूसरे ही दिन वापिस लौट आऊँगा। परन्तु मुकदमा ऐसा स्कन्द-स्कन्द चला रहा कि पन्द्रह-सत्रह दिन अकोला में ही बीत गये। बम्बई से जो समाचार आते उनसे बीमारी की गंभीरता का ठीक-ठीक अनुमान नहीं हो पाया। मेरे अकोला में पड़े रहने पर गोमती मुझे बराबर दोष देती रहती। मुकदमे की जिस दिन आखिरी पेची थी उस दिन बम्बई से एकाएक तार आया कि पिताजी की अंतिम घड़ी आ गयी। मैं अचानक में गया। जज से बातचीत की और दूसरे वकीलों का सूचना दे रहा था कि इतने में घर से आदमी मुझे बुलाने के लिए आ गया। मैं समझ गया। घर पर मृत्यु के सम्बन्ध में दूसरा चार पहुँच गया था। (कार्तिक वदी^१ ७ सं० १९७३ ता० १७-१२-१९१६) इस प्रकार घनलोभ के कारण अंतिम समय में मैं पिताजी की सेवा से वंचित रह गया।”

एक शायरी में भीचे लिखी टिप्पणी मिलती है

‘दूसरे दिन सवरे मैं बम्बई पहुँचा। अभी तक मन शान्त था। परन्तु घर पहुँचते ही जीना चढ़ते-चढ़ते हृदय भर आया और रोना आ गया। परन्तु पूरी शान्ति नहीं हुई। अभी भी मन में क्या रहा है कि जी भरकर रो लूँ, तो अच्छा हो। परन्तु कौन जाने क्या हो गया है विल में एक अजीब कठोरता आ गयी है।

समस्त मुझमें उस समय होती था शायद मैं अपनी भक्ति को पिताजी और मित्र की ओर निर्णक भाव से बहने देता । उससे इष्टदेव के प्रति मेरी भक्ति भी अधिक शुद्ध और दृढ़ हो जाती । हुआ यह कि पिताजी और मित्र के प्रति अपने नैसर्गिक प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि से मोह मान लिया । इसलिए इस प्रेम को वहाँ से हटाकर सहजामंदस्वामी के प्रति बबरवस्ती मोड़ने का प्रयत्न करता रहा । अर्थात् दूसरे की भक्ति में अपने-आपको मुझा देने के बदले अपने स्वत्व को बड़ान में ही मेरा साध प्रयास होन लगा । इस भूल से उत्पन्न कई दोष हमेशा के लिए मुझमें बन रहे । उस समय पिताजी और मित्र के लिए अपने-आपको अर्पण कर देने की जो शक्ति मुझमें थी वह आज उस प्रमाण में मैं अपने अन्दर नहीं पा रहा हूँ । पिताजी अगर बीबित होते तो सार्वजनिक काम में पढ़ने के लिए मैं आश्रम में गया हाता या नहीं—यह प्रश्न मेरे मनमें अब उठता है तो ऐसा निश्चित उत्तर नहीं मिलता कि मैं अबश्य ही चला गया होता । यह तो निश्चित है कि उनके मन को जरा-सा भी दुःख होता तो मैं नहीं जाता । बापू का अकळब सेने में मैंने देखा कि पिताजी की कमी की पूर्ति हो रही है और मुझे सगुणा है कि अत में यही निर्णायक कारण बन गया ।

“यह भी समझ है कि परोक्ष इष्टदेव के प्रति और प्रत्यक्ष पिताजी और मित्र के प्रति इस प्रकार मेरी भक्ति बँट गयी तो कामदायक ही हुई । इष्टदेव के प्रति मेरी भक्ति इतनी तीव्र न होती था शायद पिताजी का विमोग मुझे मूढ़ बना देता और संसार में प्राणीमात्र के भाग्य में कृष्ण वियोग सहने की शक्ति मुझमें न आ पाती । परन्तु इष्टदेव की भक्ति और उनके धाम में श्रद्धा—इन दोनों न मुझे ऐसा बल दिया कि मैं बचपन से ही किसी भी स्तही की मृत्यु का सह सकता था । यही भक्ति सगुण साकार के स्थान पर निर्गुण निराकार के प्रति होती तो ? यह प्रश्न विचार करने योग्य है । मैंने इसका निवेदन अपनी ‘जीवन साधन’ नामक पुस्तक में किया है ।

“बचपन से मेरा यह वैदिक कार्यक्रम था कि जब हम एक साथ होते था मैं पिताजी के साथ ही उठता साता-पीता और सब काम करता । प्रायः मैं उन्हीं माप सोकर उठता उनके साथ ही नहाता और उन्हींके साथ पूजन भी करता । मंदिर में रिश्तदारों के यहाँ अथवा बाजार में भी उन्हींके साथ जाता ।

बड़ताल भी दो-तीन बार उन्हींके साथ गया। भोजन के समय भी अपना पाटा उन्हींके पास रखवाता। वे न होते तब भी मैं उन्हींकी घाली में भोजन करने की ज़िद करता और उसे अपना हक समझता। पिताजी जब कहीं दूसरी जगह जाते तब मैं अपना यह हक मानता कि सबको काम-काज के बारे में मुझसे ही सूचनाएँ लेनी चाहिए। इस तरह मैंने अपने-आपको पिताजी का उत्तराधिकारी बना लिया था। अनेक छोटी-बड़ी बातों में मैं पिताजी का अनुकरण किया करता। उनका बहुत सूक्ष्म आदतों में मैं अपने में लाने का यत्न करता। उन्हें जो भजन कण्ठस्थ होत उन्हें मैं भी कण्ठस्थ कर लेता। पिताजी मंदिर में झूला बाँधने जाते तो उनके साथ मैं भी जाता। उन्होंने एक बार यह नियम किया कि जब तक 'षष्टा' के भजन पूरे न हो जायें तब तक मन्दिर में ही रहें। मैं भी इसमें उनके साथ रहा। इस तरह सभी बातों में पिताजी का साथ देने में कई बार मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ जाती।

'दो-तीन बातों में पिताजी की और मेरी रुचि में भेद था। मौकरो के प्रति व्यवहार के बारे में मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात खाने-पीने के स्वाद की है। पिताजी के स्वाद सुसंस्कृत और सूक्ष्म थे। मुझे स्वाद में बहुत रुचि न थी। उन्हें सागों और नमकीन आदि का शौक था। तरह-तरह की भजियाँ भूठिया पातरा आदि उन्हें बहुत पसन्द थे। मुझे ये सब अच्छे न लगते थे। मुझे मीठा अधिक पसन्द था। पिताजी तबला आदि बाजों के साथ भजन करवाना बहुत पसन्द करते। अकोला में भगवानजी महाराजको एक षष्टा भजन करने के लिए रक्त किया था। शुरू में ऐसे भजनों के प्रति मेरा विरोध था। बम्बई में मैं हिण्डोला एकादशी आदि के उत्सवों में पिताजी के साथ अवश्य जाता था। परन्तु यह खोर मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता था। एक-दो भजन होने के बाद मैं हठ करता कि अब इन्हें बन्द करके कथा शुरू करें। कथा में भी बचनामृत का बाधम मुझे चुष्क लगता। निर्गुणवासजी की बातें भक्तचिन्तामणि आदि कहानियोंवाली पुस्तकें मैं पसन्द करता और आग्रह करता कि वे ही पुस्तकें पढ़ी जायें। इसका कारण मेरी छोटी उम्र ही थी। बाद में तो भजन और बचनामृत भी मुझे अच्छे लगने लगे।

“पिताजी के बिना घर द्रव्य सना लगता रहता। कितने

को बच्चों के बिना घर सूना लगता है। मुझ घर में कोई बृद्ध पुत्र्य हो—जिनकी थोड़ी-बहुत सेवा करनी हो—तो प्रसन्नता होती है। बूढ़ों के प्रति मेरे मन में जो भाव हैं उनका परीक्षण करने पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दो तरह की भावनाएँ हैं। एक तो मैं उनके सामने अपने-आपको बच्चे के रूप में देखता हूँ। दूसरी यह कि वे मानो मेरे सामने बच्चे के समान हैं और मैं उनके सुख-सुविधा की चिन्ता करनेवाला कोई बुजुर्ग हूँ। मैं शिक्षक का काम करता था और बच्चों का सहवास मुझे प्रिय था फिर भी मैं बच्चों को अपने अधिक निकट नहीं ला सका था। इसी प्रकार बच्चों के बिना मुझे बहुत सूना-सूना लगा हो—ऐसा भी अनुभव मैंने नहीं किया। परन्तु पिताजी के बिना मुझे बहुत बुरा लगता। आज उनके अभाव में बूढ़ों तथा सुल्बनों के प्रति मेरी वृत्ति एक प्रकार से पिता के समान ही है। कोई भी बृद्ध पुत्र्य मेरी कोई छोटी-बड़ी सेवा करते हैं तो मुझे लगता है मानो वे मुझे दाय में बाँध रहे हैं।

“मुझ पर पिताजी का जो प्रेम था उसका वर्णन मैं कैसे करूँ? मैं उनका साइला बेटा था और उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एक बार इलाज के लिए मैं एक-बेड़ महीना बडतास में रहा। तब पिताजी मेरे साथ रहने के लिए बडतास आये। उस समय मेरे लिये उन्हें जो चिन्ता हो रही थी, उसका वर्णन करना कठिन है। प्रत्येक पितृभक्त पुत्र को अपने पिता के बारे में ऐसा ही लगता होगा। फिर भी मुझे ऐसा ही सम्यता है कि सायब ही किसी के पिता ऐसे होंगे। उनके विमोग के कारण मैं घर की तरफ से उदासीन हो गया और उनकी खगह को भरने के लिए मैंने बापूजी का सहारा लिया। उन्होंने इसे पूरा भी किया। इसमें भी सन्देह नहीं कि पिता की योग्यता में बापूजी मेरे पिताजी को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बापूजी और मेरे बीच विचार भेद तथा दृष्टि भेद तो हैं ही। परन्तु रुचि-भेद नहीं बचवा नहीं के बराबर ही समझिये।”

हम देख चुके हैं कि सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रति उत्साह तथा सत्य और न्याय के लिए लड़ने और कष्ट सहने की तैयारी—ये गुण किशोरलाल भाई को अपने कुटुम्ब से विरासत में ही मिले थे। प्रारम्भ में वे जातिसेवा का काय भी करते थे। भाई नीलकण्ठ लिखते हैं

“बम्बई में झारोला जाति का एक विद्योत्तेजक फण्ड था। उसके इनाम देने के समारम्भों की योजना का सारा काम पू० किशोरलाल भाई करते। जाति का जो भी विद्यार्थी परीक्षा में पास होता, उसका नाम मँगाया जाता। उसे इनाम में भी जानेवाली पुस्तकों का निश्चय करना उन्हें रस्सी से बंधवस्थित रीति से बाँधना समारम्भ के लिए निमन्त्रण-पत्रिकाएँ भेजना, अध्यक्ष बनना यह सारा काम प्रायः वे अकेले ही करते। एक बार ऐसे समारम्भ के अध्यक्ष श्री हिम्मतराल गणेशजी अंबारिया हुए, जो उन दिनों शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर थे। मुझे याद है कि उन्होंने काकाजी की व्यवस्था-शक्ति की बहुत प्रशंसा की थी।

किशोरलाल भाई को राष्ट्र के काम में रुचि कैसे पैदा हुई, राष्ट्रीय नेताओं की ओर वे किस प्रकार आकर्षित हुए तथा उनके संपर्क में आये और धापूजी के पास चम्पारन किस प्रकार गये इस सम्बन्ध में किशोरलाल भाई ने खुद ही लिख रखा है

“मुझे ऐसा लगता है कि वेसमक्ति और स्वदेशाभिमान के संस्कार बचपन से ही मेरे मन में पुष्ट हुए हैं। सन् १९०५ में बंगाल के टुकड़े किये गये। इसे लेकर देश में स्वदेशी का आन्दोलन सड़ा किया गया। उसका असर हम सभी भाइयों पर पड़ा। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और तिलक महाराज के भाषण पढ़-सुनकर हमारे सारे कुटुम्ब ने स्वदेशी की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं थी। जीवन के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हों, वे सब स्वदेशी ही लीयें और यदि ऐसी चीजें स्वदेशी में मिल सकें, तो उनके बगैर काम

बतायें—एसी हमारी प्रतिज्ञा थी। कठोर आग्रह के साथ क्यों तक हमने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। पुराने कपड़ों के बदले कभी-कभी काँच के प्यास जैसी चीजें यदि घर में खरीदी जाती तो हम उन्हें फोड़ डालते।

‘दादाभाई नौरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी गोखले आदि को मैं माधु-सन्तों के समान पूज्य मानता। जिस प्रकार जपन संप्रदाय के प्रसिद्ध और पवित्र साधु सन्ता के सत्संग के लिए मैं प्रयत्न करता उसी प्रकार इन लोगों का सत्संग और संपर्क पाने की मैं मुझ बड़ी अभिलाषा रहा करती थी। परन्तु बापूजी से पहले ऐसे किसी प्रथम पक्ति के नेता के परिचय में खाने का सौभाग्य मुझ प्राप्त नहीं हो सका। वेष्ट की सेवा में अपना जीवन समर्पित करनेवाला मैं सबसे पहले मेरा परिचय श्री देवधर से हुआ। उसके बाद भारत-सेवक-समाज (छवैष्टम् ऑफ इण्डिया सोसायटी) के अन्य सेवकों से भी मेरा परिचय हुआ।

‘साम्प्रदायिक साधुओं में ब्रह्मचारी श्री मुनीश्वरानन्दजी, अनन्तानन्दजी स्वामी श्री हरचरण दासजी रघुवीरचरण दासजी रामचरण दासजी आदि के उपदेशों का मुझ पर बड़ा गहरा असर पड़ा है।

‘अकोला में मैं बकासत करता था तब माननीय श्री गोखले और सर किंगेज दाह मेहता की मृत्यु हो गयी। गोखले की मृत्यु स मुझे अतिशय दुःख हुआ। मैं अभी उनके सीधे संपर्क में नहीं आया था। कॉलेज के दिनों में केवल एक बार मैंने उनका अराजनीतिक विषय पर भाषण सुना था। परन्तु उसीसे मेरे मन में उनके प्रति अत्यधिक पूज्यभाव पैदा हो गया। मुझ समा कि उनकी मृत्यु स भारत अत्यन्त अभाग्य हो गया। पिताजी को किसी प्रकार मेरे इन विचारों का पता लग गया। उसके बाद वे बम्बई गये। वहाँ स उन्होंने इतना ही लिखा कि ‘यदि सेवा में ही जीवन-अर्पण करना है तो धर्म के द्वारा—अर्थात् स्वामी नारायण-संप्रदाय की सेवा में—जीवन अर्पण करन के विचार का पोषण करना’। इस आदेश को मैंन अपने हृदय में धारण कर लिया। पिताजी को सहानुभूति पत्रे लिए कोई ऐसा पैसा—सामान्य-बल नहीं था। नानाभाई की तो ऐसी बात में सहानुभूति थी ही। धाकूभाई की भी हमदर्दी रहती। परन्तु आर्थिक कठिनाइयों और इनकी चिन्ता उन्हें एक विचार पर स्थिर नहीं रहन देनी थीं। उनका मन हमेशा दुबिया में रहा करता।

पिताजी की मृत्यु ने कुटुम्ब के साथ मुझे बाँध रखनेवाले एक बन्धन को तोड़ दिया। वकालत छोड़कर मैं बम्बई आया, तब भारत-सेवक-समाज का बफ़्तर हमारे पडोस में ही था। उसके साथ मेरा सपर्न बढ़ गया। मैं वी० ए० में था तभी से श्री देवधर मुझे सल्लाहते रहते थे। अकोला से बम्बई आने के बाद मैं ठककर बापा के सपक में आने लगा। इंदुलाल याज्ञिक भारत-सेवक-समाज में गये तब मैं अकोला में वकालत करता था। परन्तु वे एक वर्ष नागपुर में रहे। इस कारण एक-दो बार वे मुझसे मिलने के लिए आये थे। वे मेरे पुराने मित्र थे। इस प्रकार भारत-सेवक-समाज के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। परन्तु बाद में मेरा उसके प्रति यह मोह कुछ कम हो गया। अकोला में और बम्बई में मुझे एक अजीब अनुभव हुआ। तिलक और गोखले के अनुयायी ऐसा मानते थे कि दूसरे पक्ष की निन्दा किये बिना या उससे लड़ बिना अपने पक्ष की जीर वेषा की संवा नहीं हो सकती। मैं गोखले की पूजा अवश्य करता था परन्तु मेरे मन में तिलक के प्रति भी बहुत भारी आदर था। अकोला में इनके अनुयायी भी मेरे मित्रा में थे। जिस प्रकार गोखलेपक्ष के श्री महाजनी के साथ मैं काम करता उसी प्रकार तिलकपक्ष के श्री बापट के साथ भी खन्डी तरह काम कर सकता था। इस कारण मुझे लगा कि भारत-सेवक-समाज के साथ मेरी पटेंगी नहीं। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में काम करने का पिताजी का आदेश तो था ही। भारत-सेवक-समाज में देश के लिए त्याग करने की भावना अवश्य थी परन्तु मुझ समता था कि मेरी कल्पना के अनुकूल धर्म-भावना का उसमें सर्वथा अभाव है।

किशोरलाल भाई ने बापू का नाम पहले-पहल कब सुना और वे उनके प्रत्यक्ष परिचय में कैसे आये—इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है

“बम्बई के हाईस्कूल में मैं अगरेजी की पाँचवी कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र लगभग १६ वर्ष की रही होगी। तभी मैंने पहले-पहल बापू का नाम सुना। बापू के सबसे बड़े लडके हरिलाल गांधी मेरे ही वर्ग में पढ़ते थे। एक बार हमारे संस्कृत शिक्षक विद्याधियों से दूसरी बातें कर रहे थे। तब हरिलाल ने कहा था कि वे क्षीघ्र ही शाला छोड़ देनेवाले हैं क्योंकि उन्हें बधियन अफिजा जाना है। वहाँ उनके पिता वीरिस्टर हैं। वे वहाँ अगरेजी

मुंबराती, तमिल आदि तीन-चार भाषाओं में एक साप्ताहिक पत्रा रहे हैं।
—यह बात वहीं रह गयी।

“इसके बाद वस वष बीत गये। मैं बकीरु बनकर अकोला गया। उस समय दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह की रुढ़ाई अपनी आखिरी मंजिल पर थी। वहाँ की सड़कों से अक्षवार भरे रहते थे। स्वर्गीय गोल्लेजी ने तथा भारत के उस समय के बाइसराय ने उनका पत्र लिया था। जगह-जगह सभाएँ हा रही थीं और लड़ाई की सहायता के लिए पन्ना भी इकट्ठा किया जा रहा था। एक उस्ताही मौजवान के रूप में मैंने भी उसमें हाथ बँटाया था। गांधीजी के साथ मेरा यह दूसरा परिचय था।

‘इसके बाद फिर चार वर्ष बीत गये। मैं बम्बई में था। गिरमिट-प्रथा का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। वक्ताओं में गांधीजी का भी नाम था। मैं तथा मेरे बड़े भाई ऐसी सभाओं में जाना नहीं भूलते। हम दोनों बहाँ गये। गांधीजी का भाषण मैंने पहली बार सुना। वे अगरेजी में तथा गुजराती में भी बोले थे। मुंबराती ठेठ काठियावाड़ी थी। सभा समाप्त होने पर गांधीजी समुद्र के किनारे घूमने के लिए चले गये। मैं तथा मेरे बड़े भाई भी उनके पीछे पीछे हो सिये। श्री पोलक गांधीजी के साथ थे। समुद्र के किनारे से वे गांधीजी में श्री रेवाचकर जगजीवनराम के घर गये। हमें भी अपने घर सौटना था। इसलिए उन्हें प्रणाम कर हम भी चले आये। इस समय श्री पोलक ने हमें संबोधित करके कहा—*The faithful two*—दो भद्रात्सु।

“हम घर पहुँचे और भोजन किया। इतने में ठक्कर बापा का संदेश आया कि गांधीजी भारत-सेवक-समाजवाले मकान में आनेवाले हैं। अगर तुम सोना आना चाहो तो जा जाओ। हम तुरन्त बहाँ गये। गांधीजी ठक्कर बापा श्री शंकरलाल धेकर तथा अन्य एक दो व्यक्ति वहाँ थे। हम भी पीछे की कुर्तियों पर आकर बैठ गये। आशम के मकान बनाने के बारे में बातें चल रही थीं। गांधीजी की राय थी कि एकदम कच्चे झोपटे बनाये जायें। ठक्कर बापा ‘सर्वेंट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी’ में सहीक हो पय थे फिर भी अपना इजीनियरी का धन्धा भूल नहीं स। उनकी दलील यह थी कि कच्चे मकानों की धार-धार मरम्मत करनी पड़ती है। इसलिए बरत में आकर वे पहले मकानों

के समान ही महँगे पड़ जाते हैं। फिर सार्वजनिक मकान जहाँ तक समभव हो मजबूत होने चाहिए। गांधीजी की राय यह थी कि भले ही पाँच-दस वर्षों में मकान फिर से नया बनाना पड़े, तो भी सस्ते मकान बनाना अधिक अच्छा। सरकारालय बँकर की मूमिका एक दूसरी ही थी। उनकी दलील यह थी कि भारतीय हमेशा के लिए क्षोभों में ही रहें—यह वे पसन्द नहीं करते। उनकी महत्वाकांक्षा यह थी कि प्रत्येक भारतीय को अच्छा और पक्का मकान मिले। इसलिए गांधीजी को सस्ते मकान बनवा करके सरकार भिसाल नहीं पेश करनी चाहिए। अन्त में आश्रम के मकान तो पक्के ही बने। गांधीजी सेवाश्रम गये तब क्षापकों में रहने की अपनी कमिलापा पूरी कर सके।

‘मुझ भाव नहीं कि उस दिन बापू से मेरा परिचय कराया गया था नहीं। बड़े भाई को तो परिचय की जरूरत भी नहीं थी। अगली कांग्रेस में वे बापू के साथ ही ठहरे थे। उस कांग्रेस में बापू का चश्मा खो गया था और बालू-भाई का चश्मा उन्हें लग गया। इसलिए बालूभाई ने उन्हें वह दे दिया। उस समय बालूभाई को क्या पता था कि वे आगे चलकर अपने भाई को ही अर्पण कर देंगे और अंत में वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा संपूर्ण परिवार बापू को अर्पित हो जायगा।

‘दो एक दिन बाद भारत-सेवक-समाज के मकान में कुछ भगिया की एक सानगी सभा बापू से मिलने के लिए रखी गयी थी। ठककर बापा ने सूचना भेज दी थी। इसलिए हम तीना भाई इस सभा में गये और भंगियों के साथ मिलकर बैठे। हमारे लिए यह कुछ नया ही अनुभव था। ‘कुछ’ इसलिए कह रहा हूँ कि ईसाई हरिजनों के साथ तो हम अकोला में मिलते थे। मेरे पिताजी तथा मैंसे भाई का स्थानीय मिशनरियों के साथ काफी सम्बन्ध था और अपने कारखान में वे हरिजनों को रखते भी थे। परन्तु हिन्दू भंगियों के साथ सटकर बैठने का यह पहला ही प्रसंग था। पर सौटने पर हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि हमें महाना चाहिए या नहीं? बालूभाई को अभी पूजन करना था। इसलिए उन्होंने तो महाने का निश्चय किया। नानाभाई ने कहा कि मैंने तो भोजन भी कर लिया है। इसलिए केवल कपड़े बदल लूँगा। मैंने हाथ धोकर संतोष कर लिया।

“इसके बाद एक दिन फिर भारत-सेवक-समाज के ही कार्यालय में ठककर बापा से मरी भेंट हो गयी। उस समय बापू ज्वारन में थे। वहाँ स्वयमेवक भोजन के वारे में ठककर बापा के पास बापू का एक पत्र आया था। वह उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया और पूछा कि मैं वहाँ जा सकूँगा? मैं तुरन्त ‘हाँ’ कह दिया। फिर दफ्तर गया और बालूभाई से इजाजत माँगी। उन्होंने कुछ आनाकानी की। परन्तु इजाजत दे दी। फिर घर जाकर गोमती से बात की। अगर मैं उसे भी साथ ले जाऊँ, तो ज्वारन जाने में उसे आपत्ति नहीं थी। परन्तु मुझे अकेला जान देने के लिए वह तैयार नहीं थी। हम दोनों जाना चाहते हैं— वह ठककर बापा से कहने में मुझ बड़ा संकोच हो रहा था और बापू से मह बात पृच्छवाने की छो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस रात हमारे बीच कुछ कहामुनी भी हुई। परन्तु मैं अपनी बात पर बड़ा रहा। गोमती ने राजी सुनी अपनी समति नहीं थी। फिर भी मैं सबरे की गाड़ी से बेतिया जाने के लिए रवाना हो गया।

‘मुझे दिन में दो-बार चाय पीने की आदत थी यद्यपि खाने-पीने में अब तक मैं पुरानी परम्परा का बड़ा आग्रही था। सभा-सम्मेलनों में जाता तो वहाँ फल भी नहीं लेता था। फिर भी स्टेशनों पर और होटलों में दूसरा के जूठ प्यालों में बिबन्बाली ‘शाह्यापी’ चाय पीन की आदत डाल ली थी। बतिया जाते हुए बड़े स्टेशनों पर चाय बचनेवालों को डूबा। परन्तु युक्तप्रदेश में गरमी के दिनों में बड़े स्टेशनों पर भी ‘शाह्यापी’ चाय बचनेवाले नहीं मिले। मुझे रात को लखनऊ में ठहरना था। गाड़ीबाला मुझे एक हिन्दू लॉज में ले गया। रात हो गयी थी। खाना खाने की इच्छा नहीं थी। इसलिए चाय मँगायी। होटलवाले ने मेरे लिए खास ठौर पर चाय बनवायी। गुजरत काठियावाड में तो छोटा-से-छोटा गाँव भी बिना चायवाला नहीं मिलेगा। इसलिए मुझ यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लखनऊ जैसे बड़ा सहर के एक प्रतिष्ठित माने जानवाले होटल में चाय कैसे नहीं मिल सपी। वहाँ के लोग चाय बनाना भी क्या जानें? मुझे जो चीज पीन के लिए दी गयी थी वह चाय के नाम पर कोई काढ़ा जैसा था। वह पीकर मैं छा गया। मैंने यह छो मान ही लिया था कि बेतिया में चाय नहीं मिलेगी और मुझ को इसकी आदत हो गयी थी। चाय न मिसत्री

तो मुझे कुछ भी नहीं सूझता, सिर चढ़ जाता। फिर भी वह छूटती नहीं थी।

“दूसरे दिन सबेरे दस बजे बेतिया पहुँचा। बापू से मिला। नहाने-घोने के बाद बापू ने मुझे बुलाया और पूछा— “अन्दूलाल दवे के मेज पत्र के लेखक आप ही हैं? मैंने कहा— “जी हाँ”। इसके बाद उन्होंने स्वामी मारायणीय ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ चर्चा की। उसका मेरे विचार पर कोई असर नहीं पड़ा। परन्तु परिचय न होने के कारण मैंने अधिक चर्चा नहीं की। इस चर्चा की मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी और मैं उसके लिए तैयार ही था। फिर मेरे स्वास्थ्य का देखकर बापू ने यह आश्चर्य प्रकट की कि मैं अपारण में काम नहीं कर सकूँगा। उन्होंने सुझाया कि यदि आपका राष्ट्रीय काम करना ही है, तो आप आश्रम पर जायें। वहाँ एक राष्ट्रीय शाला है। उसमें काम करें। फिर आश्रम की शाला के विषय में सक्षम में सारी बात समझायी। घर की स्थिति के बारे में पूछताछ की। यदि मैं अपने सच से शाला में काम कर सकूँ तो अच्छा नहीं तो निर्वाह-व्यय देने की बात भी कही। वहाँ क्या सर्ज लगेगा इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। बापू ने कहा कि तीन जनों के लिए मासिक ४०) काफ़ी होंगे। कुछ भौंदू तो बना ही परन्तु सोचा कि गुजरात में जीवन सस्ता होगा। बापू को मैंने एक धार्मिक पुरुष और इसलिये भोला नक़्त वैसा समझ लिया था। परन्तु उन्होंने जिस बारीकी के साथ मेरी जाँच की उसे देखकर मेरे विचार एकदम बदल गये। मैं जान गया कि उन्हें भोला समझने में मेरा अपना भोलापन था। मुझे यह भूलना नहीं चाहिए था कि वे बतिया और वकील दोनों थे। परन्तु इससे बापू ने प्रति मेरे मन में आशय जरा भी कम नहीं हुआ उल्टे बढ़ ही गया। भोले नहीं हैं इसलिए जालाक और घूट है— ऐसा मुझे जरा भी नहीं लगा।

बापू ने मुझसे आग्रह किया कि मुझे आश्रम पर जाकर राष्ट्रीय शाला में काम करना चाहिए। उन्हें लगा कि अपारण में काम करने के सामक़ मेरा पारीर नहीं है। इसलिए उन्होंने सुझाया कि मैं पहली ही गाड़ी से रवाना हो जाऊँ। इससे मुझे निराशा तो हुई, परन्तु उनकी आज्ञा गिरोधार्थ्य करने के सिवा कोई चारा नहीं था। घोपहर में बालूभाई का पत्र भी बापू के पास पहुँच

गया। उसमें उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता दिखायी थी और मामरी को भेजने की इच्छा भी प्रकट की थी। इससे तो वापू का निर्णय अब और भी पक्का हो गया। मैं यह भी कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे सीट पान की आज्ञा दे दी। मने उनसे कहा कि आधम की झाला में काम करने के विषय में विचार करके मैं अपना निर्णय बम्बई से आप को सूचित करूँगा परन्तु उन्होंने मुझे अपने जाल में तो पूरी तरह खींच ही लिया था।

दूसरे दिन दोपहर में मैं लौटा। रास्ते में एक रात छपिया में मैं ठहरा। सहजानं व स्वामी की धम्मभूमि की यात्रा की। वहाँ से फिर रुसनऊ हाता हुआ थापिस बम्बई आ गया। रुसनऊ में फिर उसी हाटक में ठहरा। परन्तु इस बार पाय नहीं मँगायी। रास्ते में मैंने पाय छाड़ देने का निश्चय कर लिया था। उसके बाद कई वर्ष तक मैं पाय नहीं ली। हाँ इससण्या की बीमारी के बीच कुछ दिन भी थी। उसके बाद १९२८ की सम्बन्धी बीमारी में फिर पाय पीना शुरू किया। तब से लगातार निवमित रूप से पीता हूँ। पाय को पुनः पुनः करम में दो-तीन मनोवृत्तियो ने काम किया है। पाय छोड़ने से सबेरे और शाम को—भास तीर पर सबेरे का—कुछ गरम पेय लेना छूट गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे अनुभव हुआ कि कुछ-न-कुछ गरम पेय सिम्मे जगिर भरा काम नहीं चल सकता। मसाले का काड़ा गहूँ की काफ़ी गेहूँ के आटे की राव पुन्व के बीजों की काफ़ी—इस तरह एक के बाद एक कई प्रयोग किये गए। कुछ समय तक केवल दूध ही सेना रहा। परन्तु केवल दूध अनुकूल नहीं आया। बहुत दिन तक तो वह मुझे भाया भी नहीं। सभी पेय शारीरिक अङ्गन भयवा रीयारी सम्बन्धी कोई-न-कोई असुविधा सृष्टी कर देते। आसपास के जिन लोगों ने पाय छोड़ दी थी उन्होंने प्रायः बूद क बीजाँ की काफ़ी सेना शुरू कर दिया था। यह भी सच भी दृष्टि से सस्ती नहीं थी। फिर इसके विपरीत परिणाम पाय से किसी प्रकार कम नहीं दिखे। इसमें पट की अफरा और सम्पत्ता पाय और भी अधिक होती थी और बीमारी में तो काफ़ी की अपेसा पाय ही अधिक अनुकूल मालूम होती। पाय-मागलों में मजदूरों पर अत्याचार होते हैं। यह एक नैतिक पहलू अवश्य था परन्तु वह तो काफ़ी पर मैं भागू हाता है। इसलिए पाय और काफ़ी के बीच भेद करना मुझ भाई सार नहीं लगा। पाय को

ही छोड़ना हिताकर है। दोनों मुझे अक्षरते हैं। फिर भी किसी स्फूर्तिवायक पेय की आवश्यकता तो रहती ही है।

‘बम्बई पहुँचने पर सबके साथ बातचीत की। वरजीवन भाई को भी लिखा। अगर साथ में ले जा सकूँ तो गोमती का विरोध तो था ही नहीं। परन्तु बधा छोड़कर मेरा आश्रम खाना बालूभाई को नहीं जँबा। वरजीवन भाई की राय यह थी कि पहले एक वर्ष के लिए जाऊँ और देखूँ कि वह अनुकूल पड़ता है या नहीं। इस पर बालूभाई सहमत हो गये। यह भी तय हुआ कि बालूभाई का बड़ा रुबका नीरुकण्ठ हमारे साथ जाय। बाद में तो उनका छोटा रुबका सुरेन्द्र भी वहाँ आ गया।

‘अमी मैं व्रगन्तिर-भोजन के लिए तैयार नहीं हो सका था। स्वयं मुझे इसमें कोई अनीति नहीं मालूम होती थी परन्तु मुझे ऐसा लगता था कि जो काम मैं कुलेआम नहीं कर सकता, उसे खानगी छौर पर करने में पाप है। फिर मैं उन दिनों यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि व्रगन्तिर-भोजन में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। हूँ लोग दरगुजर कर लें—वह बात असल्य है। इसलिए आश्रम में भोजन करने के लिए मैं तैयार नहीं था।”

किशोरलाल भाई आश्रम में किसीको नहीं खानते थे। परन्तु उनके एक परिचित मेरे भी परिचित थे। उन्होंने किशोरलाल भाई के सामन मेरा उस्सल करत हुए कहा कि मैं दो-एक महीने से आश्रम में आया हूँ। मैं उन्हें पत्र बूँया। फिर मैंने किशोरलाल भाई को पत्र दिया कि आप आश्रम आयेँ तब मेरे साथ ही रहें। मुझे आश्रम के चौके में भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आश्रम पर गया तमी से वहाँ भोजन करने लग गया था। परन्तु सुविधा की दृष्टि से मैंने तथा प्रो० साकरुपन्द साह ने—वे भी आश्रम की शाला में काम करने के लिए आये थे—आश्रम के पास ही एक स्वतंत्र मकान किछये पर ले रखा था। किशोरलाल भाई जब आश्रम में आये तब मेरे पास ही ठहरे और जब तक दूमरा घर नहीं मिला तब तक हमारे साथ ही भोजन करते रहे। उन्हें देखकर और उनके साथ बातचीत करते ही मैं उनकी ओर आकर्षित हो गया और तमी से वे मेरे श्रेय मित्र और मार्गदर्शक बन गये।

आश्रम की राष्ट्रीय शाखा में किशोरलाल भाई जिस समय शामिल हुए, उस समय उन्हें शिक्षण का कोई विद्यार्थी अनुभव नहीं था। और यों तो हम शिक्षकों में काकासाहब को छोड़कर अन्य किसी भी शिक्षक को कोई अनुभव नहीं था। हमारी मुख्य महत्त्वाकांक्षा थी बापू के मातहत काम करना थी। उन्होंने भारत में आकर राष्ट्रीय शिक्षण का प्रयोग शुरू किया और उसमें शारीक हान के लिए हमसे कहा। तब हमने सोचा कि अच्छी बात है। यदि इस प्रकार गांधीजी के साथ काम करने का अवसर मिलता है तो यही सही। काकासाहब की स्थिति हम सबसे सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय शिक्षण के कई प्रयोग किये थे और कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्तिनिकेतन में काम करके विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिए उनके पास राष्ट्रीय शिक्षण की एक निश्चित दृष्टि थी। हमारी शाखा में आचार्य के स्थान पर प्रो० साकलचन्द्र साहू थे, तथापि शाखा की नीति-निर्धारण का तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का काम काकासाहब ही करते। बिनोबा उन विमो बेदों के अध्ययन का काम को पूरा करने के लिए बापू से आज्ञा लेकर वाई गये थे। लगभग एक वर्ष बाद वे लौटे। तब नीति-निर्धारण के काम में वे भी योग देन लगे। बापू अपनी और इस प्रयोग में मुख्यतः काकासाहब की ही जिम्मेदार समझते थे। संगीत-शास्त्री पंडित चन्दे, हरिहर भाई मट्ट, पुणतराम भाई तथा अण्णा साहब पटवर्धन शाखा शुरू होने पर एक-दो वर्ष के भीतर ही उसमें शामिल हुए थे।

हमारी शाखा के विषय में भाई भीमचण्ड लिखते हैं

“राष्ट्रीय शाखा का काम आश्रम के पास के एक बंगले में चलाया। प्रमुखास गांधी गिरिधारी कुपालानी कान्तिशाल परीस प्रीतमसाल महता और में इन तरह पाँच बड़े विद्यार्थी और आश्रम-वासियों के इस-न्यारह दूसरे बच्चे—इस तरह कुल पंद्रह विद्यार्थी हमारी शाखा में थे। श्री किशोरलाल

काका नरहरि भाई, साकलचन्द्र शाह काकासाहब तथा फूलचन्द भाई—
हमार शिक्षक थे। ऐसा याद पड़ता है कि काकासाहब तथा नरहरि भाई के
साथ पू० काका शिक्षण के विषय में चर्चाएँ करते और धीरे-धीरे अपने विचार भी
स्थिर करते जाते। वहाँ से फिर आश्रम सादरमती चला गया। वहाँ प्रारम्भ
में तो हम तम्बुओं में रहते थे। फिर झोंपड़ियाँ बनाकर उनमें रहने लगे। रुग्णभग
डेढ़ वर्ष में मकान तयार हो गये। तम्बुओं में रहते समय वर्षा होन पर सामान
को उठाकर यहाँ से वहाँ रखना पड़ता। स्नाना पकाकर रखते तो उसे कुत्ते
ला जाते या बिगाड़ डालते। इन सब बातों से गोमती काकी बहुत सग आ जातीं।
तब काकासाहब उन्हें समझाते। सारा काम-काज खुद ही करना पड़ता था।
इसलिए काका दमे के दौर में भी काम करते जाते और हाँफते जाते। उनकी
तबीयत अच्छी न रहती फिर भी वे सेती की छोटी जगह में पानी देते
सबरे जल्दी उठकर प्रार्थना में जाते। इस तरह का सारा काम वे आग्रहपूर्वक
विला नागा करते। मैं और चि० सुरेन्द्र उनके पास दो वर्ष रहे। हम भी उनके
काम में यथाशक्ति सहायता करते। अपने स्थायक काम करते और पढ़ते भी।

विश्वोरसाल भाई अपने विषय में लिखते हैं

‘मैं जब कलिय में था तभी से मेरा दिल प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट
हो गया था। इंटर अथवा जूनियर बी० ए० में था तब इस विषय पर मैंने एक
निबन्ध भी पढ़ा था और मुझे याद है कि उसमें मैंने पाठ्यक्रम की एक योजना
भी बतानी थी। मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी धार्मिक शिक्षण औद्योगिक
शिक्षण और ग्रामजीवन का सुधार—ये विषय उसमें मैंने रखे थे। यह
निबन्ध स्वभावतः उन दिनों जैसी मेरी बुद्धि थी उसीके अनुसार और बड़
मार्ग के अनुसार लिखा गया होगा—ऐसा मेरा स्वभाव है। शिक्षण का अनुभव
तो था ही नहीं। इसलिए दूसरों के विचारों का दोहन अथवा तर्क द्वारा उसमें
कुछ शोभन ही किया होगा। परन्तु शिक्षण के क्षेत्र में अपने जीवन को छगाने
की अभिलाषा का पोषण उस समय से ही मन में होता रहा है। परन्तु यह
कल्पना तो थी नहीं कि जीवन का प्रवाह इसी दिशा में मुड़गा। गांधीजी
के सपर्क के कारण पुरानी अभिलाषाएँ जागृत हो गयीं।

विश्वोरसाल भाई आश्रम की शाला में सरीक हो गये फिर भी स्वामी

नारायण संप्रदाय के मार्फत सेवा करने के विषय में पिताजी के आदेश को वे भूले नहीं थे। एक वर्ष बचवा बकरल हो तो अधिक समय भी राष्ट्रीय शाला में काम करके कुछ अनुभव प्राप्त करके संप्रदाय के द्वारा एक विद्यापीठ की स्थापना करनी चाहिए—इस तरह की भी अभिलाषा उनके मन में थी। परन्तु कुछ ही वर्षों में उन्होंने देख लिया कि संप्रदाय का वातावरण इस तरह की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। संप्रदाय के साधुओं अथवा संप्रदाय के प्रमुख गृहस्थों में से उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था।

स्वामीनारायण-संप्रदाय द्वारा नियत आभार के अनुसार किशोरलाल भाई नियमपूर्वक पाठपूजा आदि करते। कॉलेज में जाते समय भी तिलक लगाकर जाते और उसके बीच में पाई के आकार की कुमकुम की एक बिन्दी लगाते। आश्रम में जाने पर भी उन्होंने यह प्रथा जारी रखी थी। पूजा करने से ठाकुरजी के सामने निवेदन के लिए पाली रखते और कहते—

जमो पाठ जीवन जाळें बारी ॥

धुजो कर चरण बरो स्यारी ॥ जमो० ॥

जेसो भेल्या बाजाठ वासी ।

बटारा कंधन नी घासी ।

जले मर्या भबु घाखासी ॥ जमो० ॥

(हे भगवन् जीमिये मैं आप पर निछावर हो रहा हूँ। हाथ-पीर धाकर तैयारी कीजिये। देखिये आपके लिए पीढ़ा बिछा दिया है। इस पर बिरानिय। सीने की पाली और बटोरे में भोजन परासा है और स्वच्छ मोटे में जल भी रख दिया है।)

य पंक्तियां वे ऊँचे स्वर में गाते। इन्हें सुनकर हमें कुछ तमागा-सा लगता। बूखी ओर किशोरलाल भाई जैसे तीव्र बुद्धि बावी पुण्य की इतनी भाटी भडा देखकर आश्चर्य भी होता।

भोजन के विषय में पंक्तिभेद अभी उन्होंने छोडा नहीं था—यह तो पहले ही कहा जा चुका है। कोचरब में तो आश्रम के पास एक किराये के मकान में हम रहते थे। परन्तु उन दिनों बहमशाबाद और कोचरब में भी बहुत ओरों का प्लेग फैला था। इन्हीं दिनों साबरमती आश्रम के लिए बापू ने जमीन

खरीदी थी। उस समय वहाँ एक भी मकान नहीं था और न कोई जरे पेड़। फिर भी गांधीजी ने चम्पारन से लिखा कि शहर में भयंकर प्लेग फैला है इसलिए आश्रम के सभी लोगों को नयी खरीदी हुई जमीन पर जाकर रहने लगना चाहिए। इसलिए जमीन साफ की गयी। कहीं से चार तम्बू छाये गये। उन्हें सजा करके हम सबने उनमें रहने का निश्चय किया। बीके के लिए सिरकी का एक मण्डप तैयार कर लिया। १९१७ के जुलाई या अगस्त मास में, जब वर्षा का सासा ओर रहता है, हम लोग वहाँ रहने के लिए गये। काचरब में हम में से जो लोग अलग रहते थे, वे भी अब संयुक्त चौके में ही भोजन करने लगे। परन्तु किशोरलाल भाई तो हर किसी आदमी का पकाया हुआ भोजन खा नहीं सकते थे। एक तम्बू के चार कोनों में काकासाहब, किशोरलाल भाई, मै तथा फूलचंद भाई रहते थे। गोमतीबहन तम्बू के अपने कोने में अपना खाना अलग पकाने लगीं। हम सबके पास सामान बहुत ही कम था। दोना समय का भोजन ब सबेरे ही पका भेटीं। परन्तु शाम का भोजन समालकर रखने का कोई साधन उनके पास नहीं था। इस कारण कई बार तो कुत्ते आ जाते और उनका भोजन खा जाते अथवा सूकर बिगाड़ देते। वर्षा आती सब सामान इधर से उधर रखना पड़ता।

अपने कुटुम्ब की प्रथा के अनुसार स्वामीनारायण के मंदिर में दर्शन के लिए जाने का नियम किशोरलाल भाई ने बराबर जारी रक्खा। इस बारे में भाई नीरुक्कण लिखते हैं

‘आश्रम में आने से पहले कोचरब से और फिर सावरमती से भी हम रविवार को, एकादशी के दिन सास सौर पर अन्य उत्सवों के दिन वहाँ क स्वामीनारायण-मंदिर में बराबर जाते। काचरब से या सावरमती से खाना होकर हम वापिस लौटते तब तक बककर भकनाघूर हा जाते।

अतिथय व्यवस्थित और नियमपूर्वक काम करनेवाले के रूप में हमारी धाला में—और सास सौर पर विद्यार्थियों में—किशोरलाल भाई की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वे गणित वहीखाता गुजरती आदि विषय पढ़ाते। जब तक किशोरलाल भाई ने धाला में काम किया तब तक धाला के सभी वर्गों के समय पत्रक तैयार करने का काम वे ही करते रहे। चाहे बितने ही प्रारम्भिक वर्ग को

पढ़ाना हो परन्तु आज क्या पढ़ाना है इसका ये पहले से विचार कर लेते और वर्ग में जो नयी-नयी जानकारी देनी होती उसका निश्चय पहले से कर लेते। हमारे कितने ही विद्यार्थियों को ऐसी आपत्त थी कि वे जिसक से निम्न-निम्न प्रश्न पूछकर समय-मग्नक में निश्चित विषय का छोड़कर दूसरी ओर खींच ले जाते। हम भी सोचते कि विद्यार्थी के मन में जिस समय किसी विषय की जिज्ञासा जागृत हो उसे उसी समय तृप्त कर देना चाहिए। परन्तु इससे नियत विषय एक आर रह जाता और अनेक बार सारा समय दूसरी ही बातों में चला जाता। परन्तु कोई विद्यार्थी किशोरलाल भाई को इस तरह दूसरी बातों में नहीं उलझा सकता था। विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर एक-दो वाक्यों में देकर वे तुरन्त प्रस्तुत विषय पर आ जाते और विद्यार्थियों का भी स आते। इस कारण उनके बग में कभी ऐसा नहीं हो पाया कि निश्चित पाठपत्रम पूरा न हो सका हो। विद्या विद्या की कानियों को देखना हाता तो उन्हें देखकर वे अवश्य ही समय पर लौटा देते। उनकी इस नियमिता का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ता। दिया हुआ काम पूरा किये बिना शायद ही कोई विद्यार्थी उनके बग में जाता। विद्यार्थियों पर उनकी एक प्रकार की धाक रहती। परन्तु इसके साथ ही विद्यार्थियों के समग्र जीवन के विषय में और उनकी प्रगति के विषय में प्रम पूर्वक वे इतना ध्यान रखते कि वे विद्यार्थियों के विशेष प्रीतिपात्र बन जाते।

सन् १९१८ में अपनी शाला के सभी विद्यार्थियों के साथ हमने आबू की वंदल यात्रा की थी। जाते समय काकासाहब मैं और विनोबा अपने साथ पत्रह विद्यार्थियों को लेकर साबरमती से पदल आबू गये। किशोरलाल भाई तथा पंडित सरे छोटे विद्यार्थियों और कुछ बहनों को लेकर ट्रेन द्वारा आबू गये। लौटते समय किशोरलाल भाई तथा गोमतीबहन पाँच विद्यार्थियों को साथ लेकर आबू से पदल साबरमती आय गये। इस प्रवास में उन्होंने विद्यार्थियों का जितना ख्याल और उनकी संभाल रखी उससे सभी विद्यार्थी उन पर मुग्ध हो गये।

इतने पर भी किशोरलाल भाई को लगता रहता कि वे पढ़ाना नहीं जानते, क्योंकि वे अपने को बहुयुक्त नहीं मानते थे अथवा उन्हें पढ़ाना ही कुछ नहीं आती थी। अपने बारे में उन्होंने यह भी मत बना लिया था उसमें स्पष्ट है कि वे

कितनी कड़ाई से आत्म-परीक्षण करते थे और अपने लिए कितना ऊँचा नाप रखते थे। उनके दिल में यह बात बहुत गहरी पैठ गयी थी कि शिक्षक अथवा माता-पिता अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपना जीवन सुधारना चाहिए और उन्हें सस्वारी बनाना चाहिए। 'बिच्छवणीना पाया' (शिक्षण की धुनियाद) नामक अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है

"आश्रम की शाखा के प्रयोग के दिना में हमने अपने कुटुम्ब के कुछ बालकों को साथ में रखा था। आश्रमवासियों के बच्चे भी थे। कुछ और लोग ने भी अपने बच्चे हमें सौंप दिये थे। मैंने देखा कि कितने ही पितामा ने अपने बच्चा से तग आकर उन्हें आश्रम में भेज दिया था। उन्हें अपन बच्चों से सन्तोष नहीं था और वे चाहते थे कि हम उन्हें सुधारें। अभिभावक के साथ वातचीत करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि बाप-बेट के बीच जो असंतोष था तथा लड़का में जो दोष थे उनका असली कारण घर का वातावरण ही था। पिता को लड़कों की इच्छावा जमगों सब मनोरञ्जन आदि किसी बात से सहानुभूति नहीं थी। वे (अभिभावक) सुद मनमाने ढंग से रहते और जो भी मैं माता सो करते रहते। मैं ही मैं जो आता वह बक भाते और लड़का का अपमान करते रहते। वे स्वयं अव्यवस्थित रहते। वे अपन माता-पिता के प्रति भी भी मैं आता वैसे धर्तविक करते। लड़कों की उम्र की स्त्री से शादी कर लेते। अपनी रहन-सहन और कृति में किसी प्रकार भी सुधार करने की इच्छा उनमें न रहती। फिर भी वे आशा करते कि उनके बच्चे अत्यन्त विनयी परिश्रमी और सयमी तथा ऐसे बनें कि मैंने बुझा जाय। वे कहते कि "हमारा जीवन तो-जैसा तैसा बीत गया। परन्तु इन बच्चों का जीवन सुधर जाय ऐसी इच्छा है।" मुझे यह अपेक्षा विचित्र लगती। एक दो अभिभावकों से मैंने कहा भी कि यदि आप अपने-आपको नहीं सुधारेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं सुधरेंगे। फिर भी मुझे यह आशा तो रहती ही कि ऐसा हो सकता है।

परन्तु उस समय मैं यह नहीं समझ पाया था कि जो नियम बच्चों के पालकों को लागू होता है, वही मुझे भी लागू होता है। हम यह आशा नहीं रख सकते थे कि आश्रम में भेजे गये बालकों का जीवन केवल चार-छह महीने आश्रम में रह लेने से ही सुधर जायेगा। इसके लिए तो उनके अपने घर के वातावरण का भी सुधार

होना जरूरी है। उसी प्रकार जब तक मेरे अपने घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा, सब तक मैं यह आशा नहीं कर सकता कि मेरी देसमाता में रहनवास बालक भी मेरी अपेक्षा के अनुकूल अच्छे बन जायेंगे। परन्तु यह बात खुद मैं भी नहीं देख पाता था। इस कारण मेरे और मेरे घर के बच्चों के बीच भी समाज का वातावरण नहीं हो पाया था। यदि हर दूसरे-तीसरे दिन अपनी पत्नी से मैं झगड़ता रहूँ किसी निश्चय पर पूरे एक महीने तक भी कामन न रह सकूँ, हर वस्तु उसके अपने स्थान पर रखने की आदत मुझे भी न हो, मेरी मेज हमेशा व्यर्थ वस्थित स्थिति में ही रहती हो (आज भी यह एसी ही रहती है) दिन में बगीच मूल के दो-आर बार साते रहने की आदत पड़ गयी हो और कोई रोकनबाना न होने के कारण मैं साता भी रहूँ फिर भी यदि मैं आशा करूँ कि मेरे भतीजे संग करनेवाले न हूँ निश्चयी व्यवस्थित और निताहारी हूँ तो यह कैस सम्भव है? मैं अब देखता कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो संग आकर अपन सिर का भार किसी दूसरे शिक्षक पर डाल देता। अर्थात् विद्यार्थियों के व्यक्तिगतों की माँति मैं भी इस सिद्धान्त को मानता था कि अपन कान अपने ही हाथ से नहीं बँध जा सकते।

इसी प्रकार हमारी यह भी इच्छा थी कि हमारे विद्यार्थी निरे विद्या-भ्यसनी ही नहीं उचांगशील भी बन जायें। वे मजदूरों की तरह मेहनत कर सकें। हम बार बार प्रयोग करते कि समय-पत्रक में शरीरभ्रम के लिए खास ठौर पर अधिक समय रखा जाय। हम में से एक-दो शिक्षक बारी-बारी से उसमें हाजिर भी रहते। परन्तु शरीरभ्रम का कितना ही गुणगान हम करते फिर भी हमने तो यही देखा कि हमारे विद्यार्थियों में तो पंडित-जीवन के प्रति ही प्रेम बढ़ रहा है। बेलने में यही आया कि वे प्रेम से नहीं बेमार समझकर ही शरीरभ्रम करते हैं। इसका कारण क्या था यह इतना सब सिक्र जान के बाद हर कोई समझ सकता है। परन्तु उस समय मैं नहीं समझ सका था।

मैं यह नहीं देख सका कि हमारा जीवन उचांग-भ्यसनी नहीं विद्या भ्यसनी है। बच्चों के लिए हम शरीरभ्रम का समय रखते अवश्य परन्तु उस समय भी हमारा धित तो किसी पुस्तक में या साहित्य-वर्षा में ही रमता रहता। फिर बच्चों के साथ उपर्युक्त क्रिया में केवल एक-दो शिक्षक ही उपर

ऊपर से भाग लेते। जब कि अन्य शिक्षक सीधे-सीधे साहित्य की उपासना में ही लगे रहते। उधर साहित्य का खण्डन करते हुए भी हम प्रत्यक्ष रूप से साहित्य की ही उपासना करते रहते। परिष्कृत का मण्डन हाथ-पैर द्वारा नहीं अभिक्तर लेखों और प्रवचनों के द्वारा चलता रहता। फिर भी हम यह आशा रूगाये रहते कि जो चीज सुद हमारे पास नहीं है उसे विद्यार्थी हमारे पास से प्राप्त कर लेंगे।

परन्तु शिक्षणशास्त्र के बिन सिद्धान्तों को हमने अपना रखना था उनसे किशोरलाल भाई को घमविचार के साथ सबसे अधिक विरोध पीछसा था और इस विषय में आपस में हमारी बहुत बर्बाई होती रहती। स्वयं किशोरलाल भाई ने इस विरोध को इस प्रकार व्यक्त किया है

“धर्मशास्त्र कहते हैं कि भोग से विषय कभी शान्त नहीं होते। इसलिए इन्द्रियों का लाड़ नहीं रुझाना चाहिए। मन को बचा में रखो। वह जैसा कहे वैसा मत करो। यम-नियमों का पालन करो। विषयासक्ति को कम करो। रागद्वेष से ऊपर उठो। फिर धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं कि विद्याधियो ब्रह्म-चारियों और संयमशील मनुष्य के लिए संगीत मूल्य वाद्य वज्रित है। एक इन्द्रिय को भी सुला छोड़ देने से सभी इन्द्रियाँ काबू से बाहर हो जाती हैं इत्यादि। उधर शिक्षणशास्त्र कहता है (और यह शास्त्र तो आश्रम के समयी वातावरण को भी मान्य था) कि बच्चों की सभी इन्द्रियों का विकास करना चाहिए। संगीत के बिना शिक्षण अधूरा रह जाता है। कला राष्ट्र का प्राण है और साहित्य समाज का जीवन है। आप जो चाहते हैं वह नहीं बालक को जिन चीज की रुचि हो वह उसे दें। विषयों (पाठ्यवस्तु) को रसयुक्त बनाकर दें। इसके लिए बच्चों से नाटक करायें, रासो की रचना करें शालाखा की सजावट करायें। बच्चों से ‘राष्ट्र देवो भव’ कहें और इसी दृष्टि से उन्हें इतिहास पढ़ायें। उन्हें वही ज्ञान दें जिससे उनके देश की सङ्कति का पोषण हो।

इसमें वस्तुतः कोई विरोध है या केवल ऊपर से देखने से विरोध का आभास होता है यह प्रश्न विचारणीय है। किशोरलाल भाई ने अपनी बिल्डवणीमा पाया नामक पुस्तक में इस प्रश्न पर सूक्ष्म विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि इन्द्रिया के विकास का अर्थ यह नहीं कि हम इन्द्रिया का

साइ लड़ायें या उन्हें निरकुश बना दें। उन्होंने इन्द्रियों की शुद्धि और इन्द्रियों की रसवृत्ति के बीच भेद बताया है। यदि मनुष्य की इन्द्रियाँ शुद्ध भीर सतेज नहीं होगी तो उनमें अधिक रसवृत्ति हो ही नहीं सकती। बहर के सामने संगीत और अथा के सामने रूप-रंग व्यर्थ है। इसलिए इन्द्रियाँ शुद्ध और सतेज तो होनी ही चाहिए। परन्तु यह शुद्धि और तेज प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों का समय आवश्यक है। इन्द्रियों का अपने विषयों के प्रति निरकुश रूप से छोड़ देते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इससे मनुष्य बीमार पड़ता और असमय ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। आहार के बिना आरोग्य लाभ नहीं हो सकता, यह बात सही है। परन्तु साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अति आहार से भ्रूण स्वार्थों के अति सेवन से भी आरोग्य कानाश होता है। जीभ में तरह-तरह के स्वाद परस्ने की शक्ति होनी चाहिए। परन्तु यदि मनुष्य स्वादों के पीछे ही पड़ जाय तो वह धीरे-धीरे अपनी स्वाग्ने की शक्ति छोटा जायेगा। यही बात हमारी सभी इन्द्रियों की है। जीभ के समान ही आँसू नाक और कान की भी बात है। हमारी सभी इन्द्रियाँ सशक्त तो अवश्य ही होनी चाहिए। उनका विकास तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। बहुत बार तो इन्द्रियों का समय—उनको काम में रखना—ही आवश्यक और इष्ट होता है। इस समय और निग्रह से संबंधित शक्ति को अच्छी और ठीके प्रकार की प्रवृत्तियों में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। इसीको इन्द्रियों का सच्चा शिक्षण कहते हैं। इन्द्रियाँ को अपने विषयों की ओर दौड़ने देने में तो किसी भी प्रयत्न अथवा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार रसवृत्ति का भी समझना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी की रसवृत्ति को सस्कारी और विशुद्ध बनाना है। इस प्रकार का शिक्षण देने पर ही मनुष्य में दया समभाव सार्वजनिक सेवा आदि उच्च मनोवृत्तियों का पोषण हो सकता है। जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और जिसकी रस-वृत्ति सुसंस्कृत नहीं है, हीन प्रकार की है, उसमें उच्च मनोवृत्तियाँ तो पोषण नहीं मिलती।

यही न्याय कसा को भी लागू होता है। कसा की उपासना करने में मनुष्य यदि विवेक नहीं रखेगा तो वह बिलास की ओर बढ़ जायेगा। हमारी छात्रावर्ग

में इन्द्रिया और रसवृत्ति के विकास के नाम पर मनोरंजन के जो कार्यक्रम रले जाते हैं उनसे विलासिता और हीन रुचियों का पोषण ही हाता देखा जाता है। इनके विरुद्ध किशोरलाल भाई अवश्य ही अपनी आवाज उठाते। इस पर लोग उन्हें 'शुष्क सन्त' कहते। इसे भी वे सह स्ते। हमारी शिक्षा संस्थाओं में जीवन के लिए आवश्यक समय का वातावरण नहीं दिखाई पड़ता और कई बार तो समय की पिल्ली भी उड़ायी जाती है। लड़के-लड़कियाँ में कला एवं सौंदर्य की उपासना और रसिकता के नाम पर स्वच्छदता नकली फैशन और चारित्र्य की घिघिरुवा ही पायी जाती है। इसका व विरोध करते और उनका यह विरोध सर्वथा उचित भी था। इस वस्तु को लोग ठीक तरह से समझ लें तो धर्म अर्थात् मीति और सदाचार के सिद्धान्त और शिक्षण के सिद्धान्तों के बीच कोई विरोध नहीं रह जाता।

सौंदर्य कला साहित्य आदि विषयों के प्रति किशोरलाल भाई की दृष्टि के विषय में भाई नीसकण्ठ लिखते हैं

'बहुत से लोग का खयाल था कि पू० बाका नीरस व्यक्ति थे और उनका जीवन में साहित्य नहीं था। परन्तु जिन्होंने उनके जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। वे जानते हैं कि यह बात कितनी गलत है। मुझे तो ऐसे अनुभव हुए हैं कि वे जरा भी शुष्क नहीं थे। कला और साहित्य के मर्म जो वे जानते थे और वे एक अत्यंत उच्च भूमिका में विचरण करते रहते थे।

'हाँ जहाँ कला के नाम पर स्वच्छन्द विहार होता अथवा मर्यादा को छोड़कर दृष्कारिक भाव प्रकट किये जाते अथवा सौंदर्य का प्रदर्शन किया जाता वहाँ वे अवश्य इनका विरोध करते। इन चीजों के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। इसे वे बरदास्त नहीं कर सकते थे। सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में लोग कला और सौंदर्य की पूजा के नाम पर अपनी स्थूल और हीन मनोवृत्तियों का ही पोषण करते हैं ऐसा वे मानते थे। अपने आवश्यक पदार्थों को मुलाकर लोग इस तरह स्वच्छाधार में पड़े रहें इसके खिलाफ वे बराबर अपनी आवाज बुलन्द करते रहते।

"साहित्य के विषय में भी उनकी अभिरुचि इसी प्रकार उच्च बोटि की थी। उच्च भावनावाले काव्यों और साहित्य का रसास्वाद वे भरपूर से सकते थे।

परन्तु इसके साथ ही मर्यादाहीन शृंगार का बे विरोध भी करते। 'साहित्य-समीक्षकलाविहीन' साक्षात् पशु-पुञ्ज-विपाणहीन'—इस उक्ति को बे नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि तथाकथित साहित्य समीक्षक छटा से अपरिचित मनुष्य अपना बिकास कर ही नहीं सकता। अथवा इन यस्तुओं का मनुष्य के साथ ही सम्बन्ध होना ही चाहिए। जीवन के साथ स्वाभाविक रीति से तान-बाने की भाँति जो कला और साहित्य एकरूप हो गये हैं उन्हें जो बे सच्ची कला और सच्चा साहित्य मानते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बे कला के मर्म को जानते थे। ऊपर से देखने पर यदि हमें ऐसा लगता था कि बे इनकी अपेक्षा करते हैं तो इसका कारण केवल यही था कि इनकी अपेक्षा अधिक महत्त्व की बातों में उनका ध्यान लगा हुआ था। नहीं तो जो धार्मिक साहित्य रवीन्द्रनाथ बिबान—ज्यों के बार्मों को तथा ज्ञानेश्वरी रामभरितमानस समझ सकते और मिस्टर रोस्सुपियर आदि का जिन्होंने रसपूर्वक अध्ययन किया उनके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि बे दुष्क थे और कला को नहीं जानते थे?"

हमारी शाखा के एक बड़े विद्यार्थी भाई प्रमुवास माँधी ने किशोरलाल भाई के कुछ संस्मरण लिखकर भेजे हैं। उनमें से कुछ यों हैं

'बम्बारे में बापू के पास छड़ाई के काम में उनकी सहायता करने के लिए जब बम्बई से किशोरलाल भाई पहुँचे तब उनके आगमन का समाचार मीने ही बापू को सुनाया। बापू से मैं इस तरह कहा

"बापू, बम्बई से एक भाई आये हैं। एकदम बुद्धि-युक्त हैं। अकेले हैं। फिर भी पूरा बिस्तर टिफिन-बॉक्स और काफी सामान साथ में लाये हैं। साथे पर तिलक हैं। पूरे बैप्यस जान पड़ते हैं। बे आपके पास क्या काम कर सकेंगे?" बापू ने मेरी बात सुनकर थोड़ी देर बाद अपना काम करके उठे और उनसे मिले। घाम के पहले ही किशोरलाल भाई फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर सौट भी गये। मीने अपने मन में सोचा कि ऐसे इन बम्बईवालों का बापू ने तुरन्त सौटा दिया—यह बहुत अच्छा किया। बेचारे दूसरों के लिए उच्छे बामरूप बन जाते।" उन्हें सौटाते हुए बापूजी ने कहा था "यहाँ मेरे साथ बम्बारे में नहीं परन्तु कोचरब के आधम में मारेंगे तो वहाँ आपको

बच्छा लगेगा। यह सुनकर भी मुझे लगा कि ऐसे वीषम माई आभ्रम में भी धायद ही टिक सकें। मुझे उस वक्त यह खयाल भी नहीं आया कि बापू ने उनके भीतरी गुणों को पहचानकर उन्हें आभ्रम में आने के लिए कहा है।

“इस घटना के एक-सवा वर्ष बाद की बात है। साबरमती आभ्रम पटाई के झोपड़ों में बस रहा था। वहाँ शिक्षकों के झोपड़ों में एक झोपड़ा किशोरलाल माई का भी खड़ा हो गया। राष्ट्रीय गुजराती शाला के विद्यार्थी के रूप में मैं अपना अधिक-से-अधिक समय किशोरलाल माई के झोपड़े में बिताने लगा। मेरे सहपाठी नीलकण्ठ मधुस्वासा किशोरलाल माई के भतीजे थे। उनके साथ उठना-बीठना और पढ़ना मुझे अच्छा लगता। साथ में पूज्य गोमती घहन के वात्सल्य का तो लाभ मिलता ही। परन्तु अन्य शिक्षकों की अपेक्षा किशोरलाल माई से कम संकोच होता। उनके पास छोटे-बड़े के मेद जैसा बर्ताव नहीं था। फिर भी हमारी पढ़ाई में छोटी-से-छोटी बातों की ओर बेध्यान देते और हमारे उत्साह तथा ज्ञान को बढ़ाते। इसलिए उनके झोपड़े में आना-जाना अधिक अच्छा लगता।

‘हमारी राष्ट्रीय शाला नये ही ढंग की थी। यह कहने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए कि वहाँ शिक्षक बच्चे का उपयोग नहीं कर सकते थे। यही नहीं वहाँ तो शिक्षक उलहना भी नहीं दे सकते थे। जिसमें गलती की हो उसे चार छड़कों के सामने नीचा भी नहीं दिखा सकते थे। कम-अधिक नम्बर देकर नीचे उमर भी नहीं कर सकते थे। सब शिक्षक मिस्रकर सलाह करते कि पढ़ने में विद्यार्थियों को आनन्द किस प्रकार आ सकता है। इसलिए वे पढ़ाने के नित्य नये तरीके काम में लाते। इन प्रयोगों के बीच किशोरलाल माई ने कठे और कठिन विषय अपने लिए पसन्द किये। अपने वर्ग के बारे में मुझे याद है कि किशोरलाल माई ने भूमिति, धहीसादा निबन्ध-लेखन और कठिन कविताया का अर्थ—ये विषय लिये थे। भूमिति पढ़ाने के लिए वे मये-मये पाठ गुजराती में लिखकर लाते और नयी-नयी परिभाषाएँ बनाकर पढ़ाते। विषय को रसमय बनाने के लिए वे अपनी सारी कला लगा देते। परन्तु मैं और मेरे साथी भी ऐसे गुणहीन थे कि हम—खास तौर पर मैं—तो कभी इतनी मेहनत करते ही नहीं थे कि जिससे उन्हें सफलता मिल सके। फिर भी किशोरलाल माई में कितना धीरज

था, इसका पता हम दो बातों से लग सकता है। गरमी के दिनों में दोपहरी में जब अटार्कियों से छलकर भापड़ों में धार की झुआती, उस समय भूमिति का वग रक्ता गया था। सबेरे संस्कृत जैसे वर्ग होते थे। दोपहर में भूमिति के पाठ तैयार करके किशोरलाल भाई उत्साहपूर्वक हमें पढ़ाने के लिए बैठते और हम बिद्यार्थी उस समय साबरमती में तैरने और गति लगाने के लिए भते जाते। सारे वर्ग में कुछ धार बिद्यार्थी थे। उनमें मेरे जैसे बो-लीम गैरछात्रिर रहते। अब हम वर्ग में पहुँचते तब घण्टा पुरा होने में आठ-दस मिनट बाकी रह जाते। पारीर सुख भी नहीं पाता था और हम किशोरलाल भाई के सामन पढ़ने-बैठते। तब क्यों देरी हो गयी? इसमें अधिक भाव्य ही उन्होंने कुछ कहा था। हम निरन्धता पूरक जवाब देते कि हम नहा रहे थे। बहो घण्टी सुनाई नहीं पड़ी। इसलिये देरी हो गयी। ऐसा कई धार हुआ और हमन जान-बूझकर पढ़ाई का नुकसान कर लिया। भूमिति में हमें अब रस आने लगा था परन्तु हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी उन पाँच-दस मिनटों में आ कुछ पढ़ाते बनता उतना पढ़ाकर किशोरलाल भाई संताप कर सेते।

भाव्य उन्होंने सोचा हो कि भूमिति के लिए लड़के नहीं हैं लड़कों के लिए भूमिति है। नहीं ता उन्होंने जो पाठ तैयार करके रखे थे उनके बहुत बडे भाग के प्रति हम जो आपरबाही बरत रहे थे उसमें उन्हें दुःख हुए बिना नरहता।

निबन्ध-लेखन में तो अपनी मूर्खता दक्षिण में हमने ह्य कर दी थी। शुक्रवार के दिन कोई विषय चुनकर उस पर निबन्ध लिखने के लिए वे हमसे कहते। शनिवार को दोपहर का सारा समय हमें लिखने के लिए मिल जाता था। गीम धार को वे हमारा निबन्ध देखते थे। बीच-बीच लकीरों में निबन्ध जैसे लिखना यह वे विस्तारपूर्वक समझा देते थे। शनिवार के दिन दोपहर में निबन्ध लिखने के बहाने हम बागज सेवर निकलते और सबक के किनारे सड़ करंज के पेड़ा के नीचे जाकर बैठ जाते और इधर-उधर की बातों में तथा आमनी-पीपली (सबा छिपी) खजने में सारा समय बिता कर देते। सोमवार के दिन जब किशोरलाल भाई हमारी लेख की कापी देखने के लिए मांगते तब कमी साडे तीन लकीरों और कमी मुद्रिकल से पाँच लकीरों लिखी हुई उन्हें मिलती। परन्तु मुझे याद नहीं कि मीठी हँसी के सिवा उन्होंने कमी एक भी बडार शब्द कहा ही। हम

तरह हमारा प्रमाद और उनकी क्षमावृत्ति महीनों टकराती रहती। परन्तु निबन्ध लिखनेके लिए किस प्रकार धिंभार करना वाक्यों का विन्यास कैसे करना, विरामचिह्न कहाँ बनाना परा कैसे बनाना—आदि बातें समझाने के उपरांत हममें से किसीको ऊँची भाषाज में उन्होंने कभी एक शब्द तक नहीं कहा।

“आज जब मैं उन प्रसंगों की याद करता हूँ तब मुझे यह खयाल आता है कि अपने क्रोध को पीकर किशोरलाल भाई हमें कितनी भारी शिक्षा दे रहे थे। इतना होने पर भी पढ़ाई में ध्यान न देनेवाले विद्यार्थियों के कारण उन्हें कितना क्लेश सहना पड़ रहा है इसे प्रकट करनेवाली एक रेखा तक हमने कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी।

दूसरी ओर हमें सुझ करने हमारा लाड़-प्यार करने अथवा भीठी-भीठी बातें बनाकर गुड पर भिनकनेवाली मस्तिष्कों की भाँति अपने आस-पास विद्यार्थियों को इकट्ठा करने का उन्होंने कभी प्रयत्न किया हो—ऐसा हमें याद नहीं। हम ‘सोसो’ अथवा ‘स्नोपाट’ आदि अनेक खेल खेलते। इनमें कभी उन्होंने न तो भाग लिया और न सटस्प निरीक्षक के रूप में काम करके अपना निर्णय देना स्वीकार किया। देखी बनाम विदेशी खेलों के बारे में जब विवाद चलता तब वे अवश्य ही अपनी राय बता देते।

कविता में उन्हें कम रस नहीं था। वे मयी-नयी कविताएँ बनाकर रस लेते और हमें कभी पता भी नहीं लगने देते। मेरे जैसे विद्यार्थियों को कभी-कभी पू० गोमती बहन से पता चल जाता और किशोरलाल भाई को बिना पता छोड़ हम ये कविताएँ अपनी कापियों में लिख लेते। कभी-कभी काका साहब के बड़े प्रार्थना में वे सतचरित्र हमें सुनाते। तब कहानी कहने की उनकी कला का हमें परिचय मिलता परन्तु कहानी के रस में लड़कों को सराबोर करने के लिए कहानी कहने के लिए अपनी ओर से उन्होंने कभी तैयारी नहीं दिखायी। गिराव रस की नदियाँ बहा दे बच्चा को झूठ सुझ कर दे और उनके साथ झुद भी बालक बनकर गाँव-कूड़े—ऐसी वृत्ति से किशोरलाल भाई ने अपनेको अलग ही रक्खा। फिर भी हमारी दासा के आचार्य बौन हों?—इसका निणय हर साल एक सभा में विद्यार्थियों के मतों से होता, जिसमें शिक्षक भी हाजिर रहते। उसमें बहुत धार किशोरलाल भाई भारी बहुमत से आचार्य चुने जाते।

“यदि उस समय हमसे कोई पूछता कि किशोरलाल भाई की कौन-सी बात तुम्हें उनकी ओर खींच ले जाती है तो हम अपनी टूटी-फूटी भाषा में कहते कि वे बहुत सज्जन और प्रेमी हैं। इनके मार्ग-दर्शन में हमें भी थोड़े-बहुत प्रमाण में ये सद्गुण मिल पायें—इस आधा से हम अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में उन्हें चाहते हैं। यों कभी एक बार भी ऐसा प्रसंग नहीं आता था जब विद्यार्थियों कभी-कभी कोई झगडा हुआ हो या किसी शिक्षक के विरुद्ध विद्यार्थियों को कोई शिकायत रही हो और उसमें नियम देने के लिए आचार्य को बैठना पड़ा हो। विद्यार्थी शिक्षक की बात न मानते हों इसलिए उनसे विरुद्ध शिकायत आचार्य तक पहुँची हो और आचार्य का विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ी हो—एसा कभी एक बार भी होने का मुझे स्मरण नहीं। किशोरलाल भाई के बुझसे पतल शरीर के चारों ओर एक प्रकार का घात और बेतनादायी तेज फँला उठा जिससे नासमझ-से-नासमझ बच्चे को भी ऐसा लगता कि मनुष्य हो, तो ऐसा हो।

“यह सही है कि किशोरलाल भाई अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और स्वभाव की मधुरता से हमें आश्चर्य देते थे और इस कारण हमारी भद्रा उनकी ओर झुकती थी परन्तु ऐसा कहना अशुभ है। मनुष्य बुद्धि से जाहे कितना ही आश्वस्वमान हो परन्तु वह केवल इसी कारण बापू के आत्म में आदर्श नहीं माना जा सकता और न माना गया। इसी प्रकार स्वभाव की मधुरता में भी बापू हिमालय के ऊँचे-से-ऊँचे शिखर को भी मात कर देते थे। वहाँ किशोरलाल भाई, काकासाहब अथवा विनोबा की यिनती न होना स्वाभाविक ही था। मेरे साथी विद्यार्थियों के मन की बात मैं नहीं कहूँगा। परन्तु मेरे मन पर ही उनकी एक बात की छाप बहुत गहरी पड़ी है। वह है उनका स्वाभमी स्वभाव और दूसरे का सहारा न लेने की वृत्ति।

“सबेरे चार बजे उठने की घण्टी लगती। उस समय कोई अपना बिस्तर समेटता तो कोई अँगड़ाई लेकर आसस्य को भगाता। परन्तु उस समय किशोरलाल भाई अपने घर की सफ़ाई में लगे होते। डेढ़-दो बंटे के अवन घर का शरीर धम का काम करते। जा काम पृथिणी का माना जाता है, उसे भी वे आधा या अधिक भी कर डालते। इस बीच उनके मुँह से सुन्दर भजनों का प्रवाह अथवा गति से स्वर के किन्ती उतार-चढ़ाव के बिना चलता उठा। कुएँ से पानी साने में

नदी से बाल्टी भरकर घुले हुए कपड़े लाने में अथवा भोजन पकाते समय रुकड़ी की जरूरत पड़े, तो उसे लाने में वे किसी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति की मदद न लेते। कोई मदद करना चाहता भी तो मीठी हँसी हँसकर कह देते कि मदद की जरूरत नहीं है। पिछले वर्षों में जब वे बहुत बीमार हो गये तब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन दिनों वे हमारे शिक्षक थे, सब की यह बात है।

अपने घर का काम तो वे करते ही इसके अलावा जाला के अग्न्यास क्रम में शरीरश्रम के काम के समय भी अपने खुले शरीर को लेकर किशोरलाल भाई हमारे साथ पूरे समय तक शरीरश्रम करते। उन दिनों साबरमती-आश्रम के मकाना की जुबाई का काम चल रहा था। अनेक बार शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर इँटें यहाँ से वहाँ पहुँचाने छप्पर पर सपरैल चढ़ाने और वारू की टोक-रियाँ भरकर लान-आदि का काम करते। वे इसके लिए एक लम्बी कतार बना लेते और हाथोहाथ सामान पहुँचा देते। किशोरलाल भाई भी सबके साथ बज्र उठाने का काम करते। वे हाँफने लग जाते, फिर भी कतार छोड़कर अलग न होते थे। एक वर्ष बड़ा अकाल पड़ा। उस समय कुएँ तैयार नहीं हुए थे। खेतों में पानी डालकर जमीन नरम नहीं की गयी थी। साधारणतया जमीन रेतीली थी। फिर भी कहीं-कहीं यह बहुत कड़ी थी और गैरी जमीन में एक-दो इंच से अधिक गहरी नहीं जा पाती थी। ऐसी कड़ी जमीन में खाई खोदकर सबक के दोनों तरफ आश्रम की हद पर बाँटेवाली घूहर की घाट रुगाने का काम शुरू हुआ। अकाल के कारण जमीन सूखी पड़ी थी। फिर भी घूहर तो लगायी जा सकती थी। दूर से घूहर काटकर लाने का काम विद्यार्थी कर रहे थे और खाई शिक्षक खोद रहे थे। किशोरलाल भाई रोज दो घण्टे गती लेकर खाई खोदने के काम में बराबर लगे रहते। उनकी शारीरिक कमजोरी देखकर हम उनसे कहते कि वे यह काम हमें करने दें। परन्तु खोदने का काम वे कभी न छोड़ते। किशोरलाल भाई द्वारा लगायी गयी आयम की इस बाड़ के सामने से आश्रम भी जब कभी मैं गुजरता हूँ तब उनकी नीबट और धक जाने पर भी काम करते रहने के उनके आग्रह की याद मुझे आये बिना नहीं रहती। अनजान में भी उन्होंने इस तरह हमारे मन में श्रम के प्रति कितना आदर पैदा कर दिया था इसकी कल्पना मुझे अब होती है।

शरीर से अत्यन्त कमजोर होने पर भी किशोरलाल भाई में आश्चर्यजनक निमग्नता थी। उन दिनों साबरमती में साँप बराबर निकलते रहते। अनेक बार हमारे रहने के मकानों में भी वे पीस पड़ते। परन्तु हमने साँप को मारने का रिवाज नहीं रखा था। हिम्मतवाले लड़के उन्हें पकड़कर दूर छोड़ जाते। एक बार नदी के घाट की तरफ मैं नीचे जा रहा था। उधर से किशोरलाल भाई घुले कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर की ओर आ रहे थे। उनके पीछे-पीछे गोमती बहन माँजे हुए धतन लेकर आ रही थीं। मेरे और किशोरलाल भाई के बीच छह साठ फुट का अंतर रहा होगा। इतने में हम दोनों के बीच से होकर एक साँप गुजरने लगा। मेरी बायीं तरफ की घास में से वह निकला और दाहिनी तरफ जाने के बजाय मेरी ओर बढ़ आया। मैं धमका और दूधकर दूसरी तरफ हो गया। मेरे कूदने से डरकर साँप नीचे किशोरलाल भाई की ओर मुड़ा। परन्तु वे इस तरह शान्ति के साथ बढ़े हो गये मानो कुछ भी न हुआ हो। इन दिनों वे प्रायः चार बजे से दिन के दस बजे तक मौन रहते थे। परन्तु इस प्रसंग पर उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया और मुझे ठीक समय पर सावधान करते हुए कहा—“प्रभुदास डरो नहीं, शांति से बढ़े रहो। यह चुपचाप भसा जायगा।” उनकी बात सुनकर मैं बड़ा धरमिन्दा हुआ। मैं अपने भय को छिपा ही नहीं सकता था। किशोरलाल भाई की शांति और निर्ममता से अकित होकर मैं उनके प्रतापी मुँह की तरफ देखता ही रह गया। वे फिर मौन धारण करके चले गये। गोमती बहन भी जरा नहीं डरीं। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि भय के समय दिमाग ठिकाने रखूँ। परन्तु अभी तक यह मुझे नहीं सया।

रील्ट एकट के समय अहमदाबाद में हड़ताल हुई, रंगे हुए। लोग बढ़े बढ़े झुण्ड बनाकर सरकारी इमारतें जलाते और शोर मचाते हुए वृमते थे। आर्यम में मे नदी की तरफ के भाँगन में बैठा कुछ पढ़ रहा था। इतने में अचानक नदी के उस पार आकाश में धुँए के काले बादल दिखाई पड़े। साफ मासूम हो रहा था कि कहीं बहुत बड़ी आग लगी है। कमरे में किशोरलाल भाई थे। मैंने उन्हें यह आग दिखायी। एक क्षण में किशोरलाल भाई सारी स्थिति समझ गये। 'जान पड़ता है कि हुल्कड़वालों ने यह आग लगायी है। वहाँ हमें तुरन्त पहुँच जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे एकदम निकल पड़े। काकासाहब नरहरि भाई आदि

के साथ उन्होंने उस दिन शरारती झुण्डों को रोक्ने के लिए बहुत बड़े सतरे का सामना किया। उस समय उन्हें एक मिनट भी यह क्षयाल नहीं आया कि इस कमजोर शरीर को लेकर मैं इन हुस्लूहवाजों का मुकाबला कैसे कर सकूंगा।

अपने शरीर से काम लेने में किशोरलाल भाई कितने कठोर थे इसका एक उदाहरण उनकी आबू से साबरमती की पैदल यात्रा है। हमारी शाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक बड़ा जत्था साबरमती से पैदल आबू गया। जाते समय छोटे विद्यार्थियों और बहनों को लेकर किशोरलाल भाई ट्रेन से गये। परन्तु छौटते समय वे और गोमती बहुत कुछ विद्यार्थियों के साथ पैदल आये थे। जाते समय मैं पैदल गया था। फिर भी छौटते समय मैं किशोरलाल भाई के साथ हो लिया। आबू से साबरमती तक बिना किसी खलल के सुबह-शाम छह-छह मील का प्रवास करते हुए हम आये। भेठ का महीना और उत्तर गुजरात की गरमी। रास्ते में पेड़ों का नाम भी नहीं था। शाम को भी लू चलती। नकलीर फूटती पैरों में फफोले पड़ जाते और मीलों तक कुएँ के दर्शन न होते। फिर भी उन्होंने प्रवास में किसीको कष्ट नहीं होने दिया। हर मनुष्य के साथ अपना सामान और पीने के लिए पानी की छोटी-सी सुराही थी। किशोरलाल भाई भी अपना सामान खुद ही उठाते थे। गोमती बहुत रास्ते में शुरू से आक्षीर तक साथ रहीं। वे भी अपने सामान में से एक छोटा-सा बैला तक हम विद्यार्थियों को न उठाने देतीं। पढाव पर हम सब तो आ-पीकर लम्बे पड़ जाते परन्तु किशोरलाल भाई कुछ वाचन-मनन करते। बोलने में किशोरलाल भाई शिक्षकों में सबसे आगे रहते। ऊँची आवाज थी और हर बात मूढ़ विस्तार से समझाने की उन्हें आदत थी। परन्तु इस प्रवास में वे प्रायः मौन ही रहे। अस्तरत पड़ती और हम कोई बात पूछने तभी वे बोलते थे। एक विद्यार्थी की हैसियत से मैंने उनसे जो कुछ पाया उसमें इस प्रवास में उनके अत्यन्त निकट के सहपास में मिछे धैर्य सगन और सावगी के आदर्श का विशेष स्थान है।

‘दिखने में वे एक साधारण मनुष्य थे परन्तु जो भी उनके सपर्क में आता वह यह अनुभव किये बिना न रहता कि अनेक दिशामों में उनमें अनन्यविष विशेषताएँ थीं।

“किशोरलाल भाई ने हमारी शाळा में एक-दो वर्ष काम किया और फिर कुछ कौटुम्बिक कारणों से उन्हें बम्बई छोड़ जाना पड़ा। उन्होंने हमें बताया था कि साल दो साल बाद वे फिर साबरमती आयेंगे। परन्तु हम विद्यार्थियों को लगा कि व्यापार में लग जाने पर एक शिक्षक के लिए वापिस सौटना बहुत कम संभव है। इसलिए किशोरलाल भाई को बिदा करने का एक समारंभ किया गया। हम लोगों ने बूसरे शिक्षकों की मदद से तैयार किया गया एक अत्यंत भावनामय मानपत्र उन्हें अर्पित किया और इसी समय 'मिहमान बस्ती सौटकर आमा'—इस आशय का एक गीत भी गाया। उनके प्रेम से हम सब इतने धमिमूठ हो गये कि यह गीत गाते समय बहुत-सी बहनों और भाइयों की आँसुओं से आँसू बहने लगे। हम सभी इतने गदगद हो गये कि हम वह पौत पूरा नहीं गा सके। इसके बाद तो साबरमती में बहुत से छोटे-बड़े व्यक्ति आये और गये परन्तु किशोरलाल भाई के विमोग के समय जो बुद्ध का वातावरण उत्पन्न हो गया था वैसे शायद ही कभी हुआ हो।

“उस समय किशोरलाल भाई हमारे बीच एक सामान्य मनुष्य ही थे। पू० मायजी की मदद लेकर अभी उन्होंने कोई एकान्त-साधना नहीं की थी। इसके बाद बनवामी बनकर वे आबू गये। वहाँ समाधान प्राप्त करके सौटने के बाद तो उनकी गिनती जानियों में होने लगी थी। अभी वह बात नहीं थी। हम विद्यार्थियों ने तो सुना था कि किशोरलाल भाई को समयान्त का सादारणकार हो गया है। यह भी सुना था कि आबू में भूमते हुए मायजी ने उन्हें भगवान के दर्शन करा दिये हैं। इसलिए अब वे 'पुण्य' से 'पुण्योत्तम' बन गये हैं। परन्तु हम नहीं जानते थे कि इन बातों में केवल कल्पना का अंश कितना था और वास्तविक समय कितना था। मेरे जैसा तो उनसे सीधा प्रश्न पूछ बैठता कि 'आपने भगवान को देखा है? तब वे मद-स्मित करके उल्टे हमसे ही पूछते—'भगवान बताओ भगवान का दर्शन क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है?' हम कोई जवाब नहीं दे पाते और वे मौन होकर अपने काम में लग जाते।

“मेरे मन पर उनकी जो छाप पड़ी है उसका मैं इस प्रकार विश्लेषण करता हूँ कि नेता, गुरु और मार्ग-दर्शक तो बहुत से महापुरुष बन जाते हैं परन्तु सबके स्वजन तो बिरले ही होते हैं। किशोरलाल भाई एक प्रकार उत्पन्न-चित्तक कुमान

शिक्षक, आदर्श त्यागी उत्तम संचालक अन्तिकारी सेसक मर्मस्पर्शी कवि सदा सर्वदा विनोदी—इत्यादि अनेक बातों में महापुरुष थे। परन्तु इनकी सबसे बढ़कर श्रेष्ठता तो यह थी कि महापुरुष होने पर भी सबके स्वजन बनकर रहने की कला उनमें असाधारण थी। मेरे जैसे पगु मन और कच्ची बुद्धिवाले विद्यार्थी तथा सेवक उनके पास जाते तब हर मनुष्य की भूमिका पर वे इतनी मिठास के साथ विचार-विनिमय करते कि कहीं तो उनका अत्यंत ऊँचा व्यक्तित्व और कहीं हम अल्प मनुष्य यह भेद ही आदमी भूल जाता। अपनी शक्ति अथवा समर्थ विचारधारा की छाप अपने पास आनेवाले आदमी पर वे कभी इस तरह नहीं डालते कि जिससे वह चौबिया जाय। परन्तु जो आदमी जहाँ होता, वहाँ उम उलझान में डालनवाली गुस्ती को सुलझाने में वे तत्काल मव्व करने लगते। कुछ भाग्यशाली विद्याल कट्टियों में कहीं एक-आध ऐसा सहृदय और विशाल मन का पुरुष हाता है जो परिवार के छोटे से लेकर बड़े-बड़े व्यक्ति तक सबके लिए हर घड़ी सहायक बन जाता है। छोटे बच्चों से सिलौनों के बारे में घाला में जानवाले बच्चों से पढ़ाई के बारे में बड़े आदमियों से व्यापार-बाजार के बारे में मेहमानों से सुविधा-असुविधा के बारे में स्त्रियों के साथ घर तथा रिस्तेदारों के बारे में और पुरुषों के साथ गाँव एव समाज के बारे में वह पूछताछ करता है और अपनी शक्ति के अनुसार हर आदमी की मदद करता रहता है। परन्तु इस पुरुष को अपना काम अथवा अपने हर्ष-शोक का भार दूसरे पर डालन की इच्छा कभी भूलकर भी नहीं होती। केवल वापू के परिवार में ही नहीं किशोरछाल भाई जहाँ-जहाँ भी पहुँच सके वे सबके स्वजन और सुहृद बन जाते और उनका एक बार का सपक धीर्यजीवी और घनिष्ठ होता जाता।”

अब कुछ मनोरंजक प्रसंग देकर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। सन् १९१८ में हम लोग जब आबू की पैदल यात्रा को गये थे तब खादी का पहनावा शक्ति नहीं हुआ था। इस कारण हममें से कुछ लोग बगसोरी टापी चीनी सिस्का का सम्बा या छोटा कोट, कमीज कुछ छोटी ऊँची धोती पहनते कुछ नगे बदन रहते। इस तरह की हमारी पोशाक थी। फिर हमने अपने साथ कुछ लास्टनें भोजन पकाने के लिए एक बड़ा पतीला और कठीता ले लिया था। हमारा यह पहनावा कितने ही लोगों को बड़ा विचित्र लगता। उन विना आज की

सरह बुझने के लिए पयटम-मडलियाँ बहुत कम निकलती थीं। गणवेश-राष्ट्रीय धर्मी-धर्मी कोई चीज भी नहीं बनी थी। सब यदि हमसे कोई पूछता कि कहाँ जा रहे हो ? तो हम केवल अगले पड़ाव का नाम बताते। क्योंकि यदि हम जानू का नाम लेने, तो स्वामीय भादमी हमारी बात भी नहीं समझते। कई बार हम रेल की पटरियों के किनारे चलते। कभी-कभी यह कहनेवाले भी मिल जाते कि इतनी दूर चलकर क्यों जा रहे हैं ? मैं आपके लिए टिकट खरीब लाऊँ ? गाड़ी में बैठकर आराम से जाइय। हम सबको एक साथ भोजन करते बैठकर चितने ही लोगों को अभीब-सा लगता। वे पूछते भी— 'क्या आप सब एक ही जाति के हैं ?' जब हम जाति न बताते सब पूछते कि आप किस दूध के हैं ? मठल्य यह कि अभी मले ही आपकी कोई जाति न हो परन्तु जन्म की तो कोई जाति जरूर होगी ? बोई पूछते— "अगले पड़ाव पर तो लीला करेंगे न ? साथ में तो हम समझे ही नहीं कि वे क्या पूछ रहे हैं। परन्तु धीरे-धीरे बातों पर से पता लगा कि वे रामलीला के बारे में कह रहे हैं। हमारे पहनावे देखकर उन लोगों को लगता कि यह तो रामलीलावालों की कोई मंडली है।

इसी प्रकार एक और मजे की बात यह होती जब किशोरलाल भाई, मामठी बहन मणि बहन तथा मैं दहर में साग-सब्जी या पाने-पीने का बूसरा सामान लेने के लिए हर आठ-पंद्रह दिन में जाते। किशोरलाल भाई तथा मैं सामान के धेरे पीठपर लटकाकर से जाते गोमती बहन तथा मणि बहन अनेक बार बगल में या सिर पर मठरी रखकर चलती। किशोरलाल भाई के सिर पर तो स्वामी नारायण-भव का तिलक भी होता। उन दिनों वसों नहीं चली थीं और ताँगा का खर्च हम करते नहीं थे। इसलिए बुधवार के रास से साबरमती को पार करके हम दहर में जाते-आते रहते। एक बार बास कुछ अधिक हा गया ता सामने से आनेवाले एक भादमी ने कहा— "बाहू महाराज ! आज तो पूब हाथ मारा है। भिक्षा बहुत अच्छी मिली है।" और किशोरलाल भाई की आर टैमली दिखाकर बोला— "इन महाराज से तो उठती भी नहीं।" इस तरह के मजे धुरु-ध दिनों में जाते रहते।

किशोरलाल माई शुरू में केवल एक वर्ष के लिए साबरमती की राष्ट्रीय शाला में आये थे। परन्तु वहाँ वे लगभग दो वर्ष रहे। फिर १९१९ के मगस्त में घट माई श्री बालूमाई के व्यापार में मदद करने के लिए वापिस बम्बई चल गये। परन्तु वे सो व्यापार के लिए जन्मे ही नहीं थे इसलिए वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगा।

बापूनी को पत्र लिखकर वे अपने कुटुम्ब की और अपनी भी कठिनाइयों से उन्हें परिचित कराते रहते थे। इस बारे में बापू का एक उत्तर उत्प्रेक्षनीय है माई श्री पूं किशोरलाल।

आपका पत्र मुझे गुजरानवाला में मिला। अभी तो मैं सबूत एकत्र करन के लिए धूमता रहता हूँ। इसलिए मुझे पत्र छाहीर के पते पर ही दें। मुझे निश्चय है कि आप दूर रहकर बालूमाई की सेवा कर सकेंगे और उनका ऋण भी अदा कर सकेंगे। मेरे सामने भी ऐसी ही समस्या उपस्थित हुई थी। हमें जा बीज अच्छी-से-अच्छी रगे वह हम अपन प्रियजनों को भी दें इससे अधिक आत्मी क्या कर सकता है? आप अपनी शर्त पर सबका भरण-पोषण कर सकते हैं। आस आप निर्दय दीसंगे परन्तु इससे घरवालों को भी लाभ ही होगा। इसलिए बालूमाई का घमा सँभालने से आप इन्कार कर दें तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोष नहीं होगा। बालूमाई भी इस झंझट से अपन को मुक्त कर लें तो अच्छा होगा। गरीब बनने में ही कल्याण है। बालूमाई अपने सब बच्चा को सेबर आश्रम में आ बसें। जो कुछ धन उनके पास है, उनसे अपना दख बला लें और सुक से रहेंगे। उनकी वृत्तियाँ तो अच्छी ही हैं। आश्रम में अर्थात् आपके साथ रहकर उनसे जो सेवा बन पड़े वह करत रहें। कुछ नहीं तो कुम्हियाँ तो भर ही सकेंगे। रुई तीन सकेंगे। मुझे तो इस काम में जा सुसमता और सादगी दीसती है, वह और किसी बीज में नहीं। इस तरह समय से रहकर जब हम कालान्तर में अपने शरीर को सुदृढ़ कर सकेंगे तब हमारा

जीवन पुण्यवत् सुन्दर और सरल बन जायेगा और जिस प्रकार पुष्प किसीकी बोरूप नहीं भगता उसी प्रकार हम भी पृथ्वी को बोसरूप नहीं लमोंगे। आज तो हम भाररूप बन रहे हैं।

मोहनदास का बन्देमातरम्

अन्त में जुलाई १९२० में वे आराम में वापिस सीट आये। उस समय बापू ने असहयोग का आन्दोलन शुरू कर दिया था और राजनैतिक वातावरण बहुत गरम था।

असहयोग के प्रश्न पर विचार करके उस वियय में एक निश्चय करने के लिए मितम्बर मास में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया। परन्तु इस विशेष अधिवेशन से पहले असहयोग के विचार को बस देने के लिए २७-२८ और २९ अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात राज नैतिक परिषद् की गयी। इसमें असहयोग के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण के धारे में नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया गया।

(१) यह परिषद् मानती है कि अंग्रेज-सरकार द्वारा इस देश में जारी की गयी शिक्षा-मदति हमारे देश की संस्कृति और परिस्थिति के प्रतिकूल और अस्वाभाविक भी सिद्ध हुई है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वदेशाभिमानी स्वास्थयी और चरित्रवान् भारतीय बनाने के लिए परिषद् यह आवश्यक समझती है कि सरकार से स्वतंत्र राष्ट्रीय शालाएँ खोलना आवश्यक है।

(२) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सास और पर गुजरात में—परिषद् यह भी आवश्यक समझती है कि राष्ट्रीय सिद्धान्त के अनुसार शालाएँ, महाविद्यालय उद्योगशालाएँ, उर्दू शालाएँ और आयुर्वेदिक आरोग्यशालाएँ खोली जायें और इनके कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए गुजरात विद्यापीठ (युनिवर्सिटी) की भी स्थापना की जाय।

(३) ऊपर लिखे अनुसार गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए उचित उपायों की योजना करने के लिए यह परिषद् एक कमेटी नियुक्त करती है। इस कमेटी को अपनी सहायता के लिए अविन सख्य नियुक्त करने का भी अधिकार होगा।”

इस कमेटी के मंत्री के स्थान पर श्री इन्दुराल यासिक और किशोरलाल भाई नियुक्त किये गये। प्रस्ताव में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ निर्माण करने के बारे में लिखा गया है। परन्तु उस समय जनता के सामने राष्ट्रीय शिक्षण के प्रश्न की अपेक्षा सरकारी नियन्त्रण से मुक्त शिक्षा का प्रश्न अधिक आवश्यक था। इसलिए इसे 'राष्ट्रीय शिक्षा' कहने की अपेक्षा 'असहयोगवासी शिक्षा' कहना अधिक सार्थक होगा।

इस समिति ने गुजरात विद्यापीठ का विधान बनाया और सा० १८-१०-२० के दिन गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। इसके प्रथम नियामका के स्थान पर समिति के भ्रातृ सदस्य ही रख लिये गये। समिति के अध्यक्ष गांधीजी ने कुलपति का पद ग्रहण किया। भाषार्थ श्री गिदवाणीजी कुलनायक और श्री किशोरलाल भाई महामात्र नियुक्त किये गये।

किशोरलाल भाई ने प्रारम्भ में शिक्षण-समिति के मंत्री की हैसियत से और बाद में गुजरात विद्यापीठ के महामात्र की हैसियत से शिक्षकों विद्यार्थियों तथा सहाधारण प्रजाबनों के नाम कई परिपत्र जारी करके उनका अत्यंत सुन्दर मार्ग-दर्शन किया। उनकी कई सूचनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। असहयोग करने वाले शिक्षका का उन्होंने यह सलाह दी

'राष्ट्रीय शालाओं में आपको नौकरी मिले तो आप सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देंगे इस तरह की धर्म रक्षना बेकार है। इस बात पर विद्यापीठ शिक्षका को स्वीकार नहीं कर सकता। विद्यापीठ यह भी विश्वास नहीं दिला सकता कि नौकरी छोड़नेवाले आप सबको विद्यापीठ अवश्य ही नौकरी दे देगा। यहाँ तो मोय्यता ही देखी जायगी। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना तो एक भारतीय के नाते मनुष्य का कर्तव्य हो गया है। इसमें एक प्रकार का आत्मबलिदान है। विद्यापीठ में नौकरी मिलने में शिक्षा की दृष्टि से योग्यता की बात है।

असहयोग करनेवाले विद्यार्थियों को व सलाह देते हैं

'सलाह धर्म से अधिक आयु के विद्यार्थी यदि स्पष्ट रूप से समझ लें कि असहयोग करना उनका धर्म है तो अपने माता-पिता की इच्छा के विषय भी उन्हें धारणाएँ छोड़ने की सलाह दी गयी है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे गुणजनों के प्रति अपने पूज्यभाव को कम कर लें। जो माता-पिता असहयोग को समझ

‘सही पाये हैं अथवा विरोध करते हैं, उनके प्रति भी असहयोगी विद्यार्थी पूज्यभाष ही रखें। उनकी सेवा संपूर्ण प्रेम और आवर के साथ करें। उन्हें अनाबर मुक्त वचन न कहें।’

दिली से असहयोग क्या किया जाय इस बारे में उन्होंने जा लिखा है वह आज स्वराज्य की शाखाओं में दी जा रही शिक्षा पर भी लागू होता है

‘हममें इस तरह का एक बहुत बड़ा पकड़ गया है कि अच्छी शिक्षा का अर्थ है अमुक भाषा में लिखने-पढ़ने की शक्ति और अमुक विषयों की जानकारी। अगर किसी घास तौर पर बन सकाग और उसके अन्दर निश्चित सुविधाओं के होने का नाम ही पाठ्यासा हो या अमुक भाषा का ज्ञान और अमुक जानकारी रखने को भी हम सुधिसा कह सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार मकान नहीं बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी साला है उसी प्रकार भाषा और जानकारी नहीं परन्तु भाषा का नेत्र और जानकारी की उत्पादक शक्ति ही विद्यार्थी की सुविधा है। यदि इस दृष्टि से हम शिक्षा पर विचार करेंगे तो मुझ निश्चय है कि हम इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि आज की शिक्षा-पद्धति का हम सदा के लिए त्याग कर दें तो इससे देश कुछ भी नहीं लोवेगा।

‘पढ़ लिख लेन पर भी यदि लड़का रोमी पुष्पापेहीन क्षीणवीर्य और समय के पासत में अशक्त बन जाय यदि वह यह मानने लगे कि पढ़ने लिखने के फलस्वरूप वह विशेष ऐश-आराम का अधिकारी बन जाता है, स्वधर्म की अपेक्षा तात्कालिक लाभ का वह अधिक मूल्य देना सीख जाय यदि शिक्षा पूरी करने के बाद जीवनभर मौकरी में पड़े रहने के अतिरिक्त उसमें कोई आनंदा न रह जाय, पढ़ लेन पर भी यदि वह इस योग्य न बन सके कि किसी उद्योग के द्वारा वह प्रामाणिकता के साथ अपनी आजीविका चला सके, यदि पढ़ लेने पर भी केवल अपनी हाजिरी सिपामे के लिए सोलह-सोलह मील भ्रमण करने

१ सन् १९१० के अप्रैल मास में रॉलट एक्ट के विरोध में जगह जगह उपद्रव हुए थे। उस समय साहौर में फौजी कानून जारी किया गया था और उसमें विद्यार्थियों को यह हुकम दिया गया था कि वे इतनी-इतनी दूर-दूर तक रोज जाने पर हाजिरी दे जाया करें।

की गुलामी उसके अन्दर रह गयी हो यदि पढ़ लेने पर भी वह झूठे गवाह और झूठे वस्तावेज तैयार करने में तथा मुबनिकलो और मरीजों को धोखा देने में भाग ले सकता है तो इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि वह गरीब मेहनत-मजदूरी करनेवाला और अपढ़ बना रहे ऐसी इच्छा हर माता-पिता को करनी चाहिए।”

एक माई ने गांधीजी से पूछा कि “सभी राष्ट्रीय शालाओं में अत्यज पढ़ सकेंगे या नहीं? उत्तर के लिए गांधीजी ने यह पत्र विद्यापीठ की नियामक सभा के पास भेज दिया। इस पर नियामक सभा ने निर्णय किया कि ‘विद्यापीठ की मान्यताप्राप्त कोई भी विद्यामंदिर (शाला तथा महाविद्यालय) केवल अत्यजा का बहिष्कार नहीं कर सकता।

उन दिनों धारदापीठ के सकराचार्य का मुकाम मडियाद में था। उस समय सा० २१-११-१९२० के दिन इस निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए ब्राह्मणों ने एक महासभा की और उसमें प्रस्ताव किया कि ‘विद्यापीठ का निर्णय हिन्दू धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और हमारे सनातनधर्म के प्राचीन नियमों का उच्छेदन करनेवाला है।’ इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए किशोरलाल माई ने लिखा

‘ब्राह्मण महासभा के प्रस्ताव पर और जगद्गुरु द्वारा उसके अनुमोदन पर मुझे अत्यंत दुःख हुआ है। वर्णाश्रम-व्यवस्था समाप्त के हितार्थ और लोक-कल्याण के साधन के रूप में रची गयी है। स्मृतिकारों ने समाज के हित को देखकर लोक-कल्याण के लिए देव-माल के अनुसार वर्णाश्रम-व्यवस्था में फेरफार किये हैं और नयी स्मृतियों की रचना भी की है। प्रारम्भ में अत्यजों को अस्पृश्य करार देने में जो भी कारण रहा हो आज देश की सारी व्यवस्था बदल गयी है। उसे ध्यान में रखते हुए यदि श्रीमद्वाचराजाय तथा महासभा यह परीक्षण करते कि न्याय और समाज का हित किस ओर है और अत्यजों के विरुद्ध प्रस्ताव बनाने के बजाय उदारतापूर्वक उन्हें आश्रय देने का प्रस्ताव करते तो धर्म की अधिक संवा होती—एसा मेरा मन्त्र मत है।

विद्यापीठ द्वारा किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों की रचना की जानी चाहिए, इस विषय में सलाह देते हुए उन्होंने जो कहा, वह भी ध्यान देने लायक है

‘भोग समारु है कि पाठ्य पुस्तकों के बारे में अनेक लोग स्वतंत्र प्रयास करें

तो अधिक अच्छा होगा। इस बात में तो सभी सहमत हैं कि शिक्षण जनता के हाथ में हो और आज हम ऐसे स्पोर्ट्स्त्री शिक्षण को राष्ट्रीय शिक्षण कहते हैं। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षण में मुख्य प्रश्न यह है कि राष्ट्र को आज किस प्रकार के, किस चीज के और किस रीति से दिये जानेवाले शिक्षण की आवश्यकता है। इस विषय में अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। पहुँचना आसान भी नहीं है। इसलिये भिन्न-भिन्न आवश्यों का महत्तम समापवर्तक करने की अपेक्षा, अथवा भिन्न-भिन्न आदर्शों को एक-दूसरे के अनुकूल धनाने अथवा उनमें सम्मिल्य साधने के लिए उनकी तोड़-मरोड़ करके किसी ध्येय पुस्तका की अपेक्षा अधिक अच्छा यह होगा कि जिनोंने विचारपूर्वक अपने आदर्श स्थापित किये हैं, इस प्रकार के भिन्न-भिन्न विचार और आशयवाले शिक्षाशास्त्री अथवा शिक्षा-मण्डल अपनी शिक्षण-संस्थाओं के लिए अलग-अलग स्वतंत्र पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करें।”

किशोरलाल भार्गव उस समय भी इस बात के विद्युत् से कि शिक्षण पूरी तरह किसी एक तंत्र के मातहत ही हो। वे उसे विकेंद्रित स्वल्प देना चाहते थे। राष्ट्रीय शिक्षण-मण्डलों को ध्यान में रखकर जारी की गयी एक पत्रिका में वे कहते हैं

‘इस युग में यह पद्धति बल पड़ी है कि सोच-जीवन का प्रत्येक व्यवहार प्रज्ञान के लिए एक-एक महकमा खाल दिया जाय। इसका सदर मुकाम एक जगह होता है और वहाँ से वह अपने आशयियों द्वारा गाँव-गाँव में घाज़ाएँ खुलवाता है और उनमें सब जगह एक ही प्रकार से काम करवाता है। इस पद्धति में कुछ लाभ अवश्य है। परन्तु उनके साथ ही कुछ दोष भी हैं। इस तरह के महकमे की कार्य-पद्धति यांत्रिक—यंत्रबत्—बन जाती है। इसमें हर मनुष्य को अपनी बुद्धि को इस यंत्र के अनुकूल बनाना पड़ता है। अनेक ऐसे दिवान जारी करने पड़ते हैं जो प्रत्येक रूप से सर्बल्लि और मूर्छतापूर्ण हो जाते हैं। महकमे के मूल को धक्का लगाते ही सारी पास्ताओं का नाश होने का भय हाता है। और मूल का धक्का पहुँचाना कठिन नहीं। अधिक कमाई करनेवाला और अमलता को मोहित करनेवाला कोई नया महकमा सदा हा जाय या पहला महकमा बन्द किया जा सकता है।

‘जहाँ तक मैं समझता हूँ विद्यापीठ की स्थापना करने में हमारा हेतु यह नहीं

है कि अग्नेज-सरकार के शिक्षाविभाग के समान ही हम भी कोई मध्यवर्ती शिक्षा विभाग खोल दें और उसके जरिये सारे गुजरात में शिक्षा के कारखाने खोल दें और एक निश्चित संचि में सारे विद्यार्थिया और शिक्षकों को डालने लग जायें। गुजरात विद्यापीठ का हेतु यह है कि जनता समझने लगे कि हर गाँव में जनता को ही अपने बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध करना है। यह शिक्षा गाँवों की आवश्यकता के अनुकूल हो। फिर यह भी स्पष्ट है कि आज ऐसी मध्यवर्ती सस्था के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसे समय जब कि हमारी पुरानी सस्थाएँ नष्ट हो गयी हैं जनता अपने पुराने संस्कारों को भूल गयी है नयी सस्थाएँ निर्माण करने की अपनी नैसर्गिक क्षमि के बारे में हम थका खो बैठे हैं ऐसे समय इस तरह की सस्था ही हममें सभ-बल उत्पन्न करके हमारे प्रयासों के लिए एक ध्येय निश्चित करने में हमारी मदद कर सकती है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस मध्यवर्ती सस्था का काम केवल धुब की माँति सही विद्या वसा दना है। इससे आगे बढ़कर यदि वह सारा सभासन्न अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करेगी तो उतने अा में यह मात्र बन जायेगी। राष्ट्रीय शिक्षा-मन्त्र का काम है कि वह विद्यापीठ को यत्र न बना दे।”

शिक्षित अथवा पढ़ा-लिखा किसे कहना चाहिए इस विषय में उन्होंने एक पत्रिका में लिखा है

‘केवल लिखना-पढ़ना मात्र आ जाने से मनुष्य ‘शिक्षित’ नहीं कहा जा सकता। शिक्षण तो ज्ञानदानी स्वभाव में है। यह अगर अपने बच्चों में माता पिता ला सकें तो उन्हें असतोष मानने के लिए कोई कारण नहीं। फिर ज्ञान की निरंतर प्यास होना भी शिक्षण का लक्षण है। आ माता-पिता अपने बच्चों का पढ़ा नहीं सकते वे उनमें यदि ज्ञानप्राप्ति की प्यास भी जगा सकें, तो यह कम नहीं। इसके द्वारा बच्चे खुद दूसरा को देख-सुनकर और अपने अनुभव से स्वयं ही बहुत-सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अपने ज्ञान का दाताश भी मनुष्य दाताओं में नहीं प्राप्त करता। निव्याजबे प्रतिदात तो यह ज्ञान उसे प्रत्यदा जीवन में मिलता है। यह दाताश भले ही महत्त्वपूर्ण हो परन्तु देश के सामने उपस्थित धर्म के पालन में इस दाताश का त्याग करना पड़े, तो यह कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं कहा जायेगा।”

ता० १५ ११ १९२० को महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस अवसर पर महामात्र की हैसियत से भाषण करते हुए किसोरलाल भार्गव ने कहा

“शिक्षा-परिपक्व तथा साहित्य-परिपक्व ने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में भिन्न-भिन्न प्रस्ताव किये हैं। परन्तु आज आपके सामने जो संस्था सजी की गयी है, उसका मूल आधार राजनैतिक परिपक्व है। शायद यह आपको आश्चर्य में डाल दे। परन्तु आज देश की राजनैतिक स्थिति भयंकर है। - ऐसी शूर और भयंकर सरकार को इच्छापूर्वक एक दिन भी टिकाने रसमा अथम है। सरकारी शिक्षण-पद्धति इसे टिकाने रखनेवाला एक उत्तम सामन है। इस विचार से प्रेरित होकर ही राजनैतिक परिपक्व ने शिक्षण को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया है।

“इस प्रकार आज आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रश्न केवल विद्युत् शिक्षा की दृष्टि से नहीं खड़ा हुआ है। इसमें राजनैतिक दृष्टि प्रधान है। जनता के सामने आज यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है कि वह देश की शिक्षण पद्धति को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर के।”

उस समय की परिस्थिति के कारण विद्यापीठ के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने काम का प्रारम्भ ठेठ नीचे से करन के बजाय ऊपर से करे। इस विषय में किसोरलाल भार्गव ने कहा था

‘सब प्रकृतियों तो महाविद्यालय विद्यालयमंदिर का कर्ण होना है। कर्ण चाहे कितना ही मूल्यवान और प्रकाशमान हो फिर भी उसकी सुनिश्चिता या प्राथमिक शिक्षा ही है। परन्तु इस विद्यापीठ का श्रीगणेश महाविद्यालय से परमा पड़ रहा है। इसलिए यह विद्यापीठ कविबर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आरोप का पात्र बन गया है। इस अटपटी स्थिति का कारण आज की राजनैतिक स्थिति है।

यह विद्यापीठ मुख्यतः किनके लिए है—इस प्रश्न के उत्तर में किसोरलाल भार्गव ने जो लिखा है, वह विशेष रूप से जानने योग्य है

‘विद्यापीठ की आर से मैं विद्वांस विद्याना चाहता हूँ कि यह विद्यापीठ मुख्यतः गुजरातियों के लिए है, फिर वे चाहे हिन्दू हों वेत हों मुसलमान हों पारसी हों या ईसाई हों। मुसलमान और पारसी भाइयों को मैं बिनास दिखाना चाहता हूँ कि यह विद्यापीठ संस्कृतमय गुजराती का उत्कर्ष करने के लिए नहीं

हैं बल्कि गुजराती भाषा का अधिक से अधिक अच्छी तरह जिस प्रकार उत्कर्ष संभव हो उसके लिए है। केवल संस्कृतमय भाषा के लिए फारसी का बहिष्कार नहीं होगा। मुसलमान भाइयों से यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस श्रद्धा के साथ खिलाफत के प्रश्न के निपटारे के लिए आपने गांधीजी का नेतृत्व स्वीकार किया है उसी श्रद्धा से यह मान लें कि इस विद्यापीठ में भी मुसलमानों के हितों की रक्षा हम अपनी शक्तिमत्त करेंगे।

यद्यपि विद्यापीठ की स्थापना असहयोग के अग के रूप में हुई है तथापि आश्रम से विद्यापीठ में आये हुए हम लोगों ने तो यही मान लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्तों का जनता में प्रचार करने तथा उनको प्रोत्साहन देने का यह उत्तम अवसर है। इसलिए हमारा यह अधिक-से-अधिक आग्रह रहता कि विद्यापीठ की शालाओं में राष्ट्रीय सिद्धान्तों को अधिक-से-अधिक दालिस किया जाय। परन्तु बहुत से हार्डस्क्रू जो कि सरकार से असहयोग करके विद्यापीठ में दालिस हुए थे व शिक्षण की पद्धति में कम-से-कम फेरफार करने के पक्ष में थे। उन्हें स्मृता था कि अभी तो हमें मुख्यतः यही ध्येय अपने सामने रखना चाहिए कि हम सरकार के नियंत्रण को हटा दें। यदि हम शिक्षा में अधिक फेरफार करने लगे, तो जो विद्यार्थी अभी हमारा साथ दे रहे हैं वे सरकारी शालाओं में चले जायेंगे। इस कारण कई बार नियामक सभाओं में तथा उनकी समितियों में सरकारी शिक्षा वाले और राष्ट्रीय शिक्षावाले इस तरह के दो पक्ष पड़ जाते और दोनों के बीच उग्र मतभेद पैदा हो जाता। नागपुर कांग्रेस से लौटने पर सन् १९२१ की जनवरी में गांधीजी ने एक और जोरदार धमका कर दिया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा

‘जिस वस्तु को मैं पहिले से ही मानता आया हूँ उसीको आपके सामने रखता हूँ। इस वस्तु में मेरा तो धूरु से ही अडिग विश्वास रहा है। परन्तु यह विश्वास क्यों था यह अब जितनी अच्छी तरह मैं समझ सका हूँ वैसा पहले कभी नहीं समझ पाया था। जितनी बड़ता और आत्मविश्वास के साथ आज मैं उस आपके सामने रखने जा रहा हूँ उतनी बड़ता और आत्मविश्वास के साथ मैंने उस पहले कभी नहीं रखा था। .. अब तक मैं आपके सामने कई पक्कास परीसदा रहा। परन्तु आज तो मैं आपके सामने यह कहने के लिए

आया हूँ कि यदि असहयोग को आप सम्भाल करना चाहते हैं, तो अपना हर घण्टा सूत कातने में ही लगाइये। यह बात आपको नहीं मालूम होगी। आपकी आघात भी समेता। जिन्हें वी० ए० होना है और जिन्हें विश्वास दिलाया गया है कि यह विद्यापीठ उन्हें यह डिग्री देगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो चरसा बखाना ही बड़ी-से-बड़ी डिग्री है। मैं इस सीमा तक इसलिये जा रहा हूँ कि इस समय मेरे विचारों में जो भाव है वही आपमें भी उत्पन्न हो यह मैं देखना चाहता हूँ। यदि नौ महीनों में हम स्वराज्य लेना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए उसकी विद्या यही है कि वे भारत में कपड़े के अकास को मिटा दें। यदि विद्यार्थी इस सार इस काम को उठा लें तो कांग्रेस अपने प्रस्ताव के अनुसार एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त कर सकती है। विद्यार्थी अपने देश के लिए अपनी पढ़ाई का अलग रत्नकर मजदूर बन जायें। इस मजदूरी के लिए मुजावजा न मायें तो आपकी कृपा, परन्तु यदि लेना चाहें तो सुती से ले भी सकते हैं। आप पढ़ाई को पूरी तरह छोड़ दें यह मरा आप्रहू नहीं है। परन्तु यदि छोड़ भी दें तो उससे आपकी विचार-शक्ति कम हो जायगी—ऐसा मैं नहीं मानता। जिसका मत मस्तिष्क नहीं है, उसकी विचार-शक्ति कभी नहीं घटती। पढ़-पढ़ कर हमारे दिमाग सड़ गये हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि छह घण्टे सूत कातिये और शेष समय में पढ़िये। मैं तो आपसे यह भी कहता हूँ कि बातन की कला में पारंगत होकर यात्रों में ही आकर बसिये। इतना आत्मविश्वास आप में न हो तो आप कॉलेज में भी रह सकते हैं। परन्तु मुझे इतना तो विश्वास है कि सभी लोग यदि शेर चार-छह घण्टे मही कातिये तो स्वराज्य नहीं मिल सकेगा।”

महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों पर इस भाषण का बहुत अच्छा असर हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अक्षर-जानवाले विषयों में समय देन की अपेक्षा हमें बस्त्र-विद्या के पीछे लग जाना चाहिए। इनके लिए यह सुविधा कर देने की दृष्टि से नियामक-सभा ने नीचे लिखा निश्चय किया।

‘कांग्रेस के असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रति सम्मान प्रकट करन तथा एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायक बनने के लिए गुजरात विद्यापीठ द्वारा मान्यताप्राप्त सभी शालाओं के प्रबन्धक तथा अध्यापक

विद्यार्थियों को कताई की शिक्षा दें और स्वदेशी का प्रचार पूरे देश से करने के लिए तथा देश में सूत की जो अवरदस्त कमी है, उसे पूरा करने के लिए जो-जो विद्यार्थी तैयार हों उनके द्वारा सूत कतवावें। ऐसा करने के लिए समय देना पड़े तो वह देने के लिए भी विद्यार्थियों को समझाकर तैयार करें।'

महाविद्यालय के आचार्य श्री गिबबानीजी को लगा कि सभी विद्यार्थियों से इस तरह कताई का काम कराया जायगा, तो यह बहुत दिनों तक नहीं निमेगा। इसलिए जो विद्यार्थी पुस्तकी ज्ञान चाहते थे, उनके लिए वर्ग जारी रखें। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के बखले कताई सीखना चाहते थे तथा उसे सीख लेने के बाद उसके प्रचार के लिए गाँवों में जाना चाहते थे उनके लिए 'स्वराज्य-आश्रम' नाम की एक अलग सस्था की स्थापना कर दी गयी। इसके बाद तो गुजरात में तथा दूसरे प्रान्तों में भी अनेक स्वराज्य-आश्रमों की स्थापना होती गयी। परन्तु यहाँ यह बताना जरूरी है कि इन सस्थाओं को स्वराज्य-आश्रम का नाम देने की सूझ आचार्य गिबबानीजी की ही।

इस घाटी अवधि में किशोरलाल भाई बहुत बड़े धार्मिक मनोमग्न में से गुजर रहे थे। अपनी प्रवृत्तियाँ से उनके मन को पूरा समाधान नहीं हो रहा था। जीवन का ध्येय क्या हो इस विषय में वे अत्यधिक मानसिक व्यथा महसूस कर रहे थे। इस सम्बन्ध में एक स्वतंत्र प्रकरण आगे दिया जा रहा है। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोगी शिक्षा के पारस्परिक भेद के सम्बन्ध में नियामक सभाओं में जो चर्चा चलती उसके बारे में उनके मन में बहुत भारी अमनोप रहता करता। इसलिए सन् १९२१ की जनवरी में उन्होंने विद्यापीठ के महामात्र पद से त्यागपत्र दे दिया। इस विषय में स्वयं अपनी आलाचना करते हुए उन्होंने 'केल्वणीना पाया' नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है

उस दिन तो मुझे केवल इतना ही भान था कि मेरे चित्त को शान्ति नहीं है। इसलिए विद्यापीठ के नवीन प्रयोग में बहुत रुचिपूर्वक बूढ़ पड़ा। विद्यापीठ एक नवीन सस्था थी। परन्तु मयी सस्था में धार्मिक हो जाने मात्र से हृदय भी पाड़े ही नया बनता है। मयी सस्था में म पुराना—विषय प्रकार के रागद्वेष वाले आप्रह से भरपूर हुआ हृदय लेकर गया और जिस प्रकार गाड़ी के नीचे नीचे चलनेवाला कृत्ता समझता है कि मैं ही इस गाड़ी को चला रहा हूँ उनी

बोड़े या अधिक गुण-बोध हों फिर भी हम सब जैसे भी हैं एक दूसरे के साथ सद्भावना से रहना सीखें। मेरी आप सबसे यही याचना है कि आप ऐसी शक्ति हृदयमें प्रेरित करें क्योंकि मुझे लगता है कि अन्य सारी सफलताएँ इस शक्ति के पीछे-पीछे स्वतः आ जायेंगी।

गांधीजी ने उत्तर में कहा

‘भाई किशोरलाल ने जिस शक्ति की याचना की है, वह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। शिक्षक आपसमें सद्भावना से बर्ताव करने लगें, तो वह तो स्वराज्य ही बड़ा कामगा। यह देना मेरे हाथ में नहीं। यह भिक्षा ही ईश्वर से ही माँगी जा सकती है और वह हमें यह चीज दे दे तब तो समी कुछ मिल गया समझना चाहिए। यह धिंसा आपको तो कुछ नहीं सी ही लगती होगी, परन्तु उसका देना मेरे लिए तो अशक्य ही है। मैं तो आपके सामने कुछ सुचनाएँ रद्दूंगा और कुछ ऐसी सफलता की बातें देना करूँगा जिनमें आपका समा मेरा भी उत्साह बढ़े।’

फिर मूठ के घागे से स्वराज्यवासी अपनी बात कहते हुए वे बोले
 “क्या मैं पागल हो गया हूँ? जबर हम सबमुख मानते हैं कि मूठ के घागे से हम स्वराज्य ला सकते हैं तो हमें यह करने बिसा देना चाहिए। मेरे पास वो पत्र आये हैं। उनमें लिखा है—“तू मूठ हो गया है। पहले तो घरने की बातें कुछ मर्यादा के साथ करता था अब तो वह मर्यादा भी छोड़ दी। दुनिया मुझे ‘मूठ’ बड़े ‘पागल’ कहे गालियाँ दे ता भी मैं तो यही बात कहूँगा। मुझ दूसरी बात सूझती ही नहीं तब मैं क्या करूँ? मैं तो महाविद्यालय के स्नातक की भी यदि वह घरने की परीक्षा में पास न हो तो फल कर द। उसे प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दूँ। सोम कहते हैं कि यह ज्यादाती है। मैं पूछता हूँ कि ज्यादाती का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी, गुजराती राष्ट्रत सीखनी होगी एसा नियम बनान में ज्यादाती नहीं होती? इसी प्रकार कहिये कि कर्तार मीमना अनिर्धार्य होगा। हाँ खुद हमारा ही इसमें विश्वास न हो तो बात दूखी है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि व यदि काँठे नहीं तो धावा में नहीं रह सकेंगे। इसमें बुरा क्या है? जिस चीज को हम जल्दी समझन हे उस मिश्रकोच बच्चों से कहना ही चाहिए। जिन बच्चों या माता-पिता को

वह मजूर न हो वे भले ही न आवें। प्राथमिक शालाएँ, विनयमंदिर महा-विद्यालय यदि सत्रमुख स्वराज्यशालाएँ हैं तो इनमें यह नियम होना ही चाहिए। दूसरा विचार हमारे लिए अप्रस्तुत है। (शिक्षकों में से) जिनके विचार बदल गये हों वे त्यागपत्र दे दें।

इसके बाद सर्वसाधारण की सेवा गाँवों की शिक्षा के विषय में बापू ने जो कहा वह आज भी उतना ही लागू है

‘यदि हम सर्वसाधारण का सुशिक्षित करना चाहते हैं तो महाविद्यालय को भले ही महत्त्व दें परन्तु अन्त में तो उसे गगोत्री ही बना देना होगा। अन्त में उसके विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करके गाँवों में ही जाकर बैठें। इसी विचार से उन्हें तैयार करें। भले ही उनकी सख्या थोड़ी हो। चिन्ता की कोई बात नहीं।

‘परन्तु मैं तो प्राथमिक शाला पर ही जोर देना चाहता हूँ। विद्यापीठ प्राथमिक शालाओं पर अधिक ध्यान दे। उनके बारे में अपनी जिम्मेदारी अधिक समझे। प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार चलानी चाहिए, इसके बारे में विचार करें। मैं अपना विचार बता देता हूँ। सरकारी शालाओं का अनुकरण करते बैठना मूर्खता है। सात लाख गाँवों में भला सरकार पहुँच सकती है? सात में से तीन लाख में भी तो शालाएँ नहीं हैं। जहाँ इतनी दीन स्थिति है वहाँ सरकारी ढंग की शालाएँ खड़ी करने में क्या सार है? हमारी शालाओं के लिए मकान न हों तो भी हम अपना काम चला लें। हाँ शिक्षक मात्र चरित्रवान् हों।

इस परिपद में प्रस्तावों द्वारा विद्यापीठ की नीति स्पष्ट की गयी। परन्तु निरल्साह का जो बातावरण फैलाया था, उसमें इससे कोई बहुत फर्क नहीं पडा। अन्त में सन् १९२५ के अन्तिम दिनों में आचार्य श्री आनंदशंकर द्रुव की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्त की गयी और उसे सारी परिस्थिति का व्यवस्थित परीक्षण करने एवं विद्यापीठ तथा उसकी मातहत संस्थाओं के विधान पाठपत्र और कार्य की दिशा पर विचार करके अपने सुझाव पेश करने का काम सौंप दिया गया।

दूसरी बार महामात्र बनने के बाद किशोरलाल भाई चित्त की इतनी

स्मिरणता तथा शान्ति से काम करते थे कि पहली बार जिनके साथ उनके मतभेद हो गये थे उनके मत को भी उन्होंने जीत लिया। इसके अलावा विद्यापीठ के दफ्तर का सारा काम इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया कि आज भी उनके द्वारा बाली गयी पद्धति पर ही वहाँ सारा काम चल रहा है। फिर भी प्राथमिक शिक्षण के बारे में उनका उत्साह कम नहीं हुआ। गांधीजी ने भी प्राथमिक शिक्षण पर तथा विद्यापीठ का गांधी में ही अपने काम का अधिक विस्तार करने पर जोर दिया था। विद्यापीठ के नियामक मण्डल का उत्सव भी इसे कम महत्त्व देने का नहीं था। परन्तु उसे उन दिनों ऐसा लग रहा था कि उन परिस्थितियों में उसे महाविद्यालय को ही अधिक महत्त्व देना चाहिए। इसलिये अन्त में किशोरलाल भाई ने सन् १९२५ के नवम्बर महीने में विद्यापीठ से त्यागपत्र दे दिया। उस समय उन्होंने नियामक समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें कुलनायक तथा महामात्र के कार्य के बारे में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। कुलनायक के कार्य के विषय में उन्होंने लिखा था

‘(१) विद्यापीठ का मागदर्शन करने के लिए कुलनायक के पास एक स्पष्ट कार्यक्रम हो जिसे नियामकों तथा कार्यवाहकों की उत्तम सम्मति मिली हो।

‘(२) वह विद्या के विषय में अपने सिद्धान्त स्पष्ट रूप से सबके सामने रख दे और नियामक तथा कार्यवाहक इन्हें प्रयोग के लिए ठीक समझें।

‘(३) नियामकों तथा कार्यवाहकों का इसका परिणाम व्यक्तिगत निःस्वार्थता बुद्धि, विद्वता और प्रामाणिकता के विषय में पूर्ण विश्वास हो और उनकी योजनाओं को सफल बनाने में इनका पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा ऐसा उगे विश्वास हो। इसी प्रकार जिन उच्च जातों अथवा जातियों में वह विद्यापीठ को रेंगता चाहे उन आशयों और भावों में इनकी लिप्ता हो यदि कुलनायक तथा नियामकों और कार्यवाहकों के बीच इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कुलनायक चाहे विद्वान ही बड़ा भारी ही, वह विद्यापीठ को आगे नहीं बढ़ा सकेगा।’

महामात्र के विषय में उन्होंने लिखा था ‘सबसे अधिक महत्त्व यही

वात तो यही है कि उसमें इस कार्य को सँभालने की शक्ति होनी चाहिए। श्री गिदवाणी ने एक बार सुझाया था कि महामात्र की पसंदगी कुलनायक किया करे। मेरा खयाल है कि विद्यापीठ की आज की स्थिति में यह सूचना अच्छी है।

‘उमर के दो प्रश्ना को सन्तोषजनक रीति से हल करने से ही विद्यापीठ में नवीन चेतना छापी जा सकती है और विद्यार्थियों तथा जनता में पुनः खड़ा चाग्रत की जा सकती है। विद्यापीठ अपने स्नातका को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है अपनी तरफ आशाभरी नजर से देखनेवाली जनता में यह किस प्रकार के संस्कार फैलाना चाहता है और इस सबके लिए किस प्रकार के साधनों का यह उपयोग करना चाहता है इन बातों का ठीक-ठीक निदधय किये बिना काम नहीं चलेगा।

‘इन प्रश्ना पर आप निष्पक्षभाव से गंभीरतापूर्वक और स्पष्ट रूप से विचार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भूल करेंगे। यदि मैं अपने मन के ये भाव आपको न बताऊँ, तो मैं कर्तव्य भ्रष्ट होऊँगा। इसीलिए महामात्र पद छोड़ने से पूर्व उमर लिखी सूचनाएँ देने की इच्छा को मैं रोक नहीं सका। इसमें आपको भ्रष्टता मासूम हो तो क्षमा करेंग।’

◆◆◆

[किशोरसाह माई की साधना विषयक यह प्रकरण श्री केदारनाथजी ने स्व० श्री नरहरि माई परीख की प्रार्थना पर लिखा था। इस हिन्दी संस्करण के लिए पू० नाथजी ने अपने इस प्रकरण को फिर से दोहरा दिया तथा काफी नये ससोधन किये हैं। इसके लिए पू० नाथजी के हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं।]

मुझे लगता है कि सन् १९१७ ई० में कोषरब (अहमदाबाद) में गार्धीजी के आश्रम में स्थापित राष्ट्रीय शाखा में किशोरसाह माई जब बर्ग से रहे व तब मैंने उन्हें पहले-पहल देखा। बाकासाहब कासेकर और स्वामी आश्रम के साथ मेरा सम्बन्ध होने के कारण मैं कभी-कभी आश्रम जाता रहता था। उस समय उनके विषय में केवल इतनी ही जानकारी मिली थी कि वे अयोना में बकासत करते थे। उसे छोड़कर वे बम्बार्न गये और यहाँ से पूज्य बापू ने उन्हें यहाँ की शाखा में काम करने के लिए भजा।

सन् १९२० में मैं साबरमती-आश्रम में गया तब वे काका के पदोम में रहते थे। आश्रम के बहुत-से विद्यार्थी काका व पाम भात और अनेक विषयों पर चर्चा करते। इन चर्चाओं में किशोरसाह माई मुख्य भाग लेते। काका के पढ़ास में ही वे रहते थे। इसलिए उनका भजन और रात का धार्मिक पठन-पाठन आदि मुझे सुनाई देता था। इस पर मैंने यह समझा कि वे बड़ी धार्मिक ब्रुतिवाले पुरख हैं। फिर से जब मैं आश्रम में गया, तब मुना कि वे ईस्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जानेवाले ह। बापू उन्हें ऐसा न करने के लिए समझा रहे थे। परन्तु उनका निश्चय बदल नहीं रहा था। बहुत कुछ साधन न करने का मेरा स्वभाव होने के कारण मैंने अधिक पूछताछ नहीं की। फिर भी काका से इतना तो माकूम हुआ कि उनके गृहत्याग के विचार के

कारण आश्रम के प्रमुख लोगों में तथा खासकर उनके मित्रों में बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। एक बार काका ने उनसे कहा कि आप ईश्वर-ज्ञान-प्राप्ति के लिए सर्वस्व छोड़कर जा रहे हैं तो इस विषय में नाथजी से तो कुछ पूछ देखिये। इस पर किशोरलाल भाई ने कहा कि क्या नाथजी इस विषय में कुछ जानते हैं? काका ने कहा 'एक बार पूछकर देखें।' जिससे एक दिन किशोरलाल भाई मेरे पास आये और उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन किया। पहला ही प्रसंग था इसलिए उस दिन उन्हाने पूरी तरह से अपना दिल खोलकर बात नहीं की। फिर भी उनके हृदय की व्याकुलता को मैं समझ गया। उनके धार्मिक वाचन तथा अभ्यास के विषय में मैंने उनसे पूछा। इसके उत्तर में उन्हाने बताया कि स्वामीनारायण-संप्रदाय के ग्रन्थों तथा इस विषय का अन्य कुछ वाचन हुआ है।

किशोरलाल भाई जिस विषय के लिए मेरे पास आये थे उस विषय में मुझे समाधान हो गया था और मित्रों को मैं उस विषय में कमी-कमी सलाह भी देता था। फिर भी किसी बात में भाग ड़ लेने का स्वभाव न होने से मैं यथासंभव अलग ही रहता। मैं अपने को इस विषय का कोई बड़ा ज्ञाता नहीं मानता था। जब कभी मैं आश्रम पर जाता तब इस विषय की चर्चा में भाग लेने के बजाय दुमाई बड़ईगिरी आदि सीखने में अपना समय लगाता था। मैं चाहता था कि शरीर-धर्म से स्वावलम्बी बन जाने के बाद अपने विचार समाज के सामने रखूँ। इस विषय में मैं कुछ जानता हूँ अथवा इसका थोड़ा बहुत अभ्यास करता हूँ—यह बात आश्रम में काका और स्वामी को छानकर और कोई नहीं जानता था और न मैं ही चाहता था कि कोई जाने। फिर भी किशोरलाल भाई जैसे श्रेयार्थी मेरे पास आये इसलिए मैंने उनके साथ बात चीत की। पहली मुलाकात में उनके-हमारे बीच इस प्रकार का सवाद हुआ, ऐसी याद है।

किशोरलाल—काका साहब ने आपसे बारे में कुछ जानकारी दी। उसीस मैं आपके पास आया हूँ। साधू ने एक वर्ष में स्वराज्य लेने का निश्चय किया है। परन्तु मुझे लगता है कि यदि हम अपना पारमार्थिक स्वराज्य इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सके तो यह जीवन व्यर्थ है। मुझे हम स्वराज्य के लिए

व्याकुलता हो रही है और इसके लिए घर, आभय आदि सब कुछ छोड़कर कहीं एकान्त में जाकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहता हूँ।

मै—कहीं अमर्त्य कहीं? इस विषय में तो आपन कुछ विचार किया ही होगा?

किशोरलाल—वैसा कोई निश्चित विचार नहीं किया है। परन्तु मुझ इतना तो बिदवास हो गया है कि घर पर अपना आभय में रहकर मैं वह प्राप्त नहीं कर सकूँगा।

मै—हमारा साध्य क्या है, उसका साधन क्या है और कहीं जाना है—इसके विषय में कोई विचार निश्चित करने से पहले आभय छोड़कर कहीं बाहर चले जाना क्या उचित होगा?

किशोरलाल—नहीं इसीलिए वह जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ।

मै—आप जिस संप्रदाय की पद्धति से अनुसार चल रहे हैं उसमें भी तो कोई ज्ञानी अनुमती पुरव होगा न? और संप्रदाय के ग्रन्थों में भी कोई साधन मार्ग बताया होगा न?

किशोरलाल—संप्रदाय में ऐसा कोई ज्ञानी और अनुमती पुरव हो तो भी मुझे उसका पता नहीं है और ग्रन्थों में भक्ति से सिवा कोई साधन मार्ग नहीं बताया है। इसीलिए मुझ लगा कि किसी अनुमती पुरव से समाह सनी चाहिए।

मै—इस समय तो मैं आपको इतनी ही समाह दूँगा कि जीवन का साध्य और उसके साधन को ठीक से समझे बिना और यह विश्वास होने से पहले कि वह मूढत्याग करने से ही प्राप्त होगा आप घर छोड़कर न जायें। यह मैं आपसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ। यदि केवल व्याकुलता के कारण मनुष्य घर छोड़े, तो भी पौबीसों घट वह क्या करे, यह समय वह कस बिताये, इसका साधन न मिले तो भागे चलकर साधक मुणीवत में पड़ जाता है। व्याकुलता सन्धी होने पर भी यदि उचित साधन न मिले तो साधक उन्नत जाता है और फिर बिना कुछ प्राप्त किये लौट आता उसके लिए कठिन हो जाता है। इस विषय की व्याकुल अदृश्या अत्यन्त नाशुक और संभीर होती है। उचित

उपाय और साधन-मार्ग न मिले, मन को समाधान न हो तो आगे चलकर आज से भी अधिक कठिन स्थिति पैदा होना समभव है। इसलिए कहीं भी जाने से पहले इस विषय में पूरा-पूरा विचार कर लेना चाहिए।

किशोरलाल भार्गी का हेतु शायद यह रहा हो कि मैं उन्हें आध्यात्मिक विषय में कुछ सलाह दूँ। परन्तु मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी। इस कारण पहली मुलाकात में मैं अपने और दूसरों के अनुभव के आधार पर कुछ सूचनाएँ देने के सिवा अधिक कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मेरी सूचना पर विचार करके साध्य और साधन के विषय में बातचीत करने के लिए वे मेरे पास बार-बार आने लगे। उनकी व्याकुलता विद्वत्ता धित्त की निर्मलता आदि के विषय में मैं ठीक-ठीक समझ सका। उस समय मैं यह भी जान गया कि सहजानन्द स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय पर उनकी अनन्य श्रद्धा है। इसके साथ-साथ मैंने यह भी देखा कि साध्य और साधन के विषय में परम्परागत मान्यता और श्रद्धा से अधिक उन्होंने कोई विचार नहीं किया था और मुझे निश्चय हो गया कि आज की व्याकुल अवस्था में कुटुम्ब के लोग मित्रजन भयवा स्वयं बापु भी चाहे कितना ही आग्रह करें तो भी घर छोड़कर जाने के अपने निश्चय को वे नहीं बदलेंगे। क्योंकि यह अवस्था ही ऐसी होती है कि अपने मन के विरुद्ध मनुष्य किसीकी भी बात नहीं सुनता। वह समझता है कि विरुद्ध बात कहनेवाले को उसके (साधक के) मन की स्थिति की कल्पना नहीं होती। बुद्धि से यदि उसके मुँह का सण्डन किया जाय तो उससे उसकी भक्ति भावना और श्रद्धा को पहुँचनेवाले आघात के कारण यह और भी अधिक आग्रही बनता है। यह सब मैं जानता था। इसलिए उस समय उनके मन की जो स्थिति थी उसकी ठीक-ठीक कल्पना मैं कर सका था। इसलिए मैंने ऊपर लिखी सूचनाएँ कीं।

क्यों-क्यों मेरे पास व आते गये क्यों-क्यों आध्यात्मिक विषय में अपनी दृष्टि मैं उन्हें समझाने लगा। मैंने उन्हें बताया कि धित्त की निमग्नता और दृढ़ता तथा सद्गुणों का विश्वास करके कर्तव्य कर्म करते-करते अपने उस्माह की कायम रक्षना और ऐसी स्थिति प्राप्त करना जि जिसमें हमारा मन तमाम विषयों से अलिप्त रहे—यही माकूम-जीवन का उद्देश्य है। अमल में मानवना

ही सच्ची साम्य वस्तु है। ईश्वर आत्मा और ब्रह्म के साक्षात्कार के विषय में बहुत-सी कल्पनाएँ और भ्रम परम्परा से जैसे आये हैं। उनमें हम न पड़ें। परन्तु शुद्ध बुद्धि से हमें विचार करना चाहिए कि ये तत्त्व क्या हैं? तत्त्वज्ञान के विषय में भी अनेक और भिन्न-भिन्न वाद हैं। इन सबका आधार बहुत कुछ तर्क पर ही है। भवतारवाद के कारण ईश्वर के विषय में हमारे समाज में अनेक कल्पनाएँ रह गई हैं। इनके कारण ईश्वर का वर्णन करने की इच्छा और उत्कण्ठा साधक को बहुत ब्याकुल कर डालती है। परन्तु हमें ऐसी किसी कल्पना के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कवच चित्त की स्वाधीनता साधनी चाहिए। ईश्वर-निष्ठा को हृदय में दृढ़ कर लेना चाहिए। मानव-जीवन के लिए आवश्यक सद्गुणों का अनुशीलन और संवर्धन करना चाहिए। अपने प्राप्त कर्तव्यों को करते-करते ही ये घाटी वातें हम साथ सकते हैं। पियेब, संयम निग्रह और सतत जाग्रति अर्थात् सावधानी—इन सबके द्वारा हम कर्ममार्ग में ही अलिप्तता प्राप्त कर सकें तो जीवन में दूसरा कुछ भी साम्य करने जैसा नहीं रह जाता। इसके लिए मनुष्य को अपनी शारीरिक बौद्धिक और मानसिक पानता बढ़ाते रहना चाहिए और यह सब अपने दैनिक कर्तव्यों के करते हुए ही हम बढ़ा सकते हैं।

इस माध्यम की कुछ-न-कुछ बातें मैं उनमें राज कर रहा रहता। परन्तु किशोरलाल भार्गव अनेक पुस्तकों के भक्ति-मार्ग के सस्कारों में छोटे से बड़े हुए थे और ये सस्कार उनकी रग रग में भिद गये थे। इसलिए मैं जानता था कि ये बातें एकाएक उनके गले नहीं उतरेंगी। किशोरलाल भार्गव के मन पर मेरे कहन का कोई विशेष परिणाम हुआ हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। परन्तु इससे मुझे कोई आश्चर्य भयवा युक्त नहीं हुआ। इसीलिए एकांत में जाने के उनके विचार का मैंने विरोध नहीं किया। उन्हें मैं कहता रहता कि भिरी घाट आपको नहीं जेबेगी। उस पर आपकी विद्वान्त नहीं होना क्योंकि जिन पर आपको दुःख थडा है और जिनके ग्रन्थ पढ़कर आपके मन की यह स्थिति हुई है, उन्होंने दूसरी ही वस्तु को जीवन के साधकतैर बताया है। उसीमें आपको दिव्यता, मद्भुतता और महत्ता प्रतीत होगी। उनके ग्रन्थों में आपको पत्नी कई बातें मिलेंगी जहाँ बुद्धि काम नहीं करती। मैं जा कुछ कहना है

उसमें केवल मानवता पर धोर है मानवता और सद्गुणों का आग्रह है। इसमें कोई दिव्यता न दिखाई दे, तो यह स्वाभाविक है। मेरी बात मानने का अर्थ यह होगा कि जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिन्हें आप अवतारी पुरुष—प्रत्यक्ष भगवान् मानते हैं वे भी भूले ऐसा मानना और स्वीकार करना होगा। परन्तु ऐसा विचार मन में आना उसे सही समझना और उनके विषय में मन में शंका होना महापाप है—ऐसा पाप कि जिसके लिए कोई प्रायश्चित्त ही नहीं—ऐसा आपको रुग्ना स्वाभाविक है। इसलिए इस विषय में मैं आपसे कोई आग्रह नहीं करूँगा। बल्कि यही कहूँगा कि उनके बताये माग पर ही चले। भक्ति उपासना अथवा साधना का जो भी माग उन्होंने बताया हो उमीदा आचरण कर आपको स्वयं उस विषय का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। केवल श्रद्धा से मानी हुई चीज को अनुभव अथवा सिद्धान्त न समझ लें। इस बात को न भूलें कि सिद्धान्त प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही कायम किये जाते हैं।'

मैं स्पष्ट देखा रहा था कि प्रारम्भ में तो मरा कहना उनके गले नहीं उतरता था। वे अनेक प्रकार के प्रश्न करते। परन्तु धीरे-धीरे मेरे साथ हमारे वाली बातचीत का अमर उन पर पड़ने लगा। मैं विचार में पड़ते गये। मैं श्रद्धावान् वे पर साथ ही बुद्धिमान् भी थे। कितनी ही बातें उनकी बुद्धि ने मान ली होंगी। इसीलिए मेरे पास आना उन्होंने जारी रखा। इतना ही नहीं पर जैसे-जैसे मेरे साथ बातचीत करने के प्रसंग बढ़ते गये जैसे-जैसे केवल श्रद्धा के विषयों को छोड़कर तत्त्वज्ञान के विषय में भी वे सूक्ष्मता से अनेक प्रश्न पूछने लगे। इससे मुझे लगा कि उनके मन में श्रद्धा और बुद्धि अर्थात् केवल श्रद्धा से मानी हुई बातों और बुद्धि द्वारा समझने लायक बातों के विषय में जोरदार मन्यन शुरू हुआ होगा।

अभ्यास द्वारा अनुभव से निश्चित ज्ञान करने के लिए वे एकान्त में जाकर रहें यह भी मैंने उनसे कहा। इससे उन्होंने जल्दी ही एकान्त में जाने का निश्चय किया। परन्तु उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि कहाँ जायें! साम्प्रदायिक मठ मन्दिर—सब भरे हुए थे। पत्नी भी जाने लायक म्याग उन्हें सूझ नहीं रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि 'जगह का प्रबंध मैं कर देता हूँ।

परन्तु वीराम्य के आवेश में आप इधर-उधर घूमना न करें। एक जगह रहकर स्थिरता से साधना करो, वाचन-मनन करो तत्त्वज्ञान का अध्ययन करो—यही आपस मेरा आग्रहपूर्वक कहना है।” इसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और मैं भी सोचने लगा कि कौनसा स्थान उनके लिए सुविधाजनक होगा।

किशोरलाल भाई को घर छोड़ने की अनुमति देने की यह बात बापू को जब मालूम हुई, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। इसके अलावा बापू स धैर्य पूछे मने स्पष्ट मत दिया इससे अनेक आशयवाचिकां को विखरागता लगी। सबसे मन को आघात भी लगा होगा। फिर बापू ने मुझे बुलाया और कहा किशोरलाल को एकांतवास कैसे अनुकूल होगा? बने के कारण उनकी तबीयत हमला फराय रहती है। ऐसी स्थिति में वे किसी भी जगह अकेले कैसे रह सकेंगे? उनके स्वास्थ्य के अनुकूल पाने-पीने की व्यवस्था कैसे हो सकेगी? और वहीं दीप में ही उनकी तबीयत बिगड़ गयी ता उन्हें कौन संभालेगा?” ये सब प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और बोले आपने उन्हें एकांत में रहने की सलाह ही यह मुझे साहस लगता है। आप महाराष्ट्रीय हैं। कष्टमहिष्णुता आपको विरागत में मिली है। गुजराती का यह विरासत मिली हुई नहीं है। तिस पर किशोरलाल को तो बरा भी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में वे अकेले कैसे दिन बितायेंगे?” इसके उत्तर में मैंने कहा ‘हम सब उन्हें रोपने का चाहे जितना प्रयत्न करें, परन्तु आज उनके मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे रुक जायें। उल्टे, हमारे विरोध और आग्रह के कारण उनका यह विचार और भी दृढ़ होता जायगा। ऐसी स्थिति में मन की अनिदिबत अवस्था में घर में से निकलकर कहीं वे चले जायें, इसकी अपेक्षा उनके हेतु की दृष्टि से मुझे यही सामंदायिक लगा कि वे किसी एक स्थान पर रहें और स्थिरतापूर्वक कुछ अभ्यास करें। इसलिए मैंने उन्हें यह सलाह दी। उनकी बाग छान दें ता भी स्वतन्त्र रूप से भी मेरी राय यही है कि मन की ऐसी अवस्था में किसीको भी कृष्ण के माप नहीं किन्तु अनेक रहना चाहिए और अपनी कल्पना भावना और ध्यान के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। मनमय को अपने मन की सही स्थिति को पहचानकर कुछ अनुभव सेना

चाहिए। इससे उसकी उत्कण्ठा और व्याकुलता को खुरा रास्ता मिलकर उसका शमन होता है। विशेषतः जब मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में मन के विद्य रहना पड़े तो उसकी वम घुटने जैसी स्थिति हो जाती है। अनुकूल स्थिति मिलते ही वह स्थिति दूर हो जाती है। उत्कण्ठा और व्याकुलता इन्हीं कारणों से बढ़ती है। एकान्त मिलते ही इनका कुछ अंशों में शमन होता है। एकान्त में ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वास्तव में उसे व्याकुलता किस चीज के लिए है और वह कितनी है। उस अपनी असली वृत्तियाँ तथा पात्रता-अपात्रता का ज्ञान भी वहीं होता है। इस स्थिति में यदि उपयुक्त साधन मिल जाता है, तो उसके मन को समाधान होता है और वह शान्त हो जाता है। इन सब बातों का विचार करके मैंने किशोरलाल भाई को अनुमति दी है। अब सिर्फ यह प्रश्न रह जाता है कि वे कहाँ रहें।

इस पर बापू ने पूछा 'कहीं दूर न जाकर यहीं आश्रम से एकाध मील पर कोई शोपड़ी बनवाकर उसमें रहें तो काम चल सकता है?'

मैंने कहा 'मुझे तो कोई हर्ज नहीं है। किशोरलाल भाई को यह बात मजूर होनी चाहिए। वहाँ उन्हें निष्पाधिकता लगनी चाहिए। जाने-मिने की व्यवस्था के धारे में आप और वे मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था सोच लें जिसमें उन्हें कोई उपाधि न लगे। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है।

फिर बापू ने किशोरलाल भाई से इस विषय में बातचीत की। उन्होंने इस पर स्वीकृति दे दी। तब आश्रम से एक मील पर शोपड़ी बनवा देने का काम मगनलाल भाई गांधी ने अपने जिम्मे लिया। कुछ ही दिनों में शोपड़ी तैयार हो गयी और वहाँ जाकर रहने का दिन भी निश्चित हो गया।

वे असहयोग-आन्दोलन के दिन थे। शीघ्र ही अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था। बापू उन दिना बहुत व्यस्त रहत थे। मुझे लगता था कि किशोरलाल भाई के एकान्त में जाने के विषय में अभी तक सबका ऐसा खयाल बन गया था कि अब मैं जो कुछ कहूँगा यही किशोरलाल भाई करेगा। इसलिए उनके बारे में जो कुछ पूछना हो मुझे पूछना चाहिए, इस दृष्टि से बापू ने मुझसे पूछा 'किशोरलाल रोज चरखा बलायें, तो इसमें कोई हर्ज है? मैंने कहा 'यदि वे चाहें तो बार्ते। दूसरे भयवा के पहले से यह

उस न कर सें कि जातना ही चाहिए।" इसक बाद बापू ने जो प्रश्न पूछा उसमें उनका अपार वास्तव्य मरा हुआ था। अथहयोग आन्दोलन का वह गड़बड़ी का समय था। राष्ट्र के भविष्य की सारी जिम्मेदारी उन दिनों उन पर थी। राष्ट्र-कार्य की विन्ता और भार से व्याप्त किशोरलाल भाई पर जन्मका कितना प्रेम था इसकी प्रतीति मुझे हुई। उन्होंने मुझसे पूछा "दिन में एकाध बार उन्हें देख आने की मुझे इजाजत है? उन्होंने जब मुझसे यह माँग की तो मुझे दुःख हुआ। दोनों में परस्पर जो प्रेम था उसे मैं ठीक से जानता था। फिर भी किशोरलाल भाई के रुक्य को ध्यान में रखकर मुझे उनसे कहना पड़ा "माय भितना कम मिलने के लिए जायें उतना ही अच्छा। इन शब्दों में कितनी कठोरता थी सो मैं जानता था। परन्तु बहुत लाचारी के साथ मुझे ये शब्द बहने पड़े। बापू ने मान लिया कि मेरी सम्मति है और रोज एक बार उनकी कुटिया पर जाकर उन्हें देख आने का नियम उन्होंने बना लिया।

आध्यात्म-स्थान और कुटिया-वास

ऊपर की बातचीत के बाद दूसरे या तीसरे ही दिन शाम को किशोरलाल भाई अपने लिए तैयार की गयी कुटिया में जाकर रहने लगे। मैंने सुना कि उस दिन शाम की प्रार्थना में बापू ने उनके बारे में कुछ कहा था। यह भी बात हुआ कि उस दिन सबके मन में बड़ा विषाद रहा।

मेरा और किशोरलाल भाई का सम्बन्ध केवल उनके जाने के विषय में सलाह देने-मर का ही था। इसलिए उनके वहाँ जान के बाद मेरा नाम पूछा ही गया, ऐसा मैंने समझ लिया। परन्तु जाने जो अनुभव हुआ उस पर छ मुझे पता लगा कि उस दिन से ता उनसे सम्बन्ध की मेरी सब्धी जिम्मेदारी का प्रारम्भ हुआ था। यद्यपि उस समय तो मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। भावनी में जाने के बाद पत्र लिखकर उन्होंने साधन मार्ग के विषय में मुझसे पूछना शुरू किया। उससे मुझे संज्ञा होने लगी कि जाने से पहले उन्होंने साध्य-साधन का विचार पूरी तरह से कर लिया था या नहीं। कदापि उनसे मरी इस विषय में बातचीत हुई थी। उससे साधन सम्बन्धी उनकी

पहली कल्पना में परिवर्तन हुआ हो यह भी शंका मुझे हुई। साधन के बारे में वे मुझे पूछने लगे, तो मैं उलझन में पड़ गया। मैंने उन्हें इस विषय में आशा दिला वी होती, तो जाने से पहले ही यह सब उन्होंने मुझसे पूछ लिया होता। परन्तु मेरे जीवन का तरीका कुछ दूसरा ही था। फिर इस विषय में मैंने अपने मन का समाधान अनेक प्रकार के साधनों तथा ध्यान-मनन आदि से स्वयं ही कर लिया था। परन्तु किसी साधक को मुझे साधन-भाग दिखाना होगा इस दृष्टि से मैंने इस विषय में विचार ही नहीं किया था। इसलिए उन्होंने जब मुझसे पूछा तब भी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। पर इसके कारण उनका असमाधान बढ़ता देख मैंने उन्हें ध्यान का मार्ग सुझाया और कहा कि इसके अभ्यास द्वारा वे एक निश्चित भूमिका प्राप्त कर लें। फिर इस (अभ्यास) के लिए पोषक वाचन भी रखें और मुलाकातें, वाद-विवाद चर्चा आदि सब बन्द कर रात-दिन केवल इसी अनुसंधान में रहने का प्रयत्न करें इत्यादि-सूचनाएँ मैंने उन्हें दीं। शोपडी पर मैं बहुत कम जाता था। केवल बापू जाते थे। उन्हें कितना ही काम हो फिर भी कुछ-न-कुछ समय निकालकर वे दिन में एक बार तो उनसे अवश्य मिल आते। कभी-कभी उन्हें शोपहर को वहाँ जाने का समय मिलता तो कभी रात को ही वे आ पाते। परन्तु उन्हें बगर देसे और उनकी तबीयत के समाचार बिना पूछे उन्हें चीन नहीं पड़ती थी। उनके खाने के लिए भोजन घर से जाता था।

बिशोरलाल भाई शोपड़ी में रहने के लिए गये यह बहुत से लोग के लिए एक बड़े झूठूहल का विषय बन गया था। उनके अभ्यास की दृष्टि से मुझे आवश्यक लगता था कि कोई वहाँ जाकर उनसे न मिले। फिर भी अत्यन्त निकट के लोग यदि भट की माँग करके तो उन्हें ना' कहना कठिन हो जाता। इस कारण किसी न किसीसे उनके मिलने के प्रसंग आते ही रहते थे। कोई साधु कोई सज्जन उन्हें मिल आते। पोल रिहार नाम के एक फ्रेंच सज्जन उन्हीं दिनों में उनसे मिल आये। परन्तु हाँ किसीने भी बार-बार वहाँ जाकर उनके अभ्यास में विक्षेप नहीं किया। बापू तथा भगनलाल भाई ने उन्हें वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न होने दी। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गयी। तब गोमती बहन और नरहरि भाई रात को उनकी शोपडी पर गये

थे। नज़्दरि भाई कुछ देर वहाँ ठहरकर छोट आये थे। परन्तु गोमती बहम रात में वहीं रहीं। फिर भी उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी रहा। उसमें वे प्रगति भी करने लगे थे, यद्यपि प्राकृतिक और मानसिक विक्षेप बीच-बीच में आते रहे। साधक के लिए तो उसका अपना मन ही कभी सहायक और कभी बाधक बन जाता है। इस निमग्न के अनुसार उनका मन भी कभी साधक और कभी बाधक बन जाता करता। मैं अपने तथा दूसरों के अनुभव से जानता था कि जहाँ मनुष्य को अपना रास्ता खुद ही खोजना होता है वहाँ ऐसे प्रसंग आने ही रहते हैं। इसे सहकर ही साधक को आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार के मेरे विचार थे। इस कारण और इस कारण भी कि मैं यह नहीं जानता था कि किशोरलाल भाई के अभ्यास की जिम्मेदारी मुझ पर ही है उनके बारे में मैं निश्चिन्त रहता था। इन्हीं दिनों किसी मित्र की बीमारी के कारण मुझे दूसरे गाँव जाना पड़ा। वहाँ जाने पर किशोरलाल भाई के पत्रों से मुझे पता चला कि उनका लिए मेरा आश्रम में रहना कितना जरूरी था। उनका अभ्यास जारी था। परन्तु उनकी व्याकुलता घटी नहीं थी। इस समय किसी अनुभवी मनुष्य के सहयोग की अभ्यास में सलाह-सूचना की और व्याकुलता को दूर करने के लिए कुछ आश्रमवासन की बड़ी आवश्यकता थी। अभ्यास के बीच जो-आ तात्त्विक प्रश्न उनके मन में उठते, उनके समाधानकारक उत्तर उन्हें तत्काल मिलने चाहिए थे। ये उत्तर समय पर न मिलने के कारण कई बार वे बहुत व्याकुल हो जाते। कितने ही प्रश्न अपने-आप हल हो जाते तब वे प्रसन्नता भी महसूस करते। उनके प्रश्नों के उत्तर और उनसे सम्बन्ध सलाह-सूचनाएँ मैं पत्रों के द्वारा उनके

* भाई भीलकण्ठ की मुझे लिखी एक बात यहाँ देने लायक है

अहमदाबाद-काँग्रेस के समय पू० गोमती काशी से मिलन के लिए मैं साबरमती-आश्रम गया था। मुझे काकाजी की शापड़ी दूर से गिराई गयी। उसे देखकर जब बम्बई लौटा तब मैंने 'किशोर धाम का देगानर' इन शीर्षक का एक छोटा-सा गद्य-व्यक्ति लिखा था। यह जब बाद में मैंने उन्हें दिखाया तब उन्होंने कहा कि "तुम तो वाक्य में मस्त थे और मैं अपनी व्यग्रता के कारण इतना परेगान था कि अब यह पढ़कर मुझे अपने ऊपर हँसी आती है।"

पास भेज दिया करता। परन्तु मेरे पत्र उन्हें मिलते, तब तक उनकी पहली उल्ल-
 क्षणें दूर हो जातीं और दूसरी नयी समस्याएँ उनके सामने आ खड़ी होतीं।

मेरी बड़ी इच्छा थी कि किशोरलाल भाई के लिए मैं आश्रम में जल्दी
 पहुँच जाऊँ। परन्तु अनेक कारणों से वहाँ मेरा लौटना जल्दी नहीं हो सका।
 आगे ही आगे बढ़ता गया। इन दिनों किशोरलाल भाई को बहुत-सी अड़बटें
 सहनी पड़ीं और तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत-सी बिदिठियाँ
 लिखीं। मुझे भी बाहर इतनी स्वस्थता नहीं थी कि उनके पत्रों का उत्तर दे
 सकूँ। जिस उद्देश्य से वे एकान्तवास कर रहे थे उसके सम्बन्ध में शान्ति
 पूर्वक विचार करने के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिल पाता था। उन्हें
 मेरे पत्रों की राह देखनी पड़ती। अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण
 और इस बीच अन्य नये प्रश्न उत्पन्न हो जाने के कारण उनके मन में बड़ी
 उत्पन्नता हो जाया करती। उसे दूर करना उनके तथा मेरे लिए भी बहुत कठिन
 हो जाता था। कभी-कभी तो वह सर्वथा अशक्य हो जाता था। ऐसी स्थिति
 में भी उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। अभ्यास में प्रगति हो रही थी।
 फिर भी उनके मन को विशेष शान्ति नहीं भालूम हो रही थी। ध्यान का
 अभ्यास जारी था। उस समय सर्वज्ञान के अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न
 होते थे। उनका हल न मिलने से उनका मन अस्वस्थ हो जाता। मेरा
 खयाल है चार-पाँच महीने के बाद में मैं आश्रम वापस लौट सका। मैं
 तब उनकी यथार्थ स्थिति जान सका। उस समय उन्हें ऐसा लगने लगता था कि
 अब इस कुटिया को भी छोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह एकान्त में चले जाना
 चाहिए, वहाँ कोई जान-बूझानबासा आदमी भी मिलने न आ सके और
 किसीको पता भी न लगे कि वे कहाँ हैं। वहाँ की साधना इस प्रकार जारी
 रखी जाय। अब तक मन को पूरी शान्ति न हो तब तक वापस नहीं लौटना
 चाहिए। इस प्रकार कभी कुटिया छोड़कर चले जाने की सोचने तो कभी वहीं
 रहकर स्थिरतापूर्वक अपनी साधना को जारी रखने का विचार करते।*

* इसी अर्थ में वापू गिरफ्तार कर लिये गये। तब किशोरलाल भाई ने
 उनको आ पत्र दिया और बापूजी ने उसका जो उत्तर भेजा वह इस प्रकार है

ऐसी अनिश्चित स्थिति में कुछ दिन बीते और अन्त में उन्होंने अकेले ही नहीं चले जाने का निश्चय किया।

मे बड़ी चिन्ता में पड़ गया। जो जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर नहीं ली थी वही आहिस्ता-आहिस्ता सिर पर आ गयी। मन की इस अवस्था में वे नहीं चले जायें यह बात मुझे अत्यन्त चिन्ताजनक लगी। मुझे यह भी लगा कि उनका मन अब साधारण उपाय से दान्त नहीं होगा। साधक की व्याकुलता के अनेक

गुम्बार

१६३ २२

परम पुण्य धाम की सेवा में

वि० वि० आपसे भेट हो सकती है यह ज्ञान हुआ। परन्तु इस प्रयत्न पर नहीं आऊँगा। इतनी उदासीनता मेरे मन में सम्भव उत्पन्न हो गयी है एसा ज्ञान किसीके मन में उत्पन्न करें तो भगवान् का अपराधी हो जाऊँगा और यह अपने-आपको भी घोसा देना होगा। परन्तु मित्रों के लिए जाने की हिम्मत ही नहीं है। अभी-अभी वही मेरी कृतियाँ स्थिर होने लगी हैं। परन्तु जरा-से बिजोप से फिर बिगड़ जाती है। वर्तमान की घटनाओं से मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। वहाँ मान पर इनकी जामकारी हुए बिना नहीं रहेगी। उसमें से मैं कुछ ग्रहण कर सकता तो दूसरी बात थी। परन्तु मेरी वर्तमान स्थिति में मैंने अनभिज्ञ रहने में ही मेरी गैरियत है। प्रभु की महान् विभूति के रूप में आपके चरण छू सका होता तो बहुत अच्छा होता। आपकी किस्ती सजा हुई है इसका भी मुझ परवा नहीं है। इसलिए हम सब मिल सकेंगे भगवान् ही जानते हैं। सम्भव है कि आप सौते तब मैं आश्रम से दूर नहीं चला गया हूँ। इसलिए यह विद्योग जितना कम्या है यह अनिश्चित है फिर भी दिल को घामकर इन प्रत्यक्ष अभिनय का सहकर भी यहाँ बैठा हूँ। आपको यह पसन्द ही होगा इसलिए आपसे क्षमा-याचना क्या करें? बस यही प्रार्थना करता हूँ कि इतनी दूर न मेरे प्रणामों को स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद दें। आप तो कमयोग करके निश्चिन्त हो गये हैं। यही निश्चिन्तता मुझ भी प्राप्त हो ऐसे आशीर्वाद कृपया दें।

प्रकार मन दबे थे। कितनी ही का तो स्वयं मुझे भी अनुभव था। इसलिए मैं जानता था कि ऐसी स्थिति में उचित उपाय अथवा ज्ञान का साधन न मिलने से साधक की कौसी उल्टी स्थिति हो जाती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि 'आप जहाँ जायेंगे वहाँ मैं आपके साथ रहूँगा। परन्तु वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ। वे नवधा मुक्त रहना चाहते थे। परन्तु मैं जानता था कि जब मन में शान्ति नहीं होगी तब इस तरह मुक्त होकर रहन और भ्रमने में कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप साथ में न लना चाहें तो न

मेरे कृतव्य कर्म के विषय में जो भी आज्ञारूप सन्देश हो सूचित करवाने की कृपा करेंगे।

आज्ञांकित धारुफ
किशोरलाल के सविनय दण्डवत् प्रणाम

सावरमती जेल

१७-३ '२२

माई श्री ५ किशोरलाल

आपकी याद में हमेशा करता रहा हूँ। आपसे मिल सका होता तो अच्छा होता। परन्तु अब आपकी पिट्टी ही काफी है। भ्रमसे मिलने के लिए भान के अपने विचार का आपन छोड़ दिया यही उचित है। जाने में कोई विशेष लाभ नहीं था। उल्टे यह तो प्रत्यक्ष ही है कि आपके अम्यास में खाल पड़ता।

आपका प्रयत्न शुद्ध है इसलिए सफल वा होगा ही। एक भी शुभ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होगा।

मुझ अभी समा नहीं हुई है। वह तो शायद कल ही मामूम होगा। अभी तो कच्छी जेल में हूँ। मुझे पूरा शान्ति है। साथ में धररछाल बैकर नी ह।

मेरे भागीबाद तो आपके साथ है ही। वहाँ से हटन की जल्दी न करें। किन्तु जब अन्तरात्मा यह कि जाना ही चाहिए, तब अबस्य जायें।

बापू के भागीबाद

सही। आप वहाँ-जहाँ जायेंगे वहाँ-वहाँ में स्वतन्त्र रूप से जाऊँगा। इस पर आप प्रतिबन्ध-कसे लगा सकते हैं? जब आप मानते हैं कि आप जहाँ चाहें वहाँ जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। तब आप मुझे क्यों रोकते हैं?' मेरे इस जवाब से वे निरुत्तर हो गये और साधारण होकर अपने साथ मुझ सेना स्वीकार कर लिया। हमने पैसा ही आबू जाने का निश्चय किया।

आबू में

श्री किशोरलाल भाई और मैं रात को झोपड़ी से आश्रम पर आये। रात में वहीं रहे। दूसरे दिन सुबह हम आबू के लिए रवाना हो गये। अपना सामान हमने खुद ही उठा लिया। इस समय बापू आश्रम में नहीं जैसे में थे। किशोरलाल भाई जब आश्रम से झोपड़ी पर गये तब की अपेक्षा उनकी आज की मानसिक स्थिति बहुत ममीर, अत्यन्त नाजूक और बड़ी उलझनभरी थी।

बैराम सुदी ५, १९७८

ता० २-५ २२

सौ० गोमती

वैदिक प्रवास पर जाने का विचार कर रहा हूँ। साथ में एक स्लोट दो गमछे तथा एक तौलिये के सिवा और कुछ भी रखने की इच्छा नहीं है। एक अँगोछा जूते और एक लकड़ी भोज देना। कहीं जाना है अनी निश्चित नहीं।

तुम तुरन्त मत मानना। प्रभु की कृपा से दान्ति मिलते ही जल्दी सीट जाऊँगा। तब तक गुदनी की सेवा करना। जब तक बुद्धि जाग्रत रहती तब तक आत्महत्या आदि द्वारा धरिण का नारा नहीं करूँगा। यदि उग्र-निर्वाह के लिए कहीं मौकरी कर सी तो तुम्हें बुलवा लूँगा। तब तक धीरज रखना। मेरा माह नहीं करना। मुझे मुक्ताने का प्रयत्न करना। मुझ के लिए जा लिया है तो मेरे मोह के कारण ही। इस मोह में मैं तुम झूठ का यत्न करना। परमात्मा की भक्ति से बह चीज प्राप्त कर लेना जिस में प्राप्त नहीं कर सता।

तुम्हारा अनधिकारी पति

किशोरलाल

रवाना होते समय उनके मन में बड़ा विपाद था। स्वयं भरे मन में भी बड़ी चिन्ता थी। रास्ते में चलते हुए हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। ऐम गरमी के—वैशाख के—दिन थे। दोपहर में और रात में हम वहाँ रहे, कुछ याद नहीं। परन्तु दूसरे दिन पैदल चलने का विचार छोड़कर हमने रेलगाड़ी का सहारा लिया। आबू पहुँचने पर दिगम्बर जैन-मंदिर की भर्मशाला में ठहरे। अब हमारी बातचीत शुरू हुई। उनके मन में जो प्रश्न उलझने लगी कर रहे थे उन्हें हल करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया। अब मैं समझ गया था कि उनके मन का समाधान कर देने की जिम्मेवारी मेरे ही सिर पर है। इसलिए अत्यन्त सावधानी के साथ विवेकपूर्वक और गहरे प्रेम के साथ मैंने उनके प्रश्नों को सुलझाना शुरू किया। साबरमती से जिस समय उनके साथ रवाना हुआ उस समय अन्य कई चिन्तायुक्त जिम्मेवारियों को छोड़कर केवल उनकी कृपाल और शान्ति के विचार को ही मैंने मुख्यतया अपने सामने रखा था। इसलिए पूरे निश्चय से उनके प्रश्नों को सुलझाने में लगा। सम्पत्त-के-सामने ईश्वर-साक्षात्कार, आत्मा, ब्रह्म परब्रह्म जीव शिव, इहलोक परलोक जन्म पुनर्जन्म परमधाम मकरधाम मोक्ष आदि अनेक प्रश्नों से साधक बचने हो जाता है। ग्रन्थप्रामाण्य और महापुरुषों के परस्पर-विरोधी वचनों पर श्रद्धा के कारण ही साधक उलझन में पड़ जाता है। कल्पना भावना और श्रद्धा के बीच क्या भेद है वह नहीं जानता। अनुमान तर्क और अनुभव के बीच क्या अन्तर है वह समझ नहीं पाता और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रन्थों में श्रद्धा के रूप में जो कुछ पाया जाता है जब तक उसका साक्षात्कार या ज्ञान नहीं होता तब तक पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलता मोक्ष नहीं प्राप्त होता ऐसा उस भय होता है। इसके कारण उसके मन की परेशानी बढ़ती जाती है और मोक्ष के विषय में वह मिरास होकर उसकी व्याकुलता परावाप्टा वा पहुँच आती है। यह सब मैं अपने अनुभव से जानता था इस कारण किशोरलाल भाई जी आज की स्थिति और व्याकुलता को मैं समझता था। इसलिए उनके चित्त को भ्रम में डालनेवाले प्रश्नों को मैंने एक-एक करके हाथ में लेना शुरू किया। उनकी समझ उनकी श्रद्धा ^{अनुभव} ~~अनुभव~~ मानी हुई कल्पनाएँ, इन सबमें जो भ्रम था उसका मैं सफाई करना शुरू किया।

महापुरुषों के जिन-जिन वचनों का आधार लेकर उन्होंने अपने मन को व्याकुल कर डाला था उनका मानव-जीवन की दृष्टि से निरतना मूल्य है, यह मैं स्पष्टता के साथ उन्हें समझाने लगा। मैं यह भी जानता था कि मेरे इस तरह से समझाने से उनके मन को तथा आब तक की पोषित उनकी थड़ा को निरतना आधार पहुँच रहा है। परन्तु इसके सिवा दूसरा कोई धारा ही नहीं है यह समझकर ही मैंने अपना प्रयत्न जारी रखा था। उनके प्रश्ना और वचनों से मैंने यह भी देखा कि उनके मन में तीव्र मन्थन शुरू हो गया है। मेरे मन में उनके प्रति अतिशय प्रेम, सहानुभूति और थड़ा थी फिर भी अत्यन्त कठोरता के साथ मुझे उनके भ्रमों का खण्डन करना पड़ा। इस कारण कभी उनका विषय बड़ जाता तो कभी पान्ति की आशा पैदा हो जाती। एना सगता था मानो उनकी नाव बीच नदी में गाल या रही है। मुझे स्पष्ट दीपता था कि मरी खण्डनात्मक बलीलों ने क धार मन्द में पड़ गये हैं। जीवन में अब किसीका आधार नहीं रहा। अब किस पर थड़ा रखकर, किसके आधार में और जिसके वचनों को प्रमाण मानकर जीवन-नीता चलानी चाहिए और उसे किस किनारे लनायें, साम्य प्राप्ति के लिए किसका आधार लें इस दुविधा में वे पड़ गये थे। तथापि मैं अपने ढंग से उनमें राज बातचीत करता रहता था जिससे वे दिन प्रतिदिन अधिक-अधिक गम्भीर होते जा रहे थे। आनु के लिए हम दोनों जब खाना हुए, तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि इस बार मैं यह भूल नहीं हूँगा कि पहली बार आधम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम से तब मैं भी थी। उस समय मैं उनमें ढंग प्रारंभ बातचीत करता कि जिसमें उनकी किसी कल्पना मान्यता अथवा थड़ा को विषय आभास न पहुँच। मैं समझता था कि साम्य-साधन के विषय में वे गीत-गीत बिचार कर हीन तरह से अन्वेष भी कर लेंगे। मैं यह भी सोचता कि जब मुझ पर उनकी सीधी जिम्मेदारी नहीं है तब मैं क्यों नाहन उनमें मन में सुनिश्चय पैदा करूँ। ढंग दृष्टि से उनका ओर अधिा ध्यान न कर उन्हें मैंने एकान्त में जान दिया। उनका जो परिणाम हुआ उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि अब की बार वह भूल नहीं हान देनी है बल्कि उसकी शक्ति-शक्ति भी कर देनी है।

इस तरह बातचीत करते-करते तीन चार दिन बीत गये। एक दिन शाम के कोई चार-पाँच बजे के समय हम दोनों एक टेकरी पर बैठे थे। किसी तात्त्विक विषय पर वार्ता चल रही थी। बोलते-बोलते विन्व और हमारे बीच की एकता और मिश्रता पर बोलने का प्रसंग आया। उस समय मैं क्या कह गया, यह तो मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है। विवेक और साधना नामक पुस्तक में 'व्यक्त-अव्यक्त विचार' वाले प्रकरण में मैंने जो विचार प्रकट किये हैं शायद कुछ वसी ही बातें मैं उस समय कही हागी ऐसा लगता है। उस समय के भाव तीव्रता और तमयता की मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय हम दोनों ही थे और हमारे सामने सड़े हुआ पत्थर टेकरियाँ पर्वत—इस सबका दर्शन मुझे किस रूप में हो रहा था यह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अत्यन्त भावमग्न होकर बोल रहा था। मेरा वाकप्रवाह चल रहा था तब उन्होंने अत्यन्त कृतज्ञता और नम्रतापूर्ण भाव से मुझे कहा कि उनकी व्याकुलता का पूर्णतः क्षमन हो गया है। उस समय उनकी अन्तःकरण मद्भाबना से पूरी तरह भर गया था। उसके वेग को वे रोक नहीं पा रहे थे। यह मैं देख रहा था। उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो गयी थी कि क्या क्या और किस तरह यह हुआ इसका विचार कर सकें इस मन स्थिति में हम दोनों ही नहीं थे। उनके एक ही वाक्य से मेरी तमयता टूट गयी। मेरा धोखना बढ़ हो गया। दोनों में से किसीको भी बोलने की इच्छा न रही। दाना का लगा कि बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इस निश्चल अवस्था में हमारा बहुत-सा समय बीता। सध्या घीतकर कभी का अंधरा हा गया था। एसी ही अवस्था में हम दाना उठे और चलने लगे और घमशाण में पहुँचे। उस रात हमें कुछ घामा या नहीं मुझे याद नहीं। परन्तु नींद के समय तब हम दोनों घामवाली स्थिति में ही थे।

किंगारमाल भाई को तो नींद जस्दी आ गयी। महीना बाद निश्चित अवस्था में आयी हुई यह उनकी पहली ही नींद होगी एसा मुझे लगा। मुझे भी लगा कि बहुत दिन की उनके सम्बन्ध की चिन्ता और जिम्मेवारी सब भी मुक्त हुआ, फिर भी मुझे इस बात का खास स्मरण है कि उस रात मुझे नींद नहीं आयी। परन्तु नींद न आने पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ।

अभ्यात्म एक ऐसा विषय है, जो केवल लक्ष्यों से नहीं समझाया जा सकता। प्रत्यक्ष भाव ज्ञान अनुभव प्रसंग, धोनों की संतर्नाह्य स्थिति इन सबका उत्तम अत्यन्त गहरा सम्बन्ध होता है। परमात्मा की कृपा हम दोनों का कुछ भाग्य इससे मेरे प्रयत्न को सदा मिला और किशोरलाल भाई की व्याकुलता का दमन हुआ। उन्होंने अभ्यास में जो समय बिताया, वह भी सार्थक हुआ। तात्पर्य यह कि उनकी पहले की दृष्टि बदल गयी और अंधेरे में से प्रकाश में आनवासे आवामी को जैसा लगता है, वैसा उन्हें लगा। उनके चित्त को समाधान हो गया*। यद्यपि इसमें दिव्यता अथवा अद्भुतता जैसी कोई वस्तु नहीं है।

दिगम्बर जैन-धर्मशास्त्र

देलवाड़ा जामू

वैशाख वदा २ १९७८

* अ० सी० गोमती

वि० श्री सद्गुरु की पूर्ण कृपा से गुलबर्ना के पुष्प से, सत्सुल्या के आशीर्वाद से और तुम्हारी मदद से मुझे कल दाय को गुलदेव ने ज्ञान देकर श्रुताभ बर दिया है। मेरी शकामों का समाधान कर दिया है और दास्त बर दिया है। अब जानन योग्य कुछ भी नहीं रहा है। तुमने मरी जो मदद की है उसके लिए किन शर्तों में कृतज्ञता प्रकट करें। इसका बदला क्या करने से दिया जा सकता है? अब कुछ ही दिना में भींचे जाऊंगा। श्री गुरुदेव की और गुरुजनों की जैसी आशा होगी, उसके अनुधार आये वा जीवन बिताऊंगा। यह जानकर तुम्हें सन्तोष होगा।

तुम्हें यहाँ धुमान का सोचा था। परन्तु भींचे स्थान पर मारी आदि का प्रदर्शन करना फटदायक है। यह तुम अकेली से नहीं बनेगा। यह सोचकर यह विभाग छोड़ दिया और यही निश्चय किया कि हम ही छोटे दिना में यहाँ पहुँच जायें।

बस भीलाप के आशीर्वाद।

तुम्हारा श्वशी

किशोरलाल के आशीर्वाद

पुनः आश्रम में

उन्हें लगा कि अब आबू पर रहने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे या तीसरे दिन हम रेल से रवाना होकर साबरमती आ गये। आश्रम में अब पहुँचे, तब रात अधिक हा गयी थी। पहले से आने की सूचना हमने नहीं भेजी थी। इसलिए सबको आनन्दमिश्रित आश्चर्य हुआ। किशोरलाल भाई के आने की खबर आश्रम में बिजली की तरह फैल गयी। सबरे की प्रार्थना में उन्हें लोग ले गये थे और उन्हें कुछ बोलना भी पड़ा था। आश्रम से आने के करीब छह-सात महीने के बाद वे लौटे थे। (उन्हें समाधान प्राप्त होने की तिथि १९७८ के वैशाख की प्रतिपदा अर्थात् ता० १२ ५ १९२२ थी।)

लौटने के बाद सबकी इच्छा थी कि वे बिद्यापीठ के महामात्र का काम सँभाल लें। उस समय बापू जेठ में थे। मैंने यह भी सुना कि सरदार बल्लभ-भाई उन्हें महामात्र का काम सँभालने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। परन्तु मेरी सलाह यह थी कि अभी वे पाँच-छह महीने और अभ्यास में लगे रहें और अपनी भूमिका को स्थिर कर लें। उसके बाद काम में लगे। इस सूचना के अनुसार उन्होंने एक-दो महीने आश्रम में ही एकान्त में बिताये। उसके बाद खुद उन्हींको लगा कि अब उनकी भूमिका स्थिर हो गयी है और अब काम शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए और वे काम में लग गये। किशोरलाल भाई का एकान्तवास में अकारण बहुत-सा कष्ट उठाना पड़ा। समाज में भक्ति तथा ज्ञान आदि के विषय में रुढ़ कल्पनाओं और मान्यताओं के कारण प्रामाणिक साधक को अपनी पूर्ण धृष्टा और बिबेक के बीच काफी संघर्ष सहना पड़ता है। तदनुसार उन्हें भी सहना पड़ा। उसी समय यदि मेरे ध्यान में यह बात आ जाती और मैं उसी समय वह अपना काम समझकर उसकी जिम्मेवारी सन्तोषपूर्वक लेता और निष्ठापूर्वक उनकी ओर ध्यान दे देता ^{तब} आबू आने के बाद उनके प्रश्नों की धार मैंने जितना ध्यान दिया वह जिम्मेवारी यदि पहले से ही स्वीकार कर लेता तो शरीर की व्याधिग्रस्त अवस्था में जाड़े की सर्दियों में और ग्रीष्म की असह्य गरमी में कुटी-जैसी अनुविधाभरी जगह में रहकर बिना किसीकी प्रत्यक्ष सहायता के एकाकी अवस्था में उन्हें जो मानसिक व्यग्रता महनी पड़ी शायद वह न सहनी पड़ती। मेरा पहले से उनकी जिम्मे-

वारी न लेना, यह उनके कष्ट का दूसरा कारण था। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी व अपनी साधना में दृढ़ रहे इससे प्रकट होता है कि उनके भीतर सत्य की जिज्ञासा, सहनशीलता वढ़ निरन्तर स्वीकृत ध्येय के लिए सर्वस्य तक धर्पण कर देने की तैयारी भादि सद्गुण दिखाई देते हैं।

साक्षात्कार सम्बन्धी छम निवारण

इसमें कोई शक नहीं कि किशोरलाल भाई आरू से कुछ ज्ञान पकर भाये। परन्तु उनके बारे में सोचा में अनक प्रकार की भिन्न-भिन्न धारणाएँ फैली हुई हैं। उसमें जो गलतफहमी हैं उसे यहाँ दूर करने का प्रयत्न करना मुझे उचित मालूम देता है। कई लोग समझते हैं कि वहाँ उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। कोई आत्म-आदात्कार, तो कई ब्रह्म-साधारण हुआ ऐसा मानते हैं। कई लोगों का खयाल है कि वहाँ उन्हें समाधि लग गयी थी और उसमें उन्हें पूरा ज्ञान हा गया। ऐसा कोई दान, साक्षात्कार या ज्ञान हा गया है ऐसा किशोरलाल भाई में नहीं लिखा हो ऐसा मैं तो नहीं मानता। उनके बारे में एसी मान्यताएँ होने का कारण यही है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त या साधक माना जाता है, उसमें ये बातें शारी हैं ऐसी वस्तुना रूढ़ हैं। हिमालय आरू घंघा या नर्मदा के तट पर, किमी तीर्थ में किमी पर्वत यत या एकान्त में किमी भी प्रकार की साधना का सम्बन्ध ईश्वर-साधारण के साथ मान लिया जाता है। स्त्री पुरों से मुक्त परिवार में रोगी और घातनाश्रम की सेवा में गनार की विधवाओं में अथवा व्यवहार की बर्तनाश्रम में मनुष्य पाहे दिउनी ही पवित्रता मयम, सत्य और ईश्वरनिष्ठा के साथ रहना हो ता भी उन मान नहीं करेंगे कि इसे साक्षात्कार हुआ है। किशोरलाल भाई व विषय में भी यह जो माना जाता है इसका कारण हमारी प्रचलित मान्यताएँ ही हैं। परन्तु सत्य की दृष्टि में यह सही नहीं है।

ज्ञान की पूनता कभी बिजली की अथवा के समान एक क्षण में होनेवाली वस्तु नहीं है। जीवनभर ज्ञान का अग्रह करन-करने आरमी ज्ञान-आमूय होता रहता है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, वेग-वेगसे—यदि

उसके मस्तिष्क में कोई खास विह्वल नहीं हुई तो—उसका ज्ञान जब तक वह जीवित रहता है, कुछ-न-कुछ बढ़ता ही रहता है। इस नियम के अनुसार देखें, जो किसी निश्चित क्षण अथवा किसी दिन उसका ज्ञान एकाएक पूर्णता को पहुँच गया, इस मान्यता में सत्य का आधार नहीं है। क्योंकि ज्ञानोन्मुख होने के कारण वह तो अपने ज्ञान में प्रत्येक क्षण प्रयत्नपूर्वक लगातार वृद्धि करता ही रहता है। फिर ज्ञान हमेशा वर्धित रहता है। इसलिए किसी भी क्षण को संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का क्षण मान लेना भ्रम है। यह मान लेने का अर्थ इतना ही हो सकता है कि उसके बाद प्राप्त ज्ञान का कोई विशेष महत्त्व नहीं। ज्ञान का उपासक और ज्ञानोन्मुख मनुष्य प्राप्त ज्ञान को कभी पूर्ण नहीं समझ सकता।

यह होते हुए भी कभी-कभी अत्यल्प समय में मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान होने पर अथवा जीवन का रहस्य समझ में आने पर उसकी अब तक की कल्पना मान्यता और भ्रम में एकदम बहुत बड़ा फट पड़ जाता है। जिस चीज को वह अब तक ज्ञान समझ रहा था, उसका अधुरूपन दोष भ्रम अथवा उसके भीतर छिपा हुआ अज्ञान उसकी दृष्टि में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि सत्यासत्य को परखने की दृष्टि उसे एकाएक प्राप्त हो जाती है। अंधकार से प्रकाश में आने पर वहाँ के मार्ग आदि के सम्बन्ध में हमारी पूर्वकल्पना और अनुमान जिस प्रकार गलत साबित हो जाते हैं, कुछ उसी प्रकार की चीज यह है। परन्तु इस पर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गयी अथवा उसके लिए अब कुछ प्राप्त करने की वस्तु ही नहीं रही। केवल यही कहा जा सकता है कि ज्ञान की दिशा उसने जान ली और किसी भी गभीर, महान् और महत्त्व के विषय में सूक्ष्मता गहराई और व्यापक दृष्टि से विचार करने की दृष्टि उसे प्राप्त हो गयी है। बहुत हो तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन के विषय में जगत् के विषय में कल्याण के विषय में तथा साधकता के विषय में परमार्थ से खली आयी दृष्टि से विचार करने के बदले इन विषयों पर समतोलता के साथ सत्यान्वेषण की दृष्टि से विचार करने की कला उस अवगत हो गयी है। एक शब्द में यह कह सकते हैं कि उसे 'गुद विवेक-दृष्टि' प्राप्त हो गयी है। इस 'गुद विवेक-दृष्टि' का मिल जाना

मानव-जीवन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व की बात है। इस विवेक-दृष्टि से मनुष्य को एकाएक संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परन्तु ज्यों-ज्यों इस दृष्टि का मनुष्य उपयोग करने लगता है त्यों-त्यों यह अधिकाधिक सूक्ष्म, तेजस्वी और तीव्र होती जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक क्षण में वह उसे काम दे सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय में उसकी अवलोकन, निरीक्षण परीक्षण और पृथक्करण की शक्ति भी बढ़ जाती है। इन सब शक्तियों की सहायता से उसकी विवेक-बुद्धि उसे सही निर्णय देने समर्थी है। ऐसी बुद्धि और दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली है वह साधक ईश्वर-परमेश्वर संपूर्ण-निर्गुण साकार-निराकार, आत्मा-परमात्मा प्रकृति-पुरुष आदि के सम्बन्ध में ठीक विचार कर सकता है। जिसे धर्म की बुद्धि और इस प्रकार की विवेक-बुद्धि प्राप्त हुई है, वह इनकी सहायता से भाषण करता हुआ अपना जीवन सार्थक कर सकता है। विवेक-बुद्धि के कारण होनेवाले नित्य नवीन अनुभव की प्राप्ति के साथ-साथ नित्य बढ़नेवाले ज्ञान को किसी विधि-प्रयोग पर भी 'संपूर्ण' यह विशेषण नहीं दिया जा सकता।

इस दृष्टि से विचार करते हैं तो किशोरलाल भाई को जो समाधान मिला वह सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से हानिवाला समाधान या ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है। अपने प्रदत्त मनुष्य को तंग करते रहते हैं। उसकी अपनी मनोवृत्तियाँ कल्पनाएँ, धारणाएँ और श्रद्धा भी उसे भ्रम में डालती रहती हैं। इनसे छूटने का ज्ञानयुक्त उचित मार्ग जब मनुष्य को मिल जाता है तो इन सबसे उसकी मुक्ति हो जाती है। दिमाग पर न सात दृष्ट जाता है और उसकी व्याकुलता का गमन हो जाता है। परन्तु उमरा तमन हो गया उसे कुछ शान्ति मिल गयी इससे यह हरदिन न मान लेना चाहिए कि उसे जीवन-सिद्धि अथवा संपूर्णता प्राप्त हो गयी। जीवन में मनुष्य को हमेशा एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं तंग किया करते। मात्र एक प्रकार का प्रश्न उठता है तो कम दूर के प्रश्न का। उसका हल पान के लिए वह उत्कण्ठ और व्याकुल हो उठता है और जीवन की दृष्टि से बिलकुल ही प्रदत्त एतद महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं कि कम-अधिक परिमाण में उनका महत्त्व जीवन-साधना होता है। आध्यात्मिक और नैतिक प्रश्न हमी प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न त्रिम समग्र मनुष्य के मन

मैं अत्यन्त उत्कृष्टता और तीव्रता के साथ उठते हूँ और उसे बेचैन कर डालते तब उनके निराकरण का मार्ग मिलकर उसे शान्ति प्राप्त होना अत्यन्त आवश्यक है। उसकी व्याकुलता यदि उचित मार्ग से शान्त हो जाय और उसमें से यदि उसे चित्त की एक स्थिर भूमिका तथा दृष्टि प्राप्त हो जाय तो इस भूमिका पर से और प्राप्त दृष्टि की सहायता से वह जीवन के अन्य विकट प्रश्नों को भी हल कर सकता है। नित्य वर्द्धमान विवेक-दृष्टि और ज्ञान के कारण उसके आचार-विचार में और छोटे-बड़े सब कर्मों में एक निश्चित पद्धति और सुसंगति माने सगती है और उसका जीवन शान्त तथा सरल बन जाता है। उसमें बौद्धिक तेजस्विता के साथ-साथ भावनाओं की शुद्धि हृदय की निमलता निर्मयता सत्यनिष्ठा दृढ़ता मनुष्यमात्र के प्रति प्रम न्यायपरायणता और निश्चय के साथ-साथ समतोलता आदि सद्गुणों की स्वतः वृद्धि होती जाती है।

किशोरलाल भाई की व्याकुलता का शमन हो जाने के बाद ऊपर बतायी स्थिर भूमिका पर रहकर उनका कर्म-मार्ग अन्त तक ठीक-ठीक चलाया रहा। सभी जानते हैं कि वे तत्त्वचिन्तक और तत्त्वनिष्ठ भी थे। आबू से लौटने के बाद भी मेरे साथ अनेक बार उनकी बातचीत हुई। उसमें से उन्होंने जो कुछ आत्मसात् किया और उस पर चिन्तन करके विकसित किया वह सब 'किस वपीना पाया' 'जीवन-शोधन' 'अडमूल से अन्ति' आदि पुस्तिका द्वारा उन्होंने जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।

कठम्य-निष्ठा से सत्कर्म करते-करते किशोरलाल भाई चले गये। परन्तु मेरी पान्नता से कहीं अधिक विश्वास और पूज्य भाव उन्होंने मुझ पर रखा। मुझ पर उन्होंने जो अत्यधिक प्रेम और हृत्सन्न भाव प्रकट किया है उसका बहुत बड़ा श्रेण उनका मुझ पर अब भी उची प्रकार बना हुआ है। मैं चाहता था कि वे मुझसे मित्र की तरह बर्ताव करें। परन्तु प्रारम्भ की मेरे स्वभाव की अस्थिरता तथा मुझसे बर्दाश्त न हो सके ऐसी उनकी मेरे प्रति अन्त तक की विनमशीलता और नम्रता के कारण मेरी वह इच्छा अन्त तक पूरी नहीं हो सकी यह मुझे स्वीकार करना पड़ता है।

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में श्रुति-स्मृति नाम से जो

किन्ना है उसमें श्री नाथजी से परिचय तथा उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के बारे में यह लिखा है

“आश्रम में काका साह्य की मार्फत मेरा पू० नाथजी से परिचय हुआ। उनकी योग्यता के विषय में काका साह्य ने मुझ कुछ कल्पना की। इससे पहले उन्हें मैं आश्रम पर आते-जाते देखता रहता था। परन्तु उनके साथ मैंने अधिक परिचय नहीं किया। मैं समझ रहा था कि वे मराठी-साहित्य के अच्छे अभ्यासों हैं और कुछ मन्त्रादिक भी जानते हैं। एक बार मुझे आगे सिर का दर्द हो गया तब उन्होंने पूछा था कि क्या वे उसे उतार दें? परन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया।

। मैं आश्रम में आ गया था। फिर भी स्वामीनारायण-सम्प्रदाय से मेरा सम्बन्ध और उसके प्रति मेरा आकर्षण कम नहीं हुआ था। आत्मा-परमात्मा के विषय में सम्यक् ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता—उसमें सदसुख के बिना मार्ग नहीं मिलता और इसके लिए एकात्म-सेवन की आवश्यकता है इन बिचारों की ओर मैं झुकता जाता था। सम्प्रदाय में अच्छे-से-अच्छे माने जातवाले मन्त्रों और साधुओं से परिचय पाने के यत्न में मैं था। स्वामी श्री रघुबीरचरण दातजी के मित्र स्वर्गीय श्री भक्तिसदनदासजी मेरे ही समान विज्ञानु थे। उनके सहवास में मेरी कृति अधिक तीव्र हो गयी थी। परन्तु सम्प्रदाय में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, जो ठीक-ठीक मार्ग-दर्शन कर सके।

‘अहमदाबाद में जो गुजरात-साहित्य-परिषद् हुई थी उसके लिए स्वामी नारायण-सम्प्रदाय के जाने में देने एक निबन्ध लिखा था। ‘सहजानंद स्वामी’ नाम की पुस्तक इसी निबन्ध का संशोधित संस्करण है। इस निबन्ध के प्रकट मैं देख रहा था। वे श्री नाथजी के पढ़ने में आ गये। उसका ‘सांख्यिक तत्त्व ज्ञान’ सीपक माग पढ़ने पर उन्होंने मुझसे कहा ‘भैरविचार इनसे कुछ अलग है। आपकी इच्छा होती तो किनो समय यत्राऊँगा। मैंने कहा ‘अच्छा।’ परन्तु उन्हें जानने की मुझे उत्सुकता नहीं हुई। मैंने सोचा कि प्रायः पंडित लोग—और मेरा समाल था कि पू० ताव पंडित होंगे—भद्रतवेदासी हल हैं इसलिए वे अद्वैत का निबन्ध करने और मझे उन्मत्त फाई यत्न कर रहा है। क्योंकि यह सहजानंद स्वामी के मत से विरुद्ध था। सम्प्रदाय या धार्मिक पुण्यता के अज्ञान के अज्ञान के निबन्ध करने की गति अभी मुझ नहीं हुई थी। मैं शायद था कि सहजानंद

स्वामी पूर्ण पुस्त्योत्तम हैं। उनके बचनामृत में सारा तत्त्वज्ञान आ ही गया है। इससे विरोधी वस्तु अवश्य ही सोटी होनी चाहिए और यदि इसके अनुकूल भी हो तो बचनामृत में जितनी सरलता के साथ कहा गया है उससे अधिक सरल वह हो ही कैसे सकती है? इसलिए उसे सुनने की कोई जरूरत नहीं।

एक रात काका साहब और मैं गाड़ी में बैठकर आश्रम आ रहे थे। रास्ते में मने पू० नाथ के गोजगार-बधे के विषय में उनसे पूछा। इस पर काका साहब ने उनके दाढ़े में ऐसा मत प्रकट किया कि वे तो उन्हें जीवनमुक्त मानते हैं। फिर उन्होंने पू० नाथ की याम्यता के बारे में मुझसे कहा। तब तां मुझे लगा कि मुझे अवश्य ही और तुरन्त उनके विचार जान लेने चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन वे सावरमती से जानेवाले थे। इसलिए ढेर हो जाने पर भी मैं उनके पास गया। वे तब पर सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे प्रार्थना की कि आपने मुझे आ आशा दिलायी है उस पूरी करें। तब उन्होंने मुझे सबसे पहले कल्पना और अनुभव के बीच का भेद समझाया केवल एक ही वाक्य में उन्होंने मेरे लिए एक नया क्षेत्र खड़ा कर दिया और मेरी सम्पूर्ण दृष्टि को पलट दिया। मेरे लिए तो वह एक क्षण आध्यात्मिक विद्या में हृदय परिवर्तन का क्षण बन गया। दूसरे दिन उन्होंने जाना स्पष्ट कर दिया और उसे पंद्रह दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। इन पंद्रह दिनों में मुझसे जिसना बन पड़ा मने उनका सहवास किया। मेरा हृदय-परिवर्तन जारी ही रहा। जिनकी इतन विद्या से मुझे जोब भी वे मिल गये ऐसा मुझे निश्चय हो गया और मने उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया।

‘इसके बाद उनके बताये मांग से मने अपने आध्यात्मिक विकास का प्रयत्न शुरू कर दिया। उनकी सम्मति से एवान्तवास ग्रहण किया और उन्हाके शब्द से समाधान प्राप्त किया।

विद्यापीठ से किशोरलाल भाई जब मुक्त हुए, तब गामती बहन बीमार थी। बापू की सलाह से उन्होंने पंद्रह दिन के उपवास किये। इसके कारण वे बहुत अशक्त हो गयीं। उनकी तबीयत कुछ ठीक होते ही दोनों—गोमती बहन और किशोरलाल भाई—हवा बदलने के लिए देवछापी गये। परन्तु वहाँ वे अधिक नहीं रह सके। पंद्रह-बीस दिन में ही जीवकुंवर मामी (बड़े भाई बालूभाई की पत्नी) की बीमारी के कारण उन्हें बम्बई जाना पड़ा। सन् १९२६ के मार्च में जीवकुंवर मामी छान्त हो गयीं। इस कारण कुछ समय किशोरलाल भाई को बम्बई में ही रुकना पड़ा। इसके बाद सायब जून तथा जुलाई महीनों में उन्होंने बुनाई का काम किया होगा। परन्तु वे फिर बीमार हो गये। तब से १९२७ के मार्च-अप्रैल तक उन्हें अपनी तथा गोमती बहन की बीमारी के कारण बम्बई अथवा अकोला में रहना पड़ा ऐसा लगता है। बम्बई में ही उन्होंने साधा कि बीमारी तो अब सदा की सँमिनी बन गयी है, इसलिए किसी अनुकूलतावाले गाँव में रहकर वहाँ जो कोई हलना-भा काम बने वह करते रहना चाहिए। बाका साहब का आग्रह था कि वे माबरमती आश्रम में ही रहें भले ही वे किसी काम की जिम्मेवारी न में। वहाँ रहकर आश्रमवासियों का सलाह-सूचना देते रहें तो भी बहुत है। १९२७ के मार्च में बापू दक्षिण के प्रवास में थे। वहाँ पहली बार उन पर रक्तचाप का आक्रमण हुआ। इसलिए आराम के लिए वे मसूर में मन्नी-दुग गये। आश्रम में आकर रहने का काका साहब जो आग्रह कर रहे थे उसमें बापू की यह बीमारी भी सायब एक कारण रही हो। परन्तु आश्रम में केवल एक सलाह कार के रूप में आकर रहना किशोरलाल भाई के लिए बड़ा कठिन था। मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक विषय में बापू से उनकी बृष्टि कुछ भिन्न थी और इस कारण यह संभव था कि दूसरी भी कई बातों में उनके विचार बापू से अलग हों। ता० २८ ३ १९२७ को किशोरलाल भाई ने बाका साहब की

एक छम्बा पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी स्थिति बड़ी अच्छी तरह प्रकट की है।

‘अपने विषय में आप सबकी इच्छाओं को मैं जानता हूँ। आपकी बात मैं जिस हद तक मानता हूँ यह तो आप जानते ही हैं। मैं हमेशा आपसे मित्र राय रखता रहा हूँ। परन्तु उसके अनुसार बर्ताव करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। इसलिए आपकी बात मानता नहीं परन्तु उसके अनुसार कर जबर डालता हूँ। ऐसा होता रहता है। गोमती इसे मेरी हमेशा की कमजोरी बताती है और जानती भी है। मुझ पर विजय प्राप्त करने की कला आपको और उस भी सभ गयी है। मैं हमेशा विवेक के विरुद्ध जाकर आग्रह के सामने झुक जाता करता हूँ।

‘यह सच है कि केवल सहवास से भी एक प्रकार का आश्वासन मिल जाता है। यह भी सच है कि कई लोग उसके न मिलने के कारण ही बुझी रहते हैं। परन्तु यदि अपने सहवास द्वारा मित्रों को आश्वासन देने के काम को मनुष्य अपना मुख्य व्यवसाय बना ले और इसका योजन उन मित्रों पर अथवा खुद अपने ऊपर डालने की अपेक्षा सार्वजनिक सस्था पर डाले तो क्या यह उचित होगा ?

मनुष्य जहाँ कहीं रहेगा वह किसीका सहवास लेगा और किसीको सहवास देगा। सामाजिक जीवन का अंग-स्वरूप यह एक आवश्यक सहचारी घम है। परन्तु यह कोई व्यवसाय तो नहीं बन सकता। व्यवसाय तो किसी काम योग का ही हो सकता है। इसको समाज में रुकर यदि मनुष्य समाज में घुसे-मिसे तो उसका सहवास समाज को अनायास मिल ही जायगा। हाँ सबके सहवास का मुख्य एक-सा न भी हो। इसलिए कर्मयोग किस प्रकार का हो इसका निर्णय करने से पहले मनुष्य सहवास का विचार कर ले। यही नहीं सहवास की दृष्टि से ही वह कर्मयोग के प्रकार का निश्चय करे यह भी हो सकता है। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि असाधारण सयोगों की बात छाड दें तो मनुष्य किसी-न-किसी कार्य के लिए ही तो एकत्र होते हैं।

यदि ऐसे कार्य की दृष्टि से मैं आथम में रह सकता हूँ ऐसा मुझ निश्चय न हो तो मुझे आथम में रहने का हक ही क्या है ?

‘विद्यापीठ, धाला या आश्रम, इन तीनों में से किसी भी सत्पा के साथ मैंने अपने-आपको बाँधा नहीं इसे आप मेरी बतुराई (Shrewdness) मानते हैं। परिस्थिति ने इस विक्षेपण के योग्य काय मुझसे करवा लिया हो, यह बात दूसरी है। परन्तु वस्तुस्थिति बिलकुल दूसरी है। विद्यापीठ की स्थापना से रुकर मैंने जब उसे छोड़ा तब तब मुझ एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि विद्यापीठ मेरा जीवन-कार्य है। इसलिए मैं इसमें अपने-आपका हमेशा के लिए बाँध लेना नहीं चाहता। मैं आपसे बराबर कहता रहा हूँ कि अपनी सुविधा से आप मुझे इससे मुक्त कर दें। विद्यापीठ के भीतर झगड़ रहे हों या न भी रहे हों अबका वह आज की अपेक्षा अधिक सफल होगा तो भी इस प्रकार के जीवन के प्रति मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ। इतने बयें मैंने इसमें निभा दिये यही आश्चर्य की बात है। अतने दिन मैं बहाँ रहा उसके प्रति बकादार रहा हूँ। केवल बकादार ही नहीं बल्कि ऐसा रहा कि उसके प्रति मुझे ममत्व रहा यह भी मैं कह सकता हूँ। इसे आप भले ही मेरे स्वभाव की विशेषता कह सकते हैं। परन्तु इसका अर्थ केवल यही है कि मुझमें एक सिबिलियन बनन की योग्यता है।

अब आश्रम के विषय में। आश्रम में मैं आया तो राष्ट्रीय शिवा की प्रवृत्ति से आकर्षित होकर ही। धाला में मैंने काम शुरू किया उसके बाद महीमां तम सत्पाग्रह-आश्रम उसके वरत अबका नियम और प्रवृत्तिमां-आदि का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ आने से पहले मैंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया था। आन के बाद भी नहीं किया। अनायास ही यह जानकारी मुझे मिलती यपी। फिर भी आप धानते हैं कि मेरा उद्देश्य यह रहा है कि एक-आप वर्य अमुमब केकर में अपने संग्रदाय में मिता-सम्बधी कोई काम बहें। यह नहीं कहा जा सगठा कि आश्रम की आध्यात्मिक बाजू में मझे झरुचाया। क्वाकि जब मैं यहाँ आया तब कट्टर स्वामीनारायणी या और मैं मानता था कि मेरी आध्यात्मिक शुवा का वृष्य करने के लिए संग्रदाय काफी है। हाँ अगर कोई महत्वाकांक्षा मेरे अन्दर थी तो यही थी कि मैं पू० वापू या अथवा आश्रम को अधिक स्वामीनारायणी बनाऊँ। यह नहीं थी कि मैं अधि-आश्रमी बनूँ। मेरी इन वृत्ति का ध्यान रखना जरूरी है। क्वाकि इसम आप

जान सकें कि बापू और मेरे बीच का सम्बन्ध किस प्रकार का है। बापू की मुमुक्षुता तथा आध्यात्मिक आन्ववत्पता से मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है। इससे कई बातों में मेरी सजीर्ण सांप्रदायिकता भी कम हो गयी। परन्तु मैं बापू को कभी न अपना आध्यात्मिक गुरु माना या न ऐसा प्रकट किया। गुरु या तो स्वामीनारायण थे या भाय हुए।

‘और भी एक बात है। मेरे आश्रम में आने से कुछ ही पहले मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था। मेरी उम्र कम नहीं थी। फिर भी मैं पितृप्रेम का भूला ही था और आश्च भी हूँ। घर से बंधे रहने की आर्थिक आवश्यकता न रही थी। उसी प्रकार यह आकर्षण भी समाप्त हो गया था। बापू में मैं पुनः पितृप्रेम की प्राप्ति का अनुभव किया और बापू की शांता में आने में यह भी एक व्यक्तिगत कारण (Personal factor) बन गया।

‘परन्तु इसे भी आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक विषय में मुझे नयी दृष्टि देनेवाले तो पू० नाम ही हैं। इसलिए गुरुस्थान पर तो वे ही विराजे।

‘इसके बाद शांता और आश्रम की एकत्रा स्थापित की गयी और मुझे समयमें दायीरक होन के लिए निमन्त्रित किया गया। मैं खूब जानता हूँ कि जीवन और सत्त्वज्ञान की ओर देखने में मेरे और बापू के बीच कई बातों में दृष्टिभेद है। आश्रम बापू की सत्या है और उसका अपना एक स्पष्ट अथवा अस्पष्ट किन्तु निश्चित आध्यात्मिक संप्रदाय (School of thought) है। इस संप्रदाय में कितने ही व्रत नियम आदर्श और विधान धने हैं। इन्हें स्वीकार करके मैं इनके प्रति किस हृत् तक वफ़ादार रह सकता हूँ यह मेरे लिए एक उत्पन्नभरा प्रश्न है।

‘मगनलाल भाई और दूसरों के बीच के झगड़ा को समाप्त करने के लिए मुझे व्यवस्थापक का पद ग्रहण करना चाहिए इस तरह की सूचनाएँ भी भिन्न भिन्न स्रोतों से मेरे सामने आयीं। इस विषय में दायीरक तथा रुचि की दृष्टि से भी मैं असमर्थ हूँ ही। परन्तु बापू की आध्यात्मिक दृष्टि को म सफ़र कर सकूंगा ऐसा मुझ जरा भी विश्वास न हो सका। यही नहीं बल्कि अधिपान (पातता) के बिना आश्रमवासी बने रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ता

दिन-दिन यह मय होने लग गया था कि आश्रम की छाया में रहकर मैं वहीं उसके भीतर बुद्धिभेद बढ़ाने का कारण तो नहीं बन जाऊँगा। मेरा यह मय अभी तक दूर नहीं हुआ है।

‘अब रह गयी छाया। आश्रम और छाया की विचार-सरणी एक ही है। यही होना भी चाहिए। एक तो यह बात हुई। दूसरे, आपने मुझ विद्यापीठ में भेज दिया और इस कारण पढ़ाने के काम से तीन वर्ष से अलग हो गया। इस कारण पढ़ाने के काम में मुझे पहले जो रस था वह अब नहीं रहा। फिर शाखा में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनमें से किसी भी विषय का मुझे गहरा ज्ञान नहीं है। यह तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि ‘केन्द्रीयीना पाया’ (तासीम की बुनियादें) पुस्तक में जिन बातों का विवचन किया है उन्हीं उन विषयों पर से मेरे प्रेम का काम कर दिया है जिन्हें मैं पहले पढ़ता था। इस प्रकार वास्तव में भी सक्रिय भाग लेने का उत्साह अब मुझमें नहीं रहा।

अन्य प्रकार से तो मैं छाया का ही हूँ यह कहता आया हूँ और इस कारण विद्याभिया के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है।

यह सच है कि इन सबके साथ भीतरी क्लेश भी मिन्न गये और उन्होंने मेरे अलग रहने के निश्चय को और भी दृढ़ बनाया है। परन्तु उमे मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता।

आज रमणीकलाल भार्गव का पत्र मिला। उससे मालूम हुआ कि आपने बापू को तार दिया है कि ‘Have decided to stay here. (यहाँ रहने का निश्चय किया है।) यह तार आपकी भावनाओं की कोमलता के अनुरूप ही है। आपको याद होगा कि कई वर्ष पहले (सन् १९१८ के अक्टूबर में) बापू अपनी बर्पगाँव के दूसरे ही दिन एन्जाफरु बीमार हो गये थे और सबको भय हो गया था कि उनके हृदय की गति बही बन्द न हो जाय। उस दिन बापू ने बारी-बारी से सबका अपने पास बुलाकर उनसे प्रतिभा या प्रतिज्ञा ली थी कि कुछ कहसकया था कि मैं आश्रम में ही रहूँगा। उस समय संप्रदाय की मया करने की मेरी अभिलाषा धीमी नहीं हुई थी। मुझे भी बुलाया गया था। वह मेरे लिए परीक्षा का क्षण था। एक तरफ तो बापू मुस्युआप्या पर पड़े हैं और चाहते हैं कि हम आश्रम को न छोड़ें दूसरी तरफ मेरे मन में यह निश्चय

न हो पा रहा था कि मैं अवश्य ही इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए यह सवाल था। बापू को जिससे सन्तोष हा एसी बात करके काम चला लूँ ? बड़ा नाजुक प्रसंग था। परन्तु सौभाग्य से मुझे सद्बुद्धि सूझ गयी। बापू के पूछने से पहले ही मैंने यह विचार ‘मुझमें जितना समय बनेगा यहाँ रहने का प्रयत्न करूँगा। बापू ने कहा ‘हाँ, आपसे मुझे इतनी आशा तो है ही। ऐसे नाजुक प्रसंग पर मनुष्य की परीक्षा होती है। एक तरफ तो यह इच्छा होती है कि अपने पूज्य या प्रियजन के सन्तोष के लिए हर प्रकार का त्याग हम करें परन्तु दूसरी तरफ यह भी सोचने का कर्तव्य उपस्थित हा जाता है कि प्रसंग ऐसा नाजुक न होता तो क्या हम इस तरह का निश्चय कर सकते थे ? भावुकता में आकर यदि हम गरुड निश्चय कर लेते हैं तो भविष्य में प्रतिज्ञा भंग करने का गंभीर प्रसंग सामने उपस्थित हो सकता है। क्योंकि जो निश्चय भावुकता में आकर किया जाता है उस पर कायम रहना बहुत कम सम्भव होता है और यदि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहते हैं तो भित्त में हमेशा असमाधान बना रहता है।

मैं मानता हूँ कि आश्रम में मेरे रहने से कुछ लोगो को बहुत सन्ताप हागा। परन्तु एक स्वतंत्र ब्यक्ति के रूप में और बिना काम से यहाँ पड़ा रहना ज्ञान में मयवा आध्यात्मिक बातों में एक अधिकारी पुरुष के नाते मेरे लिए एक अपयश की ही बात होगी। (क्योंकि उसमें मेरे लिए लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक है) जब कभी कोई प्रश्न उपस्थित होगा तो हर आत्ममी को यह जानने का कौतूहल होगा कि इस विषय में मेरे और बापू के विचार एक-से हैं या अलग-अलग ? (क्योंकि वहाँ आश्रम में मानसिक सहवास देने के लिए ही तो रहूँगा।) इससे आश्रम में अनिष्ट बुद्धिभेद उत्पन्न होने का सदा डर बना रहेगा। इस सबके कारण जहाँ कुछ लोगो को आस्वासन मिलेगा वहाँ आगे चलकर कुछ लोगो का आस्वासन छिन जाने का भी भय है। अब आप कहिये कि क्या आपका निश्चयपूर्वक ऐसा लगता है कि आश्रम में मेरा रहना अच्छा होगा ?

‘अभी तो मैं आश्रम में जा ही रहा हूँ क्योंकि सब कुछ वहीं पड़ा है। परन्तु मेरी इच्छा यह है कि हम दोनों का स्वास्थ्य ठीक होने पर हलका-सा परन्तु जो भी और जहाँ भी अनुकूल माहौल हो कुछ न कुछ काम करें। केवल

सहवास देने का धन्या नहीं करना है जहाँ यापू और काका जैसे दो प्रथम व्यक्ति प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए सर्वत्र उपलब्ध हैं वहाँ अधिक की आशा करनेवालों के लोभ की भी कोई सीमा है ?”

इस पत्र में किशोरकाण्ड भाई ने कुछ विस्तार के साथ बताया है कि आथम्य तथा बापू के बारे में उनके विचार क्या थे। उन्होंने यह भी बताया है कि वे आथम्य के बतधारी क्यों नहीं बन यद्यपि मरण तक वे बापू का ही नाम अखण्ड रूप से करते रहे। इसलिये मेरी दृष्टि में यह प्रश्न बहुत महत्व नहीं रखता कि उन्हें आथम्यी समझना चाहिए अथवा नहीं। हाँ स्वयं किशोरकाण्ड भाई आथम्यी कहलाने को तैयार नहीं थे। इसका अर्थ केवल यही है कि वे अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बापू में नहीं मिला सकते थे। खुद बापू इस बात को जानते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि ‘किशोरकाण्ड भाई मेरी अपेक्षा सत्य क कम उपासक नहीं हैं। परन्तु उनका माग मुझसे कुछ अलग-गता है। जिम मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उसी मार्ग पर वे नहीं चल रहे हैं। परन्तु मेरे माग से समानान्तर उनका दूसरा माग है।’ इस तरह विचार करें तो भले ही उन्हें आथम्यी न भी कहा जाय परन्तु इसमें गन्देह नहीं कि बहुत से आथमियों की अपेक्षा वे बहुत ऊँची बाटि के आथम्यी थे। अपनी गत्यापागता को उन्होंने कभी मन्त्र नहीं पढ़ने दिया।

भाष्यात्मक बातों में तो बापू के साथ उनका कई बातों में मतभेद अथवा दृष्टिभेद पहले से ही था। फिर भी हमना बापू के साथ रहकर उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि बापू के सामन वे गाँधी-सेवा-गण के अध्वज बने और बापू की मृत्यु के बाद ‘हरिजन’ पत्रों द्वारा उन्होंनेका सन्देश गंगा को सुनात रहे। इसमें बापू तथा किशोरकाण्ड भाई दोनों की महत्ता है। इसमें बापू का प्रथम समनाय तथा व्यापक और संघातक बृत्ति का पूर्ण दर्शन होता है। साथ ही किशोरकाण्ड भाई की स्वतन्त्र बृत्ति का भी परिचय मिलता है। बापू के साथ उनका विचार-भेद अथवा दृष्टिभेद किम प्रकार और किम रूप तक था इसकी विस्तृत बर्षा ‘जीवन-द्वन्द्व’ प्रकरण में की जायगी। उनका हम केवल एक उदाहरण यहाँ देना है। बापू कहते कि ईश्वर का उपागता चाहे किसी नाम से क्यों चाहे किसी आकार में उसकी पूजा क्यों और

उसका ध्यान भी चाहे जिस तरह करें—यह सब एक परमात्मा की ही पूजा होगी—यह उमीको पहुँचिगी। मिट्टी या पत्थर की पूजा करनेवाले का मिट्टी या पत्थर नहीं फल देते उसकी थडा फल देती है। परन्तु किशोरलाल भाई दूसरे ही आतावरण में पले थे। उन्हें वक्रतुण्ड महाकाय की, अथवा ‘समुद्र बसना’ और ‘पवत-स्तनमङ्गल’ पृथ्वी की या ‘भुजग-धायन’ विष्णु की एक साथ पूजा करना पसन्द नहीं था। इसलिए सबरे की प्रार्थना में जब ये श्लोक बोले जाते तब वे इनका उच्चारण ही नहीं कर सकते थे। वे कहते कि कोई भी एक रूप चुन लो और केवल उसीकी उपासना करा। इस तरह सबको झकटाना न करो। वे यह भी कहते कि मैं सर्वधर्म-समनाह को मानता हूँ। परन्तु मरी पद्धति बापू की पद्धति से भिन्न है। मुझ यह पसन्द नहीं कि पाड़ा-पोड़ा सब धर्मों में से लेकर बोला जाय। इस कारण आधम की प्रार्थना में उपस्थित रहना मुझे फटकर लगता है। इसी प्रकार सन् १९३७ के गांधी-सेवा-संघ के वार्षिक अधिवेशन में इस बात की बहुत बारीकी से साथ चर्चा हुई थी कि गांधी-सेवा-संघ के सदस्य धारासभाओं में जा सकते हैं या नहीं। बापू का मत था कि यदि गांधी-सेवा-संघ का कोई सदस्य धारासभा में जानर भी पूरा स्वराज्य का काम कर सकता है तो हम उसे वहाँ जरूर भेजें और उसे भी अवश्य जाना चाहिए। किशोरलाल भाई की राय यह थी कि गांधी-सेवा-संघ रचनात्मक काम करवाली संस्था है, उसे धारासभा में जाने से उसकी भीतर निष्ठाभव उत्पन्न होने का भय है। उन्होंने बापूजी से कहा ‘आपकी बात अभी तक मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ सकी है। मैं तो एकनिष्ठता का केवल एक ही अर्थ समझ सकता हूँ और एक उपासना का ही माननेवाला हूँ। गणपति देवी सूर्य भिन्न आदि की पचायतन-पूजा की सनातन वृत्ति मेरे गल नहीं उतरती। इस तरह कई बातों में उनका बापूजी से साथ दृष्टिभेद रखा करता। फिर भी उन्होंने आधम को जितना सुगोमित किया उतना बहुत कम लगेगा न सिमा होगा। इसी प्रकार बापू के बाद उतना साम्ना उन्होंने जितनी विघाद और निमय रीति से ससार के सामने रखा बना धायद ही किसीने रखा हा।

किसी देहात में जाकर रहने के विचार से सन् १९२७ के जून मास में वारूभाई की सम्मति प्राप्त करके किशोरलाल भाई और गोमती बहन मड़ी आयम में जाकर रहने लगे। वही मकनजी भाणाभाई सादी का काम करते थे। किशोरलाल भाई वहाँ कोई दूसरा काम नहीं करते थे। पड़ास के स्मादला गाँव से कुछ कार्यकर्ता अपने कुछ प्रसन्न लेकर आते रहते। उन्हें केवल सलाह-सूचनाएँ दे देते। इसके अतिरिक्त और कोई काम उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। परन्तु कोई काम हाथ में लेने का विचार अवश्य कर रहे थे। इतने में अगस्त के महीने में गुजरात के एक बहुत बड़े भाग पर बाढ़ का संकट आ गया। सरदार बल्लभभाई ने गुजरात के तमाम कार्यकर्ताओं का इस काम का उठा लेने के लिए आवाहन किया। यद्यपि भारी वर्षा के कारण बहुत से गाँव अस्मय हो गये थे और बहुत से परिवारों को भोजन मिलना भी कठिन हो गया था और बहुत से भाग की फसलें दूब गयी थीं फिर भी सरदार चाहते थे कि सहायता का सगठन हमें इस तरह करना चाहिए कि बल्लभ के अभाव में एक भी मापमी भूतों न मरे और धीज के अभाव में जमीन का एक भी टुकड़ा फिर से बिना बोया न रह जाय। सरदार के इस आवाहन पर किशोरलाल भाई और गोमती बहन मड़ी-आयम को छोड़कर बाढ़-पीडितों की सहायता के लिए निरल पड़े। बारडोली के कार्यकर्ता बढ़ींग पहुँच गये थे। इसलिए किशोरलाल भाई ने भी बढ़ीदा ही पसन्द किया। स्वयं बढ़ींग वाहर में और व्यासपास के गाँवों में बहुत बिताय हुआ था। इनकी सहायता के लिए किशोरलाल भाई गाँवों में तो नहीं प्यम सकते थे परन्तु स्थानीय कार्यकर्ताओं के सारे काम की व्यवस्था करने में और हिसाब रखने में उन्होंने बहुत मदद पहुँचायी। सरदार बल्लभभाई चाहते थे कि सारे गुजरात में काम की व्यवस्था एकांगी हो और मदद पहुँचाने के काम में भी सर्वत्र एक ही नीति से काम लिया जाय।

इसके लिए वे हर केन्द्र को पूरी-पूरी मदद देने के लिए तैयार थे। तबन्सार उन्होंने बड़ौदा-केन्द्र को भी मदद भेज दी। परन्तु बड़ौदा के महाराजा और दीवान भी इस काम में अच्छी मदद करना चाहते थे। इसे बड़ौदा राज्य प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं ने खोया नहीं। इसलिए उन्होंने बड़ौदा के क्षेत्र म बड़ौदा-प्रजा-मण्डल की ओर से इस काम को उठा लिया। संयोगवश डॉ० सुमन्त मेहता इस अवसर पर अचानक बड़ौदा पहुँच गये थे और वे वहाँ फँस भी गये। वे इस काम के मुख्य नियामक बन गये। सरदार की इच्छा थी कि सारा काम गुजरात प्रान्तीय समिति के मार्फत हो। परन्तु बड़ौदा में ऐसा नहीं हो सका। इस कारण उन्हें शायद कुछ बुरा भी लगा हो। किशोरलाल भाई की वृत्ति यह थी कि ऐसे संकट के समय इस बात का अधिक महत्त्व नहीं कि किसकी ओर से काम हो रहा है। असली महत्त्व की बात यह है कि सबको आवश्यक मदद मिल जानी चाहिए। सरदार को भी इसमें कोई विरोध नहीं था परन्तु उनका विचार यह था कि यदि बड़ौदा के महाराजा वगैरह का यह आग्रह हो कि वहाँ का काम उनके प्रजामण्डल के द्वारा ही हो और वे पूरी मदद पहुँचाने में समर्थ हैं तो फिर गुजरात प्रान्तीय समिति का खन्दा वहाँ क्यों खर्च किया जाय? किशोरलाल भाई सरदार की इस वृत्ति को समझ गये थे। इसलिए जब काम पूरा होना को आया तब यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर भी सब हिसाब साफ होने और प्रान्तीय समिति के सारे रुपये मिलने तक वे बड़ौदा में ही रुके रहे। अन्त में गुजरात प्रान्तीय समिति को बड़ौदा-क्षेत्र की मदद में रु० ५३३५ अर्धलाते में लिखने पड़े। सन् १९२८ के फरवरी तक अर्थात् लगभग सात महीने बड़ौदा में रहकर उन्होंने बाढ़-पीड़ितों की सहायता का काम किया।

इस बीच उनके सामने वहाँ एक धर्म-संघट उपस्थित हो गया। य तथा अन्य कितने ही कार्यकर्ता बड़ौदा में स्टेशन के पास की धर्मशाला में रहते थे। वहाँ एक रात को जोर आया। उसने किशोरलाल भाई को पेटी उठायी और कुछ पड़वबाहूट हुई। इतने में सब भाग गये और जोर भी पकड़ लिया गया। तत्काल तो उसे पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया। परन्तु किशोरलाल भाई के सामने एक नैतिक सवाल सड़ा हो गया कि उसे सजा दिलायी जाय अथवा

नहीं। पुलिस ने खोर को ले लिया इसलिए वह तो चाहती ही थी कि उसे सजा दिलायी जाय। बात यह थी कि किशोरलाल भार्द ने खोर को पेट्टी उठाते हुए नहीं बेसा या गोमती बहन ने देखा था। इसलिए उन्हें भी कोर्ट में बयान देने के लिए जाना पड़ा। किशोरलाल भार्द ने उस समय सोचा कि खोर जैसे एक आदमी का कुछ समय तक बंधन में रहने से यदि समाज की नुस्खा हो सकती है और उसे भी अपने सुधार का अवसर मिलता हो—उसे बंधन में रहने की प्रथा को—यद्यपि उसमें हिंसा है—कामम रखना अनुचित नहीं। इसलिए किशोरलाल भार्द और गोमती बहन ने भी कोर्ट में अपने बयान द दिए। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट से एक वरखास्त द्वारा प्राप्ति की कि वे उसकी ओर दया की दृष्टि से देखें और उसे कम-से-कम सजा दें। मैजिस्ट्रेट ने इस वरखास्त को अप्रसुत और अनिश्चित समझकर उसे दारिद्र्य दफ्तर कर लिया। परन्तु यह खोर पहले कई बार सजा पा चुका था। इसलिए उसे अधिक सजा लाने के लिए उन्होंने इस मामले को दीरामपुरद कर दिया। सेवान-कोर्ट के सामने अपने बयान देने के लिए किशोरलाल भार्द और गोमती बहन को फिर सम्मन मिले। इस बीच किशोरलाल भार्द ने धारा प्रकरण बापू को लिख भेगा और उनकी सलाह ली। बापू ने लिखा कि “अहिंसा धर्म की दृष्टि से हम अदालत में बयान नहीं दे सकते। समाज में रहते हुए भी कोई बातें ऐसी होती हैं जिनको समाज की तरह हम नहीं कर सकते—नहीं तो समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा।” इस पर से किशोरलाल भार्द

भी स्पष्ट रूप से समझ गये कि इस प्रकार के गुलज्जारा के प्रति व्यवहार करने की समाज की प्रवृत्ति पद्धति में दोष हो तो उसे चालू रखने में हमारी मदद तो कदापि नहीं होगी चाहिए। समाज यदि आज या वागौ बय बाद भी जब कभी इस विषय पर विचार करेगा तब इस प्रकार मदद न करने की घटनाओं से ही उसे इस पर विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब सेवान-कोर्ट में बयान न दिया जाय। इसके लिए सेवान-कोर्ट में पढ़ने के लिए उन्होंने अपना वक्तव्य भी तैयार कर लिया।

सेवान-अज किशोरलाल भार्द ने एक मित्र के परिचित थे। इन मित्र का समाचार मिले कि किशोरलाल भार्द और गोमती बहन सेवान-कोर्ट में गवाही

नहीं देंगे। गवाही न देने पर उन्हें सजा हो यह उस मित्र को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने जज से तथा सरकारी वकील से भी कह रखा था कि वे किसी भी तरह किशोरलाल भाई तथा गोमती बहन को सजा दें। किशोरलाल भाई को इसका पता नहीं था। दोनों ने सेवान-कोर्ट से कह दिया कि हम गवाही नहीं देना चाहते। जज ने कहा 'यह तो ठीक है। परन्तु आपको शपथ करने और नाम-धाम बताने में भी आपत्ति है?' इस पर दोनों ने प्रतिज्ञा ली और नाम-धाम बताने दिये। इसके बाद सरकारी वकील ने पूछा 'निषेधी कार्ट में आपने जो बयान दिया वह यही है न? इस पर किशोरलाल भाई ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील ने कहा 'आप यहाँ भले ही गवाही न दें परन्तु आपको यह बताने में क्या आपत्ति हो कि नीचे की कोर्ट में आपने जो बयान दिया वह यही है?' जज ने भी बमकाने का स्वागत बनाकर कहा 'आप शपथ में मदद करना नहीं चाहते? फिर भी किशोरलाल भाई दृढ़ रहे। तब दूसरे एक वकील ने जज से प्रार्थना की कि 'साक्षी में यह तो नहीं कहा कि यह बयान मेरा नहीं है और उसने शपथ तो ऐसी ही है। इसलिए नीचे की कार्ट में दिये गए बयान का आप रेकार्ड पर से सभते हैं। जज उन्हें सजा देना नहीं चाहते थे। इसलिए नीचे की कोर्ट में किशोरलाल भाई ने और गोमती बहन ने जो बयान दिये थे उन्हींको उन्होंने रेकार्ड पर से लिया और जोर को सजा दे दी। नाम को बलब में वकील और जज सब इस बात पर खूब हँसें होंगे कि सत्याग्रही भाई जैसे बुद्ध बन गये।

इस सारे प्रसंग का स्फुर किशोरलाल भाई ने एक छाटा-सा प्रहसन लिखा है 'होला हाली मो सत्याग्रह'। इसमें अन्त में उन्होंने बताया है कि सत्याग्रही बनना धारणाकी न करना या असत्य का आचरण न करना यत्र ना ठीक है परन्तु नाट ने हमारे भोलपन का पूरा फायदा उठा लिया और हम उसकी तरकीब समझ भी नहीं सके यह ठीक नहीं हुआ। निरे भावपुत्र स दुनिया में शम नहीं चलता।

किशोरलाल भाई को बड़ीदा में ही खांसी और बुखार माने लगा था। इसलिए वहाँ से फरिग होते ही फरवरी १९२८ में वे इलाहाबाद के लिए चम्बई गये। वहाँ उन्हें निमोनिया हो गया। उसके बाद धान्ताकृमिवासे भी गौरी अंकर दवे के नैसर्गिक उपचार शुरू किये। बीमारी लम्बी रही। इसलिए एक-दो महीने धान्तात्रय में बिठाकर वापस चम्बई गये। वे बहुत कमजोर हो गये थे। इसलिए खुद उन्हें तथा मासपास के दूसरे लोगों को भी घका होने लगी थी कि इस बीमारी से वे उठ भी सकेंगे या नहीं। प्रायः डॉ० दत्तान उनका उपचार करते थे। वे भी कुछ निरास हो गये। इस स्थिति में किशोरलाल भाई ने अपने सारे अधूरे और पूरे लेख मेरे पास भेज दिये और लिखा कि मैं उनका जिस प्रकार ठीक समझूँ उपयोग करूँ।

एक सप्ताह में उन्होंने सिद्धा है

‘बासूभाई को उन दिनों जो चिन्ता थी और उन्होंने जो कष्ट उठाये, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं धान्ताकृमि रहता था तब वे रोज रात को वहाँ आते। सारे दिन की थकावट उनके शरीर पर देखकर उनके धान्तात्रय के कमर पर मुझे बड़ी लज्जा आती। कुछ तो इसी कारण मैं चम्बई गया। उन दिनों बारहोली में सन्ध्याग्रह चल रहा था। उसके लिए चन्दा एकत्र करने के काम का भाग भी उनके छिर पर आ गया था। एक दिन वे अंधरी घाटकोपर आदि स्थानों पर चन्दा एकत्र करने के लिए बहुत घूमे। उसी दिन डॉ० दत्तान से उनकी भेंट हो गयी। उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में निराशा के उद्गार प्रकट किये और हवा बदलने के लिए मुझे अफोला ल जाने का भार में जर्बा जली। बासूभाई के हिमाग पर इन सारी बातों का बहुत बड़ा भाग जान पड़ता था। रात को मेरे पास आकर बैठे तो बटे गिन्न दीप्त रहे थे। परन्तु बातें करते-करते मुझे नींद आ गयी। बासूभाई भी मेरे पाग में उठकर सोने लगे और मैं भी कुछ ही समय द्रुमा होगा कि कुछ

घोर हुआ और मेरी नींद खल गयी। बालूभाई जोर-जोर से चीख मारकर चिल्ला रहे थे और सिर में दब होने की शिकायत कर रहे थे। वे भाँसों भी नहीं खोल सकते थे और न बैठ सकते थे। एक-दो कै भी हुईं। मुझे लगा कि लू लग गयी होगी। नीचे से डॉक्टर को बुलाया और तात्कालिक उपचार किये। परन्तु सारी रात उन्हें बड़ी बेचैनी रही। दूसरे दिन डॉ० दलाल उनकी जाँच करने के लिए आये। परन्तु कोई निश्चित निदान नहीं हो सका। मेरी सतत बीमारी के बावजूब एक रात में बालूभाई मुझसे भी अधिक अशक्त हुए गये। अन्त में यही निश्चय किया कि हम दोनों वायु-परिवहन के लिए अकोला आये। अकोला में वहाँ के डॉक्टर के इलाज से धीरे-धीरे बाभूभाई की तबीयत सुधर गयी। मैंने वहाँ कालझाना की टिकियाँ लेना शुरू कर दिया। वे मुझे अनुकूल पड़ीं। तीसरे ही दिन मेरा सम्बा मुझसे उतर गया। पैंतीस और दमा भी जाता रहा। मेरा वजन बहुततर पीठ तक पहुँच गया था जो अब वह भी तेजी से बढ़ने लगा। दोनों भाई धीरे-धीरे कुछ चलने-फिरने लगे। बालू भाई तो एक-डेढ़ मील घूम भी सके। उनका वजन भी पहले की तरह हो गया। अब फिर बम्बई जाने की उत्सुकता उन्हें होने लगी। सबको लगा कि अब कोई चिन्ता की बात नहीं है। वे बम्बई जा सकते हैं। पहले श्रावण की अष्टमी या नवमी के दिन वे बम्बई गये परन्तु मानो वहाँ वे अपने बच्चा से मिलने के लिए ही घर गये हों। एकादशी के दिन सबेरे मंदिर हो आये। उनकी तबीयत अच्छी होते देखकर सब रिश्तेदारों को आनन्द हुआ। उस दिन बहुत से मित्र आय और मिल गये। शाम को छह-सात बजे तक हिस्तेबाग और कारकूना से उन्होंने घातें कीं। फिर फूला का पसना बाँधकर ठाकुरजी को झुलाया और इसके बाब एकाएक सिर में दर्द ऐसा बहकर जोर से चीख मारकर वे गिर पड़े। उन्हें बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टरों का बुलाया गया। परन्तु डॉक्टरों ने पहुँचते-पहुँचते वे बेहोश हो गये। उनका बायाँ अंग सरुब से सुन्न हो गया। रात के ग्यारह बजे उनकी यातनाएँ समाप्त हुईं और हमें अकोला तार से समाचार मिला।

इस प्रकार बाभूभाई के जीवन का अन्त हुआ। वे कुछ अभ्यवस्थित परन्तु परिश्रमी थे। वासनायुक्त होने पर भी धार्मिक थे। थड़ामु और

भक्तिसंपूर्ण थे। कुछ उतावलापन भी था परन्तु उनका अंतःकरण प्रेम से सञ्चालित था। धन के प्रमी तो थे परन्तु उधार भी बैंसे ही थे। बहुत किराया करत, परन्तु मौका आत पर अपनी शक्ति से बाहर भी साध कर घंटे। वर्ग-भिमाम और जाति का अभिमान भी उनमें था परन्तु समदृष्टियुक्त थे। इस प्रकार के सरल, बमालु और परापकारी भाई हमसे छिन पये।

बालूभाई को पढ़ने का बहुत धौब था। पुस्तकों के बड़े शौकीन। पुस्तक पसन्द आती कि सरौदी। यह आदत थोड़ी-बहुत हम सबमें है। इस कारण हमारे यहाँ दा-सीन आसमारियाँ तो केवल पुस्तकों से ही गयीं रहतीं। बीच-बीच में इनकी छत्नी भी होती रहनी और आसमारियाँ बहुत कुछ साली हो जातीं। परन्तु फिर जल्दी ज्या भी त्यों भर जातीं। यह क्रमपरम यहाँ जहाँ भी में रखा बराबर जारी रहा है। सैफ़ाँ रुपये की किताबें हमने बिगाड़ी हागी। कई बार ये भिन्न-भिन्न मन्थाआ का घाँट दी गयीं। कितनी ही पुस्तकें रही गें चली गयीं। परन्तु हमारी आसमारियाँ कभी खाली नहीं रहतीं। उनमें नित सवीनता रहनी है। यह हमारी विशेषता है। कोई यह न समझे कि नाई (पिताजी) द्वारा खरीदी हुई किताबाँ वो हम लोग पड लें तनी नयो किताबें बायें। इसी प्रकार बालूभाई का नानाभाई का या मेठ संगत भी नीरफ़कठ के काम में आ ही जायगा ऐसी बात नहीं है। हरएक का मसह स्वतन्त्र हाता है।

“सैसा कि मैंन अयन यताया हूँ बापू के माय हमारा सम्बन्ध बालू भाई से अपने ऐनकरान से शुरू किया। यह बापूदान (किताबालाम भाई आधम में गये, तब से) बन्धागत (नानाभाई की लड़की सुनीला बहन का पिताह बापू के दूसरे बिरजीव मजिमाल भाई से गाय हुआ है) और पुत्रदान (बालूभाई के दूसरे लड़के सुरेन्द्र को बापू की पौत्री मनु बहन दी गयी है) तब आ पहुँचा है।

“बीच में एक-आप वय छोड़कर मेरे आधम तियाम का भाग गय जब तक बालूभाई थे, उन्होंने उठाया। एव वय मैंने ही आग्रहपूर्वक आयम से स्वर्भ किया था।”

किशोरलाल भाई न आधम से खन सेना शुरू किया यह बालूभाई का

जरा भी पसन्द नहीं था। उन्होंने इसकी शिक्षायत नायजी से की। इस बात का वर्णन नायजी न बड़े सुन्दर ढंग से किया है।

एक दिन मैं बम्बई में था तब एक अपरिचित गृहस्थ मुझसे मिलन आय। खादी के कपड़े और सादगी के सपूर्ण नमूने के रूप में उन्हें देखकर मैंने पूछा 'आप कौन हैं और कहाँ से आये हैं? उन्होंने कहा 'मेरा नाम है बालूभाई। मैं किशोरलाल का बड़ा भाई हूँ। बम्बई में व्यापार करता हूँ। हम तीन भाई हैं। किशोरलाल आपकी मुन लेता है, इसलिए आपसे कुछ कहने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा कहिये। वे घाले 'दीबाली पर मैं अपने नफे के तीन भाग करना हूँ। इनमें से एक भाग किशोरलाल का होता है। परन्तु वह ये पैसे नहीं लेता। आधम से लेता है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। घर पर पैसे हैं तब उसे आधम से क्यों लेने चाहिए? हर साल मैं जो भाग करता हूँ, वह पठा रहता है। इसलिए आप उससे कहें कि वह अपने स्वयं के लिए घर से पैसे ले। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि 'मेरी बात आपको उचित मालूम होती है न? मैंने कहा 'एकदम उचित है। किशोरलाल भाई से भेट होगी तब उनसे मैं आपका सन्देश कहूँगा। बात पूरी होन ही वे बम्बई के लिए चक दिये।

कुछ दिन बाद मैं आधम गया तब मैंने किशोरलाल भाई को उनके बड़ भाई का सन्देश सुना दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि हमारे पिताश्री शान्त हुए, तब हमारे सिर पर कर्म का भारी बोझ था। धानूभाई ने अनेक प्रकार का धारीगिक और मानसिक कष्ट उठाकर अपना घघा भलाया। यह सब है कि अब भाई कर्ज नहीं रहा और उनके पास कुछ रकम भी हो गयी होगी परन्तु पिताश्री के समय का कर्ज चुकाने में मैंने किसी प्रकार हाथ नहीं बँटाया। इसलिए बालूभाई ने अपन कष्ट से जो रकम एकत्र की है उसमें से कुछ स्वीकार करना मुझे उचित नहीं मालूम होना। मैं सार्वजनिक काम कर रहा हूँ। उसमें से अपन स्वयं के स्थायक कुछ लेने में मुझे कुछ भी बुराई नहीं मालूम होती। भाई मेहनत करें, चिन्ता करें और इससे उन्हें जो कुछ मिले उसमें मेरा भी भाग मानें यह उनकी भलमनसाहत है। परन्तु मुझे यह उचित नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ हूँ।

"मैंने उनसे कहा ठीक है। आपका कहना मान्य है।

बन्वई आने पर फिर बालूभाई से मेरी भेट हुई। किशोरलाल भाई की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने जवाब दिया पिताजी की फर्म उनक पालत हो जाने के बाद से मैं चला रहा हूँ। ईश्वर की इपा से अब कोई कर्म नहीं रहा और दो वैसे की बचत भी हो जाती है। उसमें सब भाइयों का हिस्सा है। उसमें से किशोरलाल को मैं उसका हिस्सा दूँ इसमें कौन भयमनसाहत की बात है? अपना हिस्सा वह ले यह तो म्याय की ही बात है। पिताजी की बुझान को मेरे बजाय कोई गुमास्ता चलाता और आज की नाति उसमें कोई बचत हाती तो क्या वह मुनाफ़ा गुमास्ते का कहा जाता? जिस तरह हम गुमास्त को साय मुनाफ़ा नहीं दे देते, उसी प्रकार पिताजी की फर्म को मैं चला रहा हूँ इसलिए वह मुनाफ़ा मेरा भी नहीं कहा जा सकता। मने कहा 'आपका कहना सही है।

"मैं आभन गया तब मैंने फिर किशोरलाल भाई से कहा आप दा भाइयों के बीच के झगड़े को मिटाना कठिन है। इसमें मैं निर्णय नहीं दे सकता। आपके इस झगड़े पर से मुझे मुधिष्ठिर के समय का ऐसा ही एक झगड़ा याद आ रहा है। एक मनुष्य ने अपना खेत किसी दूसरे आदमी को बच दिया या दान में दे दिया। सत भेनेवाले का उसमें गड़ा हुआ धन मिला। उसे लेकर वह खेत के पुराने मालिक के पास गया और बोला कि 'यह सीजिये आपका धन। पुराने मालिक ने कहा कि 'मैंने तो आपको जब खेत दिया तब वह सब आपको दे दिया जा उसमें रहा होगा। अब यह धन मरा नहीं हो सकता। यह तो आपका ही है। उन दो में से एक भी वह धन लेने का तैयार नहीं था। अन्त में वे दोनों न्याय पाने के लिए मुधिष्ठिर के पास गये। आप दो भाइयों के बीच का झगड़ा भी इसी प्रकार का है। आप दोनों के बीच अप्रतिम बन्धु-प्रेम तथा म्यायनिष्ठ है। इसलिए आपमें से कोई भी दूसरे का दुःखी न करे। मुझ समता है कि बालूभाई की बात आपकी मान मनी चाहिए। किशोरलाल भाई ने कहा 'मुझे तो यह म्याय सही मान्यम हाता जि ये वे वैसे हूँ। परन्तु बालूभाई का दुःख न हा केवल इसलिए मैं उनम गय क लिए वैसे ले सुँगा।

"बालूभाई से मैं पुनः मिला तब उनस मारी बात बहो। उन्होंने कहा किशोरलाल को इसमें न्याय नहीं सकता और यदि वह बचन इसलिए सब

लेना स्वीकार कर रहा हो कि मुझे दुःख न हो, तो यह ठीक नहीं। उसे जो बात अन्यायपूर्ण मालूम हो, उसे वह न करे। परन्तु मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में न्याय की बात तो यही है कि वह मुझसे खर्च ले लिया करे। यह सुन कर मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि 'अब इस प्रकरण को आप यहीं समाप्त करें। अब इस विषय में घर्माघर्ष की सूक्ष्म घर्षा में आप दो में से किसीको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह के झगड़ों में फँसला देने का प्रसंग आजकल के जमाने में शायद ही कभी प्राप्त होता है। आपने यह काम मुझे सौंपा। परन्तु आप दोनों का प्रेम तथा न्यायपरायणता देखकर मैं इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस तरह इस मामले से मैं मुक्त हुआ।

इस प्रकार अनेक प्रसंगों पर मसख्वाला कुटुम्ब का पारस्परिक प्रेम तथा नीतिपरायणता मैंने देखी है और इसी कारण इस परिवार के छोटे-बड़े सबके साथ मेरा अधिकाधिक प्रयाद सम्बन्ध होता गया है। धालूभाई, नानाभाई तथा किशोरलाल का पारस्परिक प्रेम विश्वास और भावर देखकर मेरे दिल से यही उद्गार निकलते हैं कि धन्य है उनका प्रेम और धन्य है उनका बहुत्व!

उनके दूसरे बड़े भाई भी नानाभाई का परिचय भी यहीं घोड़े में हम दे देते हैं।

उठ बचपन से उन्हें बने का रोग हो गया। इस कारण वे अधिक विद्याभ्यास नहीं कर सके। परन्तु किशोरलाल भाई ने एक स्थान पर कहा है कि उदारता और बुद्धि में वे हम तीनों भाइयों में बढ़कर थे। जिस प्रकार उन्होंने विद्याभ्यास ठीक तरह से नहीं किया, इसी प्रकार कोई घषा भी उन्होंने नहीं किया। दूर में नागणदास राजाराम की फर्म में उन्होंने नौकरी की। परन्तु स्वतंत्रता का प्रेम उनमें इतना अधिक था कि कुछ ही समय में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। फिर कुछ दिन बम्बई में फोटाग्राफी का शौधा किया। परन्तु उसमें अपने विद्याल मित्रवर्ग को मुफ्त में फोटो निकासकर देने के अलावा सभ्ये ग्राहक उन्हें बहुत ही कम मिले होंगे। इतने में अकोला में मकान बनवाने का विचार हुआ। उसका नकशा खर्च का बजट आदि सब उन्होंने बनाया और अपनी ही देसरेख में सारा मकान बनवाया। अकोला के इस मकान की बनावट कमल के फूल के जैसी बहुत सुन्दर है। इस बँगले के पास ही एक हाल

बनाकर उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया गया है। मकान बनाने के इस अनुभव के जोर पर उन्होंने कुछ समय अकोला में मकानों के ठेकेदारी का काम भी किया है। इसमें वे खूब परिश्रम करते। मित्रों तथा ग्राहकों को वे मकान के नक़्शे छुद बनाकर देते। परन्तु उसका पारिध्यमिक सेन की याद उन्हें कम ही रहती। इसलिए यह काम भी उन्हें छोड़ देना पड़ा। इसके बाद अकोला में अनरल स्टोर्स की दुकान खोली। इसमें भी उधारी बहुत बढ़ गयी और फिर घर की ही दुकान भी इसलिए घर में अधिक पीजें आने लगीं। परिणाम यह हुआ कि यह दुकान भी बन्द कर देनी पड़ी। इस प्रकार माना-भाई किसी षये में स्थिर न हो सके। हाँ यदि कोई काम सफलतापूर्वक करने की चिन्ता उन्हें रही तो वह वा समाज-सेवा का काम। पिताजी भी अकोला के सार्वजनिक जीवन में भाग लेते थे। इस कारण वहाँ उनकी अच्छी कीर्ति थी। उनकी इस कीर्ति को मानाभाई की सेवाशीलता ने पार चाँद लगा दिया। अकोला की बहुत सी सस्माओं के वे सेक्रेटरी अथवा सजाधी भी थे। यद्यपि घर के सार्च का हिसाब रखने की उन्हें बहुत टेब नहीं थी परन्तु वे जिस संस्था के सजाधी होते उसकी पार्ई-पार्ई का हिसाब देते और जब सार्च का मेस न बैठता तब अपनी गाँठ के पीसे देकर हिसाब पूरा कर देते।

इसके अलावा मानाभाई में प्रेम और बात्मस्य तो सदा छफ़टा ही रहता था। बामूभाई की अपेक्षा उनके सम्पक में मैं कम आया। परन्तु धीन-दुस्त्रियों के लिए तथा छोट-छोट रोगों के लिए उनकी आँसा में प्रेम उमड़ते मैंने देखा है।

सन् १९५२ की पुर्णाई में विजयाभामी (मानाभाई की पत्नी) शास्त्र हो गयीं। इस पर किशोरलाल भाई ने एक टिप्पणी लिखी थी। उसमें मानाभाई के लोभोपयोगी और यशस्वी गृहस्वाधम का बड़ा सुन्दर चित्र मिलता है। इसलिए यह सम्पूर्ण टिप्पणी हम यहाँ देते हैं।

'धी विजयालक्ष्मी मशरुवाला मेरी भामी न होती तो उनकी मृत्यु के विषय में 'हरिषण वाधु' में लिखते हुए मुझे कोई संकोच न होता। लगभग पचास वर्ष तक उन्होंने हमारे घर को लगभग एक सार्वजनिक सुस्था जैसा बनाने में प्रमुख भाग लिया है। उन्होंने एक पुत्र और वा पुत्रियों को सार्वजनिक

जीवन में समर्पित करने का पुष्पशाम किया है और अपने आतिथ्य तथा सहृदयता के कारण अकोला में सार्वजनिक 'वा' (माँ) कहलाने की कीर्ति प्राप्त की है। यहाँ तक कि बहुते को तो 'बा' के अलावा उनका असली नाम भी मालूम नहीं। सब पूछिये तो उनके बिषय में कुछ लिखते हुए कुछ भी मन्त्रोच नहीं होना चाहिए।

मेरे माता-पिता अकोला में आकर बसे तब से हमारा अबोला का घर एक प्रकार से सृजनों का अतिविधर जैसा बन गया है। माता पिता की श्रद्धा स्वामीनारायण-संप्रदाय में थी। इस कारण संप्रदाय के आचार्य साधु संत और मन्त्रजनों आदि के लिए यह अतिविगृह था। उन्होंने हमारे घर को एक प्रकार से हरि-मंदिर बना दिया था। आर्थिक और सार्वजनिक व्यवहारों में भी उनकी प्रामाणिकता क्षुद्धि और न्यायबुद्धि के कारण अकोला में उनकी बड़ी कीर्ति थी। परन्तु उनके बाद मेरे बड़े भाई नानामाई ने अपने जीवन द्वारा उसमें इतनी वृद्धि की कि पिताजी के नाम को लोग भूल गये और अकोला में नानामाई को ही लोग जानने लगे। उनका सम्बन्ध कांग्रेस तथा सब प्रकार की राष्ट्रीय और रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ होने के कारण अब दूसरे प्रकार के अतिथि हमारे घर पर आने लगे। परन्तु आतिथ्यशीलता की परम्परा ता वही कायम रही। स्वामीनारायण-मंदिर के आचार्य और साधु-सन्तों के अतिरिक्त अब पू० बापू, श्री विठ्ठलमाई पटस सरदार बल्लभमाई, पण्डित मोतीलाल नेहरू डॉ० अन्तारी श्री राजगोपालाचार्य—आदि कांग्रेस के अनेक नेताओं और छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं का आतिथ्य करने का यशस्विलक उन्होंने किया। हमारे मकाम के पड़ोस में ही पिताजी के इच्छानुसार 'स्वामी नारायण धर्ममठ' के नाम से एक हाल बनाया गया था। वह छोटी-छोटी लादी-प्रदर्शनियों छोटी सभाओं कार्यकर्ताओं की बैठक और ठहरने के स्थान के रूप में वर्षों तक काम आता रहा। इसके बाद वह नेताओं के बजाय ऐसे छोटे-छोट कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए एक निश्चित स्थान बन गया जिसका कोई हाल नहीं पूछता था और जिनके लिए होटल या धर्मशाळा के अलावा ठहरने का कोई स्थान ही नहीं था। मेरे बड़े भाई के समय में कांग्रेस साधनवाणी सस्था नहीं बनी थी। इसके अलावा लोगों के मन में डर भी

रहता था। यों अकोला में अनेक बड़े व्यापारी और वकील भी थे, परन्तु व सब अपने यहाँ कांग्रेस के नेताओं को ठहराने में डरते थे। इसके बाद जब कांग्रेस की स्थिति सुधर गयी और उसके पास छावन हो गये, तब बड़े नेताओं की व्यवस्था तो होने लगी, परन्तु रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा गाँवों में काम करनेवाले सरल कार्यकर्ताओं के ठहराने के लिए अकोला में कोई स्थान नहीं था। इस संधिकाल में मेरे बड़े भाई शान्त हो गये। तब मेरे बड़े यतीने शान्तिलाल (बबुभाई) ने उनका स्थान के लिया। वह मुझसे भी अधिक कमजोर था। परन्तु उसने इस कमजोरी की ह्रास्य में भी अपने छोटे-से जीवन-काल में जो काम किया तथा सन् १९४२ में घर के अन्दर बैठे-बैठे इतने बोर से आन्दोलन चलाया कि उसकी उस मरणासन्न अवस्था में भी सरकार ने उसे सवा-बेड़ बप कैद में रखा। इसन मेरे बड़े भाई के नाम को मुलुबा बिया और अथ अकोला में बबुभाई का ही नाम सबकी ध्यान पर चढ़ गया।

“हमारे घर में इन सब कामों में योग देनेवासी स्त्रियों में अकेली विजया मामी ही थीं। बहुओं की मदद तो सतको इधर-उधर अन्तिम बर्षों में ही मिलने लगी। लगभग १२ बर्ष की उम्र में वे इस घर में आयीं और १५ बर्ष की उम्र में ता० ८-७-५२ को उनकी मृत्यु हुई। दूर के भारत-पाँच बर्ष छोड़ दें ता वेप सारे समय में घर की सारी जिम्मेवारी उनके सिर पर थी। यह भाई शान्तिलाल की मृत्यु के बाद भी उन्होंने जारी रखी। परिणामस्वरूप उन्होंने स्वतन्त्र रूप से मेरे पिताजी भाई और भतीजों के समान ही कीर्ति प्राप्त की।

“उनकी बड़ी सड़की सुधीया अपने पति अर्थात् गांधीजी के दूसरे पुत्र श्री भणिलाल गांधी का साथ दक्षिण अफ्रिका में वे रहीं हैं। दूसरी सड़की तारा नागपुर-विदर्भ प्रान्त में कस्तूरबा ट्रस्ट का संचालन कर रहीं हैं। वे अन्व लड़कियाँ भी अपने-अपन ढंग से परिवार को सँभालने के उपरान्त सार्वजनिक कामों में बराबर रस ले रहीं हैं। ऐसे परिवारों का योगलेम तो भगवान् ही चलाता है और ऐन बक्त पर मददगार मित्रों को मदद के लिए भेज देता है। उनकी मदद से परिवार मस का भाजन बन जाता है। नहीं तो ऐस काम केवल पैस के बल पर मनुष्य करने सगें तो रक्षाभीषों से ही निभ सकते हैं।”

सन् ३०-३२ का सत्याग्रह-संग्राम : १९ .

सन् १९२८ की कड़ी बीमारी से उठने के बाद जब श्री किशोरलाल भाई विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए तो उन्हें लगा कि यदि विले पार्ले की राष्ट्रीय शाला में काम करेंगे तो बम्बईवाले घर पर आसानी से नजर भी रखी जा सकेगी और भाई बालूभाई के बच्चों को अकूरत पढ़ने पर सलाह सूचना आदि की मदद भी दी जा सकेगी। इसलिए उन्होंने विले पार्ले की शाला में काम करने का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने एक वर्ष काम किया होगा कि इतने में नमक-सत्याग्रह का मुठ छिड़ गया। राष्ट्रीय शाला को सत्याग्रह की छावनी का रूप दे दिया गया और सेठ जमनालाल बजाज बालासाहब कूर, स्वामी आनन्द श्री वांधरेकर आदि उसमें शरीक हो गए। किशोरलाल भाई और गोमती बहन भी तो थीं ही। छावनी में शामिल होते समय दोनों ने प्रण किया था कि खद तक लड़ाई जारी रहेगी भर नहीं छीटेंगे। किशोरलाल भाई जमनालालजी आदि ने सा० ६ अप्रैल को नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारम्भ किया। वे गिरफ्तार कर लिये गये और वांधरा के मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन पर मुकदमा चला। श्री जमनालालजी तथा विले पार्ले के प्रमुख कायकर्ता श्री गोकुलभाई भट्ट भी किशोरलाल भाई के साथ ही गिरफ्तार किये गये थे। किशोरलाल भाई ने अदालत के सामने अपना बयान पढ़ सुनाया और तीना व्यक्तियों को दो-दो वर्ष की कड़ी कद और कुछ जुर्माने की सजा दी गयी। जुर्माना न देने पर बड़-बेड़ महीने की और अधिक कद भुगतने की सजा थी। पहले तो वे घाना-जेल में रक गये परन्तु बाद में तीनों मासिक मेट्रोल जेल भेज दिये गये। किशोरलाल भाई पहले छौ 'अ' श्रेणी में रखे गये परन्तु मासिक जेलो पर 'ब' श्रेणी में कर दिये गये। किशोरलाल भाई जब मासिक भाव तब मैं मासिक जेल में ही था। इसलिए लगभग आठ महीने घाम-घास विस्तार रूगाकर हमें रहन का अवसर मिला। मासिक-जेल में कितने ही समाजवादी तथा कम्युनिस्ट मित्र भी थे। उनके साथ हमारी खूब बर्बाएँ हानी। इससे

फलस्वरूप हम दोनों ने समाजवादी और साम्यवादी साहित्य का अच्छा अध्ययन कर लिया और किम-किम मुद्दों में गांधी-विचार के साथ वे मिलते हैं तथा किम-किम मुद्दा में अलग हैं इसकी एक सारिका भी हमने बना ली। कम्युनिस्ट लोग अपने विचारों के प्रचार के लिए वर्ग लेते थे। हमने भी गांधी-विचार के वर्ग शुरू कर दिये। साम्यवादी कार्यकर्ता तथा उनके भाषण सुनने के लिए जानेवाले लोग हमारे वर्गों में भी जा सकें, इसलिए हमने अपने भाषणों का समय भी असंग रक्त दिया। कई बार हम भी साम्यवादियों के भाषण सुनने के लिए जाते। हमारे विचार भिन्न होने पर भी उनके साथ हमारा सम्बन्ध बहुत मधुर तथा मैत्रीपूर्ण हो गया।

उस समय किशोरलाल भाई की 'जीवन-सोधन' नामक पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हो चुका था। इसलिए किशोरलाल भाई 'जीवन-सोधन' का भी एक वर्ग लेते थे। इसके अतिरिक्त इसी सत्र में किशोरलाल भाई ने मोरिस मिटरलिंक की 'The life of the white ant' नामक पुस्तक का अनुबाद (उपदिष्ट जीवन) किया। मैंने ओपाटकिन के 'Mutual aid' नामक पुस्तक का 'सहायभूति' नाम से अनुबाद किया। अनुबाद में हम बोना एक-दूसरे की अच्छी तरह मदद लेते थे।

हम दोनों की सजाएँ तो सन्ती थीं परन्तु मार्च १९३१ में गांधीजी और वाइसरॉय के बीच सुझह हो जाने से ता० ८ व १० ३१ को सजा की अवधि पूरी होने से पहले ही हम छोड़ दिये गये।

गोमती बहन की भी इच्छा थी कि वाइसरॉय मिलते ही वे जम्दी-से-जम्दी जेल आवें। परन्तु वे गिरफ्तार नहीं की गयीं। इसलिए उन्हें सभ्ये समय तक बिले पालों की छावनी में रहना पड़ा। अन्त में उन्हें चार महीने की सजा हुई और वे 'क' श्रेणी में रखी गयीं। उस समय का वर्गीकरण बड़ा विचित्र था। वास्तव में वर्गीकरण मनुष्य का बाहर का वर्ण और रहन-सहन देखकर करता चाहिए। परन्तु पिठा-मुत्र, सगे भाई तथा पति-पत्नी को असंग-अलग वर्गों में रखा जाता था।

सुझह हा आज के बाद भी बिले पालों की छावनी पासू रही। क्योंकि यह निराशय नहीं था कि यह सुझह स्थायी रहेगी या फिर सड़ाई शुरू हो जायगी।

इसलिए विद्यापीठ में भी हमने सात महीने का एक अभ्यासक्रम बनाकर एक वर्ग चलाया और उसका नाम 'स्वराज्य विद्यालय' रखा। इसी प्रकार विले पार्ले की छावनी में भी 'गांधी विद्यालय' के नाम से एक वर्ग शुरू किया था। इसमें विद्यार्थियों को गांधीजी के विचारों का परिचय देने का काम किशोरलाल भाई को सौंपा गया था। उसके लिए जो तैयारी की गयी, उसमें से 'गांधी-विचार-दोहन' नामक पुस्तक का जन्म हुआ।

वाइसरॉय चार्ज इरविन (अब क लाड हेलिफैक्स) ने गांधीजी के साथ जो सुरुह की, वह सिविल सप्लिस के अधिकारियों को शुरू से ही अच्छी नहीं लग रही थी। लाड इरविन का कार्यकाल समाप्त होने पर चार्ज बिलिम्बन वाइसरॉय बनकर आ गये। अधिकारियों को उनका सहारा मिला। इसलिए उन्होंने सुरुह को तोड़-ताड़कर फेंकनवाले अनेक कृत्य किये। इस कारण गांधीजी ने गोलमेज-परिषद् में जाने के अपने विचार को बदल दिया। फिर भी वे गोलमेज-परिषद् में गये और किस प्रकार असफल होकर वहाँ से छीटे, यह सारा प्रकरण कहना यहाँ ठीक न होगा। इम्पीड से गांधीजी क लौटन पर ता० ४ १ १९३२ के दिन वे फिर गिरफ्तार कर लिये गये और उसके दूसरे दिन सारे देश के प्रमुख नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को समेट लिया गया। इसमें किशोरलाल भाई भी पकड़ लिये गये। उन्हें अब सजा सुनाई गयी तो उन्होंने नीचे लिखा बयान अदालत में पढ़ा जो उनके स्वभाव का द्योतक है

'आपरवाही से अथवा पूज्य गांधीजी या कांग्रेस के प्रति अपनी केवल वफादारी से प्रेरित होकर मैं फिर से विनय भंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ हूँ। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच के इस कसह के परिणाम अत्यन्त गम्भीर होंगे—इतने गंभीर कि शायद ही आज तक संसार ने कभी देखे ह।

'स्वभाव से मैं कोई राजकीय पुरुष या सदाकू व्यक्ति नहीं हूँ। सत्कारों से तथा अपने निजी विश्वास से भी मैं कसह को बिकारनेवाला और मानव-मात्र की एकता का माननेवाला हूँ। इस कारण संसार की कमजोर-से-कमजोर जनता गंवार की सबसे अधिक पगुबलवाणी जाति के बिरुद्ध केसरिया बाना पहनकर युद्ध के मैदान में उतरे यह कल्पना न तो मेरे खून को ठंडा करती है

और न उसमें गरमी ही ला रही है। परन्तु मनुष्य अितनी एकाग्रता से सोच सकता है, उतना सोचने के बाव भुझे यही लगता है कि मेरे सामन कबस एक भारतीय के माते ही नहीं बल्कि एक मानव-सेवक और ईश्वर के एक भक्त के नाते भी यह कठोर कर्तव्य करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है।

‘मुझे लगता है कि यदि मानव-जाति को अकथनीय क्रूरता और अत्याचार के दुस्सों से बचाना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है—वह यह कि मनु के इस कुण्ड में जहाँ तक संभव हो, केवल पवित्र आहुतियाँ ही दी जायें क्योंकि पवित्र अथवा पवित्रता के लिए प्रयत्नशील प्राणी का आत्म-बलिदान सायद अन्य हजारों प्राणियों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो।

‘कम-से-कम आज तो ब्रिटेन के माग्य-विभागा ने भारत का भुसमरी से बचन और स्वाभिमान के साथ जीवन ब्यतीत करने के दावे को मानने से इनकार कर ही दिया है। थोड़े में कहा जाय तो कांग्रेस का दावा इससे अधिक कुछ नहीं है। ब्रिटेन के माग्य-विभागा ने इस दावे को मानने से केवल इनकार ही नहीं किया है बल्कि उसने यह भी निश्चय किया है कि जो इस तरह का दावा करने की बृष्टता करेगा उसे भी बहुकुबल देगा। वह चाहता है कि भारत की भूट को केवल जारी ही नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि सुदले हुए भारत को इसमें हँसते भी रहना चाहिए। भारत को कुबसने की अपनी शक्ति में अत्यन्त बिश्वास होन के कारण इस माग्य-विभागा को ऐसा भी लगता है कि पिछली बार इस शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग न करके उसने मूल की और इसलिए अन्धकी धार ऐसा करने के लिए वह अधीर हो गया है।

‘इस तमाम चिह्नों को देखकर अब ऐसा अनुमान करने में कोई हर्ष नहीं दीसता कि भारत में हमारे जीवन का अत्यन्त करुण प्रसंग अब मानेजाया है।

‘मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज जाति का मनु चाहतवाले और उनके हाथ मृत्यु आये तो भी उन्हें ईश्वर के बाचीर्वाद प्राप्त हों एसी प्रार्थना करने-वाले जो थोड़े-से ब्यक्ति भारत में हैं, उनमें से मैं एक हूँ।

‘इस प्रकार की माग्यताएँ होने के कारण मुझे लगता है कि मानव-समाज की सेवा के लिए मुझसे जितना बलिदान दिया जा सकता है मुझे देना चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा के तरीने अमम्य

होत है। इतिहास बताता है कि मानव-जाति को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने देने से पहले उससे वह ऐसे बलिदान लेता ही आया है।

“इन विचारों का सार यह भी है कि हमें जो उद्देश्य सिद्ध करने हैं उनके लिए केवल जेल की सजा भोगना पर्याप्त बलिदान नहीं है। इससे अधिक कष्ट उठाने का सौभाग्य भी मुझे मिले ऐसी मेरी इच्छा है। परन्तु यह पसवगी भी मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मुझे तो यही श्रद्धा रखनी पड़ती है कि मेरे लिए ईश्वर ने जो योजना की है वह उन्होंने अधिक-से-अधिक समझ कर ही की होगी।

भारत को कुचलने के ये प्रयत्न हो रहे हैं फिर भी मेरे मन में यह आशा तो है ही कि भारत का उद्धार अवश्यंभावी है। हाँ इसके लिए उसे अवश्य ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किन्तु इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत का विनाश नहीं होगा। परन्तु यदि ब्रिटेन का मान्य-विधाता आज की नीति पर ही काम करता रहेगा तो मुझे यही भय हो रहा है कि ब्रिटेन की भावी जनता अपने लिए इतने बड़े विनाश को निमज्जण दे देगी कि जितना आज तक ससार में किसी कौम का नहीं हुआ होगा। इस भयकर विनाश को रोकने में मेरी आहुति यदि किसी प्रकार सहायक हो सके तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूँगा। परन्तु हमें तो यही समाधान मान लेना है कि उसकी इच्छा में हमारी इच्छाएँ आ ही जाती हैं।

किशोरलाल भाई को दो वर्ष की सजा हुई। इस अवधि का प्रारम्भिक भाग उन्होंने थाना में काटा और शेष बड़ा भाग नासिक में।

सन् १९३० में जब उन्हें सजा हुई थी तब उन्होंने दण्ड खापी के कपड़ा की माँग की थी। वह मजूर नहीं हुई, इस कारण उन्होंने शाम का भोजन छोड़ दिया था। सुपरिंटेंडेंट ने हमसे कहा कि आप सब चरका चलाकर मुझे जस्दी सूत दे देंगे तो उसे बुनवाकर मैं किशोरलाल भाई के लिए कपड़े बनवाकर दे सकता हूँ। हमने पंद्रह दिन में ही सूत कातकर दे दिया। उसके कपड़े मिलते ही किशोरलाल भाई ने शाम को भोजन लेना शुरू कर दिया। कपड़ों का भण्डारी डिप्टी जेलर समझदार था। उसने य कपड़े अलग रख छोड़े थे। इसलिए जब दूसरी बार किशोरलाल भाई नामिक गये तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यही कपड़े उन्हें मिल गये।

सन् १९३० के जेल-प्रवास में भी वे अक्सर बीमार रहते और उन्हें अस्पताल में दिन काटने पड़ते। परन्तु दूसरी बार की जेल में तो उन्होंने अधिक्रिय सजा अस्पताल में ही काटी। 'गांधी-विचार-दीप्त' के अलावा गांधी विचारों के लिए गीता के अध्ययन को सरल करने की दृष्टि से उन्होंने 'गीता-मन्त्र' नाम की एक पुस्तक शुरू की थी। यह इस बार की सजा में पूरी हो गयी।

सितम्बर १९३२ में इम्पीथ के प्रधान मंत्री रमसे मैकडोनाल्ड ने अपना साम्प्रदायिक निर्णय दिया। इसमें हरिजनों के लिए अलग मतदान-मंडल की योजना करने उन्हें हिन्दू-समाज से अलग कर दिया। निर्णय के इस भाग को रद्द करने के लिए गांधीजी ने उपवास शुरू कर दिया था। इस प्रसंग पर गांधीजी ने किशोरलाल भाई को एक पत्र लिखा था। यह पत्र और इस पर किशोरलाल भाई का उत्तर इस प्रकार है

सम्बदा जेल, पूना

ता० २१ ९ ३:

बि० किशोरलाल

मेरा यह कदम तुम्हें नीतियुक्त लगा या नहीं यह जानने की इच्छा व है ही। माफ की संका है। उन्हें मैंने उत्तर दे दिया है। तुमने सोचा हो तो सिलतता। यदि कदम धर्म के अनुसार लगे तो हमारे लिए यह आनन्दोत्सव है, यह तो तुमने समझ ही लिया होगा।

वस्त्रमभाई की संस्कृत के विषय में तुम्हें जो भय है, उसके लिए कोई कारण नहीं है। वस्त्रमभाई से उनकी दहाती गुजरती को तो कोई छीम ही नहीं खपता। उस प्रबाह को संस्कृत अधिक मजबूत करेगी और इस उम्र में वे जो मगीरय प्रयत्न करते हैं हमारे लिए तो बही उन्हें बपाई देन की पीज है। इसका अन्तर विद्यार्थी-वर्ग पर पड़े बिना नहीं रह सकता। मन्वान हमारी भाषा के लिए गया नहीं है। यदि यह सूल जाय तो ये मारी भाषाएँ निर्माप्य हो जायँ ऐसा मुझे लगता ही रहता है। मैं समझता हूँ कि इसका सामान्य ज्ञान आवश्यक है।

मुझ ऐसी सहूलियत मिर गयी है कि तुम मुझ तुरन्त लिख सकत हा।

भापू के भागीवर्दि

सेंट्रल जेल, नासिक

ता० २४ ९ ३२

पूज्य बापूजी की सेवा में

इस प्रसंग पर हम आपको कैसे लिखें यह हमें सूझ ही नहीं रहा था। और मैं तो आज सोच रहा था कि यदि इस महीने कोई मिलने के लिए न आये, तो मैं अपने इस विषय अधिकार का उपयोग करूँ। परन्तु अब इसकी जरूरत नहीं रही।

भापके उपवास का सकल्प प्रकट होने के बाद दो-तीन दिन मैं आपके हृदय और विचार-सरणी का पता नहीं लगा सका इसलिए चिन्तित रहा। परन्तु बाद में एक रात में ऐसा लगा जैसे आपका यह कदम मेरी समझ में आ गया। इसलिए मन स्वस्थ हो गया। परन्तु अभी भी यह तो भग ही रहा है कि यह कदम भय से स्वीकृति नहीं है। अहमदाबाद के मिल-मजदूरों की हठता के दिनों में भापने जो उपवास किया था उसमें मिल-मालिकों के प्रति कर्तव्य की दृष्टि से उस उपवास में जो दोष कहा जा सकता था उस दोष से यह उपवास मुक्त है ऐसा नहीं लगता। इस उपवास के कारण यदि आपके शरीर को खतरा उपस्थित हो गया तो डॉ० अम्बेडकर ने जिस सून-साराबी और छूत-अछूत जातियों के बीच ड्रेप फैंशन का भय प्रकट किया है वह भय मुझे भी लगता है। यह भी सत्य है कि भापके उपवास से उनकी स्थिति—जैसा कि उन्होंने बताया है—विषम (unenviable) हो सकती है। परन्तु जेल में तो इस कदम के सिवा आपके सामने कोई चारा ही नहीं था। इंग्लैंड से लौटते ही आपकी स्वतन्त्रता का अपहरण करके सरकार ने आपको लाघार बना दिया था। इस कारण इस कदम की धर्ममयता के बारे में टाका के लिए अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही और एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि यह कदम धर्मयुक्त है, उसके बाद इसके कुछ अनिष्ट परिणाम भी हो सकते हैं तो भी इस विचार से इस कदम को रोका थोड़े ही जा सकता है। फिर तो यही कहना पड़ता है कि—'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता'।

यह सब तो मेरे मन की कलावाजी है। वही लिख दी है। इसके उपरान्त

सन् १९३४ के उत्तरार्द्ध में बीमारी से कुछ अच्छे होने पर किशोरलाल भाई के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब कहाँ रहना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। भमनालालजी उन्हें वर्षा खींच रहे थे। बापू ने इरिजत यात्रा पूरी करके वर्षा को अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया था। काका साहब भी वर्षा के पास के किसी गाँव में रहने का विचार कर रहे थे। किशोरलाल भाई सन् १९३४ के अगस्त में वर्षा गये। उस समय गांधी-सेवा-संघ की पुनर्रचना के विचार बहाल चले थे। भमनालालजी इस संघ के अध्यक्ष थे। परन्तु वे यह महसूस कर रहे थे कि गांधी-सेवा-संघ जैसी गांधीजी के छात्रों को अपित संस्था का अध्यक्ष होने की योग्यता उनमें नहीं है। अब तक गांधी-सेवा संघ केवल उसके सेवकों का ही संघ था। परन्तु इन सेवकों के अतिरिक्त भारत में ऐसे बहुत-से मनुष्य थे जो गांधीजी के विचारों का अनुसरण करने का यत्न कर रहे थे। इसलिए भमनालालजी चाहते थे कि ऐसे विचारवाले सभी भाई बहनों को समेटकर लिया जाय। उन्हें लग रहा था कि कोई स्थायी अपना बिबेकी पुरख ही ऐसे संघ के अध्यक्ष-स्थान पर सोभा दे सकता है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कई नामों पर विचार किया गया। अंत में किशोरलाल भाई का नाम ही पसन्द किया गया।

यह पद स्वीकार करने में किशोरलाल भाई के सामने कई बटिमाइयाँ थी। एक तो यह कि वे सेवा बीमार रहते थे और सभी मनुष्य के विचारों पर उससे रोग का कुछ ता असर पड़ता ही है। इस विचार से उन्हें सकोच हो रहा था। दूसरी बात यह थी कि बापू के विचार और उनके विचार कहीं-कहीं मिलते भी नहीं थे। इस बात को बापू जानते थे। दूसरे भिन्न भी जानते थे। इसलिए उन्हें यह उचित नहीं लग रहा था कि बापू के विचारों का माननवासी संस्था के वे अध्यक्ष बनें। फिर भी उन्होंने अध्यक्ष-पद यथो स्वीकार कर लिया, इस बारे में स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा था कि

“मनुष्य कभी किसी विषय पर जब अपने विचारों को दृढ़ कर लेता है तब उनकी सिद्धि में से वह अपने को बचा नहीं सकता। यह सस्या किस प्रकार की होनी चाहिए तथा सत्याग्रही समाज का स्वरूप क्या हो सकता है इस बारे में सन् १९२८ से मेरे विचार व्यवस्थित हो गये थे। गत जुलाई और अगस्त १९३४ में इन विचारों का कुछ विकास हो गया था।”

संघ के सदस्यों से बापू ने अध्यक्ष-पद के लिए नाम सुझाने को कहा। बहुत से नामों की चर्चा हुई। अन्त में अन्य किसी अधिक योग्य नाम के अभाव में किशोरलाल भाई का नाम मंजूर हुआ। इस विषय में वे लिखते हैं

‘रात क आठ-साढ़-आठ बजे मैं बककर सेटा ही था और आँखें भारी हो रही थीं कि इतने में महादेव भाई आये और कहने लगे कि ‘बापूजी ने आपका ही नाम पसन्द किया है और आपको इनकार नहीं करना चाहिए, एसा उन्होंने कहलाया है।’ उन्होंने यह भी कहा कि ‘मत-गणना की तफसील आपका नहीं बताऊँगा। परन्तु इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका नाम बहुत से लोगों ने सुनाया है। मुझे जो भय था वह उनके सामने रखते हुए मैंने कहा कि ‘यदि कोई दूसरा उपाय ही न हो तो मैंने अपने मन को इसके लिए तैयार कर लिया है। महादेव भाई चले गये। इसके बाद अमनालालजी आये। उन्हें मैंने अपना उत्तर सुना दिया। मैंने ऐसा कि उसे सुनकर उन्हें सन्तोष हुआ। अर्थात् दूसरे नम्बर का आदमी मिलने पर जितना सन्तोष हो सकता है उतना ही हुआ होगा।’

‘बापू से जब मिला तब मैंने उनके सामने अपनी कमजोरियाँ रख दीं। पहले भी यह दिया था कि मेरे निराग्रही के पीछे मेरे आग्रह भी हैं।’

दूसरे दिन अर्थात् ता० २९, ११, १९३४ के दिन बापू ने सभा में किशोरलाल भाई का नाम अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया। सबने इसका स्वागत किया। स्वयं बापू ने किशोरलाल भाई को सूत की माला पहनात हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। किशोरलाल भाई ने अध्यक्ष के रूप में काम करना भी शुरु कर दिया।

इसके बाद गांधी-सेवा-संघ का विधान सोचने और बनाने में दस दिन लग गये।

इसके कुछ दिन बाद गांधी-सेवा-संघ का पहला अधिवेशन वर्धा में ही हुआ।

इसमें केवल संघ के सेवक ही बुलाये गये थे । परन्तु इसके बाद हा दूसरे लोग भी संघ के सदस्य बना लिये गये और संघ का वार्षिक अधिवेशन ऐसे स्थान पर करने का निश्चय किया गया जहाँ रचनात्मक कार्य अच्छा चल रहा हो । इन निश्चय के अनुसार संघ का दूसरा अधिवेशन महाराष्ट्र भरसा-संघ के मुख्य केंद्र साबली में सन् १९३६ के फरवरी-मार्च में हुआ । इसमें संघ के सर्वकों के अतिरिक्त बहुत से नये सदस्य भी आये थे । अर्थात् इस प्रकार का तो यह पहला ही अधिवेशन था ।

अपने अभ्युत्थीय भाषण में किशोरलाल भाई ने विस्तारपूर्वक बताया कि रचनात्मक काम करनेवाले आम-सेवकों को कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस भाषण में उन्होंने यह भी बताया कि इनका निवारण उन्हें किस प्रकार करना चाहिए । अधिवेशन लगभग सात दिन चला । इसमें कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कठिनाइयाँ और संकाएँ पेश कीं । 'संघ के कार्यक्रम का आचार जीवन की एक निश्चित निष्ठा होनी चाहिए' इस विषय पर बोलते हुए किशोरलाल भाई ने कहा "सच तो यह है कि अपने देश में पुराने किले की जगह हमें अब नया बनाना है । परन्तु हम जिस पुराने किले में रहते हैं उसीका नया रूप देना होगा । पुराने किले को पूरी तरह से भरायायी करके हम नया किला नहीं बना सकते । इसलिए सबसे पहली प्रेरणा हमें यह होती है कि जहाँ-तहाँ घाँसी मरम्मत करके हम काम चला सें । परन्तु अनुभव कहता है कि बहुत अधिक मरम्मत की जरूरत है । कुछ माग तो पूरे छीर पर गिरा देना होगा । इसलिए हम दूसरा रचनात्मक कार्य बना रहे हैं । परन्तु इसे हम पूरा करते हैं तब तक तो हमारा ध्यान इसमें भी सड़ा और अधिभ्रं गहरी सराबी की ओर जाता है । इसलिए हम छीसरा कार्यक्रम बनाते हैं । हमारा प्रयत्न का मार्ग इस तरह का है । मुझे लगता है कि इस तरह करते-करते हमें मानव-जाति की ठठ जड़ तक जाना होगा । मानव-जीवन की असली जड़ उसकी आध्यात्मिक अथवा भासिक दृष्टि में है । इस धर्म-दृष्टि में जब तक सुधार नहीं होगा—अर्थात् इसकी जड़ में जब तक सुधार नहीं होगा—तब तक समाज की नव-रचना अथवा नया संगठन नहीं हो सकता । हमारी—विशेष रूप से हिन्दू-समाज की—आध्यात्मिक दृष्टि एक से ही रोगी बन गयी है । हमारे धर्म अर्थ, काम और

मोक्ष सम्बन्धी व्यवहार मले ही श्रद्धापूर्वक चल रहे हों परन्तु उनके मूल में जो वृष्टि है वह रोगी है। इसलिए हमारे कार्य टेढ़े-मेढ़े और भ्रान्त हो रहे हैं। जिस प्रकार हमने निश्चय किया है कि अस्पृश्यता-निवारण साम्प्रदायिक एकता स्त्री जाति का उत्कर्ष छावी, ग्रामोद्योग आदि में स्वराज्य है, इसी प्रकार हमें किसी दिन यह भी निश्चय करना पड़ेगा कि अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक विरोध स्त्रियाँ की दुर्दशा औद्योगिक विनाश आदि की जड़ में हमारी गलत धर्म-दृष्टि है। उसे हमें ठेठ जड़ से सुधारना होगा अर्थात् धर्म का सशोधन करना होगा। इसके लिए हमें तपश्चर्या करनी होगी और इसके द्वारा आध्यात्मिकता तथा धर्म की नयी दृष्टि प्राप्त करनी होगी। फिर इस नवीन दृष्टि को लेकर आज के हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि सभी धर्मों को शुद्ध करना होगा अथवा उनके स्थान पर किसी नये धर्म का निर्माण करना होगा। हमारा रचनात्मक कार्य अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी हमने जनता के धार्मिक विचार, उसकी मली या बुरी श्रद्धा अश्रद्धा अथवा अश्रद्धा की जड़ों को स्पर्श ही नहीं किया है।

एक पौधा जिस भूमि पर उगता है उसके गुण-दोषों का वह नहीं जानता। परन्तु फिर भी उसके विश्वास पर उस जमीन के गुण-दोषों का असर पड़े बिना नहीं रहता। यह उसकी शाखाओं पत्तियों फूलों और फलों पर दीक्षता ही है। यही बात मनुष्यरूपी पौधे की है। उसके जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति उसकी जमीन के गुण-दोषों का परिचय हमें देती है। इस भूमि से उखाड़कर उसे दूसरी जमीन में लगा दीजिये तो वह एक नया ही आवामी बन जायगा। रोमन कैथोलिक धर्म की जो आध्यात्मिक दृष्टि थी उसीके आधार पर यूरोप के समाज का स्वरूप बना। मार्टिन लूथर ने इस दृष्टि में जो परिवर्तन किया उसके परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट देशों के समाज के अग-प्रत्यङ्ग में नवरचना हुई। इसलाम की नयी आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई तब जहाँ-जहाँ भी इसलाम का प्रचार या वहाँ वहाँ धर्म की समाज-रचना से निम्न प्रकार की समाज रचना हो गयी। हमारे देश की आध्यात्मिक दृष्टि में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस कारण समाज का स्वरूप आमूलाग्र बदल गया है। यह हम इतिहास पर से देख सकते हैं। बौद्ध दृष्टि के परिणामस्वरूप वैदिक समाज का स्वरूप पुण्य बदल गया। भागवत संप्रदाय की आध्यात्मिक दृष्टि ने मीमांसावादी तथा स्मार्त समाज

रचना में फेरफार कर डाले हैं। पंजाब को नयी वृष्टि प्राप्त हुई, तो वहाँ सिव समाज की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हमारे भारतीय समाज का नवीन क्रम हमारी आध्यात्मिक वृष्टि का संघोषण करने पर ही हो सकता है। जब तक हमें रचनात्मक काम की यह दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक रचनात्मक तथा राजनैतिक कार्यक्रम की शाखाओं को ही हमें समालना पड़ेगा।”

संघ का तीसरा अधिवेशन सन् १९३५ की १६वीं अप्रैल से २ मई तक वेल्सगाँव जिले के हुदली नामक ग्राम में हुआ। उस समय धारा-सभा के चुनाव हो चुके थे। उनमें कांग्रेस न पूरा-पूरा भाम सिन्हा या और बहुत से प्रान्तीयों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को मन्त्रिमण्डल बनाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर उन दिनों चर्चाएँ चला रही थीं।

इस वातावरण में यह सम्मेलन हो रहा था। गांधी-सेवा-संघ के सामने तो यह प्रश्न था कि उसके सेवक तथा सहयोगी सदस्य धारा-सभा के सदस्य हो सकते हैं या नहीं? किशोरलाल भाई ने अध्यक्ष की हैसियत से मापण करते हुए अपन विचार इस प्रकार प्रकट किये थे

‘यदि हम अपने ध्येय का स्पष्ट रूप से समझ लें तो उस विषय में शका अबका दुर्विमेद के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिनकी मनोवृत्ति धारा सभाओं के काम के अनुकूल हो वे भले ही उनमें जायें। वे भी राष्ट्र के सिपाही हैं। उनकी सेवा से हम खुश हैं। उनकी कद्र भी करते हैं और उन्हें यदि मदद की जरूरत हो, तो वह भी हमें देनी चाहिए। परन्तु संघ का कार्यदाय गिप्त है। अबका या कहिये कि सेवा-काय में कुछ धम-बिभाजन की आवश्यकता है। संघ ने अपने कार्यक्रम में धारासभा जैसी संस्थाओं को शामिल नहीं किया। पिछले सम्मेलन में बापू ने कहा था कि ‘पार्लमेंटरी बोर्ड की बात भीजिये। उसे मैन ही खाया है। परन्तु उसमें मैं जाड़े ही जानवासा हूँ। आज ता धारासभाओं में जाने की मेरे मन में कल्पना भी नहीं आ रही है। फिर भी यह काई सिद्धान्त की बात नहीं है। जिस समय जो जरूरी हो वह हमें करना चाहिए। परन्तु इस कारण यदि आप सांग नहीं जाना चाहें तो मैं नहीं जान दूँगा। आज तो भूलाभाई को वहाँ भेजूँगा। इस काम में उनका विश्वास है और इसे करने की उनमें शक्ति भी है। सत्यमूर्ति का यहाँ पर भी क्या उपयोग कर सकता है?’

यदि मुझे संगीत द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना होगा तो मैं खरे शास्त्री और बालकोबा को वहीं भेजूंगा। यदि रचनात्मक कार्य में आपकी दृढ़ श्रद्धा हो जैसी मेरी गो-सेवा में है, तो आपको यही काम करना चाहिए। मुझे तो सपने भी गाय के ही आते हैं। अपन-अपने काम में और अपने-अपने स्थान पर हम सबको ध्यानावस्थित हो जाना चाहिए। इसीको आप स्वधर्म समझें। परधर्म उत्तम सगे, सा भी याद रखें कि वह भयावह है।'

इसके बाद उन्होंने कहा

गांधी-सेवा-संघ की कार्यवाहक समिति न सा० २८ अगस्त १९३६ को पूरी शर्तों के बाद गांधीजी की उपस्थिति में यह निर्णय किया था कि संघ के सेवक तथा सहयोगी सदस्य धारा-सभा के चुनावों में उम्मीदवारी के लिए जा रहे नहीं हो सकते। हाँ सहायक सदस्य यदि उम्मीदवार बनना चाहें तो उनके लिए कोई रूकावट नहीं।

उन्होंने आगे कहा

परन्तु इस निर्णय की जड़ में जो विचार था वह कितने ही सदस्यों की समझ में ठीक से नहीं आया और मुझसे अनेक बार प्रश्न पूछे गये हैं। इस प्रकार की घटा के लिए कुछ कारण भी हैं। धारा-सभा के चुनावों के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोग ने जी-सीढ़ी महानत की है और जो कन्द्रीय तथा प्रांतीय घोड़ों के सूत्रधार हैं उनमें से कुछ तो हमारी कार्यसमिति के ही सदस्य हैं। अन्य भी अनेक प्रौढ़ सदस्यों ने यह काम किया है। जिस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सरदार वल्लभभाई राजन्द्र बाबू प्रफुल्ल बाबू गंगाधररावजी जमनालालजी दाबरराव देव आदि ने अपने स्वास्थ्य तथा प्राणा का भी खतरे में डालकर परिश्रम किया है और अनेक स्त्री-मुस्यो को खड़े रखने मत देने के और चन्दा देने के लिए प्रेरणा दी है उस काम के लिए यदि हमारे सेवक अपना सहयोगी सदस्य बड़े रहें, तो उन्हें संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए यह बात बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती। इसलिए इस विषय में अधिक स्पष्टता कर देना अच्छा होगा।

“ - - - मेरी तो राय यह है कि प्रत्येक सहस्रील में ऐसे बहुत से वांगमन निष्प स्त्री-मुस्य अक्षय्य होंगे जिन्हें धारासभाओं तथा म्युनिसिपैलिटिया के कामा

के लिए बड़ी खुशी के साथ भेजा जा सकता है। अपने निर्वाह के लिए विभिन्न काम करत हुए भी बिना किसी प्रकार से स्वार्थ की इच्छा रखते हुए उत्साह तथा निष्ठापूर्वक सेवा करनेवाले कांग्रेस मकतों की बहुत परम्परा बान रहनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए कि कितने इन स्थानों के लिए ऐसे भाजस्य सेवकों को पसन्द करना पड़े जिन्होंने बस भ्रमा तथा परिग्रह और भार-समा आदि के पराधिकारों से प्राप्त हुनेवाले प्रतिष्ठा की साधना को छोड़कर जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर सेवा करने की वीक्षा ली है। यदि ऐसा करना पड़ता है तो इसमें कुछ अर्थों में हमारा कष्पान है ऐसा ही मुझे दिखाई देता है।

संघ की बैठक में इस प्रश्न पर विभिन्न सवस्यों ने अपनी-अपनी राय प्रकट की। राजेन्द्र बाबू ने कहा

“हमारे कहने से जो भारासमाज में गये उनसे हमने त्यागपत्र किये परन्तु उन्हें भेजनेवाले और यह काम करनेवाले हम अपने-अपने स्थानों पर बिपके बैठे हैं। यदि यह स्थिति अच्छी हो, तो भेजनेवालों के समाग जानेवालों को भी (सवस्य बने रहने की) इजाजत दे ली जानी चाहिए और यदि जानबाना को मना किया जाता है तो सवद करनेवालों को भी मना किया जाना चाहिए। जमनालालजी ने कार्यवाहक समिति में कहा था कि भारा-समा में जानेवाले सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूँ कि उसमें यह भय अवश्य है। परन्तु ऐसे मोह में फँसानवाले भय को हमें छोड़ देना चाहिए। इस मोह को हमें भीतना चाहिए। मेरी राय तो यह है कि हमारे सदस्या को भारा-समा में जाने की इजाजत हमें देनी चाहिए।”

सरदार दासभभाई ने कहा

“तीन करोड़ जनता को अपना मत देन का अधिकार मिला है। इन सवयों को ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं। ऐसा करने में हानि है। भारा-समाज का कार्यक्रम भी देश का ही काम है। इसलिए गांधी-सवा-संघ के जा सवस्य उनमें जाना चाहें उन्हें जाने देना चाहिए। जिन्हें उनका अपना प्रान्त भी नहीं भेजना चाहता हो, उन्हें इजाजत देने में कोई हानि नहीं है।”

जमनालालजी ने कहा

'मेरी राय यह है कि गांधी-सेवा-संघ ऐसी संस्था हो कि जो देश के सामने एक खास कार्यक्रम रखे और उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा ले। उसमें कोई फेरफार करना पड़े तो वह हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल हो। हम गांधी-सेवा-संघ में एक प्रतिज्ञा लें कांग्रेस में दूसरी प्रतिज्ञा लें और धारा-सभाओं में जाकर तीसरी प्रतिज्ञा लें। इसमें मेरे जैसे सीपे-सादे आदमी का भेल नहीं बैठ सकता। संघ में सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा लें, कांग्रेस से कहें कि आपका कार्यक्रम पूरा करने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं और धारासभाओं में जाकर राजनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा लें यह सब यदि सत्य और अहिंसा के अन्दर आ सकता है तो दुनियाभर की सब चीजें उसमें आ सकती हैं।'

इसके बावजूद बहुत से सदस्यों ने इसमें अपने-अपने विचार प्रकट किये। इन सबको सुनकर किशोरलाल भाई ने जो भाषण किया उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है

धारासभा के विषय में मेरे मन में से एक शंका निकल ही नहीं रही है। और वह यह है कि धारासभा के प्रति किस प्रकार की वृत्ति अथवा भक्ति हमारे दिलों में है? मैं जब सत्य और अहिंसा का विचार करता हूँ, तब मुझे यह जरूरी महसूस होता है कि हम जिस संस्था में प्रवेश करें उसके प्रति हमारे मन में अभिमान होना चाहिए। हम उसके गौरव को बढ़ायें। यदि उसके अन्दर बुराईयाँ हों तो हममें इतना आत्मविश्वास हो कि इन बुराईयों को दूर करके हम इस संस्था को उज्ज्वल बनायेंगे। उस संस्था का नाश करने की इच्छा से अथवा उस पर नाप बरसाते हुए उसके भीतर हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें तो यह कहना चाहिए कि धारासभा को सफल करते हुए हम उसके विधान में सुधार करवा सकेंगे और ज्यों-ज्यों इसका विधान सुधरता जायगा त्यों-त्यों स्वराज्य का विधान बनता जायगा। हमारी भवान से इस तरह की रागद्वेषात्मक भाषा नहीं निकलनी चाहिए कि हमें १९३५ का सुधार-कानून तोड़कर उसे मिट्टी बना देना है हम जिधें पैदा कर देंगे। वेदिये यह विधान टूट गया। हमने मंत्रिमंडल बनाने में इनकार कर दिया यह हमारी एक महान् विजय है— भाग्य। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि यदि सरकार हमें काम करने का

पुरा-पुरा अवसर से और राष्ट्र निर्माण के काम में अड़ये न वास्तु का बचन है, तो धारासभाओं के द्वारा हम जनता की सब प्रकार से सेवा कर सकेंगे एनी हूँ आशा है। राजमिष्ठा की प्रतिज्ञा के बारे में जनतासाक्षी ने जो आसका प्रश्न की है वह ध्यान देने लायक है। यदि हम धारासभाओं को स्वीकार करते हैं तब तो प्रतिज्ञा लेने में सत्य का कहीं भंग नहीं होता परन्तु एक ओर तो हम यह धोपणा करें कि हम उन्हें मंजूर नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रतिज्ञा भी ले लें इसमें तो मुझे अक्षय ही दोष दिखाई देता है। इस समय न कांग्रेस क-विमी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे विचार का सम्यक कोई मूल्य न भी हो। परन्तु मेरे कुछ विचार तो निश्चित हैं ही। वर्तमान धारासभाओं में मेरा विश्वास भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि राजाजी जैसे प्रधान मंत्री भी इन धारासभाओं के द्वारा जनता की कोई बड़ी सेवा कर सकेंगे। जिस प्रकार की लोकप्रतिष्ठान का निर्माण करने के सपने मैं देख रहा हूँ वह इन धारासभाओं के द्वारा निर्माण हो सकेगी इसका मुझे खरा भी विश्वास नहीं है।”

इसके बाद इन सब धंकाओं का समाधान करते हुए बापू ने अपने भाषण में कहा

“जनतासाक्षी कहते हैं कि यदि हम धारासभाओं में आयेंगे तो सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यह एक बहुत बड़ी बात कह दी। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानता। यदि हम सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकते तो लोक शासन भी नहीं चला सकते। क्योंकि एनी स्थिति में तो वह भी सत्य और अहिंसा से विकृत होगा। परन्तु यदि लोकशासन में हमारा विश्वास है तो हमें उसके द्वारा करोड़ों लोगों का सच्चा हित करना होगा। इस हित के बारे में विचार करने के लिए हम सब एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके लिए चोड़े-स प्रतिनिधियों का चुनकर भेजना होगा। यदि वे जनता के सच्चे सेवक होंगे और सच्चे लोकप्रतिष्ठान भी होंगे तो वे बुद्ध हृदय से जनता की भाँप समझाने की कोशिश करेंगे और उसे प्रकट भी करेंगे। संघ के सदस्य सत्य के पुजारी हैं। जिन्हें गांधी-सेवा-नम्य आशा दीगा वे नहीं पायस। यह प्रश्न किसी व्यक्ति का नहीं है। इस दृष्टि से इसके भीतर स्वार्थ या प्रलोभन की बात नहीं आती। जो स्वार्थ या प्रलोभन न बचीमूत होकर बर्हा जाने की

इच्छा करेगा वह तो गांधी-सेवा-संघ का सचा सत्य का भी प्रोही सावित हागा । जिसे चौबीसो घण्टे चरखे का ही ध्यान करना है, वह तो चारासभा में बैठकर भी कर सकेगा । हम तो दरिद्रभारायण के सेवक हैं । सबक बनकर ही वहाँ जाना है और कांग्रेस बुलाये सभी जाना है । यदि अपनी शर्तों पर हम मन्त्रिमण्डल बना सकते हैं तो फिर मान ही लीजिये कि हमें स्वराज्य का रास्ता मिल गया । और यदि ऐसे लोग वहाँ पहुँच गये तो म्यारह प्रान्तों में से एक में भी हमारी हार नहीं होगी । यदि कांग्रेस हमें नहीं बुलाती है तो हम यहाँ बठे ही हैं । इसमें श्रेष्ठ-कनिष्ठ का प्रश्न ही नहीं है । हमारे लिए तो रचनात्मक कार्यक्रम और यह कार्यक्रम दोनों समान हैं ।'

इसके बाद राजनिष्ठा का प्रश्न हाथ में लिया गया । श्री के० टी० गाह की पुस्तक में से बापू ने प्रतिज्ञा पढ़कर सुनायी ।

राजेन्द्रबाबू विधान में परिवर्तन करना तो इसमें सोलहो आने आता है ।

बापू मैंने इन्स्टीट के सचिधान का थोडा-बहुत अध्ययन किया है । इन कार्यों की राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा में तो राजा को पदच्युत करने की बात भी आ जाती है । तब क्या हम पूरा स्वराज्य की बात मन में रखकर यह प्रतिज्ञा नहीं ले सकते ?

किशोरलाल भाई यदि हम राजा को नहीं चाहते और उसके लिए हमारे विरों में किसी भी प्रकार का प्रेमभाव न हो तो हम किस प्रकार यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं ?

सरदार हम अपना कार्यक्रम लेकर वहाँ जाते ह । सरकार क दिल में हमारे उद्देश्य क बारे में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं है ।

जमनालालजी यदि बूसरा की प्रतिज्ञाया का अपने मन के अनुकूल भव हम करने लगे तो बूसरे भी हमारी प्रतिज्ञामा का मनमामा भव लगाकर हमारी सस्थार्था में घुस आयेंगे ।

बापू मेरी राय तो यह है कि इन्हीके किसी विधान-शास्त्री (कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्टर) की-जैसे कीय की-राय हमें लेनी चाहिए । आठवें एडबट म यदि स्वयं राज्य का त्याग न कर दिया होता तो पार्लियामेंट उसे राजा के पद स हटा

वती और यह राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा के विषय नहीं होता। इनकी प्रतिज्ञा में तो यह सब आ जाता है। उपनिषदों की बात स्वीजिये वे इन्स्टीट्यूट के साथ अपने सम्बन्ध टाड़ सकते हैं। तात्पर्य यह कि हमें विधान-शास्त्रियों से पूछ लेना चाहिए कि जिनका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता है, ऐसे लोग यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं या नहीं? मैं इस प्रश्न को नैतिक नहीं मानता। हम किसी विधान-शास्त्री से नैतिक व्यवस्था नहीं माँगते। यदि कानून के अनुसार हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं तो नैतिक दृष्टि से भी वह स्वी जा सकती है।

राजेन्द्रबाबू क्या हम कानूनी और नैतिक इस तरह के भेद कर सकते हैं?

बापू यहाँ तो नैतिक प्रथम कानूनी भूमिका में से ही उत्पन्न होता है।

किशोरलाल भाई क्या 'प्रतिज्ञा लेना'—शब्द ही नैतिक भूमिका सूचित नहीं करते?

बापू इसमें 'प्रतिज्ञा लेना' ये शब्द हैं तो अवश्य। परन्तु ब्रिटिश-संविधान एक विशिष्ट वस्तु है। इसमें परिपाटियाँ (कन्वेन्शन्स) भी आ जाती हैं। इसके अलावा कानूनी संकेत (लीगल फिजेशन) भी हैं। इनकी परम्पराओं में राजा को गोली मार देना भी प्रतिज्ञा से सुसंगत है। परन्तु मेरे पास एक श्रेष्ठ कानून—नीतिधर्म का पड़ा है। इसके अनुसार किसीको गोली मारना उचित नहीं है। इसलिए यदि यह बात भी इस प्रतिज्ञा में आ जाती है, तो जिस दुश्मन ने यह प्रतिज्ञा बनायी है, मैं तो उसकी बहादुरी की कद्र करूँगा। यह कहूँगा कि दुश्मन ता है परन्तु बाता है। यदि राजेन्द्रबाबू यह निर्णय देते हैं कि हममें कानून की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती तो मैं जोर देकर कहूँगा कि फिर तो इसमें नैतिक दृष्टि से भी कोई बाधा नहीं।

राजेन्द्रबाबू मुझे ता नैतिक अड़बट ही परेशान कर रही है। कानूनी बाधा तो कुछ भी नहीं।

किशोरलाल भाई परन्तु मेरा मन तो कहता है कि मेरे मन में तो विस-मर भी राजनिष्ठा नहीं है (Owe no allegiance)। तब मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों लूँ?

बापू क्या हमें है? वकीलों की तो ऐसी प्रतिज्ञा लेनी ही पड़ती है। मैं तो प्रोही (डिस्सॉयल) होकर भी बफालत करता हूँ। पारसमा में आकर

तो हम कोई गैर कानूनी काम कर नहीं सकते। और यों तो राजनिष्ठा भी केवल एक कानूनी सजा है नैतिक नहीं। खुद यही लोग इसे कानूनी कहते हैं तो हम क्यों इसे नैतिक मानें ? मेरे विरु में तो कोई दांका नहीं है। हम जम्पर प्रतिज्ञा ले सकते हैं।

इसके बाद धारासभा-प्रवेशवाले प्रश्न पर मत किये गये। जमनालालजी और किशोरलाल भाई विरुद्ध रहे। अन्य सबने प्रस्ताव के पक्ष में अपने मत दिये। अंत में किशोरलाल भाई ने कहा

“प्रस्ताव तो मजूर हो गया। परन्तु इससे सभ के इतिहास में एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है। ऐसा करने का आपको संपूर्ण अधिकार है। परन्तु इस नयी नीति को कार्यान्वित करने के लिए आपको ऐसे मनुष्य की योजना करनी चाहिए, जो इस नीति को मानता हो और उसे पूरा करने का जिसमें उत्साह हो। मुझे रुगता है कि इस काम के लिए मैं असमर्थ हूँ। इसलिए आपको दूसरा अध्यक्ष ढूँढ़ लेना चाहिए।”

अंतिम दिन अपने भाषण में बापूजी ने किशोरलाल भाई के अध्यक्ष-पद छोड़ने के बारे में उनके साथ की चर्चा सुनायी। किशोरलाल भाई की कठिनाइयाँ ये थीं

(१) धारासभाओं में जाकर हम सत्य और अहिंसा को छोड़ देंगे। धारासभा का कार्यक्रम ऐसा है कि उसमें बहुत जोश आ जाता है। हम मान लेते हैं कि उससे स्वराज्य जल्दी मिल जायगा। इस कारण हम उसमें साधन का विवर्ण नहीं रख पाते। मनुष्य की पशुता इसमें जाग्रत हो जाती है।

(२) धारा-सभा का कार्यक्रम बड़ा प्रलोभन भरा है। आज तक हम इन प्रलोभनों से दूर रहे हैं। आज भी हम उनको दांका की दृष्टि से ही देखते हैं। अन्य कितने ही महत्त्वपूर्ण काम करने को पड़ है। एसी हालात में हम यह आपन क्यों अपने सिर पर लें ?

(३) अब तक हमने जल के प्रवाह को रोक रखा था। अब इस बाँध का हम तोड़ रहे हैं। आज तक हम कौंसिलों, स्कूलों और मदान्तों के बहिष्कार की बातें करते रहे और उनसे नाश की कामना करते रहे। परन्तु आज हम हमने एकदम उल्टी बातें करने लगे हैं।

इन सारी शंकाओं का उत्तर मापू ने यों दिया "सत्य और अहिंसा कोई गुफाओं में बैठकर प्राप्त करने की चीजें नहीं हैं। यदि अपने सारे व्यवहारों में हम इनका पालन नहीं कर सकते और उनका असर नहीं डाल सकते तो ये किसी काम की नहीं हैं। यदि अपने कार्यक्षेत्र में से किसी भाग को हम केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि उसमें अहिंसा काम नहीं दे सकती तो फिर यह अहिंसा किसी काम की नहीं है। मैं किस क्षेत्र को छोड़ूँ ? मेरा शरीर तो काम करता ही रहेगा। इन्द्रियाँ भी अपना काम करती ही रहेंगी। मैं आत्महत्या तो करना नहीं चाहता। अपनी नाक और कान मैं बंद नहीं कर सकता। तब मुझे क्या करना चाहिए ? यही एक रास्ता रह जाता है कि अपनी सारी इन्द्रियों को मैं अहिंसा की दासी बना दूँ।

'दूसरा उपाय किशोरलाल ने आजमा लिया है। बात बहुत पुरानी है। साधना के लिए उन्होंने एकान्तवास किया था। रेलगाड़ी की सीटी की आवाज से इनकी ध्वनि भंग होती थी। एक दिन जब मैं हमेशा की भाँति इनसे मिलने गया तब मुझे कहने लगे कि 'इस सीटी से मुझ बड़ी तकलीफ होती है। कानों में रुई या खर रखने की सोच रहा हूँ। मने कहा 'इस उपाय को भी आजमाकर देख लो। परन्तु यह ठा वाह्य वस्तु है। ईश्वर में ध्यान नहीं लगता इसी कारण तो सीटी की आवाज सुनाई देती है। किशोरलाल स्वयं भी इस बात को समझ गये। दूसरे दिन मैं इन्हें कानों में रखने के लिए रुई और खर देने लगा। तब उन्होंने कहा कि 'अब इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती। हमारे कान हैं। परन्तु वे व्यवहार के लिए नहीं हैं। यही बात दूसरी इन्द्रियाँ पर भी लागू होती हैं। हमारी सारी इन्द्रियाँ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हैं।

'आपसमा के कार्य को स्वीकार करने हम अहिंसा से कतई दूर नहीं जाते। आपके द्वारा यह काम करवाकर मैं आपको अहिंसा की दिशा में ही कदम आगे ही बढ़ा रहा हूँ। मेरी इस बात को जरा समझ लें। इसके अनुसार चलेंगे तो इस एक वर्ष के अन्दर हम इतने आगे बढ़ जायेंगे जितना आज तक नहीं बढ़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रसंग आने पर आप अपने घरवाले बन्द करके पीठे नहीं रह सकते। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अहिंसा की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं ? तीन बरौड़ मतवातावा को मुलाफत

यदि आप एक कोने में बैठ जायेंगे तो यह कायरपन होगा। यदि हम मिथ्याचारी नहीं हैं तो धारा-समा में भी हम सत्य और अहिंसा का बल लेकर जायें। यदि हम मिथ्याचारी भी सम्मिलित हुए, तो मुझे कोई क्षोभ नहीं होगा। हमारे मिथ्याधार की कलाई खुल जायेगी तो उससे हमारा हित ही होगा। सत्य और अहिंसा मय की आत्मा है। यदि ये इसमें से चले जायें, तो किसोरलाल का कर्तव्य यह होगा कि वह इसका अग्निस्कार कर दे। यदि यह आत्मा उसमें रहेगी तो संघ में तेज आयेगा। यदि आज भी उसके अन्दर यह आत्मा नहीं है तो हम मिथ्याचारी हैं और संघ को चालू रखना ध्येय है।'

बापू की इस बात से किसोरलाल भाई के मन को समाधान नहीं हुआ। तब बापू ने नाथजी को बुलाया और उनके साथ बातचीत की। बापू ने ऐसा कि नाथजी की वृत्ति उनकी तरफ है। परन्तु नाथजी ने कहा कि इस समय में कुछ नहीं कह सकता। किसोरलाल भाई को क्या करना चाहिए इस विषय में आप ही उन्हें आज्ञा दीजिये। यों तो बापू छोटे बच्चों को भी आज्ञा नहीं देते थे। परन्तु उन्हें लगा कि किसोरलाल भाई इस मौके पर अध्यात्म-मद छोड़ देंगे तो अथर्म होगा। इसलिए उन्होंने किसोरलाल भाई को आज्ञा दी और कहा कि संघ के सदस्य यदि इस मार्ग पर कदम रखेंगे, तो प्रलोभन में पड़ जायेंगे। इस भय से आप संघ का त्याग कर दें, यह आपके लिए धर्म नहीं है। यदि आपको यह लगे कि संघ के सदस्य अपने सिद्धान्त पर दृढ़ नहीं रह सकते तो आपका कर्तव्य तो यह है कि आप संघ को तोड़ दें और उसे अच्छी तरह दफना दें। आप साफ-साफ कह दें कि ऐसे संघ को मैं नहीं चला सकता। यही नहीं बल्कि ऐसा प्रवचन कर देना चाहिए कि दूसरा भी कोई इसे न चला सके। किसोरलाल भाई ने बापू की आज्ञा को विरोधार्थ किया और अध्यात्म-मद पर धने रहे।

परन्तु इस सारी परिस्थिति का और अपने स्वभाव का उन्होंने जो पृथक्करण किया है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और पढ़ने लायक है।

“बलू मीने अपनी स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। यह भी बताया था कि मीने शिक्षित त्यागपत्र मही दिया इसका कारण क्या है। पूज्य बापू ने मुझे साधार बना दिया है। मीने उनसे निणय का साधार होकर मान लिया है। परन्तु बापू ने जिस प्रकार इस बात को पेश किया है उस तरह मैं इन महीं

मानता। मैं यह नहीं मानता कि मेरे मन में धर्मधर्म के विषय में कोई संका थी। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं खिन्न था। यह उनकी मूल ही। मैं भका हुआ अवश्य था परन्तु खिन्न नहीं था। हाँ आज खिन्न हूँ। उन दिनों में तो बेचैन भी नहीं था प्रसन्न था। बापू की यह आज्ञा स्वीकार करते हुए मुझे दुःख होता है श्रेय नहीं होता। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस नयी परिस्थिति में मैं ठीक नहीं बैठता। बापू ने कई बार कहा है और यह सच है कि मेरी विचारसरणी उनका अनुसरण नहीं करती, बल्कि समानान्तर चलती है। मैं बहुत छोटा, परन्तु सत्य का स्वतंत्र उपासक रहा हूँ। इसमें मुझे बापू से तथा दूसरों से भी मार्ग-दर्शन मिला है। बापू ने कहा है कि वे जर्म से ही सत्य के उपासक रहे हैं, अहिंसक नहीं। मेरी वास्तविक इच्छा है। मैं जर्मत अहिंसा का उपासक रहा और सत्य का पुजारी बाद में बना। बापू को सत्य की सोच में अहिंसा मिसी। परन्तु मुझे अहिंसा में से सत्य की शक्ति हुई। इसलिए यदि मुझे यह बुद्धि अर्थात् हो कि अमुक वास्तविक सत्य है तो भी उसका अमल करने में जहाँ तक संभव हो मैं अविरोध साधना चाहता हूँ। पूज्य बापू ने प्रसंगोपात जिस एकान्तवास का उल्लेख किया उसमें भी मेरी वृत्ति यही थी। मेरी पत्नी को बहुत दुःख हो रहा था। वह रात के दो-दो बजे तक सोती नहीं थी। उसे भय था कि मैं भागकर कहीं चला न जाऊँ। पुराने जमाने में विरक्त मनुष्य ऐसा ही करते थे। परन्तु मैं भागा नहीं। मैंने सोचा कि यदि मैं सत्य धर्म का आचरण कर रहा हूँ तो किसी दिन मेरी पत्नी भी अवश्य ही उसे स्वीकार करेगी। मेरी वृत्ति यह थी कि यदि जाने के लिए मैं उसकी अनुमति प्राप्त कर सकूँ तो मुझे इसके लिए क्यों न मत्न करना चाहिए? पिछले दो दिन से मेरी यही कांक्षा रही है कि आपकी अनुमति प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊँ। मेरी अहिंसा की उपासना के कारण मेरा यह स्वभाव बन गया है। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही बन गया है कि यदि मुझे पीछे हटना है, तो उसमें भी मैं किसीकी सम्मति लेना चाहता हूँ। सत्य धर्म के पावन की उत्तरदायी दृष्टि से इसमें समय का त्याग हो जाता है यह भी कहा जा सकता है। फिर भी यह मेरा स्वभाव बन गया है। मैं एक गाँव में जाकर बैठ गया था। बलरामभार्ये मुझे वहाँ से जब रवली के आगे और मैं भी आ गया और गुजरत-बिद्यापीठ का काम करने लगा।

इसी तरह आज भी मैं अध्यक्ष बना रहूँगा परन्तु निष्प्राण बनकर ही रहूँगा। जैसा कि मैंने बापू से कहा है कार्यवाहक-समिति जो चाहेगी और जिस तरह करना चाहेगी उस तरह मैं अमल करता रहूँगा। वह जब उचित समझे, तब बापू की राय भी ले सकती है। वही यह जिम्मेदारी भी उठायेगी। मैं तो केवल अमल करनेवाला हूँ।

सय की बैठक में राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा के विषय में गांधीजी ने जो विवेचन किया था, उससे किशोरलाल भाई को सन्तोष नहीं हुआ था। परन्तु एक महीने बाद विचार करते-करते प्रतिज्ञा का रहस्य स्वतः उनकी समझ में आ गया। तब धारासभा की शपथ' धीरे-धीरे एक लेख लिखकर उसमें उन्होंने बताया

'मुझे लगता है कि धारा-सभा में ली जानेवाली शपथ के बारे में गांधीजी की बात लोगों की समझ में ठीक से नहीं आयी है।

'कानूनी शपथ मैतिक अथवा धार्मिक शपथ से भिन्न है। कानूनी शपथ वह है जिसे मनुष्य ने खुद नहीं बनाया बल्कि जो धारासभा को अपने अधीन रखकर उसका संचालन करता है उसने बनाया है। धारासभा ने इस शपथ के अन्दर जिस अर्थ का आरोप करने का निश्चय किया होगा उतना ही उनका अर्थ माना जाय, उससे अधिक नहीं।

धारासभा की शपथ का मसविदा जिन्होंने बनाया अथवा इसका प्रमाण भूत अर्थ जिन्होंने किया उनके द्वारा नहीं बल्कि साधारण लोग इसका जा अर्थ करते हैं वह अर्थ इसका सगामा जाने के कारण इसमें बहुत गड़बड़ी पैदा हुई दिखाई देती है।

'साधारण मनुष्य जो अर्थ करता है उसके पीछे कोई इतिहास नहीं है ऐसी बात नहीं। तथापि इस अर्थ को प्रमाण मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारासभा के भीतर वफादारी की जो शपथ ली जाती है उसका सामान्य मनुष्य सापेक्ष ऐसा अर्थ करते हैं कि शपथ लेनेवाला राजा के प्रति व्यक्तिगत इतनी भक्ति प्रकट करता है कि मानो वह राजा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाय। साधारण मनुष्य यह भी मानता है कि यदि मनुष्य एक बार यह शपथ ले लेता है तो वह अपने समस्त जीवन के लिए उसमें बंध जाता है। मैंने सुना है कि राज्यों के मन्त्रिपरिषद् के जिन्होंने खूब गहराई के साथ अध्ययन

किया है, ऐसे विधान-शास्त्रियों की राय में ये दोनों अर्थ गलत हैं। उनके मत में इस शपथ का अर्थ केवल इतना ही होता है कि जहाँ तक यह शपथ लेना बाधा इस शपथ से अपने आपको बंधा हुआ मानेगा (अर्थात् इस शपथ को बनानेवाली संस्था का वह सदस्य होगा) तब तक वह राजा के विरुद्ध सघात बर्ताव नहीं करेगा। अथवा विधान से बाहर अथवा प्रतिकूल किसी भी प्रकार राजा की जान लेने में वह शामिल नहीं होगा। हाँ विधान के अनुसार और विधान के द्वारा तो उसे यह करन—राजा की जान लेने का भी अधिकार है। विधान में बतायी विधि के अनुसार अधिकारप्राप्त धारासभा को तो इस शपथ में सुधार करने या इसे एकदम हटा देने का अधिकार भी है। वह राजा को केवल सिंहासन से नीचे ही नहीं उतार सकती बल्कि उसका सिर उड़वा देने की आज्ञा देने का भी अधिकार उसे है। परन्तु यदि धारासभा को यह मसूर नहीं है तो इस धारासभा का कोई भी सदस्य इस संस्था का सदस्य रहते हुए राजा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता।

“गांधी-सेवा-संघ के सदस्य के समान जो भी कोई व्यक्ति सत्य और अहिंसा के पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है वह तो किसी भी हालत में राजा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा ऐसा माना जा सकता है। इसलिए ऊपर के अर्थ में शपथारी की प्रतिज्ञा लेने में उसके सामने किसी भी प्रकार का धर्मसंकट सदा नहीं होगा। यदि वह विधान-सम्मेलन मार्गों द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है तो धारासभा का सदस्य रहते हुए भी ऐसा करन में उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। यदि वह किसी दूसरे मार्ग द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी जमहू का त्यागपत्र देकर वह पूर्ण स्वराज्य के लिए उद्यम मार्ग का भी अवलम्बन कर सकता है। इस प्रकार इस विषय के कानूनी और नैतिक पहलुओं के बीच में जो अन्तर माना जाता है, ऐसा कोई अन्तर उनमें नहीं है।” गांधीजी ने इस लेख के नीचे लिखा कि “धारासभा और धार्मिक शपथ के बीच में जो भेद बताया है उसमें भेद जो हेतु रहा है उसके इस विवरण को मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। राजमहाराज को शपथ व नैतिक पहलु के बारे में शंका थी। परन्तु इस लेख को पढ़कर उन्होंने भी सूचित किया कि किशोरसाल भाई के इस विवरण से मेरी शंका का निवारण हो गया है।

गांधी-सेवा-संघ का चौथा अधिवेशन सन् १९३८ के मार्च मास के अन्त में उड़ीसा प्रान्त के बेलंग नामक ग्राम में हुआ था। उन दिनों हमारे देश के बित्तने ही भागों में हिन्दू-मुसलिम दंगे हुए थे। इस कारण सम्मेलन में मुख्य अर्थात् का विषय यही धन गया और इस पर काफी अर्थात् और विचारों की सफाई हुई।

उपसंहार के रूप में किये गये अपने अंतिम भाषण में अहिंसा की भावरूप वृत्ति कैसी हो यह समझाते हुए किशोरलाल माई ने कहा था

“अहिंसा और क्रोध न करना—केवल इतना ही काफी नहीं होगा। यह तो अभावकर्म धर्म हुआ। बापू का समग्र जीवन भावरूप करुणा से भरा हुआ है। दरिद्रनारायण को देखते ही उनकी करुणा उमड़ पड़ती है। आत्म में जिस प्रकार साधियों के सामने अपने हृदय की वेदना वे प्रकट करते थे उसी प्रकार हमारे इन सम्मेलनों में भी वे करते हैं। उस समय सारा वायुमण्डल करुणा से भर जाता है। एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा कि ईश्वर की उपासना में किस सगुण रूप में करें? तब उन्होंने कहा—सरय, प्रेम आदि गुणों से युक्त रूपों को छोड़ दो और उसके करुणागुण-युक्त रूप की पूजा करो। बुद्ध ईसा तथा बापू इन सब श्रेष्ठ पुरुषों में मुख्य गुण करुणा ही है। इस करुणा को यदि हम समझ लें तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जायगा। हिन्दू मुसलमान दोनों को भी यही न्याय लागू होता है। दंगा करानेवाले बहुत हुआ तो भी दा-बादे (habituall) कैदियों से अधिक बराबर भावनी नहीं होते। असर गुण्डे तो वे हैं जो इनके पीछे बैठकर डोरी हिलाते रहते हैं। दंगा करनेवाले गुण्डे तो इनके हाथों की कठपुतली मात्र हैं। वे अपनी इच्छा से या दुश्मनी के कारण किसीके साथ मार पीट नहीं करते। उन्हें तो एक आदत पड जाती है और पैसे के लालच में आकर वे ऐसे काम करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के प्रति भी जब हमारे दिलों में करुणा पैदा होगी, तभी उनके सुधार का उपाय हमें मिलेगा।

पाँचवाँ अधिवेशन सन् १९३९ के मई महीने में बिहार के अम्पारन जिले के बन्दावन गाँव में हुआ था। उस समय राजकोट में बापू की अहिंसा कनी परीक्षा में से गुजरकर बाहर आयी ही थी। हिन्दू-मुसलमान दंगे भी चल ही रहे थे। इसके अलावा त्रिपुरी-बांग्रेश में उत्पन्न कल्पित यातावरण का असर भी था। बांग्रेश के अन्दर ही अन्दर जो दंगे चल रहे थे उनसे सघ के सदस्य भी

अलिप्त नहीं रह पाये थे। इसलिए किशोरलाल भाई ने अपने अभ्यक्षीय भाषण में इस स्थिति का सास तौर पर उल्लेख किया और कहा

‘आपको याद होगा कि डेलॉग में हमारा बहुत-सा समय साम्प्रदायिक दलों का अहिंसात्मक उपाय ढूँढने में बीता था। हमारी खोज का विषय यह था कि अहिंसा द्वारा हम गुण्डों का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं। पूज्य बापू न हमारे सामने अहिंसक सेना की कल्पना रखी थी। परन्तु हम किसी विषय पर नहीं पहुँच सके थे। वही प्रश्न आज भी हमारे सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है। आज तो गुण्डापन में अमक रूप धारण कर लिये हैं। साम्प्रदायिक वम देशी राज्या के झगड़े और कांग्रेस के झगड़े सभी जगह विद्यमान हैं। जो गुण्डापन पड़े-किये लोगों में पैदा हो रहा है वह उन पेशेवर गुण्डों की अपेक्षा अधिक खतरा है। एक पेशेवर गुण्डा तो घुरी आदत के कारण या धन के साक्ष्य में बदमाशियाँ करता है। उसके भीतर द्वेष नहीं होता परन्तु इनके गण्डेपन की जड़ में तो गहरा हेतु होता है। वह द्वेषमूलक होता है। मूठे और विपक्ष प्रचार का यह परिणाम है।

“हुदनी में पारासभा-प्रवेश के बारे में हमने जो निश्चय किया था तथा डेलॉग में कांग्रेस के कामों में दिलचस्पी लेने के बारे में अपने सदस्यों को हमने जो प्रोत्साहन दिया था उस पर अधिक विचार करने की जरूरत हमारे कितने ही सदस्य महसूस करते हैं। हमारे सदस्यों में दो विचारों के व्यक्ति दीख पड़ते हैं। एक वर्ग मानता है कि हमें सारा सकोच छोड़कर एक गांधीपक्ष कायम करना चाहिए। पिछले बय युक्तप्रान्त में गांधी-सेवा-संघ की शायद खोलने की इजाजत थी गयी, तब यह सर्व रखी गयी कि संघ के नाम पर यह धारणा रचनात्मक काम तो कर सकती है परन्तु राजनीतिक कामों में संघ के नाम का उपयोग नहीं कर सकती। इन भाइयों को लगा कि यह बात लगाकर हमने अपने संघ की कमबोरी प्रकट की है। दूसरी तरफ कितने ही सदस्यों ने अनुभव किया है कि हुदनी और डेलॉग के निश्चय हमें वापस ले लेना चाहिए। जनता में संघ के प्रति जो आत्मरमा था वह इन निश्चयों के कारण बम हो गया है। समाचार-पत्रों में संघ के विच्छेद प्रचार शुरू हो गया है। बम्बई की भारतीयता में एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि मजदूरों के बारे में बनाया गया कानून

संघ को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। बंगाल के बारे में भी मैंने सुना है कि वहाँ भी कई पत्रों में संघ के विरुद्ध लेख आते हैं। कर्नाटक में भी संघ के विरुद्ध इसी प्रकार की हवा बह चली है। इस बाहरी विरोध के अतिरिक्त प्रत्यक्ष संघ के अन्दर भी कांग्रेस के काम को रोककर सदस्यों में आंतरिक कलह पैदा हो गया है। इसलिए इन सदस्यों की राय है कि संघ को इस संकट से बचा लेना चाहिए।

विरोधियों की टीका से मुझे कुछ भी दुःख नहीं हुआ है। परन्तु इन दो-तीन वर्षों में हमारे सदस्यों के बीच जो भीतरी राग-रुप पैदा हो गये हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यदि हम अपने ही भीतर एक-दूसरे के प्रति सद्भाव और मित्रता कायम नहीं रख सकते तो संघ के द्वारा मिश्र-मिश्र कौमों और प्रान्तों के लोगो के बीच सद्भाव पैदा करने में हम कभी सफल नहीं हो सकेंगे। संघ के भीतरी मनोमालिन्य को देखकर नये लोगों को संघ के सदस्य बनाने में मुझे कोई उत्साह नहीं हो रहा है।

संघ की भीतरी स्थिति का बिशोरलाल माई ने जो पृथक्करण किया इस पर सदस्यों के बीच काफी खर्षा हुई। कई बार संघ के सदस्य चुनावों में आपस में ही एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करते थे। इसलिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें चेतावनी देनी पड़ी।

संघ के सदस्यों को स्वयं सत्य और अहिंसा का सूक्ष्मतापूर्वक पालन करना चाहिए। यही नहीं बल्कि अपने साथ काम करनेवाले दूसरे कार्यकर्ताओं के ऐसे कामों से लाभ भी नहीं उठाना चाहिए, जो सत्य और अहिंसा के विरुद्ध हों। जहाँ तक संभव हो उनसे भी सत्य और अहिंसा का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक चुनावों में संघ के सदस्यों को आपस में प्रतिस्पर्धा ब्यबा एक-दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए।

संघ का छठा अधिवेशन फरवरी सन् १९४० में बंगाल के ढाका जिले के मलिकान्दा नामक ग्राम में हुआ। बुन्दारन में संघ के सदस्यों का अच्छी तरह सूचनाएँ तथा हिदायतें दे दी गयी थीं। फिर भी इसका कोई खास परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था। १९३९ के सितम्बर में विश्वयुद्ध छिट गया था। इस युद्ध में कांग्रेस भाग ले या न ले यह भी एक विचारणीय प्रश्न था। कांग्रेस को लग रहा था कि केवल अहिंसा के कारण हम युद्ध में भाग न लें यह तो हमसे नहीं

हो सकेगा। परन्तु यदि ब्रिटिश-सरकार अपने मुँह के उहेस्यों को प्रकट कर दे और उससे भारत को लाभ होता दिखाई दे तो मुँह में भाग लेने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किशोरलाल भाई ने अपने अख्ययीय माध्यम में इस विषय की बहुत सूक्ष्मता के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा 'जब तक प्रान्तों का शासन चलाने का भार कांग्रेस पर नहीं आया था तब तक हिंसा तथा अहिंसा के प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न पक्षों में छात्त्विक चर्चा होती रहती थी। फिर भी दो में से किसको पसंद किया जाय यह प्रश्न कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं हुआ था। परन्तु प्रान्त के शासन में कुछ अधिकार मिलने के बाद अब ऐसे प्रश्न उपस्थित होने लगे हैं। वर्तमान मुँह धुरु हो जाने के बाद तो हमारे सामने परीक्षा का एक बहुत बड़ा प्रसंग उपस्थित हो गया है कि हमारी रजि किस ओर है। कांग्रेस के नेताओं तथा अनेक प्रान्तों के मंत्रियों के मुँह से इस आशय के उद्गार प्रकट हुए हैं कि यदि अंग्रेज-सरकार हमें पूरा स्वतन्त्र्य दे दे, तो कांग्रेस इस सझाई में अंग्रेज-सरकार को घन और जम से भी पूरी मदद करेगी और देश के सखों जखामों को जर्मनी से लड़ने के लिए भी मेज देगी। जहाँ तक मुँह पठा है गांधी-सेवा-संघ के किसी भी सदस्य ने जो कांग्रेस का मत भी है इस विचार अपवा सूचना का विरोध नहीं किया है। बल्कि अनुमान तो यही होता है कि उसकी भी विचारसरणी इसी प्रकार की है। मतलब यह कि बगैर पशुबल का माध्यम लिये देश का शासन चलाना अथवा स्वतन्त्रता को बनाये रखना माध्या रण मानव-समाज की शक्ति के बाहर की बात है यह जो जनसाधारण की मान्यता है उसमें गांधी-सेवा-संघ के कार्यकर्ता अपवादस्वरूप नहीं हैं। परन्तु आपू ने तो हमारे सामने एक ऐसा विचार रखा है कि साधारण मनुष्य भी एक हद तक अहिंसा का पालन कर सकता है। यदि यह बात सही है तो गांधी सेवा-संघ की नीति कैसी होनी चाहिए। ऐसे नाजुक प्रसंग पर यदि हम कोई विशेष आचरण करके न बता सकें, तो संघ को जारी रखने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ?

'एक ओर से देखते हैं तो गांधी-सेवा-संघ के सदस्यों को राजनीतिक नामा में अर्थात् कांग्रेस और धारासभा आदि में किन्ना और किन्ना प्रकार का भाग लेना चाहिए इस प्रश्न में से ही यह दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि मय को

बन्द कर देना चाहिए या चालू रखना चाहिए। क्योंकि इसमें अहिंसा के सिद्धान्त और सरकार के कामकाज के बीच विरोध और धर्म-संकट पैदा हो जाता है। एक ओर तो अहिंसा मंग हो जायगी, इस भय से हमारे अन्दर शक्ति होने पर भी यदि इन कामों से हम दूर रहते हैं तो हमारी अहिंसा एक सुच्छ शक्ति बन जाती है। दूसरी ओर यदि हम इस काम में पड़ते हैं, तो अहिंसा की मर्यादा का पालन करने की जितनी शक्ति कांग्रेस में होगी वहीं तक तो हम जा सकेंगे और इसमें हिंसक उपायों का अवलम्बन करना कतम्बरूप भी हो जाता है। सरदार वल्लभभाई को इस धर्म-संकट का अनुभव हुआ है। अतः मैं वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि यद्यपि उनकी अपनी निष्ठा या अहिंसा पर ही है, फिर भी यदि इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहते हैं तो वे पार्लमेंटरी बोर्ड का काम नहीं चला सकते। सिद्धान्तवादी होने का दावा करके निष्क्रिय पड़े रहें यह उनके जैसे कममार्गी के लिए कठिन है। मेरा खयाल भी यही है कि मानव-समाज की भाज की हासत में केवल वल्लभभाई के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए यह समभव असभव है कि हम राजनैतिक सत्ता को स्वीकार कर लें और उसके साथ-साथ अहिंसा का पूरा-पूरा पालन भी करते रहें। स्वभाव से ही जिनकी रुचि हिंसा की ओर है, उनकी तो बात ही मैं छोड़ देता हूँ परन्तु स्वभाव और बुद्धि से जिनकी यत्ना अहिंसा में है वे भी यह मानते हैं कि समाज के कितने ही कामों के लिए थोड़ी बहुत हिंसा का स्वीकार तो करना ही पड़ता है। उन्हें यह आसका है कि इतनी सी हिंसा के लिए भी यदि अपवाद नहीं रखा गया तो समाज में अराजकता और अराजकता फैलने का भय है।

मेरी अपनी कल्पना तो यह है कि हम ऐसा सत्याग्रही समाज बना सकते हैं, जो समाज के हिंसामिथुन प्रवाह को भले ही एकदम न भी बदल सकता हो फिर भी उसके साथ बहने से अपने-आपको रोक तो अवश्य सकता है और कभी कभी इस प्रवाह का सफ़सतापूर्वक विरोध भी कर सकता है। इस ध्येय के साथ यह समाज राजनैतिक सामाजिक आर्थिक आदि सभी प्रकार के मामलों में भाग लेता रहे। उसे जो काम अच्छे लगें उनमें वह सहयोग करे, परन्तु जिस काम में हिंसा का स्वीकार अनिवार्य हो एसी कितनी संस्था में वह अधिवार को स्वीकार न करे। इस समाज का यह निश्चय है कि चाहे कितनी भी हानि हो फिर भी

अपनी प्रवृत्तियाँ में हिंसात्मक उपायों का आशय तो वह कदापि नहीं लेता। जब कभी किसी अनिष्ट को दूर करने के लिए वह कोई अहिंसात्मक उपाय बता सके, तब उसका प्रयोग करने के लिए वह स्वयं आगे आये। उस समय यदि किसी समाज अथवा संस्था में उसे अधिकार स्वीकार करना जरूरी हो जाय, तो उसने समय के लिए वह अधिकार का स्वीकार भी कर सकता है। परन्तु वह काम पूरा होते ही जनता के प्रतिनिधियों को वह यह अधिकार वापस सौंप दे। मुझे निश्चय है कि उच्च चारित्र्य-बुद्धि, व्यवहार-कुशलता और अपने क्षेत्र का अच्छा ज्ञान रखनेवाले सत्याग्रहियों का एक ऐसा समाज हो सकता है, जो बगैर अधिकार जिये भी इस प्रकार अपनी नैतिक प्रतिष्ठा पैदा कर सकता है। यह तो विविध क्षेत्रों में केवल सेवा ही किया करे, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ सकती है कि जब वह किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करेगा तो लोगों को तथा राज्य को भी आदरपूर्वक उनकी ओर ध्यान देना ही पड़ेगा अथवा उनके सत्याग्रही उपायों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

इसके बाद किशोरलाल भाई ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण जितना प्रवास करना चाहिए उतना प्रवास न कर सकने तथा समा-समारम्भों में जितना भाग लेना चाहिए, उतना भाग न ले सकने—आदि के कारण अस्वस्थता से मुक्त कर दिये जाने की माँग की। उन्होंने यह भी बताया कि इस विषय में उन्होंने पू० बापू तथा कायबाहक-समिति के सदस्यों से बातचीत कर ली है। बापू ने उनसे कहा कि 'अबकी बार मैं आपसे आग्रह नहीं करूँगा। अभ्यस्य बने रहने में धर्म है यह आपको स्वतंत्र रूप से सूझ सके तो उत्तम। परन्तु यदि आपको इसमें उलटा ही लग रहा हो तो मुझे आपका अनुकूलता कर दनी होगी।

किशोरलाल भाई ने अपने भाषण में जो विचार प्रकट किये उन पर बहुत चर्चा हुई।

बापू ने अहिंसा के महत्त्व के विषय में बहुत विस्तार और विस्तृत विवेचन किया और यह भी समझाया कि वर्तमान परिस्थिति में सभ की नीति क्या होनी चाहिए। सभ में उसके मुद्दे हैं।

(१) सभ में कितने ही सदस्य ऐसे हैं जो सभ को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं जब कि कितने ही ऐसे भी हैं जिनको सभ की ओर से प्रतिष्ठा मिलती है और

इस प्रतिष्ठा का उपयोग वे राजनीति में करते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है कि सब ऐसा को प्रतिष्ठा न दे। इन सदस्यों को भी चाहिए कि दूसरे से माँगने पर मिली इस प्रतिष्ठा को वे स्वयं छोड़ दें। यदि हम अपने सदस्यों को ऐसी प्रतिष्ठा दें और वे उसे ग्रहण करें तो हम कांग्रेस समाजवादियों अथवा साम्यवादियों की पंक्ति में सजे होने लायक बन जायेंगे।

(२) इस प्रकार की सत्ता की राजनीति संघ में से निकल जानी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए यह करना जरूरी है। मैं राजनीति-मात्र का निषेध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ कि हमारे देश में सब प्रकार का रचनात्मक काम भी राजनीति का ही एक अंग है और मेरी दृष्टि में तो यही सच्चा राजनैतिक काम है। परन्तु सत्ता की राजनीति के साथ अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

(३) यदि हमारे अन्दर अहिंसक पुरुषार्थ के सच्चे लक्षण होते तो आज हमारी जो दशा हो रही है वह न होती। हमारे अन्दर एक नयी ही शक्ति पैदा होती तब आपको न मेरी सलाह की जरूरत पड़ती और न इस संघ की।

सरदार न कहा

'दिलमें ही लोग मानते हैं कि गांधी-सेवा-संघ वस्तुतः तो एक राजनैतिक पक्ष (दल) ही है। परन्तु इस बात को छिपाने के लिए ये लोग रचनात्मक कार्यों का नाम दे रहे हैं। कांग्रेस की संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लेने की इतनी यह एक घाम-मात्र है। परन्तु जब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह बात नहीं कही थी तब तक मैंने इसे कोई महत्त्व नहीं दिया। परन्तु जब पं० जवाहरलालजी को भी लगा कि यह एक राजनैतिक पक्ष है और यह कांग्रेस पर कब्जा चाहता है, तब मुझे बहुत बुरा लगा।

इसके बाद संघ के उन सदस्यों की एक सूची बनायी गयी जो सत्ता की राजनीति में अर्थात् धारा-समाजों म्युनिसिपैलिटिया लोकल बोर्डों आदि संस्थाओं के सदस्य थे। इससे साफ-साफ प्रकट हो गया कि संघ के अधिकांश और महत्वपूर्ण सदस्य तो इन संस्थानों में थे ही। इसलिए यह निश्चय किया गया कि संघ के वर्तमान रूप का विस्तार न कर दिया जाय। संघ का विसर्जन करन वाला निश्चय हम प्रकार था

“संघ के सम्बन्ध अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि यह इष्ट नहीं कि संघ के सदस्य राजनीतिक सस्याओं में भाग लें। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में संघ की यह राय है कि अभी संघ के जो सदस्य राजनीतिक सस्याओं में हैं और जो उनमें रहना चाहते हैं वे संघ के सदस्य न रहें।

‘इस निर्णय का यह अर्थ हरगिज नहीं कि जो व्यक्ति राजनीतिक सस्याओं में काम कर रहे हैं, वे संघ के सदस्य रहने के लायक नहीं हैं बल्कि यह कि राजनीतिक काम दूसरे कामों की अपेक्षा महत्त्व में किसी प्रकार भी कम है। इस विषय पर पहुँचने का एक खास कारण तो यह बन गया है कि संघ के कितने ही सदस्य राजनीतिक सस्याओं में भाग लेते हैं इससे संघ के अन्दर वैमनस्य पैदा होने लगा है। इसने यह सिद्ध होता है कि हमारा अहिंसा का आचरण अधूरा और दूषित है। अहिंसा का स्वरूप ही ऐसा है कि उस हिंसा की वृद्धि का निमित्त कभी नहीं बनना चाहिए।

“संघ की सदा यह मान्यता रही है कि भारत के करोड़ों लोगों की उन्नति रचनात्मक काम से ही हो सकती है। रचनात्मक काम एक ऐसा काम है जिसमें काम जनता सीधा भाग ले सकती है। इसलिए संघ की प्रवृत्ति रचनात्मक काम तक ही सीमित रहेगी। जो रचनात्मक कार्य करता-संघ जैसे रचनात्मक कार्य के संघों में नहीं आते वे अब संघ के क्षेत्र में आयेंगे—उदाहरणार्थ रचनात्मक कार्य के साथ अहिंसा का क्या सम्बन्ध है इसका अबलोकन अध्ययन तथा सरोयन करना तथा रचनात्मक कार्य का व्यक्ति के निजी तथा समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका निरीक्षण करना।

संघ की राय यह भी है कि रचनात्मक काम का यह विभाग जो रचनात्मक सस्याओं से अलग है, उसका अच्छी तरह अध्ययन तथा संशोधन करने के लिए अभी पर्याप्त व्यक्ति गांधी-सेवा-संघ के पास नहीं हैं। इसलिए जब तक ऐसे अध्ययन तथा सरोयन के लिए आवश्यक साधन नहीं मिल जाते तब तक संघ का आर्थिक व्यवहार और ‘सर्वोन्म’ मासिक इन दो को छोड़ गांधी-सेवा-संघ की अन्य सब प्रवृत्तियाँ स्थगित कर दी जायें।”

इसके बाद श्री आदमियों की कार्यवाहक-समिति बना दी गयी और उसका अध्यक्ष श्री जाजूजी नियुक्त कर लिये गये।

गांधी-सेवा-संघ का विसर्जन हो जाने के कारण किशोरलाल भाई के सिर पर से जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर भी कर्तव्यवश संघ के सदस्या से मिलने तथा उनकी प्रवृत्तियों का निरीक्षण करने के लिए उन्हें सारे देश में घूमना पड़ता था। गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष होने के कारण देश के रचनात्मक काम में सगे तमाम छोटे-थड़े कार्यकर्तियों से उनका संपर्क हो गया। इस काम की वजह से भिन्न-भिन्न प्रान्ता-देश-के नेताओं से भी उनका परिचय हो गया और अपन नम्र तथा प्रेममय स्वभाव के कारण उन्होंने सबका सद्भाव भी संपादन किया।

◆◆◆

किशोरलाल भाई जब गांधी-सेवा-संघ के काम से मुक्त हुए, तब साम्प्रदायिक दंगों के कारण महादेव भाई को बाहर बहुत घूमना पड़ता था। १९४१ में उन्हें बहुत लम्बे समय तक अहमदाबाद में रहना पड़ा। उसके बाद गुजरात के कितने ही भागों में भाड़े भायीं। बाइपीड़ियों के लिए चन्दा एकत्र करने के लिए उन्हें बहुत दिन तक बम्बई में रहना पड़ा। तब किशोरलाल भाई बापू के पत्र-व्यवहार आदि कामों में मदद करते। शुरू-शुरू में छो ब रोज बर्षा से सेवा-ग्राम आते। किन्तु बाद में वहीं रहने लग गये।

सन् १९४२ की ९ अगस्त को सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। इससे पहले सत्तार में चलनेवाली ब्यापक हिंसा और हमारे देश में कानून के नाम पर चलनेवाली अराजकता का प्रतिकार करने के लिए बापू उपवास करने का विचार कर रहे थे। कांग्रेस की कार्यसमिति के लगभग सभी सदस्यों को यह कदम पसन्द नहीं था। इस पर ता० २०-७-१९४२ को बापू ने 'अहिंसा की पद्धति में उपवास का स्थान' शीर्षक एक लेख लिखा। ('हरिजन-बन्धु' ता० २६-७-१९४२) उसमें अपने पिछले उपवासों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा था

"मेरे इन तमाम उपवासों के धाबजूद सत्याग्रह के एक शास्त्र के रूप में उपवास मान्य नहीं हुआ। राजकाज में पड़े हुए लोगों ने केवल उन्हें सह लिया बस इतना ही। फिर भी मुझे इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा है कि आमरण उपवास सत्याग्रह के कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है और कुछ निश्चित अवस्थाओं में यह सत्याग्रह का सबसे बड़ा और रामबाण शास्त्र है। परन्तु मनुष्य जब तक उचित शांति नहीं प्राप्त कर लेता वह इसका अधिकारी नहीं होता। रचनात्मक जर्न में अहिंसा सबसे अधिक समर्थ व्यक्ति है। क्योंकि बुरा काम करनेवालों को किसी भी प्रकार शारीरिक अथवा भौतिक हानि पहुँचाये बिना ऐसा विचार भी न रखते हुए—कष्ट-सहन के लिए दममें पूरा

अवकाश है। सत्याग्रह में सदा बुराई करनेवाले के हृदय के उत्तम अंश को जाग्रत करने का हेतु होता है। जहाँ कष्ट-सहन उसकी देवी प्रकृति को स्पर्श करता है वहाँ प्रतिकार उसकी आसुरी प्रकृति को उभाड़ता है। उचित समयों में सत्याग्रह इस प्रकार की एक उत्तम कोटि की अपील है। राजकाज में पड़े हुए कार्यकर्ता राजनीतिक मामला में इसके औचित्य को इसलिए नहीं देख पाते कि इस उत्तम शस्त्र का यह उपयोग सर्वथा नयी वस्तु है। ऐहिक बातों में अहिंसा का उपयोग हम कर सकें तभी तो यह काम की जीज होगी।”

किशोरलाल भाई ने ता० २५-७-१९४२ का 'मृत्यु का रचनात्मक बल' दीर्घक लेख लिखकर बापू के इन विचारों का समर्थन किया। उनकी वलील संक्षेप में इस प्रकार पेश की जा सकती है

‘अहिंसात्मक प्रतिकार के साधन के रूप में उपवास पेश किया जाता है। यह मार्ग नया तो है ही नहीं। बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में इसका अवलम्बन होता रहा है। एक प्रकार से आत्महत्या द्वारा मरने का एक तरीका इसे कहा जा सकता है। इसमें से यह प्रश्न उठता है कि जीवन के निर्माण में मृत्यु का स्थान क्या है ?

मनुष्य बहुत गहुराई में यह अनुभव करता है कि इसके शरीर को केवल धारण किये रखनेवाली जो सत्ता है उसकी अपेक्षा जीवन का स्वरूप अधिक सूदन अधिक व्यापक और अधिक चिरन्तन है। अपने व्यक्तित्व से परे और अधिक व्यापक जीवन के विषय में उसे प्रतीति होती है और उसमें उसे रस भी होता है। य मनुमूर्तियाँ देह के प्रति रस की अपेक्षा अधिक बलवती होती हैं। अपने वादवाले और अभी जा पदा नहीं हुआ है उस ससार के लिए वह कुछ छोड़ जाना चाहता है। कुछ और भी है। वह ससार का कुछ अधिक अन्धा-सराब नहीं—छाड़कर जाना चाहता है। जहाँ तक उसकी बुद्धि पहुँच सकती है उत्तम अंश में यह व्यापक जीवन अधिक उन्नत और प्रगतिशील बन ऐसा हर देहधारी का स्वभाविक—अनसीदा—प्रयत्न होता है। यह व्यापक जीवन सब देहा के द्वारा प्रकट होता है और सभी मृत्युओं में वह दिखाई देता है और मृत्यु के भावजूद बाद में वह कायम रहता है। सच तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा व्यापक जीवन का निर्माण करने और उसे विकसित करने का प्रयास करना ही रहता है। यह व्यापक

जीवन ही जीवन का सच्चा स्वरूप है और वह जिस प्रकार शरीर के चारों ओर उसी प्रकार शरीर के मांस द्वारा भी बनता रहता है। ----- किन्तु ही प्रसंग ऐसे भी होते हैं जब जीवित प्राणियों की अतिबुद्धिमत्त और तीव्र प्रकृति की अपेक्षा मरण का बल अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। ऐसे प्रसंग पर मृत्यु मानो किसी गुप्त शक्ति को मुक्त कर देती है, ऐसा लगता है। यह शक्ति दहशतक की अवस्था में सारे प्रमत्त करते हुए भी पूरी तरह यक्षस्त्री नहीं हो रही थी। परन्तु बेह छूट जाने के बाद थोड़े ही समय में जीवन की प्रगति में बाधा पहुँचाने वाली रूकावटों को वह अलग हटा देती है। तटस्थतापूर्वक विचार करते हैं तो ऐसा मानलुम होता है कि मृत्यु भी जीवन अवस्था की भाँति ही जीवन को बनानेवाला एक सामन है। संभव है कि जिस काम को कराने में प्राण की शक्ति सफल न हो सकी, उसीको सफल करने के लिए देश के किन्तु ही अच्छे-से-अच्छे पुत्रों-पुत्रियों की स्वेच्छा-मृत्यु की आवश्यकता हो। हाँ इसे शक्तिरूप बनाने के लिए इसका निश्चय शान्तिपूर्वक एवं सोच विचार के बाद अथवा पारिभाषिक शब्दों में कहें तो अहिंसा की एक योजना के रूप में होना चाहिए। आदेश में अथवा निराशा में की गयी आत्महत्या के रूप में यह नहीं किया जाना चाहिए।”

आथम में इस बात को तो सभी जानते थे कि किसी विधेय परिस्थिति में प्राणत्याग करना भ्रम हो सकता है। परन्तु वहाँ भी सबको ऐसा ही लगता था कि यह प्रसंग और समय आमरण उपवास करने सायक नहीं है। इसने समस्त कारण बताकर यह कदम न उठाने के लिए महादेव भाई आदि न बापू से प्रार्थना की। व्यक्तिगत सरयाग्रह के समय भी बापू उपवास का विचार कर रहे थे। तब महादेव भाई की एक दलील का उन पर असर पड़ा था और उन्होंने उपवास का विचार छोड़ दिया। उनकी दलील यह थी कि आप उपवास करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि कायकर्मियों और जनता पर आपका विश्वास नहीं है। वे सरकार से छड़ने के लिए तैयार हैं और इसके फलस्वरूप जो मुसीबतें आयें, उन्हें भी झेलने के लिए तैयार हैं। परन्तु अपने उपवास द्वारा उन्हें आप इसका अर्थसर देने से इनकार कर रहे हैं और उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। इस बार भी जब बापू ने उपवास की बात छोड़ी तब यह तथा अन्य दलीलें देते हुए किन्तु ही साधियों ने बापू को पत्र लिखे। किसोरलाल भाई ने भी उन्हें

एक पत्र भेजा। यह पत्र उनके विचार और पद्धति का द्योतक होने के कारण यहाँ दिया जा रहा है

ता० २८-७-४२

पूज्य बापू की सेवा में,

‘आप पर उपवास और प्रायोपवेशन (आमरण उपवास) के संस्कार बचपन से हैं। उनके प्रयोग करके उनके बारे में विशेष ज्ञान भी आपने प्राप्त कर लिया है। फिर आपका सम्पूर्ण जीवन बड़े-बड़े आन्दोलन चलाने में बीता है। इसलिए मैं इतना तो जान गया हूँ कि आपके जीवन का अंत एक सामान्य बृद्ध मनुष्य की भाँति बीमार पड़कर मृत्यु के द्वारा तो घायब नहीं होगा। इसलिए व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखकर तटस्थता के साथ मैं विचार कर सकता हूँ और अपने-आपको ब्याकुल नहीं होने देता।

‘परन्तु मरण के द्वारा कोई क्षति प्रकट करती है तो वह केवल तर्कपूर्वक नहीं बल्कि गंभीर चिंतन और दर्शन के साथ होनी चाहिए। दर्शनरहित श्रद्धा को मैं श्रद्धा ही नहीं मानता। यह मैं अनुयायियों के लिए नहीं, गुरु के लिए कह रहा हूँ। अनुयायियों के लिए तो गुरु की आज्ञा पर्याप्त हो सकती है। क्योंकि उसका ध्येय आत्मध्वन के अगैर चढ़ने का होता ही नहीं। गुरु को जो चीखे वही उसकी श्रद्धा और वही उसका दर्शन होता है।

इसका अर्थ यह है कि ऐसे मनुष्य के सामने मरण का आवाहन करने के प्रकार और प्रसंग का स्पष्ट वर्णन होना जरूरी है और यह उसके जीवनमर के आवेष्ट के अनुसंग होना चाहिए। जून के समान आत्महत्या भी हिंसक तथा अहिंसक दोनों प्रकार की शक्ति को उत्पन्न कर सकती है।

प्रभामरूपेण आप किस माय के पैगम्बर हैं? अग्नेयी सत्त्वत के विनाश के? भारत की स्वतन्त्रता के? अन्याय-निवारण के? अहिंसा के? सत्य के? अग्रजा के प्रति मित्र-भाव के? युद्ध-विरोध के? कौमी एकता के? अस्पृश्यता-निवारण के? आपके जीवन का या मुख्य सन्देश हो वही मरण में भी मुख्य दृष्टिगोचर होना चाहिए। यदि अग्रणी सत्त्वत का मार्ग करने के लिए आप मृत्यु का आवाहन करेंगे तो वही शक्ति आपकी मौत का कारण बनेगी।

अहिंसा भावि गौण हो जायेंगे। अंग्रेजों के प्रति अक्षत्रुता और बापानियों के प्रति विरोध गौण बन जायेंगे।

“ऊमर का प्रत्येक भाव भिन्न-भिन्न आदमियों का मुख्य ध्येय हो सकता है। और उस-उस ध्येय के लिए जीने-मरने का अवसर उसे मिलेगा तो वह अपने को कृतार्थ मानेगा और उसकी मृत्यु भी जीवन का रचनात्मक मूल बन सकती है। ऐसे अवसर का दर्शन सेनापति के रूप में आप हर मनुष्य को करवा सकते हैं। इनमें से किस ध्येय को आप अपने जीवन का प्रधान भाव मानते हैं, उस पर से अपनी मृत्यु को शोष लेने की दृष्टि आपको स्थिरतापूर्वक मिश्र आनी चाहिए।

य यं चाऽपि स्मरन् भावं स्थवत्यन्ते कलेवरम् ।

सं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावाभासित ॥*

इस श्लोक का सही अर्थ यही है। इसमें स्मरन् शब्द घायप अधूरा भी कहा जा सकता है। यहाँ घायप 'समाचरन्' शब्द अधिक सही होगा।

जो शक्ति विह्वलता और निराशा पैदा करती है उसमें से उत्पन्न शक्ति अहिंसक नहीं रह सकती। इसी प्रकार यह भी निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उसमें से सन्तोषजनक फल नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि आप कांग्रेस को साब में रखकर उपवास का कवम उठायेंगे तो कांग्रेस के मुखियों में जितनी सम्झी छलांग मारने की शक्ति होगी और 'दुर्जनस्तुष्यन्तु' इस ध्याय स जितना कम-से-कम छोड़ने से सरकार का काम चरु जाने की स्थिति होगी बस उतने ही पर समझौता हो जायगा। और यह तो किसीसे छिपा नहीं है कि कांग्रेस के मुखिया कोई समझौता कर देने की फिराक में हैं। वे यह दैंगे कि इतने से हमारा सन्तोष हो गया है। तब आपको भी उसीमें गन्तोप मानकर बैठ जाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जो आपने पीछे मूक बलिदान देने के लिए तैयार रखते हैं। परन्तु यदि उनका सन्तोष नहीं हुआ तो वे नेताओं के हृदय बन जाते हैं। इसीमें से फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी समस्या का निर्माण होता है। इतनी

* हे कौन्तेय ! मनुष्य किस-किस स्वल्प का ध्यान करता है अंतकाल में उसी स्वरूप का स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और उस भाव से भावित होने के कारण वह उसी स्वरूप को प्राप्त होता है।

सी प्राप्ति तो आपके उपवास की महँगी कीमत चुकाये बगैर भी हो सकती है। क्रिस्च-माजना में थोड़ा-बहुत सुधार करवा लेना असम्भव नहीं है। उससे कांग्रेस के नेताओं को सन्तोष हो जायगा। जिनको असन्तोष है, वे सब कांग्रेस से बाहर—भूक कार्यकर्ता और भूक जनता—हैं। आज उनका समय नहीं है। अब तो उनमें आज यह शक्ति नहीं कि अपने घर पर अपने ध्येय को पेश कर सकें। इसलिए वे मन मसोसकर रह जाते हैं। अपूरे समझौता से उनकी आत्मा को कृतार्थता का समाधान नहीं मिलता। फिर भी आप वही ध्येय उनके सामने एक तात्कालिक कदम के रूप में रखकर उनके द्वारा प्राप्त करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक बलिदान वे सुखी-सुखी कर देंगे। इसके लिए आपको उपवास जैसी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आपके उपवास से अनुयायियों का बल नहीं बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस के मुखियों का रुख छोटा है।

‘मरण की शक्ति का आप उपयोग करें इसमें मुझे कुछ भी दोष नहीं दिखाई देता। परन्तु अभी तो आपको सेनापति की हैसियत से ही यह काम करना है। आपका अपना बलिदान करने का जब क्षण आयेगा तब वह इतना असदृश्य होगा कि एक छोटा-सा बच्चा भी उसकी अनिवार्यता को समझ सकेगा। नौमी निर्णय इस प्रकार के उपवास के लिए अवश्य ही उपयुक्त कारण था।

आज्ञांकित

किशोरलाल के दण्डवत् प्रणाम’

दूसरे साधियों के पत्रों में मुख्य दलील यह थी कि “आज यदि अधीर होकर आप अपना बलिदान देने जायेंगे तो उसमें अंग्रेजों के प्रति आप जीवनभर जो उदारता प्रकट करते आये हैं उसे लो देंगे। यदि कहीं आपको अपन प्राण खपण कर देने पड़े तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जायगी।

समस्त साधियों की दलीलें अपना काम कर गयीं। अब तो उस समय बापू का उपवास करना अनिवार्य नहीं मालूम हुआ था यह भी कह सकते हैं कि उन्हें इस समय ईश्वरीय प्रेरणा नहीं हुई। तात्पर्य यह कि उपवास नहीं किया गया।

सन् १९४२ के युद्ध में किशोरलाल भाई पर एक बड़ी जिम्मेवारी यह बायी कि ता० ९ अगस्त को बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिये गये और 'हरिजन' पत्रों का संचालन उनके हाथों में आ गया। उस समय बहुत से लोग विध्वंसकारी आन्दोलन चलाना चाहते थे। उनका मार्ग-दर्शन किस प्रकार किया जाय यह प्रश्न था। किशोरलाल भाई के संचालन में 'हरिजन' पत्रों के केवल दो ही अंक प्रकाशित हो सके थे। ता० २२ की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परन्तु अहिंसा की मर्यादा में रहकर सरकार को तोड़ने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर ता० १४ को लिखे एक पत्र में उन्होंने बताया था। यह विध्वंस करनेवालों के लिए बहुत अनुकूल हो गया और इसकी सारो प्रतिपाद सारे देश में पहुँचा दी गयी। उनका उत्तर यह था

“मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ। मरा खयाल है कि भाषित, बैंक गोपान आदि सूटे या बरामे नहीं जाने चाहिए। परन्तु अहिंसक रीति से अपराधि किसीके प्राणों को सतरा न हो, इस बंग से वाहन-व्यवहार और सन्देश-व्यवहार बन्द किया जा सकता है। हड़तालों की योजना सबसे अच्छा साधन होगा। यदि वे सफल सिद्ध हो सकें तो केवल वे ही प्रभावकारी और पर्याप्त हो सकती हैं। यह ऐसी अहिंसा होगी जिस पर किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। तार काटना रेल की पटरियाँ उखाड़ना भी इस अंतिम फैसला करनेवाली सड़ाई में आपत्ति जनक नहीं माने जा सकते। केवल एक बात का पूरा खयाल रहे कि किसीके प्राणों की हानि न होने पाये। यदि जापान का आक्रमण हो जाय तो अहिंसक बचाव की दृष्टि से हमें यह सब करना चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं। सारांश यह कि धुरी राष्ट्रों के प्रति अहिंसक आत्मिकारी जो व्यवहार करें, वही व्यवहार अंग्रेजों के प्रति भी हो और वही कर्म जापान के विरुद्ध भी उठायें।”

इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी

“गांधीजी के लिए तो सत्य और अहिंसा एक सिक्के की दो वानुएँ हैं और दोनों एक साथ रहने हैं। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और यदि इन्हें अलग करना संभव ही भी तो अहिंसा की अपेक्षा सत्य ही खेप्ट है। अब सत्य ऐसी वस्तु है कि जो गुप्तता अबका भय के साथ नहीं रह सकती। अहिंसक

गांधीवादी कार्यकर्ता जो भी कदम उठाये अथवा उठाने का विचार भी करे वह सब सुल्लभसुस्ता हो और इसके कारण अपने शरीर पर अथवा जायदाद पर जो भी सकट आये उसमें से छूटकर भागने का जरा भी प्रयत्न न करे। वह परदे के भीतर बैठकर सूत्र-संचालन अथवा योजनाएँ बनाकर वेन का काम न करे। हम जो कर रहे हैं इसके परिणामों को जो जानते नहीं अथवा जो अत्याचारों के सामने दब जायें ऐसे लोग इसमें न फँस जायें इस बात का ये पूरा जवाब रखें। मेरी सूचना है कि अनजान ग्रामीणा और मजदूरों को ऐसे कामों में नहीं फँसामा चाहिए। इसी प्रकार इस सारे कार्यक्रम से यह तो सावधानी रखनी ही है कि वहीं किसीकी प्राणहानि न होने पाये।

युद्ध के बीच लोगों को किस प्रकार अपना भर्त्सि रखना चाहिए, इस विषय में कुछ नियम बताते हुए उन्होंने कहा था

‘यह मानकर हम काम करें कि आपके सामने अंग्रेज सरकार है ही नहीं उसके अधिकारियों और डाकूओं अथवा आक्रमण करनेवालों में कोई भेद नहीं है। इनका समस्त अहिंसक साधनों और तरीकों से मुकाबला कीजिये। अपनी स्वतंत्र व्यवस्था सही करके उसकी स्थापना कीजिये। आपकी दक्षिण में हों ऐसे सारे उपाय करके ऐसा यत्न करें कि पंद्रह दिन के अन्दर हमारे गांधीजी हमारे बीच वापस पहुँचा दिये जाय।

सन् १९४८ के अनवरत मास में इन सूचनाओं पर टीका करते हुए उन्होंने कहा था

इन दोनों सूचनाओं में जन-स्वभाव का पूरा विचार नहीं किया गया है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से वे अमल में आने लायक नहीं थीं। इसमें अधिकारियों की तुलना डाका डालनेवालों और हमला करनेवालों के साथ की गयी है। इसी प्रकार पंद्रह दिन के अन्दर गांधीजी को छोड़ा देने की प्रेरणा इनमें है। इस तरह उत्तेजित किए जाने के बाद यह मास रखना बहुत अधिभ है कि लोग अहिंसक साधनों से ही घिपटे रहेंगे।

परन्तु उन दिनों किशोरलाल भाई की वृत्ति ऐसी थी कि अंग्रेज सरकार के लिए राज चलाना अशक्य कर दिया जाय। ऐसी भावना जिस समय बहुत तीव्र होती है सब अहिंसा का सूत्र सूक्ष्म रीति से पालन बना की वृत्ति

रसना बहुत कठिन होता है। उस समय ता अहिंसा की व्याख्या को खीसा करने की वृत्ति होना ही अधिक स्वभाविक है।

इसके बाद सरकार ने 'सन् १९४२-४३ के उपप्रश्नों में कांग्रेस की जिम्मेदारी' इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें किशोरलाल भाई के लेखों के विषय में इस तरह टीका की गयी थी

“इसके बाद 'हरिजन' के दा मक प्रकाशित हुए। इनके सम्पादक गांधीजी के मुखरूप (Mouthpiece) थी कि० घ० महादवाला थे। इनमें सदाई के विविध अंगों का संचालन किस प्रकार किया जाय इस विषय में तफ्तीशों के साथ सूचनाएँ दी गयी हैं। (कांग्रेसनी जवाबदारी पृ० १९)

'हरिजन' की मित्र-मित्र भाषाओं के संस्करणों के संपादक श्री गांधी के विचारों से सर्वथा भिन्न विचार प्रकट करने की हिम्मत धायद ही कर सकते थे। फिर भी इनमें तार काटना रेल की पटरियाँ उसाड़ना पुलों को तोड़ना और पेट्रोल की टंकियों का आग मगाना—ये सब काम अहिंसा में मुमकिन करने लायक बसाये गये हैं।” (वही पुस्तक पृ० ३७)

इस सरकारी पुस्तक का गांधीजी म ता० १५-७-१९४७ को विस्तृत जवाब दिया है। (वेस्तिंग गांधी-सरकार पत्र-व्यवहार १९४२-४४) उसमें स प्रस्तुत भाग नीचे दिया है

५९ दूसरा उदाहरण ता० २३ अगस्त १९४२ के 'हरिजन' से थी कि० घ० महादवाला के लेख से एक उद्धरण सेलक में दिया है। श्री महादवाला एक आवरणीय साधी हैं। वे अहिंसा का इस हद तक से जाते हैं कि जो उन्हें व्यक्तिगत पहचानते हैं वह हार जाते हैं। फिर भी जो बाध उद्धृत किये गये हैं उनका बचाव मैं नहीं करूँगा। उन्होंने यह कहकर कि यह तो मेरी व्यक्तिगत राय है, गलतफहमी को रोकने का मान किया है। पुल पटरियाँ आदि का तोड़ना अहिंसा है या नहीं इन प्रश्नों की चर्चा करते हुए धायद उन्हान मुझ कभी सुना हा। *

* गांधीजी के मन पर यह छाप है कि पुल तोड़ना आदि से सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मैंने धायद उन्हें सुना हो। मैं आदरपूर्वक कहता हूँ कि मुझे याद नहीं कि मैंने उनक मँह स एसी बोर्ड चर्चा सुनी हा।—कि० घ० म०

परन्तु मुझे हमेशा इस बात का सन्देह रहा है कि ऐसी तोडफोड अहिंसक रह सकती है या नहीं। इस तरह की तोडफोड अहिंसक रह सकती है ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं और मैं मानता हूँ कि वह ऐसी रह सकती है। परन्तु आम जनता से यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वह ये काम अहिंसा के साध कर सकती है। उसके सामने यह बात रखना भी अतर्नाक है। फिर लड़ाई के सम्बन्ध में ब्रिटिश सत्ता को जापान की पंक्ति में रखा जा सकता है ऐसी भेरी धारणा नहीं है।

‘एक सभावित (प्रतिष्ठित) साधु की राय का परीक्षण कर लेने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि श्री मशरूवाला की राय का हिंसक हेतु के प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। बहुत अधिक तो इसमें निर्णय की मूल है जो सभी क्षेत्रों में अहिंसा का आचरण करने की योग्यता जनता में किस हद तक है, इसका विचार करने में स्वभावतः हो सकती है। बड़े-बड़े सेनापतियों और राजनैतिक पुरुषों से मुझे होती हमने कई बार देखी ही हैं। परन्तु इस कारण उन्हें किसीने नीचे की पंक्ति में नहीं गिना है अथवा उन पर कुछ हेतु का आरोपण नहीं किया है।’

जिस दिन गांधीजी ने यह जवाब सरकार को भेजा उसी दिन एक विचित्र योगायोग की बात है कि किछोरलाल भाई नागपुर सेक्टर जेल में मध्यप्रदेश के पीफ सेक्रेटरी के नाम इसी विषय पर एक पत्र तैयार कर रहे थे। यह पत्र ता० १६ जुलाई को उन्होंने जेल के अधिकारिया का मँपा। वह नीचे लिखे अनुसार है।

श्री पीफ सेक्रेटरी

मध्यप्रदेश तथा धरार की सरकार

नागपुर

‘साहूब

मरण की दृष्टि से उपर्युक्त पत्रका तथा पत्रों की ओर मैं आपका ध्यान दिखाना चाहता हूँ। इसके अन्दर जो प्रायना की गयी है वह नामजूर होने के बाद मैंने यह निर्णय किया था कि ईश्वरेच्छा से जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस विषय में फिर से कुछ नहीं कहूँगा। यदि अंतःकरण की प्रेरणा मुझे

सुरस्त सिखने की आशा नहीं देती, तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं इसी नियम पर कायम रहूँ।

'अहिंसा में किन्-किन् बातों का समावेश हो सकता है, यह मैंने प्रकाशित किया था। यह पत्र उसीके सम्बन्ध में है। यदि किसी मानवी अवकलत में मुझे अपना जबाब देना होता तो अपने जबाब में मैं बहुत-सी बातें पेश कर सकता था। उदाहरणार्थ मुझे गलत प्रेरणा देने के जिम्मेवार स्वयं श्री एमरी हैं। ता० ९ अगस्त १९४२ को नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने जो भाषण किया उसमें से किन्-किन् कार्यक्रम की योजना की जा सकती है इसकी जानकारी सबसे पहले मुझे उनके भाषण से ही हुई*। मुझ बाद में मालूम हुआ कि कई दूसरे लोगों की भी मेरे समान ही स्थिति हुई। श्री एमरी ने यह भी खास तौर पर कहा था कि तथाकथित आन्दोलनकारी इस कार्यक्रम को अहिंसक रीति से ही पूरा करना चाहते थे। इसलिए इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए मुझसे प्रार्थना की गयी। इसमें से कितनी ही बातों का ता मैंने असंविध बना

* श्री एमरी के भाषणवाला संदन से ता० ९ अगस्त को भेजा गया तार ता० ११ अगस्त के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ था। उसमें प्रस्तुत मसमूह इस प्रकार छपा था

"असली चिन्ता कांग्रेस की माँग के विषय में नहीं है। यह तो गम्भीर है। उस पर विचार नहीं किया जा सकता। परन्तु कांग्रेस ने जो कदम उठाने का निश्चय किया है और जिसके लिए वह बहुत समय से तैयारी कर रही है, असल में वह चिन्ता करने योग्य बात है। इस कदम में उद्योग व्यापार, राज्यशासन, अवासियों पाठकों तथा कर्मियों में हड़तालों को प्रोत्साहन देने की बात है। बाह्य-व्यवहार तथा छोटी-पयोगी अन्य प्रवृत्तियों को बन्द कर देने तार तथा टेम्पल के तार काटने और फौजों तथा फौजी भरती के बन्दों पर धरना देने की योजनाएँ हैं।

"यह सब अहिंसक रीति से किया जायगा। परन्तु अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि उत्तजित झुण्डों की अहिंसक प्रवृत्तियाँ कितनी आसानी से हिंसक प्रवृत्तियों में भीतर घुस कर राबियों के रूप में बनस जाती हैं।"

में निषेध किया है। उदाहरणार्थ, दफतर, बैंक आदि को छूटने और आग लगाने का। दो बातों (सार-व्यवहार और वाहन-व्यवहार छोड़ने) के बारे में मेरा जवाब कमजोर था। जहाँ तक मुझे याद है मेरे जवाब के बाव के पैरे (इनको सरकार ने प्रकाशित नहीं किया) उन सब बातों को सौम्य कर देते हैं जिनको मैंने स्वीकारयोग्य कहा है। यही नहीं, उनके प्रति इनमें मेरी नापसन्दी भी प्रकट होती है।

परन्तु यह पत्र मैं अपने जवाब के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं तो अपना विषय धाफ करना चाहता हूँ। (इस दृष्टि से) मैं आज दखता हूँ कि इन दो बातों के विषय में मेरी नापसन्दगी बहुत खिली थी और दृढ़ता के साथ अपनी राय प्रकट न करने में मैंने कमजोरी प्रकट की थी। मुझे लगता है कि श्री एमरी ने जो कार्यक्रम प्रकट किया था उसकी जाँच करते समय मुझे तार्किक पुनर्करण का आधार नहीं अपने हृदय में जलती हुई ज्योति की ही मदद लेनी चाहिए थी। मुझे यह लग रहा है कि अपने हृदय की ज्योति के प्रकाश में न चलने का प्रमाद मैंने किया। यही नहीं बल्कि उस समय बितने ही साथी हाजिर थे उनकी राय की भी मैंने पूरी परवाह नहीं की। आज मुझे मालूम होता है कि जिस प्रकार मैंने छूटने और आग लगानेवाले कार्यक्रम का निषेध किया उसी प्रकार तार छोड़ने, पटरियाँ उखाड़ने पुल टाड़ने और वाहन तथा सार-व्यवस्था को बिगाड़नेवाली दूसरी क्रियाओं का भी मुझे स्पष्ट शब्दों में निषेध करना चाहिए था।

मैं जानता हूँ कि यह इकबाल भेजने में बहुत देर हो गयी है। परन्तु मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे इसका भान होने के बाद मैंने जरा भी विचलन नहीं किया है। गुरु आपाड़ी एकादशी अर्थात् ता० १४ जुलाई की रात में मुझे यह आप्रति हुई तथा इसकी सूचना आपके पास भेजने की प्रेरणा भी हुई।

इस पत्र का सरकार की तरफ से विशोरलाल भार्दों को कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे से छूटने के बाद ता० २६ १० १९४४ को उन्होंने एच जाहिर निवेदन के साथ यह पत्र भी प्रकाशित कर दिया।

इस सारे प्रकरण की समालोचना करते हुए ता० २१ १ ४८ को विशोरलाल भार्दों ने लिखा था

“मेरे मन में मुख्य विचार यह था कि ‘हरिजन’ की जिम्मेदारी मुझ पर आ गयी है। इसलिए इसमें सत्य और अहिंसा की मर्यादा रखते हुए भी मुझ इसमें कोई ऐसी कमजोरी की बात नहीं लिखनी चाहिए, या पीछे कदम करनेवालों को सुस्त या डीला बना वे अथवा उनके मन में सशय पैदा कर दे। बरी-जोटी जैसी भी हो परन्तु स्पष्ट सूचना देने की हिम्मत करनी चाहिए। इन तैयारियों में प्रकट की गयी राय के बारे में आज मेरे क्या विचार हैं, यह मैं बता दूँ तो अनुचित नहीं होगा।

“मुझ लगता है कि मुझे हिंसा-अहिंसा की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि इस कार्यक्रम को अहिंसक बनाने पर भी मैंने यह राय दी है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह कार्यक्रम करने लायक नहीं है। तात्त्विक चर्चा करने के अलावा केवल व्यावहारिकता का निजम ही मैं देता तो अच्छा होता। अब भले ही मैं इसका भार भगवान् पर डालकर अपना मन को इस तरह समझाऊँ कि भगवान् इस कड़ाई का इसी तरह खलना चाहता था और उसमें प्रकट के रूप में वह मेरा उप-योग करना चाहता था। इस कारण यद्यपि मैं स्पष्ट निर्णय देना चाहता था कि मैं मेरे द्वारा बिमुसी निर्णय दे दिया गया। परन्तु भगवान् पर यह भार न डालूँ तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरी विवेक-बुद्धि पर आचरण पड़ गया था।

‘तत्काल’ ऐसे काम अहिंसक तरीकों से हो सकते हैं यह राय गांधीजी ने भी प्रकट की है और मैं भी बहा है। इसका अर्थ यह है कि उस समय हम बोना के विचार एक-से थे। परन्तु आज (बल्कि सरकार को मैंने १९ जुलाई १९४३ का वह पत्र लिखा, तब से) विचार क्रम पर मुझे लगता है—और शायद गांधीजी भी आज यही कहें—कि तात्त्विक दृष्टि से भी यह अहिंसा का कार्यक्रम नहीं था। यह तो विरोधी का पराजित करने का कार्यक्रम था। उसमें विरोधी के प्रति अहिंसक भावना—मैंनी अथवा करुणा नहीं थी उपेक्षा भी नहीं थी। बल्कि इसमें तो उसे मार गिराने की आकांक्षा थी। इस अहिंसक कार्यक्रम नहीं चला जा सकता।

किशोरलाल भाई सन् १९४२ के सितम्बर में जबलपुर सेठ्स जेल में थे। तब ‘ब’ श्रेणी के राजवन्दियों के प्रति उस अधिकारियों के अमानुषिक व्यवहार

के समाचार बाहर आये थे । जल के दूसरे कैदिया तथा बाहर के लोगों की सहायता एवं भय के निवारणार्थ जल के अधिकारियों के द्वारा इसके कोई समाचार प्रकट नहीं किये गये । यहाँ तक कि जेल का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कमटी के गैर-सरकारी सदस्यों तक को जेल में जाने से मना कर दिया गया । इसके विरोध में बैदिया न अपनी बँरकों में बन्द होने से इनकार कर दिया । तब हथियारबन्द पुलिस बुलायी गयी । उसन कैदियों को घसीट-घसीटकर तथा भार-पीटकर बँरकों में बन्द कर दिया । इस पर वहाँ उन्हान साना लेने से इनकार कर दिया । यह समाचार मिलन पर किशोरलाल भाई तथा उनके वर्ग क अन्य कैदियों न यह माँग की कि उन्हें इन कैदियों के वाठ में जाने की इजाजत मिले ताकि वे उनसे मिलकर वहाँ की स्थिति की जानकारी खुद प्राप्त कर सकें । जिला मैजिस्ट्रेट ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया । तब ता० २६ ९ १९४२ को जबलपुर-जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को उन्हामे नीचे लिखा पत्र भेजा

प्रिय मित्र

“मैंने और मेरे साथी नजरबन्दा न करू एक अर्जी भजी थी जो नामजूर कर दी गयी । मुझे लगता है कि इन परिस्थितिया में मैं अपनी मानसिक दान्ति की अधिक समय तक रक्षा नहीं कर सकूँगा । इसलिए मैंने निश्चय किया है कि जब तक मेरी बात नहीं मान ली जायगी अथवा मुझे छोड़ नहीं दिया जायगा मैं अन्न तथा जल नहीं ग्रहण करूँगा । आपसे मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे दान्ति से पढ़ा रहूँ और ऐसे कोई प्रयत्न न करें जिनसे मुझे शारीरिक या मानसिक कष्ट हो । जब ससाधारियों को ऐसा लगे कि मेरा जीवन केवल धाँसा मात्र और पीडा ही पीडा रह गया है तब इस पत्र द्वारा मैं जल के अधिकारियों को इजाजत देता हूँ कि वे मुझे आवश्यक जहर देकर मेरे जीवन का अंत कर दें । इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी से मैं उन्हें इस पत्र द्वारा मुक्त करता हूँ । इसके साथ मैं उनसे यह भी कह देना चाहता हूँ कि—वे मुझे मुँह के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दारुव प्राणियों के शरीर स बनी कोई दवा धुराक अथवा दवाचन उदाहरणार्थ एड्रिनेलिन काँडन्टिवर, लिबर के सलब और रून आदि दवा मेरे शरीर को अपवित्र न करें ।

‘यह कहना ता कठिन है कि मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति अनजान में भी

द्वेषभाव नहीं रखा। परन्तु ऐसे भावों को टाकने का मेरा प्रयत्न जरूर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि होश खोने से पहले ऐसे भावों से मैं पूर्णतः मुक्त हो जाऊँगा। परमात्मा मुझे आपको और सरकार को स-मार्ग पर चलने की बुद्धि दे।

मित्रभावपूर्वक आपका

कि० घ० मशहबाला”

यह पत्र मिलने के बाद सरकार ने किशोरलाल भार्गव को छोड़ा तो नहीं, परन्तु उन्हें दूसरी जेल में भेज दिया। कहने की जरूरत नहीं कि ‘ब’ वर्ग के उन कैदियों की शिकायतें भी दूर कर दी गयीं।

◆◆◆

गांधीजी ने जब से ‘नवजीवन’ पत्र शुरू किया तब से किशोरलाल भाई उसमें जब-सब लिखते रहते थे। १९३२ के अंत में उन्होंने ‘हरिजन’ और बाव में ‘हरिजन जग्घु’ शुरू किया। तब किशोरलाल भाई जेल में थे। परन्तु जेल से छूटने के बाद अस्पृश्यता-निवारण पर तथा ग्रामोद्योगों पर वे लिखने लगे। बापू ने जब बर्धा-विद्या-योजना जमता तथा सरकार के सामने रखी तो उस पर भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण लेख लिखे। किसी भी विषय का सूक्ष्मता के साथ पुष्पकरण करने तथा उसके मर्म तक पहुँचने में किशोरलाल भाई का विभाग खूब चलता था। इसलिए बापू की बातों को जनता के समक्ष स्पष्टता के साथ रखने में किशोरलाल भाई का विवरण बड़ा मददगार होता। ‘गांधी-विचार-बोहन’ के बारे में बापू ने लिखा है कि ‘भाई किशोरलाल को मेरे विचारों का असाधारण परिचय है।’ किसी ही बातों में किशोरलाल भाई के विचार और मान्यताएँ बापू से भिन्न थीं। परन्तु कुछ मिलाकर यों कहा जा सकता है कि बहुत से विषयों में उनके और बापू के विचार एक-से थे।

सन् १९४२ में ता० ९ अगस्त के बाद के दो हफ्ते अत्यंत नाजुक और चिन्त को छोड़ पढ़े जानेवाले थे। ऐसे समय ‘हरिजन’ पत्रों के सम्पादन का भार उन्हीं पर पड़ा था।

उस समय लोगों का मार्गदर्शन करने में उन्होंने कमजोरी प्रकट की यह बात उन्होंने बाद में स्वीकार की थी। इसका विवरण पिछले प्रकरण में आ ही गया है।

इसके बाद सन् १९४६ में जब बापू ने मोआसाली की पदयात्रा शुरू की तब उन्हें लगा कि ‘हरिजन’-पत्रों का संपादन-कार्य तथा विशाल पत्र-व्यवहार का सारा काम वे खुद नहीं संभाल सकेंगे। तब यह काम उन्होंने चार आवसियों को सौंपा—बारासाहब किशोरलाल भाई, विनोबा तथा मैं। हम चारों में से इस काम का मुख्य भार तो किशोरलाल भाई ने ही उठाया और इसके लिए

जैसे मेरे पास साबरमती-आयम आकर रहने लग। यहाँ उनकी धनुस्ती अच्छी नहीं रहती थी फिर भी लगभग चार महीने उन्होंने 'हरिजन'-पत्रों के सम्पादन में महत्त्वपूर्ण भाग लिया।

बापू के देहाव्य के बाद चार अक प्यारेलालजी न निकाल। इसके बाद उन्होंने प्रकट किया कि 'जैसा कि पिछले इफ्त राजाजी ने कहा था यह तो स्पष्ट है कि बापू के जान के बाद 'हरिजन' उसके वर्तमान स्वरूप में नहीं बचाना जा सकता इसलिये मित्रों और गुरुजनों की सलाह से जब तक इस विषय में हम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच जाते तब तक 'हरिजन' का वर्तमान रूप में प्रकाशन बन्द करने का मैंने निश्चय किया है। इस पर से 'हरिजन-पत्रों' के व्यवस्थापक भाई जीवन्जी देसाई ने लिखा कि प्रस्तुत पत्रों को पुनः शुरू करने का न करने के विषय में अंतिम निर्णय अगले महीने वर्षा में किया जायगा। इस प्रकार ता० २२ फरवरी से ४ अप्रैल तक पत्रा का प्रकाशन बन्द रहा और इसके बाद वे किशोरलाल भाई के संपादकत्व में पुनः शुरू कर दिये गये। उस समय सरदार बल्लभभाई ने लिखा था

'गांधीजी तथा उनके आदर्शों के साथ सहानुभूति रखनेवाले और प्रयत्नक क्षारे संसार में फैले हुए हैं। इन सबकी यह इच्छा है कि गांधीजी की प्रवृत्तियाँ भारत में किस प्रकार फैल रही हैं इसकी उन्हें जानकारी मिलती रहे तथा इनके साथ उनका संपर्क बना रहे। इसके लिए कोई साधन निर्माण करना चाहिए, ऐसी माँगें उनकी तरफ से आती रहती हैं। उनकी इन स्वाभाविक माँग की पूर्ति यदि न की गयी तो अनुचित होगा।

किशोरलाल भाई ने इन पत्रों का संपादन करना स्वीकार किया इस पर उन्होंने लिखा था

"श्री किशोरलाल मसकरवाल न अपन स्वास्थ्य की भारी मर्यादा की परवाह न करते हुए 'हरिजन' के कार्य में बूढ़ने का साहाय्य निश्चय किया इसी कारण 'हरिजन'-पत्रों का पुनः प्रकाशन संभव हो सका है। अपन सम्पूर्ण जीवन में गांधीजी के आदर्शों का कबल अभ्ययन ही नहीं इन आदर्शों को अपन जीवन में उतारने का अनवरत यत्न करनेवाला श्री विनोबा के समान हमारे पास वे एक निष्ठावान सत्य-सोधक हैं। अपनी मर्यादाओं का वे भूब अच्छी तरह जानते हैं।"

‘हरिजन’-पत्रों का भार अपने सिर पर लेते हुए किशोरलाल भाई ने अपने ‘भगवान् भरोसे’ क्षीरंक लेख में लिखा था

‘हरिजन’-पत्रों के संपादन का भार मैं भगवान् के भरोसे ही उठा रहा हूँ। यह मैं नम्रता से सिद्धाचार की भाषा में नहीं कह रहा हूँ। व्यवहार-बुद्धि से देखा जाय तो मैं यह एक साहस का ही कार्य कर रहा हूँ। मेरी अपनी शक्ति को दसते हुए केवल लेख लिखने और संपादन का भार उठाने में बहुत बड़ा अंतर है।

‘एक बात पहले से ही साफ कर देना जरूरी है। कुछ दिन पहले जो बात विनोबा ने अपने बारे में कही थी, वह मैं खुद अपने बारे में भी सही पाता हूँ। बहुत-सी बातें मैंने गांधीजी से ली हैं। बहुत-सी दूसरों से भी ली हैं। मेरे अंत-करण में ये सब घुल-मिल गयी हैं और मेरे मानस के रूप में बन गयी हैं। इस कारण जो विचार मैं पेश करूँगा वे सब गांधीजी के अनुसार ही होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्हें आप मेरे अपने विचार ही समझें। मैं कभी-कभी शायद यह भी लिख जाऊँ कि ये विचार गांधीजी के हैं। इसके लिए खुद गांधीजी के प्रत्यक्ष लेखन को ही यदि मैं उद्धृत न करूँ तो आप यही समझें कि मैंने गांधीजी के विचारों को जिस प्रकार समझा है केवल उसी प्रकार मैं बतला रहा हूँ। जो बात मैंने अपने विषय में कही वही दूसरे लेखकों के बारे में भी समझी जाय।

ता० ११४ १९४८ के अर्थात् अपने संपादकत्व के दूसरे अंक में ही उन्होंने लिखा

किन्ती भी पत्र का संपादक बनकर उस चलाने का उत्साह मुझमें नहीं है। परन्तु गांधीजी ने मुझ पर जो विश्वास किया जो प्रेम मुझ पर बरसाया वह प्राण अपनी सेवा द्वारा उनके रहते मैं पूरी तरह से अदा नहीं कर सका। मेरा यह दुर्भाग्य मुझे सदा दुःख देता रहता है और उसीने मुझ इस भार को उठाने में इमकार करने से राका है। मैं इनकार कर दूँ और नवजीवन कार्यालय को संपादन की दूसरी सन्तोषजनक व्यवस्था के अभाव में गांधीजी का पत्र बन्द करने का निणय करना पड़े तो यह मेरे लिए सज्जा की बात होगी।”

किशोरलाल भाई न ‘हरिजन’-पत्रों का संपादन स्वयंभू सप्त चार वर्ष किया। इस बीच उन्होंने गांधीजी के विचारों भावनाओं और आदर्शों का विवरण इतनी यथायथा तथा प्रभावपूर्वक किया कि किन्तन ही पाठक तो यही

बहुते कि मानो गांधीजी उनके हृदय में बैठकर यह सब उनके द्वारा सिखा रहे हैं। पाठकों को इतना सन्तोष होने पर भी किशोरलाल भाई को एक बात बहुत बटकती रहती थी। वह यह कि गांधीजी जो भी कुछ लिखते, उसे अमल में लाने के लिए इतनी जबरदस्त हसबस उठा देते थे और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देते थे कि जनता के बहुत बड़े भाग को तथा सरकार को भी लगता कि यह वस्तु बिना बगैर काम नहीं चलेगा। उदाहरणार्थ—उन्होंने अनाज पर सगी बहुत-सी बन्दिशें (कण्ट्रोल) और परिमाण (रेशनिंग) निश्चित करने के विरुद्ध जबरदस्त हसबस खड़ी कर दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार का ये बन्दिशें अनाज पर सगी उठानी पड़ीं। इनके उठ जाने पर जनता को लाभ में लेकर गरीब जनता को अनाज की तकलीफ न हो ऐसी योजनाएँ, यदि गांधीजी अधिक बिये होशे तो जरूर बनाते। परन्तु बहुत जल्दी उनका बेहाम्त हो गया और फिर बन्दिशों के बगैर काम चल ही नहीं सकता इस विचार के माननेवाले जर्मशास्त्रियों और अधिकारियों ने इतना घोर मचाया और कठिनाइयाँ बढायीं कि सरकार को ये बन्दिशें फिर खगा देनी पड़ीं। किशोरलाल भाई ने सरकार की इस नीति के विषय में लिखने में कुछ बाकी नहीं रखा। इसमें से कामा बाजार पैदा होता है, रिश्तत और भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाते हैं यह सब उन्होंने लिखा। परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर भी बिचारों का मूल्य कम नहीं होता। कोई भी राष्ट्रीय आगे-पीछे अनुरित हुए बिना और आचार में परिणत हुए बिना नहीं रहता। सरकार किसी प्रकार का नियन्त्रण न रखे यह उनका भाव्य नहीं था। परन्तु उनके कहने का हेतु यह था कि यदि नियन्त्रण लगाने हैं तो बड़े मालदारों पर नियन्त्रण लगाने की अधिक जरूरत है। 'नियन्त्रण का पाद' इस क्षीरब से उन्होंने 'हरिजम' के ता० २ १२ १९५० के अंक में जो लिखा है, वह आज भी विचार करने योग्य है।

मेरा मतलब यह नहीं कि नियन्त्रणों (कण्ट्रोलों) की जरूरत नहीं है। खानगी संपत्ति और आय पर नियन्त्रण लगाने की जरूरत तो है ही। बित्तने बड़े पैमाने पर कारखाने खोलने बिये आय तथा एक ही स्थान में बिस हद तक कारखाने बनाने बिये जार्य, इस पर भी नियन्त्रण लगाना जरूरी है। नियन्त्रण इस बात पर भी लगाना जरूरी है कि बड़े-बड़े कारखाने सभी प्रकार का माल

बनानेवाले छोटे उद्योगों का गला न घोट में और हजारों आदमियों की राजी न छीन सें। उद्योग दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो विलास, स्वैराचार, उत्तेजना तथा हलकी वृत्तियों को उमादत हैं और आबादी तथा धन द्वारा बाहरों को बढ़ाते हैं। दूसरे प्रकार के उद्योग वे हैं जो जीवन के लिए महत्त्व की जरूरत की चीजें पैदा करते हैं और आरोग्य बल आत्म-समम ज्ञान उद्योग परायणता को बढ़ाते हैं और देश की आबादी का वितरण उचित प्रकार में करते हैं।

“वितरण पर भी नियन्त्रण लगाने की जरूरत है। परन्तु आज जिस प्रकार के नियन्त्रण लगे हुए हैं उस प्रकार के नहीं। हमसे कहा जाता है कि जब तक वितरण के लिए आवश्यक संपत्ति का उत्पादन नहीं होता तब तक वितरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पहले हमें अपना उत्पादन इतना बढ़ा लेना चाहिए कि जिससे प्रत्येक मनुष्य को वितरण करने लायक वस्तु सैमार हो जाय।

‘यह दलील मुलावे में बालनेवाली और मुख्य मुद्दे को हवा में उड़ाकर बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करनेवाली है। यदि हम यह मान लेते हैं कि आज वितरण के प्रश्न पर विचार भी करने की जरूरत नहीं है तब तो फिर भाव-नियन्त्रण माल का मर्यादित वितरण दूकानदारों को सरकार की ओर से लैसन्स देने की दृष्टि माल के आने-जाने की बन्दी—आदि अनेक कदमों के लिए कोई कारण ही नहीं रह जाता। परन्तु फिर भी ये सारे कदम चठामे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी अड़ में यह भावना है कि उत्पादन पर्याप्त हो या न हो फिर भी जितना भी माल उत्पन्न होता है, उसका वितरण न्यायपूर्वक होना हमेशा जरूरी है। और सब तो यह है कि जब पर्याप्त उत्पादन होता है तब की अपेक्षा उत्पादन जब अपर्याप्त होता है, तब न्यायपूर्वक वितरण का विदीप ध्यान रखने की जरूरत होती है।

‘वितरण के पहले उत्पादन पर जोर देना चाहिए—इस तरह की जो स्थिति पैदा की जाती है वह बड़े उद्योगों के लाभ के लिए ही की जाती है। ऐसी और खास तौर पर अनाज के विषय में यदि कोई प्रान्त या किसान ऐसी दलील पदा करे कि अपने प्रान्त की जरूरतें पूरी करने के बाद जो बचेगा उतना ही अनाज

“कांग्रेस मान्य करती है कि यद्यपि (गाँवों के) कितने ही लोगों को बड़े उद्योगों में स्थान मिल जायगा तथापि उन्हें रोजी देनेवाले मुख्य साधन ता छोटे पैमाने के और धरेलू उद्योग ही होंगे। कांग्रेस यह भी मानती है कि

‘इन गृहोद्योगों का भारत में स्थापित करके विशेष महत्त्व है और राज्य की ओर से उनका विकास किया जाना चाहिए तथा उनको रक्षण मिला चाहिए और इसी तरह के दूसरे उद्योगों के साथ उनका समन्वय भी कर दिया जाना चाहिए।

परन्तु बाड़ी और ग्रामोद्योगों का काम करनेवाली गाँबीजी की संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के दिनों में कहीं झूठी भावार्थ न लड़ी हो जायें इसलिये स्पष्ट कर दिया गया है

“परन्तु यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि छोटे पैमाने के तथा धरेलू उद्योगों को अधिक उत्पादक और अधिक दृष्टि से सामवायक बनाने के लिये उनमें अच्छी-से-अच्छी पद्धतियों का उपयोग करना होगा।

‘गृहोद्योगों को समर्थन और प्रोत्साहन देकर और जहाँ संभव होगा औद्योगिक सहकारी मण्डलों की रचना द्वारा उनकी मदद की जायगी। परन्तु उसने बरखा और ग्रामोद्योगों का नाम छोड़ दिया है। फिर भी हाथ-करपा पर बुननेवालों को सान्त्वना देने के लिये वह आतुर है। उन्हें पूरा आवश्यक मूल देने का प्रयत्न करके वा आश्वामन बोधना-पत्र में है। पोषणा-पत्र न बरखे को साफ शब्दों में फेंक ता नहीं दिया है परन्तु उसका इशारा तो स्पष्ट ही है। बरखा बानी चक्की और डोंकी आदि को भावी काँग्रेस-सरकार से प्रोत्साहन की आशा नहीं रखनी चाहिए। पोषणा-पत्र पर से यह मार निकालता है कि गृहोद्योगों में काम करनेवालों को इस तरह के बड़े उद्योगों के अनुकूल होकर काम करना होगा। यह समझकर ही उन्हें उनमें जाना चाहिए।

‘कुल मिलाकर कहें तो पोषणा-पत्र सर्वोदय की अपेक्षा को महा पहुँचता। रचनात्मक कार्यक्रम के कितने ही महत्त्वपूर्ण अंग—उदाहरणार्थ दाराबख्शी ग्रामोद्योग नयी राष्ट्रीय आदि के प्रति उसकी दृष्टि इसी अर्थ में प्रत्याघाती भी है। फिर उनके सामने कुछ लक्ष्य है—उदाहरणार्थ भाष-निर्पक्ष

और अनाज के वितरण के द्वारा कीमत की बरें घटाना या बढ़ाना। परन्तु अनिष्टों के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण इसकी सफलता में मुझे सन्देह है।

‘हमारे पक्ष की वर्तमान अवस्था में घोषणा-पत्र में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति नहीं करना सरकारी तंत्रों की क्षुब्धि और उम्मीदवारों का अपना शुद्ध चरित्र प्रामाणिकता और लोकसेवा की निष्ठा—ये चीजें अधिक महत्त्व रखती हैं। (‘हरिजन-बन्धु’ ता० २८-७-१९५१ तथा ४-८ १९५१)

उन धुनाइयों में रचनात्मक कार्यकर्ता उम्मीदवारों को बोट कैसे दें, इस विषय में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन किया था

‘गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखनेवाले लोग को समझ लेना चाहिए कि इस समय एक भी ऐसा पक्ष नहीं हो सकता जो गांधीजी के कार्यक्रम को सोझों आने वाला सके और ऐसा भी नहीं होगा जो उसे एकदम फेंक दे। इसलिए उन्हें अपने बोट का उपयोग करने से पहले वा बातें देखनी चाहिए

(१) उम्मीदवार साम्प्रदायिक मानसवाला न हो।

(२) वह शुद्ध-चरित्र और ईमानदार हो।

‘यदि कोई पक्ष हमारे क्षेत्र में ऐसा उम्मीदवार खड़ा न कर सके तो अच्छा है कि आप बोट देने जायें ही नहीं। (‘हरिजन-बन्धु’ ता० २४ ६ १९५०)

कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए श्री टण्डनजी आचाम इपालानी और श्री सकरराव देव तीनों के बीच होइ पैदा हुई तब गांधीजी की विचारसरणी का माननेवाले एक भाई ने प्रश्न पूछा कि ‘इन तीन उम्मीदवारों में से किसे पसन्द किया जाय?’ इसका उन्होंने यह उत्तर दिया

“बहुत जिन पहले मन अपनी यह गम प्रकट की थी कि प्रधानमंत्री अर्थात् देव के वास्तविक नेता को ही अपने पक्ष का प्रमुख होना चाहिए। कुछ जिन पहले श्री मोहनलाल अकसेना ने भी यही विचार दूसरे प्रकार से प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष को ही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ रोज-य रोज के काम के लिए व अपनी पसन्द के किसी भारतीय का कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। परन्तु यदि यह

समझ न हो तो कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा योग्य व्यक्ति हो, जो प्रधानमंत्री का बराबर समर्थन और सलाह दे सके। दोनों के बीच अत्यन्त निकट का सम्बन्ध और मित्र प्रश्नों तथा भ्रूखामी प्रश्नों के प्रति उनकी दृष्टि जितनी भी समझ हो, एक-सी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, तो कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शायद ही सरकार के साथ-साथ काम कर सकेंगे और आग-बीछ दोनों में से किसी एक को या तो असम होना पड़ेगा या दूसरे के नीचे बसकर रहना पड़ेगा।" ('हरिजन-बन्धु' ता० २६-८ १९५०)

किशोरलाल भाई का उपर्युक्त शवाब जब प्रकाशित हुआ, तब बहुत से कांग्रेसी नेताओं को बुरा लगा कि किशोरलाल भाई अपनी तबीयत के कारण बाहर नहीं भूम सकते इसलिए उन्हें वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की जानकारी नहीं है। फिर भी ऐसे विचार प्रकट करके वे कठिनाइयाँ पैदा कर दिया करते हैं। किशोरलाल भाई बाहर नहीं भूम सकते थे यह बात सही है। परन्तु उनका पत्र-व्यवहार इतना विदाल था कि उन्हें देश की परिस्थिति की पूरी-पूरी जानकारी रहती थी और अन्त में तो उन्हींकी राय सही साबित हुई। टण्डनजी अध्यक्ष चुने गये। परन्तु बहुत जल्दी उन्हें त्यागपत्र दे देना पड़ा। फिर इस पद पर पं० जवाहरलालजी आये तब आकर कांग्रेस का ठिकाना लगा।

'हरिजन'-पत्रों के सम्पादक की हैसियत से उनके पास दासन प्रबन्ध के बारे में भी बहुत-सी शिकायतें आती रहतीं। उस विषय में उन्होंने यह नीति रखी थी कि शिकायत जिस महकमे से सम्बन्ध रखती उसके पास उसे भेज-देते और इस विषय में उसका क्या कहना है, वह जान-भेते। इस पद्धति से यह होता कि यदि शिकायत झूठ होती तो मालूम हो जाता और यदि सच्ची होती तो शिकायत करनेवाले को बाला-बाला राहत मिल जाती। परन्तु इसके लिए उन्हें बहुत पत्र-व्यवहार करना पड़ता। लेख लिपिन की अपेक्षा इस पत्र-व्यवहार का बोझ उन पर अधिक था। परन्तु इस पत्र-व्यवहार को संपादक की हैसियत से वे अपना मुख्य कर्तव्य समझते थे।

इस पत्र-व्यवहार से एक लोदजनक सापरबाही का बिस्मा प्रवाह में आ गया। वह चलेस्त करने योग्य है। पश्चिम बंगाल के तर्कावा नामक एक गाँव में एक धीवाली कोट स्थापित करने के बारे में एनू १९५० के नवम्बर

में कुचम जारी हुआ। उसके लिए एक मकान भी ले लिया गया और जब को छोड़कर कोट के कारकून आदि कर्मचारियों की नियुक्तियाँ भी हो गयीं जिनकी समझौदा मासिक लगभग एक हजार की थी। परन्तु छह महीने बीतने पर भी जब की नियुक्ति नहीं हुई। इतने दिन बीत जाने पर भी जब जब की नियुक्ति नहीं हुई तब एक छोट-से व्यापारी ने किशोरलाल भाई को यह बात लिख भजी। इस मित्र के साथ पत्र-व्यवहार करने में भी कितने ही महीने बीत गये। तब २६ २ १९५२ को किशोरलाल भाई ने बम्बई हाईकोर्ट के अपील-विभाग के रजिस्ट्रार के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। उसका जवाब नहीं मिला तब ता० १० मार्च को हाईकोर्ट के बड़े जज को पत्र दिया। इसके परिणामस्वरूप ता० १७-३-१९५२ को वहाँ एक मुक्तिपत्र भज दिया गया और इस डील का दोष हाईकोर्ट ने बम्बई-सरकार पर डाला। तब किशोरलाल भाई ने बम्बई-सरकार को लिखा। इसका जवाब उन्हें एक महीने में मिला। उसमें सरकार ने यह दोष हाईकोर्ट पर डाला। असल बात यह थी कि न्याय-विभाग और शासन प्रबन्ध-विभाग दोनों की ओर से इसमें लापरवाही रही। इसके परिणामस्वरूप सोलह महीने तब मासिक एक हजार के हिसाब से निरपेक्ष खर्च हुआ।

सरकारी नौकरों के धारे में भी उनके पास बहुत-सी शिकायतें आती रहतीं। इस पर से सरकारी नौकरों को सम्बोधन करते हुए 'हरिजन-धर्म' के ता० २१-८ १९४९ के अंक में उन्होंने एक लेख में लिखा था

‘मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मित्र-भिन्न सरकारों के प्रधानमंत्री मले ही आपकी योग्यता सेवा और वर्तव्य से सन्तुष्ट हों परन्तु आपके विषय में झोकर तो इससे उमड़ा ही है। इतना ही नहीं यह भी शिकायत है कि जनता के प्रति आपका व्यवहार पिछले शासन से भी अधिक असन्तोषप्रद है। आपका महकमा पहले की अपेक्षा अधिक उदात्त अधिक सड़ा हुआ कम कुशल अधिक डीला धन और रिश्तों का अधिक समाल करनेवाला बन गया है। सन् १९४७ में आपके हाथों में शासन-प्रबन्ध का उमर्गी अपेक्षा आपका आज का शासन प्रबन्ध जनता के लिए अधिक कष्टदायक हो गया है।

'मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास केवल जनता की तरफ से ही सिकायतें नहीं आ रही हैं बिछने ही सरकारी नौकरों ने भी इसी प्रकार की सिकायतें भेजी हैं। उदाहरणार्थ, रेलवे और राशन की दूकानों में जो-जो तरकीबें रिपवतखोरी और बर्हमानियाँ चल रही हैं उनकी सबरें मुझे इन महकमों में काम करनेवाले आबमिया क द्वारा ही मिली हैं।

'मैं तो यहाँ सामान्य चित्र और असर का बलम किया है। जो प्रामाणिक सेवक है व भी इस पर गभीरता के साथ विचार करें।

"आपस मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन और आधार में भगवान् को बसाइय। एहिक समृद्धि बढ़ाने की साखसा में आपन अपने घर और ऑफिस से भगवान् को रखसत दे वी है और भान लिया है कि बूढाबस्त्रा में भगवान् की अपेसा धन अधिक अच्छा मिष है। परन्तु आपकी यह मान्यता गलत है। यह आपके और समग्र दस के भास को मिमन्त्रण बेगी। परमारमा आपको ऐसा बस और बुद्धि दे कि आप जनता के अधिक सख और अधिक अच्छ सेवक बन सकें। ('हरिजन-बन्धु' ता० २१-८ १९४९)

सिनेमा के गदि चित्र रेडियो के अस्लीक गीत गंदे उपन्यास और कहानियाँ कामोद्दीपक दवाएँ, बीमस्त पिमावाले विज्ञापन इसके समोरजक चित्र समाचार और शब्दों की प्रतियोगिता जैसे जुए आदि सामाजिन अनिष्टों न आऊकस देस में घर-सा कर लिया है और छोटे-बड़ पढ़े-लिखे अपढ़ अनौर गरीब गहरी-देहाती—सभी हममें से किसी-न-किसी दुएई के पाल में फँस जाते हैं। इस विषय में भी उन्होंने सुवारकों को अच्छी चेतावनी दी है। सुपारक चाहते हैं कि इस अनिष्ट को बद करन में सरकार भी उनकी मदद कर। इस विषय में उन्होंने सिखा है

'आपको समझ लेना चाहिए कि अच्छी प्रजातंत्री सरकार नैतिक दृष्टि से भी ऊँची होती है ऐसी बात नहीं है। प्रजातंत्री सरकार तो नैतिक दृष्टि से ऊँचे या नीचे लोकमत का प्रतिबिम्ब हाती है और उसीका अनुसरण करती है। बहुत अधिक हुआ, ता यह इतना कर सखती है कि जनता के आध्यात्मिक या नैतिक स्तर को ऊँचा बढ़ाने में बाई बाबाएँ हों तो उन्हें दूर कर दे। परन्तु यदि इसके लिए भी साकमत तैयार न हो, तो यह इतना भी सफलतापूर्वक नहीं

कर सकेगी। हाँ सरकार की शासकीय नीति भले ही इन युगद्वया के विरुद्ध कोई कानून न बना सके परन्तु हमारे मंत्री और नेता ऐसे नाटकों मृत्यों के समारोहों में उपस्थित न रहें ऐसे सिनेमाघरों और नाटकघरा का उद्घाटन न करें तो इस प्रकार नीतिक सुधार के कामों में अवश्य कुछ कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए भी लोकमत का असर होना चाहिए। इसलिए नैतिक सुधारकों को पहले जनता में इसके लिए सूझ काम करना चाहिए और व्यापक लोकमत पैदा करना चाहिए। इसके बाद ही इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के लिए सरकार से कहा जा सकता है।’ (‘हरिजन-बधु’ ता० २९ १२ १९५१)

वनस्पति धी के विषय में सरकार की नीति से उन्हें बड़ा असन्तोष और दुःख था। ता० १५ ८ १९४८ के ‘हरिजन बधु’ में उन्होंने लिखा था

‘म इस प्रश्न को नैतिक दृष्टि से देखता हूँ। उसके सामने इसके आराम्य सम्बन्धी और आर्थिक पहलू गौण हो जाते हैं। वनस्पति धी और किसी अन्य काम की अपेक्षा धी में मेल करने के काम में सबसे अधिक आता है। इस पर इनका आर्थिक महत्त्व बहुत अधिक अवलम्बन करता है। यह वस्तु ग्राम घासियों तथा व्यापारियों की नीयत को भ्रष्ट कर रही है। केवल वनस्पति धी के रूप में इसका उपयोग करनेवालों की संख्या बहुत कम है। दुग्ध धी खरीदने के लिए आदमी बाजार में जाता है। परन्तु वहाँ उसे थोड़े-से दुग्ध धी के साथ मिला हुआ यह वनस्पति धी ही मिलता है—और मो भी वनस्पति की अपेक्षा अधिक ऊँची कीमत पर। इस बात को जानते हुए भी लोग वनस्पति की तरफ झुकते ही जाते हैं। बहुत-से लोग अभी तक दुग्ध धी खरीदने का आग्रह रखते हैं और उसके लिए वनस्पति धी अपेक्षा बहुत ऊँची कीमत चुकाते रहते हैं। फिर भी मिलता है उन्हें वही मिलावटी धी। किसान भी उस मक्खन व साथ मिलाने की कला सीख गये हैं। परिणामस्वरूप मक्खन खरीदनेवाले को भी दुग्ध मक्खन नहीं मिल सकता। इस तरह यह वनस्पति धी ठगी और बेईमानी को बढ़ावा देता है। इसका उत्पादन को रोकने के लिए और दूमरा कोई कारण न भी हो तो भी यह एक पर्याप्त कारण माना जाना चाहिए।

“इस पदार्थ के कारण पशु-पालन का नाम अधिक कटित बन गया है।

घुड़ धी पैदा करनेवाले का अपने मारु की पूरी कीमत न मिलने के कारण वह अपने पशुओं की उपेक्षा करने लगता है। इस कारण आरोग्य और दूध भी बिगड़ता जा रहा है। जिस तरह झूठा सिक्का असली सिक्के को बाजार में से निकाल देता है, उसी प्रकार यह वनस्पति भी घुड़ धी को बाजार में से भया रहा है।

पोषक तत्वों के संशोधन का काम मकखान भी दही घुड़ किया हुआ तेल और घुड़ किया हुआ तेल—इन सबके गुणों के ज्ञान के लिए अव्यव महत्व की वस्तु है। परन्तु हाइड्रोजन की प्रक्रिया से गुजरे हुए घेस की बात अलग है। कितने ही लोग कहते हैं कि शहर में रहनेवाले लोग तेल के बजाय वनस्पति की माँग करते हैं। क्योंकि वनस्पति दानेदार बीसता है। घुड़ धी के अभाव में वनस्पति खान से उन्हें घुड़ धी खाने-पैना कुछ सन्तोष प्राप्त होता है। यदि सचमुच ऐसे कुछ लोग हों तो जो वस्तु गुणकारी नहीं है वह उन्हें देने के बजाय अधिक उपित यह होगा कि उन्हें उनकी भूल ब्यापी जाय और सच्चा ज्ञान दिया जाय। जो लोग महँगे के कारण धी का उपयोग नहीं कर सकते वे वनस्पति का उपयोग करने के बजाय घुड़ तेल का उसके असली रूप में ही उपयोग करें। क्योंकि वनस्पति भले ही धी के पैसा बीसता हो परन्तु गुण में वह घुड़ तेल से कम ही होता है। जिस प्रकार हमें अफीम का ब्यापार चलाने नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार हाइड्रोजन की प्रक्रिया से गुजरे हुए खाद्य तेल का भी ब्यापार हमें चलाना नहीं देना चाहिए।

सन् १९५१ के आरम्भ में अहमदाबाद की अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक में वनस्पति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार से प्रार्थना करने का प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से मंजूर किया गया था। परन्तु चूंकि प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा कुछ अन्य बड़े नेता इसके विराम में थे इसलिए सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी दरमियान श्री ठाकुर दाम भागत वनस्पति-निषेध पर मसद् में एक बिल पेश करता चाहते थे परन्तु प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि धी में होनेवाली मिसाइल को रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति कर दी जायगी। इस पर उन्होंने इस बिल को राह लिया। प्रधानमंत्री के आश्वासन में तीन घण्टों की (१) सरकार स्वीकार करती है कि धी में बहुत

मिलावट होती है। (२) सरकार इसे रोकने के लिए चिन्तातुर है। (३) जम हुए सेल पर किये गये प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि वह हानिकर नहीं है। इस पर टीका करते हुए किशोरलाल भाई ने ता० ६१-१९५१ के ‘हरिजन-बन्धु’ में लिखा था

‘कहना होगा कि सरकार की यह कृपा है कि उसने सीधे-सीधे स्वीकार कर लिया कि धी में मिलावट बहुत अधिक होती है और इस बात को सिद्ध करने का भार जनता पर नहीं डाला। परन्तु इस विषय में हमें पूरी संका है कि धी में होनेवाली मिलावट को रोकने के लिए सरकार चिन्तातुर है, इस बात का स्वीकार करने की कृपा जनता करेगी या नहीं। क्योंकि सरकार को सचमुच ऐसी कोई चिन्ता है, इस बात को सिद्ध करनेवाली कोई बात जनता के देखने में नहीं आयी। इस मेल का रोकने के लिए कार्य-समिति द्वारा आदेश जारी हुए अठारह महीने से भी अधिक समय बीत गया है, परन्तु उसके विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार आज जो समिति नियुक्त करने की बात कर रही है, कम-से-कम उसकी नियुक्ति भी तो कर देती। इसी प्रकार इसमीनाम दिलानेवासी तीसरी बात में जनता को वैज्ञानिकों के सहायक प्रयोगों से कुछ भी सन्तोष नहीं होगा। कहीं तो दायद बुरा लगेगा कि यदि जवाहरलाल नेहरू ने स्थान पर इस विषय में भिन्न राय रखनेवाले व्यक्ति—उदाहरणार्थ डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष—भारत के प्रधानमंत्री होने तो दायद परिणाम कुछ दूसरा ही दिखाई देता। संभव है कि प्रधानमंत्री को सामान्य जनता की अपेक्षा वनस्पति के उत्पादन में रुने हुए व्यापारियों की अधिक चिन्ता है। इससे इन व्यापारियों को यह निश्चय हो जायगा कि इस सरकार के हाथों में उनका उद्योग सुरक्षित है।”

उनके सम्पादन-काल के अंतिम दिनों में विनोबा के नूदान-यज्ञ आन्दोलन को गति देने के लिए उन्होंने बहुत लिखा। ता० २३-८ १९५२ के ‘हरिजन-बन्धु’ में उन्होंने लिखा था

“विनोबा इस प्रश्न पर जितनी उत्कण्ठता दिखा रहे हैं तथा शक्ति लगा रहे हैं उसका सीधा हिस्सा भी कोई सरकार अपना सार्वजनिक संस्था करती हो, ऐसा नहीं म्नाता। ग्रामीण जनता में जो मवीन चेतना पैदा हो गयी है

। उसका ध्यान बहुत कम लोगो को है। अभी तक उन्हें होना ही नहीं है। इनमें कितने ही मुख्य-मुख्य रचनात्मक कार्यकर्ता भी हैं। वे नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति पके हुए फोड़े की तरह है। यदि इसे समय रहते नस्तर नहीं सगाया गया, तो इसका मवाद शून्य में मिला जायगा और सारे शरीर में इसका विष फैलने में देर नहीं सगेगी। आज तो स्वयं बिनोबा ने इस स्थिति का सही-सही और स्पष्ट दर्शन कर लिया है और अपने निर्बल शरीर को बगैर परबाह किन्ध और दूसरे समान कार्य छोड़कर इसे उन्होंने 'करो या मरो' का जीवन-बाह बना लिया है। यदि प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक मुख्य कार्यकर्ता मूढान-यज्ञ के काय में इसी लगन से लग जाय, तो पाँच वर्ष के अन्दर हम जमीन के प्रश्न को हल कर सकते हैं। बिनोबा ने कही कहा भी तो है न कि सन् १७५७ और सन् १८५७ के वर्ष इस देश के लिए फासिकारी साबित हुए हैं। दोनों का रूप हिसक था। इसी कारण भारत विदेशियों का गुलाम बन गया। अब विदेशी हुकूमत खसी गयी। परन्तु जनता की मुक्ति-साधना तो अभी बाकी ही है। गांधीजी के मार्ग-दर्शन में हम विदेशी हुकूमत से मुक्त हो गये। अब जिस मार्ग से बिनोबा के मार्गदर्शन में जमींदारों का हृदय-परिवर्तन हो रहा है उसी पर बसकर सन् १९५७ तक जनता की मुक्ति के प्रश्न को भी हम हल कर लें।

अन्त में 'गांधीवाद का विसर्जन' दीर्घकाल से मिलकर उन्होंने बड़ी धीरता दिखायी थी। इसमें गांधीजी तथा गांधीवाद के समस्त अनुयायियों से उन्होंने हादिक प्रार्थना की थी कि "हम यह कहना शुरू कर दें कि अहिंसा, लोकताही या साम्यवाद अथवा अन्य किसी भी प्रश्न पर मेरे ये विचार हैं। यह न कहें कि गांधीजी कहते थे कि यह 'गांधीवाद' है। गांधीजी ने जिस प्रकार 'गांधी-नेवा संघ' का विसर्जन कर दिया उसी प्रकार हम गांधीवाद का विसर्जन कर दें।

"इसका मतलब यह नहीं कि गांधीजी का जीवन और उनके लेखों का हम बारीकी से अध्ययन न करें या उनके विचारों को लिख न लें। उनके उदात्त जीवन और विस्तार साहित्य के अध्ययन की तो महा आवश्यकता रहनी और पढ़ने-बाँटने को उससे काम ही होगा।"

किशोरलाल माई के 'हरिजन बन्धु' में छपे लेखों में से कुछ उद्धरण उपर दिये हैं। 'हरिजन-बन्धु' को वे दसराही रीति से सम्पादित थे फिर भी पत्रा की

ग्राहक-संख्या प्रतिवर्ष घटती ही जाती थी। ‘नवजीवन-ट्रस्ट’ को बहुत नुकसान होने लगा। अब फरवरी १९५२ में उन्होंने इन पत्रों को बन्द करने का अपना निर्णय प्रकट किया। परन्तु जनता की आर से माँग आयी कि ये पत्र तो जारी रहने ही चाहिए। कितने ही भाइयों ने ग्राहक बढ़ाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया और अब ग्राहक-संख्या काफी बढ़ गयी। अब ‘नवजीवन-ट्रस्ट’ ने फिर धोपणा कर दी कि पत्र जारी रहेंगे। किशोरलाल भाई ने ता० २३ २ १९५२ के अंक में लिखा

“ट्रस्ट का निर्णय बदलवाकर पत्रों को जारी रखने का निर्णय करवाकर जनता ने खुद अपनी मेरी तथा ट्रस्ट की जिम्मेवारी को बहुत बढ़ा लिया है। ये पत्र मेरी लिखने की या संपादक-पद की हविस पूरी करने के लिए पहले भी नहीं थे। ट्रस्ट ने तो यह मानकर पत्रों का चालू रखने का निश्चय किया कि बापू के पत्र चालू रहें ऐसा जनता चाहती है। मैंने भी यही समझकर यह जिम्मेवारी उठायी थी। परन्तु अनुभव से यह दाका हो गयी कि जनता की इच्छा उतनी नहीं है जितनी कि मान ली गयी थी, महीं तो ग्राहक इतने कम नहीं होने चाहिए थे।

अब जनता की माँग पर पत्रों को जारी रखा जा रहा है। इसलिए उनको जारी रखने की जनता की जिम्मेवारी बढ़ जाती है।

और इस कदम ने मेरी जिम्मेवारी को जितना बढ़ा दिया है उसका अब विचार करता हूँ। अब तो मेरा दिमाग ही धक जाता है। मेरा शरीर और इस कारण मेरा दिमाग भी यह बोझ उठाने में दिन-ब-दिन अधिकाधिक असमर्थ होता जा रहा है। फिर भी यह स्थिति मुझे धैर्य कर देती है कि ये पत्र इसलिए जारी रहें कि मैं उनका संपादक बना रहूँ।”

अब पत्रों को बंद करने की बात चल रही थी तब किशोरलाल भाई बम्बई में थे। वहाँ से वे सर्पा गये। अब से उनकी तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती ही गयी। देहान्त के एक-बेड़ महीने पहले उन्होंने मुझ एक पत्र में लिखा था कि “अब ऐसा नहीं लगता कि अधिक समय बच हो सकेगा। इसके बाद तो उनकी बीमारी और कष्ट को देखकर खुद ‘नवजीवन ट्रस्ट’ ने ही निश्चय कर लिया कि उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाय।

किशोरलाल भाई को पिछले लगभग सैतीस बय से दमे की बीमारी थी। इस बीमारी के रहते हुए भी उन्होंने जो काम किया, वह किसी मिरोग मनुष्य से कम नहीं है।

‘हरिजन’-पत्रों के सम्पादन-कार से मुक्त होने की सूचना प्रकाशन के लिए छिप्तने के दूसरे ही दिन दमे का प्राण-भाटक दौर उन पर हुआ। वे नहीं चाहते थे कि काम करते-करते ही प्राण निकलें वल्कि उन्हीं इच्छा यह थी कि काम से निवृत्त होकर शेष जीवन चिन्तन और मनन में बिताया जाय। परन्तु प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वे निवृत्त जीवन का उपभोग करें।

तारीख १९ १९५२ मंगलवार की शाम के पाँच बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उस रोज शाम के पाँच बजे तक उन्होंने काम किया। लगभग साढ़े चार बजे मुझे पत्र लिखा जिसमें ‘भूदान-यज्ञ’ और ‘इकोनॉमिक होर्डिंग’ (सामक जोट) के विषय में चर्चा की थी और अन्त में लिखा था कि ‘पिछले दो-तीन दिनों से मेरा स्वास्थ्य अधिक बराम है। इस क्षण कुछ ठीक-सा है। मैं तो अब सांभजनिक् प्रवृत्तियों से पूर्णतः निवृत्त होने जा रहा हूँ। दूसरे विषयों पर भी कोई स्पेस आदि कहीं भेजन की इच्छा नहीं है।’ फिर भी हम कह सकते हैं कि अन्तिम क्षण तक उन्होंने यापु का काम किया।

भाई हरिप्रसाद व्यास ‘हरिजन’-पत्रों में उनके साथ काम करते थे। किशोरलाल भाई के अन्तिम क्षणों का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है

‘पाँच बजने के बाद उनकी तबीयत में फेरफार पुर हो गया। तबस्तीक बड़न लगी। पु० गोमती बहन ने आदमियों का भजनकर हम मायियों को बुलवा लिया। हम दौड़ते हुए ही आय। किशोरलाल भाई बन्द कमरे में अपनी चौकी के पास कमोड पर सौच के लिए बठ थे। सौच जाते समय उनका दम फूल जाया करता था। इस समय भी दम फूल रहा था। उन्होंने कहा कि सौच नहीं हो रहा है। इसके बाद कमोड पर स उठकर अपन सिंगले की

चौकी पर जा बैठे। गोमती बहन न कमरे के दोनो दरवाजे खोल दिये। बजाजवाड़ी-अतिथिगृह के लोग बाहर सहे थे। वे अन्दर आये। उनमें बहनों भी थीं। इस समय किशोरलाल भाई की घोती कुछ ऊपर चढ़ी हुई थी। बहना को दसकर उसे खुद उन्हींने नीचे कर लिया। इसके बाद एक-दो बार पीकवानी में घुंका और चौकी पर रखे हुए तकिये पर सिर टेककर और पैर नीचे छटकाकर बैठे रहे। इतने में गोमती बहन ने आकर उनसे दवा के बारे में पूछा। वे दवा लेने के लिए अन्दर गयीं। मेरे साथी श्री नांदुरकरजी तकिये के पास खड़े थे। किशोरलाल भाई न सिर धरा ऊँचा किया और मेरी आर लुढ़क गये। उन्हें मीने अपने हाथ का सहारा दिया। परन्तु उनके पैर तो अभी तक चौकी के नीचे ही छटक रहे थे इसलिए फिर बैठ गये। पर ठीक किये और फिर धीरे से मेरी ओर लुढ़के। मीन फिर उन्हें हाथ का सहारा दिया। परन्तु उनके पैर अभी तक नीचे ही छटक रहे थे ठीक नहीं हुए थे। इसलिए फिर उठ बैठे पैर ठीक किये और फिर मेरी तरफ लुढ़के। मीने फिर हाथ का सहारा देकर धीरे-धीरे अपनी गोम में उनका सिर ले लिया। मेरा हाथ उनकी बाजू में आ गया। वहाँ गति मालूम हो रही थी। परन्तु अब उनकी बायीं आँसु फिरी। यह मीने देखा और नांदुरकरजी ने गोमती बहन को पुकारा। उन्होंने आकर 'देव' देव' कहा और 'स्वामीनारायण स्वामीनारायण' का उच्चारण करने लगीं। इस समय किशोरलाल भाई के हाँठ भी हिलने दीख पड़े। परन्तु धार बाहर नहीं आ रहे थे। अन्त में उन्होंने 'राम' शब्द का उच्चारण किया। गोमती बहन ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मन्त्र देसी। परन्तु वह तो बंद थी। तकिये पर से नीचे सिर लेने में और 'राम' बोलने के बीच में मुस्किरस दो मिनट भीते होंगे। मंगलवार ता० ९ * १९५२ की शाम के पौने छह बजे उन्होंने वेहत्याग किया। हिन्दू विधि के अनुसार दूसरे दिन उनकी बरसगाँठ थी। पूरे बासठ वर्ष की उम्र में उनका निर्वाण हुआ।

किशोरलाल भाई की भाभी (मु० नानाभाई की पत्नी) सन् १९५२ के जुलाई मास में दान्त हुई, तब किशोरलाल भाई अकाला गये थे। उन्हें मृत्यु के समय अतिशय बेदना और कष्ट हुए थे और ठठ अन्तिम क्षण तक बराबर जाग्रति रही थी। यह देखकर मृत्यु के समय की स्थिति के बारे में

किशोरमाल भाई को अनेक विचार उत्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री वामोदरदास मूढका के मार्फत विनोबा से अनेक प्रश्न पूछे थे। यह प्रश्न अथवा चिन्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण नीचे दिया जा रहा है।

परन्तु ऑक्सिजन का भी फेफड़ों के अन्दर जाना कठिन हो गया। अन्त में फेफड़ों की क्रिया एकदम बन्द हो गयी तब हृदय की गति भी बन्द हो गयी। इसके बाद अपनी वेदना को प्रकट करने में वे असमर्थ हो गयीं तब हमन मान लिया कि अब मृत्यु हो गयी। मेरे मन में यह विचार उठा कि वेदना प्रकट करने की शक्ति नहीं रही। परन्तु इससे भीतर से वेदना अनुभव करने की शक्ति भी चली गयी यह मानने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? किन्तीकी मुस्कं बाँधकर और मुँह में कपड़ा दूँसकर यदि उसे मारा जाय और सताया जाय तो वह भी अपनी वेदना प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु इसका मतलब यह बोधे ही है कि उसे कोई वेदना नहीं होती या उस इसकी जानकारी नहीं है। इससे भी अधिक जोर से मुस्कं बँधी हों और नाक भी बन्द कर दी गयी हो तो मुँह पर की रेखाओं से भी वह अपनी वेदना प्रकट नहीं कर सकता। हृदय बन्द हो जाने के बाद शरीर द्वारा वेदना प्रकट करना बन्द हो गया। फिर इस शरीर को जो चाहे करते रहें, उसका विरोध अशक्य हो गया। उसके बाद उसे बाँधकर भाग लगा दी। वह भी उसने सह लिया। परन्तु चित्त जिस वेदना के साथ तन्मय हो गया था उसकी तन्मयता और जानकारी भी चली गयी इसका हमारे पास क्या सबूत है?

“विजया भाभी की अंतकाल के समय जो वेदनामय स्थिति हो गयी थी वह उनके लिए तो पहली और अन्तिम बार की ही थी। परन्तु मुझे ता इस स्थिति का तीव्र मध्य और मंद अनुभव हमेशा हाता रहता है। जिम बीमारी के अनुभव से आप सब चिन्तातुर हो गये थे उसमें इस अनुभव के छिबा और क्या था? विनोबाजी ने कहीं लिखा है कि हवा लेने के लिए भी वही कोई मेहनत करनी पड़ती है? नाक खुली रहे, तो हवा तो आती और पानी ही रहेगी। यह पढ़कर मैंने मन ही मन कहा कि विनोबा क्या जानें कि केवल इस हवा को अन्दर लेने और बाहर निकालने के लिए चिन्तनी हाँस पाँवर (अदब-शक्ति) की आवश्यक होती है? मेरे लिए तो इतना जरूर रहने में ही

शरीर-श्रम के दस का पालन हो जाता है और अन्त में वेचारा हॉर्स (हृष्य) थककर गिर पड़ता है ।

‘इसमें से एक और तात्त्विक प्रश्न मन में उठता है । विनोबा ने अपने ‘गीता प्रवचन में अतकारु की आप्रति पर बहुत जोर दिया है । अतकारु तक मनुष्य को आसपास कौम लडा है इसका भान है मुह से आवाज नहीं निकल पाती किन्तु इशारे से अथवा धीमी आवाज से वह पानी माँगता है । मुकेलिप्टस की गध से उसे कुछ आराम मानूम होता है इसलिए हाथ को नजदीक साने या दूर हटाने का इशारा करता है । जब बहुत भीड़ हो जाती है तब सबको चले जाने के लिए इशारा करता है । इसे पूण आप्रति नहीं सो और क्या कहा जाय ? परन्तु वेदना के साथ चित्त इतना तन्मय हो जाता है कि उससे वह अलग नहीं हो पाता ।

‘मुझे भी अब बहुत तकलीफ होती है, तब मन को कितना भी रोकने की इच्छा करे फिर भी वेदना की वीप्रता के कारण कराह निकल ही जाती है और मैं चिस्ला भी उठता हूँ । उस समय मैं दूसरों को धक्काने से खुब रोक नहीं सकता । उस समय भी यह स्मृति तो रहती ही है कि मैं तो वेदना का केवल साक्षीमात्र हूँ । मैं तो आ हूँ सो ही हूँ । फिर भी मैं यह अनुभव नहीं कर सकता कि वेदना के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । चिस्माते हुए मुझे धर्म भी आती है । परन्तु जब वेदना बहुत तीव्र होती है तब मैं अपने-आपको रोक नहीं सकता । आसपास के लोगो को जो चिन्ता होती है सो न्यूनधिक परिमाण में—इसीके कारण बीच-बीच में वेदना होते हुए भी मैं दूसरी बातों की ओर ध्यान दे सकता हूँ और कभी-कभी विनोद भी कर लिया करता हूँ । परन्तु इसका कारण तो मैं यह मानता हूँ कि उस समय वेदना इतनी कष्टमय नहीं होती जितनी कि मैं अथवा दूसरे समझ लेते हैं । बापू बहुत बार बहते कि जब वेदना सधमुच असह्य हो जाती है, तब मनुष्य को मूर्च्छा आ जाती है । यह ईश्वर की कृपा है । भामी की अंतकाल की स्थिति से ऐसा मासूम होना है कि यदि ऐसा न हो तो भी वेदना के साथ एकरूपता—अद्वैत—हो सकता है । तब क्या मूर्च्छा वेदना के साथ एकरूपता होने के कारण ही तो नहीं होती ? और क्या आप्रति भी इमी कारण से नहीं होती ? दोनों स्थितियाँ वांछनीय

किशोरलाल भाई को अनेक विचार उत्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री वामोवरदास मुंदडा से मार्फ्त विमोवा से अनेक प्रश्न पूछे थे। यह प्रश्न अथवा चिन्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण नीचे दिया जा रहा है।

“परन्तु ऑक्सिजन का भी फेफड़ों के अन्दर जाना कठिन हो गया। अन्त में फेफड़ों की क्रिया एकत्रय बन्द हो गयी। तब हृदय की गति भी बंद हो गयी। इसके बाद अपनी बेदना को प्रकट करने में वे असमर्थ हो गयीं। तब हमने मान लिया कि अब मृत्यु हो गयी। मेरे मन में यह विचार चठा कि बेदना प्रकट करने की शक्ति नहीं रही। परन्तु इससे भीतर से बेदना अनुभव करने की शक्ति भी चली गयी। यह मानने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? किमीकी मुस्कें बाँधकर और मुँह में कपड़ा डूसकर यदि उसे मारा जाय और सताया जाय तो वह भी अपनी बेदना प्रकट नहीं कर सकता। परन्तु इसका मतलब यह घोड़े ही है कि उसे कोई बेदना नहीं होती या उसे इसकी जानकारी नहीं है। इससे भी अधिक जोर से मुस्कें बँधी जा और नाक भी बन्द कर दी गयी हो तो मुँह पर की रेखाओं से भी वह अपनी बेदना प्रकट नहीं कर सकता। हृदय बंद हो जाने के बाद शरीर द्वारा बेदना प्रकट करना बन्द हो गया। फिर इस शरीर को जो चाहे करते रहें उसका विरोध असंभव हो गया। उसके बाद उसे बाँधकर आग लगा दी। वह भी उसमें सह सिम्मा। परन्तु जिस जिस बेदना के साथ सम्मय हो गया या उसकी तन्मयता और जानकारी भी चली गयी इसका हमारे पास क्या सबूत है?

“विजया मासी की अठकाल के समय जो बेदनामय स्थिति हो गयी थी वह उनके लिए तो पहली और अन्तिम बार की ही थी। परन्तु मुझे तो इस स्थिति का तीव्र भय और संभव अनुभव हमेशा होता रहता है। जिस बीमारी के अनुभव से आप सब चिन्तातुर हो गये थे उसमें इस अनुभव के सिवा और क्या था? विनाबाजी ने कही सिम्मा है कि हवा सेने के लिए भी कहीं कोई मेहनत करनी पड़ती है? नाक खुली रहे, तो हवा तो आती और जाती ही रहेगी। यह पढ़कर मैंने मन ही मन कहा कि विमोवा क्या जानें कि केवल इस हवा को अन्दर सेने और बाहर निकालने के लिए कितनी हाँसें पौंवर (आत्म-शक्ति) की जरूरत होती है? मेरे लिए तो इतना करते रहने में ही

शरीर-श्रम के व्रत का पालन हो जाता है और अन्त में बेचारा हाँस (हृदय) थककर गिर पड़ता है ।

‘इसमें से एक और तात्त्विक प्रश्न मन में उठता है । विनोबा ने अपने गीता प्रवचन में अंतकाल की जाग्रति पर बहुत जोर दिया है । अतकाल तक मनुष्य को आसपास कौन बड़ा है, इसका भान है मुह से आवाज नहीं निकल पाती किन्तु इसारे से अथवा धीमी आवाज से वह पानी माँगता है । युकेस्पिट्स की गंध से उसे कुछ आराम मालूम होता है इसलिए हाथ को नजदीक लाने या दूर हटाने का इशारा करता है । जब बहुत भीड़ हो जाती है तब सबको थले लाने के लिए इशारा करता है । इसे पूर्ण जाग्रति नहीं तो और क्या कहा जाय ? परन्तु वेदना के साथ चित्त इतना तमय हो जाता है कि उससे वह असंग नहीं हो पाता ।

‘मुझे भी जब बहुत तकलीफ होती है तब मन को कितना भी रोकने की इच्छा करे फिर भी वेदना की तीव्रता के कारण कराह निकल ही जाती है और मैं चिल्ला भी उठता हूँ । उस समय मैं दूसरों को घबड़ाने से खुद रोक नहीं सकता । उस समय भी यह स्मृति तो रहती ही है कि मैं तो वेदना का केवल साक्षीमात्र हूँ । मैं तो जो हूँ सो ही हूँ । फिर भी मैं यह अनुभव नहीं कर सकता कि वेदना के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । चिल्लाते हुए मुझे दाम भी आती है । परन्तु जब वेदना बहुत तीव्र होती है तब मैं अपन-आपको रोक नहीं सकता । आसपास के लोगों को जो चिन्ता होती है सो न्यूनाधिक परिमाण में—इसीके कारण बीच-बीच में वेदना होते हुए भी मैं दूसरी बातों की ओर ध्यान दे सकता हूँ और कभी-कभी विनोद भी कर लिया करता हूँ । परन्तु इसका कारण तो मैं यह मानता हूँ कि उस समय वेदना इतनी कष्टमय नहीं होती जितनी कि मैं अथवा दूसरे समझ लेते हैं । बापू बहुत बार कहते कि जब वेदना सधभुज असह्य हो जाती है तब मनुष्य को मूर्च्छा आ जाती है । यह ईश्वर की कृपा है । भाभी की अतकाल की स्थिति से ऐसा मालूम होता है कि यदि ऐसा न हो तो भी वेदना के साथ एककपटा—अद्वैत—हो सकता है । तब क्या मूर्च्छा वेदना के साथ एककपटा होने के कारण ही तो नहीं आती ? और क्या जाग्रति भी इसी कारण से नहीं होती ? दोनों स्थितियाँ वांछनीय

नहीं मालूम होती। आपत्ति होने पर भी वेदना को शान्ति के साथ सह लेने की शक्ति होनी चाहिए।

हाँ, ऐसे भी आदमी होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं और हैंनते-हँसत मृत्यु का स्वागत कर सकते हैं। वे कठोर वेदना सह सकते हैं। परन्तु इतने से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने 'बाह्यी स्थिति' को प्राप्त कर लिया। शायद किसी दूसरे ही ध्येय के साथ उनकी एकनपता होती है। इन सब स्थितियों की तुलना किस प्रकार की जाय ?

'मेरे अपने मन में उत्तम स्थिति को साधने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। यह तो मान ही लेना चाहिए कि अब मेरे शरीर को अधिक समय तक नहीं टिकना है। यहाँ से प्राप्त-स्मरणवाले स्मरणों में से तीसरा श्लोक—'प्राशनमामि समसो' वाला—मैं नहीं बोझता था। मुञ्जराती अनुवाद में भी मैंने उसे छाड़ दिया है। क्योंकि 'रज्ज्यां भुजंगम् इव प्रतिभासितं वै' यह उपमा मुझे जँचती नहीं। परन्तु आजकल इसीकी तरफ मेरा ध्यान सबसे अधिक जाता है।

अन्तकाल की स्थिति के बारे में स्वामी सहजानंद ने दो स्थानों पर अपने विचार प्रकट किये हैं

'अन्ते या मति सा गति'—इस उपनिषद्-वाक्य के बारे में उनसे पूछा गया था कि 'यदि अन्त समय भगवान् में मति रखने से सपूगति मिल सकती है तो फिर सारी जिन्दगीभर भक्ति करने में क्या बिपरीता है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा था 'बिसे साक्षात् भगवान् की प्राप्ति हो गयी है उसे अंतकाल में स्मृति रहे या न रहे, तो भी उसका अकन्याण नहीं होना। स्वयं भगवान् उसकी रक्षा कर लेते हैं। और जो भगवान् से किमुअ है वे यदि पसन्दे-बोझत देह छोड़ दें, तो भी उनका कन्याण नहीं हो सकता। वे यमपुरी में ही जायगे। यदि कोई कसाई जैसा पापी बोझता-बाळता मर जाय और दूसरा कोई भगवान् का अकत अंतकाल में बिस्मृति के दस होकर मर जाय तो क्या इससे अकत का अकन्याण और अमकत का कन्याण होना ? हरगिज नहीं। इन पर स में इह स्मृति का यह अर्थ करता है कि अभी अर्धात् जीवन-काल में उसकी जीती मति होगी, वही ही उसकी मति अन्तकाल में होगी। (अन्ते मति सा गति,

अर्थात् भयुक्ता या मति अन्ते सा गतिः) इसलिए जो भक्त है, भगवान् का पूरा दास है जिसे सर्वो की प्राप्ति हो गयी है वह किसी भी अवस्था में मरे उसका कल्याण ही होगा। दूसरी ओर जिसके मन में यह भाव रहा कि मुझे भगवान् नहीं मिलेंगे सब नहीं मिले, मैं अज्ञानी हूँ मेरा कल्याण नहीं होगा, उसका कल्याण सचमुच कभी नहीं होगा। जो भगवान् का दास है जिसे कुछ प्राप्तम्प नहीं रहा जिसके दर्शन से दूसरो का भी कल्याण होता है उसके कल्याण के विषय में शका हो ही क्यों? यह सही है कि भगवान् का दासत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। उसके दास का लक्षण यह है कि वह अपनी देह को मिथ्या मानता है अपनी आत्मा को ही सत्य मानता है और अपने स्वामी (भगवान्) के उपभोग की चीजों की अपने भोग के लिए कभी कामना नहीं करता। इसी प्रकार भगवान् को जो आचरण पसन्द नहीं वह कभी नहीं करता। यही हरि का दास है। परन्तु अपने को हरि का दास कहते हुए भी जो देहाभिनिवेश से युक्त है वह केवल प्राकृत भक्त है।

‘उनसे दूसरा प्रश्न यह किया गया था कि कभी-कभी भगवान् के दुःख भक्त को अन्तकाल में बड़ी पीडा होती देखी गयी है उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं रहती। दूसरी ओर एक आदमी ऐसा होता है जो परिपक्व भक्त नहीं होता, फिर भी मरते समय उसमें पर्याप्त शक्ति होती है। वह भगवान् की महिमा गाता हुआ सुख से शरीर छोड़ता है। इसका कारण क्या है? जो उच्च होता है उसकी मृत्यु शोभादायक नहीं होती और जो बच्चा होता है, उसकी मृत्यु शोभादायक हो जाती है। ऐसा क्यों?’

इसका उत्तर देते हुए सहजानन्द स्वामी ने कहा

‘मनुष्य की मृत्यु देश काल क्रिया संग ध्यान मन्त्र दीक्षा और शास्त्र— इन आठ वस्तुओं के अनुसार होती है। ये सब अनुकूल हों तो मति अच्छी होती है। प्रतिकूल हों तो मति खराब हो जाती है। फिर मनुष्य के हृदय में परमेश्वर की माया से प्रेरित चारों युगों के धर्मों का चक्र चलता रहता है। इस कारण किसी मनुष्य के अन्तकाल के समय यदि सत्ययुग की घड़ी आ जाती है तो उसकी मृत्यु बड़ी शोभादायक हो जाती है। भेता तथा द्वापर में इससे कम शोभा होती है। और कलि का आवत होने पर मृत्यु बहुत खराब देखी जाती

है। इस प्रकार अन्त समय में जैसे काल का बल होता है, वह भली या बुरी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके अलावा एक कारण और है। वह है जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का स्वप्न। पापी भी अन्त समय यदि जाग्रत अवस्था में हो, तो उसकी मृत्यु योज्यते-वास्त्ये होती है। स्वप्नावस्था में हो, तो वह बहबहाने हुए मरता है और सुषुप्तावस्था में हो तो मूर्च्छित अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। परन्तु जो इन तीनों अवस्थाओं से परे आत्मस्थिति को पहुँचा होता है, वह विरल भक्त ईश्वर के समान सामर्थ्य प्रकट करता हुआ स्वसन्न रीति से अपनी देह का त्याग करता है। उसकी तो बात ही निरासी होती है। ऐसी सिद्धि केवल भक्त को ही प्राप्त होती है। विमुक्त को नहीं हो सकती भले ही वह पूण जाग्रति में मरे। तात्पर्य यह कि जाग्रति में मरने से शुभ नति मिलती है और स्वप्न अथवा सुषुप्ति की अवस्था में मरनेवाले को अशुभ नति ही मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों स्थितियों में अभक्त का तो अशुभ ही है और भक्त को अन्तकाल में चाहे जितना शरीर-कष्ट हो और ऊपर से वेदने पर वह भले ही शरीर कष्ट पा रहा हो तो भी प्रभु के प्रताप से उसका भीतर आनन्द का स्रोत बहता ही रहता है।

“ये धारे उद्गार मुमुक्षु का अक्षय ही साहस दिग्गजवाले हैं। परन्तु क्या उन्होंने यह कबल साहस देव के लिए ही कहा होगा? मुझे तो लगता है कि इसमें ‘न हि कस्मान्नित्यं कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति’ का अर्थ विवरण है। जिसने भक्ति की है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। फिर वह किसी भी अवस्था में क्यों न मरे। यदि वह अपूर्ण है तो इस कारण उसे योगभ्रष्ट तो मानना ही पड़ेगा। जो धरम सीमा को पहुँच गया है—नभ्र है—वह सामर्थ्य के साथ मरे। गीता के आठवें अध्याय के पाँचवें और छठे श्लोक कुछ दूसरे प्रकार के प्रतीत होते हैं। उनका समाधान विनोबा किस प्रकार करते हैं? ऊपर का कथन उन्हें सही मान्य होता है?

● अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरम् ।

यं प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र सद्यः ॥८-५॥

अन्तकाल में मेरा ही स्मरण करत हुए जो देह छोड़ता है, वह भरे ही स्वरूप का प्राप्त करता है इसमें कुछ भी मगय नहीं।

“गीता के आठवें अध्याय के दसवें श्लोक* का भी अर्थ इसीके साथ करना चाहिए। उसमें योगबल की ओर विशेष रूप से संकेत किया गया है।

इस दसवें श्लोक में जो विधि बतायी गयी है उसके अनुसार तो योग का अभ्यास किये बिना केवल व्यथित भक्तिमान् पुरुष ही वेह का विसर्जन कर सकता है न? उदान वायु किस प्रकार ऊपर जाने का यत्न करते-करते ठेठ हृदय तक पहुँच जाती है इसका अनुभव अपनी बीमारियों में मुझे कभी-कभी होता है। और अतकाल में वह किस प्रकार काम करता है इसका भी अनुमान मैं कुछ-कुछ कर सकता हूँ। परन्तु मुझे यह आत्म-विश्वास नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार मैं उदान वायु को ऊपर चढ़ा सकता हूँ या घड़ने से रोक सकता हूँ। वक्त समय में यदि मुझे भान रहे तो शायद मैं अब्द ही अन्वर इसकी गति का अनुभव कर सकूँ। परन्तु भान रहता न रहता तो इस पर निर्भर है कि कफ आदि का जोष कितना होता है। जिसका समस्त जीवन निराग रहा है उसे शायद अपने शरीर की क्रियाओं पर ऐसा स्वामित्व प्राप्त हो सके। परन्तु मुझे लगता है कि प्राण जा रहा है कैसे जा रहा है कब जाता है क्या यह चिन्ता ही ब्रह्म से चित्तभाव को प्रकट नहीं करती? यदि मैं प्राण नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ केवल शुद्ध ब्रह्म ही हूँ तो शरीर में प्रवेश करना या शरीर में से निकल जाना और किस समय जाना तथा किस प्रकार जाना, इसकी चिन्ता क्या हो? यह विचार भी

य य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कष्टेवरम् ।

त तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावाभावित ॥ (८-६)

अथवा हे कौन्तेय, मनुष्य जिस-जिस स्वरूप का ध्यान धरता है अतकाल में उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए वह देह भी छोड़ता है और उस-उस स्वरूप में भावित अर्थात् पुष्ट होने के कारण उस स्वरूप को ही वह प्राप्त करता है।

*प्रयाणकाले मनसा चक्षेन भक्त्या मुक्तो योगक्षेत्रेण चैव ।

ध्रुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्मक सन्त पर पुरयमुपैति दिव्यम् ॥ (८-१०)

जो मनुष्य मृत्यु के समय अबल मन से भक्तियुक्त होकर और योगबल से प्राण को ध्रुवुटि के बीच अच्छी तरह स्थापित करके मेरा स्मरण करता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है।

माता है। मानेस्वर आदि का यही निर्णय है। ऐसा कुछ सत्कार मेरे मन पर है। इस विषय में विनोबा के विचार क्या हैं ?

विनोबा ने इसका उत्तर मा दिया

ता० १३-७-५२

बनारस

'श्री किशोरलाल भाई

मृत्यु निमित्त चिन्तन पर पत्र पढ़ा। अतः मैं आपने निष्कर्ष निकाला है। आश्रित रहते हुए बेवना को क्षाति से सहन करने की शक्ति चाहिए। लेकिन इतना होने पर भी वह ब्राह्मी बसा नहीं यह भी आपने समझ माना है। यह समझ तो है ही। मुझे लगता है ब्राह्मी बसा को सहन क्षमता से भिन्न पहचानना ही पड़ेगा। दोनों का भेद समाधि और प्रज्ञा के जैसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो प्रज्ञा भी ब्राह्मी बसा से भिन्न लगती है।

'रज्ज्वा भुजङ्गमिव' यह उपमा इतनी परिचित हो गयी है कि अतिपरिचय के कारण यह कोई असर नहीं कर रही है। लेकिन उस परिचय से भयर हम मुक्त हो सके, तो वह इतनी गहराई में ले जाती है कि उतनी गहराई में और कोई विचार-सरणी नहीं पहुँचाती ऐसा मुझे लगता है।

गीता में 'धीर' शब्द षोडशे अर्ध में आया है। (अ २ श्लोक १३ १५) एक 'वृत्ति' पर से (श्लोक १५) और दूसरा 'धी' पर से (श्लोक १३) दोनों के योग के बिना अपने राम का काम नहीं बनगा ऐसा विनोबा ने समझ लिया है।

विनोबा का प्रश्न

किशोरलाल भाई का अतकाल इस प्रकार एकाएक आया और प्राण इतनी सरसता से चले गये लगभग अतः तब उन्हें जागति रही और अतः मैं 'राम' शब्द का उच्चारण भी कर सका यह सब बताया है कि यागाम्यास न करने पर भी उन्हें योगी की मृत्यु प्राप्त हुई।

♦♦♦

किशोरलाल माई जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी से कुछ-न-कुछ लेखन-काय करते रहते थे। कॉलेज की चर्चा-सभा में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर एक निबन्ध पढ़ा था। कॉलेज-जीवन में और उसके बाद भी वे 'सुन्दरी-सुवोध' में 'रतन डोसीनी बाता' (रतन बुढ़िया की बातें) इस शीर्षक से छोटे-छोटे लेख लिखते थे। इसमें व पुरानी बुढ़ियों की मर्मावा प्रियता का रोन-पीटने के दौक का तथा हिन्दू-समाज के रीति-रिवाज का ठण्डा मजाक किया करते। कभी-कभी फविषाएँ भी बनाते। परन्तु उन्हें प्रायः ही कभी छपाते।

आश्रम में आने के बाद विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के हस्तलिखित मासिक-पत्रों में वे लेख लिखते। इनमें धार्मिक शिक्षा, धुइ सुखन, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का स्थान राष्ट्रीय शिक्षा के विविध अंग, इस तरह अनेक विषयों पर उन्होंने लिखा। श्री इंसाल माजिक 'नवजीवन और सत्य' नाम का एक मासिक निकालते थे। साथ में साप्ताहिक 'नवजीवन के रूप में प्रकाशित करने के लिए यह गांधीजी को दे दिया गया। इसमें भी वे लिखत रहते थे। सन् १९२० में गुजराती साहित्य-परिषद् का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इसमें उन्होंने 'स्वामीमारायण-संप्रदाय' पर एक निबन्ध पढ़ा था जो साहित्य-परिषद् के विवरण में छपा है।

इस प्रकार लेखन की रुचि तो उनमें विद्यार्थी-काल से ही थी। परन्तु उनकी गंभीर लेखन प्रवृत्ति तो सन् १९२१ के बाद से धीरे धीरे जब उन्होंने साधना के लिए एकांत का सेवन किया था और उसमें व उन्हें एक निश्चित जीवन-दृष्टि मिली थी।

उन्हान जो चिन्तन किया उसमें से अवधारणों के विषय में उनकी दृष्टि क्या है यह उन्होंने—'राम और कृष्ण' 'बुइ और महावीर', 'सहजानंद स्वामी तथा 'ईमा'—इन पुस्तकों के द्वारा समाज व सामने उपस्थित की है। इन पुस्तका में उन्होंने यह बताने का यत्न किया है

‘यदि हम अपने आशया को उदार बना लें, अपनी आकांक्षाओं को उँची कर लें और प्रभु की शक्ति का ज्ञानपूर्वक सहारा लेने लें, तो हम और अवतार माने जानेवाले पुरुष तत्त्वतः भिन्न-भिन्न नहीं हैं। परम तत्व हममें स हर मनुष्य के हृदय में बिराज रहा है। उसकी सत्ता के द्वारा या तो हम दुःख-वासनाओं की पूति कर सकते हैं अथवा महान् और चरित्रवान् बनकर उत्तार को पार कर सकते हैं और इसमें (सत्तार पार करने में) दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं।’

‘महापुरुषों ने अपनी रग रग में अनुभव होमवाले परमात्मा के बल से स्वयं पवित्र होने पराक्रमी बनने और दूसरों के दुःखों का निवारण करने की आकांक्षा रखी। इस बल के सहारे सुख-दुःख स पटे, करुणहृदय वीरगम्यवान् ज्ञानवान् और प्राणिमात्र का मित्र बनने की इच्छा की। स्वार्थ के त्याग से इन्द्रियों की विजय द्वारा मम के क्षय की सहायता से चित्त की पवित्रता से प्राणिमात्र के प्रति प्रेम के द्वारा दूसरों के दुःखों का नाश करने के लिए अपनी सारी शक्ति अर्पण करने की सत्परता द्वारा निष्काम भाव से अनासक्ति से और निरहंकारिता के द्वारा गुरुजनों की सेवा करके उनके कृपापात्र बनकर मनुष्यमात्र के लिए वे पूजनीय बन गये।’

‘यदि हम निष्काम कर लें तो हम भी इस प्रकार पवित्र और कर्तव्यपरायण बन सकते हैं हम भी अपने भीतर ऐसी करुणा का विकास कर सकते हैं हम भी ऐसे निष्काम अनासक्त और निरहंकारी बन सकते हैं। इनकी उपासना का उद्देश्य यही है कि ऐसे मनन के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें। जितने भंग में हम उनके जैसे बनेंगे उतने ही भंशों में यह कहा जायगा कि हम उनके निकट पहुँचे। यदि उनके जैसा बनने का प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सारा नाम-स्मरण ब्रूया बन जाता है। ऐसे नाम-स्मरण से उनके निकट पहुँचने की आशा करना भी व्यर्थ है।’

इस जीवन-चरित्र-भाषा का नाम ‘नवजीवन-प्रयासन-मंदिर’ ने अवतार सीमा केन्द्र-मासा रखा था। किशोरलाल भाई को ऐसे नाम के विषय में सफा ता थी ही। इसलिये दूसरे संस्करण में यह नाम उन्होंने हटा दिया। इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने लिखा था

१—अवतार शब्द के विषय में हिन्दू मात्र के मन में जो विषय कल्पना है वह मुझ मान्य नहीं है। इस कल्पना के साथ पापित भ्रामक मायता का हटा देने पर भी रामकृष्णादि महापुरुषों के प्रति पूज्यभाव बनाये रक्षना इन पुस्तकों का उद्देश्य है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर, ईसा आदि को भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लोग देव, भक्ति-मानव बनाकर पूजते रहे हैं। उन्हें आदर्श मानकर उनके जैसे बनने की अभिलाषा करके प्रयत्नवान् बनकर अपना अन्मुदय करने की नहीं बल्कि उनका नामोन्धारण करके उनमें उद्धारक शक्ति का आरोप करके उसमें विश्वास करके अपने अन्मुदय की अभिलाषा रक्षना आज तक की हमारी रीति रही है। यह तो न्यूनाधिक परिमाण में अन्ध-श्रद्धा—अर्थात् वहाँ बुद्धि काम नहीं देती, केवल वहाँ तक श्रद्धा—की रीति है। विचार के सामने यह टिक नहीं सकती।

‘राम ने शिला को अहिल्या बना दिया अथवा पानी पर पत्थर तैराये इन बातों को हटा दें कृष्ण केवल मानुषी शक्ति से ही जिय-ऐसा कहें ईसा ने एक भी जमात्कार नहीं बताया एसा मान लें फिर भी राम कृष्ण बुद्ध, महावीर, ईसा आदि पुरुष मनुष्य-जाति के लिए क्यों पूजनीय हैं इस दृष्टि से ये चरित्र लिखन का मैंने प्रयत्न किया है। समय है कुछ लोगों को यह अच्छा न लग। परन्तु मुझ तो निश्चय है कि इनकी ओर देखने की यही सही दृष्टि है। इसलिए इस पद्धति का न छोड़ने का मैंने निश्चय किया है।

सहजानंद स्वामी के चरित्र की निरूपण-पद्धति में उन्हाने किंचित् भेद कर दिया है। इसका कारण यह है कि पहलेवाले महापुरुषों के जीवन चरित्र प्रसिद्ध हैं जब कि सहजानंद स्वामी का चरित्र स्वयं सत्संगिया में भी कम प्रसिद्ध होता जा रहा है। सत्संगियों के बाहर तो और भी कम लोग उसे जानते हैं। फिर उसमें कुछ सांप्रदायिक अमास्या भी मिल गयी है। इसलिए उसका चरित्र उन्होंने अधिक विस्तार के साथ लिखा है। ये तफ्तीशें उन्होने मन् १९२० की साहित्य-परिषद् में रखी थी। अधिकांश रूप में उम्हेंको उन्होंने हममें बनाये रखा है। यद्यपि मन् १९२० में सहजानंद स्वामी के प्रति उनकी भावित में जो दृष्टिबिन्दु था उसमें मन् १९२३ में बहुत अंतर हो गया था।

यह शरिष इतन अधिक विस्तार के साथ क्या सिला, इसके कारण बतलते हुए किशोरलाल भाई लिखते हैं

“सहजानंद स्वामी गुजराती जनता के एक बड़ भाग के दृष्टदेव हैं। इस कारण उनके जीवन से सबको परिचित हो जाना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने गुजरात को गढ़ने और सस्कारवान् बनाने में भी जो महत्वपूर्ण बात सिया उस दृष्टि से भी उनका जीवन सबको शायद होना चाहिए। लगभग ३० वर्ष तक उन्होंने गुजरात काठियावाड़ और कच्छ में सतत परिचय करके लोगों को शुद्ध मार्ग पर आरूढ़ किया। गुजरात की ऊँची-नीची हिन्दू-अहिन्दू सभी जातियों में अपना सन्देश पहुँचाने में उन्होंने जिस योजक बुद्धि का परिचय दिया वो सतरे उठाये और बितने साधक तैयार किये य सब मुझदेव का स्मरण दिखाते हैं। दोनों का तरीका अपनी साम्यता द्वारा सुभार करने का था।

‘अपने समय के प्रसिद्ध पुण्यों में सहजानंद स्वामी सबसे महान् थे। उस समय के मुमुक्षुओं में पुरुषोत्तम के रूप में उपासना करने लायक थे। पूर्वजन्म में जन्म पाकर उन्होंने गुजरात को अपना घर बनाया यह गुजरात का सौभाग्य था।

‘मोहावरण को दूर करके मेरी अधुद्ध कल्पनाओं को मेरे मुझदेव ने शुद्ध किया। उन्होंने मुझे एक भव अनुयायी नहीं रहने दिया। परन्तु मोह दूर होने पर यदि सहजानंद स्वामी के प्रति मेरी भक्ति कम हो जाय तो मैं कुटम्ब हूँगा और गुरु-रूपा का अनधिकारी सिद्ध हूँगा। सप्रदाय के भीतर कुछ अधुद्धिमाँ मेरे देखने में आयीं सप्रदाय के कितने ही बादों में और तत्त्व-निष्पन्न की पद्धति से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और इस शरिष में जहाँ इनका जिक्र किये बगैर काम नहीं चल सकता था वहाँ मैंने इनका उल्लेख भी किया है।

‘परन्तु इस तरह तो मेरे कुटुम्ब में मैंने शिक्षण पाया है उन शालामों में जहाँ मैं काम करता हूँ उन संस्थाओं में और जिस दश में मेरा जन्म हुआ है उसमें भी अधुद्धियाँ हैं और ऐसी बातें हैं जिससे भावनी सहमत नहीं हो सकता। परन्तु इतने से कुटुम्ब के प्रति स्नेह, शालाओं के प्रति श्रम, संस्थाओं के प्रति कृतज्ञ निष्ठा और जन्मभूमि के प्रति मेरा श्रम कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपर्युक्त मतभेदों के कारण मेरी भक्ति कम नहीं हो सकती। मेरे भीतर जो

कुछ भी धक्काई है उसका बीज उन्होंने कितने अधिक अंश में बोया है, इसना माप नहीं किया जा सकता।'

इनमें से 'राम और कृष्ण' तथा 'बुद्ध और महावीर' इन दो पुस्तकों के चार चार संस्करण निकल चुके हैं। ईसा' और 'सहजानंद स्वामी' के दो-दो संस्करण छपे हैं।

सन् १९२५ में उन्होंने 'केळवणीना पाया' नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में किशोरलाल भार्गव ने शिक्षा के विषय में अपने मौलिक तथा अन्तिमकारी विचार पेश किये हैं। इसमें 'जीवन में आनंद का स्थान' और 'इतिहास विषयक दृष्टि' ये दो निबन्ध प्रचलित दृष्टि से सर्वथा भिन्न दृष्टि उपस्थित करते हैं। किशोरलाल भार्गव ने इतिहास की पढाई के विषय में जड़मूल से अन्तिम में तथा अन्यत्र जो विचार उपस्थित किये हैं उनकी ओर बहुत से शिक्षाशास्त्रियों तथा शिक्षकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। परन्तु 'केळवणीना पाया' में उन्होंने इन्हीं विषयों पर अधिक विस्तार से लिखा है। उस ओर लोगों का ध्यान इतना नहीं गया है। यह संपूर्ण पुस्तक शिक्षाविषयक अन्तिमकारी विचार-सरणी से भरी हुई है। फिर भी इसकी ओर समाज का ध्यान पूरी तरह से नहीं जा सका है।

किशोरलाल भार्गव के संपूर्ण तत्त्वज्ञान का विस्तृत प्रतिपादन तो 'जीवन शोधन' नामक उनके ग्रन्थ में आया है। इसमें बुद्ध परंपरा को छोड़कर अनेक विषयों में उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये हैं। इसमें धीरता के साथ उन्होंने यह कह देने का साहस किया है

'आय तत्त्वज्ञान की रचना परिपूर्ण हो गयी अब इसमें नये शोध और शोध की आवश्यकता नहीं दृष्टि-दृष्टि की कोई गुंजाइश नहीं अब तो प्राचीन शास्त्रों को भिन्न-भिन्न भाष्यों द्वारा अथवा नये भाष्यों की रचना करके केवल समझाना मात्र रह गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। नये अनुभव और नये विज्ञान की दृष्टि से पुराने में संशोधन-परिष्करण करते और जरूरत मालूम हो तो उससे मतभेद रखने का भी अधिकार माधुमिकों को है। इस अधिकार को छाड़कर आज भारत अज्ञानयुक्त' बन रहा है। मैं मानता हूँ कि बादरायण के समय से भारतीय तत्त्वज्ञान का विश्वास छगमग एक गया है। उन्होंने प्राचीन को सूत्रबद्ध करके

तत्त्वज्ञान का दरवाजा बन्द कर दिया है और शंकराचार्य तथा उनके बाद के व्याचार्यों ने इन दरवाजों पर तासे लगा दिये हैं। य तासे खोलने ही पड़ेगे। नये सांख्य के लिए अवकाश है। योग पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वेदान्त के प्रतिपादन में सुद्धि हो सकती है। इस सबके फलस्वरूप ज्ञानमात्र भक्तिमार्ग, कर्ममार्ग और योगमार्ग का स्वल्प दूसरा हो जाय ता ऐसा होने देना आवश्यक है।'

यह पुस्तक किस भावना से लिखी गयी यह भी उन्होंने बताया है

'तत्त्वज्ञान मेरी दृष्टि से केवल बौद्धिक विकास की वस्तु नहीं है। इसके आधार पर जीवन की रचना होनी चाहिए। इसलिए जिन मान्यताओं का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उनमें मुझ कोई रुचि नहीं है। बुद्धि के लिए केवल अज्ञानों के रूप में तत्त्वज्ञान की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। इसलिए इस पुस्तक में मैंने जो भी खण्डन-मण्डन करने का यत्न किया है वह प्रत्यक्ष जीवन की बदलने की दृष्टि से ही किया है, केवल मान्यताओं को बदलने की दृष्टि से नहीं।

'संभव है, कुछ लोगों को ये लेख घुष्टापूर्ण और कुछ को आघात पहुँचाने वाले मानसूँ हों। दूसरों को समवत ऐसा भी लगे कि मैं हिन्दू-धर्म की विधि-विधानों का उच्छेद करने आ रहा हूँ। किन्तु मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ये लेख कितने समय मेरी बृत्ति संपूर्ण भक्तिभाव की रखी हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमारा अपार और अमूल्य कर्तृत्व व्यर्थ नष्ट हो रहा है। उसे देखकर मुझे दुःख हो रहा है। उससे प्रेरित होकर और सत्योपासना की दृष्टि से मैं यह लिख रहा हूँ।

इसके बाद भगवान बुद्ध की बाणी को मानने प्रतिबन्धित करने हुए व लिखते हैं

"पाठकों मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह परम्परागत नहीं है परन्तु केवल इस कारण वह गलत नहीं है। आपकी परम्परा में परिवर्तन करने की वह मौय कर रहा है इसलिए उस त्याग्य न मानें। जिस को आपण करने मायक वह सुन्दर और आसान नहीं है, इसलिए इसे आप गलत न मान लें। दीर्घकाल से जिस शब्द का आप पोषण करते आ रहे हैं, उस बुद्ध शब्द का यह उन्मूलन करता है, इस कारण कहीं यह न मान लें कि यह आपका गलत माम पर ले जायना।

नी कोई सिद्ध, सपस्वी योगी अथवा श्योप्रिय नहीं हूँ केवल इसलिए मेरी बातों को गलत न मान बैठें। बल्कि आप तो मेरे इन विचारों को अपने विवेक की कसौटी पर चढ़ाकर देखें। इसमें यदि आपको वे सत्य और उन्नतिकर मालूम हों जीवन के व्यवहार में और पुष्पार्थ में उत्साह भरनवाले मालूम हों प्रसन्नता में वृद्धि करनेवाले हों और आपके अपने तथा समाज के श्रेय को बढ़ानेवाले प्रतीत हों, तो उन्हें स्वीकार करने में न डरें।”

अतः मैं उन्होंने कहा हूँ

‘इन लेखों में जितना सत्य विवेक-वृद्धि से स्वीकार करने योग्य हो और पवित्र प्रयत्नों को पोषण देनेवाला हो केवल वही रह जाय और अधिक अनुभव तथा विचार से जो भूलभरा पवित्र प्रयत्नों को मुकसान पहुँचानेवाला हो उसका अनादर और नाश हो ऐसा मैं चाहता हूँ।

इस पुस्तक की प्रस्तावना किशोरलाल माई के गुरु श्री नाथजी ने लिखकर उसमें प्रकट किये गये विचारों पर अपनी मुहर लगा दी है।

‘गांधी-विचार-दोहन’ और ‘गीता-मन्मथ’—इन दो ग्रन्थों की रचना सन् १९३० से १९३४ के स्वार्थव्य-संग्राम के बीच सन् १९३१ के सप्तिकाक में विले पारले में गांधी विद्यालय के निमित्त से हुई थी। इस विद्यालय में उन कामकर्ताओं के लिए कुछ मास का एक प्रशिक्षण-वर्ग जारी किया गया था जो गाँवों में जाकर सेवा-काम करना चाहते थे। उसमें एक विषय ‘गांधीजी के विचारों और सिद्धान्तों का परिचय’ इस नाम का भी था। यह विषय किशोरलाल माई को सौंपा गया था। उसके लिए की गयी तैयारी के फलस्वरूप ‘गांधी-विचार-दोहन’ का जन्म हुआ। जैसे-जैसे वे इसके प्रकरण लिखते जाते थे वैसे-वैसे वे गांधीजी के पास भेज दिये जाते थे ताकि वे उन्हें देखें उनमें सुधार कर दें और उन्हें प्रमाणभूत बना दें। इस पुस्तक का पहला संस्करण सन् १९३२ में गांधीजी को बगैर बताये ही छप गया था। दूसरा संस्करण गांधीजी के दखने के बाद सन् १९३५ में छपा था। इस पर अपनी राय बतते हुए गांधीजी न लिखा था

‘इस विचार-दोहन को मैं पढ़ गया हूँ। माई किशोरलाल का मेरे विचारों से असाधारण परिचय है। जितना परिचय है, वही ही उनकी ग्रहण-शक्ति भी

है। इसलिए मुझे बहुत कम फेरफार करना पड़ा है। बहुत-सी बातों में हम दोनों के विचार एक-से हैं। यद्यपि इसमें भाषा तो भार्गव किशोरलाल की ही है, फिर भी प्रत्येक प्रकरण में उस पर अपनी स्वीकृति देना मुझे कोई आपत्ति नहीं मामूम होती। बहुत से विचारों को भार्गव किशोरलाल थोड़े में ले सके यह उनकी अपनी विशेषता है।

इस पुस्तक का तीसरा संस्करण सन् १९४० में प्रकाशित हुआ। इसमें कितना ही नये प्रकरण जोड़ दिये गये। इनको भी गांधीजी ने देखा था। सन् १९४४ में इसका फिर नया संस्करण हुआ जो बहुत बर्षों से समाप्त हो गया है। फिर भी जब 'नवजीवन' की तरफ से पुनर्मुद्रण के लिए माँग की गयी, तब किशोरलाल भार्गव को लगा कि सन् १९४० के बाद तो गांधीजी ने बहुत लिखा है और अपने विचारों को नये रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए इस पुस्तक को फिर से लिखना पड़ेगा। परन्तु पुस्तक फिर से लिखने कायक उनका स्वास्थ्य नहीं था। इसलिए उन्होंने यह काम भरे सिपुर्द कर दिया। मैंने चार-पाँच प्रकरण नये सिरे से तैयार किये। इन्हें किशोरलाल भार्गव देकर दिये। परन्तु संयोगवश यह काम हमें स्वगित करना पड़ा। यह जब किया भी गया तो भी धातु की राय इस पर नहीं मिल सकती। इसलिए अब ऐसा शकता है कि उनके विचारों का दोहन उन्हींके विचारों में दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

'गीता-मन्थन' की उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि अपने अस्वास्थ्य के कारण किशोरलाल भार्गव गांधी विद्यालय की मुबहू फी प्रार्थना में नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न बना लिया कि रोज दा-सीन चौधरी कागज पर गीता का मबाद थोड़े-थोड़े में लिखकर भेज दिया करते। जो एकदम अपन नहीं है बिलकुल अच्छे भी नहीं बहुत विद्वान् भी नहीं हैं ऐसे भार्गव-बहना को ध्यान में रखकर वे ये संवाद लिखते थे। परन्तु पाँच-छह अध्याय लिखने के बाद वे गिरफ्तार हो गये। तब शेष भाग उन्होंने इसी प्रश्न से और इसी पद्धति संकेत में पूरा कर दिया। सन् १९३३ के मास में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसका बाद इसके तीन संस्करण और छपे।

सन् १९३० में जब किशोरलाल भार्गव नासिक-जेल में थे तो मॉरिस मेटरलिक

की 'लाइफ ऑफ दी ब्लाइट एण्ट' नामक पुस्तक का उषईनुं जीवन' (दीमक का जीवन) इस नाम से उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था

"दीमक यूरोप में एक अजनबी जंतु है। ठण्ड देशों में यह जीवित नहीं रह सकती जब कि गुजरात में शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिले जिसने दीमक न देखी हो। फिर भी दीमक के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें यूरोप में लिखी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। यह है हमारी लज्जाजनक स्थिति।

ऐसा होने पर भी यदि इस पुस्तक में केवल धास्त्रीय और स्थी जानकारी होती तो इसका अनुवाद करने की इच्छा मुझे शायद ही होती। परन्तु इस पुस्तक के लेखक जितने बड़े विज्ञानशास्त्री हैं उतने ही बड़े विचारक और सत्य के जिज्ञासु भी हैं। इस युग के शकियों और तत्त्वज्ञानियों में वे प्रथम पंक्ति के पुरुष हैं। दीमक के जीवन का अध्ययन उन्होंने केवल जंतुशास्त्र के भ्रूतहसु को लेकर ही नहीं किया बल्कि इसके द्वारा उन्होंने जीवन के विषय में आत्मा के विषय में तथा दीमक के जीवन से मनुष्य-जीवन के लिए क्या-क्या धोष ग्रहण किया जा सकता है इस विषय में बहुत विचार किया है और इन विचारों को बड़ी सरस भाषा में इस पुस्तक में पेश किया है। फलस्वरूप यह पुस्तक जंतुशास्त्र सम्बन्धी पाठ्य पुस्तक जैसी नहीं बल्कि ऐसी बन गयी है, जैसी किसी महापुरुष का जीवन खबक पढ़न सामक और उपयोगी होता है।

इस पुस्तक के दूसरे भाग में 'सारशोधन' शीर्षकवाले प्रकरण में दीमक के विषय में अपन विचार भी वे दिये हैं और उसके साथबाले दो परिशिष्टों में दीमक सम्बन्धी साहित्य आदि की तथा भारतीय दीमक के बारे में भी सक्षिप्त जानकारी दे दी है।

दीमक के जीवन से किशोरलाल भाई न यह सार निकाला ह

'दीमक क जीवन में हमने देखा कि उनके नर, मादा सैनिक मजदूर सब वग अपने को (समाज का) भाग्य मानकर ही हर काम करते हैं। इसका लाभ भी ये जीव अनुभव करते हैं। हममें भले ही सबको सतत काम करना पड़ता है परन्तु हममें कोई केवल भोगी न होने के कारण एक भी दीमक—चाहे वह रानी

मजदूर सैनिक, जिस किसी वर्ग की हो और स्वावलम्बी हो या परावलम्बी—रोगी कमजोर या मूक से पीड़ित नहीं दिखाई देती।

इस प्रकार किसी भी दृष्टि से देखिये तो मुक्त का मार्ग—संपूर्णतः मुक्त का नहीं तो भी सतोष का मार्ग तो इस सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करने में ही है। सत्य यही है कि किसी भी जीव का जीवन भोग के बंधे समभव नहीं है फिर भी वह भोगी बनने के लिए नहीं है। बल्कि अपने अन्तर्गत शान्ति के उपयोग के लिए धीरे-धीरे अथवा एक ही बार में उसके लिए मर मिटने के लिए है। अथवा यो कहिये कि 'भोग' शब्द का अर्थ है—दूसरा के लिए मर-मिटने का आनंद। 'तेम त्यक्तेन भुञ्जीथा'।

सन् १९३२-३३ की जेरु में उन्होंने टॉल्स्टॉय के 'दी साइट् प्राइन्स इन डाकनेस' नामक नाटक का गुजराती में रूपांतर किया। टॉल्स्टॉय के नाटक-संग्रह में यह उन्हें सर्वोत्तम नाटक प्रतीत हुआ। वनडिं सर्ग की राय में भी यही टॉल्स्टॉय का सर्वोत्तम नाटक है। परन्तु वह तो इसे कला की दृष्टि से सर्वोत्तम मानता था पर किशोरभास भाई ने कला की दृष्टि से सर्वोत्तम होने के कारण इसे पसन्द नहीं किया था। उन्हें तो इसमें जो नैतिक सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि पैदा की गयी है वह बहुत कीमती मासूम हुई और उन्हें लगा कि हमारे देश के लोग भी इसे समझें तो अच्छा, इस दृष्टि से उन्होंने इसे पसन्द किया। फिर यदि कला की दृष्टि से अनुवाद करना था तो मूल नाटक जैसा था उन्ही रूप में उसका अनुवाद करना चाहिए था। परन्तु उन्हें तो स्या कि नाटक में जो कला प्रकट की गयी है उसकी अपेक्षा उसमें जो सत्यासत्य का विवेचन थाया है वह अधिक महत्त्व की वस्तु है। इसलिये सामान्य पाठक भी समझें इस हेतु से उन्होंने नाटक को गुजराती पोशाक पहना दी। उन्होंने लिखा है

"टॉल्स्टॉय ने इस नाटक में जो प्रश्न छोड़े हैं, वे हिन्दू, मुसलमान ईसाई आदि किसी विशिष्ट समाज से ही नहीं, समस्त मानव-जाति से सम्बन्ध रखते हैं। ये प्रश्न सत्य अहिंसा, अपरिग्रह आदि साधनात्मक वृत्तियों और मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों में स उत्पन्न होते हैं। परन्तु इस विषय में सभी प्रचलित धर्म-शास्त्र और समाज सत्य से बहुत दूर चले गये हैं और प्रत्येक समाज किसी धर्मशास्त्र-कानून और सुव्यवस्था को इसका कारण बताता है।

इसलिए इसमें टॉल्स्टॉय न ईसाई-धर्म पर जो आक्षेप किये हैं उनसे कोई धर्म मुक्त नहीं कहा जा सकता। ये आक्षेप वैदिक धर्म पर किस प्रकार लागू होते हैं यह इस रूपान्तर द्वारा बतान का यत्न किया गया है। टॉल्स्टॉय का यह नाटक सर्वोत्तम समझा जाता है इसका कारण भरी समझ से यह है कि इसमें टॉल्स्टॉय न कला की नहीं सत्य की उपासना की है।

टॉल्स्टॉय इस नाटक को पूरा नहीं कर पाये थे। पाँचवें अंक का तो केवल ढाँचा मात्र तैयार कर सके थे। इसके आधार पर परन्तु स्वतंत्र रूप से किद्योरलास भाई ने पाँचवाँ अंक खूब लिखा है। इस कारण पाँचवाँ अंक टॉल्स्टॉय की मूल योजना से दूसरे प्रकार का बन गया है।

सन् १९३५ में उन्होंने सलील जिब्रान के 'दी प्रॉफेट' का विषय 'वलाए' नाम से अनुवाद किया। यह अनुवाद करने की इच्छा उन्हें क्या हुई, इस विषय में उन्होंने लिखा है —

“कवि का बहुत-सा कथन सत्य और सुन्दरता के साथ पेश किया गया सत्य है। यदि ऐसा मुझे नहीं लगता तो केवल बाभ्यानव के लिए मैं यह अनुवाद नहीं करता।”

सन् १९४२ के आन्दोलन के जेल-प्रवास में उन्होंने और काका साहब ने मिलकर अमेरिकन लेखक पेरी बर्जेस का 'दू वॉक अलोन'* नामक उपन्यास का 'मानवी सचिबरो' (मानवीय सौंदहर) नाम से अनुवाद किया। मूल लेखक अमेरिकन सेमसी फ्रजबैशन (कुष्ठ-रुधिर) के अध्ययन हैं और एक महारोगी (कोढ़ी) की आत्मकथा के रूप में यह उपन्यास उन्होंने लिखा है। युद्ध में उत्साह के साथ वह घरीक होता है और बाद में अपने पिता के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का भासिक बन जाता है। जेन जैसी प्रेमल तथा कलारसिक तच्छी से विवाह करके वह धरती पर स्वर्ग साने के सपने देखता है। भाई का नाम है टॉम जो बड़ा निस्वह और चतुर है। उसके सहयोग से सांसारिक दृष्टि से खूब आगे बढ़ने की उम्मीद करता है। परन्तु इतने में कोढ़ का एक छोटा-सा दाग इसका

* इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद सर्व-सेवा-संघ द्वारा वीध प्रकाशित हानबाला है।

सारे जीवन-प्रवाह को सुखा देता है और इसे निराशा की खाई में डकेस देता है। फिर भी इस निराशा में से भी वह धीरे-धीरे अपने को संभाल लेता है। स्वप्नेष (अमेरिका) और स्वजना से दूर 'फिलिपाइन्स' द्वीप-समूह में सास तौर पर महारोगियों के लिए निश्चित क्युम्भियन नामक टापू में वह जाकर बसता है। वहाँ के निवासियों के साथ एकस्य होकर जीने का शक्तिमत् प्रयास करता है और इस प्रकार विनाश में भी महीन जीवन रस उत्पन्न करके नयी सृष्टि की रचना करता है। इस प्रकार के जीवन-धीरे के सात्त्विक और अद्भुत जीवन-कार्य की यह एक कहानी है।*

कहना नहीं होगा कि किशोरलाल भाई द्वारा अनुबाद के लिए पसन्द की गयी ये चारों पुस्तकें अत्यंत सख्तशील और जीवन के निर्माण में मदद करने-वाली हैं।

सन् १९३६ में 'सत्यमय जीवन और सत्यासत्य-विचार' नाम की उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। लॉड मोर्ले की एक पुस्तक है—अग्नि का प्रोमाइज। महादेव भाई ने इसका 'सत्याग्रह की मर्यादा' के रूप में अनुबाद किया था। उन्होंने एक बार कहा था कि लॉर्ड मोर्ले के साथ आपके विचार कहीं तक मिलते हैं यह देखने के लिए आप इसका दूसरा प्रकरण पढ़कर देख लें और फिर आप इसकी समालोचना कर सकें तो अच्छा हो। किशोरलाल भाई ने यह स्वीकार किया और तदनुसार सन् १९२७-२८ में यह पुस्तक लिखी। सन् १९३२ में जब वे जेल गये, तब उन्हें इच्छा हुई कि इसे एक बार दोहरा लेना चाहिए। इसलिए इसे वे अपने साथ ले गये। वहाँ उन्होंने इस पुस्तक का रूप ही बदल दिया। शुरू में यह समालोचना के रूप में लिखी गयी थी। अब यह एक स्वतंत्र और निस्तुत निबन्ध बन गया।

किशोरलाल भाई ने लिखा है—

“मेरी यह पुस्तक संक्षेप में इस प्रकार की है—मृत्यु के उपासक को विचार-वाणी और व्यवहार में किस प्रकार बदलना चाहिए और हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रश्नों के विषय में हमारा बताने वाला होना चाहिए और आज कैसा है

* वेमिये 'कुष्ठोबा'—एक दर्दमयी कहानी।

इस धारे में सिद्धान्त तथा व्यवहार इन दोनों दृष्टियों से इस पुस्तक में विचार किया गया है। चर्चा की पद्धति में इसमें मोर्ले का अनुसरण किया गया है। इस कारण इसमें मोर्ले की पुस्तक का आवश्यक सार और उस पर मेरी टीका भी आ गयी है। परन्तु इसमें उनकी पुस्तक का पूरा सार भी नहीं है। इसी प्रकार उनसे जहाँ-जहाँ मेरा मतभेद है वह भी रेखांकित किया गया है।

अपने असत्य आचरण का केवल बचाव करने के लिए ही नहीं बल्कि यह बताने के लिए कि यही करना उचित है कई लोग प्रश्न करते कि यदि अपने स्वार्थ के लिए नहीं परन्तु सार्वजनिक हित के लिए हम किसी सरकारी नौकर को फोड़ें तो इसमें क्या बुराई है? अथवा निःस्वार्थ प्रेम के लिए किसी सिद्धान्त को धरा अलग रख दें तो इसमें कौन बड़ा दोष हो जाता है? निःस्वार्थ प्रेम भी तो सत्य के ही समान महत्त्व रखता है। इस तरह के प्रश्न का सीधा जवाब इस पुस्तक में है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु किशोरलाल भाई की अन्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक का गुजराती के पाठकों में प्रचार हुआ नहीं दीखता।

किशोरलाल भाई की पुस्तक में जिसका ध्यान सबसे अधिक प्रचार हुआ है वह है उनका गीता का समझौती अनुवाद 'गीता-व्यनि'। इसके बिना प्रचार का कारण हमारे समाज में मूल गीता ग्रन्थ की अत्यधिक लोकप्रियता भी धारण है। किशोरलाल भाई ने पहले-बापे पद्यानुवादा से भी लाभ तो उठाया ही है। इनमें भी वे सबसे अधिक अच्छी कवि श्री नानालाल के हैं। उन्होंने लिखा है कि वर्षों तक उनके अनुवाद का उपयोग करने के बाद ही मुझे यह अनुवाद करने की बुद्धि हुई है।

हमारे देश के आर्थिक प्रदना पर भी किशोरलाल भाई ने अत्यंत मौलिकता का साथ विचार किया है। सबसे अधिक विचार उन्होंने सिक्के के प्रश्न पर किया है और इस पर 'सुवर्णनी माया' नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी है। हममें इन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रजा का या प्रजातंत्र का धर्म नहीं है जिसे निर्माण करने की दक्षिण जनता के हाथों में हो। अपने दिन-दिन के व्यवहार में अथवा राज्य के कर चुकाने के लिए इस धर्म का उपयोग वे कर सकते हैं। इनकी माँग को पूरा कर सकते हैं। परन्तु इसके बदले अपने इन व्यवहारा

में एक छोटा-सा भी सिक्का देना उनके लिए लाजिमी कर दिया जाय जिसे वे अपन खेत नवी समुद्र अथवा कारखानों में पैदा नहीं कर सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी दूसरे आवामी का मुह ताकना पड़ता हो, तो अकेला यह छोटा-सा सिक्का उन्हें पामाल कर सकता है। किसी भी देश में आर्थिक व्यवहारों का धामन वही घन होना चाहिए, जिसे जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिश्रम से पैदा कर सकता हो। आगे चलकर व सिखते हैं

‘यदि इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त सही ह्य तो सोने, चांदी तथा सिक्कों के व्यापारियों (अर्थात् सराफों सेन-देन का बन्धा करनेवालों आदि) को छोड़कर जनता के श्रेय भाग को समृद्ध बनाने में हम केवल एक हृद तक ही सफल हो सकते हैं। हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद इन दोनों का हाथ ही ऊपर रहेगा और सारा मकसद यही लोग खा जायेंगे।

इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त उन्हें पहले-पहल टॉल्स्टॉय की तब करें क्या ?’ नामक पुस्तक से सूझा था।

सन् १९३७ में उनकी ‘स्त्री-मुख्य मर्यादा’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। यह एक स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। पिछले दस वर्षों में इस विषय पर उन्होंने समय-समय पर जो लेख लिखे उनका यह संग्रह है। सहजानन्द स्वामी ने सत्यागिया के लिए इस विषय में जो नियम बना दिए थे अधिकांश में उन्हीं पर यह सारी रचना की गयी है। किशोरलाल भाई लिखते हैं

‘इन नियमों को यदि बिन (सूग) ‘यू का नाम दिया जाय तो कहा जा सकता है कि ससारी समाज को भी कुछ मर्यादास्वी मिन की छूट सहजानन्द स्वामी ने अवश्य सनायी। यह छूट मेरे पिताजी का भी विरसत में मिली थी और उन्होंने इसका विचारपूर्वक पोषण किया था और हमें भी लगान की बोधिश की थी। मेरी शक्ति के अनुसार मुझमें भी यह ‘बिन’ टिक चुकी है और मैं मानता हूँ कि उसके टिके रहने में मेरा और समाज का हित ही हुआ है।

‘सूग शब्द का व्यवहार तो सहजानन्द स्वामी ने व्याजोचित के रूप में किया है। वास्तव में स्त्री-जाति के प्रति उनके मन में कभी अनादर नहीं था। मदी नहीं, व्यक्तिगत रूप में वे स्त्रियों के साथ कभी घृणा का बर्ताव नहीं करते थे। इसके

विपरीत स्त्रियों की उन्नति के लिए उन्होंने ऐसी कितनी ही प्रवृत्तियाँ द्युत की थीं, जो उस जमाने में नयी कही जा सकती थीं। सत्त्वा में भी खड़ी की थीं। मेर पिताजी के मन में भी स्त्री-जाति के प्रति अनादर या घिन नहीं थी। हमारे परिवार में घुंघट ससुर से यातचीत न करना ससुर या जेठ के सामने पति के साथ यातचीत न करना इत्यादि मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता था और गृहस्त्री का लगभग सारा कारोबार स्त्रियों के ही हाथों में था। इस कारण परिवार में नये सुधार का प्रवेश करने में हमें कभी कोई कठिनाई नहीं आयी। रोना-भीटना आदि का भोजन जातिभोजन वर का जुलूस स्वदेशी खादी अस्पृश्यता-निवारण मूर्ति-पूजा उत्सव आदि बातों में जो सुधार हमारे परिवार में किये गये उनको लेकर हमारे पिताजी को या हम माइयों को स्त्री-वर्ग से शायद ही कभी कोई झगडा करना पडा हा। स्त्री-जाति के प्रति मन में अनादर या घृणा होती तो मेरा खयाल है कि ऐसा नतीजा नहीं आ सकता था।

इस पुस्तक का आमुक्त' (प्रस्तावना) काका साहब ने 'आय आदध की दृष्टि से' इस शीर्षक से लिखा है। उसमें वे कहते हैं

किशोरलाल माई की भूमिका और विवेचन-पद्धति मौलिक निश्चयात्मक और अोज-पूष है। यदि आप कहें कि यह गिबिलिता निर्दोष मानी जा सकती है तो वे पूछ सकते हैं कि यह ठीक हा तो भी इससे लाभ क्या? क्या उसके बगैर काम नहीं चल सकता? फिर यह गिबिलिता की हिमायत किमलिए? तब मनुष्य निरन्तर-सा हो जाता है।

'आज के जमाने की हवा इससे बिलकुल उल्टी है। स्वतंत्रता के नाम पर जीवन की पूर्णता के नाम पर और इसी तरह के अनेक सिद्धान्तों के नाम पर आज का जमाना अधिक-से-अधिक छूट लेने में और उसे उचित सिद्ध करने में भी विश्वास रखता है। इसलिए बहुत-से लोगो को लगेगा कि किशोरलाल माई की यह किशोरलाल माई से उल्टी दिशा में जानेवाली है। फिर भी उनके कट्टर विरोधियों के दिल में भी उनकी भूमिका के प्रति आदर उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। विवेकशील मनुष्य अपनी भूमिका को कुछ मौम्य बना कर किशोरलाल माई के साथ यथार्थमय मेड बैठाने का भी प्रयत्न करेगा।

सन् १९३८ में इनकी 'नामाना तत्त्वो नामक पुस्तक प्रकाशित हुई।

(५) जगता कन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दुस्तानी भाषा के उपयोग के लिए निश्चित रोमन देवनागरी या उर्दू, इनमें से किसी भी लिपि का उपयोग करे। जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जानवासी विज्ञप्तियाँ रोमन लिपि में और प्रदेश की अपनी लिपि में प्रकाशित हों।

इस व्यवस्था से देश की प्रत्येक भाषा के लिए एक सामान्य लिपि—और जो भी सार्वभौमिक लिपि प्राप्त हो जायगी। साथ ही प्रान्त के आन्तरिक दैनिक व्यवहार के लिए प्रांतीय लिपियाँ भी बनी रहेंगी और हर भाषा सीसना आसान हो जायगा।”

किशोरलाल भाई की दिसवस्ती का दूसरा विषय था—राज्य-विधान। सन् १९४६ में जब हमारे देश के लिए नया संविधान बनाने की चर्चाएँ चल रही थीं तब उन्होंने स्वतंत्र भारत का विधान क्या हो इस विषय में अपने कुछ सुझाव एक पत्रिका में प्रकाशित किये थे। इसमें से कुछ सुझाव बिल्फुस मीलिये थे। परन्तु वे वर्तमान पीढ़ी के विधान-शास्त्रियों को शायद अपसर्षवासी अथवा अभ्यावहारिक मान्यता हों इसलिए वे मजूर नहीं हुए। इनकी सफलताओं में हम यहाँ नहीं जायेंगे।

‘कागडानी नजरे’ (कौए की आँख से) दीर्घक से उन्होंने गांधीवादियों पर कटाक्ष करनेवाले कुछ लेख सन् १९१८-१९ में लिखे थे। गुजराती में इनका अनुवाद १९४७ में प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार ‘आयम का उल्कू उपनाम से भी उन्होंने कुछ लेख लिखे थे। परन्तु अब तो बहुत से लोग जागत हैं कि ये लेख किशोरलाल भाई के थे। इनकी भूमिका लिखते हुए किशोरलाल भाई ने लिखा था कि “इस उल्कू के विचारों से मैं न तो सहमत हूँ और न अमहमत।

किशोरलाल भाई की जिस पुस्तक में गुजराती पाठकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया है वह है—समूची कान्ति’ (अहमून से कान्ति)। सन् १९४५ से सन् १९४८ के बीच की उत्तम पुस्तक के रूप में उन्हें भी पुरस्कार मिले हैं। इसमें उन्होंने धर्म और समाज आर्थिक विषय, राजनीति तथा निष्ठा के विषय में अपने अन्तिकारी विचार सूत्रात्मक शैली में प्रकट किये हैं। पुस्तक के स्पष्टीकरण में वे लिखते हैं

“मानव-जाति और मानवता पर मेरी श्रद्धा है। वह किसी देश-विशेष या

काल-विशेष के लिए सीमित नहीं है। जैसा कि मैं—अनक बार कहा है—
पूर्व की सस्कृति और पश्चिम की सस्कृति हिन्दू-सस्कृति मुसलिम-सस्कृति—य
भेद मुझे महत्त्व के नहीं मालूम होते। मानव-समाज में केवल दो ही सस्कृतियाँ
हैं—मद्र-सस्कृति और सत-सस्कृति। दोनों के प्रतिनिधि समस्त संसार में
फँसे हुए हैं। इनमें से सत-संस्कृति के उपासक जितनी निष्ठा और निर्भयता
के साथ व्यवहार करेंगे उतने ही अंश में मानव-जाति के सुख की मात्रा बढ़गी।

यह उनकी अंतिम पुस्तक कही जा सकती है। इसके बाद पुस्तक के रूप में
लिखने का अवकाश उन्हें नहीं मिल सका। उनकी सारी शक्ति 'हरिजन'
पत्रा के सम्पादन में उनके लिए खेज लिखने और उनसे सम्बद्ध पत्र-व्यवहार
करने में खग जाती। परन्तु उनके गुरुभाई श्री रमणीकाल भाई मोदी ने
उनके लेखों का सग्रह करके अभी-अभी कुछ पुस्तकों तैयार की हैं। वे कम महत्त्व
पूर्ण नहीं हैं। उनका भी हम अवलोकन करेंगे।

'संसार और धर्म' नाम से उनके लेखों का एक सग्रह सन् १९४८ क अप्रैल में
प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रस्तावना प्रज्ञाचक्रु पण्डित सुखलालजी ने 'विचार
कर्मिका' नाम से लिखी है। इसमें वे लिखते हैं

'इन लेखों को मैंने अनक बार एषाप्रता के साथ सुना है। अन्य भारतीय
तत्त्व-चिन्तकों के भी कुछ लेख सुने हैं। जब मैं तटस्थ भाष से इस सग्रह के
चिन्तन प्रधान लेखा की तुलना करता हूँ तो समता है कि इतना अधिक और
इतना अन्वितकारी तथा स्पष्ट और मौलिक चिन्तन करनेवाला पुरप भारत में
बिरखा ही होगा।

'संपूर्ण सग्रह मुन लेन पर और उस पर भिन्न-भिन्न दृष्टि से विचार करने
पर इसकी अनेकविध उपयोगिता समझ में आती है। साम्प्रदायिक और असाम्प्र
दायिक भागसवाले सभी समझदार एग जहाँ देखिये वहाँ यही माँग कर रहे
हैं कि शिक्षण क्रम में कुछ एसा साहित्य होना चाहिए, जिससे उगते हुए प्रजा
जनों का धर्म के सन्धे और अच्छे सस्वार मिल सकें। वह नवयुग के निर्माण में
सहायक भी हो और साथ ही प्राचीन प्रथाओं का रहस्य भी समझा सकता हा।
जहाँ तक मुझे पता है, केवल गुजराती में ही नहीं वरन् गुजरात से बाहर भी इस
सग्रह की माँग को पूरी करनेवाला साहित्य अन्य किसी भारतीय भाषा में नहीं है।

“शायद ही अन्य कोई पुस्तक देखने में आये जिममें इतनी गहराई, निर्भयता तथा सत्यनिष्ठा के साथ तत्त्व और धर्म के प्रश्नों के विषय में एसा परीक्षण और संशोधन हुआ हो। जिसमें एक ओर किसी भी पथ किसी भी परम्परा अथवा किसी भी शास्त्र के विषय में विक्षेप अविचारी आग्रह न हो और दूसरी ओर जिसने अन्दर नये और पुराने विचार प्रवाहों के अन्दर स जीवन स्पर्शी मूल्य ढूँढ़कर रख दिया गया हो। मेरी आम में ता एसी यह एक ही पुस्तक है। इसलिए हर क्षेत्र क योग्य अविचारी पुरुष को मेरी सलाह है कि वह इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। इसी प्रकार शिक्षण-कार्य में जिन्हें रुचि है उन्हें मेरा सुझाव है कि वे भले ही किसी भी पंथ या संप्रदाय को माननवासे हों, फिर भी इस पुस्तक में बतायी विचार-सर्पणी को वे समझें और इसके बाव अपनी मान्यताओं का परीक्षण करके देखें।

सन् १९४९ के दिसम्बर मास में उनके लेखों का एक और संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है 'केलवणी बिबेक' (शिक्षा में बिबेक)। सन् १९५० के जून में इस विषय के लेखों का एक दूसरा संग्रह 'केलवणी विकास' (शिक्षा का विकास) नाम से प्रकाशित हुआ। ये दोनों संग्रह प्रकाशित करने का ध्य श्री रामणीकमल भाई मोदी को है। पहले संग्रह में शिक्षाविषयक उनके कुटकर लेख हैं। इसे 'केलवणीना पामा' नामक पुस्तक का अनुषंग्य कहा जा सकता है। 'केलवणी विकास' में बुनियादी शिक्षा अथवा नयी तालीम सम्बन्धी लेख हैं। किशोरलाल भाई की सूचना से इस संग्रह का पूरक के रूप में मैंने एक विस्तृत लेख लिखकर उसमें नयी तालीम की गांभीर्यपूर्ण अर्थों की है। यह लग उन्होंने पूरक के रूप में नहीं बल्कि भूमिका के रूप में इस पुस्तक में दे दिया है।

अहिंसाविषयक लेखों का भी एक संग्रह तैयार करके श्री रामणीकमल भाई ने उसे 'अहिंसा-विवचन' के नाम से सन् १९५२ के जुलाई मास में प्रकाशित किया है। इसमें उम्हारा दो छाटी पृष्ठिकाओं का भी समावेश कर लिया है जो किशोरलाल भाई ने सन् १९४१ में 'विद्वान् अहिंसा' नाम से तथा सन् १९४२ में 'निर्भयता' के नाम से लिखी थी। 'विद्वान् अहिंसा' के लिए लिखे अपने 'दा शब्द' में गांधीजी ने लिखा है

“किशोरलाल मधुवालाल अहिंसा के गहरे दोषक हैं। वे अहिंसा धर्म में

ही पले है। परन्तु वे किसीकी बात को ज्यों की त्यों मान लेनेवाले नहीं हैं। जो बात उनकी कसौटी पर सही साबित होती है उसीको ब मानते हैं। इस प्रकार अहिंसा के सिद्धान्त का स्वीकार भी उन्होंने खूब मन्थन करने के बाद ही किया है। उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार में सभा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और कौटुम्बिक क्षेत्रों में—और अनेक परिस्थितियों में परीक्षण करके देखा लिया है। इसलिए उनके निबंधों का अपना एक स्वतन्त्र महत्त्व है। अहिंसाकी अथवा अहिंसा में है उनकी अथवा इन निबन्धों को पढ़कर बुढ़ होगी और अहिंसे इसके विषय में शकिएँ हैं, उनकी शकिएँ इनके पढ़ने से दूर हो जायेंगी।

फिर भी इस संग्रह की प्रस्तावना में किशोरलाल भाई लिखते हैं

अहिंसा का विवेचन करने का मुझे कोई बड़ा अधिकार है ऐसा भ्रम मुझे नहीं है। पाठक भी ऐसा भ्रम न रखें। मेरे इन विचारों को पाठक अपने विवेक की कसौटी पर परखें और इसमें उन्हें जो सही जेंबे केवल उन्हींको स्वीकार करें।

“यदि किसीका खयाल हो कि मैं ये शब्द अत्यधिक मन्त्रता से कह रहा हूँ उनसे मेरी प्रार्थना है कि कुछ दिन पहले (अर्थात् सन् १९४७ के अन्त में अथवा १९४८ के जनवरी में) अहिंसा के परम अधिकारी पुरुष गांधीजी ने किसी मित्र के सामने जो राय प्रकट की थी, उसे याद कर लें। उन्होंने कहा था कि किशोरलाल भी अहिंसा को ठीक से नहीं समझ पाये हैं। अगर मुझे ऐसा न लगता कि मेरे इन लेखों से कुछ लोगो को अपने विचारों के सुलझाने में और मार्ग देखने में कुछ मदद मिल सकेगी तो इस संग्रह को प्रकाशित करने में मुझे बराबर मकोच हाता।

यह संग्रह सन् १९४७ तक के लेखों का है। उसके बाद तो ‘हरिजन’ पत्रों के सम्पादन भी हस्तियत में इस विषय में उन्होंने और भी बहुत लिखा है।

‘हरिजन’ में उन्होंने ‘गांधी और साम्यवाद’ शीर्षक से एक लेखमाला लिखी थी। इस लेखमाला पर जो टीकाएँ और चर्चाएँ खास तौर पर फिलाने ही साम्यवादी मित्रों के द्वारा हुईं उन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार करके और वहीं कुछ विस्तार और सुलझा करके यह लेखमाला पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी गयी है। विनोदा ने इसकी भूमिका लिखकर इसके महत्त्व को और भी बड़ा दिया है। प्रस्तावना में किशोरलाल भाई लिखते हैं

यह पुस्तक साम्यवाद का विद्वत्सापूर्ण निरूपण नहीं है। साथ ही यह गांधी विचार की कोई अधिकृत मीमांसा भी नहीं है। इसलिए इसमें किसी एक विचारवाचक का सांगोपांग सरल भाषा देखने की अपेक्षा न रहें। दोनों महापुरुषों और उनके अनुयायियों के विचारों की आधारभूत दृष्टि क्या है यदि इतनी-सी जानकारी भी इसमें से पाठकों को मिल जाय, तो बहुत समझना चाहिए।

बहुत-से लोग मानते हैं कि साम्यवाद में से हिंसा को निकाल दिया जाय तो गांधीवाद और साम्यवाद के बीच कोई फरक नहीं रह जाता। अथवा यों कहा जा सकता है कि गांधीजी अहिंसक साम्यवादी थे या गांधीजी और साम्यवादियों के बीच साम्य के विषय में कोई भेद नहीं, केवल साधनों में भेद है। दोनों सिद्धांतों में अगर गहरे उतरकर देखा जाय, तो यद्यपि यह मान्यता एकत्र गलत नहीं, फिर भी वह अल्प ही बहुत अशुद्ध मान्य होगी। यह बात भी इस पुस्तक में बतायी गयी है। मार्क्स और गांधीजी की जीवन-दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण भेद है। इसकी ओर किशोरलाल भाई ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है।

वर्ग-विग्रह से शक्ति नहीं लायी जा सकती, इस विषय में उन्होंने जो लिखा है उसमें से हम कुछ अंश यहाँ दे रहे हैं

‘यदि वर्ग-विग्रह की सूक्ष्म जाँच की जाय तो ज्ञात होगा कि बिना नैतिक और मानसिक साधो पर गांधीजी जोर देते हैं जब तब वे सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसका (वर्ग-विग्रह का) अन्त काले के लिए मार्क्स का सुझाया हुआ हल असफल ही रहेगा। इतना ही नहीं अन्त में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना में भी वह असफल ही निश्चय होगा। पूँजीपतियों का करल करके उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करना अथवा राजा का शप करके खून करनेवाले को अप्यक्ष का नाम देकर उसके स्थान पर बैठाना इस फेरफार को शक्ति कहना अन्त में अच्छे परिणाम की दृष्टि से तो केवल तंत्र चलातेवाले व्यक्तिपों की बदला-बदली ही कही जायगी। इस प्रकार केवल मनुष्यों के बदलने में क्या रखा है? इसमें तो एक तरफ इन शोषो का आपस में और दूसरी तरफ इनके तथा श्रम करनेवाली जनता के बीच झगड़ग शक्ति के पहले अंसा ही सम्बन्ध बना रहता है। इसमें लोग के अन्दर पहले जैसे ही सम्बन्ध कायम

हो जाते हैं और उनके हितों में उसी प्रकार सपर्य्य पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार आर का शासन अत्याचारी और मनमाना बन गया था और उसका हिंसा से नाश किया गया उसी प्रकार मजदूरों का अधिनायकत्वशील शासन भी लोग के लिए जब असह्य बन जायगा, तब उसका भी इसी प्रकार नाश हो सकता है। कोई भी व्यक्ति निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की एकाधिपत्यवाली सत्ता अत्याचारी निरक्रुदा और भाल्खाज आर और उसके सरदारों के समान भयवा पूंजीपतियों के समान कोई नया वर्ग पैदा नहीं कर देगी।

पुस्तक के अन्त में उन्होंने आज के सामाजिक अथवा राजनैतिक सत्ता धारियों का एक अत्यन्त गभीर चेतावनी देते हुए कहा है

गांधीवाद और साम्यवाद के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। परन्तु गांधीवाद और अनियन्त्रित रूप से काम करनेवाले पूंजीवाद सामन्तशाही भयवा संप्रदाय या जातिवादी आर की समाज-व्यवस्था के बीच इससे भी अधिक अन्तर है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जो लोग धन अथवा उच्च वर्ण के कारण अधिक अधिकार या सहूलियतोंवाले पदों का उपभोग कर रहे हैं, यदि वे इन विशेष अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे और अपने अधीन संपत्ति के सच्चे संरक्षक नहीं बनेंगे और अपन-आपको समाज के अन्य मनुष्यों की बराबरी का नहीं घना सेंगे देश की गरीबी का अयास करके अपने मौज-दौक एंशो आराम सुस्त-सुविषाएँ कम नहीं करेंगे और सबके उत्थप के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो जायेंगे तो गांधीजी की कोटि के ही महिसामार्गी नेता के अभाव में अपने तमाम हिंसक आयुधों को लेकर साम्यवाद यहाँ भी भयश्य ही आ जायगा। यदि ऐसा हुआ तो वे लोग सच्चे सिद्ध होंगे जो कहा करते हैं कि गांधीवाद—अर्थात् अहिंसक समाज रचना—की स्थापना के पहलेवाला कदम साम्यवाद है। इस हिंसक उत्थापात को रोकने का केवल एक ही उपाय है—अपनी आर की रहन-सहन में कदम-कदम पर हम अपनी इच्छा से फेर फार करें, अंध-नीच के भेदभाव, जातियों की भाग-बन्दी टुमाधूत आदि सबको बिदा कर दें। बेकारी और भुजमरी नष्ट हो जानी चाहिए। प्रान्तवाद और संप्रदायवाद की संक्रुचित मनोदशा दूर हो जानी चाहिए। राष्ट्रीयता के

बन्दर अपने स्वाय के लिए छडने की वृत्ति छोट देनी चाहिए और साम्राज्य का रुसा छोप हो जानी चाहिए। अमीरों और गरीबों के बीच का यह जमीन-आममान पैसा अन्तर हट जाना चाहिए। सरकार के न्याय और प्रबन्ध-विभाग में रिस्वतखोरी बेईमानी और परापाठ नहीं रहने चाहिए और धान के दिखावटी जनतन्त्र के स्थान पर सच्चा जनतन्त्र स्थापित हो जाना चाहिए। अनता और सरकारी नौकरो में गैर जिम्मेदारी के भाव हटकर उनके स्थान पर शुद्ध कर्तव्यनिष्ठा की भावना जाग जानी चाहिए। इतना सब हो जाय, तो इतने मात्र से ही गांधीवाद की स्थापना नहीं हो जायगी, हाँ, ऐसा करने से इस दिशा में कदम जरूर मुड़ जायेंगे। ये कदम उठाने के लिए यदि हम तत्पर नहीं हूँ तो साम्यवाद की ज्वाला नहीं रोकनी जा सक्षयी। यदि कोई ईस्वर का भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि आज की समाज-व्यवस्था कायम रहे तो यह अब सम्भव नहीं है। परिणाम यह होगा कि साम्यवाद का प्रवाह अपने पूरे ओर के साथ आवेगा और उसके मार्ग में जो भी बाधा लड़ी होगी उसे बह बसाइँ फेंकेगा। इस प्रलय में किसनी ही लीची-सादी और निर्दोष वस्तुएँ भी बह जायेंगी।

“सम्पत्तिदासी और समाज में प्रतिष्ठा का उपभोग करनेवाले व्यक्ति अपना समय रहते सावधान हो जायें। वे अपने जीवन में से लीचीनी और ऐंगो-आराम को कम कर दें। अपना झुन-ममीना एक करके धर्म करनेवाले मजदूरों को अपनी मुस-मुविपार्जों में हिस्सेदार बनायें और समाज के सभी वर्गों में समानता की स्थापना करें। सबका सम्मति दे मयवान्।

योजना-आयोग के सदस्य—श्री रा० वृ० पाटिल के साथ पंचवर्षीय योजना को लेकर उनका कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। इनके अन्त में उन्होंने श्री पाटिल को एक विस्तृत और महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा था। यह पत्र-व्यवहार तथा इनके सम्बन्ध रखनेवाले उनके कुछ लेख उनकी मुसु के बान् ‘भावी हिन्दुं दधान (भावी भारत की एक लसबीर) नाम से एक पृस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

गुजरात के विशालो तथा पाठक में एक मौलिक तथा प्रगल्भ तत्त्वचिन्तक के रूप में विश्वोत्साह भाई की प्रगति माली थी। जहाँ तक मुझे पता है, श्री मरसिह राव तथा श्री द० क० ठाकुर जैसे सख्त विवचन भी उसके विप्ला निर्मय और सत्यनिष्ठ विचारों की प्रशंसा करते थे।

१ अध्यात्म और धर्म

किशोरलाल भाई स्वामीनारायण-संप्रदाय में और उसकी परम्पराओं में छाटे स चढ़े हुए। वे सहजानन्द स्वामी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् मानते थे और अनन्याश्रय होकर उनकी भक्ति को वे अपने जीवन का ध्येय मानत थे। सहजानन्द स्वामी के प्रति उनकी भक्ति जरा भी कम नहीं हुई थी फिर भी सन् १९२१ में जब वे विद्यापीठ से अलग हुए, सब उन्हें लगने लगा कि आत्मा-परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना जीवन व्यय है। उन्हें यह भी लगा कि यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता। इसके लिए एकान्त-सेवन और सद्गुरु द्वारा मार्ग-दर्शन जरूरी है। इसलिए संप्रदाय के अच्छे-से-अच्छे माने गये भक्ता और साधुओं से परिचय करने का वे यत्न करने लगे। परन्तु संप्रदाय के भीतर उन्हें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल सका, जो इस विषय में उनका मार्ग-दर्शन कर सकता। इसके बाद ही माधजी स उनका परिचय हुआ और उनके मार्ग दर्शन में उन्होंने एकान्त-सेवन और साधनाएँ कीं। इस साधना के फलस्वरूप उन्हें जीवन की एक नयी दिशा प्राप्त हुई जिससे उन्हें यह प्रतीति हा गयी कि उनकी बहुत-सी पुरानी मान्यताएँ धर्मपूर्ण थीं और उनका समग्र जीवन-दशान बदल गया। किसी भी मनुष्य का जीवन दर्शन समझने के लिए पहले यह जान लेना जरूरी है कि उसके जीवन का ध्येय क्या है और जिन विद्वान्ता का अनुसरण करके वह अपना जीवन बिताना चाहता है।

जीवन का ध्येय

किशोरलाल भाई ने 'जीवन-साधन' नामक ग्रंथ में अपने जीवन का ध्येय इस प्रकार बताया है

‘भ्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवन की रचना ऐसे तत्त्वों पर होनी चाहिए कि जिससे हमारे जीवन का धारण-पोषण हमारी सत्य-सद्युक्ति तथा हमारा जीवन और मरण दोनों सरल और सतोपजनक हो जायें।

“धारण-पोषण का अर्थ केवल यह नहीं कि शरीर में प्राण टिके रहें। धारण का अर्थ है, सुरक्षित और आत्मरक्षित जीवन। पोषण का अर्थ है, जीवन के कार्य करने की शक्ति से सम्पन्न और शीघ्रियु जीवन और सत्य-सद्युक्ति का अर्थ है मानवतायुक्त जीवन। इस जीवन में हमारी भावनाओं और बुद्धि का विकास ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन अपने तक ही सीमित अर्थात् आत्म-मर्यादा (Self-centred) न हो। केवल अपने सुख को ही हम न देखें। वह ऐसा हो कि जिसमें हम अपने परिवार ग्राम देश, मानव समाज, अपने संपर्क में आनेवाले प्राणी और जिन जिनसे भी थोड़ा या अधिक सम्पर्क हो उन सबके लिए हमारा जीवन-न्याय के मार्ग से हमारे सम्बन्धों के औचित्य और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह उपयोगी हो सके। वह धार्मिकपूर्ण, सतोपपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो इसमें किसी भ्यक्ति या वर्ग के साथ अन्याय न हो। विपत्ति में पड़े हुए और अपग मनुष्यों की हम अपनी शक्ति भर मदद कर सकें। इसी प्रकार हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जो जीवन के तत्त्वों को समझ सके वह सारग्राही हो किसी भी विषय के मूल महत्त्व और मर्यादा पर वह भली प्रकार विचार कर सके हमारे अपने निर्मित पूर्वग्रहों से जो अपने-आपको मुक्त रख सके। वह न तो मृत्यु की इच्छा करनेवाली हो और न उससे डरनेवाली।

‘सारा समाज किसी समय इस अवस्था को प्राप्त कर सकेगा या नहीं, यह महत्त्व की बात नहीं है। परन्तु हमारा जीवन-मार्ग हमें और यदि समाज इस दृष्टि को स्वीकार करे तो उसे भी इस स्थिति की ओर ले जानेवाला है।

‘मैं इसीको जीवन का ध्येय समझता हूँ। यही मेरी समझ से मनुष्य का ध्येयव्यय भी है। जो भी विद्या कला विज्ञान और जीवन की अभिवृद्धियाँ तथा भावनाएँ मनुष्य को इस ओर ले जानेवाली हो वे आवश्यक हैं। इस ध्येय के साथ आवश्यक सम्बन्ध न रहने पर भी जो प्राप्तिर्था इस ध्येय से विराट नही रहती अथवा जिनका विकास इस प्रकार किया जा सकता है कि वह

इस ध्येय के लिए लाभदायक हो सके तो उस हृद तक उनके विकास को मैं उचित मानता हूँ। अन्य सारी प्रवृत्तियों का अनावश्यक और अन्त में हानि कारक समझना चाहिए।

×

×

×

जिस समाज में न्याय-वृत्ति प्रेम उदारता दया करुणा परस्पर आदर, क्षमा तेजस्विता नम्रता निर्मयता परोपकारिता व्यवस्थितता सृज्जा धैर्य मीठरी और बाहरी पवित्रता स्वच्छता आदि गुणों का विवेकयुक्त मेल नहीं होता, वह जी ही नहीं सकता फिर अम्युदय की तो बात ही दूर है। यदि समाज ही नहीं जी सकता तो व्यक्ति का तो कहना ही क्या! वह निर्विघ्न निर्भय और संतोषजनक जीवन नहीं बिता सकता। वह उचित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। इन गुणों के उत्कर्ष के बगैर स्वतंत्र बुद्धि का—अर्थात् आत्मविश्वास आत्मभ्रष्टा उत्पन्न करनेवाली बुद्धि का—भी उदय वहाँ में असंभव मानता हूँ।

×

×

×

इस प्रकार सयम मानव-संपत्तियों का उत्कर्ष और उनमें मेल तथा इनके परिणामस्वरूप विवेक और तत्त्वज्ञान का उदय और उससे जीवन अथवा मरण की लालसा अथवा भय का नाश इस तरह की तत्त्व-सशुद्धि को जीवन का ध्येय जीवन का सिद्धान्त कहा जा सकता है।

मोक्ष और पुनर्जन्म

पाठक देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी गूढ़ अथवा नकारात्मक नहीं है। किशोरलाल भाई को ऐसा लगता था कि हम अनेक अशक्य और असंभव कल्पनाओं को लेकर उनके कारण जीवन और जीवन के आदर्शों को उत्पन्न भरे बना देते हैं। मोक्ष को जीवन का आदर्श बना देने से अनवरत ऐसी उत्पन्नमें पैदा हाती देखी गयी है। मोक्ष का अर्थ जन्म-मरण के चक्कर से छुट्टी फिर से—पुनः जन्म न लेना पड़—ऐसा किया जाता है। परन्तु कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मरने के बाद हम फिर जन्म लेंगे ही। वास्तव में ता पुनर्जन्म एक बाद (Hypothesis) है। मनुष्य के सामने यह प्रश्न कभी न कभी खड़ा होता ही रहता है कि मरने के बाद उमरा क्या होगा।

इसका उत्तर पाने का यत्न वह हमेशा करता ही रहता है। परन्तु मरणोत्तर स्थिति के बारे में ओ भी स्पष्टीकरण दिये गये हैं, वे केवल सामान्य तर्क मात्र हैं। पुनर्जन्म है ऐसा कहनेवाले के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा कहनेवाले के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। किशोरलाल भाई कहते हैं

“ओ हो, पुनर्जन्म का बाद भाव तक तो पुरुषार्थ करने के लिए श्रेयार्थी के पास एक अनर्दस्त प्रेरक बल रहा है। ओ व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता उस पर भी यह संस्कार अज्ञात रूप में कुछ काम करता ही रहता है। इस विषय में यदि किसीको प्रतीति नहीं दिखायी जा सक्ती तो इसके विरुद्ध प्रतीति दिखानेवाले प्रमाण भी तो नहीं हैं। फिर इसका स्वीकार उत्पत्ति के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद पुनर्जन्म के विरुद्ध मुख्यतः केवल एक ही बात रह जाती है। और वह यही कि इसके विषय में मन में ढंका पैदा हो गयी है। इस कारण इसे एक सामान्य वस्तु मानकर यदि मनुष्य इसे अपने लिए एक प्रेरक बल बना लेता है, तो वह कोई दोष करता है, एसा नहीं कहा जा सकता। विज्ञान में भी इस प्रकार के बाद प्राप्त विषयों पर मनुष्य की श्रद्धा ही अनेक प्रकार के प्रयोग और उपचारी की प्रेरणा देनेवाली सिद्ध हुई है।”

इसके बाद किशोरलाल भाई कहते हैं

परन्तु जिस व्यक्ति पर पुनर्जन्म के संस्कार नहीं हैं—अथवा विभिन्न हा गये हैं उसके लिए इन सबकी अपेक्षा श्रयःप्राप्ति के प्रयत्न को प्रेरणा देने वाली भीम ई—श्रेयार्थी को मिलनेवाली—शान्ति समाधान और इत्यादि। सदाचार और सद्गुण का पाठ्य उसके भीतर इन गुणों के संस्कारों का निर्माण करते हैं। वे उसे ऐसी सात्त्विक प्रसन्नता और प्रसन्नता म भी हो तो—शान्ति और समाधान प्रदान करते हैं कि जिसकी तुलना में उसे मरार के सागे सुख गीण भाङ्गुम होते हैं। पुष्ता के लिए वे उसे मजबूत बना देते हैं। मनुष्य में जिस अंग में इन संस्कारों का उचित विकास होता है, उसने ही अंग में उसके ज्ञान और कर्म में व्यवस्थितता और कुप्रकृता उत्पन्न हा जाती है और यह उस मात्रा में सत्यकर्मा बन जाता है।

“जन्म-मरण से छूटने की अभिलाषा श्रम के लिए प्रेरक बल हो, तो भी वह गौण बल है। उसका अस्तित्व अंशतः अनुमान पर ही है। यह अनुमान सच्चा हो या झूठा पुनर्जन्म का तर्क झूठा हो या पुनर्जन्म हा तो भी उससे मोक्ष-प्राप्ति की आशा झूठी हो—फिर भी श्रेयार्थी को प्रयत्नशील बनाने के लिए दूसरे भी कारण मौजूद हैं। जो जीवन प्राप्त हो गया है, उसीमें चित्त और चैतन्य के तादात्म्य को सिद्ध करना चित्त के समाधान और सशुद्धि की मात्रा के अनुसार प्रसन्नता और शान्ति की प्राप्ति और ससार का हित—ये सब वे कारण हैं। इन कारणों में तर्कों द्वारा समाप्त्य प्रतीत होनेवाला वह आत्मन्वन अर्थात् पुनर्जन्म न भी जोड़ें ता भी काम चल सकता है।

प्राप्त जीवन में ही समाधान प्राप्त करने की अभिलाषा के अतिरिक्त भागेवाली पीड़ियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ने की आशा जन्म-मरण से छूटने की अभिलाषा इसी प्रकार मानव-जन्म में उत्पन्नित के सिद्धर तक पहुँचने की अभिलाषा इन तमाम विचारों की जड़ में जो थड़ा अडिग रूप में विद्यमान है और जो थड़ा मत्स्यमूलक तथा अनुभव-सिद्ध है यह तो यह है कि—
न हि कस्याप्यकृत् कश्चित् कुर्मति सात गच्छति। श्रयार्थी वा कमी पछसाना तो पड़ता ही नहीं इस सिद्धान्त में निष्ठा हो और यदि यह सिद्धान्त सत्यरुपार्थ के लिए आवश्यक बल प्रदान कर सकता हो तो फिर किस बाद से इस सिद्धान्त में थड़ा उत्पन्न हुई, यह बात बहुत महत्त्व की नहीं रह जाती।

‘इसलिए श्रेयार्थी के लिए यह जरूरी नहीं कि यह किसी एक मत का ही आग्रह रक्कड़ बैठ जाय। शान्ति और आश्वासन देनेवाला भाग ता यह है कि इन दोनों बातों से ऊपर उठकर मनुष्य इस सिद्धान्तों के आधार पर श्रेय प्राप्ति के लिए जीवन का मार्ग निश्चित करे जो अधिक ऊँचे हों और बिनका अनुभव मनुष्य स्वयं कर सक। मुक्ति की भूस को शान्त करने के लिए भले ही वह इनमें से कोई एक या दूसरा या कोई स्वतन्त्र तीसरा तर्क स्वीकार करे परन्तु वह भूलकर भी यह न माने कि यह तीसरा तर्क निश्चित रूप से सही है।”

‘समृद्धि शान्ति’ (जड़मूल से श्रान्ति) में उन्होंने यह बात इनसे ही प्रकार से परा की है। इसमें वे लिखत हैं

“सब धर्मों में एक अन्य सिद्धान्त भी समान रूप से विद्यमान है और दुर्भाग्य से यह सिद्धान्त आज के प्रधना का हृत् बुद्धि में कठिनाईयाँ उत्पन्न करता है। समाज-धर्म के पाठन में यह सिद्धान्त बाधाएँ डालता है और मनुष्य को विशेषतः श्रेयार्थी को सिखाता है कि वह समाज-धर्म की अवगणना करे। यह सिद्धान्त है—भ्यक्तित्व की अमरता और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन-काल में जिस व्यक्तित्व का अनुभव करता है वह अनादि और अमर है मरने के बाद भी पुनर्जन्म के द्वारा, अथवा स्वर्ग-नरक में निवास के द्वारा भी वह कायम रहता है और मनुष्य का असली काम इस संसार को सुधारना नहीं बल्कि परलोक की (अर्थात् भविष्य में अच्छा जन्म अथवा नरक से बचकर असंख्य स्वर्ग या निर्वाण की) प्राप्ति है। इस मस्कार में से ऐसे सिद्धान्त बने हैं कि एहिक जीवन में जितना भी बुन भोगा जायगा पारलौकिक जीवन में उतना ही सुख मिलेगा। धर की छत में से पानी टपकता हो तो आदमी छाता झोलाकर उसके नीचे बैठ जाय। धर के सभी लोग अपने लिए इसी प्रकार की गुविवाएँ कर लें इस प्रकार के तीव्र मस्कार श्रेयार्थी पर पड़ हुए हैं।

“लोक और परलोक इस संसार के और मोक्ष के धर्मों के बीच रात और दिन जैसा विरोध बढाया गया है। मोक्षधर्म का अवलम्बन करने में मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है इस कारण वह सांसारिक प्रवृत्तियाँ करता है। इसमें चित्त-शुद्धि हाथी है इतना लाभ अवश्य है। परन्तु अन्तिम ध्येय ता निवृत्ति भ्यक्तिगत साधना अपने लिए निजी स्वर्ग या मोक्षरूपी परलोक ही होता है। इस कारण संसार को मुक्ती करने का प्रयास करणवाले समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों में पड़नवाले सामाजिक धर्मों का अनुसरण करनेवाले लोग अन्तिम दृष्टि से माया में फँसे हुए ही समझे जाते हैं।

‘इस कारण से तीव्र श्रद्धावाले मनुष्य के हृदय में संसार क प्रति स्वभावतः अनास्था उत्पन्न हो जाती है और वह इनसे दूर भागना चाहता है। क्योंकि यदि वह संसार के कामों में रस लेन लगे तो बहुतीव्र साधक नहीं बन सकता। साधु पुरुष संसार के कामों में रस लेन लगे तो यह एक प्रकार का पतन माना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि संसार की प्रवृत्तियाँ स्वार्थी और पूर्व सोचों के हाथों में ही रह जाती हैं।

‘वस्तुतः आत्मसत्त्व (चैतन्य-शक्ति अथवा ब्रह्म) और भिन्न-भिन्न वेदां में विस्तृतवाले प्रत्यगात्मभाव के बीच का भेद समझ लेना बहुत जरूरी है। चैतन्य-शक्ति अथवा परमेश्वर अनादि-अमर है। इसलिए उसमें से स्फुरित और उस पर आधार रखनेवाला व्यक्तित्व (प्रत्यगात्मभाव) भी अनादि-अमर है ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह ऐसा हा भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वह अनादि-अमर है ऐसा मान लेने से समाज-धर्म के विषय में अनास्था और अपने व्यक्तित्व के विकास में और मोक्ष में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। समाज-धर्म सेवा आदि सबको मनुष्य अपने मोक्ष की सिद्धि के अनुपात में ही महत्व देने लगता है और यदि यह मोक्ष केवल कल्पना ही हो तो इसके भरोसे समाज-धर्म का किया गया त्याग समाज का ब्रह्म साबित हो जाता है।

‘व्यक्तित्व यदि अनादि और अमर हो तो भी समाज-धर्म को छाड़कर श्रेय-साधन की उपासना दोष-रूप है। समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील होना और उसी हेतु से अपनी शक्तियों का उपयोग और विकास करना ही धारणा होनी चाहिए। इस विश्वास के अभाव में समाज ऐसे ही लोगों के हाथों में रहा और रह जाता है, जो इस पीड़ा पहुँचाते रहे हैं। जितने अंध में परमेश्वर में श्रद्धा रखकर इस धारणा का त्याग किया गया है उसी अंध में संसार को सत्पुरुषों की सहायता मिली है और मिरु रही है। वास्तव में मनुष्य को यह चिन्ता करनी ही नहीं चाहिए कि मृत्यु के बाद उसका स्वयं का क्या होगा। वह तो केवल समाज के श्रेय की ही चिन्ता करे।

किशोरलाल माई ने ‘जीवन-दोषम’ पुस्तक पहलू लिखी थी। इतनी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में उनकी धृति कुछ सटस्य-सी थी। परन्तु पुनर्जन्म का स्वीकार करते हैं, तो जीवात्मा अथवा व्यक्तित्व के अनादित्व-अमरत्व की बात माननी पड़ती है। यह वे नहीं मानते थे। इसलिए याद में लिखी ‘समूची ज्ञान्ति’ नामक पुस्तक में उन्होंने यह बात दूसरी दृष्टि में लिखी है। तब क्या मर जाने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का भी अंत हा जाता है? यह मान लेना भी युक्तिमगत नहीं मालूम होता। क्योंकि मनुष्य के मन में यह वासना ता होती ही है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए। मेरे जपाल स इस बात का सुलासा विशारलाल माई दायद इस प्रकार करते कि मनुष्य अपने

जीवन में जिन गुणों का उत्कर्ष कर लेता है अथवा जा दुर्गुण उसके भीतर रह जाते हैं या जो वासनाएँ अधूरी रह जाती हैं, व सब जन-समाज को विचलित रूप में मिलती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पीछे अच्छी विचलित छोड़ने के लिए वह अच्छे गुणों का उत्कर्ष करने का ध्येय ही जीवन में अपने सामने रखे।

कर्म का सिद्धान्त

पुनर्जन्मवाद में से पूर्वकर्मवाद तक द्वारा ही पलित होता है। मनुष्य पूर्वकर्म का अर्थ केवल इतना ही है कि कोई भी वर्तमान स्थिति मनुष्य की ईश्वर की मनमानी का परिणाम नहीं है, बल्कि वह अविनाश में व्यक्ति या समाज द्वारा किये गये किसी पूर्व-कर्म का परिणाम है। इस विषय में किशोरलाल भाई कहते हैं

“सामान्य मनुष्य पूर्वकर्म का अर्थ बहुत सङ्कुचित करने लग है। पूर्वकर्म का अर्थ इस सण के पहले किया गया कर्म नहीं बल्कि एकदम पिछले जन्म का कर्म माना जाता है। हर किसी बात को पूर्वकर्म पर नहीं परन्तु पूर्वजन्म पर डालने की आदत इतनी साधारण हो गयी है कि ‘पूर्वकर्म’ का प्रमाण सब प्रकार के अज्ञान, भ्रम और अंधपन को छिपाने के लिए धुविषा के साथ सोंग करने लगे हैं। कोई बहन बालविधवा है, किसी बहन को बार-बार प्रसूति हानी है, कोई पुरुष या स्त्री रोपी है, देश में पराधीनता है, दरिद्रता है, अस्पृश्यता है, बाल-मृत्युएँ होती हैं, बाढ़ आयी अकाल पड़ गया इन सबको हमारे परिचित या अर्धपरिचित कह देते हैं ‘जैस जिसके कर्म’ और कम इतन में अपने वर्तमान की हति भी समझ लेते हैं।

‘परन्तु जीवन के सभी अनुभवों का पुनर्जन्म के साथ झट-से जाड़ देना जरूरी नहीं है। इन अनुभवों के बहुत से कारण यदि हम खूँन सोंगे तो इसी जन्म के कर्मों या संकल्पों में मिल सकते हैं। अर्थात् इस जन्म के कर्म और संकल्पों की जाँच किये बिना पुनर्जन्म के अनुमान पर भा जाना मूल है।

“फिर सामान्य व्यवहार में हम कहते और मानते भी हैं कि ‘साली लोगों काय से ही बजती है’। यह कहावत सुख-दुःख के अनुभवों पर ही लागू होती है।

आज हम जो सुख या दुःख अनुभव कर रहे हैं वह केवल हमारे पूर्वकर्मों का ही फल नहीं होता। वह हमारे सिवा दूसरों के कर्मों का भी फल हो सकता है। यही नहीं जिन पर हमारा कोई वस नहीं ऐसी प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसका कारण हो सकती हैं। उदाहरणार्थ बाढ़ विजली भूकंप अनावृष्टि जैसे आधिदैविक कारण। कभी एस फल लाने में स्वकर्म अधिक बलवान् होता है ता कभी परकर्म। कभी दोनों का बल समान काम करता है और कभी आधि-दैविक कारण बलवान् होता है। *

एक लड़की बाल-विधवा है। इसमें उसका पूर्वकर्म तो इतना मले ही हो कि वह बिना समझ-बूझ विवाह-मठप में भाकर बैठ गयी परन्तु वास्तव में तो उस अपने माता-पिता के कर्मों के कारण ही यह विधवापन भोगना पड़ रहा है। गायद कोई बहे कि माता-पिता के कर्मों का फल लड़की का भागना पड़े, यह तो अन्याय है। इस आप न्याय सहें या अन्याय परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है, यह ऐकान्तिक नियम नहीं है। इस उदाहरण से ही यह सिद्ध हो जाता है। अतः यह भ्रम दूर हो जाना जरूरी है। रुड़ियाँ अटल हैं, यह मानकर हम जहाँ-तहाँ पूर्वकर्म के कर्मों का नाम ले लते हैं। कितने ही परिणाम स्वसंकल्पजनित कितने ही परमकल्पजनित और कितने ही उभयसंकल्पजनित हात हैं। मनुष्य अपने व्यक्तित्व की वृष्टि से नहीं,

* गीताकार कहते हैं अधिष्ठान कर्ता भिन्न-भिन्न इन्द्रियाँ विविध व्यापार और दीव इत पाँच कारणों से बन्ध बनता है (अ० १८ १४ १५)। सहजानन्द स्वामी ने अपने बचनानामृत में मनुष्य पर असर डालनेवाले आठ कारण गिनाये हैं वेद काष्ठ क्रिया सग मंत्र देवता का ध्यान दीक्षा और शास्त्र। ये पूर्वकर्म के अलावा हैं और इन पर पूर्वकर्म का असर नहीं होता। क्योंकि यदि इन आठ पर पूर्वकर्म का बंध होता तो मानवाङ्ग में कितने ही राजा पुण्यशील हो गये पर उनके लिए तो हाथ गहरा पानी ऊपर नहीं आ गया। और यदि वेद पूर्वकर्म के बंध में हों तो पुण्यकर्मवालों के लिए पानी ऊपर आ जाना चाहिए और पापियों के लिए नीचे खल जाना चाहिए। परन्तु ऐसा तो होता नहीं। इसलिए वेदादिक पूर्वकर्म से टल नहीं सकते।

यसिक ब्रह्माण्ड के एक अवयव की दृष्टि से विचार करे, तो इसका कारण उसकी समझ में स्पष्टता से आ जायगा। व्यक्ति स्वायत्त भी है और ब्रह्माव्याप्त भी। अर्थात् अकारण-पीड़ितों के संकल्पों का प्रतिफल नहीं होता। यह ब्रह्माण्ड के संकल्प या अर्थात् ब्रह्माण्ड की शक्तियों का परिणाम होता है।

“जब यह तो नहीं कहा गया है कि हमारा पूर्वकर्म कारणभूत नहीं होता। जब अनेक व्यक्तियों पर भयंकर संकट आता है और बहुतों का सहार होता है, वहाँ यदि कोई आदमी अचानक भय आता है अथवा प्राणघातक दुर्घटना में से वह अकस्मात् सही सन्नामत निकल आता है, तब जीवन-धारण के किसी बलवान् संकल्प का या किसी पूर्वकर्म का मह फल है ऐसा माना जा सकता है। परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और उसमें भी पुनर्जन्म को सामने रख देना भूल है।

कर्मवाद में से प्रारम्भवाद पैदा हुआ है। प्रारम्भ का अर्थ किन्ना आता है, वे कर्म, जो शुरु हो गये हैं। ज्ञान-प्राप्ति के बाद मनुष्य के दूसरे कर्म क्षय हो जाते हैं। परन्तु जिन कर्मों का भोग शुरु हुआ गया है, उन्हें तो पूरा करना ही पड़ता है ऐसा माना जाता है।” किशोरलाल भार्गी कहते हैं कि इस प्रारम्भवाद का भी बहुत दुस्प्रयोग होता है। वे लिखते हैं

“ज्ञानी माने आसवाले पुरुष अपनी भोग-भूति का पापण करने के लिए भी प्रारम्भवाद का बहुत उपयोग कर लेते हैं। ज्ञानी का भी प्रारम्भ का भोग तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहकर सम्यासी भी धारण-भुशाले ओढ़ सकते हैं कीमती वस्त्र और गहने पहन सकते हैं और दुष्कर्म भी कर सकते हैं।

घासना-क्षय

पुनर्जन्म के बाद के पीछे कर्म का सिद्धान्त होने से कर्मों के नाश का उपाय निकालना अथवा घासनाओं का क्षय करना मोक्ष पुरुषार्थ का साधन माना जाता है। क्योंकि घासना ही बन्धन और जन्म-मरण का कारण है ऐसा तर्क विचारक कहते सुने गये हैं। इस बारे में किशोरलाल भार्गी कहते हैं

‘परन्तु इस विषय में साधक कितनी ही बार घोटाले में पड़ जाता है। जीवन अथवा जीवन के कर्मों के प्रति अदृष्टि हो जाना जीवन में असफल हो जाने के कारण ससार अथवा सम्बन्धी जनों के प्रति कुछ विरक्ति हो जाना

बकाल वृद्धावस्था का आना वराम्य का क्षणिक ऊपरी आवेग आना, इन सबसे साधक ऐसा समझन लगता है कि उसकी वासनाएँ निवृत्त हो गयीं और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे वह शुभ समझता है और इस वृत्ति को पोषण देन का यत्न करता है।

“परन्तु वासनाओं की जड़ इतनी उषष्नी नहीं होती कि झट-से इनका क्षय हो जाय। हाथ में मिट्टी लगने पर जिस प्रकार हम उसे झाड़कर या धोकर साफ कर सकते हैं, इस प्रकार वासना झाड़ी या धोयी नहीं जा सकती। जिस प्रकार हम किसी पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं उसी प्रकार वासना को भी उखाड़कर फेंका नहीं जा सकता।

“सादी कर लें या ब्रह्मचर्य का पालन करें, खूब धन कमायें या दया-सेवा में लग जायें अथवा सन्यास ले लें हरलैड जाकर किसी विषय का खूब अध्ययन करें या हिमालय में आकर एकान्त चिन्तन में जीवन बितायें—बल तक किसी मनुष्य का मन में इस तरह की बुविघाएँ रही हो और फिर किसी आवेग के घटा होकर वह संन्यास लेकर हिमालय में चला जाय तो इस पर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वासनाओं का सफलतापूर्वक उच्छेदन हो गया है। कोई बहुश्रमिया जिस तरह नय-नय रूप लेकर सामने आ जाता होता है उसी प्रकार वासना भी नय-नये बहान बनाकर नये रूपा में हाजिर होती रहती है।

मुझे तो ‘वासना का उच्छेद’ यह शब्द-प्रयोग ही भ्रमपूर्ण मालूम होता है। पुराने जमान में मिट्टी के तेल की बदबू को दूर करने के लिए मागरबल (पान) पसे हाथों में मसले जाते थे। उसी प्रकार मलिन और अपने सुख की वासनाओं का समय करके उन्हें शुद्ध करके परोपकार की वासनाओं में उनका रूपान्तर करना चाहिए। फिर इन शुद्ध वासनाओं को विवेक से और भी शुद्ध करके उनका बेबल इतना पोषण किया जाय कि वे वासनारूप में न रह जायें—केवल सात्त्विक प्रकृति के रूप में सहज गुण बन जायें और अन्त में उसका विलय हो जाय। वासना का अंत करने का यह भस्मे ही एक मार्ग हो सकता है। इसलिए ‘वासना के उच्छेद की अपेक्षा ‘वासना को उत्तरोत्तर अधिकाधिक पालन करना’ यह प्रयोग मुझे अधिक सही मालूम होता है। अनुभवात्मिका को बसपर शुभ वासनाओं का पोषण करना और उन्हें भी उत्तरोत्तर निमल करने

यत्किं ब्रह्माण्ड के एक अवयव की दृष्टि से विचार करे, तो इसका कारण उसकी समझ में स्पष्टता से आ जायगा। व्यक्ति स्वायत्त भी है और ब्रह्माण्डायत भी। अकाल अकाल-पीड़ितों के सन्तुष्टों का प्रतिफल नहीं होता। यह ब्रह्माण्ड के सन्तुष्ट का अर्थात् ब्रह्माण्ड की शक्तियों का परिणाम होता है।

“ऊपर यह तो नहीं कहा गया है कि हमारा पूर्वकर्म कारणमूढ नहीं होता। जब अनेक व्यक्तियों पर संयंकर संकट आता है और सन्तुष्टों का संहार होता है, वहाँ यदि कोई आदमी अज्ञानक बच जाता है अथवा प्राणघातक दुष्टता में से यह अन्तर्मात् सही सलाहगत निकल आता है, तब जीवन-भारण के किसी अज्ञान संकल्प का या किसी पूर्वकर्म का यह फल है ऐसा माना जा सकता है। परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और उसमें भी पूर्वजन्म को सामने रख देना भूल है।

‘कर्मवाद में से प्रारब्धवाद पैदा हुआ है। प्रारब्ध का अर्थ किया जाता है वे कर्म, जो शुरू हो गये हैं। ज्ञान-प्राप्ति के बाद मनुष्य के दूसरे कर्म क्षय हो जाते हैं। परन्तु जिन कर्मों का भोग शुरू हो गया है, उन्हें तो पूरा करना ही पड़ता है ऐसा माना जाता है।’ किशोरलाल भाई कहते हैं कि इस प्रारब्धवाद का भी बहुत बुरा भोग होता है। वे लिखते हैं

“जानी मार्ग जानेवाले पुरुष अपनी भाग-वृत्ति का पोषण करने के लिए भी प्रारब्धवाद का बहुत उपयोग कर लेते हैं। जानी को भी प्रारब्ध का भोग तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहकर सन्तुष्टों भी शक्त-दुष्टाने भोड़ सकते हैं कीमती वस्त्र और गहने पहन सकते हैं और बुद्धि भी कर सकते हैं।”

वासना-क्षय

पुनर्जन्म के बाद के पीछे कर्म का सिद्धान्त होने से कर्मों के फल का उपाय निकालना अथवा वासनाओं का क्षय करना मोक्ष पुरुषार्थ का साधन माना जाता है। क्योंकि वासना ही बन्धन और जन्म-मरण का कारण है, ऐसा तत्त्व विचारक कहते सुने गये हैं। इस बारे में किशोरलाल भाई कहते हैं

“परन्तु इस विषय में साधक किन्तनी ही बार घोटाले में पड़ जाता है। जीवन अथवा जीवन से कर्मों के प्रति अदृष्टि हो जाता जीवन में असफल हो जाने के कारण संसार अथवा सम्बन्धी जनों के प्रति कुछ विरक्ति हो जाना

वकाल बुढ़ाबस्था का आना वैराग्य का क्षणिक ऊपरी आवग आना इन सबसे साधक ऐसा समझने लगता है कि उसकी वासनाएँ निवृत्त हो गयीं और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे वह शुभ समझता है और इस वृत्ति को पोषण देने का यत्न करता है।

“परन्तु वासनाया की जड़ें इतनी उबली नहीं हतीं कि झट-से इनका क्षय हो जाय। हाथ में मिट्टी लगने पर जिस प्रकार हम उसे झाड़कर या धोकर साफ कर सकते हैं, इस प्रकार वासना झाड़ी या धोयी नहीं जा सकती। जिस प्रकार हम किसी पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं उसी प्रकार वासना का भी उखाड़कर फेंका नहीं जा सकता।

“साधी कर लें या ब्रह्मचर्य का पालन करें, खूब धन कमायें या वैश-संघा में लग जायें अथवा संन्यास ले लें इस्लैठ जाकर किसी विषय का खूब अध्ययन करें या हिमालय में जाकर एकान्त चिन्तन में जीवन बितायें—कल तक किसी मनुष्य का मन में इस तरह की दुविधाएँ रही हैं और फिर किसी आवेग के वश होकर वह संन्यास लेकर हिमालय में चला जाय तो इस पर से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वासनाओं का सफलतापूर्वक उच्छेदन हो गया है। कोई बहुदुःखिया जिस तरह नय-नय रूप लेकर सामने आ खड़ा होता है उसी प्रकार वासना भी नय-नय वहाँ बनाकर नये रूपों में हाजिर होती रहती है।

“मुझे तो ‘वासना का उच्छेद’ यह शब्द प्रयोग ही भ्रमपूर्ण मालूम होता है। पुराने जमाने में मिट्टी के तेल नी बदलू का दूर करन के लिए नागरवेल (पान) पत्ते हाथों में मसले जाते थे। उसी प्रकार मलिन और अपन सुख की वासनाओं का क्षय करने उन्हें दूढ़ करके परोपकार की वासनाओं में उनका रूपान्तर करना चाहिए। फिर इन दूढ़ वासनाओं को विवेक से और भी दूढ़ करके उनका केवल इतना पोषण किया जाय कि वे वासनारूप में न रह जायें—केवल सात्त्विक प्रकृति के रूप में सहज गुण बन जायें और अन्त में उनका विलय हो जाय। वासना का अंत करने का यह भस्मे ही एक माग हो सकती है। इसलिए वासना के उच्छेद की अपेक्षा ‘वासना को उत्तरोत्तर अधिनाधिक दूढ़ करना’ यह प्रयोग मुझे अधिक सही मालूम होता है। अधुन वासनाओं को दबाकर शुभ वासनाओं का पोषण करना और उन्हें भी उत्तरोत्तर निमल करने

जाना, यह बात अधिक समझ में आने लायक है। जिस प्रकार अत्यंत महीन अंजन आँसों में चुमता नहीं अथवा फूल का सूक्ष्म पराग मातावरण को बिगाड़ता नहीं इसी प्रकार वासना का अत्यंत निमल स्वल्प धित में अद्यान्ति नहीं पैदा करता और सत्य की खोज में बाधक नहीं होता। निर्वासनिक्रता और इस स्थिति के बीच यदि भेद हो भी, तो वह बहुत सूक्ष्म है। २ + २ + २ + २ = ८ इस प्रकार अनवधि एक का उत्तर और १ के बीच जितना अंतर है, उतना ही यह अंतर कहा जा सकता है।'

जीवन का ध्येय सावजनिक हो

व्यक्तिगत मोक्ष को ध्येय बनाने से कई बार मनुष्य का समाधान नहीं होता। यह बात समझाने के लिए फिदोरसाल भाई 'संसार अने धर्म' पुस्तक में (पृ० ३६ ३७) लिखते हैं

"व्यक्तिगत मोक्ष के लिए बहुत-से साधु पुरुषों ने बड़ा पुरुषार्थ और त्याग किया है और सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गयी है। परन्तु यदि यह मोक्ष केवल कल्पना की ही वस्तु हो और मोक्ष सिद्ध हो गया एसा लयाल हो जाने के बाद यदि कुछ ही बिल बाद उनकी मृत्यु हुई हो तो उनकी मृत्यु शान्ति और समाधानपूर्वक हो जाती है। परन्तु यदि उसके बाद वे अधिक समय तक जिये हैं तो मृत्यु के समय अधिक जीने की इच्छा और पल भरत वे वेग्ले गये हैं। क्योंकि कास्मिक मोक्ष की इत्यार्थता कम हो जाने के बाद कोई बन्धी हुई कामना अथवा अधिक आये बढ़ने की कामना उनका नया ध्येय बन जाती है और वह उनमें जीने की अभिलाषा को बनाये रखती है।

'परन्तु जिसके सामने ज्ञान-अनजान में विश्व के जीवन को किसी दिशा में अधिक समृद्ध करने का ध्येय होता है, और जो इसीमें अपना व्यक्तिगत ध्येय भी समाविष्ट है, उसे इस ध्येय के लिए जीना उपयोगी मान्य होता है और यदि उसके लिए मरने की जरूरत हुई, तो मरना भी उपयोगी मान्य होता है। इसी प्रकार काम भरत-करते स्वामाविक मृत्यु आये तो भी उसमें उसे शान्ति और समाधान मान्य होता है।

'मृत्यु को जीतने का यही निश्चित मार्ग मान्य होता है। अर्थात् जीवन का ध्येय स्वसदी नहीं, व्यक्तिगत नहीं बल्कि विश्वव्यापी और सावजनिक हो।

उसे आप ध्येय मानें या अपने ध्येय का साधन समझें, अथवा अपने ध्येय को ध्येय बना लें और सावजनिक जीवन को समृद्धि को उसका अनिवार्य साधन बना लें। यदि हमारे ध्येय और विद्व-जीवन की समृद्धि के बीच विरोध नहीं बल्कि मेरु काम कर लिया गया है यदि इस ध्येय का कुछ अंश हमारे अपने जीवन-काल में और अपने ही हाथों सिद्ध होने का आग्रह नहीं रखा है, बल्कि उसे इतना लम्बा और ऐसा सार्वभौमिक बना दिया गया है कि उसकी सिद्धि अनेक लोगों का हाथ सगने पर और दीघकाल में होनेवाली है तो ऐसे ध्येय के लिए जीने और मरने में भी समाधान बने रहने की पूरी संभावना है। दूसरा कोई ध्येय यह परिणाम नहीं ला सकता।

मोक्ष के सम्बन्ध में नायजी के विचार

व्यक्तिगत मोक्ष का ध्येय अपने सामन रखने के कारण हमारे समाज का कितनी हानि सहनी पड़ी है इस बारे में नायजी कहते हैं

“मोक्ष जैसा व्यक्तिगत कल्याण का ध्येय मान लेने के कारण सामुदायिक लाभ और कल्याण के लिए जिस सामुदायिक विचार, वृत्ति और सद्गुणों की जरूरत होती है वे अभी तक हमारे भीतर नहीं आये और न अंकुरित ही हुए। हर मनुष्य अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दुःख भोगता है हम किसीको सुखी या दुःखी नहीं कर सकते, कोई किसीको सुखी या दुःखी करता है यह केवल भ्रम है—इस प्रकार की शिक्षा हमें एक जमाने से मिलती रही है। यह शिक्षण दन में देहु चाहे कितना ही अंधा रहा हो परन्तु यह हमें अत्यंत स्वार्थी बनाने में कारण बन गया है। ऐसा लगता है कि आज के अनर्पों व बहुत-से बीज इसी शिक्षा में हैं। दन विद्वत्ता बँधव अथवा अथ किसी विशेष प्राप्ति द्वारा हम सुखी हो अथवा मोक्ष-प्राप्ति द्वारा अपना कल्याण-साधन करें, इन सबमें सामुदायिक कल्याण का विचार कहीं भी किसी प्रकार नहीं मिलता। इस पर स ऐसा जाठ होता है कि हममें सामाजिक अथवा सामुदायिक वृत्ति का जो अभाव पाया जाता है उसका कारण हमारे अन्दर यह व्यक्तिगत लाभ करने की वृत्ति का विकान बनबाड़ी शिक्षा ही होनी चाहिए। हमारे आधार-विचार में कहीं व्यापक वृत्ति नहीं सब संकुचितता ही दिखाई देती है। इसके और भी कारण हा मरने हैं। परन्तु यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है ऐसा विश्वासपूर्वक लगता है।

यदि हमें कगता है कि यह स्थिति अवनतिवर्षक और घोषनीय है तो इसे धवसने का हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें उपास और उपयुक्त ध्येय अपने सामन रखना चाहिए। इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। हम मनुष्य हैं और यदि मनुष्य की भांति हमें जीना है, तो सद्गुणों के सिवा यह बात कभी सिद्ध नहीं हो सकती। यह बात सबसे पहले हमारे हृदय में अंकित हो जानी चाहिए। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह सामाजिक प्राणी है। इसलिए व्यक्तिगत कल्याण अथवा हित की कल्पना वावास्पद समझी जानी चाहिए। व्यक्तिगत हित कोई चीज नहीं हो सकती। वह तो व्यक्तिगत स्वार्थ से सम्बन्ध रखनेवाली कोई क्षुद्र अथवा महान् अनिच्छावा मछे ही हो। इससे आज नहीं तो कल सामुदायिक दृष्टि से हानि हुए बिना नहीं रह सकती यह हम निश्चयपूर्वक समझ लें। धन विद्या सत्ता किसी एक के हाथों में आये फिर भी उसका सवुपयोग अथवा सही उपयोग तो तभी समझा जायगा जब उसका उपयोग सधके हित के लिए होगा। सब तरफ से—सभी दृष्टि से जब तक हम सामाजिक नहीं धन पाठ तक तक हमारे भीतर मानवता नहीं आयेगी। हमारा धर्म नहीं है जिससे मानव-मान का कल्याण हो। मानव-मान में हम भी आ ही जाते हैं। इसलिए इस धर्म से हमारा अहित नहीं—सबके साथ हमारा भी हित ही होगा। ऐसी धर्रा हमें रखनी चाहिए। हमारा सबका जीवन मानवीय सद्गुणों पर ही चल रहा है। जहाँ-जहाँ हमारे अन्दर सद्गुणों की कमी होगी वहाँ-वहाँ दुःख के प्रसंग आयेंगे फिर यह न्यूनता हमारे अपने भीतर हो या दूसरा के भीतर—उससे हम या वे अवश्य ही दुःख पायेंगे। जहाँ सद्गुणों का अभाव होना वहाँ उसका परिणाम किसीको न किसीको तो भोगना ही पड़ेगा। यह तो नियम ही है। इसलिए हम सब सुखी बनना चाहते हैं, तो हमें सद्गुणी बनना ही पड़ेगा। यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और उस विश्वास में हमारे प्रयत्न भी सतत हाते रहन चाहिए। हम समाज के एक भटक हैं। समाज हममें ही बना है। हमारे सबके मस्ते-बुरे कामों का असर सभी पर भला या बुरा होता रहता है। किसी भी मस्ते-बुरे काम का परिणाम केवल उसके करनेवाले को ही नहीं भोगना पड़ता। हमारे सबके कामों का परिणाम हम सबको भोगना पड़ता है। इस प्रकार इस एकत्रण के सामाजिक सम्बन्ध से और न्याय से हम

मापस में एक-दूसरे के साथ बंध हुए हैं। अस्वच्छता और अव्यवस्थितता दोष हैं। इनके परिणाम रोगों के रूप में अथवा अन्य ही किसी रूप में मनुष्य को मुगतने पड़ते हैं। अपना समाज बनकर मनुष्य एक साथ रहता है। ऐसी स्थिति में हम अकेले स्वच्छता से रहें या केवल हम अपने निवास को ही स्वच्छ रखें केवल इतने से हम निरोग नहीं रह सकते। इसलिए हमारे घाब-घाब हमारा मकान दूसरे कोग और सारा गाँव जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम अपने-आपको रोगों के अमर्षों से सुरक्षित नहीं मान सकते। गाँव में कहीं भी रोग उत्पन्न होता है तो उसके दुष्परिणाम सबको भागने पड़ते हैं। जिस प्रकार यह प्रकृति का नियम है उसी प्रकार मनुष्य के दूसरे व्यवहारों की भी बात है। मनुष्यों को विचार करके मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों मनुष्य के कर्मों और उनके परिणामों के नियम बूँद लेने चाहिए। कार्य-कारण भावों की जाँच करनी चाहिए। यदि यह किया जायगा तो मनुष्य इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि हम सब एक-दूसरे के कर्मों से बंधे हुए हैं। आज समाज में जो बहुत बड़े-बड़े झगड़े होते हैं उनमें झगड़ा उत्पन्न करनेवाले कौन होते हैं और उनके अत्यंत दुःख दायी परिणाम किन्हें भोगने पड़ते हैं? मुद्दों की सृष्टि कौन करता है और प्राण-हानि और सर्वनाश किन्हें भोगना पड़ता है? इन सब बातों का यदि विचार किया जायगा तो हम इसी निश्चय पर पहुँचेंगे कि किसी भी कर्म का फल केवल उसके करनेवाले को ही नहीं बल्कि एक के कर्म का फल दूसरे को बहुतों को अथवा सबके कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। संसार में यही व्यवस्था या न्याय चल रहा है। परन्तु जीवन का व्यक्तिगत ध्येय हमने जो एक बार श्रद्धापूर्वक बना लिया है उसे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगत् में जो न्याय (नियम) प्रत्यक्ष चालू है उस पर विचार नहीं करते। पूर्वजन्म और पूर्वजन्म की कल्पना से पूर्वकर्मवाद का आश्रय लेकर अपनी पुरानी श्रद्धा को पकड़कर बैठे रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। परन्तु अब धरती है कि व्यक्तिगत ध्येय की कल्पना से और उसके कारण एकीकी स्वभाव से आज तक हमारा और हमारे समाज का जो अहित हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन अपने समाज राष्ट्र मानव-जाति आदि सबके हित की दृष्टि में अपने ध्येय पर गभीरता से साथ विचार करें।”

चौथा पुरुषार्थ मोक्ष नहीं, ज्ञान

इन सभी बातों का विचार करते हुए किसोरलाल भार्गव को लगा कि 'काम अर्थ, धर्म और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में चौथे पुरुषार्थ का नाम जो मोक्ष रखा गया है, इससे कुछ अंश में भ्रम पैदा हो जाता है। इससे बदले चौथे पुरुषार्थ का नाम यदि ज्ञान रखा जाय तो सारा घोटाला दूर हो सकता है। किमी भी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए शोध किये बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। शोध काम अर्थात् सुख के लिए हो अर्थ के लिए हो या धर्म के लिए हो प्रत्येक शोध के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से मनुष्य सुख का शोध करता है अर्थ का शोध करता है और धर्म का भी शोध करता है। शोधन का अर्थ है जिसकी जानकारी नहीं उसकी जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी को शुद्ध करना। भाव के पुरुषार्थ से मनुष्य को इतना समाधान हो जाता है कि उनका पहले का पुरुषार्थ गौण बन जाता है। उदाहरणार्थ अर्थ की प्राप्ति के लिए काम को गौण बनाना पड़ता है और धर्म की प्राप्ति के लिए अर्थ को गौण बनाना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञान की शोध की प्राप्ति में मनुष्य को इतना समाधान हो जाता है कि यही एक स्वतंत्र पुरुषार्थ बन जाता है और इसमें इससे धर्म, अर्थ और कामरूपी फलों का उपभोग करने की इच्छा मंद हो जाती है। इस तरह काम अर्थ और धर्म के साथ ज्ञान चौथा पुरुषार्थ बन जाता है।"

मोक्ष से बदले ज्ञान को चौथा पुरुषार्थ मानना क्यों आवश्यक है यह किसोरलाल भार्गव नीचे लिखे अनुसार समझाते हैं

किसी अतिप्राचीन काल में ज्ञान-प्राप्ति की राह के बीच कम का सिद्धान्त और उसके परिणामस्वरूप पुनर्जन्मवाद की शोध हुई। जिसने ज्ञान के पुरुषार्थ से अंत तक पहुँचकर अपन अस्तित्व के मूल—आत्मतत्त्व को ढूँढ़ लिया उसने अपन लिए पुनर्जन्म की संभावना तथा उसके भय से भी मुक्ति पा ली। आत्मतत्त्व की खोज में पुनर्जन्म को रोकने अथवा उसके भय से छूटने का साधन मिला गया।

ऐसे किमी कारण से चौथे पुरुषार्थ का नाम ज्ञान के बदले मोक्ष हो गया और उसका अर्थ पुनर्जन्म से छूटने के लिए किया गया पुरुषार्थ हो गया। पुनर्जन्म के बाद के मूल में कम का सिद्धान्त होने के कारण कमनाश के उपाय की मीजना

करना चौथे पुरुषार्थ का ध्येय मान लिया गया। धर्म, अर्थ और काम किसी न-किसी रूप में कर्म का विस्तार बढ़ानेवाले ही हैं। इस कारण इनमें और मोक्ष के बीच रात और दिन के समान विरोध है ऐसी विचार-सरणी पदा हा गयी। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों से निवृत्ति अथवा इन तीनों के साथ जिन कर्मों का सम्बन्ध न हो उनमें प्रवृत्ति यही चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि का साधन मान लिया गया।

कुछ लोगो को लगा कि वध और मोक्ष दोनों चित्त पर लागू होनेवाले धर्म हैं। चित्त अर्थात् अनेक सत्कारों का समूह। इन सत्कारों का जार ही चित्त का बन्धन है और इनकी लिपिलता चित्त का मोक्ष है। मनुष्य ने अपने-आपको वेद जाति धर्म अधम नीति अनीति आदि अनेक सत्कारों से बाँध लिया है। इन सत्कारों के बन्धन को तोड़ देना ही मोक्ष है।

इन विचारों में तथ्यांश है। परन्तु जिस प्रकार से इन विचारों का पोषण किया गया है उसका कारण कुछ विपरीत परिणाम भी निकले हैं। प्रवृत्ति विचार अथवा निवृत्ति-विचार, सत्कारों का वधन या लिपिलता—ये संपूर्ण नहीं मर्यादित सिद्धांत हैं। फिर यह मर्यादा मित्र-मित्र समय में संकोच और विकास प्राप्त करती रही है। इस बात की ओर दुर्लक्ष हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर कृत्रिम और जड़ निवृत्ति के लिए और दूसरी ओर स्वच्छन्दता के लिए मोक्ष के मांग द्वारा सला परवाना मिल गया। चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कममात्र से पूर्णतः निवृत्त हो ही जाना चाहिए, यह कल्पना 'मोक्ष' अर्थ न निर्माण की। इसी प्रकार आचार और विचार में भी इसने बहुत स घाटासे और अस्पष्टताएँ निमाण कर दी ह। प्रवृत्ति और साधना को कृत्रिम मार्गों में मोक्ष दिया और सांसारिक तथा पारमार्थिक इस प्रकार वा तरह क—मानो एक-दूसरे से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखनेवाले—कर्मों के भेद निर्माण कर दिये।

'इस प्रकार 'मोक्ष' अर्थ अनेक प्रकार से ध्यायक बन गया। अस्तुत चौथा पुरुषार्थ मोक्ष नहीं बल्कि ज्ञान अथवा शोध है। इसके लिए जिये जान वाले प्रयत्न के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम का शोधन करता है अर्थात् उसकी प्रोज करती है और उनके लिए की जानवाली प्रवृत्तियाँ को शोध करता है।

इसीसे यह इनकी मर्यादाओं को तथा एक-दूसरे पर लगे अंधुओं को जानता है और अंत में इसीके द्वारा सत्कार को तथा स्वयं अपने को भी खोजता है तथा मुक्त करता रहता है। यहाँ तक कि जीवन के मूल कारण को भी ढूँढ़ लेता है। मानी पुरुष धर्म अपना नीति के बन्धनों में से अपने-आपको मुक्त नहीं कर लेता बल्कि धर्म के मर्यादा स्वयं को जान लेता है विविध कर्मों की अपने काम के अनुसार मर्यादाओं को जान लेता है और उनके बन्धनों तथा मर्यादाओं को ज्ञानपूर्वक स्वीकार कर लेता है और इन मर्यादाओं में रहकर अब तथा काम का उपभोग करता है।

“जिस प्रकार पहले तीन पुरुषार्थों का ध्येय जीवन का निर्वाह और उत्तम सुख है, उसी प्रकार चौथे का भी ध्येय वही है। मरने के बाद की स्थिति की चिन्ता करना अनावश्यक है। जिस प्रकार जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहार से धर्म का सम्बन्ध नहीं रहने से तारतम्य का भंग हो जाता है, वीथी ही बात चौथे पुरुषार्थ पर भी लागू होती है।

‘यदि इस प्रकार देखेंगे, तो चार पुरुषार्थों में रात और दिन जैसा अन्तर नहीं मालूम होगा बल्कि वे एक-दूसरे पर आवृत और एक-दूसरे का नियन्त्रण करनेवाले प्रतीत होंगे।

‘मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, श्रेयार्थी होना चाहिए, ‘सुसुप्तु’ (शोध और सुख की इच्छावाला) होना चाहिए। इससे यह अनेक बहनों अज्ञान अपुरे ज्ञान अनिश्चितता संशय में कहे, तो अज्ञान से मुक्ति पा जायगा। यदि सृष्टि के नियमों में पुनर्जन्म हो, तो उसे समाधानपूर्वक स्वीकार कर लेने का वह उस मिला जायगा और यदि यह केवल कल्पना ही है, तो इससे वह डरेगा नहीं। यदि पुनर्जन्म सत्य हो किन्तु वह टाला जा सकता हो तो इसके मार्ग को भी वह विशेष श्रद्धा और ऐसा बना सकेगा जिससे अधिक विपरीत परिणाम न आयें। पुनर्जन्म के भय से वह कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, बल्कि जिज्ञासा सत्य शोधन की बुद्धि और श्रद्धा बनने की आकांक्षा से चौथे पुरुषार्थ में प्रेरित होगा।

×

×

×

“ज्ञान के पुरुषार्थी को ज्ञान के लिए किया गया प्रयत्न और ज्ञान की प्राप्ति में से मिलनवाला समाधान ही उमका अपना सुख होगा। परन्तु सत्कार

क हित की दृष्टि से यह पुरुषार्थ उचित विद्या में हो रहा है या नहीं यह दमन के लिए यह जरूरी है कि यह प्रयत्न धर्म का निष्पत्ति करने में अथवा उसका अनुसरण करने में तथा उसके द्वारा अर्थ और काम की मिष्टि करने में भी मददगार हो रहा है। यह सिद्धान्त ज्ञान के पुरुषार्थ का श्रुतवन्तुमा है। उसका अंतिम फल* आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व को खोजकर अपनी निरालम्ब सत्ता का दर्शन है।

शुद्ध आलम्बन और निरालम्ब स्थिति

इस विषय में किशोरलाल भाई के ये विचार थे

‘ज्ञान का ध्येय है अर्थ और काम की उत्तरोत्तर शुद्धि और शोध करना। ज्ञान का अंतिम फल है अपने और ससार के अस्तित्व में मूल को जान लेना और आत्मा की निरालम्ब सत्ता का दर्शन करना।

“परन्तु इसके साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा की निरालम्ब सत्ता की जानकारी (अर्थात् आत्मा को छोड़कर कोई अन्य इस पर सत्ता चलाने-वाला नहीं है यह निष्पत्ति हो जाना) एक बात है और इस निरालम्ब स्थिति में रहना यह दूसरी बात है।

“जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहा जाता है, उसे छोड़कर किसी अवश्य शक्ति पर आभार रखने की जरूरत न लगना अपने द्वारा किये गये कर्मों के फल भोगने में सुख हो या दुःख अथवा दूमरा भी ओर से या सृष्टि के नियमों से सुख या दुःख आ पड़े तो भी धैर्य न छोड़ना और समता रखना मरने के बाद हमारा क्या होगा या क्या होवा होगा इसकी छेड़मात्र भी चिन्ता या कल्पना भी न करना बल्कि जो जीवन प्राप्त हो गया है उसमें शुभ कर्म और शुभ विचारों में लगे रहना तथा अपनी सत्त्व-संपुष्टि के लिए सदा यत्नशील बने रहना और इसके आगे का विचार भी न करना—इस प्रकार की शुद्ध निरालम्ब स्थिति में सदैव टिके रहनेवाले व्यक्ति पाड़े ही देखने में आते हैं।

* ज्ञान का अंतिम फल मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। परन्तु इससे होनेवाले भ्रम को दूर करने के लिए किशोरलाल भाई ने उसे ध्येय-प्राप्ति कहा है और मुमुक्षु के लिए ध्येयार्थी साधक, शोधक अथवा जिज्ञानु शब्दों का प्रयोग किया है।

वस्तु है कि यदि कोई चाहे तो इसके विषय में अपने अनुभव और विचार से ही अपने मन का समाधान कर सकता है।

आत्मा-परमात्मा के विषय में उनके विचारों का सार इस प्रकार है

(१) नामनामक पुरुषार्थ का अंतिम निर्णय यह है कि प्राग्निमात्र में स्फुरत मरमेवाला जो चैतन्य-सत्त्व है उससे परे और उस पर सत्ता धारण करनेवाला दूसरा कोई तत्त्व नहीं है। उसे आरमत्त्व कहिये या प्रकृतत्व। विश्व के मूल में वही एक चैतन्य-तत्त्व है। इसमें लिप्ता जम जाने और उसके स्मर रहने का नाम ही निरालम्ब' स्थिति है।

(२) यह चैतन्य-सत्त्व है इसमें तो कोई मन्देह है ही नहीं परन्तु यह प्रमाणातीत है। प्रमाणातीत है इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को उसके बारे में केवल श्रद्धा रखनी चाहिए। स्वयंसिद्ध के रूप में इसकी प्रतीति हर कोई कर सकता है। इस प्रतीति का नाम ही 'आत्मज्ञान' है।

(३) आत्मतत्त्व है ही इसलिए वह सत् है। वह चित् अर्थात् ज्ञान क्रियारूप है। दूसरे शब्दों में जो 'है' ऐसा समझता है उसका मूल कारण उसके अन्दर बसनेवासी चैतन्य की सत्ता है। 'है' में जो क्रिया या ज्ञान का बोध होता है उसकी जड़ उसमें बसा हुआ चैतन्य-तत्त्व है।

(४) जब तक चित्त की संशुद्धि नहीं हो जाती तब तक उस किसी-न-किसी आत्मम्बन की अकृत रहती ही है और ऐसा होना उचित भी है। यह आत्मम्बन कास्परिक नहीं बल्कि सत्य होना चाहिए। भले ही उसकी सत्यता के विषय में हमें आत्मप्रतीति न भी हो।

(५) परमात्मा ही एक ऐसा आत्मम्बन है। परन्तु परमात्मा का स्वल्प समझन में अनेक भ्रान्तियाँ पैदा हो गयी हैं और इनके कारण ज्ञान और भावों की संशुद्धि में बाधियाँ आ गयी हैं और इनके कारण अम्युदय तथा पुरुषार्थ में बिम्ब सट्टे हो जाते हैं।

(६) आत्मम्बन की शुद्धता का विचार करते हुए परमात्मा के बारे में किया गया यह अनुसंधान ठीक मामूम हाता है

१ वह सत्य ज्ञान तथा क्रियास्वरूप है।

२ वह जगत् का उत्पादान कारण है।

३ वह सर्वव्यापक और विभु है।

४ उसका यही नाम रूप गुण आकार है ऐसा नहीं कहा जा सकता।

वह नाममात्र आकारमात्र और गुणमात्र का आश्रय है।

५ कारणरूप में वह सत्य सकल्प का दाता और कर्मफल का देनेवाला है।

६ वह अलिप्त है और साक्षीरूप में प्रतीत होता है।

७ वह महान अनंत और अपार है।

८ वह स्थिर और निश्चल है।

९ वह संसार का तन्त्री और सूत्रधार है।

१० वह श्रेष्ठ है।

११ वह उपास्य एष्य भरेष्य शरष्य और समर्पणीय है।

१२ संसार में जो भी शुभ-अशुभ विभूतियाँ हैं वे उसीके कारण हैं।

इसलिए वह समस्त शक्तियों का भाण्डार है। परन्तु इनमें से मनुष्य को केवल उन्हीं शक्तियों का अनुसंधान करना चाहिए, जो ध्येयार्थों के लिए शुभ और अनु-शीलन करने योग्य हैं। इसकी अनुशीलन और अनुसन्धान करने योग्य शक्तियाँ बोड़े में कहे तो ज्ञान प्रेम और धर्म के अनुरूप श्रियाशक्तियाँ हैं।

(७) सत्त्व-संशुद्धि का फल प्रत्यक्ष जीवन में बुद्धि और भावना के उत्कर्ष के द्वारा मरण और मरणोत्तर स्थिति के विषय में मनुष्य को निश्चय करके समाधान और शान्ति देता है। सत्त्व-शुद्धि जीवन की साधना और साध्य दोनों हैं।

अवतारवाद

किशोरलाल भाई ने जिस प्रकार मास की मान्यता का धारण किया है, उसी प्रकार हिन्दू-धर्म की कितनी ही अन्य मान्यताओं का भी धोषण किया है। इनमें अवतारवाद और मूर्ति-पूजा मुख्य हैं। किशोरलाल भाई कहते हैं कि अवतारवाद के पीछे नीचे लिखी मान्यताएँ पायी जाती हैं

‘जीवात्मा संभिन्न प्रकार का एक ईश्वरात्मा है। वह हमका साथ पुरुषों और धर्म का पक्ष लेता रहता है। दुष्ट लोग तथा अधर्म का वह शत्रु है। ममात्र में अधर्म का बल कम और कर्म बढ़ता है। इसका वह सदा ध्यान रखता है और

ऐसा करते हैं, वे पहले नहीं, तो बाद में अपनी अबुद्धि का ही पोषण करते और उसे बढ़ाते हैं। इसमें कल्याण नहीं।

मूर्ति-पूजा

मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में किशोरलाल भाई ने अपन विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं

‘अपने पुण्य या स्नेहीजनों के स्मारक के रूप में उनकी मूर्ति या प्रतिमा बनाना इतना अस्वाभाविक या दोषपूर्ण नहीं, बितना कि इसलाम में बताया है और उसकी सरपूर निन्दा की है। मूल पुरुष के प्रति जो स्नेह और पुष्प भाव होता है, वही अद्यत उसकी प्रतिमा के प्रति भी हो यह स्वाभाविक है। परन्तु वह प्रतिमा है यह भूलकर, उसमें चेतन है ऐसी भावना करके उसे यद्मिवासा मानकर जो पूजा-विधि बनायी जाती है अपार श्रम किया जाता है मादह रखा जाता है और उसके लिए शगड़ किये जाते हैं इसमें शिवेक-मर्यादा का अतिरेक है।

‘प्रारम्भ में योग्यासी को आलम्बन के रूप में मूर्ति की उपयोगिता मासूम हुई होगी बाद में चञ्चल चित्त को सर्वत्र मूर्ति का ध्यान—अनुसन्धान—रुगाय रहाने के लिए दिनभर मूर्तिसम्बन्धी श्रियाएँ ही करते रहना पड़े इस विचार से सबेरे से लेकर रात तक मूर्ति-पूजा का कार्यक्रम बना दिया गया हो यह भी सम्भव है। किसी योग्यासी को जो ब्यवसाय उस समय के विचारों की दृष्टि से आवश्यक मासूम हुआ होगा वह कुछ समय बीतने पर उन लोगों के भी जीवन का ब्यवसाय बन गया, जिन्हें स्वप्न में भी योग्यासी का समास नहीं होगा। जिस वस्तु को साधन के रूप में स्वीकार किया गया वही साम्य बन गयी ऐसा भसे लगता है। धीरे-धीरे इसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि मूर्ति-पूजा भक्ति मार्ग का आवश्यक अंग-सी बन गयी अथवा भक्ति-मार्ग के समान मूर्ति-पूजा भी मानो उन्नति का एक स्वतंत्र साधन ही है ऐसा महत्त्व उसे मिल गया।

‘योग्यासी के लिए भी मूर्ति-पूजा आवश्यक नहीं है और दूसरा के लिए तो वह अवश्या वहम अबुद्धि कृत्रिम श्रियाकाण्ड और ईस्वर तथा धर्म के नाम पर शगड़े बढानेवासी वस्तु बन गयी है।

“कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति-पूजा तो मनुष्य-स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है और यदि वह हटा दी जाय तो दूसरे किसी रूप में आ ज़ठी होगी। परन्तु यह तो अस्पृश्यता के बारे में भी कहा जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि वह दूसरा रूप लेकर आयेगी या नहीं। मुख्य प्रश्न केवल यही है कि आज जिस रूप में वह हमारे सामने खड़ी है वह रूप अनिष्ट है अथवा नहीं। फिर जब वह दूसरा रेश लेकर आयेगी और अनिष्ट उत्पन्न करेगी तब यह जिम्मेदारी उस समय के लोग की होगी कि वे उसे झूठी बताकर उसका निरोध करें। हम तो उसके आज के विकृत रेश को दूर कर दें इतना ही काफी है।

अंतिम कथन

‘जीवन-शोधन’ नामक अपनी पुस्तक में किशोरलाल भाई ने अध्यात्म और धर्म के प्रायः प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उनमें से केवल कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषया पर ही—जिनमें किशोरलाल भाई को भ्रमपूर्ण भारणाएँ विचार्य दीं—उनके कुछ विचार ऊपर दिये गये हैं। किशोरलाल भाई में सांख्य वेदान्त और यागसम्बन्धी विचारों का भी शोधन किया है। परन्तु सामान्य पाठकों को उनमें दिलचस्पी नहीं होती यह सोचकर उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

‘जीवन-शोधन’ पुस्तक के अन्त में उन्होंने ‘अंतिम कथन’ शीर्षक यह अध्याय लिखा है

ये सारे लेख निन्दा-भ्रुद्धि से नहीं लिखे गये हैं। परन्तु भ्रामक भावों और कल्पनाएँ अथवा सच्चे भावना की झूठी कल्पनाएँ सत्य के वर्णन में कितनी बाधक होती हैं और इस कारण कितना धर्म व्यर्थ ही गलत विज्ञान में खड़ा जाता है इसके अवलोकन और प्रत्यक्ष अनुभव पर से यह सिद्धा है।

‘हम पुस्तक के निष्पत्ति के रूप में मुझे जो कहना है वह सूत्ररूप में लिख दूँ ता वह पाठकों के लिए ठीक होगा। परन्तु वे इतना अवश्य याद रखें कि ये सूत्र इस पुस्तक का सन्वयन (Summary) नहीं हैं।

(१) ‘बिद-धर्म’ नाम यदि साधक है, तो वह—ज्ञान का—अनुभव का धर्म है। इसका यह दावा है कि जो भी अंतिम प्राप्तिय है, वह इस जीवन में ही सिद्ध हो

सकता है। शास्त्र केवल अपनी प्राचीनता के कारण अथवा प्रसिद्ध ऋषियों के द्वारा रचे जाने के कारण मान्य नहीं हो सकते। वे उतने ही अंश में विचारणीय हैं कि अति अंश में उनके भीतर जीवन के मूल प्रश्नों के विषय में अनुभव के—अथवा अनुभव प्राप्त करने में मार्गदर्शक होनेवाले वस्तु हैं। फिर ये शास्त्र प्राचीन हों या अर्वाचीन प्रतिष्ठा पाये हुए हों या न भी हों संस्कृत प्राकृत या संसार की अन्य किसी भी भाषा में लिखे हुए हों। अनुभव की वाणी जीवित मनुष्य की हो या मृत की, वह विचार करने के योग्य है।

(२) अनुभव यथार्थ और अयथार्थ—दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर अनुभव और अनुभव का झुलासा (उपपत्ति) इन दोनों में भेद है। इसलिए अनुभव अथवा उपपत्ति भी केवल विचारणीय ही मानी जानी चाहिए। वह जिस अंश में हमें अपने अनुभव में सही मालूम हो उतने ही अंश में मान्य की जाय।

(३) प्राचीन काल से लेकर आज तक जिस अंश में गहन विचारकों के अनुभव और उसकी उपपत्ति में समानता होगी उतने ही अंश में शास्त्र प्रमाणभूत होंगे।

(४) इस शास्त्र-प्रमाण तथा अनुभव-प्रमाण के अनुसार सर्वत्र समान रूप से ध्यात् एक आत्मसत्त्व है। यह सिद्धान्त स्वीकार करना योग्य है। इसकी सौम्य ज्ञानरूपी पुरोधार्य का अंतिम ध्येय है। यह ध्येय मृत्यु के बाद नहीं—इसी जीवन में सिद्ध करना चाहिए।*

(५) इसके लिए कृत्रिम पूजा वेश कर्मकाण्ड की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने देश काल उम्र जाति वंश सत्कार, शिक्षा आदि को ध्यान में रखकर, निरंतर साधना रहकर साम्यावस्था और वर्माधर्म का सावधानी से विचार करके समाज के और अपने जीवन के धारण पोषण और सत्त्व-संशुद्धि के लिए आवश्यक कर्म करे भित्त-शोधन का अभ्यास करे, तो वह जीवन के ध्येय का प्राप्ति

*हम जन्म-मरण से छूट जायें यह जीवन का उचित ध्येय नहीं। जन्म-मरण का भय छोड़कर हम अपनी मनुष्यता को बढ़ायें। इसके लिए पुरोधार्य करना चाहिए।

कर सकता है और गुणों का जो स्वामाविक विकास तथा पराकाष्ठा का क्रम होगा उसे गति दे सकता है।

(६) सारासार-विवेक की दृष्टि से एक सामान्य पुष्पार्थी मनुष्य के लिए आचार, वाणी या वेश में जो बात अनुचित मान्य पड़े वह एक सिद्ध या मुक्त मनुष्य कर सकता है ऐसे वचन में अज्ञान, पागलपन अथवा पासण्ड है।

(७) एक ओर अनुभव और दूसरी ओर तर्क अनुमान और कल्पना इनके बीच बड़ा भेद है। अनुमान को सिद्धान्त समझना या कल्पना को सत्य समझना बड़ी भूल है। सत्य-शासन में ये भूलें बहुत बड़े विघ्न पैदा कर देती हैं। जिस पीछ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है उसके विषय में सशक अथवा तटस्थ रहना सत्य शोधक का कर्तव्य है।

(८) इसी प्रकार 'वाद' और 'सिद्धान्त' के बीच भी भेद है। प्रत्यक्ष परिणामों अथवा अनुभवों के अगोचर कारणों के विषयों में या प्रत्यक्ष कर्मों के अगोचर फलों के विषय में संयुक्तिक कल्पना 'वाद' है। किन्तु 'सिद्धान्त' अनुभव अथवा प्रयोग से सिद्ध अक्षर मियम है। 'वाद' को 'सिद्धान्त' समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह चाहे किताब ही संयुक्तिक और संतोषप्रद मान्य हो फिर भी इसी विषय को समझने के लिए अन्य कोई दूसरा ही वाग पेश करे, तो उसकी किसीको शिकायत नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस वाद के मानने वाले के मन पर इससे फलस्वरूप जो संस्कार दृढ़ हो गये हैं उन संस्कारों के गुण वाप की दृष्टि से इस वाद की समालोचना या शुद्धि करना जरूरी हो सकता है। इससे अधिक इस वाद के शब्दन-मण्डन के अथवा उसी वाद को पकड़कर बैठन का आग्रह नहीं रखना चाहिए।

(९) सत्यशोधक में तटस्थता निराग्रह निष्पामता या निःस्पृहता जैसे गुण और पूर्वग्रह का त्याग अवश्य होना चाहिए। अमुक आग्रह या भावना में नहीं छोड़ सकता इस तरह का आग्रह सत्य-शोधन में बाधक होता है। किसी मान्यता अथवा कल्पना में मध्यता है इसलिए उसे पकड़ करके बैठ जाने का आग्रह भी बाधक है। शास्त्र में न एक वाक्यता पैदा करने का आग्रह भी सत्य की रात्र में बाधक है। शोधन का विषय शास्त्र नहीं बल्कि आत्मा या चित्त है

और यह शास्त्रों में नहीं हमारे अन्दर है। बुनने की कला सीखने में इस विषय की पाठप-मुस्तक का सीखने में जितना उपयोग हो सकता है, केवल उतना ही उपयोग शास्त्रों का जीवन में हो सकता है। परन्तु जिस प्रकार बुनाई सीखने का अधिक उचित साधन पाठप-मुस्तक नहीं बल्कि कारखाना और अधिक अनुभवी बुतकर होते हैं, इसी प्रकार आत्म-शोधन का अधिक उचित साधन शास्त्र-अध्ययन नहीं, बल्कि हमारा अपना चित्त और सद्गुरु तथा सत्पुरुषों का भक्तिपूर्ण सत्संग है।

(१०) भाषा की अस्पष्टता विचारों में अस्पष्टता निर्माण करती है। इसलिये तत्त्वचिन्तक को इस बारे में भी सावधान रहना चाहिए।

(११) सत्य-शोधक में व्याकुलता जिज्ञासा शोधक बुद्धि सत्त्व-संशुद्धि विचारमय और पुरुषार्थी जीवन पूज्यजनों और गुरुजनों में भक्ति आधार, ससार के प्रति निष्काम प्रेम जैसे अभ्यवसाय इतकता भ्रमशीलता आत्मा और परमारमा को छोड़कर दूसरे किसी आत्म्यन के विषय में निःस्पृहता—इतन गुण तो अवश्य होने चाहिए।”

२ कोळबणी (शिक्षा)

गुजराती भाषा के 'कोळबणी' शब्द में जितना अर्थ आ जाता है, उतना इसके लिए प्रयुक्त अन्य किसी भी भाषा में शायद ही होगा। हिन्दुस्तानी 'तामीम' शब्द में शायद वह पूरा अर्थ आ जाता है। उसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करना चाहिए तो किशोरभास भाई कहते हैं 'संस्क्रिया' अथवा 'संस्करण' शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। 'संस्क्रिया' का अर्थ है—सरीर, मन बाकी भावत सगल बुद्धि आदि में जो भी अभ्यवस्था हो उसे व्यवस्थित करने की क्रिया। फिर कोळबणी के सिद्ध चित्त मित्र-मित्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन पर विचार करके उन्होंने बताया है कि वे कितने प्रकार अचूरे पड़ते हैं। इसका उन्हांन विवेचन भी किया है।

कोळबणी और शिक्षण

'कोळबणी' के अर्थ में प्रायः 'शिक्षण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'शिक्षण' का अर्थ है सीखना और ज्ञान हाथ पर सभी चीज सीखना। जो चीजें

मासूम नहीं हैं, उनके बारे में जानकारी देने का अर्थ है शिक्षण। विशोरलाल माई कहते हैं —

परन्तु 'केळवणी' शिक्षण में समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि शिक्षण अधिकंश में परोक्ष होता है। जिस देश की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वह जानकारी सही है या गलत यह तो हमने वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखा नहीं। जिस भाषा का अर्थ करने हम उसे जानते हैं उस देश के लोगों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय होता नहीं। जिस दल के इतिहास की बातें हम पढ़ते हैं उनके मूल भाषाओं की खोज हमने की नहीं होती। इस तरह शिक्षण से हम जा प्राप्त करते हैं, वह परोक्ष होता है। इस परोक्ष ज्ञान को जब हम अपनी बौद्ध-पद्धतारु से ठीक करते हैं तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान बनता है। ज्ञान जब तक परोक्ष अर्थात् केवल सीखा हुआ होता है तब तक उसके प्रति हम केवल भ्रम रख सकते हैं। यह भ्रम गलत भी हो सकती है। जिस वस्तु के बारे में केवल भ्रम होती है, सब पूछिये, तो वह ज्ञान—अर्थात् जानी हुई अनुभूत वस्तु - नहीं केवल मान्यता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कामकाजी को प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा और आवस्यता होनी चाहिए। जिज्ञासा और आवस्यता संस्कार का विषय है। यह संस्कार प्रदान करना 'केळवणी' का एक अंग है।

शिक्षक अथवा माता-पिता विद्यार्थी को अनेक वस्तुओं का परोक्ष ज्ञान दे सकते हैं परन्तु अनेक वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकते। यह तो प्रायः विद्यार्थी को ही जब कभी समझ हो, स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। परन्तु यदि कोई शिक्षक ज्ञान को—प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा विद्यार्थी में उत्पन्न कर सकता है और इस विषय की आवस्यता उसे बाल सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने ज्ञान प्राप्ति की एक ज्ञानी विद्यार्थी के हाथ में दे दी। 'केळवणी' का अर्थ केवल जानकारी देकर रुक जाना नहीं है। बल्कि ज्ञान-प्राप्ति की अलग-अलग धारियाँ देना भी होता है। इस तरह 'शिक्षण' की अपेक्षा 'केळवणी' में अधिक अर्थ है।

"परन्तु कितनी ही वस्तुओं के बारे में परोक्ष ज्ञान भी न हो, तो मनुष्य घाटे में रह जाता है। इसलिए यह मानन की जरूरत नहीं कि शिक्षण निरर्थक है। परन्तु मनुष्य जिस स्थिति में है उसका विचार करके उचित प्रमाण में ज्ञान

प्राप्त करने की आसत यदि वह नहीं बासता है, तो उसकी सारी कामकारी मिथ्या पाण्डित्य ही मानी जायगी। उसका उपयोग न खुद उसे होगा न समाज को।

केळवणी और विनय

'अग्नेजी के 'एग्मूकेशन और सस्कृत के 'विगम' शब्द भी केळवणी का पूरा अर्थ नहीं सूचित करते। 'एग्मूकेशन' का अर्थ है 'बाहर (अर्थात् ज्ञान के बाहर) ले जाना और 'विनय' का अर्थ आगे (अर्थात् पाड़े ज्ञान में से अधिक ज्ञान की ओर) ले जाना है। सामान्य भाषा में विनय का अर्थ ममता अथवा—सम्य व्यवहार—है। हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी में विनय हो। जिसमें यह ममता, सम्य व्यवहार नहीं उसे हम सुसिद्धित—(केळवायेळा)—नहीं कहेंगे। दूसरी ओर जो पढ़ा-सिखा हो नहीं है किन्तु जिसमें आचार की सम्मता तो है तो उसे हम सुसंस्कारी—(केळवायेळा) समझते हैं। शास्त्र शिक्षण की अपेक्षा विनय का महत्त्व अधिक है और 'केळवायेळा' मनुष्य में इन दोनों की अपेक्षा रखी जाती है।

परन्तु 'केळवणी' केवल विनय और बाहरी सम्य व्यवहार में भी समाप्त नहीं होती। बल्कि व्यवहार और वाणी के विषय में अपनी बुद्धि से विचार करके भले-बुरे का निश्चय करना और मन बानी और कर्म को उसके अनुसार व्यवस्थित करने की अपेक्षा 'केळवणी' में होती है। जब तक विवेक-बुद्धि स्थिर नहीं हो जाती केळवणी अधूरी रह जाती है।

केळवणी और विद्या

'विद्या' से भी केळवणी में अधिक अर्थ है। केळवणी विद्या से ऊंची वस्तु है। आदमी बहुत-सी विद्याएँ जानकर भी नीतिरहित हो सजता है। अर्थात् सारे विद्या-संपन्न मनुष्य 'केळवायेळा' होते ही हैं सा बात नहीं। केळवणी को नीति-विचार से अलग नहीं किया जा सकता। विद्या के साथ-साथ मनुष्य में नीति-विचार का भी विकास होगा सभी और उठने ही अर्थों में उस विद्या को केळवणी में स्थान मिल सकेगा।

विद्या और केळवणी के बीच का भेद एक अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि विद्या के केवल एक भाग है, परन्तु केळवणी

के दो अथवा बहुत-सी आँसों होती हैं। विद्या रसिक मनुष्य जिस वस्तु के पीछे पढ़ जायगा केवल उसीको यह देख सकता है। चित्र-विद्या के पीछे पड़े तो केवल इतना ही वह देखेगा कि चित्र-विद्या में प्रवीणता प्राप्त करनी है। चित्र के साथ साथ सत्य नीति जनहित उपयोगिता इत्यादि कहीं तक हैं इनका विचार वह नहीं करता। 'केळवायेळा' मनुष्य चित्र-विद्या विषयक प्रवीणता का अवश्य स्वीकार करेगा परन्तु साथ ही सत्य नीति जनहित और उपयोगिता के विषय में लापरवाह नहीं रहगा।

विज्ञान और केळवणी

जिस प्रकार विद्या और केळवणी के बीच भेद है उसी प्रकार विज्ञान और केळवणी के बीच भी भेद है। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात् इसमें शिक्षण की अपेक्षा अवश्य ही अधिक केळवणी है। फिर भी विज्ञान में (अर्थात् पदार्थों के अनुभवयुक्त विशेष ज्ञान में) भी केळवणी की पूर्णता नहीं हो जाती। इसका कारण यह है कि विज्ञान आत्मोन्नति और अनहित का सदैव ध्यान नहीं रखता। केळवणी इन चीजों को परलभ के लिए भी छोड़ नहीं सकती। विज्ञान और केळवणी के बीच यही मुख्य भेद है। प्रत्येक वस्तु की खोज करनेवाला अवश्य ही विज्ञान-शास्त्री कहा जायगा। इससे भी अधिक वह धायद मूल कारण तक भी पहुँच जाय उसकी खोज का समार को कुछ उपयोग भी हो परन्तु सम्भव है कि यह विज्ञान इस मनुष्य के लिए धान्तिप्रद और समार के लिए हितकारी लाभद न भी हो। इस तरह देख तो केळवणी विज्ञान की विरोधिनी तो नहीं परन्तु विज्ञान से विरोध है।

विज्ञान की जिस शाखा के बगैर केळवणी अचूरी रह जाती है, वह है चित्र की भाषनाओं का विकास और इस दृष्टि से चित्र के मूल का शोधन है। भाषनाओं की शुद्धि विकास और चित्र का पाषण—यह विज्ञान—केळवणी का सास भग है। इससे रहित दूसरा विज्ञान—प्रकृति के नियमों का और अनुभवों का भण्डार—बहुत बड़ा है। परन्तु वह हमें धान्ति देगा अथवा उससे हमारा जीवन अधिक सुखी होगा, इसका कोई निश्चय नहीं है। अनेक बार तो विज्ञान में पाषण-रूप होने की शक्ति भी हाती है।

‘फिर भी यद्यपि विज्ञान से केळवणी की परिश्रमाप्ति नहीं होती तथापि विज्ञान के संस्कारों के बगैर केळवणी का काम नहीं चल सकता यह बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ। इन संस्कारों का अर्थ है अवलोकन और तुलना करने की आदत।’

केळवणी और अभ्यास

इसके बाद वे समझाते हैं कि केळवणी में अभ्यास का कितना महत्व है

‘अभ्यास का अर्थ है एक ही काम को बार-बार करना। अभ्यास के महत्व को हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल में ही पहचान लिया गया है। परन्तु अभ्यास के साथ जो दूसरे अंग भी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। शारीरिक मानसिक कोई भी शक्ति प्राप्त करने के लिए अर्थात् इस पर पूरा-पूरा अधिकार पाने के लिए अभ्यास के बगैर काम नहीं चल सकता। अभ्यास के बिना संस्कार बूढ़ नहीं होते। इसलिए हम जिस किसी तरह अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक क्रिया तीन प्रकार से की जाती है। भय से लाभ से या उस क्रिया के प्रेम से भय से और लाभ से भी संस्कार डाले जा सकते हैं। अधिकांश में इन्हींमें से एक या दोनों के द्वारा अभ्यास करने का यत्न किया जाता है। इस तरह से अभ्यास करना अभ्यास करनेवाले के लिए आसान पड़ता है। इसमें अभ्यास करनेवाले की बिभेक-बुद्धि को विकसित नहीं करना पड़ता। सरकस के मालिक जानवरों को भय दिखाकर ही सीमा करत है। छात्राओं में शिक्षक भी प्रायः इसी पद्धति से काम लेते हैं। बहुत से सप्रणय प्रवर्तकों ने भी इसी प्रकार भय या आशा दिखाकर समाज में अच्छी आदतें डालने का यत्न किया है। ये आदतें कभी-कभी बूढ़ भी हो जाती हैं परन्तु केवल मूढ़तावश। इनका रहस्य लोग नहीं जानते। जो भय या आशार्थ वतायी गयी है यदि बहट जाती है या सैकड़ों वर्षों से पडी हुई आदतें बहुत लंबे समय में मिट जाती हैं। मोठे समय की अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों ने हमारे समाज के संयम के अति प्राचीन संस्कारों को वेसते-वेसते उड़ा दिया। इसका कारण यदि गोजने जायें, तो यही दियेगा कि इन संस्कारों को यमदण्ड अथवा स्वम-सुख के साथ जोड़ दिया गया था। किसी भी कारण से इस भय अथवा आशा पर से भ्रष्टा

हटते ही और माटे तौर पर सपूण प्रतीत होनेवाले आधिभौतिक वाद पर श्रद्धा ।
 बमते ही वह समय बचा गया । शुष्क वेदान्त का भी बहुत से लोगों के जीवन ।
 पर ऐसा ही परिणाम हुआ है । जैन-धर्म में तप और समय पर बड़ा जोर दिया
 गया है । फिर भी कितने ही जैन साधुओं और गृहस्थों में इतनी चरित्रभ्रष्टता
 सुनी गयी है कि विल काँप जाता है । इसका कारण यही हो सकता है कि इस
 तप और समय का स्वीकार उसके अपन महत्त्व के और प्रेम के क्रांतिर नहीं बल्कि
 किसी भय के निवारण या सुख-प्राप्ति की आशा से किया होता है । ज्यों ही
 मनुष्य समझने लगा है कि ये भय अथवा सुख केवल कल्पनामात्र हैं, त्या ही ये
 तप और संयम पतझड़ के मौसम में उड़नेवाले पत्ता की भाँति झड़ गये होंगे ।

‘तात्पर्य यह है कि अम्यास और अम्यास की क्रिया पर प्रेम हागा तभी यह
 अम्यास मनुष्य को लाभदायक हो सकता है । यह अधिक कठिन है । इसमें
 अम्यासी की विचार-शक्ति जाग्रत होने की आवश्यकता है । इसमें प्रेम होने के
 लिए उसमें उपयोगी होनेवाले गुणों का विकास हो जाना चाहिए । इस प्रकार
 का अम्यास अतिशय धीमा ही हो सकता है ।

‘परन्तु आज अम्यास की आवश्यकता पर कितन ही लोगों को अश्रद्धा
 होती दिखाई पड़ती है । वे अम्यास के बजाय साहचर्य के नियम पर जोर देते
 हैं । इस अश्रद्धा का कारण अम्यास के नियमों के विषय में हमारी दालाओं में
 पोषित गलत खयाल ही है । दालाओं में अम्यास का उपयोग तो हम अंक तथा
 कविताएँ घोखने में होता देखते हैं । जिसकों का खयाल है कि घोखने से अंक
 और कविता याद रहती है । इसलिए याद रखने के लिए घोखने की अस्मरत है ।

“साहचर्य के नियम के जानकारों का कहना है कि यह केवल भ्रम है ।
 हमारी शक्ति मूसव ही इतनी पूष हाती है कि यदि एक बार किसी चीज का
 ज्ञान सते है, तो वह भूलती नहीं । परन्तु जिस चीज को हम याद करना चाहते
 हैं उस स्मृति में ठीक से भरन की कला याद हानी चाहिए ।

‘इसलिए ऐसा नियम बनाया जाता है कि किसी वस्तु को याद करने के
 लिए केवल उसीको याद रखन वा यत्न करना गलत पद्धति है । सही पद्धति
 यह है कि हर क्रिया करते समय आसपास की सभी बातों पर नजर डाल लेनी
 चाहिए । सूई रखने जायें तो सूई के साथ दूसरी कौन-कौन चीजें वहाँ पड़ी हैं

यह वेस सेना चाहिए। यह डिब्बा कहाँ रखा है इसके छाप और क्या-क्या है, यह सब ध्यान में रख सेना चाहिए। ऐसा करने से सूई कहाँ रखी है इसका समाल करते हैं तो आसपास की दूसरी चीजों की भी स्मृति प्राप्त हो जाती है और सूई का स्थान याद आ जायगा।

स्मृति में किसी भी वस्तु की छाप डालने के लिए एक संस्कार काफी है। इस छाप का हमें बार-बार उपयोग करना होगा। इससे अपने-आप—जनायास अभ्यास हो जायगा। इस छाप को प्राप्त करने में अधिक समय न लगे, ऐसी धादत डालने के लिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जिससे एक ही संस्कार से स्मृति प्राप्त हो सके ऐसी छाप इसके सामबाके सम्बन्धों की पडनी चाहिए।

साहचर्य का नियम कहता है कि नयी चीज जल्दी सीखनी हो तो मनुष्य की बृत्ति अत्यन्त सावधान होनी चाहिए। सारा ध्यान वहीं हो। अभ्यास का नियम कहता है कि सीखी हुई चीज को धृक् और जब चाहें सब काम में जाने लायक बनानी है, तो उसकी बार-बार आबृत्ति होनी चाहिए।

“सद्गुण दुर्गुण, अच्छे और बुरे काम करने की आदतों में सब अभ्यास होती है। केवल विवेक से अच्छे कामों के प्रति आदर हो सकता है उसकी महिमा समझी जा सकती है। भले-बुरे का भेद आवश्यक जान सकता है। परन्तु जो अच्छा है, उसके आचरण और जो बुरा है उसे टाकने के लिए तो अभ्यास ही जरूरत है। यह अभ्यास जबरबस्ती में या मारुत से करया जायगा तो इससे उत्पत्ति ही होगी, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। इसलिए यह अभ्यास विचारपूर्वक और उसके प्रति प्रेमपूर्वक ही होना चाहिए। अभ्यास के अर्थ में केवलभी पूरी नहीं होती इसका अर्थ यही है कि अभ्यास के अर्थ विचारी हुई वस्तु हजम नहीं होपी।”

केवलवणी और विवेक-बुद्धि

इसके बाद केवलवणी और विवेक-बुद्धि के बारे में विचार करते हुए रिखोरसाल भाई कहते हैं

“विवेक-बुद्धि को मैं इष्ट देवता के समान पूज्य मानता हूँ। कम, पवित्र, ध्यान, ज्ञान अभ्यास छप इत्यादि विविध मायनों के द्वारा व्यावहारिक जीवन में

यदि कोई वस्तु प्राप्त करने लायक है, तो वह विवेक बुद्धि का विकास है। किन्हीं दवाविकों के दशन या श्रद्धि-सिद्धियों की मुझे सुष्णा नहीं है। परन्तु भक्ति आदि से यदि देवता प्रसन्न हों तो मैं तो यही चाहूँगा कि वे मेरी विवेक-बुद्धि को विकसित और दृढ़ करें।

‘यह विवेक क्या है ?

“ ‘विवेक’ का अर्थ केवल सम्यक्तायुक्त व्यवहार नहीं है। यह तो है ही। विवेक का दम्भार्थ विशेष अथवा सूक्ष्म विचार होता है। हम जो कुछ चाहते हैं करते हैं सीखते हैं मानते हैं, सो क्यों सीखते मानते और करते हैं यह हमेशा सोचकर ही सीखते मानते और करते नहीं हैं।

अविचारपूर्वक किये गये काम मान्यता या शिक्षण हमेशा सराब ही होते हैं यह मेरा मतलब नहीं है। परन्तु सु-कर्म सु-शिक्षण और सु-अज्ञा में भी यदि विचार न हों तो उनमें सामियाँ रह जाती है। एक तो यह कि विचार पूरक किये गये काम में जो गुणों को प्रकट करने और उन्हें बृद्ध करने की शक्ति होती है, वह विचारहीन कर्म में नहीं होती। दूसरे, आदत चाहे किये ही पुरानी हा उसे सग-दोष अथवा हामि पहुँचा सकता है। उदाहरण के लिए मैं कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारूँ यह अवश्य एक सुकर्म है। परन्तु यदि इस सुकर्म की आदत मुझे केवल धा-परपरा के सत्कारों से ही पड़ी है गुरुजनों के उपदेश से अथवा परब की भीति या स्वर्ग-भुक्त के लालच से ही पड़ी है और उसमें स्वतन्त्र रूप से मैंने कोई विचार कायम नहीं किया है तो इस कर्म से जिस गुण की वृद्धि हानी चाहिए, वह नहीं होगी।

‘संक्षप में जब तक मेरे कर्म के पीछे जिस गुण या इच्छा का बीज होगा उसके बारे में मेरे अपने हृदय में विवेक-विचार नहीं आयेगा तब तक मेरे भीतर वह शक्ति नहीं आयेगी कि मैं इन गुणों का सब कामों में विस्तार करूँ। अथवा क्या करना और क्या नहीं करना इस विषय में इस गुण में रहकर विचार करूँ सग-दोष न लगने दूँ और दोषमुक्त गुण, इच्छा अथवा आदतों को टाकूँ।

विवेक के उत्कर्ष को मैं जीवन का और इसलिए ‘केलवणी’ का अन्तिम श्रेय मानता हूँ। अबलोकन (अर्थात् शोधन की जिज्ञासा और बारीकी) की

तीव्रता, उचित भावा के पोषण के फलस्वरूप होनेवाला भावनाओं का विकास और संपूर्ण जागृति का अभ्यास—इस तरह में 'केळवणी' के विभाग करता है।

“इनमें कुछ और भी जोड़ने की जरूरत है। केवल विवेक-वृद्धि सारा सार की यथार्थ पहचान और निर्णय करने की शक्ति ये सब एक गुण के अभाव में निष्पन्न हो सकते हैं। वह गुण है—वृद्धता अथवा धृति। आठ विवेक के द्वारा निश्चित की है उसे मजबूती के साथ पकड़े रहने की शक्ति मनुष्य में होनी चाहिए। यह वृद्धता, धृति ही आत्मबल मनोबल आदि कही जाती है। तालीम स जिस प्रकार मनुष्य के स्नायु बलवान् हो सकते हैं उनी प्रकार धृति भी बलवान् हो सकती है।

जीवन में आनंद का स्थान

हमारी शाळाओं और सुमारे हुए समाज में साहित्य संगीत और कला के नाम पर जो अनब किया जाता है और उसके नाम पर जिस प्रकार विचारिता और नैतिक शिक्षिता का पोषण किया जाता है, उस पर किशोरलाल भाई ने कई बार सख्त आपत्ति की है। फिर व जीवन की 'केळवणी' में और जीवन के विषय में साहित्य समीक्षा और कला को बहुत ज़ेबा नहीं बल्कि सीमित ही स्थान देने हैं। इस कारण जो लोग उनके प्रत्यक्ष परिचय में नहीं आ सके हैं उन्हें तो ऐसा भी लग सकता है कि वे जीवन में आनंद का कुछ स्थान देते भी थे या नहीं। इस पर वे उन्होंने अपनी 'केळवणीना पाया' नामक पुस्तक में 'जीवन में आनंद का स्थान' शीर्षक से एक सम्बन्ध प्रकरण लिखकर इसका विस्तृत विवेचन किया है। उनके सामने प्रश्न यह था कि उत्तम की अथवा सत्यशापक की दृष्टि से आप (किशोरलाल भाई) बाल्यनिक बातें साहित्य संगीत, कला आदि पर टीका करते हैं। तब क्या आनंद में मनुष्य की उत्तम करने की कोई शक्ति ही नहीं है और इसलिए यच्चों का आनंदित करने के लिए शिक्षण को कुछ करना चाहिए या नहीं?”

इसका उत्तर देते हुए किशोरलाल भाई कहते हैं

“इस विषय पर विचार करने के लिए आनंद की भावना का थोड़ा विस्मयक करना होगा। चित्त की प्रसन्नता का नाम ही यदि आनंद है तो चित्त जब अपनी

स्वभाविक स्थिति में रहता है तब प्रसन्न होता है और हम कह सकते हैं कि वह आनन्द में है। चित्त की प्रसन्नता केवल बाहर से निर्माण की जानेवाली स्थिति नहीं है। यह तो चित्त का आंतरिक धर्म ही है। परन्तु हमारे चित्त के तार निरंतर हिंसते ही रहते हैं। ता जिस प्रयत्न से यह गति ऐसी नियमित हो जाय कि चित्त बार-बार अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता रहे, वह प्रयत्न प्रसन्नता लाने के लिए अनुकूल कहा जायगा।

‘परन्तु प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयत्न यह उद्देश्य पूरा करने में समान रूप से सफल नहीं होता। इसका एक कारण तो हमारे प्रयत्नों की गलत विधा ही होती है। हम प्रसन्नता को भीतर से देखने और विचार की सहायता से विकसित करने के बखे हम उसे बाहर से देखने और बाहरी वस्तुओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाहर की वस्तुओं से हमें कई बार जो आनन्द प्राप्त होता है उसका कारण हमारे चित्त की आंतरिक प्रसन्नता होती है। वह आनन्द वस्तु की किसी मोहकता के कारण नहीं मालूम होता।

‘मैंने देखा है कि कितने ही बाहर से विनोदी और सुसमिजाज माने जानेवाले आदमियों के हृदय किसी भारी ढोक के भार से दबे हुए पाये जाते हैं। वे दूसरों को इतना हँसा सकते हैं कि हँसत-हँसते वे छोट-मोट हो जायें। उतनी देर के लिए वे स्वयं भी बड़े आनन्दमग्न मालूम होते हैं। परन्तु भीतर से तो उनके हृदय में मानो होखी जलछी रहती है। इसके विपरीत दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानो ‘कानीजी दुबले क्यों बाहर के अँदंग स’ कहावत के अनुसार चिन्ता का भार अपने सिर पर सिये घूम रहे हैं। वे शायद ही कभी गपराप रुगानेवाले मित्र-मण्डलों में जाकर बैठते हैं। वे मदा जीवन के गम्भीर प्रश्नों पर विचार-चिन्तन किया करते हैं। फिर भी उनमें कभी-कभी ऐसी प्रसन्नता देखी जाती है कि जिसकी कल्पना भी ये सुसमिजाज लोग नहीं कर सकते होंगे।

‘जिन समय हम भीतर से प्रसन्नता अनुभव कर रहे हों तब बाहर मृष्टि के प्रति हमारी भावना—हमारा आनन्द या हमारा ढोक—और भीतर की प्रसन्नता का ताल खो गया हो तब कृत्रिम उपायों से आनंदित होने का प्रयत्न—इन दोनों के बीच के अंतर को हम कुछ विचार करने पर जान सकते हैं।

“जब किसी कारण मैं अपनी प्रसन्नता खो बैठा हूँ, तब अपने आचरण से ही मुझे सन्तोष नहीं मिलता। तब मैं हिमालय कश्मीर, महामण्डेश्वर या अपना देवा छोड़कर दूर वहाँ जाना चाहता हूँ। परन्तु उन स्वामी से मैं ममत्व नहीं बाँध सकता तब उनके रंग रूप और सौन्दर्य से आनन्दित होना मना करता हूँ। मेरी प्रसन्नता खो गयी है इसलिए मैं बाहरी सुन्दरता को ध्यानपूर्वक देखता हूँ। अपनी प्रसन्नता के अभाव में सामान्य वस्तुओं में घसनेवाली प्रसन्नता को देखने-सहचानने की मेरी बुद्धि जड़ बन जाती है। इसलिए जो वस्तु सामान्य हान के कारण मेरी इन्द्रियों को अपनी ओर खींचती है उसे मैं सुन्दर मान लेता हूँ। जब मुझे भीतरी प्रसन्नता होती है तब तो अपने कपास के खेत को देखकर भी मुझे खुशी होती है। किन्तु प्रसन्नता के अभाव में कश्मीर का केसर का खेत देखने के लिए मैं तरसने लगता हूँ जिसकी रत्नवाली धिजली के दीपक जलाकर की जाती है।

‘अपनी भीतरी प्रसन्नता के समय जब मैं किसीके संपर्क में आता हूँ तब अपने सम्कारों के वन होकर मैं विविध प्रकार की क्रियाएँ करता हूँ। उनमें अपना धारा हृदय उँड़भूता रहता हूँ। इसमें मरा मुख्य रहस्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का और सामनेवाले व्यक्ति को उसकी छूत भगान का होता है। छोटा-सा बच्चा माये और मेरे पास कहानियों का भण्डार हो तो मैं उसे सुनाकर मैं उस प्रसन्न करने का यत्न करता हूँ। यदि कहानियों का भण्डार न हो अथवा उस विषय में मर विषय की कसौटी बड़ी हो तो मैं कोई दूरदरा तरीका सोचता हूँ। गाथा-पिता हूँ तो उनकी मनपसन्द या आवश्यक सेवा करने के लिए प्रेरित होता हूँ। यदि मेहमान आते हैं तो उनकी और अपनी रुचि और अर्थियों का मेल साधकर उनकी आवश्यकता करने का यत्न करता हूँ। यदि कोई गरीब आदमी आ जाता है, तो उस अपनी बीज देने की प्रेरणा मुझे होती है और कोई धीमा-दिवलता है तो उसकी परिचर्या करना चाहता हूँ। इस प्रकार अपनी आठ गिब प्रसन्नता के कारण हममें से किसी-न-किसीके लाभ के लिए अपनी किसी वस्तु या शक्ति का किसी भी तरह त्याग करने की दृष्टि से मेरी गारी क्रियाएँ जाती हैं। इन त्याग का मुझ परचाताप नहीं होता। बल्कि उल्टे घृतापता और धर्मता मानूम होती है। फिर यह त्याग चाहे कितना ही कीमती क्या न हो।

“किन्तु आन्तरिक प्रसन्नता के अभाव में ये सारी की सारी क्रियाएँ ऐसी ही हों, मेरा त्याग कितना भी बड़ा क्यों न हो तो भी वह सब बौद्ध रूप मालूम पड़ता है। समय-पत्रक में कहानी कहने का समय है इसलिए कहानी कहनी पड़ती है। माता पिता की आज्ञा है इसलिए उनके पर धराने के लिए बैठना पड़ता है। मेहमान आये हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। चन्दा लेने के लिए कोई नेता आये हैं इसलिए चन्दा देना पड़ता है। बीमार को कहीं ले जाकर फेंका नहीं जा सकता इसलिए सेवा होती है। इन सब कामों में चाहे कितने ही मुझे हाथों अथवा किया हो उनके साथ कितना ही अट्टहास क्या न जाया गया हो फिर भी इन सबमें कृतार्थता अथवा धन्यता का अनुभव नहीं होता।

‘सर्व पूष्टिमे’ तो प्रसन्नता हर्ष उत्पन्न करनेवाली भावनाओं के लिए विषेय पक्षपात करनेवाली और शोक उत्पन्न करनेवाली भावनाओं को नापसन्द करनेवाली नहीं होती क्योंकि हर्ष और शोक दोनों हमारे चित्त की तरंगों के अनिवाय पहलू होते हैं। एसी कोई बात नहीं कि हर्ष उत्पन्न करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नता लाती ही हों और शोक उत्पन्न करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नता का नाश करनेवाली ही होती हों। परन्तु अमुक प्रकार के हर्ष और शोक प्रसन्नता के काल को समान रूप से निष्कट रानेवाले होते हैं।

‘इसके अलावा प्रसन्नता में से उत्पन्न होनेवाला आनन्द किसी भी प्राणी को पीडा पहुँचाये बिना या भोग रूप हुए बिना (भोगना हाँ तो) भोगा जा सकता है जब कि बाहरी वस्तुओं से प्राप्त किये जानेवाले आनन्द में वे वस्तुएँ उत्पन्न करने में तथा उनके द्वारा आनन्द भोगने में भी अनेक निर्दोष प्राणियों को कष्ट उठाना पड़ता है। ताजमहल या अजन्ता की गुफाएँ भले ही बरछा और सँघिस का भण्डार हों परन्तु ताजमहल की पत्ती-पत्ती और फूल-फूल में एक आत्मिक बाधवाहक द्वारा हजारों गरीब कारीगरों और मजदूरों से जबरन कटायी गयी मजदूरी का त्रास भरा है। इनके वर्सक देस के करोड़ों अघभूषों के लिए उपयोगी सिद्ध होनेवाला धन बर्बाद करके ही बर्हा जा सकत है।

अजन्ता की गुफाएँ बौद्ध-काल में हमारे देस के कितने ही साधुओं द्वारा कसा-कौशल की पराधाया की भले ही प्रतीक जान पड़ें परन्तु वे एसे साधुओं की याद भी दिलाती हैं जो मुद्द के उपदेशों का मूल गये थे सामान्य कर्म-भाग को

छोड़ने का असली कारण क्या था, इस भी उन्होंने मुझ दिया था और राष्ट्र के अन्न पर जीकर भिक्षुओं के बेश में भी विलास और वैभव का उपभोग कर रहे थे। जब वस्तुस्थिति एसी बिछाई देती है, तब बच्चों को या किसी दूसरे को आनंदित करने का उपाय उन्हें संगीत, कला कहानी विनोद चित्र ताजमहल या अजन्ता की गुफाएँ दिखाना नहीं है बल्कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा और हमारे प्रति उसका प्रेमोद्ब्रेक है। प्रेम का उद्ब्रेक हा तो दोनों एक-दूसरे को सुपचाप देखते रहें, तो भी उन्हें कृतार्थता का अनुभव होगा। परन्तु यदि यह नहीं है तो कृत्रिम साधनों द्वारा आनंद के नाम से परिचित विकारों को भस्म ही उल्लेखित किया जा सकता है परन्तु इससे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। यदि प्रेम होगा तो और विवेक की गहराई से देखेंगे तो यह नहीं समेगा कि आनंद के बहुत से साधन अशुद्ध होन के कारण हमारे हाथों से निकल जायेंगे और दूसरों को रिश्ताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा बर रखने की अशक्त नहीं है। हम अपनी अतःप्रसन्नता में से दूसरों की ओर देखें और बालक के लिए उसकी प्रसन्नता बढ़ाकर उसे दे दें। यह उसकी और हमारी सम्भावनाओं के पोषण से हो सकता है। बालक को अपने माता-पिता, भाई-बचु गुणजन मित्र, अपनी घाला अपना घर अपना कुत्ता या बिल्ली—दूसरों के लिए कुछ करना दूसरों का दुःख नहीं देख सकता,—यही सब आनन्दरूप सगता है और इस आनन्द से प्रेरित होकर वह अपने विवेक और स्फूर्ति के अनुसार जा कुछ करेगा—यही उसे आनंदित समान का अच्छे-से-अच्छा उपाय है।

यह प्रसन्नता जीवन व बिकाम के लिए एक अमूल्य वस्तु है। भीतर से सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव जीवन के समस्त आधीर्षादि आरोग्य प्राण, सद्गुण एकता प्रेम आदि दे सकता है। इनमें से कितने ही आधीर्षादि यदि नहीं है तो भी ऐसा स्वभाव मनुष्य को शान्ति प्रदान करता ही है। यह प्रसन्नता हमें बालक को प्रदान करनी चाहिए। अर्थात् जब वह प्रसन्नता का खा दे तब उसे वह प्रदान कर लेनी चाहिए। यह शिशुओं के कठबन्धों में से एक जरूरी कर्म है। परन्तु यह अकृत्रिम या साहजिक प्रसन्नता जिसके अपनी प्रसन्नता से उत्पन्न होनेवाले प्रेम के द्वारा ही बेर-सबेर प्राप्त करा सकता है। हमारी प्रसन्नता की शून्य तुल्य ही दूसरे को नहीं लग सकती। परन्तु यदि हममें धैर्य हो तो

सामनेवाले की ग्रहण-शक्ति के अनुसार जल्दी या देर से इसका असर उस पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसी प्रसन्नता को यदि आनन्द कहा जाय तो इस आनन्द के जितने घूंट पिये-पिलाय जा सकें उतने इष्ट ही ह !

इतिहास की पढ़ाई

केन्द्रवणी में किशोरलाल भाई न एक महत्व का हिस्सा अदा किया है। उन्होंने बताया है कि आज इतिहास की पढ़ाई को जो महत्व दिया जा रहा है वह अनुचित है। यह बात उन्होंने उदाहरण और दलीलो से सिद्ध की है। उनका कथन यह है कि इतिहास का अर्थ है भूतकाल में घटित सच्ची घटना। परन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा कि यह ऐसा नहीं है। वे कहते हैं

सच तो यह है कि किसी भी घटना का सोलहा आना मन्वा इतिहास तो हमें धायद ही कमी मिल सकता है। अपनी ही कही और की हुई बात का स्मरण इतनी तेजी से अस्पष्ट हो जाता है कि थोड़े ही समय बाद उसमें सत्य और कल्पना का मिश्रण हो जाता है। किसी मानस-शास्त्री ने एक प्रयोग लिख रखा है। विद्वानों की सभा में एक नाट्य-प्रयोग किया गया। उसमें एक घुर्घटना का दृश्य था। प्रयोग के साथ ही उसकी एक फिल्म भी बनाकर रख ली गयी। प्रयोग कुछ ही मिनटों का था। प्रयोग समाप्त होने के आधे घण्टे बाद प्रेक्षकों से कहा गया कि जो कुछ उन्होंने देखा उसका सही-सही वणन लिखकर वे दे दें। परिणाम यह आया कि तीस प्रेक्षकों में से केवल दो ही फिल्म से ९० प्रतिशत मिलता-जुलता वणन लिख सके। शेष प्रेक्षकों के वणन में ४० से ६० प्रतिशत मूर्खे थीं।

परन्तु इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तटस्थ और सावधान प्रेक्षक भी घटनाओं को या तेजी से भूल जाते हैं तब जिनमें घटनाओं की अन्त देनेवाले और उन्हें लिख रखनेवाले लोग का कोई राग-द्वेष पदापात आदि हो—उनके लिखे वृत्तान्तों में सत्य का अणु कम हो और ज्या-ज्या समय बीतता जाय स्थो-र्या और कम होता जाय ता इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

‘समाज-निर्माताओं को दो वर्गों—मुत्सही (राजनीतिज्ञ) और धर्मोपदेशक—में विभक्त किया जाय, तो अधिकांश इतिहासवेत्ता पहले वर्ग के

पामे जायेंगे। दोनों किसी उद्देश्य से समाज में कुछ उत्सर्ग करते हैं। कई बार मुत्सद्दी की प्रवृत्तियों में स्पष्ट रूप से एक योजना होती है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे हमेशा शुद्ध हतु ही होता है। उसमें उभय-प्रायः हाता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में अंग्रेज मुत्सद्दियों ने इतिहास का उपयोग इस प्रकार किया है कि अंग्रेजों के प्रति आदर और देशी लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न हो। अब राष्ट्रीय मुत्सद्दियों का मुकाबल इससे चला बिसाई देन गया है। इतिहास पढ़ने पर हम जो कल्पनाएँ करते हैं, वे उचित से बहुत अधिक व्यापक स्वरूप की होती हैं। उन पर से जिन अहंता और द्वेषों का पोषण होता है वह तो बेहद अनुचित होता है। लोक-जीवन के वर्णन में भी जनता के बहुत बड़े भाग के जीवन की जानकारी उसमें होती है। परन्तु हम उसे समस्त जनता की स्थिति के रूप में मान लेते हैं। भूतकाल में भी समृद्धि थी। बड़े बड़े नगर थे नालन्दा जैसे विद्यापीठ थे। इस समय भी है। परन्तु हमें ऐसी नहीं छगता कि आज की भाँति तब भी इस समृद्धि का उपयोग बहुत छोटे लोग करते होंगे। अधिकांश लोग तो दखि ही रहे होंगे। गुरुकुलों से तो इने-गिन लोग ही लाभ उठाते होंगे। मार्गीं जैसी बिदुषियाँ सभी ब्राह्मणों के यहाँ नहीं हो सकतीं। अनेक ब्राह्मणियाँ तो आज के समान ही निर्दार रही होंगी। अन्य वर्गों के स्त्री-पुरुष भी आज के समान ही रहे होंगे। परन्तु हम तो समझते हैं कि उस समय सबकी स्थिति अच्छी ही थी। बाद में बचसी। यह बात बहुत बड़े जनसमूह के लिए किस अर्थ तक कही जा सकती है यह तो संकास्य ही है।

इतिहास जैसी कोई वस्तु न हो अथवा मनुष्य का भूतकाल की किसी प्रकार की स्मृति न रहे तो देश-देश और जाति-जाति के बीच की दानुता का पोषण मिसना बन्द ही हो जाय। अभी तक ऐसी कोई जाति या व्यक्ति नहीं हुए, जिन्होंने इतिहास पढ़कर कोई शिवा भी हो और मममदार बन हों।

स्मृति को ताजा रखकर अधिकांश में तो मनुष्य रूप को ही जीवित रखते हैं। अर्थात् सहानुभूति और प्रेम को पढ़ाते हैं। स्पनावसिद्ध महानुभूति या प्रेम किसी बिरोध रूप द्वारा प्रकट हुआ हो तब तो वह याद रहता है और उसका पोषण भी होता है। परन्तु उमर अमाव में अथवा उसे

भुमानेवाला कोई भगवा एक बार भी हो जाता है, तो वह स्मृति द्वारा सम्भे समय तक टिका रहता है।

। "इस सबसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि काव्य, नाटक पुराण, उपन्यास आदि साहित्य की अपेक्षा इतिहास की शिक्षा अधिक महत्व रखती है। इतिहास का भ्रजान किसी प्रसिद्ध काव्य अथवा नाटक के अज्ञान की अपेक्षा बड़ी सामी नहीं है।

शिक्षण में इतिहास को गौण स्थान देने की जरूरत है। इसका मूल्य भूतकाल की कल्पनाओं अथवा दस-कथाया के बराबर ही समझा जाना चाहिए।

स्त्री शिक्षा

स्त्रियों की शिक्षा ('केल्यणी') के विषय में किशोरलाल भाई ने कितने ही मौलिक विचार किये हैं और उसके अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की योजना करने में किस-किस दृष्टि को प्रधानता देनी चाहिए, इसका विवेचन भी उन्होंने किया है। यह हम यहाँ पर सूत्ररूप में ही देंगे

१ हमारे सामने भले ही मध्यम-वर्ग की शिक्षा का प्रश्न हो फिर भी यह शिक्षा ऐसी हो जो आम जनता की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखती हो। आम वर्ग और खास वर्ग के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास वर्ग का जीवन गढ़ने में आवश्यक फेरफार करने की सैयारी होनी चाहिए।

२ शिक्षा की योजना में पुरुष या स्त्री इन दो में से किसी एक का प्रधानपद तन के दृष्टिबिन्दु से जीवन का विचार नहीं होना चाहिए। यत्कि दोनों के जीवन का समान महत्व देकर दोनों के बीच मेल स्थापित करने का यत्न होना चाहिए। तदनुसार स्त्री की शिक्षा-वृद्धि में पुरुष-हित का विचार और पुरुष की शिक्षा-वृद्धि में स्त्री के हित का विचार होना चाहिए।

३ पुरुष की तथा स्त्री की शिक्षा की योजना पुरुष तथा स्त्री कोना का मिलाकर सैयार करनी चाहिए। इसमें आम वर्ग के हितों को समझनेवालों का भी हाथ होना चाहिए। ये योजना केवल अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि की हिसियन से विचार करने की आदत छोड़ दें और जहाँ तक समभव हो सब वर्गों से परे होकर विचार करने की आदत डालें।

४ ज्ञान धर्म चारित्र्य भावना-बल और व्यवहार-दृष्टि इनमें पुरुष तथा स्त्री की सम्यक्ता समान रहे इस प्रकार दोनों की शिक्षा की योजना होनी चाहिए। ग्राम अथवा समाज में घूमने और विवाह तथा तलाक की अनुकूलता दोनों को समान हो। निर्वाह के लिए अथवा गृह-व्यवस्था के लिए विवाह अथवा पुनर्विवाह करना अनिवार्य न हो जाय इस दृष्टि से अपना निर्वाह करने की पक्कि स्त्री में और गृह-व्यवस्था करने की शक्ति पुरुष में होनी चाहिए।

५ पुरुष में श्रेष्ठता के मिथ्याभिमान का और स्त्री में हीनता का पोषण अब तक किया गया है। य दोनों संस्कार बिघातक हैं इन्हें दूर करना चाहिए।

६ पुरुष और स्त्री के बीच संस्था के अध्ययन और मन्त्री के ज्ञान सम्बन्ध ही। इनमें से जो अधिक कुशल हो उसका अधीन हाकर बर्ताव करने में दूसरे को छोटापन नहीं मानूम होना चाहिए। शिदा में ऐसे संस्कार निर्माण करने चाहिए।

७ स्त्री के लिए पूरी तरह पुरुष के समान जीवन बिताना असम्भव नहीं है। इसलिये जो स्त्री पुरुषों के ही नाम करना चाहे उसके माय में बाधाएँ नहीं बसनी चाहिए। स्त्री को पुरुषों की शिक्षा केन की स्वतन्त्रता रहे।

८ फिर भी हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्त्री अपवादरूप ही मानी जायगी। ९५ प्रतिशत स्त्रियाँ तो मातृपथ स्वीकारने की इच्छावासी ही होंगी। इसलिए स्त्री को माता बनना है ऐसा मानकर तन्नुसार उसकी शिक्षा की योजना की जाय।

९ स्त्री पुरुष के आक्रमण के बल में न हो इसमें यह अपनी सारी ताकत लगा दे ऐसी शिक्षा स्त्री को दी जानी चाहिए। यह उसका वर्तमान भी है। स्त्रियों की आपत्ति पुरुष के एसे आक्रमण के विरुद्ध वगापत पैदा करे, यह इच्छा है।

१० पुनर्विवाह न करनेवाली स्त्री पुनर्विवाह करनेवाली स्त्री की अपेक्षा अपने-आपको अधिक कुलीन बताती है। उसका यह खयाल दूर कर देना चाहिए।

११ पेट, भगल तथा परिश्रम के अग्य धर्मों की मान्य मध्यम-वर्ग की स्त्री को हो जाय और वह ये नाम उठा ले ऐसा प्रवृत्त इसकी शिक्षा में होना जरूरी है।

१२ बच्चा की परवरिश प्राथमिक शिक्षा रोगियों की दृश्रुपा, और गो-पालन—ये स्त्रियों की सास प्रवृत्तियाँ या धंधे समझे जायें ।

इस प्रकार के धंधों के शिक्षण का प्रारम्भ ठेठ बचपन से ही हो जाना चाहिए । प्रत्येक शास्त्रा कोई एक या अधिक धन्धे सिखाने की जिम्मेदारी ल ले और इन धन्धों की शिक्षा पानवालों को ही वह प्रवेश दे, ताकि बचपन से ही बच्चा समझने लग जाय कि मुझे यह धन्धा करना है । इस धन्धे के साथ दूसरी पढ़ाई भी अवश्य हो और इन दूसरे विषयों में इन धन्धों के लिए पोषक सामग्री भी काफी हो ।

नयी तालीम

नयी तालीम के विषय में किशोरलाल भाई के विचार 'केन्द्रवर्षीना विकास' नामक पुस्तक में सङ्ग्रहित किये गये हैं । इसकी जड़ में क्या बस्तु है यह उन्होंने बहुत सुन्दर रीति से समझाया है । यहाँ हम मर्यादा यही बस्तु पेश करेंगे ।

'शास्त्र शिक्षण-पद्धति एक विशेष प्रकार की सस्कृति की प्रतिनिधि है । वह एकदम विदेशी है यह कहना सही नहीं । जिस प्रकार की शिक्षण-पद्धति पुरानी काशी में अथवा आज की सनातनी काशी में तथा मुसलमानों के समय में चलती थी उसकी अपेक्षा मौजूबा शिक्षण-पद्धति निम्न प्रकार की नहीं है । किसी समय संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी । इसके बाद फारसी फिर हिन्दुस्तानी और उसके बाद अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ी । इस तरह एक के बाद एक की प्रतिष्ठा बढ़ती रही । परन्तु इनके द्वारा जिस सस्कृति को पोषण मिला वह ता एक ही रही है । यह सस्कृति उन लोगों की है, जिन्हें हम 'भद्रलोक' अथवा 'सपत्नपोस' कहते हैं । भद्र तो स्यात् है कि पिछले कम-स-कम एक हजार वर्षों में राज्य की ओर से (अथवा अन्य प्रकार से) बच्चा अथवा बच्चों का जो सस्वार देने का काम हुआ है वह केवल सफेदपादा में ही हुआ है ।

भार्य-भद्र-सम्मानित जातियाँ हमारे देश में शुरू से ही रही हैं । व अंग्रेजों द्वारा पाल नहीं की गयी है । संभव है कि अंग्रेजों ने इनका क्षेत्र कुछ बढ़ाया हो । परन्तु उन्होंने इन्हें पैदा नहीं किया ।

'भद्र (सफेदपादों की) सस्कृति का स्थापन मनुष्य की तक और बचपन पक्षि को बढ़ाना है । मस्वारिता के क्षेत्र में शास्त्री पंडित जैसेमा कवि,

रुसिस कलाभर (अर्थात् चित्रकार गायक आदि) इसके प्रतिनिधि हैं। बुनियादारी के क्षेत्र में इसने प्रतिनिधि बकील बंध हकीम अध्यापक उस्ताद और मन्वी हैं। अंग्रेजी पद्धति का संस्कृति के विकास की ओर दुर्लक्ष नहीं था। हाँ उसने इस पद्धति को अपने विचारा की पोषाण अवश्य पहना दी है। परन्तु ऐसा तो इसलाम ने भी किया था। अंग्रेजों ने अपनी सूक्ष्म साम्प्रदायिक विधि निपुणता की आवृत्तों के द्वारा जितन ही मसारी धन्या का अधिक विकास भी किया है। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति पर आक्षेप करने हुए भी हमारा सफेदपास वग उसे छोड़ नहीं पा रहा है। इसने कारण हम ऊपर बता चुके हैं।

भद्र-संस्कृति मनुष्य की समानता के सिद्धान्त पर नहीं रखी गयी है। या तात्त्विक दृष्टि में तो वह केवल मनुष्यों की ही नहीं मूठमान की समानता का प्रतिपादन करेगी। परन्तु बुनियादारी की दृष्टि से वह केवल यही नहीं कहती कि मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद है बल्कि यह भी कहती है कि यह भेद रहना ही चाहिए। इस कारण समाज-व्यवस्था के लिए वह हिंसा को—पशु-जस वा—अपरिहार्य मानती है और कहती है कि हर मनुष्य को अपनी-अपनी मर्यादा में रहने के लिए समाज के राजदण्ड का पूरते ही रहना चाहिए।

“ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार में भद्र-संस्कृति केवल उतने ही मनुष्यों को मनुष्य समझती है, जिन्हें वह भद्र—सफ़रपोषो—क जीवन में निमाने योग्य मानती है। शेष भाग संस्कृति क सत्र से और इसलिए उमकी सम्मता की परिभाषा से बाहर हा जाने हैं। व दूर राम गुलाम गिरमटिया मजदूर मधवा अन्य कोई भी हो सकते हैं। परन्तु उनकी गिनती इनके समाज में नहीं हा सकती। इसलिये समाज क सब अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त के पात्र वे नहीं बन सकते।

‘भद्र-संस्कृति ने ऊँचे दरजे की एक और संस्कृति प्राचीन काल से समाज में बनी आ रही है। इस में ‘मत अपवा औरिया संस्कृति बड़ेगा। संगार के समस्त देशों में औरिया अवयवा मन्ना की भी एन परम्परा मन्ना ठे बनी आ रही है। इन्होंने अपना काम जितना अन्य लोगों में किया है उतना भद्र समाज में नहीं किया। अनेक बार भद्र लोगों ने इनका विरोध किया है और इन्हें कष्ट भी दिये हैं। फिर भी कम-से-कम जमान से उतान इनका स्वीकार और ऊपर से वन्दना भी की है। गांधीजी इस परम्परा के पुण्य हैं।

भारत की या अन्य किसी भी देश की सत-सम्यता के तीन सिद्धान्त हैं मानवमात्र की समानता अहिंसा और परिश्रम। सफेदपोश लोग मानते हैं कि सम्यता के विकास के लिए फुरसत जरूरी है। सत ऐसा नहीं मानते। वे यह नहीं कहते कि फुरसत या आराम की जरूरत ही नहीं, है परन्तु वे मानते हैं कि सस्कृति के विकास के लिए परिश्रम अनिवार्य है। और यह कि फुरसत में कुछ सरावी का भी डर है।

‘मले ही हमारा रा-यतंत्र पूंजीवाद के सिद्धान्तों पर आधारित हो या साम्यवाद के सिद्धान्तों पर, पर जब तक मनुष्य पर ऐसे संस्कार डाले जाते रहेंगे कि श्रम करना मनुष्य-जाति पर एक घोर साप है तब तक एक ओर से मनुष्य द्वारा श्रम करवाने के लिए कानून अर्थात् जबरदस्ती अनिवार्य हो जायगी और दूसरी ओर मनुष्य इससे बचने की कोशिश करता रहेगा। दिन में केवल दो घण्टे काम करना पड़े साम्यवादियों की इस आदर्श स्थिति का प्राप्त कर लेने पर भी यदि मनुष्य की यह मन-स्थिति रहेगी कि परिश्रम अभिघात है तब तक वह इस दो घण्टे के परिश्रम को भी टारने की ही कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संस्कृति को निभाने के लिए हिंसा का सहारा देना ही पड़ेगा।

“तात्पर्य यह कि परिश्रम और अहिंसा सगे भाई-बहन हैं। परिश्रम के लिए अहिंसा का पोषण करेंगे तो उसके साथ-साथ असमानता आयेगी ही और असमानता को टिकाने रखने के लिए हिंसा की मनोवृत्ति को पोषण न्यि बिना काम नहीं चलेगा।

वर्धा-पद्धति (नयी शालीम) केवल पढ़ान की एक नयी पद्धति ही नहीं है बल्कि जीवन की नयी रचना और नया तत्त्वज्ञान है। इस तत्त्वज्ञान की जड़ में शरीर-श्रम अहिंसा और मनुष्यमात्र की समानता है। यदि इस तत्त्वज्ञान को हम स्वीकार करते हैं तो उसके अनुसार समाज की रचना करने का वैदिकपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। इस तत्त्वज्ञान के आधार पर बनायी गयी शालीम सफेदपोशा की शाखा की अपेक्षा निश्चय ही मित्र प्रकार की होगी।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति की रचना ही इस प्रकार की है कि वह दश की आबादी के केवल १० से १५ प्रतिशत भाग को अर्थात् सफेदपोशा के बच्चा को ही दी जा सकती है। सबका नहीं। परन्तु हमें तो समाज के नाम प्रतिशत बच्चा

को शिक्षित करना है। यह शिक्षा तभी दी जा सकती है, जब यह एसी हो कि मेहनत-भजदूरी करनेवाले भी अपने बच्चों को इसका साम दे सकें। अतः शिक्षा के प्रबन्धकों को जो जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर लेनी होंगी। एक तो यह कि इनके बच्चे शाखा में जायें तो उस कारण से माता-पिता को यदि कोई आर्थिक हानि हो तो उसकी पूर्ति बच्चा के द्वारा ही किसी प्रकार हो जाय और दूसरी यह कि इस प्रकार शिक्षा पाया हुआ बच्चा बेकार नहीं रहेगा इसका निश्चय दिसाया जाय।

“दिस की परिस्थिति गरीबी बकारी अब तक की शिक्षा-पद्धति में रही हुई सामियाँ और ये दो जिम्मेदारियाँ—इन सबका विचार करके इनके उपाय के रूप में गांधीजी ने उद्योग के द्वारा शिक्षा देने का नया विचार देण के सामने पेश किया है। इसे रखते हुए उन्होंने कहा है कि यह मेरी व्यक्तिगत विरासत है और मैं नहीं समझता कि इससे अधिक महत्त्वपूर्ण अन्य कोई मेट में सवार वा दे सकता हूँ।

‘उद्योग द्वारा शिक्षण में उद्योग का अर्थ वह उद्योग है जो जीवन में कोई महत्त्व का भाग अदा करता है। एसे उद्योग द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे दृष्टी में यह उत्पादक उद्योग की अपवा जीवन-निर्वाह—आजीविका—की तामीम कही जा सकती है।

“बिद्यार्थी शाखा में जाकर एसे किसी उद्योग में लग जाय। यह उद्योग ऐसा हो कि जो इनके अपन लिए तथा जिस समाज अपवा गाँव में बह रहता है उग समाज और गाँव के जीवन में महत्त्व का स्थान रखता है। शाखा में जाने के बाद वह ऐसे काम करम और सीखन सगे कि उसके माता-पिताओं को भी थोड़े ही समय में उसरा स्कूल में जाना सामयायक मामूम होन सगे उन्हें यह सगे कि वह घर में कुछ कामे की मक्ति प्राप्त कर रहा है बह कुछ ऐसी चीज पढ़ रहा है कि जिसकी छूट यदि घर को सगे तो घर का भी साम हो।

‘अब तक’ शिक्षा-पद्धति का केन्द्र-बिन्दु भीतिक विद्यार्थी द्वारा समाज वा सामप्य बढ़ाने का रहा है। मादगी अपवा गणाचार के प्रति वह हृदय में आवर नहीं उत्पन्न करती। नपी तामीम का उद्देश्य इनसे उत्पन्न है। वह सामप्य का नहीं, भलाई का बिकाम करना चाहती है। अपने विद्यार्थियों में—

फिर वे छोटे बच्चे हों या बड़ी उम्र के आदमी वह लड़ाई और वैर-भाव के बदले शान्ति और मेरु के प्रति सारे मानन्दों के प्रति सारी सुविधाभा के लिए और सचाई तथा नीतिशीलता के लिए प्रेम और काम करने का आनन्द तथा स्वतन्त्रता के लिए आश पैदा करना चाहती है।

३. आर्थिक प्रश्न

इस विभाग में मिस्र-मिस्र आर्थिक प्रश्नों पर किशोरलाल भाई के विचार सलेप में संकलित कर दिये गये हैं।

१ किसी समय कहा जाता था और वह पर्याप्त मान लिया जाता था कि संपत्ति के साधन दो हैं—प्रकृति और परिश्रम। परन्तु आगे चलकर मनुष्य ने देखा कि केवल ये दो ही काफी नहीं होते। प्राकृतिक साधन और परिश्रम की सुलभता किसे और किस परिमाण में है, यह भी संपत्ति का माप करने के लिए आवश्यक परिमाण है। इस सुलभता के विचार में से पूँजीवाद, समाजवाद साम्यवाद उद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण यन्त्रीकरण केन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण आदि अनेक वाद पैदा हुए। परन्तु संपत्ति का माप करने के लिए केवल ये तीन परिमाण भी काफी नहीं हैं। इसके दो परिमाण और हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। अगर ये दो न हों तो विपुल प्राकृतिक साधन विपुल परिश्रम और सर्वधेष्ठ वाद पर रचित राज्यसत्र के होने पर भी संपत्ति के गणित का उत्तर मूल्य अवघा मुकसान ही आयेगा। जिस प्रकार पदार्थ का शुद्ध गणित करने के लिए वस्तु और काल महत्वपूर्ण परिमाण हैं इसी प्रकार संपत्ति के गणित में भी दो महत्वपूर्ण परिमाण हैं। ये परिमाण हैं—प्रस्तुत समाज का ज्ञान और चारिष्य। ज्ञान के महत्व को तो सब स्वीकार करते हैं परन्तु चारिष्य के महत्व पर इतना जोर नहीं दिया गया है। प्राकृतिक साधन मनुष्य-बल अनुकूल राज्यसत्र और अर्थसत्र तथा मान यह सब होने पर भी यदि लोग में और उनके भागदर्शकों में योग्य चारिष्य-बल नहीं है तो केवल इस एक दोष के कारण वेग और समके निवासी दुःख और दारिद्र्य में डूब सकते हैं। किसी भी समाज की समृद्धि के निर्माण के लिए उसके चारिष्य

इनाम द्वारा न ही जाम। किसीकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप उसका भ्रातर करें उसके आगे बैठायें ऊँचा पद दें जिस प्रकार उचित समझे नमस्कार करें प्रणाम करें हार-मालाएँ पहनायें खरूरत हो तो पदवियाँ खिटाव दें परन्तु इसके लिए उसे सोना-चाँदी न दें या धन का समय करने की सुविधाएँ न दें। यदि मित्र-भिन्न कामों के लिए मित्र-भिन्न मेहनताना हो सकता है, तो सबसे अधिक मेहनताना अन्न पैदा करनेवालों का होना चाहिए। राजा का मेहनताना भी खेती करनेवालों से कम हो। हाँ देश की स्थिति के अनुसार उसे दूसरी सुविधाएँ दी जायें।

३ गांधी विचार और दूसरे बाधा क बीच एक महत्व की बात के बारे में विरोध है। वह यह कि ये सारे वाद फुरसतवादी हैं। मनुष्य को अधिक-से अधिक फुरसत देनी चाहिए, यह आज के अर्थशास्त्र की बुनियादी धृष्टा है ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि विद्या ब्रह्म सस्त्रुति आदि का कारण धरित (मूम्साधन) फुरसत है। इसके प्रतिश्रियास्वरूप गांधीवाद दूसरे सिरे पर बैठा है। वह फुरसत को मानव-हित का दानु मानता है।

‘फुरसत’ शब्द में आरुस्य और विभ्रान्ति इन धाना का समावेश होता है। विभ्रान्ति की खरूरत नहीं अथवा यह कहना कि एक धम छोड़कर दूसरा अर्धोत्साहक धम करने का नाम ही विभ्रान्ति है—एक बुधा पाण्डित्य जैसा है। परन्तु यह स्वीकार करने में ता किसीकी भी दिक्कत नहीं हानी चाहिए कि आरुस्य तो मानव-हित का दानु ही है। कदा ही है ‘आरुस्यी दिमाग धीतान का धर!’

परन्तु आरुस्य को अनिष्ट मानत है, तो यह डर लगता है कि धम का बोध बढ़ जायगा। इसी डर में से फुरसत-वाद पैदा हुमा है। वह कहता है कि धीने के लिए आरुस्यक धम में से अधिक-से-अधिक बितनी मुक्ति मिल सके, उतना अच्छा। ऐसा हागा, सभी ज्ञान कण आदि की निर्मिति हो सक्ती है। इसलिये आरुस्यी दिमाग धीतान का धर इस जाकिम का उठखर भी मनुष्यों को पहले फुरसत देनी चाहिए। फिर फुरसत का मनुष्याय करन की निष्ठा धीरे-धीरे दी जा सकेगी। यह है फुरसत-वाद।

विचार करने पर ज्ञात होगा कि धर्म और फुरसत का सम्बन्ध त्याग और भोग, अथवा अहिंसा और हिंसा के सम्बन्ध के समान है। जिस प्रकार मनुष्य सर्वथा भोग के बिना नहीं रह सकता पूणतया हिंसा से मुक्त नहीं रह सकता उसी प्रकार फुरसत निकाले बिना मेहनत का बचाव किये बिना भी वह नहीं रह सकता। भोग को मर्यादित करने—कम करने के प्रयत्न का अर्थ ही त्याग है यह प्रयत्न करते-करते भी मनुष्य कुछ भोग ता भोग ही लेता है। परन्तु इसके विपरीत जो भोग को ही जीवन का मिथ्यान्त बना लेता है वह तो बिनाश के मार्ग पर ही जाता है। इसी प्रकार हिंसा को मर्यादित करने—घटाने का प्रयत्न करने का नाम ही अहिंसा है। अहिंसा का प्रयत्न करते-करते भी वह कुछ हिंसा तो कर ही देता है। परन्तु यदि वह हिंसा को ही जीवन का नियम बना ले तो इसका परिणाम तो यादवस्थयी ही होगा। यही बात धर्म और फुरसत की भी है। फुरसत तो मनुष्य बूढ़ ही लेनवाला है। परन्तु यदि फुरसत को ही अर्थशास्त्र या जीवन का तत्त्वज्ञान और ज्ञान-कला का कारण शरीर बना लिया जायगा तो इसका परिणाम अनर्थों की परम्परा ही आमवाला है।

यह भी मान्यता है कि सस्कृति का विकास फुरसत में से ही हुआ है और होता है। परन्तु फुरसत में से पैदा हुआ कला साहित्य काव्य इत्यादि ऊमरी इन्द्रिय-माहन राग-श्रेया से भरे हुए और अधिकांश में वाजाफ वृत्तियावाले होते हैं। अपन जीवन के नित्य-नैमित्तिक कार्यों में सम्बन्धों में और धर्म में जो कृताघता मालूम होती है और जिस प्रमत्तता का अनुभव होता है वह एक और ही बीज होती है। इसने परिष्कारस्वरूप इन कामों को सुगोमित करने के लिए इसके सम्बन्धों में शक्ति मिठान और रसिकता लाने की तथा इस धर्म में पारंगतता प्राप्त करने की एक सुन्दरता लाने की जो प्रकृति होती है उसमें से निर्माण होनेवाली कला आदि दूसरे ही प्रकार की होंगी। इनकी कीमत पैसा से बची नहीं आंकी जा सकती।

मानव की उन्नति के लिए फुरसत की जरूरत है हमसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मनुष्य का पाने-माने की भी फुरसत न हा जीवन मया हम तरह मरा हो कि हमेदा—समय न मिलने की निबामत रह यह कदापि इष्ट नहीं कहा जा सकता। परन्तु कुछ समय घाटे की तरह बीड़-मुप कर काम करना

दूसरों का अधिक-से-अधिक संख्या में हृदय-परिवर्तन करने का उपाय है। आज तो बहुजन-समाज—फिर वह मालिक-जग का न हो, तो भी—विचारों में तो पूँजीवादी ही है और वह सानगी मिस्किन्यत मुनाफा तथा अपनी रोबी की परिभाषा में ही विचार करता है।

६ 'समूची क्रान्ति' नामक पुस्तक में आर्थिक क्रान्ति के ये कुछ मुद्दे उन्होंने दिये हैं

"यह सब किस निश्चित योजना अथवा विनिमय के साधन से इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जिससे जीवन के लिए अधिक महत्त्व की चीजों का मुख्य अधिक माना जाय और कम महत्त्व की चीजों का मुख्य कम माना जाय, यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। इतना मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु मुझे जरा भी संदेह नहीं कि हमारे विचारों और व्यवहार में नीचे लिखी क्रान्तिवाी अवश्य होनी चाहिए

(१) प्राणों का—विशेषतः मनुष्य के प्राणों का मूल्य सबसे अधिक समझा जाय। किसी भी बड़ पदार्थ या स्वार्थ की प्राप्ति का मूल्य मनुष्य के प्राणों से अधिक न माना जाय।

(२) अन्न, जलवायु वस्त्र मकान सफाई आरोग्य आदि वस्तुएँ और इन्हें प्राप्त करने के पंजे अन्य सब पदार्थों और धर्मों की अपेक्षा सिक्कों के रूप में अधिक कीमत देनेवाले माने जाने चाहिए। राष्ट्रा से इनका माप आन्तरराष्ट्रीय नीति में अत्यन्त हीन कर्म समझा जाना चाहिए और ऐसा करने वाले लोग समस्त मनुष्य-जाति के शत्रु समझे जाने चाहिए।

(३) पदार्थ की विरलता तथा ज्ञान कर्तृत्व, सौर्य आदि की विरलता के कारण ये पदार्थ अथवा इनके बनानेवालों की प्रतिष्ठा भले ही अधिक मानी जाय, परन्तु इस प्रतिष्ठा का मूल्यांकन सिक्कों के रूप में न हो।

"(४) देश की महत्त्व की संपत्ति उसकी अमोत्यावन-शक्ति और मानव-संख्या मानी जाय, न कि उसकी सृजित संपत्ति या विरल संपत्ति। यन्त्र भी नहीं। यदि एक आदमी के पास सोना अथवा पेट्रोल बेनवाली जमीन पाँच एकड़ हो और अन्न उपजाववाली जमीन पाँच सौ एकड़ हो और इन दो में से किसी एक को रखने या छोड़ने का विकल्प उसके सामने खड़ा हो, तो

राज के अर्थशास्त्र के अनुसार वह पाँच सौ एकड़ की सेतीवासी जमीन को छोड़ देगा। परन्तु सच्चे मूल्यों के अनुसार तो उसे पाँच एकड़वाली जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अर्थात् संपत्ति का मूल्य सोने से नहीं, बल्कि अन्न और उपयोगिता की दृष्टि से गिना जाय, ऐसी योजना होनी चाहिए।

(५) एक रुपये का नोट अथवा एक रुपया इस बात का प्रमाण-पत्र न हो कि इसके बदले में कहीं अमुक मात्रा में सोना या चाँदी सुरक्षित है, बल्कि वह इस बात का प्रमाण-पत्र हो कि उसके बदले में इतने सेर अथवा इतने तोले अनाज निश्चित रूप से मिल जायगा। इसके का अर्थ इतनी घेन कोई धातु नहीं बल्कि इतनी तोल की घेन (अर्थात् धान्य) ही है और पाँच का अर्थ अक्षरशः पाउण्ड (अर्थात् इतने हजार घन अनाज ही) समझा जाना चाहिए।

(६) सोने का भाव इतने रुपये तोला है और अनाज का भाव इतने रुपये की मन है यह भाषा ही न रहे। इसका कोई अर्थ न हो। सच पूछिये तो आज इसका कोई अर्थ रहा भी नहीं है। क्योंकि रुपये का माप ही स्थिर नहीं है। सोने का भाव हो—एक तोले के इतने मन गेहूँ या चावल (तोला और मन का वजन भी निश्चित हो)।

(७) नोट या सिक्कों के रूप में ही अदायगी करना लाजिमी नहीं होना चाहिए। इस नोट या सिक्के के पीछे धान्य की जा मात्रा निश्चित की जाय, उसके रूप में कर आदि की अदायगी करने का अधिकार मालिक को हो। धान्य के उत्पादको से कर अथवा महसूल की अदायगी यदि धान्य के रूप में ही लाजिमी कर दी जाय तो अन्न-संकट के समय वह सरकार तथा प्रजाजनों (सास करके शहर के रहनेवाले और बेजमीन मनुष्यों) की काले बाजार और मुनाफालोचि से सुन्दर प्रकार से रक्षण कर सकेगा, क्योंकि सरकार के पास हमेशा अन्न के भाण्डार भरे रहेंगे।

(८) ब्याज जरी कोई चीज न हो बल्कि उल्टे अदायगी के समय रुपये काट लिये जायें। अनाज जिस तरह पड़ा-पड़ा सड़ जाता है उसी प्रकार वगैर काम में लिया हुआ धन कम हो जाना चाहिए। वह सड़-गल करके पराब नहीं होता तो उसके सँभारने में तकलीफ तो होती ही है। यदि साना-चाँदी को आदमी धन समझना छोड़ दे तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती

पूखरों का अधिक-से-अधिक सख्या में हृदय-परिचलन करने का सवाल है। आज तो बहुजन-समाज—फिर वह मारिक-वर्ग का न हो तो भी—विचारों में तो पूंजीवादी ही है और वह खामगी निस्किन्धत मुनाफा तथा अपनी रोजी की परिमाप में ही विचार करता है।

६ 'समूची क्रान्ति' नामक पुस्तक में आर्थिक क्रान्ति के ये कुछ मुद्दे उल्लेख किये हैं

“यह सब किस निश्चित योजना अथवा विनियम के साधन से इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जिससे जीवन के लिए अधिक महत्त्व की चीजों का मुख्य अधिक माना जाय और कम महत्त्व की चीजों का मुख्य कम माना जाय यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। इतना मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु मुझे जरा भी शक नहीं कि हमारे विचारा और व्यवहार में नीचे लिखी क्रान्तिवादी अवस्था होनी चाहिए

(१) प्राणों का—विशेषतः मनुष्य के प्राणों का मुख्य सबसे अधिक सम्मान जाय। किसी भी जड़ पदार्थ या स्वाध की प्राप्ति का मुख्य मनुष्य के प्राणों से अधिक न माना जाय।

(२) वस्त्र, आभूषण वस्त्र भक्षण सफाई आरोग्य आदि वस्तुएँ और इन्हें प्राप्त करने के बंधे अन्य सब पदार्थों और धर्मों की अपेक्षा सिक्कों के रूप में अधिक कीमत देनेवाले माने जाने चाहिए। सन्तुष्ट से इनका नाश आन्तरराष्ट्रीय नीति में अत्यन्त हीत कर्म सम्माना जाय चाहिए और ऐसा करने वाले लोग सम्मान मनुष्य-जाति के शत्रु समझे जाने चाहिए।

(३) पदार्थ की बिरमता तथा ज्ञान, कर्तृत्व शौर्य आदि की बिरमता के कारण ये पदार्थ अथवा इनके बनानेवालों की प्रतिष्ठा भले ही अधिक मानी जाय, परन्तु इस प्रतिष्ठा का मूल्यांकन सिक्कों के रूप में न हो।

(४) देस की महत्त्व की संपत्ति उसकी अग्नेत्पादन-शक्ति और मानव-संख्या मानी जाय न कि उसकी सनित्र संपत्ति या बिरल संपत्ति। यन्त्र भी नहीं। यदि एक आदमी के पास सोना अथवा पेट्रोल देनेवाली जमीन पाँच एकड़ हो और अन्न उपजानेवाली जमीन पाँच सौ एकड़ हो और इन दो में से किसी एक का रकने या छोड़ने का विकल्प उसके सामने खड़ा हो तो

भाज के अर्थशास्त्र के अनुसार वह पाँच सौ एकड़ की खेतीवाली जमीन को छोड़ देगा। परन्तु सच्चे मूल्या के अनुसार तो उसे पाँच एकड़वाली जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अर्थात् सपत्ति का मूल्य सोने से नहीं, बल्कि अन्न और उपयोगिता की दृष्टि से गिना जाय ऐसी योजना होनी चाहिए।

(५) एक रुपये का नोट अथवा एक रुपया इस बात का प्रमाण-पत्र न हो कि इसके बदले में कहीं अमुक मात्रा में सोना या चाँदी सुरक्षित है, बल्कि वह इस बात का प्रमाण-पत्र हो कि उसके बदले में इतने सेर अथवा इतने तोले अनाज निश्चित रूप से मिल जायगा। सिक्के का अर्थ इतनी घेन कोई धातु नहीं बल्कि इतनी तौल की घेन (अर्थात् धान्य) ही हो और पौड का अर्थ अक्षरशः पाउण्ड (अर्थात् इतने हजार घन अनाज ही) समझा जाना चाहिए।

(६) सोने का भाव इतने रुपये तोला है और अनाज का भाव इतने रुपये की मन है यह भाषा ही न रहे। इसका कोई अर्थ न हो। सच पूछिये तो आज इसका कोई अर्थ रहा भी नहीं है। क्याचि रुपये का भाव ही स्थिर नहीं है। सोने का भाव हो—एक तोले के इतने मन गेहूँ या चावल (तोला और मन का वजन भी निश्चित हो)।

(७) नोट या सिक्कों के रूप में ही अदायगी करना लाजिमी नहीं होना चाहिए। इस नोट या सिक्के के पीछे धान्य की जो मात्रा निश्चित की जाय, उससे वप में कर आदि की अदायगी करने का अधिकार मालिक को हो। धान्य के उत्पादकों से कर अथवा महसूल की अदायगी यदि धान्य के रूप में ही लाजिमी कर दी जाय तो अन्न-संकट के समय वह सरकार तथा प्रजाजनों (सास करके बाहर के रहनवाले और घेजमीन मनुष्यों) की काले बाजार और मुनाफाखोरी से सुन्दर प्रकार से रक्षण कर सकेगा क्योंकि सरकार के पास हमेशा अन्न के माण्डार भरे रहेंगे।

(८) ब्याज जैसी कोई चीज न हो बल्कि उल्टे अदायगी के समय रुपये काट लिये जायें। अनाज जिस तरह पड़ा-पड़ा सड़ जाता है उसी प्रकार बाँर काम में लिया हुआ धन कम हो जाना चाहिए। वह सड़-गस करके सराब नहीं होता तो उससे सँभालने में तकलीफ तो होती ही है। यदि सोना-चाँदी को आदमी धन समझना छोड़ दे तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती

है। सोना-चाँदी धन नहीं है। परन्तु आकर्षण बिरलता, धमकीलापन आदि गुणों के कारण उसे यह प्रतिष्ठा मिल गयी है। बस और कुछ नहीं। यह पड़े-पड़े खराब नहीं होता यही इसके मालिक को ब्याज अथवा काम है। इसके अलावा इसे और कोई ब्याज देने के लिए कोई कारण ही नहीं है।

(९) यह मिश्रण करना अनुचित नहीं माना जाना चाहिए कि जो पयाज बरतने से विसते-भटते नहीं है अथवा बहुत कम विसते हैं उनकी कौमत्त कम समझी जाय। उन्हें प्रतिष्ठा दी जाय उनके रखने या स्वामित्व के नियम मले ही बना दिये जायें परन्तु उन पर किसीका स्थिर स्वामित्व न माना जाय। उन पर समाज का सम्मिश्रित स्वामित्व हो—यह स्वामित्व कुटुम्ब, गाँव जिला देश अथवा संसार में उचित रीति से बाँट दिया जाय।

(१०) जाय तथा खानगी मिश्रण्यत की अधिकतम और न्यूनतम मर्यादाएँ निश्चित कर दी जानी चाहिए। जिनकी जाय अथवा मिश्रण्यत न्यूनतम मर्यादा से भी कम हो उन पर कर आदि के बन्धन न हों। अधिकतम मर्यादा से अधिक जाय अथवा मिश्रण्यत कोई न रखे।

४ राजकीय प्रश्न

आर्थिक प्रश्नों के समान राजकीय प्रश्नों के बारे में भी किशोरलाल भाई ने स्थान-स्थान पर अपने ये विचार प्रकट किये हैं

(१) 'कुएँ में होगा ठो डोल में आयेगा' कहावत प्रसिद्ध है। इसके साथ 'जैसा ही' जोड़ दिया जा सकता है। अर्थात् कुएँ में होगा तभी और कुएँ जैसा ही जल डाल में आयेगा। डोल का अर्थ है शासक-वर्ग। कुआँ समस्त प्रजा है। चाहे जैसे कानून बनाइये, सविधान बनाइय समस्त जनता की अपेक्षा शासक-वर्ग का आरिभ्य बहुत ऊँचा कभी नहीं होगा और जनता अपना आरिभ्य-बल के आचार पर जितने सुख-स्वातन्त्र्य के लायक होगी उससे अधिक सुख-स्वातन्त्र्य का उपभोग वह कर नहीं सकेगी। जिस राज्य प्रणाली में शासक-वर्ग को केवल दण्डशक्ति ही नहीं, बल्कि धन और प्रतिष्ठा भी मिलती है वही शासक-वर्ग का आरिभ्य प्रजाजनों के कुछ आरिभ्य की अपेक्षा अधिक

हीन होने की समस्त सामग्री विद्यमान रहती है। वहाँ चरित्र के ऊँचे उठने की अनुकूलता होती ही नहीं। फिर शासक-वर्ग भी आखिर पैदा तो होता है प्रजाजनो में ही। अतः धीरे-धीरे शासन प्रजा के हीनतर भाग के हाथ में जाने लगता है। सब प्रकार की राज्य प्रणालियाँ बहुत थोड़े समय में ही सड़ने लग जाती हैं इसका असली कारण यही है।

दुर्ग की अपेक्षा डोल अवस्थ ही छोटा होता है। परन्तु शासक-वर्ग का डोल इतना छोटा नहीं होता कि ऊपर का भाग तो अच्छा हो और नीचे के भाग में सख्त कानून के रूप में शोषक दवा (डिसइम्फेक्टेंट) डाल दी जाय तो सब ठीक हो जाय। क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष सुख-स्वातन्त्र्य शासकों के ऊपर के आदमियों के हाथ में नहीं बल्कि नीचे के आदमियों के हाथ में होता है और शोषक दवाएँ चाहे कितनी ही घीम हों तो भी वे सख्तों के बहुत कम भाग को मिटा सकती हैं।

इसलिए जनता के हितचिंतकों सुझा तथा जनता को भी समझ देना चाहिए कि सुख-स्वातन्त्र्य की सिद्धि केवल राजकीय संविधानों और कानूनों की सावधानी के साथ रचना करने पर उद्योगों की योजनाओं द्वारा नहीं होती। शासक-वर्ग में केवल थोड़े-से अच्छे आदमियों के होने से भी काम नहीं चल सकता। बल्कि यह तो समस्त प्रजाजना की चारित्र्य-वृद्धि तथा शासक-वर्ग के बहुत बड़े भाग की चारित्र्य-वृद्धि द्वारा ही हाँ सजेगा।

परन्तु यदि हम विचार करें, तो ज्ञात होगा कि हम इससे विलकुल उल्टी श्रद्धा का स्केर काम कर रहे हैं। हम यह मान लेते हैं कि सामान्य वर्ग बहुत अधिक चरित्रवान् न हों तो भी अच्छी तनस्वाहँ लेकर हम उनमें से कुछ अच्छे चरित्रवान् व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता से अच्छी योजनाएँ और जन-हित के कानून बनाकर प्रजा को सुखी कर सकते हैं मानो गन्दे पानी में चाँदा गुड़ भर मिलाकर सारे पानी को अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार की यह धडा है।

आज तो ऐसा दीखता है कि चुनाव जुड़ून परिपक्व समितियाँ भाषण, हड़तालें और उपद्रव—यही मार्गों प्रजातंत्र का अंग हैं। इतना होने पर भी जनता का जीवन व्यवस्थित रीति से चल रहा है। इसका कारण राज्य के

कानून अथवा व्यवस्था-शक्ति नहीं, बल्कि यह है कि इस सारी चीजों के बावजूद जमता में नैसर्गिक व्यवस्था प्रियता और शक्ति है।

(२) पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे कि हर मनुष्य अर्थपतुर (Economic man) होता है अर्थात् अपने हितों को अच्छी तरह समझता है। इसमें से देश-देश के बीच तथा मालिक-मालिक के बीच के व्यवहारों में दूसरे किसीको दस्तदाजी नहीं करनी चाहिए, यह 'अहस्तक्षेपवाद' (Laissez fair) उत्पन्न हुआ। बाद में लोग समझने लगे कि यह 'वाद' गलत है। अब भिन्न-भिन्न व्यवहारों में राज्य का दस्तदाजी करना उचित है ऐसा वाद पैदा हुआ। यह अब यहाँ तक पहुँच गया है कि आर्थिक मामलों में मनुष्य को किसी प्रकार की व्यवहार-स्वतंत्रता नहीं रह गयी है। पहले वाद में मान लिया गया था कि मनुष्यमान अपना हित समझता है और उसकी रक्षा करने की शक्ति भी उसमें होती है। दूसरे वाद ने मनुष्यत्व में चारित्र्य का (अर्थात् सद्भाव न्याय आदि का) नास्तित्व और ज्ञान तथा शक्ति का अस्तित्व मान लिया तथा निर्वल-पक्ष में चारित्र्य का अस्तित्व किन्तु ज्ञान तथा शक्ति का नास्तित्व मान लिया। ये दोनों गृहीत बातें गलत होने के कारण मनुष्य के पुनर्जायों के लिये हैं।

दूसरे वाद ने कल्याण राज्य की भावना उत्पन्न की है। इस आदर्श के अनुसार व्यक्ति की हर आवश्यकता को पूरी करने की अधिक-से-अधिक जिम्मेदारी राज्य पर डाली जाती है। केवल जन्म से मरण तक की ही नहीं बल्कि गर्भाधान से लेकर अन्तिमस्कार तक की। यदि हम मान लें कि यह ऐतिहासिक प्रक्रिया चालू ही रहनेवाली है, तो आज का संयुक्त राष्ट्रसंघ समारम्भापी एकपक्षी राज्य में परिणत हो जायगा। अमेरिका चीन, इस और भारत जैसे बड़े देश भी इसमें न्यूनाधिक परिमाण में 'अ' वर्ग के राज्यों के समान काम करेंगे। प्रत्येक के पीछे पशु-बल का समर्पण होगा ही। इस प्रक्रिया का आज तक जिस प्रकार विकास हुआ है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह मुझों और हिंसक फ़ान्सियों के द्वारा ही अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है।

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इसे मैं एक स्मूहणीय आदर्श नहीं मान सकता। यदि हमारा यह निश्चय हो कि यह आदर्श उचित नहीं है और यदि

हम हिंसक अन्तियो तथा फासिस्ट (अर्थात् व्यक्तिगत संपत्तिवादी) अथवा बोलशेविक (राष्ट्रीय संपत्तिवादी) एकाधिपत्य की राह पर नहीं चलना चाहते वो भारत को कल्याण-राज्य का यह आदर्श छोड़ देना चाहिए।

हम यह अवश्य चाहते हैं कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कल्याण राज्य के लाभ मिलें परन्तु यदि यह प्रजासत्त के आवरण में (और रुस भी अपने को एक प्रकार का प्रजासत्त ही कहता है) नाम से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को 'अ' 'ब' या 'क' वर्ग के कौड़ी बनाकर ही किया जा सकता हो तो अपनी ही प्राप्ति के छोटे-से किन्तु बलवान् जल्पे द्वारा सुख-चन में और अच्छी स्थिति में रखे गये निरे पशु बनने के बजाय मानव-जाति के जन्म-काल से आन तक जिन्दा रहने के लिए हम जो अनेक प्रकार की मुसीबतें उठाते आये वीसी ही मुसीबतें उठाकर जीते रहना बहुतेर समझते हैं।

(३) यदि हमें यह मान्य है, तो स्वेच्छा से और योजनापूर्वक हमें समाज के छोटे-से-छोटे घटक को उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्वराज्ययुक्त अथवा स्वाधीन बनाने का आरम्भ कर देना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा काम प्रत्येक छोटे घटक को राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से—जितनी भी बातों में संभव हो स्वयंपूर्ण बनाने तथा स्वाधीन बनने की जिम्मेदारी उठाने लायक बना देना है। देश को हम छोट-छोट भागों में बाँट लें। हर भाग में एक छोटा कस्बा और उसके आसपास पाँच या बस मीछ के घेरे में बसे गाँवों का एक समूह हो। वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सत्ता का उपभोग करे। इसमें पुलिस का काम चोर-डाकूआ से रक्षा ग्याम शिक्षा कर लगाना और वसूल करना भादि अधिकारा और फर्तव्यों का समावेग हो। यह अपना सविधान मुद बनाये। अपने से ऊपर के घटका के संचालन के लिए कर का निश्चित भाग वह उसे दे दिया करे। अपने क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल से जिन उद्योगों का विकास बहु कर सके करे और यह जिम्मेदारी उठाये कि अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की बेकारी न रहे।

हर भाग का विभाजन ग्राम घटकों में कर दिया जाय। प्रत्येक ग्राम घटक में ग्राम-सभायत अवश्य हो। इसमें ग्राम के सभी हुई उम्र के व्यक्ति हो। इनकी नियुक्ति अथवा चुनाव न हो। गाँव के लोगों की राय किस प्रकार

जानी आय तथा उस पर अमल किस प्रकार हो, इसकी पद्धति का निश्चय और विकास वे खुद करें। यदि कोई उद्यमन पैदा हो आय और उसे लेकर तीव्र पक्ष गाँव में पैदा हो जायें तो इसका निर्णय मतों की गिनती द्वारा नहीं बल्कि किसी श्रद्धा-यात्र व्यक्ति या मण्डल के सामने पेश करके उसके द्वारा करवा लिया जाय। इस तरह भी न हो सके तो सिक्का ऊपर फेंक करके कर लिया जाय, तो भी बुरा नहीं। इस भाग की सरकार प्रत्येक पंचायत द्वारा नियुक्त अथवा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनायी आय और अन्त में प्रत्येक भाग सर्वसत्तासंपन्न छोटी-से-छोटी किन्तु सर्वांगपूर्ण सरकार बने। ऊपर का प्रत्येक मण्डल केवल उतनी ही सत्ता का अधिकारी हो जो उसे नीचे स दी जाय। छप सारी सत्ता प्रत्येक भाग के अधीन ही रहे। ऊपर की सरकारें भी पञ्जीय नीति के अनुसार काम न करें। यदि किन्हीं प्रश्नों पर ऐसा मतभेद हो जाय कि जिनका कोई हल ही नहीं मिल सके तो नीचेवाले पटका की राय मँगायी जाय।

(५) आज हम सोक्रेटस बुनाव राजनीतिक दलों के संगठन तथा उनके कार्यक्रमों की चर्चाएँ और उनकी नुकताचीनी करते हैं। परन्तु बुनिवादी स्वामिया का खयाल ही नहीं करते। हमारे संगठनों का ध्येय सबका कल्याण करना नहीं बल्कि प्रतिपक्षी को हराना और तग करना होता है और इसमें लोगो को अपने साथ हम लेना चाहते हैं। हमारा हेतु मनुष्य-मनुष्य के बीच सर्व्माय बढ़ाना नहीं बल्कि प्रतिपक्षी के प्रति द्वेषभाव बढ़ाने का होता है। हमारा यह द्वेषभाव और अविश्वास हमारे बनाये कानूना और संविधान में भी प्रकट रूप से देखा जा सकता है। सरकारी महकमा में भी प्रतिपक्षियों की जाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। इस कारण कोई भी आदमी आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ काम नहीं कर सकता। हर काम में डील भड़गेबाजी और एक-दूसरे का दोष दखाने-दिखाने की वृत्ति प्रकट होती है। हर मनुष्य अधिकार का मालकी बन जाता है और दूसरे के अधिकारों से ईर्ष्या करने लगता है।

इस मानस में से उत्पन्न सारी व्यवस्थाएँ खर्चीली दीवसूत्री बहुत लिखा-पढ़ी करनेवाली मोटे सिरवासी केवल बाहरी दिखावेवासी, बपटी निक्की पूछताछ करनेवासी दीव्यावाली बुगलसोर, प्रप्याचारी और द्वेष भादि बुरे गुणों में भरी हुई हैं ता इसमें आदर्श ही क्या ?

सोक-तंत्र का व्यावहारिक अर्थ केवल हाथ या सिरों की गिनती तक ही सीमित रह गया है। यह तो कोई नहीं कह सकता कि बहुत से सिरों का अर्थ बहुत अधिक समझदारी होता है और इसलिए जिस पक्ष में अधिक हाथ ऊँचे उठने हैं उस पक्ष में अधिक समझ होती है। असल महत्त्व की बात यह नहीं कि कितने हाथ या सिर ऊँचे उठे हैं बल्कि यह है कि ये क्या ऊँचे उठे हैं। अधिक हाथ ऊँचे उठने से कुछ अधिक नहीं हाता। जो हाथ या सिर ऊँचे हों उनमें योग्य गुणों का होना जरूरी है। एक चन्द्र जितना प्रकाश देता है उतना करोड़ों नक्षत्र भी नहीं दे सकते।

इसलिए केवल अच्छे प्रतिनिधि और अच्छे अधिकारी ही नियुक्त हों ता यह जितने महत्त्व की वस्तु है, उतनी अमुक राजनैतिक पक्ष की बहुमति जैसे हो यह नहीं है। सही निर्णय बहुमति से ही करने में सोक-कल्याण नहीं होगा।

(५) मुझे लगता है कि ब्रिटेन के ममूने की पक्ष पद्धतिवाली सरकार तथा मौकरवाही भारतीय जीवन-पद्धति के लिए अनुकूल नहीं है। इसने सामान्य मनुष्य की शक्ति का जिम्मेदारी की भावना का, काम की सूझ-बूझ का तथा नीति और स्वाय-भावना का यहाँ नाश किया है। विधान-सभा के सदस्य तथा मन्त्री भी अनेक बार जनता पर बोझ रूप बन गये हैं। पक्षों के 'लेबला' को अधिकृत रूप से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। विधान-सभाओं में मत देते समय 'डिप' (चेतक) के द्वारा हुक्म नहीं जारी होने चाहिए और मत देन के लिए प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। यदि सरकार का कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाय तो सरकार के लिए त्याग-पत्र देना भी लाजिमी नहीं होना चाहिए। समस्त विधान-सभा जो निर्णय करे उसका वह अमल करे। मेरा समाल है कि ब्रिटिश नमून की अपेक्षा यह पद्धति भारत के लिए शायद अधिक अनुकूल सिद्ध हो।

पक्षों के राज्य को 'डिमोक्रेसी' (प्रजातंत्र) कहना बहुत घ्यापात है। प्रजा द्वारा मान्य किया गया पक्षातीत राज्य 'डिमोक्रेसी' माना जाय या न भी माना जाय। परन्तु वह सुराज्य अर्थात् सही माना में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चामित राज्य अवश्य होना चाहिए।

सर्वोदय तथा मूदान-साहित्य

(विनोबा)

(श्रीकृष्णदास बाबू)

गीता प्रबन्धन	१॥ सजित्य	१॥॥
शिक्षण-विचार		१॥॥
सर्वोदय विचार स्वराज्य-शास्त्र	१)	
कायकर्ता-भाषेय		॥॥
त्रिवेणी		॥॥
साहित्यिकों से		॥॥
मूदान-गंगा (छहसठों में) प्रत्येक	१॥॥	
शामदेव चिन्तिका	१)	
स्त्री-शक्ति		॥॥॥
भगवान् के दरबार में		॥
गाँव-गाँव में स्वराज्य		२)
सर्वोदय के आधार		॥
एक बनो और नैक बनो		२)
गाँव के लिए आरोग्य-योजना		२)
व्यापारियों का अवाहन		॥
ग्रामदान		॥॥॥
शान्ति-सेना		॥॥
मजदूरों से		२)
गुरुबोध	१॥॥	
माया का प्रश्न		॥
लोकनीति	१॥॥	
जय-जगत्		॥
सर्वोदय-पाठ		॥
साम्यसुत्र		१२)

(धीरेन्द्र मजूमदार)

समग्र ग्राम-सेवा की ओर	३॥॥
सासतमुक्त समाज की ओर	॥॥
नयी शालीम	॥॥

संपत्तिदान-मंत्र	॥॥
व्यवहार-शुद्धि	१२)
अ० मा० धरसा-सर्व का इतिहास	३॥॥

(जे० सी० कुमारप्पा)

गाँव आत्मारुन क्या ?	२॥॥
गाँधी-अर्थ-विचार	१)
स्थायी समाज-व्यवस्था	२॥॥
स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग	॥
ग्राम-सुधार की एक योजना	॥॥॥

(बाबा परमाधिकारी)

सर्वोदय-दर्शन	१)
साम्ययोग की राह पर	॥

(महात्मा भगवान्दास)

सत्य की जांच	१॥॥
चित्त के क्षणों में	॥॥
माता-पितामों से	१२)
वालक सीसता कैसे है ?	॥॥

(अण्ण लेखक)

महाश्री की छाया में	१॥॥
जलो चले भैरवीठ	॥॥॥
मूदान-भागोत्री	२॥॥
मूदान-आरोहण	॥॥
ग्रामदान क्या ? भा० भवायी	१॥॥
मूदान-मंत्र क्या और क्यों ?	१॥॥
सफाई विज्ञान और कला	॥॥॥
सुन्दरपुर की पाठशाळा	॥॥॥
गो-सेवा की विचारधारा	॥॥

विनोबा के साथ	१)	भम-सार शिवाजी भावे	१)
शाम-स्वराज्य डा० बंग	॥७)	स्थितप्रज्ञ-रक्षण	१)
पावन-प्रसंग मृदुला मुंदड़ा	॥१)	श्रम-दान	१)
छात्रों के बीच	१७)	अन्तिम छाँकी मनु गांधी	१॥१)
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	१)	हिमालय की गोद में	॥११)
सर्वोदय-संयोजन	१)	साई की बहामियाँ	१)
गांधी एक राजनसिक् अभ्ययन ॥१)		दादा का स्नेह-दर्शन	१)
सामाजिक क्रांति और भूदान १७)		भूदान का लेखा (आँकड़ों में)	१)
गाँव का गोकुल अप्पासाहव १)		सामूहिक प्रार्थना	७)
ध्याज-बट्टा	१)	घरती के गीत	७)
धोपण-मुक्ति और नवसमाज ॥२७)		भूदान-रहूरी	७)
भूदान-शीपिका	२७)	भूदान-यज्ञ-गीत	७)
भूदान से ग्रामदान	२७)	विनोबा-संवाद	१२७)
पूर्व-युनिटादी	॥१)	मर्यादाही शक्ति	१७)
सर्वोदय भजनावलि	१)	जीवन-परिवर्तन (नाटक)	१)
सत्संग	॥१)	पावन प्रकाश (नाटक)	१)
क्रांति की राह पर	१)	कुलदीप (नाटक)	१)
क्रांति की ओर	१)	प्राकृतिक चिबित्सा-विधि	१॥१)
समाजवाद से सर्वोदय की ओर ॥२७)		यापू क पत्र	११)
गांधीजी क्या चाहते थे ? ॥१)		स्मरणांजलि	१॥१)
भूदान-मोषी सुभद्रा गांधी	१)	मरा जीवन-विवास	॥१)
सर्वोदय-सम्मेलन-रिपोर्ट		प्यारे धापू (तीन भाग)	११७)
गांधीपुरम् १)		बिभेदित अर्घ-अभ्यवस्था	॥२७)
सर्वोदय-सम्मेलन-रिपोर्ट कालाही १)		सपोषन-विनोबा	१॥१)
सर्वोदय-सम्मेलन रिपोर्ट, पडरपुर १)		विनोबालाल भाई की जीवन	
		साधना	२१)

ENGLISH PUBLICATIONS

	Rs np		Rs. np
The Economics of		Sarvodaya &	
Peace	10-00	Communism	0-50
Talk on The Gita	2-00	The Ideology of the	
" , Bound	3-00	Charkha	1-00
Science & Self		Human Values & Tech-	
Knowledge	0-50	nological Change	0-38
Towards New Society	0-50	Gramdan The Latest	
Swaraj-Sastra	1-00	Phase of Bhoodan	0-12
Vinoba & His		Why Gramraj ?	0-50
Mission	5-00	Why the Village Move-	
Planning for		ment ? (New Edition)	3-00
Sarvodaya	1-00	Non Violent Economy	
Class Struggle	1-00	and World Peace	1-00
Bhoodan as seen by		Economy of Perma-	
the West	0-60	nence	3-00
M. K. Gandhi	2-00	Swaraj for the Masses	1-00
A Picture of Sarvodaya		The Cow in our	
Social Order	1-25	Economy	0-75
From Socialism to		Bee-Keeping	1-75
Sarvodaya	0-75	An over all Plan for	
Sampatti Dan	0-30	Rural Development	1-00

